



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062020-219667
CG-DL-E-03062020-219667

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 259]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942

No. 259]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISHTHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 338(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर संशोधन (12 वां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,

(क) नियम 12 के उपनियम (1) में—

(I) खंड (क) के परंतुक में,--

(i) मद (V) के, अंत में "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) मद (VII) और मद (VIII) का लोप किया जाएगा;

(II) खंड (गक) के परंतुक में, मद (VI) का लोप किया जाएगा;

(ख) परिशिष्ट II में, प्ररूप "सहज (आईटीआर-1)" प्ररूप आईटीआर-2, प्ररूप आईटीआर-3 प्ररूप "सुगम (आईटीआर-4)" प्ररूप आईटीआर-5, प्ररूप आईटीआर-6, प्ररूप आईटीआर-7 और प्ररूप आईटीआर-V" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

[अधिसूचना सं. 31/2020/फा. सं. 370142/32/2019-टीपीएल]

अंकुर गोयल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (11वां संशोधन) नियम, 2020 द्वारा अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 329(अ) तारीख 28.5.2020 द्वारा संशोधन किया गया।

आ.क.वि.- 1 सहज	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष					
	[ऐसे व्यष्टिओं के लिए, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी हैं, जिनकी वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (व्याज आदि) से और कृषि से पचास लाख रुपए तक आय है] [किसी व्यष्टि के लिए नहीं, जो किसी कंपनी में या तो निदेशक है या जिसने असूचीबद्ध साम्या शेयरों में विनिधान किया है] (पात्रता के लिएअनुदेश देखें)	2	0	2	0	-	2

[illegible]

भाग ख- सकल कुल आय					केवल संपूर्ण रुपए (₹) में	
ख1	i	सकल वेतन (ik + ix + ig)			i	
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	ik			
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	ix			
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	ig			

	ii	धारा 10के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)				ii		
	[सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]							
	iii	शुद्ध वेतन (ii – iii)				iii		
	iv	धारा 16 केअधीनकटौतियां(ivक + ivख+ ivग)				iv		
	क	धारा 16(िक) के अधीन मानक कटौती		ivक				
	ख	धारा 16(ii)के अधीन मनोरंजन भत्ता		ivख				
	ग	धारा 16(iii)के अधीन वृत्तिक कर		ivग				
	V	'वेतन'शीर्षकेअधीनप्रभार्यआय (iii - iv)				ख1		
ख2	लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं❑स्व:अधिभोग ❑किराए पर❑किराए पर समझी गई							
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/ प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराए का मूल्य				i		
	ii	स्थानीय प्राधिकारियों को सौदत्त कर		ii				
	iii	वार्षिकमूल्य(i + ii)				iii		
	iv	वार्षिक मूल्य का 30 प्रतिशत		iv				
	v	उधार ली गई पूंजी पर संदेय व्याज		v				
	vi	वकाया/वर्ष के दौरान प्राप्त वसूला न गया किराया घटा 30%		vi				
	vii	'गृह संपत्ति'शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii – iv - v) + vi				ख2		
ख3	अन्य स्रोतों से आय (आय की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)							
	घटा : धारा 57(ii) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)				ख3			
ख4	सकलकुलआय(ख 1+ ख 2+ ख 3)(यदि हानि हुई हो तो नकारात्मक अंक भरें)				ख4			
नोट: क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन का लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 2 का प्रयोग करें								

भाग ग – कटौतियाँ और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती की सीमा के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें)

क्या आपने अध्याय VI के भाग ख के अंतर्गत किसी कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ 01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच कोई निवेश/ जमा/ भुगतान किया है? [हां/ नहीं]

(यदि हां, तो कृपया अनुसूची डीआई भरें)

80ग	80गग	80गगघ(1)	80गगघ(1ख)	80गगघ(2)	80घ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरें जाएं)	80घघ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरें जाएं)	80घघघ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरें जाएं)	80ड	80डड
80 डडक	80 डडख	80छ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरें जाएं)	80छछ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरें जाएं)	80छछछ(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरें जाएं)	80छछघ	80ननक	80ननख	80प(ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरें जाएं)	

कुल कटौतियां	ग1	कुलआय(ख4 -ग1)	ग2
रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण – यदि कृषि आय 5000/- रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है)		छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें	

भाग घ –संदेय कर की संगणना

घ 1	कुल आय पर संदेय कर		घ 2	धारा 8 7क के अधीन छूट		घ 3	रिवेट के पश्चात् कर	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर घ3 पर @ 4% उपकर		घ 5	कुल कर और उपकर		घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया छूट के लिए फार्म 10ड को भरना सुनिश्चित करें।)	
घ 7	धारा 234च के अधीन ब्याज		घ 8	धारा 234ख के अधीन ब्याज		घ 9	धारा 234ग के अधीन	
घ 10	धारा 234च के अधीन फीस		घ 11	कुल कर , फीस और ब्याज(घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 – घ6)				
घ 12	कुल संदेय कर		घ 13	कुल संदेय(घ11 –घ12)(यदिघ11 >घ12)		घ 14	प्रतिदाय(घ12 – घ11)(यदिघ12 >घ11)	

भाग ड-अन्य जानकारी- पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण (अनिवार्य चाहे प्रतिदाय देय है या नहीं)

क्रमसं	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
I				

1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए।
2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।

अनुसूची-आयकर आय- करके अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

	बीएसआरकोड						निक्षेप की तारीख(तारीख/मास/वर्ष)/						चालानसं.				संदत्तकर			
	(स्तंभ i)						(स्तंभ ii)						(स्तंभ iii)				(स्तंभ iv)			
आर 1																				
आर 2																				

अनुसूची –स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर संगृहित कर के स्रोत पर कर कटौती ब्यौरे [कटौतीकर्ता/नियोजक/संदाता/संग्रहकर्ता द्वारा जारी 16 / 16क / 16ग / 27घ]

	कटौतीकर्ता/ संग्रहकर्ता का देन या किराएदार का पेन/ आधार सं.	कटौतीकर्ता / संग्रहकर्ता / किराएदार का नाम	समग्र संदाय / रसीद, जो कर कटौती / संग्रहण के अधीन है	कर कटौती / संग्रहण का वर्ष	कटौती किया गया / संग्रह किया गया कर	(5)में से वर्ष के दौरान दावा किया गया टीडीएस/ टीसीएस
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)
टी1						
टी2						

अनुसूची डीआई- निवेश के ब्यौरे		
अध्याय VI क के भाग ख के अंतर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ निवेश/जमा/भुगतान		
धारा	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती की पात्र राशि (भाग ग के अनुसार कटौती तथा कर योग्य कुल आय)	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच किए गए निवेश/व्यय को आरोप्य कटौती (कॉलम संख्या 2 में से)
कॉलम (1)	कॉलम (2)	कॉलम (3)
(ii)		
80ग		
80गग		
80गगघ(1)		
80गगघ(1ग)		
80गगघ(2)		
80घ		
80घघ		
80घघख		
80ङ		
80ङङ		
80ङङक		
80ङङख		
80छ		
80छछ		
80छछक		
80छछग		
योग		

सत्यापन

स्टॉप रसीद सं. प्राधिकर्ता पदधारी की मुद्रा, तारीख और हस्ताक्षर	मैं, ...पुत्र / पुत्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा यह आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं, यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए डाउनलोड का उपबंध किया जाना है) की क्षमता में तैयार कर रहा/रही हूँ और मैं यह विवरणी तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक है (कृपया अनुदेश देखें)।	
	तारीख:	हस्ताक्षर:

यदि विवरणी को कर विवरणी तैयारकर्ता (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो और ब्यौरे नीचे दें :												
टीआरपी की पहचान सं.	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम												

प्र. आ.क.वि-2	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष						
	[व्यष्टिकों और हि.अ.कु. के लिए, जिनकी कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय नहीं है]							
	[कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए]	2	0	2	0	-	2	1
	(कृपया अनुदेश देखे)							

व्यक्तिगत सूचना	भाग क- साधारण		साधारण	
	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम	स्थायी लेखा सं. (पैन)
	फ्लैट / द्वार / ब्लाक सं०		परिसर / भवन / गांव का नाम	प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ व्य-टि ☐ हिन्दू अविभक्त कुटुंब
	मार्ग / गली / डाकघर		जन्म तिथि / गठन / (तिथि / मास / व-ई) / /	
	क्षेत्र / अवस्थान		आधार संख्यांक (12 अंक) / आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)	
	नगर / शहर / जिला		राज्य	पिन कोड / जिप कोड
			देश	
	निवास/कार्यालय का एसटीडी कोड सहित फोन नं०/ मोबाइल नं. 1		मोबाइल नं० 2	
	ई मेल पता -1 (स्वयं का)		ई मेल पता -2	
	प्रस्तुत पड़ल करन	(क)	धारा के अधीन दाखिल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरण ☐ 119(2)(ख)- विलम्ब को माफ करने के पश्चात्
		या धारा के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में दाखिल	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क, ☐ 153ग	
(ख)		क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: तभी भरा जाए यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धारा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर करना है]		
(खi)		क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)	
(खii)		क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)	
(खiii)		क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (रु)	
(ग)		यदि पुनरीक्षित / नुटि युक्त है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें। (तिथि / मास / वर्ष)	/ /	
(घ)		यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19गघ के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।	(यूनिक नंबर)	/
(ङ)		भारत में निवासीय प्रास्थिति(व्यष्टि के लिए) (लागू विकल्प का चयन करें)	अ. निवासी	☐ पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 182 या अधिक दिन थे [धारा 6(1)(क)] ☐ पिछले वर्ष के दौरान आप भारत में 60 या अधिक दिन थे, और पिछले 4 वर्षों के भीतर भारत में 365 दिन रहे हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहां स्पष्टीकरण 1 लागू नहीं होता है]
		आ. निवासी परंतु साधारणतया निवासी नहीं	इ. अनिवासी	☐ आप पिछले 10 वर्षों में से 9 वर्ष भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 729 दिन या उससे कम भारत में रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ पिछले वर्ष के दौरान आप अनिवासी थे (i) कृपया पिछले वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) विनिर्दिष्ट करें - क्र.स. निवास की अधिकारिता (अधिकारिताएं) करदाता पहचान संख्या (संख्याएं) 1 2
			(ii) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति (पीओआई) होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें - पिछले वर्ष के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में) पिछले 4 वर्षों के दौरान भारत में ठहरने की कुल अवधि (दिनों में)	

[illegible]

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची वेतन वेतन से आय का ब्यौरा

वेतन

नियोजक का नाम		नियोक्त की प्रकृति (टिक) ☒ (ड्राप डाउन प्रदान किया जाना)		नियोजक का टेन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)										
नियोजक का पता		नगर / शहर		राज्य				पिन कोड / जिप कोड						
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग)			1										
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)		1क										
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)		1ख										
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)		1ग										
	(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)													
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2										
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाईलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: यह सुनिश्चित करे कि इसे उपरोक्त (2) में कुल निवल वेतन में शामिल किया गया है)			3										
4	कुल वेतन (2 - 3)			4										
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5										
	क	धारा 16(i) के अधीन मानक कटौती		5क										
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता		5ख										
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर		5ग										
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6										

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता		नगर / शहर		राज्य				पिन कोड / जिप कोड					
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)														
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)														
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम			सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या.				संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता					
I														
II														
[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया नोट देखें)				किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)						
☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		I												
		II												
क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य			1क										
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती			1ख										
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर			1ग										
घ	योग (1ख + 1ग)			1घ										

ड	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)	1ड	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ड)	1च	
छ	1च का 30%	1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)	1झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	1ञ	
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)	1ट	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर / शहर	राज्य
			पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)		
	संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)		
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संपत्ति में शेयर की प्रतिशतता
I			
II			
	I लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)
			किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)	2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ड	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ड	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ड)	2च	
छ	1च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट	
3	आय/क्षति के जरिए पास यदि कोई हो *	3	
4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2i अंक लेवें)	4	
टिप्पण	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।		
टिप्पण	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है		
टिप्पण	किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है		

अनुसूची -गछ पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अपूअ) (उप-मद 3 और 4 निवासी के लिए लागू नहीं है)											
अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक ब्यौरे भरें)										
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य						का			
		ii	स्टाम्प मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						काii			
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य [यदि (काii), (काi) से 1.05 गुणा अधिक नहीं होता है तो इस अंक को (काi) लेंगे अन्यथा (काii) लेंगे]						काiii			
	ख धारा 48 के अधीन कटौती											
	ग	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत						खा			
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत						खाii			
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय						खाiii			
		iv	कुल (खा + खाii + खाiii)						खाiv			
	ग	अतिशेष (काiii – खाiv)						1ग				
	घ	धारा 54ख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)						1घ				
	ङ	संपत्ति पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)									अ1ङ	
	च	अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)										
		क्रं. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड				
	टिप्पण	पैन/ आधार नं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।										
	2	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ II के लिए) के अधीन एस टी टी संदत्त किया गया है										
		क	प्रतिफल का कुल मूल्य						2क			
		ख धारा 48 के अधीन कटौती										
		ग	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत						खा		
ii			सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत						खाii			
iii			अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय						खाiii			
iv	कुल (i + ii + iii)						खाiv					
ग	अतिशेष (2क – खाiv)						2ग					
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि आस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभ/अ / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी आस्तियों के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)						2घ				
	ङ	साधारण शेयर या म्यूचुअल फंड उन्मुख इक्विटी (संदत्त एस टी टी) (2ग+2घ)						अ2ङ				
3	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय प्ररूप एफ2 में नहीं होगा (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)											
	क	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त है						अ3क				
	ख	अपूअ संव्यवहार पर, जिस पर प्रतिभूति अंतरण कर संदत्त नहीं है						अ3				
4	अनिवासी के लिए - धारा 115कघ के अनुसार च2 द्वारा प्रतिभूतियों (जो अ2 से भिन्न है) के विक्रय से											
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।									
		ख	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य									
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य									

			ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग		
			ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
			iii	कुल (ग + ii)	क iii		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौती			
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा		
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
			iv	कुल (i + ii + iii)	खiv		
		ग		अतिशेष (4क iii – खiv)	2ग		
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि अस्ति अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी अस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	2घ		
		ङ		च2 (जो अ2 से भिन्न हो) द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (4ग + 4घ)		अ4ङ	
	5			उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न अस्तियों के विक्रय से			
		क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित व्यौर दर्ज करें।			
			क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
			ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य			
			ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	ग		
			ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
			iii	कुल (ग + ii)	क iii		
		ख		धारा 48 के अधीन कटौती			
			i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा		
			ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii		
			iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
			iv	कुल (i + ii + iii)	खiv		
		ग		अतिशेष (5क iii – खiv)	5ग		
		घ		धारा 94(7) या धारा 94(8) के अधीन अनुज्ञात हानियां उदाहरण के लिए, यदि अस्ति (प्रतिभूति / यूनिट) अभिलेख की तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय / अर्जित की गई है और यूनिट का लाभांश / आय या बोनस प्राप्त किया गया है तत्पश्चात् ऐसी अस्तियां के विक्रय से उत्पन्न हानि की अनदेखी होगी (केवल सकारात्मक मूल्य लिखें)	5घ		
		ङ		उपर्युक्त अ1 या अ2 या अ3 या अ4 से भिन्न अस्तियों पर अपूअ (5ग + 5घ)		अ5ङ	
	6			लघु अवधि पूँजी अभिलाभ समझी गई राशि			
		क		क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित अस्तियों पर पूँजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूँजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं			
				यदि पूँजीगत अभिलाभ खाते में से कोई राशि प्रयोग की गई है तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम संख्या 'ख' भरें			
		क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें अस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ष में कटौती का दावा किया गया है	क्या नई परिसंपत्तियां अर्जित की गई (हाँ/नहीं)	नई अस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है वर्ष जिसमें अस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	नई अस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूँजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि

		ii 2017-18		54ख											
ख क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि															
लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क Xi+ख)												क6			
7		अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (क7क+क7ख+क7ग)												अ 7	
क	15	प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास							क7क						
	ख	30	प्रतिशत की दर से प्रभार्य, अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास							क7ख					
	ग		लागू दरों पर प्रभार्य अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास							क7ग					
8		क1-क7 में सम्मिलित एसटीसीजी की रकम, किंतु जो कर से प्रभार्य नहीं है या डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य है													
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. क1 से क7, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनक की मद	क्या टीआरसी अभिप्रास किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)							
I															
II															
9		आयकर अधिनियम के अधीन कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ प्रभार्य (क1ड + क2ड + क3क + क3ख + क4ड + क5ड + क6 + क7)												क 9	
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (दीपूअ) (निवासी के लिए उप-मद 5, 6, 7 और 8 लागू नहीं है)														
दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपदा के लिए पृथक ब्यौरे भरें)													
	क	i	प्राप्त / प्राप्त योग्य प्रतिफल का कुल मूल्य							का					
		ii	स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य							काii					
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अपनाए गए प्रतिफल का कुल मूल्य यदि (काii), (काi) से 1.05 गुणा अधिक नहीं होता है तो अंक (काi) या अन्यथा (काii) लेंगे।							काiii					
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती													
		i	सूचीबद्ध के साथ अर्जन की लागत							खाi					
		ii	सूचीबद्ध के साथ सुधार की लागत							खाii					
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय							खाiii					
		iv	कुल (खा + खाii + खाiii)							खाiv					
	ग	अतिशेष (काiii - खाiv)							1ग						
	घ	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे प्रस्तुत करें)							1घ						
	ड	स्थायर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (1ग - 1घ)												आ1ड	
	च	कृपया अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)													
		क्र. सं.	क्रेता (क्रेताओं) का नाम	क्रेता (क्रेताओं) का पैन/आधार	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड							
टिप्पण ▶ पैन/आधार सं. का दिया जाना आज्ञापक है यदि धारा 194-झक के अधीन कर काटा जाता है एक से अधिक क्रेताओं की दशा में संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।															
2	बंधपत्र और डिबेंचर (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीबद्ध बंधपत्र से भिन्न) के विक्रय से														
क	प्रतिफल का कुल मूल्य							2क							
	ख धारा 48 के अधीन कटौती														
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत							खा						
		सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत							खाii						
		अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय							खाiii						
	iv	कुल (खा + खाii + JEiii)							JEiv						
ग	अतिशेष (2क - खाiv)							2ग							
घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)							2घ							

उ बंधपत्र और डिबेंचर पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग - 2घ)				आ2ङ	
3	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों) किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र, जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है ((ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर, के विक्रय से				
	क	प्रतिफल का कुल मूल्य	3क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
	i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा		
	ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii		
	iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii		
	iv	कुल (खा + खाii + खiii)	खiv		
	ग	धारा 54ङग / 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट	3ग		
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	3घ		
	ङ	उपर्युक्त आ3 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		आ3ङ	
4	कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से				
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112क का कॉलम 14)	4क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	4ख		
	ग	उपर्युक्त आ 4 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4क - 4ख)		ख4चघ	
5	अनिवासियों के लिए, किसी भारतीय कंपनी के शेयर या डिबेंचर का विक्रय से (धारा 48 के पहले परंतुक के अधीन विदेश मुद्रा के समायोजन के साथ संगणित होगी)				
	क	सूचीबद्ध फायदों के बिना संगणित दीपूंअ	5क		
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)	5ख		
	ग	शेयर या डिबेंचर पर (5क - 5ख)		आ5ग	
6	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग) के अनुसार गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्र या ग्लोबल निक्षेपागार रसीद, (iii) धारा 115कघ में निर्दिष्ट च2 द्वारा प्रतिभूतियां (धारा 112 में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न जिसके लिए स्तंभ आ 7 भरा जाना चाहिए।)				
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।		
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i	क
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	ii	ख
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iii	ग
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii	कुल (ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती			
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा	
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खाii	
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii	
		iv	कुल (खा + खाii + खiii)	खiv	
	ग	अतिशेष (6क iii - खाiv)		6ग	
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिदिष्ट करें)		6घ	
	ङ	अनिवासियों की दशा में उपर्युक्त 6 पर आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (6ग - 6घ)			आ 6ङ
	7	अनिवासियों के लिए- कंपनी के साधारण शेयर या साधारण अभिविन्यासित निधि की इकाई या कारबार न्यास जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया जाता है की इकाई के विक्रय से			

		क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी [अनुसूची 115क(1)(iii)]	7क			
		ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7ख			
		ग	उपर्युक्त आ 7 पर पूंजी आस्ति के विक्रय पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7क - 7ख)		ख7ग		
8	अनिवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के विक्रय से (यदि अध्याय 12क के अधीन विकल्प दें)						
		क	विनिर्दिष्ट आस्तियों (सूचीबद्ध के बिना संगणित) के विक्रय पर दीपूअ	8क			
		ख	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख			
		ग	विनिर्दिष्ट आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8क - 8ख)		आ 8ड		
		घ	विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर दीपूअ (सूचीबद्ध के बिना संगणित)	8घ			
		ङ	धारा 115च के अधीन कटौती घटाएं (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ङ			
		च	विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न आस्तियों के विक्रय पर अतिशेष दीपूअ (8घ - 8ङ)		आ 8च		
9	जहां उपर्युक्त आ1 से आ8 तक लागू नहीं है, आस्तियों के विक्रय से						
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयरों के सम्मिलित होने की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें।				
		क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	iक			
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए शेयरों का उचित बाजार मूल्य	iiख			
		ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख का उच्चतर)	iiiग			
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	काii			
		iii	कुल (ग + ii)	काiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौती					
		i	सूचीबद्ध के बिना अर्जन की लागत	खा			
		ii	सूचीबद्ध के बिना सुधार की लागत	खii			
		iii	अंतरण के संबंध में पूर्णतया और अनन्य रूप से व्यय	खiii			
		iv	कुल (खा + खii + खiii)	खiv			
	ग	अतिशेष (9काiii - खiv)			9ग		
	घ	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद ई में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)			9घ		
	ङ	उपर्युक्त आ9 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)				आ 9ङ	
10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि						
	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्षों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को ढ़ क उस वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?						
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं						
	हाँ ; नहीं ; लागू नहीं। (यदि हां, तब नीचे ब्यौरे प्रदान करें)						
	यदि पूंजीगत अभिलाभ खाते में से कोई राशि प्रयोग की गई है तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. 'ख' भरें						
	क्रम सं.	पूर्व वर्ष में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भा) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि	
				वर्ष जिसमें आस्तियां अर्जित / निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि		
	i	2016-17	54 / 54च / 54चख				
	ii	2017-18	54ख				
ख	क' से भिन्न, दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि						

दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (का+काii+ख)										ख 10	
11 दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरें) (ख11क1+ख11क2 + ख11ख)										ख 11	
क1		धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क1				
क2		धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11क2				
ख		20 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					ख11ख				
12 एलटीसीजी की राशि ख1-ख2 में शामिल की गई परन्तु कर के लिए प्रभार्य नहीं अथवा डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य नहीं											
क्रम सं.	आय की रकम	ऊपर मद सं. ख 1 से ख 11, जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	डीटीए की मद	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)			
I											
II											
13 आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य कुल दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (ख1ड+ख2ड+ख3ड+ख4ड+ख4ग+ख5ग+ख6ड+ख7ग+ख8ग+ख9ग+ख10+ख11+ख12क)										ख13	
इ	“पूंजीगत अभिलाभ” शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (क9+ख13) (यदि हानि हो तो ख13 को शून्य के रूप में हो)									इ	
ई	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावा की गई कटौती के संबंध में सूचना										
1	धारा 54 / 54ख / 54डग / 54च / 54छख / 115च के अधीन निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए										
क	धारा 54 के अधीन दावा की गई कटौती										
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					क i	दिन / मास / वर्ष				
ii	नए आवासीय घर की लागत					क ii					
iii	नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख					क iii	दिन / मास / वर्ष				
iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					क iv					
v	दावा की गई कटौती की रकम					क v					
ख	धारा 54ख के अधीन दावा की गई कटौती										
i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख					ख i	दिन / मास / वर्ष				
ii	नई कृषि भूमि की लागत					ख ii					
iii	नए कृषि भूमि के क्रय करने की तारीख					ख iii	दिन / मास / वर्ष				
iv	सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम					ख iv					
v	दावा की गई कटौती की रकम					ख v					
ग	धारा 54डग के अधीन दावा की गई कटौती										

i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन / मास / वर्ष
	विनिर्दिष्ट / अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख रुपए से अनधिक)	ग ii	
	iii विनिधान की तारीख	ग iii	दिन / मास / वर्ष
	iv दावा की गई कटौती की रकम	ग iv	
धारा 54च के अधीन दावा की गई कटौती			
घ	i मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घi	दिन / मास / वर्ष
	ii नए आवासीय घर की लागत	घii	
	iii नए आवासीय गृह के क्रय / संनिर्माण की तारीख	घiii	दिन / मास / वर्ष
	iv सम्यक् तारीख से पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	घiv	
	v दावा की गई कटौती की रकम	घv	
धारा 54छख के अधीन दावा की गई कटौती			
ङ	i मूल आवासीय संपत्ति के अंतरण की तारीख	ङi	दिन / मास / वर्ष
	ii पात्र कंपनी का पैर	ङii	
	iii पात्र कंपनी के साम्या शेयरों की प्रतिश्रुति के लिए उपयोग की गई रकम	ङiii	
	iv शेयरों को प्रतिश्रुत करने की तारीख	ङiv	दिन / मास / वर्ष
	v पात्र कंपनी द्वारा क्रय किए गए नए संयंत्र और मशीनरी की लागत	ङv	
	vi संयंत्र और मशीनरी के क्रय करने की तारीख	ङvi	दिन / मास / वर्ष
	vii पूंजी अभिलाभ खाते में जमा की गई रकम सम्यक् तारीख से पूर्व रकम	ङvii	
	viii दावा की गई कटौती की रकम	ङviii	
धारा 115च के अधीन दावा की गई कटौती (अनिवासी भारतीयों के लिए)			
च	i मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अंतरण की तारीख	चi	दिन / मास / वर्ष
	ii नई विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाणपत्र में विनिधान की गई रकम	चii	
	iii विनिधान की तारीख	चiii	दिन / मास / वर्ष
	iv दावा की गई कटौती की रकम	चiv	
छ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ + 1च)	1छ	

उ चालू वर्ष के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ष की पूंजी हानि का मुजरा

क्रम सं.	पूँजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ष का पूँजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ष का अतिशेष पूँजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	पूँजी हानि जिसका मुजरा किया जाना है (केवल यह पंक्ति भरे यदि प्रणित अंक नकारात्मक है →)		(अ2ड+ अ3क+ अ7क)	अ4ड + अ7ख	(अ1ड+ अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग)	अ8(2)	(आ3ड+ आ4ग+ आ6ड+ आ7ग + आ8ग+ आ11क1+ आ11क2)	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8च+ आ9ड+ आ10 + आ11ख)	आ12ब	
ii	अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ	15%	(अ2ड+ अ3क+ अ7क)							
iii		30%	अ4ड + अ7ख							
iv		लागू दर	(अ1ड+अ3ख+ अ5ड+ अ6+ अ7ग)							
v		डीटीएए दरें	अ8(2)							
vi	दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ	10%	(आ3ड + आ4ग+ आ6ड + आ7ग + आ8ग + आ11क1 + आ11क2)							
vii		20%	(आ1ड+ आ2ड+ आ5ग+ आ8च+ आ9ड+ आ10 + आ11ख)							
viii		डीटीएए दरें	आ12ब							
ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शेष हानि (i - ix)									

ऊ प्रोद्भवन की जानकारी / पूँजी अभिलाभ की रसीद

	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15 / 6 तक (i)	16 / 6 से 15 / 9 (ii)	16 / 9 से 15 / 12 (iii)	16 / 12 से 15 / 3 (iii)	16 / 3 से 31 / 3 (iv)
1	15% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iii से मूल्य लिखें					
2	30% की दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3iv से मूल्य लिखें					
3	लागू दर पर कर देय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3v से मूल्य लिखें					
4	10% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3vii से मूल्य लिखें					
5	20% की दर पर कर देय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ यदि कोई हो, अग्रनीत की गई हानियों का समायोजन अनुसूची की मद 3viii से मूल्य लिखें					

टिप्पण

कृपया इस शीर्ष के अधीन आय को प्रगणित करते समय एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें

अनुसूची 112क		एक कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री अथवा निष्पी उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा एक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।												
क्रम सं.	आईएसआईएन कोड	शेयर/ यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/ यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (कुल बिक्री मूल्य) (4*5)	8एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य -(4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णत विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)	
(कॉलम 1)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
3					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
4					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
पंक्ति जोड़े														
योग					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

115कघ(1)(ख)(iii) परन्तुक		अनिवासियों के लिए-एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की बिक्री से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया गया है।												
क्रम सं.	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	प्रति शेयर/यूनिट बिक्री मूल्य	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (कुल बिक्री मूल्य) (4*5)	8एवं 9 के उच्चतर इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत संपत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्ण अर्जित की गई थी-6 तथा 11 का कम	31 जनवरी, 2018 की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर यूनिट उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत संपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य -(4*10)	अंतरण के संबंध में पूर्णत विशेष रूप से व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) आईटीआर की एलटीसीजी अनुसूची की मद 4(क)	
(कॉलम 1)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
2					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
3					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
4					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
पंक्ति जोड़े														
योग					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1	
क	लाभांश, सकल [धारा 10(34) और 10(35) के अंतर्गत छूट नहीं]				1क	
ख	व्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi + खvii)				1ख	
	i	वचत बैंक से नीचे	खाi			
	ii	निक्षेप (बैंक/पोस्ट ऑफिस/कापरेटिव) से	खाii			
	iii	आयकर प्रतिदाय से	खाiii			
	iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खाiv			
	v	अन्य	खv			
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय				1ग	
घ	अन्य, सकल (दौड़ के घोड़ों के स्वामिस्व से हुई आय को छोड़कर) स्रोत का उल्लेख करें (घi + घii + घiii + घiv + घv)				1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घi			
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii			
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii			
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घiv			
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv			
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ङ	
	क्र. सं.	प्रकृति	राशि			
	1	पारिवारिक पेंशन				
	2					
	यथा अपेक्षित पक्तियां जोड़ी जा सकती हैं					
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ एस1 से संबंधित तत्व)				2	
क	लाटरी, क्रास वर्ड, पहेली आदि से जीत, धारा 115खख के अधीन प्रभार्य				2क	
ख	धारा 115खखड. के अधीन प्रभार्य आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv + खvi)				2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खाi			
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खाii			
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खाiii			
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खाiv			
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv			

	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi		
ग		धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित अधिशेष			2ग
	क्र सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	
घ		विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय, (ग i से ग xviii का योग)			2घ
	i	अनिवासी (कंपनी नहीं होते हुए) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश कंपनी धारा 115 क(1) (क) (i) के अधीन प्रभार्य	घ i		
	ii	सरकार या विदेशी करेंसी ऋणों पर भारतीय समुत्थान से प्राप्त ब्याज धारा 115 क (1) (क) (ii) के अधीन प्रभार्य	घ ii		
	iii	अवसंरचना ऋणि निधि से प्राप्त ब्याज धारा 115 क (1) (क) (iik) के अधीन प्रभार्य	घ iii		
	iv	धारा 194 ठग में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1) (क) (iikक) के अधीन प्रभार्य	घ iv		
	v	धारा 194 ठघ में निर्दिष्ट ब्याज धारा 115 क (1) (क) (iikख) के अधीन प्रभार्य	घ v		
	vi	धारा 194ठखक में निर्दिष्ट ब्याज होते हुए वितरित आय धारा 115 क (1) (क) (iikग) के अधीन प्रभार्य	घ vi		
	vii	धारा 115क (1) (क) (iii) के अधीन प्रभार्य विदेशी करेंसी में खरीदे गए धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट यूटीआई इकाई या अन्य म्यूचल निधियों से आय	घ vii		
	viii	सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रायल्टी या फीस से आय धारा 115क(1)(ख)(क) एवं 115ख(1)(ख)(ख) के अधीन प्रभार्य	घ viii		
	ix	अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्र या जीडीआर से ब्याज या लाभांश के रूप में आय धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य	घ ix		
	x	निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए जीडीआर से लाभांश के रूप में आय – धारा 115 कगक के अधीन प्रभार्य	घ x		
	xi	प्रतिभूतियों (धारा 115कख में निर्दिष्ट इकाइयों से भिन्न) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त आय (लाभांश से भिन्न, – धारा 115 कख (1) (i))	घ xi		
	xii	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट बंध पत्र या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआईआई द्वारा प्राप्त ब्याज के रूप में आय – धारा 115कघ (1) (i) के परंतुक के अनुसार प्रभार्य	घ xii		
	xiii	अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर – धारा 115खखक के अधीन प्रभार्य	घ xiii		
	xiv	कतिपय मामलों में अनाम दान धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य	घ xiv		
	xv	निवासी होते हुए विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा घरेलू कंपनी से 10 लाख रुपये से अधिक प्राप्त लाभांश के रूप में आय – धारा 115खख घक के अधीन प्रभार्य	घ xv		
	xvi	भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से रायल्टी के रूप में आय – धारा 115खख च के अधीन प्रभार्य	घ xvi		

	xvii	कार्बन जमा के अंतरण के रूप में -आय धारा 115 खखख के अधीन प्रभार्य				घ xvii				
	xviii	अनिवासी भारतीय की निवेश आय -धारा 115ड. के अधीन प्रभार्य				घxviii				
ड	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ट्रापडाउन उपबंधित करें)									2 ड
च	उपरोक्त 1 और 2 में रकम सम्मिलित है, जो डीटीए के अनुसार भारत में विशिष्ट दरों पर प्रभार्य है (स्तंभ (2) का योग नीचे दी गई टेबल में है)									2च
	क्रम सं.	आय की रकम	मद सं.1 और 2 में जो सम्मिलित किया गया है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां / नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 10 में से निम्नतर)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2घ के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न)									
	का	व्यय / कटौतियां (पारिवारिक पेंशन से भिन्न मामले में)					3का			
	काii	धारा 57(ii)क के अंतर्गत कटौती (केवल पारिवारिक पेंशन के मामले में)					3काii			
	ख	अवक्षयण (सभी उपलब्ध यदि आय अनुसूची ओएस की 1ग में प्रस्तुत की गई)					3ख			
	ग	योग					3ग			
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम									4
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ									5
6	[1 (डीटीए से संबंधित आय कम करने के बाद) - 3 + 4 + 5] सामान्यता लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए की 3/का अंक लें)									6
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि हो तो 6 को शून्य लिखें)									7
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय									
	क	प्राप्तियां				8क				
	ख	केवल 8 क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन				8ख				
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम				8ग				
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ				8घ				
ड	अतिशेष (8क - 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्ट करें)									8ड
9	"अन्य स्रोतों से आय " शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ड) (यदि ऋणात्मक है तो 8ड में शून्य लिखें)									9
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोद्भवन या प्राप्तियों के बारे में सूचना									
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3 तक			
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)			
	1	धारा 115खखघक के अधीन लाभांश आय								

	2	धारा 2 (24) (ix) में निर्दिष्ट लाटरियों, क्रासवर्ड, पहेली, रेस, खेलों, झूत, बाजी आदि की जीत के रूप में आय।						
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय सम्मिलित करें।							

अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन		चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् आय का ब्यौरा				
चालू वर्ष की हानि समायोजन	क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष की गृह संपत्ति की हानि का मुजरा	सामान्य लागू दरों से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल हानि (रेस के घोड़ों से हानि से भिन्न) का वर्तमान वर्ष में मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
			1	2	3	4=1-2-3
	i	हानि, जो मुजरा होगा (इस पंक्ति को भरें यदि प्रगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची गृह संपत्ति का 4)	(अनुसूची अन्य स्रोत का 6)	
	ii	वेतन	(अनुसूची एस वेतन का 6)			
	iii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एस जी गृह संपत्ति का 4)			
	iv	15% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9ii)			
	v	30% की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9iii)			
	vi	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9iv)			
	vii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9v)			
	viii	10% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9vi)			
	ix	20% की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9vii)			
	x	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी कारबार वृत्ति की मद ड का 9viii)			
	xi	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची ओएस का 6)			
	xii	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची ओएस का 8ड)			
xiii	कुल अग्रणीत हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)					
xiv	मुजरा करने के पश्चात बाकी हानि (i - xi)					

क्रम सं.	आय का शीर्ष / स्रोत	अनुसूची - चालू वर्ष की हानियों का समायोजन के 4 के अनुसार चालू वर्ष की हानियों के मुजरे, यदि कोई हो, के पश्चात आय	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	मुजरे के पश्चात चालू वर्ष की शेष आय
		1	2	3
i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 4ii)		
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iii)	(ख यदि गृह संपत्ति हानि है)	
iii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4iv)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
iv	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4v)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
v	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vi)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक पूंजी हानि है)	
vii	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4vii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
viii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4viii)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4x)	(ख यदि अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूंजी हानि है)	
X	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xi)		
Xi	रेस के घोड़े के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 4xii)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)	
Xii	अग्रणीत की गई कुल हानि मुजरा (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
xiii	मुजरे के पश्चात शेष चालू वर्ष की आय - योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

अग्रणीत की गई हानियों का समायोजन

अनुसूची- अग्रणीत हानि आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत की जाने वाली हानियों का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	गृह संपत्ति हानि			अल्पकालिक पूंजी हानि			दीर्घकालिक पूंजी हानि			रेस के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
			सामान्य	पीटीआई	योग	सामान्य	पीटीआई	योग	सामान्य	पीटीआई	योग	
	1	2	3क	3ख	3ग = 3क + 3ख	क	4ख	4ग = 4क + 4ख	5 क	5 ख	5ग = 5क + 5ख	6
i	2012-13											
ii	2013-14											
iii	2014-15											
iv	2015-16											
v	2016-17											
vi	2017-18											
vii	2018-19											
viii	2019-20											
ix	पूर्व वर्ष की हानियों का योग											
x	अनुसूची अग्रणीत हानि लेखा में उपरोक्त हानियों का समायोजन				(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)							(अनुसूची बीएफएलए का 2ix)
xi	2020-21 (चालू वर्ष की हानियां)				(अनुसूची सीवाईएलए का 2भाii)			(अनुसूची सीजी के मद ड)/(2भा+3भा+4भा)			अनुसूची सीजी की मद ड का (6भा+7भा)	(अनुसूची ओएस का 8ड, यदि -ve)
xii	आगामी वर्षों के लिए अग्रणीत कुल हानि											

तुल्यमान को आगे ले जाना

अनुसूची- VI क

अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कटौतियां

अध्याय VI के भाग ख के अंतर्गत क्या आपने किसी कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ 01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच कोई निवेश/जमा/भुगतान किया है? (यदि हां तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम संख्या "क" भरें)

☐ हां ☐ नहीं

कुल कटौतियां

1	भाग ख - कतिपय संदायों की बाबत कटौती			
क	80ग		ख	80गगग
ग	80 गगघ (1)		घ	80 गगघ (1ख)
ङ	80 गगघ(2)		च	80घ
छ	80घघ		ज	80घघख
झ	80ङ		ञ	80ङङ
ट	80ङङक		ठ	80ङङख
ड	80छ		ढ	80छछ
ण	80छछक		त	80छछग
2	भाग ग- कतिपय आयों की बाबत कटौती			
थ	80थथख		द	80ददख
ध	80ननक		न	80ननख
प	80प			
3	अध्याय VI- क (धारा) के अधीन कुल कटौतियां (क से प का योग)			

3

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे

क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्याधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i						

घ	ii						
	iii	कुल					
	अर्हता सीमा के अध्याधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम	
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ड	कुल दान (का + ख + ग + घ)						

अनुसूची 80

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान के व्यौरे

क्र. सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)	दाता का नाम और पता	दाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए पात्र रकम
				नकद में संदान	अन्य रीति में संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर

धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय			1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन				
	क	शीर्ष "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क			
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2क)			3	
	4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5% (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)			4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा

धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना

1	निर्धारण वर्ष 2020-21 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर					1	
2	निर्धारण वर्ष 2020-21 (भाग-ख-कुल कर आय का 7) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर					2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें]					3	
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)						
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ)=(ख3)-(ग)
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3)=(ख1)-(ख2)		
	i	2013-14					
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	Vi	2018-19					

	Vii	2019-20					
	Viii	चालू निर्धारण वर्ष (1-2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	ix	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115अघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट						5
6	पश्चात्कर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट						6

अनुसूची-विनिदिष्ट व्यक्ति की आय

विनिदिष्ट व्यक्तियों (पति-पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय जो धारा 64 के अनुसार निर्धारिती की आय में सम्मिलित करने योग्य है

क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संबंध	रकम (रु.)	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित किया गया
1					
2					
3					

अनुसूची-विशेष आय

विशेष दरों पर आयकर से प्रभार्य आय [कृपया धारा कोड और कर की दर के लिए अनुदेश संख्या 9 (iii) देखिए]

क्रम सं.	सेक्सन	☐	विशेष दर (%)	आय i	उस पर कर ii
1	111-पूर्व वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य का संचयित शेष	☐		(अनुसूची ओएस का 2ग iii)	(अनुसूची ओएस का 2ग iv)
2	111क अथवा धारा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (उन शेयर पर एसटीसीजी जिन पर एसटीटी भुगतान किया गया)	☐	15	(अनुसूची बीएफएल का 3iii)	
3	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफ.आई.आई के लिए एस.टी.सी.जी जहां एस.टी.टी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएल का 3iv)	
4	112परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ सूचीकरण के बिना यूनिट पर एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
5	112(1)(ग)(iii) (असूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
6	115कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एल.टी.सी.जी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
7	115कगक (विनिदिष्ट कंपनी के किसी कर्मचारी के लिए जीडीआर पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
8	115कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
9	115ड (विनिदिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारतीय के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
10	112 (अन्य के लिए एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएल का 3vii)	
11	112क या धारा 115कघ(1)(iii)- परन्तुक (शेयरों या इकाइयों जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है के विक्रय पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
12	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एसटीसीजी			(अनुसूची बीएफएल के 3vi का भाग)	
13	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी			(अनुसूची बीएफएल के 3ix का भाग)	
14	115खख (लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क का भाग)	
15	115खखक (घरेलु कंपनी से लाभांश आय दस लाख रुपए से अधिक)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
16	115खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या धारा 69घ के अधीन आय)	☐	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
18	115खखझ (कार्बन प्रत्ययों के अंतरण से आय पर कर)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
19	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (ई -फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबन्धित करें)	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ का भाग)	
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य आय के अन्य स्रोत	☐		(अनुसूची ओएस का 2च का भाग)	

विशेष दर

21	15% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	15	(अनुसूची बीएफएल के 3iv का भाग)	
22	30% की पर प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	30	(अनुसूची बीएफएल के 3v का भाग)	
23	धारा 112क के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएल के 3vii का भाग)	
24	धारा 112क से भिन्न धाराओं के अंतर्गत 10 % की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएल का 3vii का भाग)	
25	20% की पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में निकासी आय	☐	20	(अनुसूची बीएफएल के 3viii का भाग)	
26	विशेष दर पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृति में निकासी आय (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन दिया जाना है)	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	
			कुल		

अनुसूची-छूट प्राप्त आय			छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से अप्रभार्य आय)				
1	ब्याज से आय					1	
2	घरेलु कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)					2	
3	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)			i		
	ii	कृषि पर उपगत व्यय			ii		
	iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि			iii		
	iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)				3	
	v	यदि किसी वर्ष के लिए कुल कृषि आय पांच लाख से अधिक है, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)					
		क	पिन कोड के साथ जिले का नाम जहां कृषि भूमि अवस्थित है				
		ख	कृषि भूमि का एकड़ में माप				
		ग	क्या कृषि भूमि पट्टे पर स्वामित्वाधीन या धारित है ((ड्राप डाउन उपबंधित करें)				
		घ	क्या कृषि भूमि सिंचित है या वर्षा द्वारा पोषित है (ड्राप डाउन उपबंधित करें)				
4	अन्य छूट प्राप्त आय (जिसके अंतर्गत अवयस्क बालक की छूट प्राप्त आय भी सम्मिलित है)					5	
	डीटीए के अनुसार कर पर अप्रभार्य आय						
	क्रमसं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए की मदें	आय के शीर्ष	क्या टीआरसी प्राप्त किया गया है (हां/नहीं)
	I						
	II						
	III	कर से अप्रभार्य डीटीए से कुल आय					5
6	कर पर अप्रभार्य निकासी आय (पीटीआई अनुसूची)					6	
7	योग (1+2+3+4+5+6)					7	

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

टिप्पण ► इस अनसूची को भरने के लिए अनदेशों को निर्देशित करें ।

टिप्पण

अनुसूची एफएसआई			भारत से बाहर से आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)							
क्रम सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्रम सं.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर से आय (भाग ख ट ालआई में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में साधारण उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (च) = (ग) या (घ) या (ङ) इनमें से जो भी कम हो	यदि राहत का दावा धारा 90 या 90क के अधीन किया गया है तो डी ट ालएए का सुसंगत अनुच्छेद	
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	
1			i	वेतन						
			ii	गृह संपत्ति						
			iii	पूँजी अभिलाभ						
			iv	अन्य स्रोत						
				कुल						
2			i	वेतन						
			ii	गृह संपत्ति						
			iii	पूँजी अभिलाभ						
			iv	अन्य स्रोत						
				कुल						
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।								

अनुसूची टि.आर		भारत से बाहर संदत्त करें के लिए दावा की गई कर राहत का सारांश (निवासी के मामले में उपलब्ध)			
1	दावा की गई कर राहत का सारांश				
	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग)	कुल उपलब्ध कर राहत (प्रत्येक देश की बाबत अनुसूची एफएसआई के (ङ) का योग)	धारा के अधीन दावा की गई कर राहत (धारा 90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)
		कुल			
2	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 90 / 90क) (1(ङ) योग का भाग)				2
3	उस देश की बाबत उपलब्ध कर राहत जहां डी टीएए लागू होता है (धारा 91) (1(ङ) योग का भाग)				3
4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई थी, का प्रतिदाय/प्रत्यय विदेशी कर प्राधिकारी द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है ? यदि हां, तो नीचे ब्यौरे दें।				4
	क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	वह निर्धारण वर्ष, जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	हां / नहीं
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।			

[illegible]

[illegible]

छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है								
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तिजिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्तिसे कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची-5अ		पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति पत्नी की आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी			
पति/पत्नी की नाम					
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या					
	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां	पति/ पत्नी में रकम का प्रभाजन	(ii) पर आय पर कटौती किया गया टीडीएस	पति या पत्नी द्वारा प्रभाजित टीडीएस
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	पूंजी लाभ				
3	अन्य स्रोत				
4	कुल				

अनुसूची कठ

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (यह उस दशा में लागू होगा जहां कुल आय 50 लाख से अधिक हो)

क	स्थावर आस्ति के ब्यौरे			
क्र. सं.	वर्णन	पता	पिन कोड	रकम (लागत) में रुपए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				
ख	जंगम आस्ति के ब्यौरे			
क्र. सं.	वर्णन			रकम (लागत) में रुपए
(1)	(2)			(3)
(i)	आभूषण, सोना-चांदी, आदि			
(ii)	पुरातत्वीय संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कला का कोई कार्य			
(iii)	यान, क्रीड़ा-नौका, नौका और वायुयान			
(iv)	वित्तीय आस्ति	रकम (लागत) में रुपए		
	(क) बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमाराशि भी है)			
	(ख) शेयर और प्रतिभूति			
	(ग) बीमा पालिसी			
	(घ) दिए गए ऋण और अग्रिम			
	(ङ) हाथ में नकदी			
ग	आस्ति के संबंध में दायित्व (क-ख)			

आस्ति और दायित्वों के ब्यौरे

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची के भरे जाने के लिए अनुदेश निर्दिष्ट करें।

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

अनुसूची डीआई- निवेश के व्यौरे

अध्याय VI के अंतर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ निवेश/जमा/भुगतान

धारा	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती की पात्र राशि (अनुसूची VI-भाग ख कुछ भुगतानों के बारे में कटौती के अनुसार)	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच किए गए निवेश/व्यय में आरोप्य कटौती (कॉलम नं. 2 से अलग)
(1)	(2)	(3)
80ग		
80गगग		
80गगघ(1)		
80गगघ(1ख)		
80गगघ(2)		
80घ		
80घघ		
80घघख		
80ङ		
80ङङ		
80ङङक		
80ङङख		
80छ		
80छछ		
80छछक		
80छछग		
योग		

(ख) धारा 54 से 54छक के अंतर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ भुगतान/अधिग्रहण/खरीद/निर्माण

दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ

धारा	पूंजीगत अभिलाभ खाते में से प्रयुक्त राशि (अनुसूची सीजी के क्रम संख्या ख10क के अनुसार)	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच प्रयुक्त राशि
(1)	(2)	(3)
54		
54ख		
54घ		
54छख		
योग		

अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ		
धारा	पूंजीगत अभिलाभ खाते में से प्रयुक्त राशि (अनुसूची सीजी के क्रम संख्या क6क के अनुसार)	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच प्रयुक्त राशि
(1)	(2)	(3)
54ख		
योग		

भाग - ख

भाग ख - कुल आय कुल आय की संगणना

1	वेतन (अनुसूची वेतन का 6)	1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृ.सं का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	2	
3	पूंजी अभिलाभ		
	क लघु अवधि		
	i लघु अवधि प्रभार्य @ 15% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9ii)	का	
	ii लघु अवधि प्रभार्य @ 30% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iii)	काii	
	iii लागू दर पर लघु अवधि प्रभार्य (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9iv)	काiii	
	iv डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9v)	काiv	
	v कुल लघु अवधि (का + काii + काiii + काiv) (शून्य हानि प्रविष्ट करें)	3कv	
	ख दीर्घ अवधि		
	i दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 10% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vi)	खा	
	ii दीर्घ अवधि प्रभार्य @ 20% (अनुसूची पू.अ. का मद ड का 9vii)	खाii	
	iii डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची गछ के मद ड का 9 viii)	खाiii	
	iv कुल दीर्घ अवधि (खा + खाii + खाiii) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3खiv	
	ग कुल पूंजी अभिलाभ (3कv + 3खiv) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	3ग	
4	अन्य स्रोतों से आय		
	क सामान्यतया लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची गध का 6) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4क	
	ख प्रभार्य योग्य आय पर विशेष दर पर कर (अनुसूची असो का 2)	4ख	
	ग दीड़ के छोड़े के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलापों से आय (अनुसूची गध का 8) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविष्ट करें)	4ग	
	घ योग (4क + 4ख + 4ग) (यदि हानि है तो कुछ नहीं लिखें)	4घ	
5	शीर्षवार कुल आय (1+2+3ग+4घ)	5	
6	5 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समा. के 2xiii और 3xiii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के मुजरे के पश्चात् अतिशेष (5-6) (अनुसूची चालू वर्ष की हानि समायोजन + 2 स्तंभ 4 का योग)	7	
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. का 2xii)	8	
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची अग्रणीत हानि समा. + 2 का 3xiii)	9	
10	धारा 111क, 112, 112क आदि के अधीन आय प्राभार्य के लिए विशेष दर पर कर में 9 सम्मिलित है	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां (अनुसूची VIक का फ और 9-10 के लिए सीमित)	11	
12	कुल आय (9-11)	12	
13	आय जो 12 में सम्मिलित है और विशेष दरों पर कर से प्राभार्य (अनुसूची सोआ में स्तंभ (झ) का कुल)	13	
14	शुद्ध कृषि आय / दर के प्रयोजन के लिए कोई अन्य आय (अनुसूची छू ट प्राप्त आय का 3)	14	
15	'संकलित आय' (12-13+14) [लागू होगा यदि (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्रभार्य न हो, से अधिक हो]	15	

16	अग्रणीत किए जाने के लिए चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची अग्रणीत हानि का xi कुल पक्तियां)	16	
17	धारा 115अ ग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एमएमटी का 3)	17	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 115 अ ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित मंतर कर का 4)	1क		
		ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1 ख		
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क + 1ख) 3 पर	1 ग		
		घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क + 1ख + 1 ग)		1 घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर				
		क	भाग ख-कुल आय के 15 पर सामान्य दरों पर कर	2क		
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची विशेष आय का (ii) का कुल)	2ख		
		ग	कृषि आय पर छूट [लागू होगा यदि भाग ख कुल आय के (12-13) अधिकतम रकम जिस पर कर प्राभार्य न हो, से अधिक हो]	2ग		
		घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख - 2ग)		2घ	
	3	धारा 87क के अधीन रिबेट			3	
कर दायित्व की संगणना	4	रिबेट के पश्चात् संदेय योग्य कर (2घ - 3)			4	
	5	अधिभार				
		i	अनुसूची ध.ज के 16(ii) के 25%	5i		
		ii	अनुसूची एसआई का 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) का यथा लागू 10% अथवा 15% की दर	5ii		
		iii	[(4) अनुसूची एसआई का - (16(ii), 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii)) पर	5iii		
		iv	कुल (i + ii + iii)		5i	
	6	(3 + 4iv) पर 4 प्रतिशत की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेस (3 + 5iv)			6	
	7	सकल कर दायित्व (4 + 5iv + 6)			7	
	8	कुल कर संदेय (1घ और 7 से कुछ कम)				
	9	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (केवल तभी लागू होगा यदि 7, 1घ से उच्चतम हो) (अनुसूची एएमटी की पंक्ति 5)				
संदत्त कर	10	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (8 - 9)				
	11	कर राहत				
		क	धारा 89 (कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें)	11		
		ख	धारा 90 या 90क (अनुसूची ट ाळआर का 2)	11		
		ग	धारा 91 (अनुसूची ट ाळआर का 3)	11		
		घ	योग (11क + 11ख + 11ग)		11घ	
	12	सकल कर दायित्व (10 - 11घ) (यदि नकारात्मक है तो शून्य लिखें)			12	
	13	व्याज और संदेय फीस				
		क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	13		
		ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	13		
संदत्त कर		ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234 ग)	13		
		घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए (धारा 234घ)	13		
		ङ	कुल संदेय व्याज (13क + 13ख + 13ग + 13घ)		13ङ	
	14	संकलित दायित्व (12+ 13ङ)			10	
	15	संदत्त कर				
		क	अग्रिम कर (20क के स्तंभ 5 से) टीडीएस	15		
		ख	स्रोत पर कटौती किया गया कर (20ख के स्तंभ 5 और 20ग के स्तंभ 9 का योग)	15		
		ग	स्रोत पर कर कटौती (20घ के स्तंभ 5 का योग)	15		
		घ	स्वनिर्धारण कर (20क के स्तंभ 5 से)	15		
		ङ	संदत्त कुल कर (15क + 15ख + 15ग + 15घ)		15ङ	
संदत्त कर	16	संदेय कर (यदि 14, 15ङ से अधिक है तो लिखें, अन्यथा शून्य लिखें)			16	
	17	प्रतिदाय (यदि 15ङ, 14 से अधिक है) (प्रतिदाय, यदि कोई हो, सीधे बैंक खाते में जमा होगा)			17	

बैंक खाता	18 क	क्या आपका भारत में बैंक खाता है(प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी जिनक भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, नहीं का चयन कर सकते हैं।					हां. अथवा नहीं	
		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	उस खाते को दर्शाए जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, क्रेडिट कराना चाहेंगे, (प्रतिदाय हेतु खाते पर ☒ करें)		
		i						
		ii						
	नोट: 1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा। यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती है।							
	ii ख	ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:						
		क्रम सं.	एसडब्ल्यूआईएफटी कोड	बैंक का नाम	देश का स्थान	आईबीएन नं		
	18 ख	डीमेट अकाउंट के ब्यौरे (पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय रखे गए सभी डी मैट अकाउंट बताए जाने हैं)						
		क्रम सं.	न्यासी भागीदार				डीमेट अकाउंट नंबर	
	1							
यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं								
19	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई अस्तित्वां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)						☐ हां ☐ नहीं	

20	अनुसूची-आयकर																				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे																				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड					निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)					चालान का क्रम सं.					रकम (रु.)				
	(1)	(2)					(3)					(4)					(5)				
	i																				
	ii																				
	iii																				
	iv																				
टिप्पण ▶ भाग ख - टी टीआई की क्रम सं. 15क और 15घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।																					
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]																				
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)					नियोजक का नाम					वेतन के अधीन प्रभार्य आय					कटौती किया गया कुल कर				
	(1)	(2)					(3)					(4)					(5)				
	i																				
	ii																				
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के कॉलम 5 से 11ख का योग भरें																					

ग कटौतीकर्ता द्वारा आय-कर स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे (जारी किए गए प्ररूप 16क या कटौतीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 16ख / 16ग												
क्र. सं.	स्वयं या अन्य व्यक्ति से संबंधित जमा टीडीएस (धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी/ नियम 37खक (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति)	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. . (यदि टीडीएस जमा अन्य व्यक्ति से संबंधित)	कटौती कर्ता का टैन/ किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार सं..	आगे लाया गया अदावाकर टीडीएस (बी/एफ)	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान काटा गया टीडीएस)	इस वर्ष दावा किया जाने वाली टीडीएस जमा केवल तभी यदि तत्स्थानी आय इस वर्ष कर के लिए प्रस्तुत की जानी है		तदनुरूपी रिसीट प्रस्तुत की गई		आगे ले जाए जाने वाला टीडीएस जमा		
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौतीकी गई है	टीडीएस बी/ एफ	स्वयं द्वारा की गई कटौती	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई कटौती (यदि लागू हों)	स्वयं के द्वारा दावा किया गया	धारा 5क के अनुसार पति-पत्नी द्वारा या नियम 37खक के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया दावा (यदि लागू हों)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस	आय	टीडीएस	पैन/ आधार सं	
i												

टिप्पण –कृपया भाग ख –टीटीआई के 15ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

घ स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)						
स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे	SI No	संग्रहकर्ता कर कटौती और संग्रह खाता संख्या	संग्रहकर्ता का नाम	संग्रहित कर	(4) से अधिक दावा की गई रकम	(4) से अधिक रकम, जो पति या पत्नी के पास दावा की गई है, यदि धारा 5क लागू है
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	i					
	ii					
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-ननझ के 11ग में स्तंभ (5) का योग दर्ज करें						

सत्यापन

मैं,

पुत्र / पुत्री

, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं / करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और उसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं _____ की क्षमता में विवरणी तैयार कर रहा हूं और मैं इस विवरणी को तैयार करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं। मेरा स्थायी लेखा संख्यांक _____ है। (यदि आबंटित किया गया है) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें➔

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:													
कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.										कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम			कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम													

प्रश्न	आकवि-3	भारतीय आय-कर विवरणी (कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ से आय प्राप्त करने वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के लिए) कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए (कृपया अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	0	-	2

भाग क- जी.ई.एन

साधारण

व्यक्तिगत सूचना	पहला नाम	मध्य नाम	अन्तिम नाम	स्थायी लेखा सं०
	फ्लैट / दरवाजा / ब्लाक सं०		परिसर / भवन / ग्राम का नाम	प्रास्थिति (चिह्नित करें) ☒ ☐ व्य-ट ☐ हिन्दू अविभक्त कु टुंब
	सड़क / गली / डाक घर	जन्म तिथि / स्वरूप (तिथि / मास / व-ी) / /		
	क्षेत्र / अवस्थान	आधार संख्यांक (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र है) 		
	नगर / शहर / जिला	राज्य	पिन कोड / जिप कोड	
		देश		
	निवास/कार्यालय का एस.टी.डी कोड सहित फोन नं० / मोबाइल नं० 1		मोबाइल नं० 2	
	ई मेल पता-1 (स्वयं का)		ई मेल पता-2	
	क्या आपके पास विधिमान्य पासपोर्ट है ?	हां/नहीं (ड्राप डाउन का उपबंध किया जाना है)	यदि हां, पासपोर्ट संख्यांक दें	
फाइल करने की प्रास्थिति	(क)	धारा ...के अधीन फाइल की गई(सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरण, ☐ 119(2)(ब)- विलंब की माफी के पश्चात्	
		या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क, ☐ 153ग	
	(ख)	क्या आप धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत आय की विवरणी दायर कर रहे हैं लेकिन अन्यथा आय की विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है? -(सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें [नोट: केवल तभी भरी जानी चाहिए यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय की विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत उल्लिखित एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय की विवरणी भर रहे हैं।]		

(खi)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है ? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)													
(खii)	क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपये से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है	(यदि हां है तो) रकम (₹)													
(खiii)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपये से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)	(यदि हां है तो) रकम (₹)													
(ग)	यदि पुनरीक्षित/ त्रुटिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख / मास / वर्ष)	/ /													
(घ)	यदि धारा 139 (9) / 142 (1) / 148/153 क / 153 ग के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर के रूप में दायर किया गया है, तो यूनिफ नंबर / डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऐसी सूचना / आदेश की तारीख दर्ज करें, या यदि धारा 92गघ के अंतर्गत दायर किया गया है तो अग्रिम मूल्य समझौते की तारीख दर्ज करें	(यूनिफ नंबर) /													
(ङ)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (व्यक्तियों के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(क) निवासी ☐ आप पूर्व वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे [धारा 6(1)(क)] (ख) निवासी किंतु पर साधारण तौर पर निवासी नहीं। ☐ आप पूर्व वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में थे या पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय के लिए भारत में रह चुके हैं [धारा (6)(1)(ग)] [जहाँ स्पष्टीकरण 1 लागू न हों] (ग) अनिवासी ☐ आप पूर्ववर्ती 10 वर्षों में से 9 में भारत में अनिवासी रहे हैं [धारा 6(6)(क)] ☐ आप पूर्ववर्ती 7 वर्षों के दौरान 729 दिन या उससे कम भारत में रह रहे हैं [धारा 6(6)(क)] (i) कृपया पूर्व वर्ष के दौरान निवास की अधिकारिता (अधिकारिताओं) को विनिर्दिष्ट करें - <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>निवास की अधिकारिता (ओं)</th> <th>करदाता (ओं) की पहचान संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> (ii) भारत का नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति होने की दशा में, कृपया विनिर्दिष्ट करें - <table border="1"> <thead> <tr> <th>पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)</th> <th>पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या	1			2			पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)		
क्रम सं.	निवास की अधिकारिता (ओं)	करदाता (ओं) की पहचान संख्या													
1															
2															
पूर्व वर्ष के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)	पूर्ववर्ती 4 वर्षों के दौरान भारत में रुकने की कुल अवधि (दिनों में)														

(च)	भारत में आवासीय प्रास्थिति (हिंदू, अविभक्त कुटुंब के लिए) (लागू विकल्प पर सही का निशान लगाएं)	(घ) ☐ निवासी ☐ निवासी किंतु साधारण तौर पर निवासी नहीं ☐ अनिवासी
	क्या आप धारा 115ज के अधीन फायता का दावा करना चाहते हैं? (निवासी की दशा में लागू)	☐ हां ☐ नहीं
(छ)	क्या आप धारा 5 क के अनुसार पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित किये जाते हैं ? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया अनुसूची 5क भरें)	

(ब)	क्या यह विवरणी एक प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है?	
	(सही का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं	
	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें	
(1)	प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन का उल्लेख किया जाए)	
(3)	प्रतिनिधि का पता	
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पैन)/ आधार संख्या	

(ट)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय किसी कंपनी में निदेशक थे? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं														
	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें :-														
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	क्या इसके अंश सूचीबद्ध है या असूचीबद्ध						निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं)					
(ठ)	क्या आप फर्म में भागीदार है? (सही का निशान लगाएं) (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें -														
	फर्म का नाम			स्थायी लेखा सं.											
(ड)	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किए हैं? सही का निशान लगाएं। (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं														
	यदि हां, तो कृपया साधारण अंशों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।														
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा सं.	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष		
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदाय/ क्रय की तारीख	प्रतिअंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य(नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
(ढ)	अनिवासी की दशा में क्या कोई भारत में स्थायी स्थापन है ☒ हां ☐ नहीं														
(ण)	क्या निर्धारिती अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थिति है और संपरिवर्तनीय विदेश मुद्रा में पूरी तरह से आय प्राप्त करता है? ☐ हां ☐ नहीं														
लेखा परीक्षा जानकारी	(क1)	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं													
	(क2)	क्या निर्धारिती केवल 44कड / 44ख / 44खख / 44कघ / 44कघक / 44खखक / 44खखख के तहत आय की घोषणा कर रहा है ☐ हां ☐ नहीं													
	(क2i)	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है? ☐ हां ☐ नहीं													

(क2ii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्तियां या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां ☐ नहीं ☐		
(क2iii)	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है? हां ☐ नहीं ☐		
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं ☐		
(ग)	यदि (ख) हां है तो क्या लेखाओं की किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा कराई गई है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं ☐		
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (तारीख / मास / वर्ष)	/ /
	(2)	कर के लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम	
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या	
	(4)	लेखा परीक्षक का नाम (स्वत्वधारी / फर्म)	
	(5)	स्वत्वधारी/फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या	
	(6)	स्वत्वधारी/ फर्म का स्थायी लेखा संख्या (पैन) / आधार सं.	
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख	
(घ i)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी हैं? ☐ हां ☐ नहीं	लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष	
(घii)	यदि अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दायी है तो लेखा प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें (दिन / मास / वर्ष) (कृपया अनुदेश 6 देखें)		
	क्रम सं.	सेक्शन कोड	तारीख (दिदि / मास / वर्ष)
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है तो अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख का उल्लेख करें।		
	अधिनियम और धारा	दिदि /मा.मा. / वर्षवर्षवर्षवर्ष	अधिनियम और धारा

कारबार की प्रकृति

कारबार या वृत्ति की प्रकृति, यदि कारबार या वृत्ति एक से अधिक हैं तो मुख्य क्रियाकल्पो/ उत्पादों को उपदर्शित करें (धारा 44कघ, धारा 44कघक और 44कड. के अधीन आय की घोषणा करने वाले व्यक्तियों से भिन्न)

क्रं0सं0	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	संपत्तिक का नाम, यदि कोई है	वर्णन
(i)			
(ii)			

	(iii)			

भाग क - तुलनपत्र

मालिकाना कारोबार अथवा व्यवसाय का 31 मार्च 2020 को तुलन-पत्र

(ऐसे मामले में जहां नियमित वही लेखा रखा जाता है नीचे मदों को भरें, अन्यथा मद 6 भरें)

निधियों का उपयोग

निधियों का उपयोग	1	स्वामी की निधि							
	क	स्वामी की पूंजी				क			
		ख	आरक्षित और अधिशेष						
			I	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खा				
				ii	पूंजी आरक्षिति	खाii			
				iii	कानुनी आरक्षिति	खाiii			
				iv	कोई अन्य आरक्षिति	खाiv			
		V	योग (खा + खाii + खाiii + खाiv)			खv			
	ग	कुल स्वत्वधारी की निधि (क+खv)				1ग			
	2	ऋण निधियां							
	क	प्रतिभूत ऋण							
		i	विदेशी मुद्रा ऋण	क i					
			ii रूपएं में ऋण						
			अ	बैंकों से ऋण	iiअ				
				आ	अन्य से			iiआ	
				इ	योग (iiअ + iiआ)			iiइ	
		iii	योग (का + iiइ)					काiii	
	ख	अप्रतिभूत ऋण (जिसके अंतर्गत निक्षेप राशि भी है)							
		i	बैंकों से ऋण	खा					
			ii	अन्य से	खाii				
				iii	योग (ख i + खाii)			खाiii	
		ग	योग ऋण निधि (काiii + खाiii)					2ग	
	3	आस्थगित कर दायित्व						3	
	4	निधियों के स्रोत (1ग + 2ग + 3)						4	
	1	स्थिर आस्तियां							
	क	सकल ०: ब्लाक		1क					

	ख	अवक्षयण		1ख				
	ग	शुद्ध ब्लाक (क - ख)		1ग				
	घ	चल रहा पूंजी कार्य		1घ				
	ङ	योग (1ग + 1घ)			1ङ			
2	विनिधान							
क	दीर्घकालिक विनिधान							
		i	सरकारी और अन्य प्रतिभूनियां - कोट की गई	का				
		ii	सरकारी और अन्य प्रतिभूनियां - कोट न की गई	काii				
		iii	योग (का + काii)		काiii			
ख	अल्पकालिक विनिधान							
	i	साधारण शेयर, शेयर उपयोजन धन सहित	खा					
	ii	अधिमानी शेयर	खाii					
	iii	डिबेंचर	खाiii					
	iv	योग (खा + खाii + खाiii)		खाiv				
ग	कुल विनिधान (काiii + खाiv)					2ग		
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम							
क	चालू आस्तियां							
		i	बीजक					
		अ	भंडार, जिसके अंतर्गत खपने वाली पैकिंग सामग्री भी है	iअ				
			आ	कच्ची सामग्री	iआ			
			इ	कार्यरत भंडार	iइ			
			ई	तैयार माल / व्यापार माल	iई			
		उ	योग (iअ + iआ + iइ+ iई)				iउ	
	ii	अन्यान्य ऋणी					काii	
	iii	नकद और बैंक अतिशेष						
	अ	हस्तगत नकदी		iiiअ				

		आ बैंक के पास अतिशेष		iiiआ			
		इ योग (iiiअ + iiiआ)			iiiइ		
	iv	अन्य चालू आस्तियां				काiv	
	V	कुल चालू आस्तियां (iउ + काii + iiiइ + काiv)				कv	
ख	ऋण और अग्रिम						
	I	नकद में या वस्तु रूप में वसूलनीय अग्रिम या उसके लिए प्राप्त किया जाने वाला मूल्य		खाi			
		ii निक्षेप, ऋण और निगमित या अन्य से अग्रिम		खाii			
		iii राजस्व प्राधिकारियों आदि के पास अतिशेष		खाiii			
		iv योग (खा + खाii + खाiii)			खाiv		
ग	चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का योग (कv + खाiv)					3ग	
घ	चालू दायित्व और उपबंध						
	I	चालू दायित्व					
		अ	अन्यान्य लेनदार	iअ			
			आ पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ			
			इ उपर्युक्त पर उदभूत ब्याज	iइ			
			ई उदभूत ब्याज किंतु जो ऋणों पर शोध्य नहीं हैं	iई			
		उ योग (iअ + iआ + iइ + iई)		iउ			
	ii	उपबंध					
		अ	आयकर के लिए उपबंध	iiअ			
			आ छुट्टी भुनाने / अधिवर्षिता / उपदान के लिए उपबंध	iiआ			
			इ अन्य उपबंध	iiइ			
			ई योग (iiअ + iiआ + iiइ)		iiई		
		iii योग (iउ + iiई)		घiii			
	ङ	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग - घiii)				3ङ	
4	क	अवलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय		4क			
ख	आस्थगित कर आस्ति		4ख				
	ग	लाभ और हानि लेखा / संचित अतिशेष		4ग			
	घ	योग (4क अ 4ख अ 4ग)				4घ	
5	निधियों के उपयोजन का योग (1ङ+ 2ग+ 3ङ +4घ)					5	

कोई लेखा मामला नहीं	6	उस दशा में जहां कारबार या वृत्ति की लेखा बहियां नियमित नहीं रखी जाती है - (कारबार या वृत्ति के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक की निम्नलिखित जानकारी दें)		
	क	अन्यान्य ऋणियों की कुल रकम	6क	
	ख	अन्यान्य लेनदारों की कुल रकम	6ख	
	ग	व्यापारगत स्टॉक की कुल रकम	6ग	
	घ	नकदी बकाया की रकम	6घ	

भाग क- विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बहियाँ रखी जाती है उस दशा में मद 1 से 3 भरें, मद 61 से 64 भरें, जैसा लागू हो)

1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन						
	क	आरंभिक सूची					
		i	कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i			
		ii	चालू काम का आरंभिक स्टॉक	ii			
		iii	कुल (i + ii)	का	iii		
	ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हो)				ख	
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी				ग	
	घ	प्रत्यक्ष व्यय (घा +घाii + घाiii)				घ	
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत आर ईंधन	ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ड.	कारखाने का उपरी खर्च					
		I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i			
		II	कारखाना किराया और दरें	ii			
		III	कारखाना बीमा	iii			
		IV	कारखाना ईंधन और विद्युत	iv			
		V	कारखाने का साधारण व्यय	v			
		VI	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi			
	VII	कुल (i+ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii				
च	विनिर्माण लेखा के लिए कुल विकलन (क iii+ख +ग +घ +ड.vii)				1च		
2	बंद स्टॉक						
	i	कच्ची सामग्री	2i				

	ii	चालू काम	2ii		
	कुल (2i + 2ii)				2
	3	माल उत्पाद की लागू - व्यापारिक लेखा के लिए अंतरित (1च - 2)			3

भाग -क व्यापारिक लेखा ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यापारिक लेख (जहाँ नियमित लेखा बही रखी जाती है, वहाँ मद 4 से मद 12 तक भरें अन्यथा मद 61 से मद 64 भरें, यथा लागू)

व्यापारिक लेखा का प्रत्यय	4	संक्रियाओं से राजस्व			
	क	कारबार का विक्रय/सकल प्राप्ति शुद्ध विवरणी और प्रतिदाय तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो			
	i	माल का विक्रय	i		
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
	iii	अन्य संक्रियात्मक राजस्व (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)			
	क		iiia		
	ख		iiib		
	ग	कुल (iii क + iii ख)	iiic		
	iv	कुल (i + ii + iii ग)			काiv
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्ति			ख
	ग	विक्रीत माल और सेवा या पूर्ति के संबंध में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य शुल्क, कर और उपकर			
	i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
	ii	सेवा कर	ii		
	iii	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	iv		
	v	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	v		
	vi	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	vi		
	vii	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	vii		
	viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii		
	ix	कुल (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			गाix
	घ	संक्रियाओं से कुल राजस्व (काiv + ख + गाix)			4घ
व्यापारिक लेखा का लिए विकलन	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक			5
	6	व्यापारिक लेखा के लिए कुल प्रत्यय (4घ + 5)			6
	7	तैयार माल का आरंभिक स्टॉक			7
व्यापारिक लेखा का लिए विकलन	8	क्रय (सुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)			8
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)			9

	i	आवक वहन व्यय	9i		
	ii	विद्युत और ईंधन	9ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष कर (टिप्पण प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है)	9iii		
10	क्रय किए गए माल और सेवा के संबंध में शुल्क और क्रय, संदत्त या संदेय ।				
	i	सीमा शुल्क	10i		
	ii	प्रति शुल्क	10ii		
	iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
	iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
	v	सेवा कर	10v		
	vi	मूल्य वादित कर/ विक्रय कर	10vi		
	vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी)	10vii		
	viii	राज्य माल और सेवा कर (एस जी एस टी)	10viii		
	ix	समेकित माल केवा कर (आई जी एस टी)	10ix		
	x	संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर (यू टी जीएस टी)	10x		
	xi	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	10xi		
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii
11	माल उत्पाद की लागत – विनिर्माण लेखा से अंतरित				11
12	कारबार/ वृत्ति से सकल लाभ-लाभ और हानि लेखा को अंतरित (6-7-8-9-10xii-11)				12

भाग क-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभ और हानि लेखा (नियमित लेखा बहियां बनाए रखे जाने की दशा में मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू⁶¹ से⁶⁵ भरें)

लाभ और हानि लेखा में जमा

13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ				13	
14	अन्य आय					
	i	किराया	i			
	ii	कमिशन	ii			
	iii	लाभांश आय	iii			
	iv	व्याज आय	iv			
	v	नियत आस्तियों के विक्रय से लाभ	v			
	vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			

	vii	अन्य निवेशों के विक्रय पर लाभ		vii				
	viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी मुद्रा मूल्य में उतार चढ़ाव के मद्दे अभिलाभ (हानि)		viii				
	ix	धारा 28(vi) के अधीन माल सूचियों को पूंजी आस्तियों में संपरिवर्तित किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को माल सूची का उचित बाजार मूल्य)		ix				
	x	कृषि आय		x				
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)						
		क		xia				
		ख		xib				
		ग	योग (xiक + xiख)	xic				
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xiग)					14xii	
	15	लाभ और हानि लेखा में किए गए जमा का योग (13+14xii)					15	
मान और हानि खाता से विकलन	16	बर्हिगामी माल भाडा				16		
	17	भंडारों और कलपुर्जों का उपभोग				17		
	18	विद्युत और ईंधन				18		
	19	किराया				19		
	20	भवनों की मरम्मत				20		
	21	मशीनरी की मरम्मत				21		
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर						
	i	वेतन ओर मजदूरी	22i					
	ii	बोनस	22ii					
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii					
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv					
	v	छुट्टी यात्रा फायदा	22v					
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi					
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्यनिधि में अभिदाय	22vii					
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii					
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix					
	x	कर्मचारियों को कोई अन्य फायदा, जिसके संबंध में कोई व्यय उपगत किया गया है	22x					
xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i to 22x का योग)			22xi				
xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवारियों को संदत्त किया गया है	xiiक	हां / नहीं					

		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			
23	बीमा					
	i	चिकित्सा बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	कीमेन्स बीमा	23iii			
	iv	अन्य बीमा, जिसके अंतर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि हैं	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	कर्मकार और कर्मचारीवृंद कल्याण संबंधी व्यय					24
25	मनोरंजन					25
26	सत्कार					26
27	सम्मेलन					27
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन से भिन्न)					28
29	विज्ञापन					29
30	कमीशन					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			30iii	
31	स्वामिस्व					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			31iii	
32	वृत्तिक/परामर्श संबंधी फीस/तकनीकी सेवाओं के लिए फीस					
	i	भारत से बाहर संदत्त या भारत के भीतर किसी कंपनी या किसी विदेशी कंपनी से भिन्न किसी अनिवासी को संदत्त	i			
	ii	अन्यों को संदत्त	ii			
	iii	योग (i + ii)			32iii	
33	होटल, बोर्डिंग और वासा					33
34	विदेशी यात्रा से भिन्न यात्रा व्यय					34
35	विदेशी यात्रा व्यय					35
36	वाहन व्यय					36

37	टेलीफोन व्यय	37																																									
38	अतिथि गृह व्यय	38																																									
39	क्लब व्यय	39																																									
40	त्यौहार मनाए जाने संबंधी व्यय	40																																									
41	छात्रवृत्ति	41																																									
42	दान	42																																									
43	संदान	43																																									
44	दरें और सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर (आय-कर को छोड़कर)																																										
	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td>संघ का उत्पाद शुल्क</td><td>44i</td><td></td></tr> <tr> <td>ii</td><td>सेवा कर</td><td>44ii</td><td></td></tr> <tr> <td>iii</td><td>मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर</td><td>44iii</td><td></td></tr> <tr> <td>iv</td><td>उपकर</td><td>44iv</td><td></td></tr> <tr> <td>v</td><td>केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)</td><td>44v</td><td></td></tr> <tr> <td>vi</td><td>राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)</td><td>44vi</td><td></td></tr> <tr> <td>vii</td><td>एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)</td><td>44vii</td><td></td></tr> <tr> <td>viii</td><td>संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)</td><td>44viii</td><td></td></tr> <tr> <td>ix</td><td>कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित</td><td>44ix</td><td></td></tr> <tr> <td>x</td><td>कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)</td><td>44x</td><td></td></tr> </table>	i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i		ii	सेवा कर	44ii		iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii		iv	उपकर	44iv		v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v		vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi		vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii		viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii		ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix		x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x			
i	संघ का उत्पाद शुल्क	44i																																									
ii	सेवा कर	44ii																																									
iii	मूल्यवर्धित कर / विक्रय कर	44iii																																									
iv	उपकर	44iv																																									
v	केंद्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	44v																																									
vi	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	44vi																																									
vii	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	44vii																																									
viii	संघ राज्यक्षेत्र एकीकृत माल और सेवाकर (यूजीएसटी)	44viii																																									
ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, एसटीटी और सीटीटी सहित	44ix																																									
x	कुल दरें और संदत्त या संदेय कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x																																									
45	संपरीक्षा फीस	45																																									
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)																																										
	<table border="1"> <tr> <td>i</td><td></td><td>i</td><td></td></tr> <tr> <td>ii</td><td></td><td>ii</td><td></td></tr> <tr> <td>iii</td><td>कुल (i + ii)</td><td>46iii</td><td></td></tr> </table>	i		i		ii		ii		iii	कुल (i + ii)	46iii																															
i		i																																									
ii		ii																																									
iii	कुल (i + ii)	46iii																																									
47	डूबा ऋण (ऐसे व्यक्ति का पेन/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें, यदि उपलब्ध हों, जिसके लिए डूबे ऋण के संबंध में एक लाख रुपए या अधिक की रकम का दावा किया गया है और रकम)																																										

i1											47i1	
i2											47i2	
i3											47i3	
	अपेक्षानुसार पंक्तियाँ जोड़ी जा सकती हैं। कुल (47i1+47i2+47i3)										47i	
ii	अन्य (1 लाख रुपये से अधिक) जहाँ पेन/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूर्ण पता उपबोधित करें)										47ii	

	iii	अन्य (1 लाख रुपये से कम की रकम)			47iii				
	iv	कुल डूबा ऋण(47i + 47ii + 47iii)					47iv		
48	डूबा और शंकास्पद ऋण के लिए उपबंध						48		
49	अन्य उपबंध						49		
50	ब्याज, अवक्षयण और कर के पूर्व लाभ [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]						50		
51	ब्याज								
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी केलिए भारत से बाहर संदाय या भारत में संदाय			i				
	ii	अन्य को			ii				
	iii	कुल (i + ii)			51iii				
52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण						52		
53	करों के पूर्ण सुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)						53		
कर और विनियोग के लिए उपबंध	54	चालू कर के लिए उपबंध						54	
	55	आस्थगित कर का प्रावधान						55	
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)						56	
	57	पूर्व वर्ष से आग अतिशेष						57	
	58	विनियो केलिए उपलब्ध रकम (56 + 57)						58	
	59	आरक्षिति और अधिशेद के लिए अंतरित						59	
	60	स्वत्वधारी के लेखे में तुलनपत्र के लिए अग्रणीत अतिशेष (58 – 59)						60	
सं	61	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना							
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड		विवरण			
	(i)	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियाँ (iक + iख)						61i	
		(क)	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त			iक			
			(ख)	कोई अन्य रीति			iख		
	(ii)	धारा 44 क घ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iiक + iiख)						61ii	
	(क)	61i क का 6% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो			iiक				
		(ख)	61iख का 8% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है, उनमें से जो भी अधिक हो			iiख			
	टिप्पण- यदि उपर्युक्त सकल प्राप्तियाँ/ आवर्त के प्रतिशत से कम आय है, दो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।								
	62	धारा 44कघक के अधीन वृत्ति से उपदाराणात्मक आय की संगणना							

क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण
(i)	सकल प्राप्तियाँ		62i
(ii)	धारा 44कघक के अधीन उपधारणात्मक आय (62i का 50% या दावाकृत रकम जो अर्जित की गई है उनमें से जो भी अधिक हो)		62ii
टिप्पण – यदि आय सकल प्राप्ति के 50% से कम है, तो धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा को रखना आज्ञापक है।			
63	धारा 44 कघ के अधीन माल वहन से उपधारणात्मक आय की संगणना		
क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण

क्रम सं.	माल वहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	क्या स्वामित्व/पट्टे/ किराया	माल वहन की टन भार क्षमती (मिट्रीक टन में)	महीनों की संख्या जिसमें माल निर्धारिती द्वारा स्वामित्व/पट्टे/ किराया पर दिया गया था।	माल वहन के लिए धारा 44कड. के अधीन उपधाराणात्मक आय (12 मि.ट से अधीन टन भार होने की दशा में प्रति माह प्रति माह प्रति टन 1000 रु0 दी कर से संकलित या अन्य 7500 रु0 प्रति माह की दर से या वास्तविक रुप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, जोभी अधिक हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
	कुल				
आवश्यकतानुसार पंक्ति में व्यौरा भरें (वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
(iii)	धारा 44 कड. के अधीन माल वहन से कुल उपधाराणात्मक आय सारणी 6 का स्तंभ (7) का योग]				63(iii)
टिप्पण – यदि लाभ धारा 44कड. के धीन विहित से कम है या 10 वर्षों के दौरान किसी समय स्वामित्व /पट्टे / किराये पर माल वहन की संख्या अधिक है, तब धारा 44कख के अधीन लेखा बही और कर संपरीक्षा रखना आज्ञापक है।					

लेखा मामला नहीं	64	यदि कारबार का लेखा बही या वृत्ति नियमित रूप से नहीं रखा जाता है, तो कारबार या वृत्ति के संबंध में पूर्व वर्ष 2019-20 के लिए निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।			
	(i)	कारबार पर लेजाने वाले निर्धारिती के लिए			
	क	सकल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	क1		
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क1		
	2	कोई अन्य रीति	क2		
	ख	सकल लाभ	ख		
	ग	व्यय	ग		

	घ	शुद्ध लाभ		64i	
	(ii)	वृत्ति पर ले जाने वाले निर्धारिती के लिए			
	क	कुल प्राप्तियाँ (क1 + क2)	ii a		
	1	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	क 1		
	2	कोई अन्य रीति	क 2		
	ख	सकल लाभ			
	ग	व्यय			
	घ	शुद्ध लाभ		64ii	
	(iii)	कुल लाभ(64i + 64ii)		64iii	
65	i	सट्टे वाले क्रियाकलाप से आवत		65i	
	ii	सकल लाभ		65ii	
	iii	खर्च यदि कोई हो		65iii	
	iv	सट्टे वाले क्रियाकलाप से शुद्ध आय (65ii-65iii)		65iv	

भाग क - अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (आज्ञापक है, यदि धारा 44 ख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है अन्य भरने के लिए यदि लागू हो)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में अपनाई गई लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☐ वाणिज्यिक ☐ नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☐ हाँ ☐ नहीं	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3क
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटीकरण मानकों के अनुसार किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क (iii)]	3ख
	4	पूर्व वर्ष में अपनाई गई अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के पद्धति	
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, जिनमें से जो भी कम हो 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार मूल्य पर है, इनमें से जो भी कम हो, वहां 1 लिखें, यदि लागत पर है तो 2 लिखें, यदि बाजार मूल्य पर है तो 3 लिखें)	☐
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☐ हां ☐ नहीं	
	घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हों, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ

	ड	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन पद्धति से किसी विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ड	
5	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई रकम, जो निम्नलिखित है--			
	क	धारा 28 की परिधि में आने वाली मदें	5क	
	ख	प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर के प्रतिदाय अथवा विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर के प्रतिदाय अथवा जीएसटी के प्रतिदाय, जहां ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदाय प्राधिकारियों द्वारा शोध्यों के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।	5ख	
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान स्वीकार किए गए वर्धित दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ड	पूंजी रसीद, यदि कोई है	5ड	
	च	लाभ और हानि लेखा में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ड)	5च	
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें			
	क	स्टाक या भंडार की नुकसानी या नष्ट होने की जोखिम के लिए बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर बीमा हेतु संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि लाभ या लाभांश के रूप में उसको अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूंजी के संबंध में संदत्त ब्याज की रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ड	शून्य कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iiiा)]	6ड	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 ग ग घ में विनिर्दिष्ट पेंशन स्कीम को अंशदान की रकम	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि को अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या ई एस आई अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि को अंशदान के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई रकम या सम्यक तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारियों के खाते में नहीं जमा की गई सीमा तक कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई अन्य निधि [36(1)(vक)]	6ट	
	ठ	इबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	इबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(viiक)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षित को अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	

	ण	कर्मचारियों के बीच परिवार नियोजन का संवर्धन करने के परियोजन के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण		
	त	प्रतिभूतियों में संव्यसहार की वाबत संयक प्रतिभूतियों की रकम यदि ऐसी आय को कारवार आय में सम्मिलि नहीं किया गया है [36(1)(xv)]	6त		
	थ	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आई सी डी एस के अनुसार बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित नुकसान को संगणित रूप में चिन्हित [36(1)(xviii)]	6 थ		
	द	कोई अन्य नामंजूरी	6 द		
	ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6 क से 6 द का योग)		6 ध	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क		
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय [37(1)]	7ख		
	ग	कारवार या वृति के प्रयोजन के लिए संपूर्ण रूप से और अन्नय रूप से नहीं अधिकथित या व्यय किए गए खर्च [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनैतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी सोविनेर ब्रोचर, ट्रेक्ट, कागज-पत्रों या ऐसे ही सामग्री के रूप में विज्ञापन पर व्यय [37(2) ख]]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिक्रमण के लिए शास्ति या जुमनि के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुमना	7च		
	छ	किसी प्रयोजन के लिए जो कोई अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, उपगत व्यय	7छ		
	ज	किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज		
	झ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कोई अन्य रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (7क से 7झ का योग)		7ञ	
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम				
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (i) क) XVII- ख	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय VIII के उपबंधों की अननुपालना पर, धारा 40(क) (ix) के अधीन अननुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40 (क) (iii) के अधीन अननुज्ञेय रकम XVII-ख	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40 (क) (ii)]	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम [40 (क) (ii) क]	अच		

		छ	धारा 40 (क) (ii ख) के अनुसार स्वामिस अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के माध्यम से संदद रकम	अछ		
		ज	किसी भी साथी या सदस्य को देय ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की राशि धारा [40(ख)/40(खक)] के अंतर्गत अस्वीकार्य	अज		
		झ	कोई अन्य नामंजूरी	अझ		
		ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अठ का योग)			8अञ
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम				8आ
9	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम					
	क	धारा 40क (2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकम		9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य		9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]		9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, व्यक्ति संगम, या व्यष्टि निकाय या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था को स्थापित करने के लिए या अभिदाय के रूप में कर्मचारी के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि ;[40 क (9)]		9घ		
	ङ	कोई अन्य नामंजूरी		9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (कुल 9क से 9ङ)			9च	
10	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अननुज्ञेय रकम					
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि		10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि		10ख		
	ग	दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि		10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि		10घ		
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि		10ङ		
	च	छुट्टी भुनाने के म दे संदेय कोई राशि		10च		
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम		10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (18क से 18ज का योग)			10ज	
11	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा को विकलित कोई रकम किन्तु 43 ख के अधीन अननुज्ञेय					

	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	11क			
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख			
	ग	सी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में किसी कर्मचारी को संदेय या राशि	11ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ			
	घक	कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।	11घक			
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ			
	च	छुट्टी भुनाने के मदे संदेय कोई राशि	11च			
	छ	रेल आस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई रकम	11छ			
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)			11ज	
12	निम्नलिखित लेखाओं के संबंध में बकाया जमा की रकम					
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क			
	ख	सेवा कर	12ख			
	ग	मुल्य वर्धित कर/ विक्रय कर	12ग			
	घ	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ			
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ			
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च			
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ			
	ज	कोई अन्य करम	12ज			
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)			12झ	
13	धारा 33क ख या धारा 33 क ख क के अधीन लाभ और हानि समझी गई रकम				13	
14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम				14	
15	लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम				15	
16	धारा 14क के अधीन नामंजूर व्यय की रकम				16	
17	क्या निर्धारिती धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☒ का निशान लगाएं ☐ हां नहीं ☐ [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]				17	

भाग क-मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (आज्ञापक, यदि धारा 44खक के अधीन लेखा परीक्षा के लिए दायी है)			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	किसी व्यवसाय समुत्थान की दशा में			
	1	आरंभिक स्टोक	1		
	2	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	2		
	3	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	3		
	4	अंतिम स्टोक	4		
	5	कमी / अधिक यदि कोई हो	5		
	(ख)	किसी निर्माणकारी समुत्थान की दशा में			
	6	कच्ची सामग्री			
	क	आरंभिक स्टोक	6क		
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	6ख		
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान खपत	6ग		
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	6घ		
	ङ	अंतिम स्टोक	6ङ		
	च	प्राप्त तैयार माल	6च		
	छ	प्राप्ति की प्रतिशतता	6छ		
	ज	कमी / अधिक, यदि कोई हो	6ज		
	7	तैयार माल / उपोत्पाद			
	क	आरंभिक स्टोक	7क		
	ख	पूर्व वर्ष के दौरान क्रय	7ख		
	ग	पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग		
	घ	पूर्व वर्ष के दौरान विक्रय	7घ		
	ङ	अंतिम स्टोक	7ङ		
	च	कमी / अधिक, यदि कोई हो	7च		

विवरणी प्रपत्र की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची वेतन

वेतन से आय का ब्यौरा

वेतन

नियोजक का नाम		नियोजक की प्रकृति (सही का निशान लगाएं) ☒ (ड्रॉप डाउन दिया जाएगा)		नियोजक का टैन (आज्ञापक यदि कर काटा गया है)	
नियोजक का पता		नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	
1	सकल वेतन (1क + 1ख + 1ग)			1	
	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1क		
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ख		
	ग	धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बजाय लाभ (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)	1ग		
(एक से अधिक नियाजकों की दशा में सकल वेतन के लिए बहु पंक्तियां जोड़े)					
2	कुल सकल वेतन (सभी नियोजकों से)			2	
3	धारा 10 के अधीन छूट के विस्तार तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए) (कृपया अनुदेश देखें) (नोट: सुनिश्चित करें कि यह कुल सकल आयक में उपर्युक्त(2) में शामिल है।)			3	
4	कुल वेतन (2 - 3)			4	
5	धारा 16 के अधीन कटौतियां (5क + 5ख + 5ग)			5	
	क	धारा 16(i) के अधीन मानक कटौती	5क		
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	5ख		
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	5ग		
6	'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (4 - 5)			6	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता	नगर / शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	

क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)												
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)												
सह स्वामी (स्वामियों) का नाम				सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या				संपत्ति में अंश की प्रतिशतता				
I												
II												
[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं)				किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)				किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पणी देखें)				किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
☒												
☐ यदि किराए पर हो				I								
☐ स्वयं के उपभोग में				II								
☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया												
क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य							1क				
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती				1ख							
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर				1ग							
घ	योग (1ख + 1ग)				1घ							
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है							1ङ				
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)							1च				
छ	1च का 30%				1छ							
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज				1ज							
झ	योग (1छ + 2ज)							1झ				
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया							1ञ				
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च – 1झ + 1ञ)							1ट				
2	संपत्ति 2 का पता				नगर / शहर				राज्य		पिन कोड / ज़िप कोड 	
क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें)												
संपत्ति में आपके शेयर की प्रतिशतता (%)												

	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्या/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
I			
II			

[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम (यदि किराये पर हो)	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार (कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार (किराएदारों) का पैन/टैन/आधार (यदि टीडीएस जमा का दावा किया जाता है)
	I		
	II		

क	प्राप्त किया गया या प्राप्त करने योग्य सकल किराया या लेटेबल मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)	2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च	
छ	1च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त किया गया बकाया या वसूल नहीं किया गया किराया	2ञ	
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट	
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास *	3	
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो सीवाईएलए अनुसूची का 2/अंक लेवें)	4	

टिप्पण ▶	इस शीर्ष के अधीन आय की गणना करते समय कृपया एसपीआई अनुसूची में निर्दिष्ट व्यक्ति की विनिर्दिष्ट आय और पीटीआई अनुसूची में निर्दिष्ट निकासी आय को सम्मिलित करें।
टिप्पण ▶	किराएदार का पैन/ आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है
	किराएदार का टैन दिया जाना अनिवार्य है यदि कर धारा 194-झ के अधीन काटा जाता है

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

कारबार या वृत्ति से आय

अ	सद्वृत्त कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग त और ठ का मद 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) और 65(iv))	1	
2क	1 में सम्मिलित सद्वृत्त के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें) / अनुसूची लाभ और हानि की क्रम संख्या 65iv/ कोई लेखा मामला न होने के मामले में	2क	
2ख	1 में सम्मिलित द्वारा 35 कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में - का चिन्ह प्रविष्ट करें)	2ख	
3	धारा 115खखच के अधीन अन्य / प्रभार्य / धारा खखछ के अधीन प्रभार्य के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान में रखे गए लाभ और हानि के अनुसार आय / उधार प्राप्ति	क	वेतन
		ख	गृह संपत्ति
		ग	पूजी अभिलाभ
		घ	अन्य स्रोत
		ङ	धारा 115खखच के
		च	115खखछ के अधीन
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कघ / 44कघक / 44कङ / 44ख / 44खख / 44खखक / 44घक (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	4क	
4ख	नियम 7, 7 क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्राप डाउन जो उपबंधित है और व्यक्तिगत रेखा मद के अनुसार उपबंधित और पकड़ने का ड्राप डाउन)	4ख	
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है		
	क	फर्मों से आय का अंश	5क
	ख	एओपी / बीओआई से आय का अंश	5ख
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति रकम विनिर्दिष्ट करें)	
	i		ग i
	ii		ग ii
	iii	योग (ग i + ग ii)	5 ग
	घ	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 ग iii)	5 घ
6	शेष (1- 2 क - 2 ख - 3 क - 3 ख - 3 ग - 3 घ - 3 च - 4क - 4ख - 5 घ)		
		क	वेतन
		ख	गृह संपत्ति
		ग	पूजी अभिलाभ
		घ	अन्य स्रोत
		ङ	धारा 115खखच के
		च	115खखछ के अधीन
7	धारा 115खखच के अधीन या धारा खखछ के अधीन प्रभार्य आय / सम्बद्ध आय के अन्य शीर्ष के अधीन ध्यान रखे गए लाभ और हानि के अनुसार उधार व्यय		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो आय छूट से संबंधित	8क	
8ख	धारा 14क के अधीन लाभ और हानि लेखे में से विकलित व्यय, जो आय से छूट देन और नामंजूर होने से संबंधित है (भाग क- अन्य जानकारी का 21)	8ख	
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 7च + 8क + 8ख)	9	
10	समायोजित लाभ या हानि (6 + 9)	10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और उपकरण	11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण		
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घ ङ त का स्तंभ 6)	12i
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना स्वयं करे और आयकर नियम का परिशिष्ट 1क निर्दिष्ट करें)	12ii
	iii	कुल (12i + 12ii)	12iii
13	अवक्षयण के ालए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 + 11 - 12iii)	13	
14	धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 6घ)	14	

15	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 7 य)	15			
16	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 8कड)	16			
17	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -ओ आई का 9 च)	17			
18	पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा-- 43ख के अधीन अनुज्ञेय हैं (भाग क -ओ आई का 11ज)	18			
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज	19			
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20			
21	धारा 32कघ / 32कग / 33कख / 33कखक / 35कखक / 35 कखख / 35 कग / 40 क(3क) / 33कग / 72 क / 80 झझघ / 80-क के अधीन समझी गई आय	21			
22	धारा 43 ग क के अधीन समझी गई आय	22			
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य यद या मदें	23			
24	कोई अन्य आय (जिसके अंतर्गत उस से जिसमें कोई व्यष्टि / हिंदू अविभक्त कुटुंब / स्वामित्वधारी समुत्थान भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है जो लाभ और हानि में सम्मिलित नहीं है	24			
25	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में वृद्धि या हानि में कमी (अनुसूची णझ के स्तम्भ 3क + 4छ)	25			
26	कुल (14+15+16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)			26	
27	धारा 32 (1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27			
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28			
29	लाभ और हानि लेखा को विकलित रकम से अधिक में धारा 35 या धारा 35 ग ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौतियों की रकम (अनुसूची ड घ द की मद 10(41) (यदि धारा 35 या धारा 35 ज ग ग या धारा 35 ग ग घ के अधीन कटौती योग्य रकम पी एल लेखा को विकलित रकम से काम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29			
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञेय रकम (भाग क- ओ आई का 8 ख)	30			
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ष में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय किन्तु वर्ष के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -ओ आई का 10 ज)	31			

32	कटीती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32		
33	आईसीडीएस समायोजनों और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विकलन के मद्दे लाभ में कमी या हानि में वृद्धि (अनुसूची णल के स्तम्भ 3ख + 4ङ)	33		
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)	34		
35	आय (13+26-34)	35		
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ या हानि -			
i	धारा 44कघ (अनुसूची त और ठ के 61(ii))	36i		
ii	धारा 44कघक (अनुसूची त और ठ के 62 (ii))	36ii		
iii	धारा 44कङ (अनुसूची त और ठ के 63(ii))	36iii		
iv	धारा 44ख	36iv		
v	धारा 44खख	36v		
vi	धारा 44खखक	36vi		
vii	धारा 44घक	36vii		(प्ररूप उ ग ङ की मद ण)
viii	कुल (36i to 36vii)	36viii		
37	सट्टा के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35 + 36viii)	37		
38	सट्टा कारबार से भिन्न कारबार या वृत्तिक से शुद्ध लाभ या हानि और नियम 7 का, 7 ख लागू हाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कारबार यदि लागू है (यदि नियम 7 क, ख लागू नहीं है, तो 40 के अनुसार वही अंक भरे) (यदि हानि है तो मद 5 का 2 i से अंक लें) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)	क 38		
क	नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क		
ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ख		
ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ग		
घ	नियम 7ख (1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38घ		
ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	38ङ		
च	नियम 7क, 7ख और नियम 8 से भिन्न आय (मद सं. 40)	38च		
39	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के संकलन के उद्देश्य के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू के पश्चात्, कृपि से संझी गई आय का अतिशेष [4ख-(38क+ 38ख+ 38ग+ 38घ + 38ङ.)]	39		
आ	सट्टा के कारबार से आय की संगणना			
40	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टा के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (मद सं. 2क)	40		
41	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	41		

	42	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां	42		
	43	अनुमानित कारबार से आय (40 + 41 - 42) (यदि हानि है तो अनुसूची ग च ठ के 6xi से अंक लें)	ख 43		
इ	धारा 35 क घ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
	44	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	44		
	45	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	45		
	46	धारा 28 से धारा 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा (i) 35 क छ, (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस कटौती का दावा धारा 35 क छ के अधीन किया गया है)	46		
	47	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44 + 45 - 46)	47		
	48	धारा 35 क घ(1) के अनुसार कटौतियाँ	48		
	49	अनुमानित कारबार से आय (47 – 48) (यदि हानि है तो अनुसूची सी एफ एल के 7xi से अंक लें)	ग 49		
	50	धारा 35कछ की उप-धारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड, जिसमें विनिर्दिष्ट कारबार भी सम्मिलित है (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयनित की जाए)	ग 50		
घ	कारबार वृत्तिक से लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 38+ ख 43+ ग 49)		घ		
ड	चालू वर्ष की कारबार हानि का अन्तः मुजराई शीर्ष				
क्र.सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ष की आय (यह स्तंभ तभी भरे जब अंक शून्य या सकारात्मक है)	मुजराई कारबार हानि	मुजराई के पश्चात शेष कारबार आय	
		(1)	(2)	(3) = (1) – (2)	
	i	मुजराई किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल जब भरे यदि अंक नकारात्मक है)	(क 38)		
	ii	अनुमानित कारबार से आय	(ख 43)		
	iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 49)		
	iv	मुजरा की गई कुल हानि (ii + iii)			
	v	मुजराई के बाद शेष हानि (i – iv)			
टिप्पण	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय सम्मिलित करें				

**अनुसूची - संयंत्र और
मशीनरी का अवक्षयण**

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	संयंत्र और मशीनरी			
	2	15	30	40	45
	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3 पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	4 पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5 3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
	6 रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
	7 पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
	8 7 में से वर्ष के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
	9 रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)				
	10 पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
	11 आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
	12 4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	13 7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
	14 आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
	15 कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
	16 आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान (स्तम्भ 15 के अलावा)				

17	शुद्ध संकलित अवक्षयण (15-16)				
18	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			फर्नीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	कुछ नहीं	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ष के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम ऋणात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ष के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							

9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
13	आय कर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञान अवक्षयण (स्तम्भ 12 के अलावा)							
14	शुद्ध संकलित अवक्षयण (12-13)							
15	उत्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन, आदि की दशा में अनुज्ञेय आनुपातिक कुल अवक्षयण (स्तम्भ 17 के अलावा)							
16	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ / हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
18	पूर्व वर्ष के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची _आस्तियों पर अवक्षयण का सार

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी						
	क	15% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i यथालागू)	1क					
	ख	30% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii यथालागू)	1ख					
	ग	40% की दर से अवक्षयण के लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii यथालागू)	1ग					
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ					

ॐ संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)			1ड	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			
	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii यथालागु)	2क	
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii यथालागु)	2ख	
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv यथालागु)	2ग	
	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग))	2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची डीओए 14v या 15v यथालागु)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi यथालागु)			4
5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii यथालागु)			5
6	कुल अवक्षयण (1ड + 2घ + 3 + 4 + 5)			6

अनुसूची अवक्षणीय आस्तियों के विक्रय पर समझा गया पूंजी अभिलाभ

अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क	
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग	
	घ	45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम- 20iv)	1घ	
	ड	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+1घ)	1ड	
2	भवन (जिसके अन्तर्गत भूमि नहीं है)			

	क	5औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क			
	ख	10औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख			
	ग	40औ की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग			
	घ	योग (2क+2ख+2ग)			2घ	
3	फर्नीचर और फिटिंग (अनुसूची घ ड क 17v)				3	
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीईए 17vi)				4	
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)				5	
6	कुल अवक्षयण (1ड +2घ+3+4+5)				6	

अनुसूची इ.एस.आर

वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)

क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय (1)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो (2)	अनुज्ञेय कटौती की रकम (3)	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती (4) = (3) – (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(iik)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2अ)			
vii	35(2अआ)			
Viii	35गगग			
lx	35गगघ			

x	योग			
टिप्पण→	धारा 35(1)(ii) या धारा 35(1)(iia) या धारा 35(1)(iii) या धारा 35(2AA) के अधीन की गई कटौती की दशा में (कृपया अनुसूची आरए के अनुसार ब्यौरे उपलब्ध कराएं)			

अनुसूची पूँजी अभिलाभ पूँजी अभिलाभ

अ

अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (एस टी सी जी) (निवासियों के लिए उप-मद 4 और 5 लागू नहीं हैं)

1

भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः व्यौरे भरें)

क	i	प्राप्त /प्राप्य प्रति कर का पूर्ण मूल्य				क i	
	ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				क ii	
	iii	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(का) के 1.05 गुणा से अधिक न होने की दशा में (का), इन अंकों को (का) के रूप में ले या अन्यथा (का) ले]				क iii	
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i	
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii	
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय				ख iii	
	iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv	
ग	शे-1 (क iii – ख iv)					1 ग	
घ	धारा के अधीन कटौतियाँ 54 ख /54 ग / 54 छ /54 छ क (नीचे मद घ में व्यौरे विनिर्दिष्ट करें)					1 घ	
ङ	स्थावर संपत्ति पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)					क 1 ङ	
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित व्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)						
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड
	टिप्पण ► पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194झक के अधीन की गई है । एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें ।						

2

विक्रय गिरावट से

क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	2 क	(प्ररूप 3 ज ङ क का 5)
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति	2 ख	(प्ररूप 3 ज ङ क का 6 (ङ)
ग	गिरावट विक्रय से अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ (2 क -2 ख)		

3

इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (ऊ॥ के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है

	क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	3 क		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
	iv	योग(i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शे-1 (3 क - ख iv)	3 ग		
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	3 घ		
	ङ	साम्या शेयर या साम्या उनमूख ड च (संदद एस टी टी) पर अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ(3 क +3 घ)	क 3 ङ		
	4	अनिवासी के लिए जो च II नहीं हैं - किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों या लाभांश की विक्री से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी विनमय के साथ गणना की जाय)	*		
	क	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त हैं	क 4 क		
	ख	उन संव्यवहारों पर एस टी सी जी जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एस टी टी) संदत्त नहीं हैं	A4 ख		
5	अनिवासियों के लिए -115 क घ से अनुसार किसी एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों (उपर क तीन से भिन्.) के विक्रय से				
क	i	प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में किए गए शेयरों से भिन्न, जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें :-			
	क	कोट न किए जाने वाले शेयरों की प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर	i क		
	ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए गए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
	ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 गक के अनुसार अंगीकृत कोट न किए जाने वाले शेयरों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
	ii	अधिक कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों की बाबत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
	iii	कुल (i ग + ii)	क iii		
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ				
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
	iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
	iv	योग (i + ii + iii)	ख iv		
	ग	शे-1 (5 क iii - ख iv)	5 ग		
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अननुज्ञात की जाने वाली हानि- उदहारण के लिए यदि अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/ बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी आस्ति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)	5 घ		

	ड	एफ ii द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय पर अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (उपर क 3 से भिन्न) +5 घ)				क 5 ड	
6	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से						
	क	I	आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें				
				क	कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	i क	
		ख	विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख			
		ग	पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग			
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			क ii		
	iii	कुल (i ग + ii)			क iii		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ					
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i	
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii	
		iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय			ख iii	
iv		योग (i + ii + iii)			ख iv		
	ग	शे-1 (क iii – ख iv)				6 ग	
	घ	धारा 94(7) या 94(8) के अधीन हानि अनुज्ञात की जाने वाली हानि-उदहारण के लिए यदि प्रतिभूति अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर आस्ति खरीदी या अर्जित की जाती है और लाभांश/आय/बोनस यूनिट प्राप्त की जाती है तब ऐसी प्रतिभूति से विक्रय उदभूत हानि की उपेक्षा की जाए (केवल सार्थक मूल्य भरें)				6 घ	
	ङ	अवक्षयण योग्य आस्तियों पर समझा गया अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजी का 6)				6 ङ	
	च	धारा के अधीन कटौति 54 ग/54 छ/54 छ क				6 च	
	छ	उपर क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एस टी सी जी (6ग + 6घ + 6ङ + 6च)				क 6 छ	
7	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि						
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्ग के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?					
		☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं (यदि किसी भी राशि का उपयोग पूंजीगत लाभ लेखा से किया जाता है, तो कृपया अनुसूची डीआई के क्रम संख्या "ग" भरें)					
		क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उक्त वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
		i	2016-17	54घ/54छ/54छक			
ii	2017-18	54ख					

ख

धारा 54 ख /54 घ /54 छ / 54 छ

क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि

लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ xii + ख)

क7

8

लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(क8क+8कख+क8ग)

क8

क

लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,15%की दर से प्रभार्य

क8क

ख

लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, 30%की दर से प्रभार्य

क8ख

ग

लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभार्य

क8ग

9

एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभार्य या विशेष दरों पर प्रभार्य नहीं है

क्रम सं.

आय की रकम

उपर मद सं. क 1 से क8 जिसमें सम्मिलित है

देश का नाम और कोड

डी डीटी ए के वस्तु

संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है (यदि प्रभार्य नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)

यदि टी आर सी प्राप्त हो

आई टी अधिनियम की धारा

आई टी अधिनियम के अनुसार दर

लागू दर [(6) या (9) के नीचे)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

II

क

डीटीए के अधीन एसटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि

क9 क

ख

डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभार्य एसटीसीजी की कुल रकम

क9 ख

10

कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (क 1 ड + क 2 ग + क 3 ड + क 4 क + क 4 ख + क 5 ड + क 6 छ + क 7 + क 8 - क 9क)

क 10

ख

दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (एल टी सी जी) (उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 निवासियों में लागू नहीं है)

1

भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः व्यौरे भरें)

क

i

प्राप्त /प्राप्य प्रतिकर पूर्ण मूल्य

क i

ii

स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का पूर्ण मूल्य

क ii

iii

पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य [(का) के (का) से 1.05 गुणा न होने की दशा में इस संख्या को (का) के रूप में ले या अन्यथा (का) ले]

क iii

ख

धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ

i

सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत

ख i

ii

सूचीकरण के बिना सुधार की लागत

ख ii

iii

अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय

ख iii

iv

योग (ख i + ख ii + ख iii)

ख iv

ग

शे-1 (क iii – ख iv)

1 ग

घ

धारा 54/54ख /54घ /54ङग /54 च /54 छ /54 छ क /54 छ ख के अधीन कटौतियाँ (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

1 घ

ड	स्थावर संपत्ति पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)						ख 1 ड			
च	स्थावर संपत्ति को अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (देखें टिप्पण)									
	क्रम सं.	क्रयकर्ताओं का नाम	क्रयकर्ताओं का पेन/ आधार संख्या	प्रतिशत शेयर	रकम	संपत्ति का पता			पिन कोड	
टिप्पण ▶	पेन/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है, यदि कर की कटौती धारा 194अक के अधीन की गई है।									
	एक से अधिक क्रेताओं की दशा में कृपया संबंधित प्रतिशत शेयर और रकम उपदर्शित करें।									
2	विक्रय गिरावट से									
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				2 क	(प्ररूप 3 CEA का 5)				
ख	उपक्रम या प्रभाग की निबल संपत्ति				2 ख	(प्ररूप 3 CEA का 6 (ड))				
ग	शे-1 (2 क - 2 ख)				2 ग					
घ	धारा 54इ ग /54घ के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				2 घ					
ड	गिरावट विक्रय से दीर्घकालिक पूँजी अभिलाम (2 ग -2 घ)						ख 2 ड			
3	बन्द पत्र या डिवेन्चर से के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूँजी सूचीबद्ध बन्ध पत्रों भिन्)									
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				3 क					
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ									
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i					
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii					
iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय				ख iii					
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv					
ग	शे-1 (3 क - ख iv)				3 ग					
घ	धारा 54घ के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)				3 घ					
ड	बन्ध पत्रों या डिवेन्चर पर एस टी सी जी (3 ग - 3 घ)						ख 3 ड			
4	(i) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों किसी यूनिट से भिन्न या शून्य कूपन बंधपत्र ,जहां धारा (1) 112 का परंतुक लागू है (iii) धारा 115कगक में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी का जीडीआर ,के विक्रय से									
क	प्रतिकर का पूर्ण मूल्य				4 क					
ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ									
i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i					
ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii					
iii	अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय				ख iii					
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv					
ग	शे-1 (4 क - ख iv)				4 ग					

	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	4 घ	
	इ	उपर ख4 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (4ग - 4घ)	ख 4इ	
5	किसी कंपनी में साम्यशेयरों के विक्रय या साम्यउन्मुख निधि की यूनिटों या किसी कारबार न्यास की युनिट की विक्री जिसमें धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है			
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (अनुसूची 112 क के कॉलम 14	5क क	
	ख	धारा 54च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	5ख	
	ग	ऊपर ख5 पर पूँजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (5क - 5ख)	ख5ग	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कम्पनी के शेयरों या डिबेन्चर के विक्रय से (धारा 48 के पहले परन्तुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ गणना की जाए)			
	क	सूचीकरण फायदे के बिना गणना की गई एलटीसीजी	6क	
	ख	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	6ख	
	ग	शेयर या डिबेन्चर पर एलटीसीजी (6क - 6ख)	ख6ग	
7	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिटों या शून्य कूपन बंधपत्र जहां धारा 112(1) के अधीन परन्तुक लागू है (सूचीकरण कायदे के बिना 10 प्रतिशत की दरपर कराधेय (ii) धारा 115 क ग क में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी का व जी डी आर के विक्रय से			
	क	i प्रतिभूतियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें		
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/ प्राप्य प्रतिकर का पूर्ण मूल्य	i क	
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख	
		ग पूँजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग	
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii	
		iii कुल (i ग + ii)	क iii	
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ		
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i	
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii	
		iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii	
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv	
	ग	शेन (क iii - ख iv)	7 ग	
	घ	धारा 54 च के अधीन कटौति (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	7 घ	
	इ	अनिवासियों के मामले में उपर 7 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ (7ग - 7घ)	ख 7इ	
8	अनिवासियों के लिए - किसी कारबार न्यास के किसी कंपनी में साम्य शेयरों या किसी साम्य उन्मुख निधि के यूनिटों या किसी न्यास की यूनिटों का विक्रय जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है।			
	क	धारा 112क के अंतर्गत एलटीसीजी (115कघ(1)(b)(iii) परन्तुक के कॉलम 14)	8क	

	ख	धारा 54 च के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	8ख		
	ग	ऊपर ख 8 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (8क - 8ख)		ख 8 ग	
9	अनिवासी भारतीय द्वारा विदेशी मुद्रा आस्ति के विक्रय से (यदि अध्याय 7 के अधीन विकल्प दिया गया है)				
	क	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी (सूचीकरण के बिना गणना की गई)	9 क		
	ख	धारा 115 च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ख		
	ग	विनिर्दिष्ट आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9 क - 9 ख)		ख 9 ग	
	घ	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर एलटीसीजी	9 ग		
	ङ	धारा 115 च के अधीन कटौती घटाए (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	9 ङ		
	च	विनिर्दिष्ट आस्ति से भिन्न आस्ति के विक्रय पर शे-1 एलटीसीजी (9 ग - 9 ङ)		ख 9 च	
10	उपर जहां ख -1 से ख -9 तक लागू नहीं है वहां आस्तियों के विक्रय से				
	क	i आस्तियों के विक्रय की दशा में कोट किए गए शेयरों से भिन्न जिसमें कंपनी के शेयर भी सम्मिलित हैं, निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज करें			
		क कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्य प्रतिकर की पूर्ण मूल्य	i क		
		ख विहित रीति में अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य	i ख		
		ग पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50 ग क के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	i ग		
		ii कोट न किए जाने वाले शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii		
		iii कुल (i ग + ii)	क iii		
	ख	धारा 48 के अन्दर कटौतियाँ			
		i सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i		
		ii सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii		
		iii अन्तरण के संबंध में पूर्ण और अनन्य व्यय	ख iii		
		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv		
	ग	शे-1 (10 क iii - ख iv)	10 ग		
	घ	धारा 54 घ / 54 च / 54 छ / 54 ज के अधीन कटौती (मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें) below)	10 घ		
	ङ	उपर ख 10 की आस्तियों पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (10 ग - 10 घ)		ख 10 ङ	

11	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है?				
	☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं (यदि किसी मामले में कोई राशि पूंजीगत अभिलाभ के उपयोग में नहीं लाई जाती है तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. "ग" भरें।)				

क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि
			वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	
i	2016-17	54/54घ/54छ/54छक			
ii	2017-18	54ख			
ख	क' से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि				
	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+xii+ख)				
12	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(ख12क1 +ख12क2+ख12ख)				
	क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय			ख12क1
	क2	धारा 112 के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभाय			ख12क2
	ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभाय			ख12ख

13	एलटीसीजी की रकम जो मद ख1 से ख12 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार कर के लिए प्रभाय या विशेष दरों पर प्रभाय नहीं है									
क्रम सं.	आय की रकम	उपर मद सं. ख 1 से ख 12 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की वस्तु	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है, तो शून्य दर्ज करें)	यदि टी आर सी प्राप्त हो	आई टी अधिनियम की धारा	आई टी अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर ((6) या (9) के नीचे)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I										
II										
क	डीटीए के अधीन एलटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि									ख13क
ख	डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर कर से प्रभाय एलटीसीजी की कुल रकम									ख13ख
14	आयकर अधिनियम के अधीन प्रभाय कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (ख1ड +ख2ड +ख3ड +ख4ड + ख5च + ख6ग + ख7ड + ख8च + ख9ग + ख9च + ख10ड + ख11 + ख12 - ख13क)									ख14
ग	“पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय आय (क 10 + ख 14) (शून्य के रूप में ख 14 ले यदि हानि है)									ग
घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती के बारे में सूचना									
1	धारा 54/54 ख /54 घ/ 54ङग /54 च/54 छ/54 छक /54छ ख /115 च के अधीन कटौती के मामलों में निम्नलिखित ब्यौरे दें									
	क	धारा 54 के अधीन दावाकृत कटौती								
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख				क i	दिन/मास/वर्ष			
	ii	नये आवासीय घर की लागत				क ii				
	iii	नए आवासीय घर के क्रय /विनिर्माण की तारीख				क iii	दिन/मास/वर्ष			
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम				क iv				

ख	v	दावाकृत कटौती की रकम	क v	
	धारा 54ख के अधीन दावाकृत कटौती			
ग	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये कृषि भूमि की लागत	ख ii	
	iii	नए कृषि भूमि के क्रय की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ख iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ख v	
घ	धारा 54घ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
	ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि या भवन के क्रय / विनिर्माण की लागत	ग ii	
	iii	नए भूमि या भवन के क्रय विनिर्माण की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ग iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ग v	
ङ	धारा 54ङ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	विनिर्दिष्ट अधिसूचित बंधपत्र में विनिहित की गई रकम	घ ii	
	iii	विनिधान की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की रकम	घ iv	
च	धारा 54च के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	ङ i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नये आवासीय घर की लागत	ङ ii	
	iii	नए आवासीय घर के क्रय / विनिर्माण की तारीख	ङ iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	ङ iv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम	ङ v	
छ	धारा 54छ के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख	च i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय	च ii	
	iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में नई आस्ति के क्रय / विनिर्माण की तारीख	च iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम	च iv	

		v	दावाकृत कटौती की रकम	चv	
	छ	धारा 54छक के अधीन दावाकृत कटौती			
	i	शहरी क्षेत्र से मूल आस्ति के अंतरण की तारीख		छi	दिन/मास/वर्ष
	ii	विशेष आर्थिक जोन में नई आस्ति के क्रय या विनिर्माण के लिए उपगत लागत और व्यय		छii	
	iii	विशेष आर्थिक जोन में आवासीय घर के क्रय विनिर्माण की तारीख		छiii	दिन/मास/वर्ष
	iv	नियत तारीख के पूर्व पूंजी अभिलाभ लेखा स्कीम में जमा की गई रकम		छiv	
	v	दावाकृत कटौती की रकम		छv	
	ज	धारा 115च के अधीन दावाकृत कटौती (अनिवासी भारतीय के लिए)			
	i	मूल विदेशी मुद्रा आस्ति के अर्जन की तारीख		ज i	दिन/मास/वर्ष
	ii	नए विनिर्दिष्ट आस्ति या बचत प्रमाण पत्र		ज ii	
	iii	विनिहित की तारीख		ज iii	दिन/मास/वर्ष
	iv	दावाकृत कटौती की रकम		ज iv	
	झ	कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख +1ग +1घ+1ङ+1च + 1 छ + 1ज)			1 झ

2 धारा 54 छ ख की अधीन कटौती की दशा में कंपनी का पेन भरे

उ	चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ वर्तमान वर्ग की पूंजी हानि का मुजरा (क-8 और ख-12 में सम्मिलित डीटीएए के अधीन प्रभाय रकम के सिवाय)									
क्रम सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग का पूंजी अभिलाभ (यदि गणनात्मक अंक घनात्मक है तो केवल इसे भरे)	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ हानि				दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ हानि			मुजराई के पश्चात् चालू वर्ग का अतिशे-1 पूंजी अभिलाभ (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	लागू दर	डीटीएए दरें	10%	20%	डीटीएए दरें	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली पूंजी हानि (इस पंक्ति को केवल तभी भरें जब शमन किए गए अंक नकारात्मक हों)		(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ*+ अ7*+ अ8ग*)	अ9ख*	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग*+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)	(आ1ग*+ आ2ड* + आ3ड*+ आ6ग*+ आ7च*+ आ10ड*+ आ11*+ आ12ख*)	आ13ख	
ii	अल्पकालिक पूंजी	15%	(अ3ड*+ अ4क*+ अ8क*)							

iii	अभिलाभ	30%	अ5ड* + अ8ख*								
iv		लागू दर	(अ1ड*+ अ2ग*+ अ4ख*+ अ6छ* + अ7*+ अ8 ग*)								
v		डीटीएए दरें	अ9ख*								
vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	आ4ड*+ आ5ग*+ आ7ड*+ आ8ग *+ आ9ग*+ आ12क1+ आ12क2)								
Vii		20%	(आ1ग*+ आ2ड* + आ3ड* + आ6ग*+ आ9 च*+ आ10ड*+ आ11* + आ12ख*)								
Viii		डीटीएए दरें	आ13ख								
ix	कुल हानि मुजरा (ii+iii+iv + v + vi+vii+viii)										
x	मुजरा के पश्चात् शे-1 हानि (i – ix)										
इस तालिका में एसटीसीजी के आंकड़े(A1e* आदि) एसटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (क1 से क9) में एसटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।											
इस तालिका में एलटीसीजी के आंकड़े(B1e* आदि) एलटीसीजी की वह राशियां हैं जिनकी गणना संबंधित कॉलम (ख1 से ख13) में एलटीसीजी की उस राशि को घटाकर की गई है जोकि डीटीएए के अनुसार कर प्रभाय नहीं है अथवा विशेष दरों पर प्रभाय है, जोकि उसमें शामिल हैं, यदि कोई हो।											
ऊ	पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख			15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)			
1	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं										
2	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 vii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं										
3	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूँजी अभिलाभ अनुसूची ख च ठ क की मद 5 viii से मूल्य भरें, यदि कोई हैं										
4	डीटीएए दरों पर कर से प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 6 का मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हों										

5	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ					
	अनुसूची ख च ठ क की मद 5 x से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
	6					
7	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूँजी अभिलाभ					
	अनुसूची ख च ठ क की मद 5 xi से मूल्य भरें, यदि कोई हैं					
7	डीटीएए दरों की दर पर कर से प्रभार्य दीर्घावधि पूँजी अभिलाभ					
	अनुसूची बीएफएलए की मद 5xii का मूल्य दर्ज करें					
टिप्पणी▶		कृपया विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) जिन्हें इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते हुए अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट किया गया है।				

[illegible]

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक

गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएण्टेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है

[illegible]

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1	
क	लाभांश, सकल (धारा 10(34) और धारा 10(35)) के अंतर्गत छूट नहीं				1क	
ख	ब्याज, सकल (खा + खाii + खाiii + खाiv + खv)				1ख	
i	वचत खाते से	खा				
ii	जमा (बैंक / डाक घर / सहकारी सोसायटी) से	खाii				
iii	आय-कर प्रतिदाय से	खाiii				
iv	पास श्रु आय की प्रकृति की आय में	खाiv				
v	अन्य	खv				
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय				1ग	
घ	धारा 56(2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घv)				1घ	
I	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घा				
II	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii				
III	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाiii				
IV	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv				
V	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घv				
ङ	कोई अन्य आय (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1ङ	
क्र.सं.	प्रकृति				राशि	
1	परिवार पेंशन					
2						
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है।					

2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ + 2च क्रम सं.1 से संबंधित)				2	
क	धारा 115खख के अधीन लाटरी, वर्ग पहेली आदि से जीत से आय				2क	
ख	धारा 115खखङ के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)				2ख	
i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi				
ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii				
iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii				
iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv				
v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv				
vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi				
ग	धारा 111 के अधीन कराधेय मान्यताप्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष				2ग	
	क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	आय अभिलाभ	कर अभिलाभ		
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)		
घ	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (घ/से घxviii का योग)				2घ	
i	अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी जो धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य है, द्वारा प्राप्त लाभांश			घi		
ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकारी या विदेशी समुत्थान से विदेशी मुद्रा ऋणों पर प्राप्त ब्याज			घii		
iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज			घiii		
iv	धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभार्य			घiv		
v	धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज - धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभार्य			घv		
vi	वितरित आय जो ब्याज है, जिसे धारा 194ठखक में निर्दिष्ट किया गया है - धारा 115क(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य			घvi		
vii	यूटीआई की यूनिटों या धारा 10(23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधियों जिन्हें विदेशी मुद्रा में क्रय किया गया है, से आय - धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य			घvii		

[illegible]

	II											
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख एवं 2घ के अधीन विशेष दरों पर प्रभार्य आय से संबंधित से भिन्न											
	क (I)	अवक्षयण (परिवार पेंशन के अलावा के मामले में)					3क(I)					
	ख(ii)	धारा 57(ii)क के अंतर्गत कटौती (केवल परिवार पेंशन के मामले में)					3क(ii)					
	ग	अवक्षयण(केवल तभी उपलब्ध जब "अनुसूची ओएस" की 1 ग में आय दी गई हो)					3ख					
	घ	योग					3ग					
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ										5	
6	साधारण लागू दरों पर प्रभार्य अन्य खोंतों से शुद्ध आय [1 (डीटीएए अंश से संबंधित आय को घटाने के बाद) – 3 + 4 + 5] (यदि ऋणात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए के 3ख को अंक ले जाए										6	

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क में प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविष्टि करें)					8ङ	
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	प्रौद्भूत / अन्य स्रोतों से आय की प्राप्ति के विषय में सूचना							
	क्रम सं.	अन्य स्रोतों से आय	15 / 6 तक	16 / 6 से 15 / 9 तक	16 / 9 से 15 / 12 तक	16 / 12 से 15 / 3 तक	16 / 3 से 31 / 3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
	1	धारा 115खखघक के अधीन लाभभांश						
	2	लाटरियों, क्रासवर्ड वर्ग पहेली, दौड़ों, खेलों, जुआं,						

		सट्टेबाजी जो धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट है, में जीत के माध्यम से आय						
टिप्पण -	कृपया इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (पति या पत्नी, अवयस्क बालक आदि) की आय को सम्मिलित करें							

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तम्भ को तब भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	चालू वर्ष में मुजरा की गई गृह संपत्तियों की हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (सट्टेबाजी से भिन्न)कारबार हानि	चालू वर्ष में मुजरा की गई (घुड़दौड से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	मुजरा किए जाने के लिए हानि (इस पंक्ति को केवल तब भरें यदि संगणित अंक नकारात्मक है)		(अनुसूची ज त का 4)	(अनुसूची ख त की मद ड का 2v)	(अनुसूची ण द का 6)	
	ii	वेतन	(अनुसूची ध का 6)				
	iii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची ज त का 4)				
	iv	कारबार से आय (विनिर्दिष्ट कारबार से सट्टा पर लाभ और आय को अपवर्जित करते हुए) या वृत्ति	(अनुसूची ख त का क38)				
	v	सट्टाबाजी से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 ii)				
	vi	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची ग छ की मद ड का 3 iii)	-			
	vii	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 ii)				
	viii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9 iii)				
	ix	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9iv)				
	x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9v)				
	xi	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vi)				
	xii	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9vii)				
	xiii	डीटीएए के अनुसार भारत के में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची ग छ की मद ड का 9viii)				

xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभाष्य अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची णध का 6)				
xv	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची णध का 8 ड)				
xvi	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य खोतों से आय	(अनुसूची णध का 2च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरा करने के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बीएफएलए

पूर्वतर वर्षों की अग्रणीत हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के ब्यौरें

अग्रणीत की गई हानि का समायोजन	क्र. सं.	शीर्ष / आय का स्रोत	अनुसूची ग म ठ क 5 के अनुसार (चालू वर्ष की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय यदि कोई है)	अग्रणीत की गई हानियों का मुजरा	अग्रणीत मूल्यहास का मुजरा	धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत भत्ते का मुजरा	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की आय
			1	2	3	4	5
	i	वेतन	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ii)				
	ii	गृह संपत्तियां	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iii)	(ख / च गृह संपत्ति हानि)			
	iii	कारबार आय (सट्टेबाजी लाभ और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 iv)	(ख / च कारबार हानि सट्टेबाजी से भिन्न या विनिर्दिष्ट कारबार हानि)			
	iv	सट्टेबाजी से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 v)	(ख / च सामान्य कारबार या सट्टेबाजी से हानि)			
	v	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vi)	(ख / च याविनिर्दिष्ट कारबार से हानि)			
	vi	15 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची ग म ठ क का 5 vii)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)			
	vii	30 प्रतिशत की दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)			
	viii	लागू दर पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)			
	ix	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख / च अल्पकालिक पूजी हानि)			

x	10 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xi)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)			
xi	20 प्रतिशत की दर पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiii)	(ख / च अल्पकालिक या दीर्घकालिक पूजी हानि)			
xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभार्य अन्य खोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
xiv	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और उनके अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(घुड़ दौड़ों से ख/च हानि)			
Xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अन्य खोतों से कराधेय आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)				
xvi	अग्रनित मुजरा की गई हानि का योग (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	कुल का मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ष की शेष आय (5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii+ 5xiv + 5xv)					

अनुसूची सीएफएल		भावी वर्षों में अग्रणीत की जाने वाली हानियों के ब्यौरे													
क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	प्रस्तुत करने की तारीख (ता / मास / वर्ष)	गृह संपत्तियों की हानि			अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि से भिन्न कारबार से हानि	अनामेलित अवक्षयण भत्ता समेत सट्टेबाजी के कारबार से हानि	विनिर्दिष्ट कारबार से हानि	लघुअवधि पूंजी हानि			दीर्घअवधि पूंजी हानि			दौड़ के घोड़ों के स्वामस्वि और अनुरक्षण से हानि
			सामान्य	पीटीआई	कुल (4ग=4क+4ख)				सामान्य	पीटीआई	कुल(8ग=8क+8ख)	सामान्य	पीटीआई	कुल(9ग=9क+9ख)	
1	2	3	4क	4ख	4ग	5	6	7	8क	8ख	8ग	9क	9ख	9ग	10
i	2010-11														
ii	2011-12														
iii	2012-13														
iv	2013-14														
v	2014-15														
vi	2015-16														
vii	2016-17														
viii	2017-18														
ix	2018-19														
x	2019-20														
xi	Total of earlier year losses b/f														
xii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA				(अनुसूची बीएफएलए का 2ii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iii)	(अनुसूची बीएफएलए का 2iv)	(अनुसूची बीएफएलए का 2v)							(अनुसूची बीएफएलए का 2xii)
xiii	2020-21(Current year losses to be carried forward)				(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची बीएफएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीपी का ख43, यदि v .इ)	(अनुसूची बीपी का ग 49, यदि v .इ)			(2x + 3x + 4x) अनुसूची सीजी के मद ड)			(2x + 3x + 4x) अनुसूची सीजी के मद ड)	(अनुसूची ओएस का 8ड यदि - बीई)
xiv	Total loss Carried forward to future years														

हानियों का अग्रणयन

क्र. सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया	अनामेलित अवक्षयण की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष को अग्रेषित बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv							
v	योग		(ख च ठ क का 3xvi)			(ख च ठ क का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव		
क्रम.स.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (धारा 145 क के अधीन मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न यदि उसी को भाग क -ण छ के स्तंभ 4घ या 4ड. में पृथकतः रिपोर्ट किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क.	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ परसमायोजित आई सी डी एस का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची - 10कक

धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती

विशेष आर्थिक जोन में स्थित इकाइयों की बाबत कटौती					
क्र.स	उपक्रम	वह निर्धारण वर्ष जिसमें यूनिट विनिर्माण उत्पादन / सेवा प्रदान करना आरम्भ करती है	क्र.स	कटौती की रकम	
क	उपक्रम संख्या 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)	
ख	उपक्रम संख्या 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 च के उपाबंध क की मद 17)	
ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौती (क+ ख)				ग
	(यदि धारा 10कक के अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है, तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. ख भरें)				

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौती के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे

क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौती के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ग	अर्हता सीमा के अध्यधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						
	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में रकम	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
घ	अर्हता सीमा के अध्यधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान						

	आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम			दान के लिए उपयुक्त रकम
				नकद में संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii	कुल					
ड	कुल दान (का + खा + गा + घा)						

अनुसूची द क		अनुसंधान संगमों को संदान के ब्यौरे आदि [धारा 35 (1)(ii)या 35 (1) (iiक) या 35 (1) (iii) 35(2कक) के अधीन कटौतियां संदान की पात्र रकम]				
आदाता का नाम और पता		आदाता का पैन	संदान की रकम			संदान की पात्र रकम
			नकद संदान	अन्य रूप में संदान	कुल संदान	
i						
ii						
iii	कुल					

अनुसूची - 80अक		धारा 80अक के अधीन कटौतियाँ		
क	धारा 80अक(4)(ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (दूरसंचार सुविधा)	क 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		क 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ख	धारा 80अक(4)(iii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विशेष आर्थिक जोनों में औद्योगिक पार्क)	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ग	धारा 80अक(4)(iv) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत)	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
घ	धारा 80अक(4)(v) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के अभिलाभों की बाबत कटौतियाँ (विद्युत उत्पादन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80अक (4)(vi) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभ की बाबत कटौती (पूरे देश में प्राकृतिक गैस वितरण नेट वर्क)	घ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		घ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ङ	धारा 80अक के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2)			

अनुसूची-80- झख		धारा 80झख के अधीन क ट ा्तियां			
धारा 80झख के अधीन कटौतियां	क	जम्मू-कशमीर या लद्दाख में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80झख(4))	क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
			क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
	ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80झख(4))	ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
			ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
	ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों की	ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)

	बाबत कटौतियाँ (धारा 80झख(5))	ग2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख की मद 30)
घ	मल्टी प्लैक्स थियेटरों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80झख(7 क))	घ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
		घ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
ङ	पारंपरिक केन्द्रों की बाबत कटौतियाँ (धारा 80झख(7ख))	ङ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
		ङ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का 10 (v))
च	ऐसे उपक्रमों की दशा में जो वाणिज्यिक रूप से उत्पादन या खनिज तेल के परिष्करण का कार्य आरम्भ कर देते हैं कटौतियाँ (धारा 80झख(9))	च1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		च2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
छ	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो भवन आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे हुए हैं (धारा 80झख(10))	छ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		छ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ज	ऐसे उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ जो प्रशीतन श्रृंखला सुविधाओं के प्रचालन में लगे हुए हैं (धारा 80झख(11))	ज1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ज2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
झ	पट्टुलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ (धारा 80झख(11क))	झ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		झ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ञ	खाद्यानों, उठाई-धराई भंडारण और परिवहन के कारबार में लगे हुए उपक्रम की दशा कटौती (धारा 80झख(11 क))	ञ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ञ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ट	ग्रामीण हस्पताल के प्रचालन और रखरखाव में लगे हुए उपक्रमों की दशा में कटौतियाँ (धारा 80झख(11 ख))	ट 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
		ट 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ठ	अन्य अपवर्जित क्षेत्रों के अलावा किसी क्षेत्र में किसी अस्पताल को चलाने और व्यवस्थित करने में लगे एक उपक्रम के मामले में कटौती (धारा 80झख(11ग))	ठ1	उपक्रम संख्या 1	(प्ररूप 10 गगख ग का 11(v))
		ठ2	उपक्रम संख्या 2	(प्ररूप 10 गगख ग का 11(v))
ड	धारा 80झख के अधीन कुल कटौतियाँ (क1 से ठ2 का योग)			

अनुसूची-80- झग और 80झड

धारा 80झग और 80झड के अधीन कटौतियाँ

धारा 80झख के अधीन कटौतियाँ

क	सिक्किम में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ				क1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
					क2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ख	हिमाचल प्रदेश में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ				ख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
					ख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
ग	उतरांचल में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ				ग1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
					ग1	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप 10 गगख का मद 30)
घ	पूर्वोत्तर में स्थित उपक्रमों की बाबत कटौतियाँ						
घक	असम	घक1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घक2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घख	अरुणचल प्रदेश	घख1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घख2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घग	मणिपुर	घग 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घग 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घघ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
घड	मेघालय	घड 1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			
		घड 2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)			

घ	नागालैंड	घच1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घच2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
	त्रिपुरा	घछ1	उपक्रम संख्या 1	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
		घछ2	उपक्रम संख्या 2	(उपक्रम के प्ररूप गगख का 30)	
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित कुल कटौतियाँ (घ का 1 से घछ 2 का योग)				घज
ड	धारा 80झग के अधीन कुल कटौतियाँ (क + घ+ ग + घज)				ड

अनुसूची-6 क

अध्याय 6 क के अधीन कटौतियाँ

1	भाग ख- भ ख कतिपय संदायों की बावत कटौती						
	क्या आपने अध्याय V।क के भाग ख के अंतर्गत किसी कटौती का दावा करने के प्रयोजन हेतु 01.04.2020 से 30.06.2020 के मध्य कोई निवेश/जमा/भुगतान किया है ☐ हां ☐ नहीं(यदि हां, तो कृपाया अनुसूची डीआई के क्रम सं. "क" भरें)						
क	80ग		ख	80गगग			
ग	80गगघ(1)		घ	80गगघ (1ख)			
ङ	80गगघ(2)		च	80घ			
छ	80घघ		ज	80घघख			
झ	80ङ		ञ	80ङङ			
ट	80ङङक		ठ	80ङङख			
ड	80छ		ढ	80छछ			
ण	80छछग						
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क से त का योग)						1	
2	भाग ग - कतिपय आय / अन्य कटौती की बावत कटौती						
	त	80- झक	(अनुसूची 80 झक का ड)				
	थ	80- झकख					
	द	80- झख	(अनुसूची 80 झख का ड)				
	ध	80- झखक					
	न	80झग/ 80झङ	(अनुसूची 80 झग/80झङ का ड)				
	प	80ञक					
	फ	80ञकक					
	ब	80 थथख					
	भ	80 ददख					
भाग ग के अधीन कुल कटौती (त से भ का योग)						2	
3	भाग गक और घ अन्य आय/अन्य कटौती के संदर्भ में कटौती						
म	80 ननक		य	80ननख			
र	80प						
भाग गक और घ के अधीन कुल कटौती (म, य और र का योग)						3	
4	अध्याय 6 क के अधीन कुल कटौतियाँ (1 से 3 का योग)					4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर**धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना**

कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 12 के अनुसार कुल आय			1	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन				
	क	शीर्ष ई के अधीन " कतिपय आय की वावत कटौतियों "अध्याय ख-अ में किसी भी धारा के अधीन कटौती का दावा सम्मिलित है	2क			
	ख	धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा	2ख			
	ग	धारा 35कघ के अधीन आस्तियों पर अवधायन की रकम, जिस पर कटौती का दावा किया गया है, के रूप में की गई है	2ग			
	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख + 2ग)	2घ			
	3	धारा 115जग(1) के अधीन समायोजित कुल आय (1 + 2घ)			3	
	4	धारा 115जग के अधीन कर संदेय (3) का 18.5औ (यदि 3, 20 लाख रुपए से अधिक है)			4	

अनुसूची- अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा**धारा 115जघ के अधीन कर जमा की संगणना**

1	निर्धारण वर्ष 2020-21 (भाग-ख- कुल कर आय का 1घ) में धारा 115जग के अधीन कर					1	
2	निर्धारण वर्ष 2020-21 (भाग-ख-कुल कर आय का 4) में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर					2	
3	कर की रकम जिस पर जमा उपलब्ध है [(2-1) को प्रविष्ट करें यदि 2, 1 से अधिक है, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें					3	
4	उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा, का उपयोग (चालू वर्ष में अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा की रकम का उपयोग ऊपर वर्णित 3 में अधिकतम रकम जितना है और अग्रणीत जमा अनुकल्पिक निम्नतर कर से अधिक नहीं हो सकेगा)						
	क्र.सं.	निर्धारण वर्ष (क)	अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा			चालू वर्ष के दौरान अनुकल्पिक निम्नतर कर का उपयोग	अग्रणीत अनुकल्पिक निम्नतर कर जमा अतिशेष (घ) = (ख3)-(ग)
			सकल (ख1)	पूर्वतर वर्षों में मुजरा (ख2)	अग्रणीत अतिशेष (ख3) उ(ख1)-(ख2)		
	I	2013-14					
	li	2014-15					
	lii	2015-16					
	lv	2016-17					
	V	2017-18					
	Vi	2018-19					
	Vii	2019-20					
	Viii	चालू निर्धारण वर्ष (1- 2, प्रविष्ट करें, यदि 2 1 से अधिक है नहीं तो शून्य लिखें)					
	lx	योग					
5	वर्ष के दौरान धारा 115अघ के अधीन जमा की रकम का उपयोग [मद सं. 4(ग) का कुल ट					5	
6	पञ्चावर्ती निर्धारण वर्षों में जमा के लिए उपलब्ध अनुकल्पिक निम्नतर कर के दायित्व की रकम [4(घ) का कुल ट					6	

अनुसूची - विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय		विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय (पति/पत्नी, अव्यस्क बालक आदि) निधारितियों की धारा 64 के अनुसार आय में शामिल है। (अव्यस्क बालक की आय यदि प्रति बालक 1500 रुपये से अधिक है तो शामिल की जाय)												
क्रम सं.	व्यक्ति का नाम	व्यक्ति का स्थायी लेखा सं./ आधार संख्या										नातेदारी	रकम	आय का शीर्ष जिसमें सम्मिलित है
1														
2														
3														

अनुसूची विशेष दर विशेष दरों पर कर पर प्रभाय आय (कृपया कर की दर के लिए अन्यदेश संख्या 7 देखें)

विशेष दर	क्रम सं.	धारा	☐	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर (ii)
	1	111- पूर्व के वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य निधि का संचित शेष			(अनुसूची ओएस का 2giii)	(अनुसूची ओएस का 2giv)
	2	111 क या 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर यूनिटों पर एसटीसीजी जिस पर जहा एसटी पेय संदत्त है)	☐	15	(अनुसूची ख च ठ क के 5 vi का भाग)	
	3	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफii एस के लिए एसटीसीजी जहा एसटीसीजीसंदत्त नहीं है)	☐	30	(अनुसूची ख च ठ क के 5 vii का भाग) भाग)	
	4	112 परन्तुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों / यूनिटों पर एल ट ाळसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5 x का भाग)	
	5	112(1) (ग)(iii) (गैरसूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर अनिवासियों के लिए एल ट ाळसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5 x का भाग)	
	6	115 कग (बंधपत्रों / जीडीआर पर अनिवासियों के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
	7	115क ग (विदेशी करसी में क्रम किए गए बंधपत्रों या जीडीपी आर से अनिवासी की आय	☐	10	(अनुसूचि ण ध के 2घ ix का भाग)	
	8	115 क ग क (जीडीआर पर विनिर्दिष्ट कम्पनी के किसी कर्मचारी के लिए एल ट ाळसीजी) एल ट ाळसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ठ क के 2घ ix का भाग)	
	9	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफ ii एस के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
	10	115 ड (विनिर्दिष्ट आस्ति पर अनिवासी भारती के लिए एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
	11	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची ख च ठ क का 5x का भाग)	
	12	112क या धारा115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक (शेयर या इकाईयां जिन पर एसटीटी संदत्त है के विक्रय पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची ग छ के ख 5 च और ख 8 च)	
	13	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी	☐		(अनुसूची ख च ठ क के 5ix का भाग)	
	14	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एलटीसीजी	☐		(अनुसूची ख च ठ क के 5xii का भाग)	
	15	115खख (ला ट री, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2क का भाग)	
	16	115खखच (देशी कंपनी से लाभांश जो आय 10 लाख रु0 से अधिक है)	☐	10	(अनुसूची ण ध के 2घxv का भाग)	
	17	115खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन	☐	60	(अनुसूची ण ध के 2ख)	
	18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क	कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची खत का 3ड)	
	ख	अन्य स्रोत शीर्ष के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची णध का 2घxvi)	
	19	115खखछ(कार्वन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कर)				
	क	मुख्य कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची खत का 3च)	
	ख	अन्य मुख्य स्रोतों के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची णध का 2घxvii)	
	20	115क(1)(ख) (क) & 115क(1)(ख)(ख) (रोयलि ट ाळ से अनिवासी की आय)	☐	10	(अनुसूची ण द के 2घviii का भाग)	

21	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य खेतों से आय	☐		(अनुसूची ण ध के 2च का भाग)	
22	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 15% की दर पर प्रभार्य होगा	☐		(अनुसूची ख च ठ क के 5vi का भाग)	
23	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर होगा30% की दर पर प्रभार्य	☐		(अनुसूची ख च ठ क के 5vii का भाग)	
24	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य	☐		(अनुसूची ख च ठ क के 5x का भाग)	
25	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत 10% की दर से प्रभार्य			(अनुसूची ख च ठ क के 5ix का भाग)	
26	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में किसी और आय पर 20% की दर पर प्रभार्य होगा	☐		(अनुसूची ख च ठ क के 5xi का भाग)	
26	अन्य खेतों से आय की प्रकृति में किसी और आय पर विशेष दरों पर प्रभार्य होगा (ई-फाइलिंग युटिलिटी में ड्रॉप-डाउन दिया जाएगा)	☐		(अनुसूची ण ध का 2ड)	
योग					

अनुसूची - आईएफ उन भागीदारी फर्मों के विषय में जानकारी जिनमें आप भागीदार हैं

कह फर्म जिनमें भागीदार	फर्मा का सख्या जिनमें आप भागादार ह						
	फर्म का नाम	फर्म का स्थायी लेखा सख्यांक	क्या फर्म लेखा परीक्षा के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या धारा 92ड फर्म पर लागू है? (हां / नहीं)	फर्म के लाभ में शेयरों की प्रतिशतता	लाभ में शेयर का रकम	31 मार्च का फर्म में पूंजी अतिशेष
						i	ii
1							
2							
3							
4							
5							
6	याग						

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय का व्यौरा (कुल आय में सम्मिलित न की जाने वाली आय या जो कर के लिए प्रभार्य न हो)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय					1		
	2	घरेलु कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)					2		
	3	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)			i			
		i	कृषि पर उपगत व्यय			ii			
		i	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि			iii			
		i							
		v	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 (अनुसूची बीपी की क्र.सं.. 39)			iv			
		v	वर्ष i-ii-iii (के लिए शुद्ध कृषि आय) यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें (					3	
		v	5लाख रु. से अधिक की शुद्ध कृषि आय होने की दशा में, कृपया निम्नलिखित व्यौरें दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथकतया व्यौरें भरें)						
			क	जिले का नाम पिन कोड सहित जिसमें कृषि भूमि स्थित है					
			ख	एकड़ में कृषि भूमि की पैमाइश					
			ग	क्या कृषि भूमि स्वामित्व में है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					
			घ	क्या कृषि भूमि सिचाई पर है या वर्षा के पानी पर निर्भर है (ड्राप डाउन उपबंधित किया जाए)					
		4	अन्य छूट प्राप्त आय (नावालिग बज्जे की आय पर छूट भी सम्मिलित है) (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					4	
	5	डीटीए के अनुसार आय जो कर प्रभार्य नहीं है							
		क्रम. सं.	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टी आर सी अभिप्रमाणित किया गया है (हां/नहीं)	

	I							
	II							
	III	डीटीएए से कुल आय जो कर प्रभार्य नहीं है						5
6	कोई और आय कर प्रभार्य नहीं हैं, (अनुसूची पीटीआई)						6	
7	योग (1+2+3+4+5+6)						7	

अनुसूची पीटीआई

धारा 115 पक 115, पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्रम	धारा 115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की आय	निवेश इकाई द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	निवल आय/हानि(7- 8)	ऐसी रकम पर ख़ोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
1.	(ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			i	गृह संपत्ति						
				ii	पूंजी अभिलाभ						
					क	अल्पकालिक अवधि					
					का	धारा 111क					
					काii	अन्य					
					ख	दीर्घकालिक अवधि					
					खा	धारा 112क					
					खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
				iii	अन्य ख़ोत						
					क	लाभांश (धारा 115- ओ में संदर्भित)					
					ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
					ख	धारा के अधीन					
					ग	धारा.....के अधीन					
2.				i	गृह संपत्ति						
				ii	पूंजी अभिलाभ						
					क	अल्पकालिक अवधि					
					का	धारा 111क					
					काii	अन्य					
					ख	दीर्घकालिक अवधि					
					खा	धारा 112क					
					खाii	धारा 112क के अलावा अन्य					
				iii	अन्य ख़ोत						
					क	लाभांश (धारा 115- ओ में संदर्भित)					
					ख	अन्य					
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी						
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन					
					ख	धारा के अधीन					
					ग	धारा.....के अधीन					

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची टी.पी.एस.ए		धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर के ब्यौरे						
धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है						
	2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
		ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार					
		ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
		घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
	3	भुगतान किए गए कर						
	4	निवल देय कर (2घ-3)						
	5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख1 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 2 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 3 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 4 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 5 (दिन/माह/वर्ष)	तारीख 6 (दिन/माह/वर्ष)
	6	बैंक और शाख का नाम						
	7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या							
9	जमा की गई राशि							

अनुसूची आय के विदेशी स्रोत			भारत से बाहर आय के ब्यौरे और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)								
भारत से बाहर आय और कर राहत	क्र. सं.	देश का कोड	करदाता की पहचान संख्या	क्र. सं.	आय का शीर्ष	भारत से बाहर आय भाग ख - ट ाळआई में सम्मिलित	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड)= (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	डी ट ाळएए का सुसंगत अनुक्षेद यदि धारा 90 या 90 क के अधीन राहत का दावा किया गया है	
						(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(घ)	(च)
	1			i	वेतन						
				ii	गृह संपत्ति						
				iii	कारबार या वृत्ति						
				iv	पूजी अभिलाभ						
				v	अन्य स्रोत						
					योग						
	2			i	वेतन						
				ii	गृह संपत्ति						
				iii	कारबार या वृत्ति						
				iv	पूजी अभिलाभ						
				v	अन्य स्रोत						
					योग						
	टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को देखें।								

[illegible]

ग सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय अचल संपत्ति के व्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	संपत्ति का पता	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्राप्त आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
घ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय कोई अन्य पूंजी आस्ति के व्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)												
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया ब्याज			
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या	
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
ङ सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के व्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।												
क्र. सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	देश का नाम और कोड	जिप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

(i)												
(ii)												
च	भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो ।											
क्र. सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोद्भूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूचा पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
छ	भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है											
क्र.सं.	देश का नाम और कोड	जिप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है ।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय					
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या			
(1)	(2)	(2क)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
(i)												
(ii)												
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। दृष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तिजिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्तिसे कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।												

अनुसूची 5क

पुर्तगाल सिविल संहिता द्वारा शासित पति-पत्नी के बीच में आय के प्रभाजन से संबंधित जानकारी

पति या पत्नी का नाम	
पति/पत्नी का स्थायी खाता संख्यांक / आधार	

	आय के शीर्ष	शीर्ष के अंतर्गत प्राप्त प्राप्तियां	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित रकम	(ii) की आय पर कटौती किए गए ट 0000000 की रकम प	पति या पत्नी के हाथों में प्रभाजित ट 0000000
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	गृह संपत्ति				
2	कारबार या वृत्ति				
3	पूँजी अभिलाभ				
4	अन्य स्रोत				
5	योग				

अनुसूची कठ

वर्ष के अंत में आस्ति और दायित्व (भाग क-ख में अंतर्गत से भिन्न) (उस दशा में जहां कुल आय 50 लाख रु0 से अधिक है, लागू होती है)

आस्ति और दायित्व के विवरण

क	स्थावर आस्ति का ब्यौरा			
क्रम सं.	विवरण	पता	पिन कोड	रकम (लागत) रु. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				
ख	जंगम आस्ति का ब्यौरा			
क्रम सं.	विवरण			रकम (लागत) रु. में
(1)	(2)			(3)
(i)	आभूषण, बुलियन आदि			
(ii)	पुरातात्विक संग्रहण, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति			
(iii)	वाहन, नौका, नाव और वायुयान			
(iv)	वित्तीय आस्ति		रकम (लागत) रु. में	
	(क)	बैंक (जिसके अंतर्गत सभी जमा रशियां)		
	(ख)	शेयर और प्रतिभूतियां		
	(ग)	बीमा पॉलिसी		
	(घ)	ऋण और दिए गया अग्रिम धन		
	(ङ)	हाथ नकदी		
ग	भागीदार या सदस्य के रूप में किसी फर्म या व्यक्तियों का संगम (एओपी) की आस्तियों में धारित ब्याज			

क्रम सं.	फर्मों / एओपी का नाम और पता	फर्म / एओपी का स्थायी खाता संख्या	लागत के आधार पर फर्म / एओपी में निर्धारिती का विनिवेश
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)			
(ii)			
घ	आस्तियों (क+ख+ग) के संबंध में दायित्व		

टिप्पण ▶

इस अनुसूची को भरने के लिए कृपया अनुदेशों को निर्दिष्ट करें।

अनुसूची डी.आई

निवेश का व्यौरा

क) अध्याय VIक के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ निवेश / जमा / भुगतान		
धारा	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती की पात्र राशि (अनुसूची VIक के अनुसार- भाग ख- कतिपय भुगतानों के संबंध में कटौती)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच किए गए निवेश / व्यय के फलस्वरूप कटौती
(1)	(2)	(3)
80ग		
80गगग		
80गगघ(1)		
80 गगघ(1ख)		
80 गगघ(2)		
80घ		
80 घघ		
80 घघख		
80ङ		
80ङङ		
80 ङङक		
80ङङख		
80छ		
80छछ		
80छछक		
80छछग		
कुल		
ख) धारा 10कक के अंतर्गत कटौती की पात्र राशि		

अनुसूची 10क के अनुसार अंडरटेकिंग	अनुसूची 10 क के अनुसार कटौती की राशि	एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार जारी अनुमोदन के पत्र की तारीख	क्या धारा 10क के अंतर्गत कटौती का दावा करने का क्या यह पहला वर्ष है और क्या 01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच शर्तों का पालन किया गया है [हाँ/नहीं]
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडरटेकिंग 1			
अंडरटेकिंग 2			
अंडरटेकिंग 3			
कुल			

ग) धारा 54 ये 54छख के अंतर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ भुगतान / अधिग्रहण / खरीद / निर्माण

दीर्घावधि पूंजीगत लाभ

धारा	पूंजीगत लाभ लेखा में से उपयोग की गई राशि (अनुसूची सीजी की क्रम सं. ख 11 के अनुसार)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच उपयोग की गई राशि
(1)	(2)	(3)
54		
54ख		
54घ		
54च		
54छ		
54छक		
54छख		
कुल		

लघु अवधि पूंजीगत लाभ

धारा	पूंजीगत लाभ लेखा में से उपयोग की गई राशि (अनुसूची सीजी की क्रम सं. 7क के अनुसार)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच उपयोग की गई राशि
(1)	(2)	(3)
54ख		
54घ		
54छ		
54छक		
कुल		

अनुसूचि जीएसटी		जीएसटी के लिए रिपोर्टित आवर्त/ सकल प्राप्तियों के संबंध में सूचना	
जी एस टी का ब्यौरा	क्रम. सं.	जीएसटी आई एन संख्या	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाह्य पूर्ति का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण		कृपया प्रत्येक जीएसटी आई एन सं. के लिए पृथक रूप से उपर सूचना प्रस्तुत करें।	

भाग - ख

भाग ख - कुल आय

कुल आय की संगणना

कुल आय

1	वेतन (अनुसूची ध का 6)				1	
2	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची-गृह संपत्ति का 4)(यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)				2	
3	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ					
i	स ट त ट ों के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-का.वृ. का क38)	3i				
ii	स ट त ट ों के कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (ii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)	3ii				
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ और अभिलाभ [अनुसूची बीपी की तालिका ड के 3 (iii)] (यदि हानि है तो शून्य लिखें)	3iii				
iv	विशेष दरों पर कर प्रभार्य आय (अनुसूचि ख त के ड 3 और 3 च)	3iv				
V	योग (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (यदि 3v हानि है तो शून्य लिखें और अनुसूची ग च ठ से अंक लें)				3v	
4	पूंजी अभिलाभ					
क	अल्पकालिक					
i	अल्पकालिक प्रभार्य @ 15% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 ii)	क i				
ii	अल्पकालिक प्रभार्य @ 30% (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9 iii)	क ii				
iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ की मद ड का 9iv)	क iii				
iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूचि ग छ के मद ड का 9v)	क iv				
v	अल्पकालिक योग (क i + क ii + क iii+ क iv)	4 क v				
ख	दीर्घकालिक					

	i	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 10% (अनुसूची ग छ की मद ड का 9 vi)	खा		
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य @ 20% (अनुसूची ग छ की मद ड का 9 vii)	खii		
	iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घकालिक प्रभार्य (अनुसूची ग छ के मद ड का 9 viii)	खiii		
	iv	दीर्घकालिक योग (ख i + ख ii + खiii) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	4खiv		
ग	कुल पूँजी अभिलाभ (4 क v + 4 ख iv) (यदि हानि है तो शून्य भरे)				4 ग
5	अन्य स्रोतों से आय				
	क	अन्य स्रोतों से शुद्ध आय सामान्य लागू दरों पर कर प्रभार्य (अनुसूची ग घ का 6 शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि हो)	5 क		
	ख	विशेष दर पर कर को प्रभार्य आय (अनुसूची ग ध का 2)	5 ख		
	ग	घुडदोड के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ग ध का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 ग		
	घ	कुल (5 क + 5 ख + 5 ग) (यदि हानि है तो शून्य भरे)	5 घ		
6	शीर्ष क्रय के अनुसार आय का कुल (1 + 2 + 3व + 4 ग + 5 घ)				6
7	6 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली चालू वर्ष की हानियाँ (अनुसूची गमठ क चालू वर्ष की हानि के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)				7
8	चालू वर्ष की हानियों के मुजरा के पश्चात् बकाया (6 - 7) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (ii) से (xv) का योग + 5ख + 3iv)				8
9	8 के विरुद्ध मुजरा की जाने वाली अग्रणीत हानियाँ (अनुसूची खचठ क के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)				9
10	सकल कुल आय (8-9) (और अनुसूची वीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम संख्या (i) से (xiv) का योग + 5ख + 3iv)				10
11	धारा 111क, धारा 112, धारा 112क के अधीन विशेष दर पर कर प्रभार्य में 10 सम्मिलित है				11
12	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख, ग क और घ [अनुसूची 6क का (1+3) और (बीएफएलए का i5 + ii5 + iii5 + iv5 + v5 + viii5 + xi5 + xii5) तक सीमित]	12क		
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का 2 और बीएफएलए का iii5 तक सीमित]	12ख		
	ग	कुल (12क + 12ख) (10-11) तक सीमित)	12ग		
13	धारा 10 क क के अधीन कटौतियाँ (अनुसूची 10 क क का ग)				13
14	कुल आय (10 -12ग -13)				14
15	आय जो 13 में सम्मिलित है और विशेष दर पर कर प्रभार्य है (अनुसूची विशेष दर के (i) का योग)				15

16	दर प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय / कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)	16	
17	कुल आय (14-15+16) (लागू होगा यदि (14-15) अधिकतम रकम, जो कर प्रभार्य नहीं है)	17	
18	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ष की हानियां (अनुसूची गचठ की पंक्ति xii का योग)	18	
19	धारा 115अग के अधीन समझी गई आय (अनुसूची एएमटी का 3)	19	

भाग ख - कुल आय पर कर दायित्व

कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	क	धारा 115 अ ग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची का अनुकल्पित म्तर कर का 4)			1क	
	ख	(क) पर अधिभार (यदि लागू है)			1 ख	
	ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1क +1ख) 3 पर			1 ग	
	घ	समझी गई कुल आय पर संदेय कुल कर (ह) उपर (1क +1ख +1 ग)			1 घ	
2	कुल आय पर संदेय कर					
क	भाग ख- ट ाळ आई कुल आय के 17 पर सामान्य दरों पर कर	2क				
ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची द झ का (ii) का योग)	2ख				
ग	कृषि आय पर रिबे ट (लागू होगा यदि (भाग ख- ट ाळ आई कुल आय का(14-15) अधिकतम रकम अधिक नहीं है जिस पर प्रभार्य नहीं है)	2ग				
घ	कुल आय पर संदेय कर (2क + 2ख- 2ग)				2घ	
ड	धारा 87क के अधीन रिबे ट				2ड	
च	रिबे ट के पश्चात संदेय कर (2घ - 2 ड)				2च	
छ	अधिभार				2छ	
	i	अनुसूची धझ के 17(i) का @25 प्रतिशत	2छ i			
	ii	अनुसूची एस आई की 2 (ii), 3 (ii), 9 (ii), 12 (ii), 22 (ii), 24 (ii) के अनुसार 10%या 15% की दर पर	2छ ii			
	iii	[(2च) – (अनुसूची एसआई के 17(ii), 2(ii),3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii))]पर	2छ iii			
	iii	कुल (i + ii + iii)			2छiv	
ज	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (2 च + 2 छ iv)				2ज	
झ	कुल कर दायित्व (2च + 2छiv + 2झ)				2झ	

कर दायित्व की संगणना

संदत्त कर	3	कुल कर संदेय (1घ और 2ii से उच्चतर)	3	
	4	पूर्वतर वर्षों में कर संदत्त की धारा 115अघ के अधीन जमा (लागू यदि 2ii 1 घ से अधिक है) (अनुसूची क ड न क का 5)	4	
	5	धारा 115अघ के अधीन मुजरा के बाद कर संदेय (3 - 4)	5	
	6	कर राहत		
	क	धारा 89 (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए फॉर्म 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)	6क	
	ख	धारा 90 या धारा 90क (अनुसूची ल द का 2)	6ख	
	ग	धारा 91 (अनुसूची ल द का 3)	6ग	
	घ	कुल (6क + 6ख + 6ग)	6द	
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6 घ) (शून्य भरे यदि नकारात्मक है)	7	
	8	व्याज और फीस देय		
	क	विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234क)	8क	
	ख	अग्रिम कर के संदाय के व्यतिक्रम के लिए व्याज (धारा 234ख)	8ख	
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए व्याज (धारा 234ग)	8ग	
	घ	आय की विवरणी देने में अतिक्रम करने के लिए फीस (धारा 234च)	8घ	
	ड	कुल व्याज और फीस देय (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ड	
	9	औसत दायित्व (7 + 8ड)	9	
	10	संदत्त कर		
	क	अग्रिम कर (17 क के स्तंभ 5 से)	10क	
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (18ख के स्तंभ 5 और 17 ग के स्तंभ 9 का कुल)	10ख	
	ग	टीसीएस (17घ का स्तंभ 7)	10ग	
	घ	स्वतः निर्धारण कर (17केस्तंभ 5 से)	10घ	
	ड	संदत्त कुल कर (10क + 10ख + 10ग)	10ड	
	11	संदेय रकम (यदि 10ड से अधिक है तो 9 प्रविष्ट करें, अन्यथा शून्य प्रविष्ट करें)	11	
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (प्रतिदाय यदि कोई है, तो सीधे बैंक खाते में जोड़ दिया जायेगा)	12	

	13	क्या भारत में आपका बैंक खाता है (जिसका भारत में बैंक खाता नहीं है नहीं का चयन कर सकते हैं)				हां या नहीं का चयन करें	
	i.	क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों के अतिरिक्त)					
बैंक खाता		क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खाते की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं.	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय, यदि कोई हो, प्राप्त करना चाहते हैं) एक खाता पर निशान लगाएं(	
		i					
		ii					
	नोटः						
	1) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए						
	2) रिफंड के मामले में, रिफंड क्रेडिट के लिए कई खातों का चयन किया जाता है तो विवरणी के प्रसंस्करण के बाद सीपीसी द्वारा तय किए गए किसी एक खाते में रिफंड का क्रेडिट किया जाएगा						
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती है						
		ii.	ख) गैर-निवासी, जो आयकर रिफंड का दावा करते हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, विकल्प में एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा दे सकते हैं				
			क्रम सं.	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएएन
			1.				
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय					
		(i) भारत के बाहर स्थित कोई अस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।				☐ हां ☐ नहीं	
		(ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या					
		(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची चक को भरना सुनिश्चित करें)					

15 यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं.			कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम		कर विवरणी तैयारकर्ता के प्रतिहस्ताक्षर
यदि कर विवरणी तैयारकर्ता सरकार से किसी प्रतिपूर्ति का हकदार है तो उसकी रकम					16
17	अनुसूची-आयकर				
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे				
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (तिथि / मास / वर्ष)	चालान का क्रम सं.	रकम (रु.)

	(1)	(2)					(3)					(4)					(5)								
	i																								
	ii																								
	iii																								
	iv																								
	टिप्पण ►		भाग ख - ट ाळ ट ाळआई की क्रम सं. 10क और 10घ में अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर का योग लिखें ।																						
ख	वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]																								
वेतन से स्रोत पर कर कटौती	क्रम सं.	नियोजक का कर कटौती खाता संख्या (टैन)					नियोजक का नाम					वेतन के अधीन प्रभार्य आय					कटौती किया गया कुल कर								
	(1)	(2)					(3)					(4)					(5)								
	i																								
	ii																								
टिप्पण ►		कृपया भाग ख - ट ाळ ट ाळआई के भाग 10ख में स्तम्भ 5 का योग प्रविष् ट करें ।																							

ग	स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख / 16ग के अनुसार]											
क्रम.सं.	स्वयं /अन्य व्यक्ति के संबंध में प्रत्यय टी.डी.एस.(धारा 5 क के अनुसार पति का पत्नी/नियम 35 ख क (2) के अनुसार अन्य व्यक्ति	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टी.डी.एस प्रत्यय अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरारदार या क्रेता का पैन/ आधार संख्या	आगे लाया गया अदावकृत टी.डी.एस		मौजूदा वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टीडीएस कटौती)		इस वर्ष में टीडीएस दावा किया जा रहा है (केवल तभी यदि तभी यदि तत्स्थानी आय इस वर्ष कर के लिए प्रस्ताव की जा रही है		दी गई संबंधित परिग्रह		टी.डी.एस प्रत्यय अग्रणीत किया जा रहा है।
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	आगे लाया गया टी.डी.एस	स्वयं द्वारा कटौती	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों कटौती (यदि लागू हो)	स्वयं के हाथों दावा	धारा 5 क के अनुसार पति /पत्नी या नियम 35 ख क (2) के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति के हाथों दावा (यदि लागू हो)	सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार संख्या			
i															
टिप्पण► कृपया स्तंभ 9 का कुल भाग – ख –टी टी आई के 10 ख में प्रविष्ट करें।															

घ	स्रोत पर संग्रहीत कर के ब्यौरे (संग्राहकों द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार)							
टीसीएस पर आय	क्र. सं.	संग्राहक का कर कटौती और कर संग्रहण खाता संख्यांक)	संग्राहक का नाम	अग्रणीत किया गया अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्तीय वर्ष का टाळसीएस	इस वर्ष दावा किए जा रहे (5)या (6) से रकम (यदि इस वर्ष कर के लिए केवल तत्स्थानी आय प्रस्थापित की जा रही है)	अग्रणीत की जा रही (5) या (6) से रकम
				वित्तीय वर्ष जिसमें संग्रण किया गया	रकम बी एफ			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
टिप्पण ► कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तम्भ (7) का योग प्रविष्ट करें ॥								

सत्यापन

मैं.....पुत्र / पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं / करती हूं कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण हैं और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है ।

मैं यह और घोषणा करता / करती हूं कि मैं..... (ट्राप डाउन उपबंधित किया गया है) की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूं / रही हूं और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूं । मैं स्थायी खाता संख्या.....का धारक हूं (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हो)

हस्ताक्षर

तारीख

आ.क.वि.-4 सुगम	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष 2020-21
	[(एलएलपी से भिन्न) व्यष्टि, हिन्दू अविद्युत कुटुम्ब और प्रभों के लिए जिनकी कुल आय 50 लाख रु. तक है और जिसकी गणना धारा 44 कघ, 44कघ या 44कङ के अधीन की जाती है]	
	[उस व्यष्टिक के लिए नहीं जो या तो कंपनी में निदेशक है या जिसने असूचीबद्ध साधारण शेयरों में निवेश किया है]	
(पात्रता के लिए अनुदेश)		

भाग क साधारण जानकारी																			
(ए.1) प्रथम नाम				(ए.2) मध्य नाम				(ए.3) अंतिम नाम				(ए.4) स्थायी लेखा संख्या							
(ए.5) जन्म की तारीख (दिन/माह/तारीख)								(ए.6) फ्लैट /द्वार /भवन											
(ए.7) परिसर/भवन/ग्राम का नाम								(ए.8) मार्ग/गली /डाक-घर				(ए.9) क्षेत्र/अवस्थान							
(ए.10) नगर/ शहर/ जिला						(ए.11) राज्य				(ए.12) देश		(ए.13) पिन कोड/जिप कोड							
(ए.14) आधार नम्बर (12 अंक)/ आधार नामांकन आईडी (28 अंक) (यदि आधार के लिए पात्र हो)												(ए.15) प्रास्थिति							
												☐ व्यक्ति ☐ हि.अवि.कु. ☐ फर्म (एलएलपी से भिन्न)							
मोबाइल नं० 1 निवास/ कार्यालय का एस.टी.डी. कोड सहित फोन नं०												(ए.17) मोबाइल नं० 2				(ए.18) ई मेल पता - 1 (स्वयं)			
																ई मेल पता - 2			
(ए.19) रोजगार की प्रकृति - ☐ केंद्र सरकार ☐ राज्य सरकार, ☐ सार्वजनिक सेक्टर उपक्रम ☐ पेंशनभोगी ☐ अन्य ☐ लागू नहीं (उदाहरणार्थ पारिवारिक पेंशन आदि)																			
(ए.20) धारा ... के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखिए]								☐ 139(1)-नियत तारीख से पूर्व, ☐ 139(4) नियत तारीख के पश्चात् , ☐ 139(5)-पुनरीक्षित विवरणी, ☐ 119 (2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्											
या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई								☐ 139(9) ☐ 142 (1) ☐ 148 ☐ 153क ☐ 153ग											
(ए.21) यदि पुनरीक्षित/वृत्तिपूर्ण है तो रसीद सं० और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख प्रविष्ट करें (तारीख/मास/वर्ष)																			
(ए.22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 19(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई- यूनिफ संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें।																			
क्या आप आय विवरणी धारा 139(1) के सातवें परन्तुक के अंतर्गत दायर कर रहे हैं परन्तु अन्यथा आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (v) ☐ हां ☐ नहीं																			
यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें																			
[नोट: यह तभी भरा जाना है यदि एक व्यक्ति को धारा 139(1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है परन्तु धा 139(1) के सातवें परन्तुक में उल्लिखित एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण आय विवरणी दायर कर रहा]																			
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक रकम या सकल रकम जमा किया है? (हां/नहीं)												(यदि हां है तो) रकम (रु)							

क्या आपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की विदेश में यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है?		(यदि हां है तो) रकम (रु)
क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान विद्युत के उपभोग के लिए 1 लाख रुपए से अधिक रकम या सकल रकम का व्यय उपगत किया है? (हां/नहीं)		(यदि हां है तो) रकम (रु)
ए.23 क्या यह विवरणी प्रतिनिधि निर्धारित द्वारा फाइल की जा रही है ☐ लागू हां ☐ नहीं ☐ यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दे -		
(1)	प्रतिनिधि का नाम	
(2)	प्रतिनिधि की हैसियत	
(3)	प्रतिनिधि का पता	
(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या/ आधार	

भाग ख - सकल कुल आय				केवल संपूर्ण (रु) में			
ख1	व्यवसाय और वृत्ति से आय (टिप्पण-अनुसूची बी पी की ड 8 से मूल्य प्रविष्ट करें)				ख1		
ख2	i सकल वेतन (ik + ix + ig)				i		
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	ik				
	ख	धारा 17(2) के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य	ix				
	ग	धारा 17(3) के अनुसार	ig				
	ii धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त सीमा तक भत्ता (ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए डाउनलोड का उपबंध किया जाना है) [यह सुनिश्चित करें कि इसे धारा 17(1)/17(2)/17(3) के अंतर्गत वेतन आय में शामिल किया गया है]				ii		
	iii शुद्ध वेतन (i-ii)				iii		
	iv धारा 16 के अधीन कटौतियां (ivक + ivख + ivग)				iv		
	क	धारा 16(ik) के अधीन मानक कटौतियां	ivक				
	ख	धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख				
	ग	धारा 16(iii) के अधीन वृत्तिक कर	ivग				
	v 'वेतन' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (iii - iv) (टिप्पण: अनुसूची टी.डी.एस-1, यदि लागू हो)				ख 2		
ख3	लागू विकल्प पर निशान लगाएं स्व: अधिभोग में ☐ किराए पर ☐ किराए पर समझी गई ☐						
गृह संपत्ति	i	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्त करने योग्य/किराए योग्य सकल किराया मूल्य			i		
	ii स्थानीय प्राधिकारी को संदत्त कर			ii			
	iii वार्षिक मूल्य (i - ii)			iii			
	iv वार्षिक मूल्य का 30%			vii			
	v उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज			viii			
	vi वर्ष के दौरान 30% से न्यून प्राप्त बकाया किराया			x			

	vii गृह संपत्ति* शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय (vi- ix + x) (यदि हानि हो तो नकारात्मक अंकों में बताएं) नोट: आवासीय संपत्ति से अधिकतम क्षति जिसे समायोजित किया जा सकता है 2,00,000 भारतीय रूपए है। क्षति को आगे ले जानेतथ समायोजित करने के लिए लाभ प्राप्त करने हेतु कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें।	ख 3	
ख4	अन्य स्रोतों से आय (आय की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता के लिए ड्रापडाउन का उपबंध किया जाना है)-- टिप्पण- "अनुसूची टी.डी.एस 2" को भरना सुनिश्चित करें, यदि लागू हो		
	कम करें : धारा 57(ii)क के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन की दशा में)	ख4	
ख 5	सकल कुल आय (ख1+ ख 2+ ख 3 + ख4) क्षति को आगे ले जाने तथा समायोजन हेतु लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया आईटीआर 3/5 का प्रयोग करें	ख 5()	

भाग ग - कटौतियां और कराधेय कुल आय (आयकर अधिनियम के अनुसार कटौती सीमाओं हेतु अनुदेशों का संदर्भ लें)

क्या आपने अध्याय VI के अंतर्गत किसी कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ 01 अप्रैल, 2020 से 30 जून,2020 के बीच कोई निवेश/जमा/भुगतान किया है? [हां/नहीं]
(यदि हां, तो कृपया अनुसूची डी1 भरें)

ग 1	80 ग		ग 2	80 गगग		ग 3	80 गगघ(1)		
ग 4	80गगघ(1ख)		ग 5	80गगघ (2)		ग 6	80 घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		
ग 7	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		ग 8	80 घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		ग 9	80ङ		
ग 10	80ङङ		ग 11	80ङङक		ग 12	80ङङख		
ग 13	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		ग 14	80छछ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में उपबंधित किए जाने वाले ड्रापडाउन में व्यौरें भरे जाएं)		ग 15	80छछग		
ग 16	80ननक		ग 17	80ननख		ग 18	80प		
ग 19	कुल कटौतियां (मद ग1 से ग18 को जोड़ें)							ग 19	
ग 20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)							ग 20	

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति			
घ 1	कुल आय पर संदेय कर (ग 20)	घ 1	
घ 2	धारा 87क के अधीन छूट	घ 2	
घ 3	कुल कर और उपकर (घ1 - घ 2)	घ 3	
घ 4	स्वास्थ्य और शिक्षा (घ3) पर उपकर @ 4%	घ 4	
घ 5	कुल कर और उपकर (घ3 + घ4)	घ 5	
घ 6	धारा 89 के अधीन राहत (इस छूट का दावा करने हेतु कृपया फार्म 10ड प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।)	घ 6	
घ 7	राहत के बाद अतिशेष (घ 5 - घ 6)	घ 7	
घ 8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ 8	

	घ 9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ 9	
	घ 10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ 10	
	घ 11	धारा 234च के अधीन शुल्क	घ 11	
	घ 12	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11)	घ 12	
	घ 13	संदत्त कुल अग्रिम कर	घ 13	
	घ 14	संदत्त कुल स्वतः निर्धारित कर संदेय	घ 14	
	घ 15	कर स्रोत पर कुल कटौती का दावा (अनुसूची टीडीएसआई का स्तंभ 4 और अनुसूची टीडीएस2 का स्तंभ 6 का कुल योग)	घ 15	
	घ 16	स्रोत पर कुल संगृहित कर (अनुसूची टीसीएस का स्तंभ 5 का कुल योग)	घ 16	
	घ 17	कुल पूर्व संदेय कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ 17	
	घ 18	कुल संदेय (घ12 – घ17, यदि घ12 > घ17)	घ 18	
	घ 19	प्रतिदाय (घ17-घ12, यदि घ17 > घ12)	घ 19	
	घ 20	केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय (टिप्पण – यदि कृषि आय 5000/-रुपए से अधिक है, अन्य आय-कर विवरणी, यथा लागू, फाइल करनी है) (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत धारा और खंड का उल्लेख करते हुए, ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्रापडाउन का उपबंध करें)	घ 20	
बैंक खाता	घ 21	पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों (निष्क्रिय खातों को छोड़कर) का विवरण		
	क्र.सं०	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या
	i			प्रतिदाय क्रेडिट के लिए खाते का चयन
	ii			
	1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाता अकाउंट का चयन किया जाना चाहिए। 2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए बहुविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है, तब प्रतिदाय विवरणी के संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाता है।			

अनुसूची बी.पी. - कारबार या वृत्ति से आय के ब्यौरे				
धारा 44कघ के अधीन उपधारणात्मक कारबार आय की संगणना				
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	वर्णन
(i)				
ड 1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां			
	क	यद्यपि विनिर्दिष्ट तिथि से पूर्व आदाता बैंक अथवा अदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक इलेक्ट्रानिक किल्यरिंग सिस्टम प्राप्त किया गया अथवा निर्धारित इलैक्ट्रानिक मोड प्राप्त किया गया	ड 1क	
	ख	कोई अन्य प्रणाली	ड 1ख	
ड 2	44कघ के अधीन उपधारणात्मक आय			
	क	ड 1क का 6% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2क	
	ख	ड 1ख का 8% या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो	ड 2ख	
	ग	कुल (क + ख)	ड 2ग	
	नोट- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिश तसे कम है तो यह अनिवार्य है धारा 44कख के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए और दूसरी आईटीआर यथा लागू की जानी है।			
धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों उपधारणात्मक आय की गणना				
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड	वर्णन
(i)				

ड 3	सकल प्राप्तियां				ड 3		
ड 4	धारा 44कख के अधीन उपधारणात्मक आय (ड3 का 50%) या उपार्जित करने के लिए दावा की गई रकम जो भी उच्चतर हो टिप्पण— यदि आय सकल प्राप्तियों के 50 प्रतिशत से कम है तो यह अनिवार्य है कि धारा 44कख के अंतर्गत कर लेखा परीक्षा कराई जाए तथा दूसरी आईटीआर यथा लागू दायर की जाती है				ड 4		
धारा 44कड के अधीन माल वाहनों उपधारणात्मक आय की संगणना							
क्र.सं.	कारबार का नाम		कारबार कोड		वर्णन		
(i)							
	निर्धारित के स्वामित्व वाले माल वाहन का रजिस्ट्रीकरण सं0	माल वाहन का सकल वाहन भार (मी0ट0 में)	मासों की संख्या, जिनमें माल वाहन स्वामित्व में रहा है	माल वाहन के लिए प्रति मास उपधारणात्मक आय (12 मी0ट0 से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन की दशा में 1000 रुपए प्रति टन प्रति मास की दर से, या 7500 रु प्रति माह की दर से	माल वाहन की दशा में कुल उपधारणात्मक आय (3*4)	आय, जिसका माल वाहन की दशा में वास्तव में अर्जित करने का दावा किया गया है	धारा 44कड के अधीन उपधारणात्मक आय, (5) या (6) में से उच्चतर
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(क)							
(ख)							
आवश्यक होने पर पंक्तियां जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय, वाहनों की संख्यां 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)							
ड 5	धारा 44कड के अधीन माल वाहनों से उपधारणात्मक आय [स्तंभ (5) का योग] टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अंतर्गत निर्धारित से कम हैं अथवा किसी समय स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या 10 से अधिक है, तब दूसरी आईटीआर यथा दायर की जानी है।				ड 5		
ड 6	भागीदार को संदत्त वेतन और ब्याज टिप्पण— यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाएगा				ड 6		
ड 7	धारा 44 कड (ड5 - ड6) के उपधारणात्मक आय				ड 7		
ड 8	विजनेस अथवा व्यवसाय शीर्ष के अंतर्गत प्रभार्य आय (ड 2ग + ड 4+ ड 8)				ड 8		
माल और सेवाकर के लिए रिपोर्टित आवर्त/सकल प्राप्तियों के संदर्भ में सूचना							
टिप्पण- प्रत्येक जीएसटीआइएन संख्या के लिए पृथक् रूप से नीचे सूचना दें-							
ड 9	जी.एस.टी.आइ.एन सं. (संख्याएं)				ड 9		
ड 10	फाईल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों की वार्षिक मूल्य				ड 10		
कारबार की वित्तीय विशिष्टियां							
टिप्पण--ड 11 से ड 25 के लिए, 31 मार्च, 2020 को यथाविद्यमान जानकारी दें (यदि लागू हों)							
ड 11	पूंजी स्वामित्व वाले सहभागी/सदस्य					ड 11	
ड 12	निश्चित ऋण					ड 12	
ड 13	अनिश्चित ऋण					ड 13	

ड 14	अग्रिम	ड 14	
ड 15	नानाविध ऋणदाता	ड 15	
ड 16	अन्य देनदारियां	ड 16	
ड 17	कुल पूंजी एवं देनदारियां (ड 11 + ड 12 + ड 13 + ड 14 + ड 15 + ड 16)	ड 17	
ड 18	अचल परिसंपत्तियां	ड 18	
ड 19	संपत्ति सूची (इन्वेंटरी)	ड 19	
ड 20	नानाविध कर्जदार	ड 20	
ड 21	बैंकों के साथ शेष	ड 21	
ड 22	नकद	ड 22	
ड 23	ऋण तथा अग्रिम	ड 23	
ड 24	अन्य परिसंपत्तियां	ड 24	
ड 25	कुल परिसंपत्तियां (ड 18 + ड 19 + ड 20 + ड 21 + ड 22 + ड 23 + ड 24)	ड 25	
नोट ▶	इस अनुसूची को दायर करने के लिए कृपया अनुदेश का संदर्भ लें (ई15, ई19, ई20, ई22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)		

अनुसूची-आयकर - आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदायों के व्यौरे																											
बीएसआर कोड (स्तंभ 1)								निक्षेप की तारीख (स्तंभ 2)								चालान सं. (स्तंभ 3)				संदत्त कर (स्तंभ 4)							
आर 1																											
आर 2																											
आर 3																											
टिप्पण ▶		घ13 और घ14 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर का योग प्रविष्ट करें ।																									

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर संग्रहित कर का व्यौरा [संग्रहणकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्रम. सं०.	संग्रहणकर्ता का कर संग्रह खाता संख्या	संग्रहणकर्ता का नाम	फार्म 26 ए एस में वर्णित देय रकम के व्यौरे	संग्रहित कर	दावाकृत कुल (4) में रकम
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
	टिप्पण ▶ कृपया PE16 में अनुसूची-टीसीएस के कुल स्तंभ (5) की प्रविष्टि करें				

	कर कटौती खाता संख्यांक (टैन)	नियोजक का नाम	वेतन के अधीन आय	कटौती किया गया कर
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
एस 1				
एस 2				
एस 3				
टिप्पण-- कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।				

अनुसूची--स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 - वेतन से भिन्न आय के स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16क या प्रस्तुत प्ररूप 16ग के अनुसार								
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/किराएदार का पैन/आधार सं.	अग्रेषित अदावाकृत स्रोत पर कर कटौती		चालू वित्तीय वर्ष की स्रोत पर कर कटौती	इस वर्ष दावा किया जा रहा टीडीएस क्रेडिट (केवल तभी यदि इस वर्ष कर के लिए तदनुरूपी रिसीट प्रस्तुत की जा रही हो)	प्रस्तुत तदनुरूपी रिसीट		अग्रेषित स्रोत पर कर कटौती
		कटौती का वित्तीय वर्ष	अग्रेषित स्रोत पर कर कटौती	कटौती किया गया स्रोत पर कर कटौती	दावा की गई स्रोत पर कर कटौती	कुल रकम	आय का सीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								
टिप्पण ▶		कृपया अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 के स्तंभ (4) और अनुसूची स्रोत पर कटौती किया गया कर 2 के स्तंभ (6) का योग घ15 में प्रविष्ट करें।						

अनुसूची डी.आई- निवेश के ब्यौरे		
अध्याय VI के अंतर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ निवेश/जमा/भुगतान		
धारा	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती की पात्र राशि (भाग ग के अनुसार कटौतियां तथा कर योग्य कुल आय)	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच किए गए निवेश/व्यय को आरोप्य कटौती (कॉलम संख्या 2 में से)
कॉलम (1) (ii)	कॉलम (2)	कॉलम (3)
80ग		
80गगग		
80गगघ(1)		
80गगघ(1ख)		
80गगघ(2)		

80घ		
80घघ		
80घघख		
80ङ		
80ङङ		
80ङङक		
80ङङख		
80छ		
80छछ		
80छछग		
योग		

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस विवरणी में और उसकी अनुसूची में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही और पूर्ण है और यह आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं.....की हैसियत से ये विवरणियां भर रहा हूँ/रही हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मैं स्थायी खाता संख्या.....का/की धारक हूँ (यदि आबंटित किया गया हो) (कृपया अनुदेश देखें)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें➡

केवल शासकीय कार्य के लिए

यह प्राप्त नं० की स्टंप लगाए

प्राप्तिकर्ता पदधारी की मुहर, तारीख और नाम	

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप आ.क.वि-5	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ष					
	(i) व्यष्टि(ii) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (iii) कंपनी और (iv) प्ररूप आई टीआर-7 फाईल करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति] (कृपया आयकर नियम, 1962 का नियम 12 देखें) (कृपया अनुदेश देखें)	2	0	2	0	-	2

भाग क-साधारण	साधारण																					
व्यक्तिगत जानकारी	नाम	स्थायी लेखा संख्यांक																				
	क्या नाम में कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें											एमसीए द्वारा जारी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) यदि लागू हो तो,										
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम										विरचना की तारीख (दि.मा.व)										
												कारबार प्रारंभ होने की तारीख (दि.मा.व)										
	सड़क/गली/डाकघर	क्षेत्र/अवस्थान										प्रारस्थिति (फर्म-1 उप प्रास्थिति-भागीदारी फर्म, एलएलपी, स्थानीय प्राधिकारी-2, एओपी/बीओआई-3 उप प्रास्थिति-अन्य सहकारी बैंक, अन्य सहकारी सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860यया उस राज्य की तत्स्थानी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, प्राथमिक कृषि उधार सोसाइटी/सहकारी बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, कारबार न्यास, विनिधान निधि, आयकर विवरणी 7 में विवरणी फाइल करने के पात्र न्यास से भिन्न न्यास, अन्य कोई एओपी/बीओआई, कृत्रिम विधिक व्यक्ति-4, उप-प्रास्थिति-मृतक की संपदा, दिवालिया की संपदा, अन्य एजेपी),										☐
	नगर/शहर/जिला	राज्य										पिनकोड/ ज़िप कोड										
	देश																					
	निवास/कार्यालय का फोन नं० एसटीडी कोड सहित मोबाइल सं० 1											मोबाइल सं० 2										
	ई-मेल पता-1											ई-मेल पता-2										
	फाइल करने की प्रास्थिति	(क)	धारा के अधीन फाइल (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]										☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरणी, ☐ 119(2)(ख) के अधीन विलंब के लिए माफी के पश्चात्।									
		या धारा ... के अधीन सूचना के प्रत्युत्तर में फाइल की गई										☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क, ☐ 153ग										
		क्या आप एक कारबार न्यास हैं?										☐ हां ☐ नहीं										
		क्या आप धारा 115 पख में निर्दिष्ट एक विनिधान निधि हैं?										☐ हां ☐ नहीं										
(ख)		यदि पुनरीक्षित/ दोषपूर्ण/उपांतरित करने के लिए सूचना के उत्तर में है तो मूल विवरणी की प्राप्ति सं० और फाइल करने की तारीख प्रवि-ट करें (दिन/मास/व-)										/ /										
(ग)		यदि धारा 139 (9) / 142 (1) / 148/153 क / 153 ग के अंतर्गत नोटिस या धारा 119 (2) (ख) के अंतर्गत आदेश के प्रत्युत्तर में फाइल की गयी है, तो यूनिक नंबर / दस्तावेज पहचान संख्या(डीआईएन) और ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत फाइल की गई है तो अग्रिम मूल्यन करार की तारीख भरें										(यूनिक नंबर) / /										
(घ)		निवास संबंधी प्रास्थिति (सही का निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी																				
(ङ.)		क्या निर्धारिती अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है और आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी विनिमय में प्राप्त करता है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं																				
(च)		क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप के रूप में मान्यता प्राप्त हैं										☐ हां ☐ नहीं										
(छ)		यदि हां तो, कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता संख्या उल्लिखित करें																				
(ज)	क्या अंतर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है?										☐ हां ☐ नहीं											
(झ)	यदि हां तो, कृपया प्रमाणन संख्या उल्लिखित करें																					
(ञ)	अनिवासी की दशा में, यदि भारत में कोई स्थायी स्थापन है (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं																					
(ट)	क्या आप एफआईआई/एफपीआई? हां/नहीं यदिहां, कृपया सेबी रजिस्ट्रेशन का संख्यांक उपबंधित करें।																					
(ठ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की जा रही है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं																					
	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें--																					
	(1)	प्रतिनिधि का नाम																				
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्राप डाउन उल्लिखित करें)																				
	(3)	प्रतिनिधि का पता																				
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या																				

(ड)	क्या आप फर्म में भागीदार हैं? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें														
	फर्म का नाम										स्थायी लेखा संख्यांक				
(ढ)	क्या आपने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध साधारण अंश धारित किया है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो, साधारण अंश के संबंध में कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें														
	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	स्थायी लेखा संख्यांक	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित अंश					वर्ष के दौरान अंतरित अंश		अंत अतिशेष		
				अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	अंशों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति अंश अंकित मूल्य	प्रति अंश निर्गम मूल्य (नए निर्गम की दशा में)	प्रति अंश क्रय मूल्य (विद्यमान अंश धारक से क्रय की दशा में)	अंशों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	अंशों की संख्या	अर्जन की लागत	
	1 क	1 ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
क	क्या आप धारा 44कक के अनुसार लेखे रखने के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
क 2	क्या निर्धारित केवल 44कघ/ 44कड/ 44कड / 44ख / 44खख / 44खखक के तहत आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
क2i	यदि नहीं, तो वर्ष के दौरान कुल बिक्री / कारोबार / व्यापार की सकल प्राप्ति 1 करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
क2ii	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या पिछले वर्ष के दौरान बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्ति या पूंजीगत योगदान, ऋण आदि जैसे पूंजीगत लेखा के लिए प्राप्त राशि सहित सभी राशियों का कुल मिलाकर नकद में उक्त राशि के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
क 2iii	यदि क2i में हां का चयन किया गया है, तो क्या व्यय के लिए राशि या पूंजीगत लेखा जैसे परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋणों के पुनर्भुगतान आदि सहित किए गए सभी भुगतानों का कुल मिलाकर, पिछले वर्ष के दौरान नकद में, उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
ख	क्या आप धारा 44कक के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं, यदि हां, तो निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें														
ग	यदि (ख) हां है तो क्या लेखों की संपरीक्षा लेख (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं। (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं,														
	(i)	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष) / /													
	(ii)	कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम													
	(iii)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या													
	(iv)	लेखा परीक्षक का नाम (संपत्तिक/ फर्म)													
	(v)	संपत्तिक/ फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या													
	(vi)	संपत्तिक/फर्म लेखा परीक्षक का स्थायी लेखा संख्या (स्थायी लेखा सं0)/ आधार संख्या													
	(vii)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख													
(घ)	क्या आप धारा 92ड. के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं? ☐ हां ☐ नहीं										संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख दिन/मास/वर्ष				
(घii)	यदि आयकर अधिनियम के अधीन अन्य संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें? (दिन/मास/वर्ष) (कृपया अनुदेश देखें)														
	क्रम संख्यांक.		सेक्शन कोड								तारीख (दिन/मास/वर्ष)				
(ड)	यदि आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य अधिनियम, के अधीन संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें?														
	अधिनियम और धारा				(दिन/मास/मास)				अधिनियम और धारा				(दिन/मास/मास)		
अ.	क्या पूर्ववर्त के दौरान फर्म/एओपी/बीओआई के भागीदारों/ सदस्यों में कोई परिवर्तन हुआ है (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं (समितियों और सहकारी बैंक की दशा में प्रबंध समितियों के व्योरे दें) यदि हां, निम्नलिखित व्योरे उपबंधित करें।														
	क्र.सं.	भागीदार/सदस्य का नाम				प्रवेश/निवृत्ति				प्रवेश/निवृत्ति की तारीख				अंश का प्रतिशत (यदि अवधार्य हो)	
	1.														
	2.														
आ	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी का निष्पादक विदेशी कंपनी है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
इ	यदि हां तो एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक में विदेशी कंपनी के शेयर की प्रतिशतता का उल्लेख करें (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
44क	क्या एओपी/बीओआई/एजेपी के निष्पादक के किसी सदस्य की कुल आय (ऐसी संगम या निकाय/एजेपी के निष्पादक से उसके शेयरों को छोड़कर) उस अधिकतम रकम से अधिक है जो उस सदस्य के मामले में कर से प्रभावी नहीं है? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
उ.	व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2020 या विघटन की तारीख को फर्म/एओपी/बीओआई में भागीदार/सदस्य या न्यास में व्यवस्थापक/न्यासी/फायदाग्राही या मृतक की संपदा या दिवालिया की संपदा की दशा में निष्पादक था														
	क्र.सं.	नाम और पता	शेयर का प्रतिशत (यदि अवधारित किया जाए)	स्थायी लेखा संख्या		आधार संख्या/नामांकन पहचान (यदि आधार हेतु पात्र है)		एलएलपी में भागीदार की दशा में, अभिहित भागीदार पहचान संख्या		प्रास्थिति (कृपया निदेश देखें)		पूँजी पर ब्याज की दर	संदर्भ/संदेय पारिश्रमिक		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		

धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए

च		
धारा 160 (1) (iii) या (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की दशा में भरा जाना है		
1	क्या हिताधिकारी के शेयर अवधारित या ज्ञात हैं ?	☐ हाँ ☐ नहीं
2	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति की कारबार आय है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
3	क्या धारा 160 (1) (iv) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी वसीयत द्वारा घोषित है /या अनन्य रुप से व्यवस्थापक के किसी आश्रित रिश्तेदार के फायदे के लिए और /या व्यवस्थापक द्वारा घोषित एकमात्र न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
4	कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (यथा लागू):	
(i)	क्या सभी हिताधिकारियों की आय आधारभूत छूट सीमा के नीचे है?	☐ हाँ ☐ नहीं
(ii)	क्या सुसंगत आय या उसका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वसीयत द्वारा घोषित किसी न्यास के अधीन प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा न्यास उसके द्वारा इस प्रकार घोषित एकमात्र न्यास है?	☐ हाँ ☐ नहीं
(iii)	क्या न्यास व्यवस्थापक के रिश्तेदारों/एच यू एफ के सदस्य, प्रमुखतः उस पर/परिवार पर निर्भर, के अनन्य लाभ के लिए 01-03-1970 से पूर्व सृजित अवसीयती न्यास है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
(iv)	क्या न्यास किसी भविष्य निधि, अधिर्वर्षिता निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि या ऐसे कारबार या वृत्ति में अनन्य रुप से कर्मचारियों के लिए कारबार या वृत्ति का संचालन कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक रुप से सृजित किसी अन्य निधि की ओर से सृजित किया गया है ?	☐ हाँ ☐ नहीं

कारबार का स्वरूप

छ	कारबार या वृत्ति का स्वरूप, यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य क्रियाकलाप/उत्पाद बताएं (धारा 44कघ, धारा 44कघक और धारा 44कड. के अधीन आय घोषित करने वालों से भिन्न)		
क्र.सं.	कोड (कृपया अनुदेश देखें)	कारबार का व्यापारिक नाम, यदि कोई हो	वर्णन
(i)			
(ii)			

भाग क- बीएस

31 मार्च, 2020 या विघटन की तारीख को तुलन-पत्र (यदि नियमित लेखा बहियां रखी जाती हैं तो मद क से ख भरें अन्यथा ग भरें)

निधियों के स्रोत

अ	निधियों के स्रोत													
1	भागीदार/सदस्यता निधि													
	क	भागीदार/सदस्यता पूंजी				क								
	ख	आरक्षितियां और अधिशेष												
		i	पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	खा										
		ii	पूंजी आरक्षिति	खाii										
		iii	कानूनी आरक्षिति	खाiii										
		iv	कोई अन्य आरक्षिति	खाiv										
		v	लाभ और हानि लेखा का जमा शेष	खv										
		vi	योग (खा+खाii+खाiii+खाiv+खv)			खvi								
	ग	कुल भागीदारी सदस्य निधि (क +खvi)				1ग								
2	ऋण निधि													
	क	प्रतिभूत ऋण												
		i	विदेशी करेंसी में ऋण	कां										
		ii	रुपए में ऋण											
			अ बैंकों से	iiअ										
			आ अन्य से	iiआ										
			इ योग (iiअ+iiआ)	iiइ										
		iii	कुल प्रतिभूत ऋण (कां+ii ई)			कांiii								
	ख	अप्रतिभूत ऋण (निक्षेप सहित)												
	i	विदेशी मुद्रा ऋण			कांi									
	ii	रुपया ऋण												
		अ	बैंकों से ऋण	iiअ										
		आ	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से	iiआ										
		इ	अन्य से	iiइ										
		ई	कुल रुपया ऋण (ii+I+ii+II+ii इ)	iiई										
		iii	कुल अप्रतिभूत ऋण (ख i + ii घ)			खांiii								
	ग	कुल ऋण निधि (कांiii + खांiii)				2ग								
3	आस्थगित कर दायित्व					3								
4	अग्रिम													
i	आयकर अधिनियम की धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से			i										
ii	अन्य से			ii										
iii	कुल अग्रिम (i+ii)					4iii								

5	निधि के स्रोत (1ग+2ग+3+4iii)	5	
आ	निधियों का उपयोग		
1	नियत आस्तियां		
क	सकल : ब्लॉक	1क	
ख	अवक्षयण	1ख	
ग	शुद्ध ब्लॉक (क-ख)	1ग	
घ	प्रगतिगत कार्य पूंजी	1घ	
ङ	योग (1ग+1घ)	1 ङ	
2	विनिधान		
क	दीर्घकालिक विनिधान		
i	संपत्ति में विनिधान	i	
ii	साम्या लिखत		
अ	सूचीबद्ध साम्या	iiअ	
आ	असूचीबद्ध साम्या	iiआ	
इ	योग	iiइ	
iii	अधिमानी शेयर	iii	
iv	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iv	
v	डिबेंचर या बंधपत्र	v	
vi	पारस्परिक निधियां	vi	
vii	अन्य	vii	
viii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii+iii+iv+v+vi+vii)	कviii	
ख	अल्पकालिक विनिधान		
i	साम्या लिखत		
अ	सूचीबद्ध साम्या	iअ	
आ	असूचीबद्ध साम्या	iआ	
इ	योग	iइ	
ii	अधिमानी शेयर	ii	
iii	सरकारी या न्यास संपत्तियां	iii	
iv	डिबेंचर या बंधपत्र	iv	
v	पारस्परिक निधियां	v	
vi	अन्य	vi	
vii	कुल दीर्घकालिक विनिधान (i+ii+iii+iv+v+vi)	खvii	
ग	कुल विनिधान (कviii+खvii)	2ग	
3	चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम		
क	चालू आस्तियां		
i	सूचियां		
अ	कच्चा माल	iअ	
आ	प्रगतिगत स्टॉक	iआ	
इ	तैयार माल	iइ	
ई	व्यापारगत स्टॉक (व्यापार के लिए अर्जित माल के संबंध में)	iई	
उ	भंडार/पैकिंग सामग्री सहित उपभोग योग्य	iउ	
ऊ	खुले औजार	iऊ	
ए	अन्य	iए	
ऐ	योग (iअ+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ+iए)	iऐ	
ii	विविध देनदार		
अ	एक से वर्ग से अधिक के लिए बकाया	iiअ	
आ	अन्य	iiआ	
इ	कुल विविध देनदार	iiइ	
iii	नकदी और बैंक अतिशेष		
अ	बैंक में अतिशेष	iiiअ	
आ	हाथ में नकदी	iiiआ	
इ	अन्य	iiiइ	
ई	कुल नकदी और नकद समतुल्य (iiiअ+iiiआ+iiiइ)	iiiई	
iv	अन्य चालू आस्तियां	कiv	
v	कुल चालू आस्तियां (iऐ+iiइ+iiiई+कiv)	कv	
ख	ऋण और अग्रिम		
i	नकद या वस्तु में वसूलनीय या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम	खi	
ii	निकष, उधार तथा कारपोरेट अग्रिम और अन्य	खii	
iii	राजस्व प्राधिकारियों के पास अतिशेष	खiii	
iv	योग (खi + खii + खiii)	खiv	
v	खiv में सम्मिलित ऋण और अग्रिम जो निम्नलिखित के लिए हैं		
क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए	vक	
ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए नहीं	vख	
ग	योग (कv+खiv)	3ग	
घ	विद्यमान दायित्व और उपबंध		

लेखा न होन की दशा			i	विद्यमान दायित्व		
				अ विविध लेनदार		
				1 एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया	1	
				2 अन्य	2	
				3 योग (1+2)	अ3	
				आ पट्टाधृत आस्तियों के लिए दायित्व	iआ	
				इ ऋण पर प्रोद्भूत व्याज और शोध	iइ	
				ई ऋण पर प्रोद्भूत व्याज किन्तु शोध नहीं	iई	
				उ अग्रिम में प्राप्त आय	iउ	
				ऊ अन्य संदेय	iऊ	
				ए योग (अ3+iआ+iइ+iई+iउ+iऊ)	iए	
			ii	उपबंध		
				अ आयकर के लिए उपबंध	iiअ	
				आ छुट्टी नकदीकरण/अधिवर्तिता/उपदान के लिए उपबंध	ii आ	
				इ अन्य उपबंध	ii इ	
				ई योग (iiअ+iiआ +iiइ)	iiई	
				iii योग (iउ+ iiई)	घiii	
			ड	शुद्ध चालू आस्तियां (3ग-घiii)	3ड	
	4	क	अपलिखित या समायोजित न किया गया प्रकीर्ण व्यय	4क		
		ख	आस्थगित कर आस्ति	4ख		
		ग	लाभ और हानि लेखा/संचित अतिशे-न	4ग		
		घ	योग (4क + 4ख + 4ग)	4घ		
	5	निधियों के उपयोग का योग (1ड + 2ग + 3ड + 4घ)				5
लेखा न होन की दशा	ग	उस दशा में, जहां कारबार या वृत्ति की नियमित लेखा-बहियां नहीं रखी जाती हैं, वहां कारबार या वृत्ति की बाबत 31 मार्च, 2020 को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें				
		1	विविध देनदारों की कुल रकम	ग1		
		2	विविध लेनदारों की कुल रकम	ग2		
		3	व्यवसायगत स्टॉक की कुल रकम	ग3		
		4	नकद अतिशे-न की रकम	ग4		

भाग अ-विनिर्माण लेखा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्माण लेखा (जहां नियमित लेखा बही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 1 से 3 भरें, अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

लेखा न होन की दशा			1	विनिर्माण लेखा के लिए विकलन		
			क	आरंभिक सूची		
				i कच्ची सामग्री का आरंभिक स्टॉक	i	
				ii प्रगति हो रहे कार्य आरंभिक स्टॉक	ii	
				iii योग (i + ii)	कiii	
			ख	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, यदि कोई हों)	ख	
			ग	प्रत्यक्ष मजदूरी	ग	
			घ	प्रत्यक्ष व्यय (घi + घii + घiii)	घ	
				i आवक वहन व्यय	i	
				ii बिजली और ईंधन	ii	
				iii अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii	
			ड.	कारखाना अधिव्यय		
				i अप्रत्यक्ष मजदूरी	i	
				ii कारखाना किराया और दर	ii	
				iii कारखाना बीमा	iii	
				iv कारखाना ईंधन और बिजली	iv	
				v कारखाना साधारण व्यय	v	
				vi कारखाना मशीनरी का अवक्षयन	vi	
				vii योग (i+ii+iii+iv+v+vi)	ड.vii	
			च	विनिर्माण खाते से विकलन का योग (कiii+ख+ग+घ+ड.vii)	च	
	2	अंत स्टॉक				
		i	कच्ची सामग्री	2i		
		ii	प्रगति रत कार्य	2ii		
		योग (2i + 2ii)			2	
	3	उत्पादित माल की लागत - व्यापार लेखा में अंतरित (1च-2)			3	

**भाग अ- व्यापार
लेखा**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यापार लेखा (जहां नियमित लेखा वही अनुरक्षित की जाती है वहां मद 4 से 12 भरें अन्यथा यथा लागू मद 61 से 64 भरें)

व्यापार लेखा में जमा	4	प्रचालन से राजस्व				
	क	विक्रय/कारबार की सकल प्राप्तियां (शुद्ध प्रतिदाय और विवरणी और शुल्क और कर, यदि कोई हो)				
		i	माल का विक्रय	i		
		ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
		iii	अन्य प्रचालित राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	ख	iii क		
			ग	iii ख		
			योग (iii क + iii ख)	iii ग		
	ख	वृत्ति से सकल प्राप्तियां				कiv
		विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं के संबंध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उप कर				ख
व्यापार लेखा में बिकलन	ग	i	संघ उत्पाद शुल्क	i		
		ii	सेवा कर	ii		
		iii	वैट/विक्रय कर	iii		
		iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
		v	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	v		
		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
		viii	कोई अन्य शुल्क, कर और उप कर	viii		
		योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)				गix
	घ	प्रचालन से कुल राजस्व (कiv + ख + गix)				4घ
व्यापार लेखा से बिकलन	5	तैयार माल का अंतिम स्टॉक				5
	6	व्यापार लेखा में जमा का योग (4घ + 5iv)				6
	7	तैयार मालों का आरंभिक स्टॉक				7
	8	क्रय (शुद्ध प्रतिदाय और शुल्क या कर, कोई हो)				8
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)				9
	i	आवक वहन व्यय				
		बिजली और ईंधन				
		अन्य प्रत्यक्ष व्यय				
	iii	टिप्पण: प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के आधार पर लाइन खींची जा सकती है				
व्यापार लेखा से बिकलन	10	माल और सेवाओं के क्रय के संबंध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर				
	i	सीमा शुल्क				10i
		प्रति शुल्क				10ii
		विशेष अतिरिक्त शुल्क				10iii
		संघ उत्पाद शुल्क				10iv
		सेवा कर				10v
		वैट/विक्रय कर				10vi
		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)				10vii
		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)				10viii
		एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)				10ix
		संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)				10x
		संदत्त या संदेय कोई अन्य कर				10xi
		योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)				10xii
व्यापार लेखा से बिकलन	11	उत्पादित माल की लागत- विनिर्माण खाते से अंतरित				11
	12	कारबार/वृत्ति से सकल लाभ- लाभ और हानि लेखा में अंतरित				12

भाग अ-लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभ और हानि लेखा (जहां नियमित लेखा वही अनुरक्षित होती है वहां मद 13 से 60 भरें अन्यथा यथा लागू मद 62 से 66 भरें)

लाभ और हानि लेखा को जमा	13	व्यापार लेखा से अंतरित सकल लाभ				13
	14	अन्य आय				
	i	किराया				i
		कमीशन				ii
		लाभांश आय				iii
		व्याज आय				iv
		स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ				v
		प्रतिभूति संव्यवहार कर के रूप में भारित प्रतिभूति के कारण विनिधान के विक्रय पर लाभ				vi
		अन्य विनिधान के विक्रय पर लाभ				vii
		धारा 43कक के अधीन विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)				viii
	ii					

लाभ और हानि लेखा से विकलन

	ix	धारा 28(vi) के अधीन तालिका के पूंजीगत आस्ति में संपरिवर्तन पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका की एफएमवी)	ix		
	x	कृषि-आय	x		
	xi	कोई अन्य आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
		क	xi क		
		ख	xi ख		
		ग	योग (xi क + xi ख)	xi ग	
	xii	अन्य आय का योग(i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xi ग)			14xii
15	लाभ और हानि लेखा को जमा का योग(13 + 14xii)				15
16	जावक भाड़ा व्यय				16
17	भंडारित और अतिरिक्त सामानों का उपभोग				17
18	विजली और ईंधन				18
19	किराया				19
20	भवन की मरम्मत				20
21	मशीनरी की मरम्मत				21
22	कर्मचारियों को प्रतिकर				
	i	वेतन और मजदूरी	22i		
	ii	बोनस	22ii		
	iii	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii		
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv		
	v	अवकाश यात्रा लाभ	22v		
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi		
	vii	मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii		
	viii	मान्यता प्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii		
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix		
	x	कर्मचारियों को अन्य कोई लाभ जिसके संबंध में व्यय उपगत किया गया है	22x		
	xi	कर्मचारियों को कुल प्रतिकर (22i का 22x योग)			22xi
	xii	क्या 22xi में सम्मिलित कोई प्रतिकर अनिवासियों को संदत्त किया गया है	xii क	हां / नहीं	
		यदि हां तो , अनिवासियों को संदत्त रकम	xii ख		
23	बीमा				
	i	चिकित्सा बीमा	23i		
	ii	जीवन बीमा	23ii		
	iii	प्रमुख व्यक्ति बीमा	23iii		
	iv	कारखाना, कार्यालय, कार, मालों आदि सहित अन्य बीमा	23iv		
	v	बीमा पर कुल व्यय(23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v
24	कर्मकारों और कर्मचारी कल्याण व्यय				24
25	मनोरंजन				25
26	आतिथ्य				26
27	सम्मेलन				27
28	प्रचार सहित विक्रय संवर्धन (विज्ञापन के सिवाय)				28
29	विज्ञापन				29
30	कमीशन				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)			30iii
31	स्वामिस्व				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग I (i + ii)			31iii
32	वृत्तिक /परामर्श फीस /तकनीकी सेवाओं के लिए फीस				
	i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर या भारत के भीतर संदत्त	i		
	ii	अन्यों को	ii		
	iii	योग (i + ii)			32iii
33	होटल, भोजन तथा आवास				33
34	विदेश यात्रा के सिवाय व्यय				34
35	विदेश यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	दान				42
43	संदान				43

कर और विनियोजनों के लिए उपबंधों का प्रावधान	44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय कर और दर (आय पर करों के सिवाय)					
		i	संघ उत्पाद शुल्क	44i			
		ii	सेवा कर	44ii			
		iii	वेट/विक्रय कर	44iii			
		iv	उप कर	44iv			
		v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v			
		vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi			
		vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii			
		viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii			
		ix	एसटीटी और सीटीटी सहित कोई अन्य दर, कर, शुल्क और उपकर	44ix			
		x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर(44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x			
	45	संपरीक्षा फीस				45	
	46	फर्म के भागीदारों को वेतन/पारिश्रमिक				46	
	47	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		i		i			
		ii		ii			
		iii	योग (i + ii)			47iii	
	48	अशोध्य ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या विनिर्दिष्ट करें यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या अधिक का अशोध्य ऋण दावा किया गया है)					
		i(1)		48i(1)			
		i(2)		48i(2)			
		i(3)		48i(3)			
		अपेक्षानुसार लाइन खींची जा सकती है कुल योग [48i(1)+48i(2)+48i(3)]		48i			
		ii	अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या उपलब्ध नहीं है (नाम और पूरा पता उल्लिखित करें)	48ii			
		iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	48iii			
		iv	कुल अशोध्य ऋण 48i + 48ii + 48iii			48iv	
	49	अशोध्य संदेहास्पद ऋणों के लिए उपबंध				49	
	50	अन्य उपबंध				50	
	51	व्याज के पूर्व लाभ, अवक्षयण [15 – (16 से 21 + 22xi + 23v + 24 से 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 से 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48vii + 49 + 50)]				51	
	52	व्याज					
		i	कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत के बाहर संदत्त या भारत के भीतर संदत्त	i			
		ii	अन्यों को	ii			
		iii	योग (i + ii)			52iii	
	53	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण				53	
	54	करों के पूर्व शुद्ध लाभ(51 – 52iii – 53)				54	
	55	चालू कर के लिए उपबंध				55	
	56	आस्थगित कर का प्रावधान				56	
	57	कर के पश्चात् लाभ(54 - 55 - 56)				57	
	58	पूर्ववर्ती वर्ष से अग्रणीत अतिशेष				58	
	59	विनियोजन के लिए उपलब्ध रकम(57 + 58)				59	
	60	आरक्षित और अतिशेष में अंतरित				60	
	61	स्वत्वधारी के लेखा में तुलन पत्र में अग्रणीत अतिशेष (59 – 60)				61	
उपधाराणात्मक आय मामले	62	धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक कारबार आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
		(i) सकल आवर्तन या सकल प्राप्तियां (ik + ix)				62i	
		क	निर्दिष्ट तिथि से पहले आदाता के खाते में देय चेक या आदाता के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से या अन्य निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त	ik			
		ख	किसी अन्य ढंग से	ix			
		(ii) धारा 44कघ के अधीन उपधाराणात्मक आय (iik + iix)				62ii	
		क	62ik का 6% या अर्जित दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iik			
		ख	62iix का 8% या दावाकृत रकम, जो भी अधिक हो	iix			
	टिप्पण—यदि सकल प्राप्तियां/आवर्तन, के उपरोक्त प्रतिशत से कम हो तो लेखा बही अनुरक्षित करना और धारा 44क ख के अधीन कर संपरीक्षा आज्ञापक है						
	63	धारा 44कघक के अधीन वृत्तियों से उपधाराणात्मक आय की संगणना (एलएलपी के सिवाय केवल निवासी भागीदारी फर्म के लिए)					
		क्रम सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	विवरण		
		(i) सकल प्राप्तियां				63i	
		(ii) धारा 44कघक के अधीन उपधाराणात्मक आय (63i का 50% , या अर्जित दावाकृत रकम जो भी अधिक रकम)				63ii	

लेखारहित मामला

भाग क- अन्य जानकारी		अन्य जानकारी (यदि धारा 44 कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक)			
अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ग में नियोजित लेखा पद्धति	(चिह्नित करें) ☒ वाणिज्य ☐ नकद		
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है	(चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं		
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11क (iii)]	3क		
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानक के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस का स्तंभ 11ख(iii)]	3ख		
	4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति			
		क	कच्चा माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
		ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)		☐
		ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (यदि हां तो 1 लिखें और यदि नहीं तो 2 लिखें)		
		घ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4 घ	
		ङ	धारा 145क के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धतियों से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ	
5	लाभ-हानि लेख में जमा न की गई रकम, जो-				
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मर्दे हैं	5क		

	ख	प्रत्यय, वापसी सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क या सेवा कर या विक्रय कर या मूल्य वृद्धि कर या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा ऐसे प्रत्यय, वापसी या प्रतिदायों को ग्रहण किया जाता है	5ख	
	ग	पूर्ववर्त के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग	
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ	
	ङ	पूँजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ	
	च	लाभ-हानि लेख में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)		5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्त के न पूरा करने पर धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेख में विकलित रकम			
	क	स्टाक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क	
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i ख)]	6ख	
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभान्श के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग	
	घ	उधार ली गई पूँजी की बाबत संदत्त व्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ	
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ	
	च	किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च	
	छ	अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ	
	ज	धारा 80 गगघ में निर्दिष्ट पेंशन स्कीम में अभिदाय की रकम [36(1)(iv क)]	6ज	
	झ	किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ	
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6ञ	
	ट	किसी भविष्य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के अधीन स्थापित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी निधि में अभिदाय के रूप में शोध्य तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में प्रत्यय नहीं की गई किसी रकम के परिमाण तक कोई राशि [36(1)(v क)]	6ट	
	ठ	खूबत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ	
	ड	खूबत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड	
	ढ	किसी विशेष आरक्षिती में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ	
	ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण	
	त	प्रतिभूतियों में संव्यवहार की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारवार से आय में शामिल नहीं किया गया है । [36(1)(xv)]	6त	
	थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] के अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	6थ	
	द	सरकारी अनुमोदित कीमत से अधिक में गन्ने की खरीद के लिए व्यय [36(1)(xvii)]	6 द	
	ध	कोई अन्य अननुज्ञेय	6 ध	
	न	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6घ का योग)		6 न
	प	नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (निर्धारित की मान्यताप्राप्त भविष्य निधि के मामले में बाध्यकारी)		
	i	भारत में तैनात	i	
	ii	भारत से बाहर तैनात	ii	
	iii	योग	iii	
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें			
	क	पूँजी प्रकृति का व्यय [37(1)]	7क	
	ख	व्यक्तिगत प्रकृति का व्यय [37(1)]	7ख	
	ग	व्यय जो अधिकथित या अनन्य रूप से कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्णतया नहीं है [37(1)]	7ग	
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(2 ख)]	7घ	
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ	
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च	
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है	7छ	
	ज	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7ज	
	झ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7झ	
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ज का योग)		7ञ
8	अ धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेख में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(i), के अधीन अननुज्ञेय रकम	अक	
	ख	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(i क) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अख	
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अननुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अननुज्ञात योग्य रकम	अग	
	घ	अध्याय XVII- ख के उपबंधों के अननुसरण के लेखे धारा 40(क)(iii) के अधीन अननुज्ञेय की जाने वाली रकम	अघ	
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम [40(क)(ii)]	अङ	
	च	घनकर के रूप में संदत्त रकम [40(क)(ii क)]	अच	
	छ	राजस्व, अनुज्ञापति फीस, सेवा फीस आदि के माध्यम से धारा 40(क)(iib) के अनुसार संदत्त रकम	अछ	
	ज	किसी भागीदार या सदस्य को संदत्त व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या परिलब्धि की रकम [40(ख)]	अज	
	झ	कोई अन्य अननुज्ञेय	अझ	
	ञ	धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)		8अझ

	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अननुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अननुज्ञेय रकम			8आ	
9 धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेख में विकलित रकमें						
	क	धारा 40क(2) (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमें	9क			
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत आदाता के खाते में देय चेक अथवा आदाता के खाते में बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम के प्रयोग अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक माध्यम से जोकि निर्धारित किए गए हैं, के अतिरिक्त देय राशि अस्वीकार्य	9ख			
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क (7)]	9ग			
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क (9)]	9घ			
	ङ	धारा 36(1)(xviii) [40क(13) के अधीन यथा अनुज्ञेय चिन्हित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि]	9ङ			
	च	कोई अन्य अननुज्ञेय	9च			
	छ	धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (9क और 9ङ का योग)		9 छ		
10 किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ग में धारा 43ख के अधीन अननुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम						
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क			
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवा-ि की निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख			
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ			
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ			
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च			
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	10छ			
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10छ का योग)		10ज		
11 पूर्व वर्ग के लाभ-हानि लेख में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अननुज्ञेय कोई रकम						
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क			
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भवि-य निधि या अधिवा-ि की निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख			
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग			
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ			
	घक	कर निर्धारिती द्वारा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्रमवद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा से किसी उधार अथवा ऋण पर ब्याज के रूप में देय कोई राशि ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाली सेवा तथा शर्तों के अनुसार होगी।				
	ङ	किसी अनुसूचित बैंक या किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी से भिन्न किसी सहकारी बैंक या किसी प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से किसी उधार या ऋण पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ			
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च			
	छ	भारतीय रेल को रेल आस्तियों के उपयोग के लिए संदेय कोई रकम	11छ			
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11छ का योग)		11ज		
12 निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम						
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क			
	ख	सेवा कर	12ख			
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग			
	घ	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	12घ			
	ङ	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	12ङ			
	च	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	12च			
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	12छ			
	ज	कोई अन्य कर	12ज			
	झ	बकाया कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ		
13 धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें						
14 धारा 41 के अधीन कर से प्रभाय लाभ की कोई रकम						
15 लाभ-हानि लेख में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम						
16 धारा 14क के अधीन अननुज्ञेय व्यय						

17	क्या निर्धारित धारा 92 गड की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है सही ☒ का निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं [यदि हां, कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]	17	

भाग क-परिणात्मक ब्यौरे		परिणात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है तो आज्ञापक))			
परिणात्मक ब्यौरे	(क)	व्यापारिक समुत्थान की दशा में			
		1	आरंभिक स्टाक	1	
		2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2	
		3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3	
		4	बंद स्टाक	4	
		5	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
		6	कच्ची सामग्री		
		क	आरंभिक स्टाक	6क	
		ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6ख	
		ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6ग	
		घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6घ	
		ङ	बंद स्टाक	6ङ	
		च	प्राप्त तैयार उत्पाद	6च	
		छ	प्राप्ति का प्रतिशत	6छ	
		ज	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	6ज	
		7.	तैयार उत्पाद/सह उत्पाद		
		क	आरंभिक स्टाक	7क	
		ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7ख	
		ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7ग	
		घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7घ	
		ङ	बंद स्टाक	7ङ	
		च	कमी/अधिकता, यदि कोई हो	7च	

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू भरें)

अनुसूची गृह संपत्ति गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्राफ्ट डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड																								
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)																												
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %																												
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार संख्या	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)																									
	I																												
	II																												
	लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया किराएदार का नाम किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें) किराएदार(रों) का पैन/ टैन/आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)																												
	<table><tr><td>क</td><td>प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य</td><td>1क</td><td></td></tr><tr><td>ख</td><td>किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती</td><td>1ख</td><td></td></tr><tr><td>ग</td><td>स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर</td><td>1ग</td><td></td></tr><tr><td>घ</td><td>योग (1ख + 1ग)</td><td>1घ</td><td></td></tr><tr><td>ङ</td><td>वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है</td><td>1ङ</td><td></td></tr><tr><td>च</td><td>स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)</td><td>1च</td><td></td></tr></table>					क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य	1क		ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग		घ	योग (1ख + 1ग)	1घ		ङ	वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है	1ङ		च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च	
	क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य	1क																										
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख																											
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग																											
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ																											
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है	1ङ																											
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)	1च																											

	छ 1च का 30%	1छ		
	ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज		
	झ योग (1छ + 2ज)		1झ	
	ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%		1ञ	
	ट गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)		1ट	
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)			
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %			
	सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक / संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%) आधार संख्या		
	I			
	II			
	लगाव विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं]	किराएदार का नाम) यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन) / आधार संख्या(कृपया टिप्पण देखें)	किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
	(सही का निशान लगाएं) ☒	I		
	☐ यदि किराए पर हो	II		
	☐ स्वयं के उपभोग में			
	☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया			
	क प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)	2क		
	ख किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख		
	ग स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग		
	घ योग (2ख + 2ग)	2घ		
	ङ वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)	2ङ		
	च स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)	2च		
	छ 1च का 30%	2छ		
	ज उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज		
	झ योग (2छ + 2ज)	2झ		
	ञ वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%	2ञ		
	ट गृह संपत्ति 2 से आय (2च - 2झ + 2ञ)	2ट		
3	आय/हानि यदि कोई है के माध्यम से पास*	3		
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2ख का अंक लें)	4		

टिप्पण ▶ इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची भतझ में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और अनुसूची तनझ में निर्दिष्ट पास थू आय विनिर्दिष्ट करें

टिप्पण ▶ यदि धारा 194झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।

अनुसूची - कारबार या वृत्ति कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

अ	सट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति		
1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क- पी और एल का मद 54 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) या 66(iv)	1	
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि [लाभ और हानि अनुसूची की क्रम संख्या 66iv]	2क	
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में ऋणात्मक चिन्ह प्रवि-ट करें)	2ख	
3	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते में जमा आय /प्राप्तियां	क गृह संपत्ति	3क
		ख पूंजी अभिलाभ	3ख
		ग अन्य स्रोत	3ग
		घ धारा 115खखच	3घ
		ङ धारा 115खखछ	3ङ
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि जो आयकर अधिनियम की धारा 44कघ/ 44कघक/ 44कड./ 44ख/ 44खब/ 44खखच/ 44खखच/ 44घ/ 44घक/ 44घख/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ के सिवाय) (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	4क	
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	4ख	
4ग	नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और 8 में सम्मिलित क्रियाकलापों से लाभ (ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	4ग	

5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है					
	(क)	फर्म/ फर्मों से आय का अंश	5क			
	(ख)	एओपी/बीओपी से आय का अंश	5ख			
	(ग)	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (प्रकृति और रकम विनिर्दि-ट करें)				
	i		ग i			
	ii		ग ii			
	iii	योग (ग i + गii)	5ग iii			
	(घ)	कुल छूट प्राप्त आय (5 क + 5 ख + 5 गiii)		5घ		
6	बकाया (1- 2क - 2ख - 3क - 3ख - 3ग - 3ड - 4क - 4ख - 4ग - 5घ)					6
7	115 खखच के अधीन प्रभार्य/115 खखछ के अधीन प्रभार्य /आय के अन्य शीर्ष के अधीन विचार किए गए लाभ और हानि खाते से किए गए व्यय	क	गृह संपत्ति	7क		
		ख	पूँजी अभिलाभ	7ख		
		ग	अन्य स्रोत	7ग		
		घ	धारा 115खखच	7घ		
		ड	धारा 115खखछ	7ड		
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय			8क		
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है और धारा 14क के अधीन अनुनुज्ञेय है (भाग क अन्य जानकारी का 16)			8ख		
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7ड + 8क + 8ख)			9		
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)				10	
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण				11	
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण					
	i	धारा 32 (1)(ii) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची घडत का स्तंभ 6)	12i			
	ii	धारा 32 (1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अपनी संगणना करे आयकर नियम के परिशि-ट-डक के अनुसार)	12ii			
	iii	कुल (12i + 12ii)		12iii		
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)				13	
14	धारा 36 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णज का 6S)	14				
15	धारा 37 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णज का 7ज)	15				
16	धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णज का 8कज)	16				
17	धारा 40क के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग क -णज का 9च)	17				
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय हैं (भाग क -णज का 11ज)	18				
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुनुज्ञेय व्याज	19				
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20				
21	धारा 32 कग/ 32कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/ 35कखख/ 35 कग/40 क(3 क)/ 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80जक के अधीन मानी गई आय	21				
22	43 गक के अधीन मानी गई आय	22				
23	धारा 28 से 44घख के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23				
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसमें वेतन से आय, कमीशन, बोनस और उस फर्म से व्याज जिसमें निर्धारित भागीदार है)	24				
25	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्ट्राक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची णज का स्तंभ 3क + 4घ)	25				
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26	
27	धारा 32(1)(iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27				
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28				
29	धारा 35 या धारा 35गगग या धारा 35गगघ के अधीन कटौती की रकम से अधिक रकम जो लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई है (अनुसूची डघद की मद x(4) (यदि धारा 35 या धारा 35गगग या 35गगघ के अधीन कटौती की गई रकम लाभ और हानि खाते के नामे डाली गई रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	29				
30	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुनुज्ञेय रकम (भाग क -णज का 8ख)	30				
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग क -णज का 10ज)	31				
32	कटौती के रूप में अनुज्ञेय कोई अन्य रकम	32				

33	आईसीडीएस समायोजन के अनुसार लाभ में कमी या हानि में वृद्धि और स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति में विचलन (अनुसूची ण्ड का स्तंभ 3ख+ 4ड.)	33	
34	कुल (27+28+29+30+31+32+33)	34	
35	आय (13+26-34)	35	
36	निम्नलिखित के अधीन कारबार या वृत्ति के समझे जाने वाले लाभ या हानि -		
	i धारा 44कघ [अनुसूची का 62(ii)]	36i	
	ii धारा 44कघक [अनुसूची का 63(ii)]	36ii	
	iii धारा 44कड [अनुसूची का 64(ii)]	36iii	
	iv धारा 44ख	36iv	
	v धारा 44खख	36v	
	vi धारा 44खखक	36vi	
	vii धारा 44खखख	36vii	
	viii धारा 44घ	36viii	
	ix धारा 44घक	36ix	(प्रारूप 3गड की मद 4)
	x धारा 44घख	36x	
	xi आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख के सिवाय)	36xi	
	xii कुल (36i to 36xi)	36xii	
37	सट्टे और विनिर्दिष्ट कारबार के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (35+36xii)	37	
38	नियम 7क, 7ख या 8 यदि लागू हों तो, को लागू करने के पश्चात् सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न कारबार या व्यवसाय से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7 क, 7 ख या 8 लागू नहीं होते हैं तो 37 में कोई संख्या भरें) (यदि हानि है तो 2i की मद को ड में ले जाएं) (38क + 38ख + 38ग + 38घ + 38ङ + 38च)	क 38	
	क नियम 7 के अधीन प्रभार्य आय	38क	
	ख नियम 7क के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ख	
	ग नियम 7ख (1) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ग	
	घ नियम 7ख(1क) के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38घ	
	ङ नियम 8 के अधीन प्रभार्य समझी गई आय	38ङ	
	च नियम 7क, 7ख और 8 (मद सं. 37)के सिवाय आय	38च	
39.	वित्त अधिनियम के अनुसार आय के एकत्रीकरण के प्रयोजन के लिए नियम 7, 7क, 7ख(1), 7ख(1क) और नियम 8 को लागू करने के पश्चात् कृषि से हुई समझी गई आय का [4ग-(38क+38ख+38ग+38घ+38ङ.)]	39	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना		
	40 लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	40	
	41 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	41	
	42 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियाँ	42	
	43 सट्टेबाजी के कारबार से आय (40+41-42) (हानि की दशा में 6xi के अंक को अनुसूची गच ट में ले जाएं)	आ43	
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना धारा 35 कघ के अधीन		
	44 लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि	44	
	45 धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन	45	
	46 धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियाँ (धारा - (i) 35 कघ के अधीन कटौतियों से भिन्न, (ii) 32 या 35 जिनपर धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया है	46	
	47 विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (44+45-46)	47	
	48 धारा 35कघ के अनुसार कटौतियाँ (1)	48	
	49 विनिर्दिष्ट कारबार से आय (47-48) (हानि की दशा में 7xi के अंक को अनुसूची गचट में ले जाएं)	इ49	
	50 धारा 35कघ की उपधारा (5) का सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को समाविष्ट करता है (ड्रापडाउन मेन्यू से चयन किए जाएं)	इ50	
घ	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A37+B41+C47) D 'कारबार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क38+ ख43+ ग49)	घ	

ड	धारा 115 ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से होने वाली आय की गणना			ड	
	(i)	धारा 115 ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से निवल लाभ अथवा हानि			(i)
	(ii)	धारा 30 से धारा 43ख के अनुसार जोड़ना			(ii)
	(iii)	धारा 30 से धारा 43ख के अनुसार कटौती			(iii)
	(iv)	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से होने वाली आय			(iv)
च	चालू वर्ग की कारबार हानि को बट्टे खाते में डालने के अंतः शीर्ष				
क्र.सं.	कारबार आय की किस्म	चालू वर्ग की आय (इस स्तंभ को तभी भरे जब संख्या या शून्य या सकारात्मक हो)		बट्टे खाते में डाली गई कारबार हानि	बट्टे खाते में डालने के पश्चात कारबार आय
		(1)		(2)	(3) = (1) - (2)
i	बट्टे खाते में डाली जाने वाली हानि (इस व्यक्ति को केवल तभी भरे जब संख्या नकारात्मक हो)			(क 38)	
ii	सट्टेबाजी के कारबार से आय	(ख 43)			
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग 49)			
iv	धारा 115 ख के अंतर्गत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(ड 4)			
v	बट्टे खाते में डाली गई कुल हानि (ii + iii + iv)				
v	बट्टे खाते डालने के पश्चात् शे-1 हानि (i - v)				

अनुसूची - संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)

1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
		15	30	40	45
2	दर (%)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+ 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिपल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा(7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम (स्तंभ 15 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,				
17	कुल नियत मूल्यहास (15-16)				
18	उत्तराधिकार, समामेलन, निर्विलयन आदि (स्तंभ 17 में से) की स्थिति में अनुज्ञात आवृत्ताधिक कुल मूल्यहास				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 ढ़ 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियाँ	पोत
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
	13	आयकर अधिनियम (सूतंभ 12 में से) की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात मूल्यहास,							
	14	कुल नियत मूल्यहास (12-13)							
	15	उत्तराधिकार,समामेलन, निर्विलयन आदि (सूतंभ 14 में से) की स्थिति में अननुज्ञात आनुपातिक कुल मूल्यहास							
	16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
	17	धारा 50। के अधीन पूँजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
	18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 -12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी

आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी			1 डू
		क 15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i के अनुसार लागू)	1क		
		ख 30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii के अनुसार लागू)	1ख		
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii के अनुसार लागू)	1ग		
		घ 45% की दर से मूल्यहास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iv अथवा 18iv, जैसा लागू हो)	1घ		
	डू	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			
	2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			
		क 5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii के अनुसार लागू)	2क		
		ख 10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii के अनुसार लागू)	2ख		
		ग 40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv के अनुसार लागू)	2ग		

	घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)	2घ	
3		फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v के अनुसार लागू)	3	
4		अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi के अनुसार लागू)	4	
5		पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii के अनुसार लागू)	5	
6		कुल अवक्षयण (1ङ+2घ+3+4+5)	6	

अनुसूची - डीसीजी अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ

1	संयंत्र और मशीनरी			
	क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क	
	ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग	
	घ	45% की दर से मूल्यह्रास के लिए स्वत्वधिकारी ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम-20iv)	1घ	
	ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग+ 1घ)	1ङ	
2	भवन (जिसके अंतर्गत भूमि सम्मिलित नहीं है)			
	क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क	
	ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख	
	ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग	
	घ	योग (2क + 2ख + 2ग)		2घ
3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)			3
4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)			4
5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5
6	कुल अवक्षयण (1ङ+ 2घ + 3 + 4 + 5)			6

अनुसूची इएसआर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या 35 गगग या 35 गगघ के अधीन कटौती)			
क्र. सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति के व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	
i	35(1)(i)				
ii	35(1)(ii)				
iii	35(1)(ii क)				
iv	35(1)(iii)				
v	35(1)(iv)				
vi	35(2 कक)				
vii	35(2 वख)				
viii	35गगग				
ix	35i गगघ				
x	योग				
टिप्पण ►	यदि किसी मामले में धारा 35(1)(ii) or 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक), के अधीन कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची आरए (दक) के अनुसार ब्यायों का उल्लेख करें।				

अनुसूची-पूँजी अभिलाभ पूंजी अभिलाभ

अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	क	अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)				
	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से विवरण भरें)				
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य	का	
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य	कii	
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (कii) (का) का 1.05 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (कii) लें]	कiii	

	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii		
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय			ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv		
ग	तुलन कiii – ख iv)				1 ग			
घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दि-ट करें)				1 घ			
ड	स्थावर संपत्ति पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)					क 1 ड		
च	स्थावर संपत्ति के अंतरण के मामले में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें (टिप्पण देखें)							
	क्र.सं.	क्रेता(ओं) के नाम	क्रेता(ओं) का पैन/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता	राशि	संपत्ति का पता	पिन कोड	
	टिप्पण ►	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती की गई है तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें ।						
2	स्लम्य विक्री से							
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य			2 क	(प्ररूप 3 गडक का 5)		
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2 ख	(प्ररूप 3 गडक का 6(डू))		
	ग	स्लम्य की विक्री से अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (2 क- 2 खे)					क 2 ग	
3	इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारवार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii)(ख) के परंतुक (एफआईआई के लिए) के अधीन एसटीटी संदत किया गया है							
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3 क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ग iii		
		iv	योग(i + ii + iii)			ख iv		
	ग	शे-1 (3 क – ख iv)					3 ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)				3 घ		
	ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (एसटीटी संदत) (3 ड +3 घ)					क 3 ड	
4	अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं है किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभ/आय/बोनस युनिटों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)							
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत किया गया है					क 4	
	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत नहीं किया गया है					क 4	
5	अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)							
	क	i	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।					
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					
		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य					
		ग	पूंजीगत लाभ के प्रयोजन के लिए पूंजीगत अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)			ग		
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					
		iii	कुल (ग + ii)			क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii		
		iv	योग (i + ii + iii)			ख iv		
	ग	शे-1 (5 क iii – ख iv)					5 ग	
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अननुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)				5 घ		
	ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाम (एसटीटी संदत) (3 ड +3 घ)					क 5 ड	
6	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से							
	क	i	विक्रय की गई आस्तियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें ।					
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य					

		ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य									
		ग	पूँजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)					ग				
		ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य									
		iii	कुल (ग + ii)					क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ										
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख ii				
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय					ख iii				
		iv	योग (i + ii + iii)					ख iv				
	ग	शे-1 (6 क iii – ख iv)							6 ग			
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभांश/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)							6 घ			
	ङ	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)							6 ङ			
	च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती							6 च			
	छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ङ - 6 च)							क 6छ			
7	अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि											
	क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं (नोट: यदि किसी मामले में कोई राशि पूंजीगत अभिलाभ में प्रयोग में नहीं लाई जाती है तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. “ग” भरें।										
		क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि	नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि				
	i	2016-17	54घ/54छ/54छक									
	ख	धारा 54घ/54छ/54छक के अधीन 'क' से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi + ख)							क7				
8	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास, (अनुसूची पीटीआई भरें)(क8क+क8ख+क8ग)							क8				
	क	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,15%की दर से प्रभाय					अ8क					
	ख	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास,30%की दर से प्रभाय					अ8ख					
	ग	लघु अवधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास लागू दरों पर प्रभाय					अ8ग					
9	क 1 - क8 में अंतर्विष्ट एसटीजीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभाय नहीं है या विशेष दर पर प्रभाय है											
		क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. क1-क8 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एकट की धारा	आईटी एकट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
	क	डीटीए के अनुसार भारत में अप्रभाय कर की कुल राशि									क9 क	
	ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एसटीसीजी प्रभाय कर की कुल रकम									क9 ख	
10	कुल अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (क1 ङ+ क2 ग+ क3 ङ+ क4 क+ क4ख+ क5 ङ+ क6छ+ क7 + क 8 - क 9क)							क 10				
ख	दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)											
दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ		1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के व्यौरे पृथक् रूप से भरें)									
		क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य					का			
			ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य					काii			
			iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [किसी दशा में (काii) (का) का 1.05 गुणा से अधिक नहीं होता है तो (का) के रूप में इस अंक को लें या अन्यथा (काii) लें]					काiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियाँ										
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत					ख i				
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत					ख ii				
iii		पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय					ख iii					

		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
		ग	शेन (क iii - ख iv)	1 ग					
		घ	धारा 54 घ / 54 ङ / 54 छ / 54 ज के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)	1 घ					
		ङ	स्थावर संपत्ति पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)	ख 1 ङ					
		च	स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें (टिप्पण देखें)						
		क्र.सं.	क्रेता(ओ) के नाम	क्रेता(ओ) का स्थायी लेखा संख्या/ आधार संख्या	अंश प्रतिशतता		राशि	संपत्ति का पता	पिन कोड
		टिप्पण ▶	यदि धारा 194-झक के अधीन कर की कटौती हुई है, तो स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्याप्रस्तुत करना आज्ञापक है। एक से अधिक क्रेता की दशा में, कृपया संबंधित अंश प्रतिशतता और राशि उपदर्शित करें।						
		2	स्तम्प विक्री से						
				क	प्रतिफल का पूरा मूल्य		2क	(प्ररूप 3 गडक का 5)	
ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य			2 ख	(प्ररूप 3 गडक का 6(डू))				
ग	शेन (2 क - 2 ख)			2 ग					
घ	धारा 54ङक के अधीन कटौती			2 घ					
ङ	स्तम्प के विक्रय से दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)			ख 2 ङ					
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों के विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)								
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	3क					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv							
ग	बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (3 क - 3 ख iv)	ख 3 ग							
4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्र या धारा 112(1) लागू है, के विक्रय से								
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य	4क					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
		ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (4 क - 4 ख iv)	ख 4 ग					
		5	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से						
			उपर्युक्त ख5 पर पूंजी आस्तियों के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची 112 क के कॉलम 14)	ख5च					
		6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)						
	इंडेक्सेशन लाभ के बिना शेयर या डिबेंचर पर एलटीसीजी	ख6							
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1) (ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से								
		क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें।					
		क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i क					
			ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i ख				
			ग	पूँजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i ग				
		II	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii					
iii	कुल (i ग + ii)	क iii							
ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां								
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	ख i					
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	ख ii					
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय	ख iii					
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)	ख iv					
ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (7 क - 7 ख iv)	ख 7 ग							
8	किसी कंपनी में साधारण अंश या साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई या कारबार न्यास की इकाई जिस पर धारा 112क के अधीन एसटीटी संदत्त है के विक्रय से								
	उपर्युक्त ख8 में पूंजीगत परिसंपत्तियों की विक्री पर दीर्घाविधि पूंजीगत लाभ(115कघ(1)(ख)(iii) परंतुक के कॉलम 14))	ख8च							
9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं								

		क	I	विक्रय की गई प्रतिभूतियों जिसके अंतर्गत कोटिड शेयर से भिन्न कंपनी के शेयर भी हैं की दशा में निम्नलिखित व्यौर प्रविष्ट करें।								
				क	गैर कोटिड शेयरों की दशा में प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	i	क					
				ख	विहित रीति में अवधारित किए गए गैर कोटिड शेयर का उचित बाजार मूल्य	i	ख					
				ग	पूजीगत अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 25गक के अनुसार अंगीकृत गैर कोटिड शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क और ख से उच्चतर)	i	ग					
			ii	गैर कोटिड शेयरों से भिन्न प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			क ii					
			iii	कुल (iग + ii)			क iii					
		ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां									
			i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत			ख i					
			ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत			ख ii					
			iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय			ख iii					
			iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)			ख iv					
		ग	अतिशेष (क iii- खiv)						9 ग			
		घ	धारा 54घ/धारा 54ख /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में व्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						9 घ			
		ङ	उपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (9ग-घ)						ख 9 ङ			
10		दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि										
क		क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो व्यौरा उपलब्ध कराएं (नोट: यदि किसी मामले में कोई धनराशि पूंजीगत अभिलाभ के उपयोग में नहीं लाई जाती है तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. 'ग' भरें)										
		क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि					
		i	2016-17	54घ/54ख/54छक								
		ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि									
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (xi+ख)								ख10		
11		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में पास श्रू आय , (अनुसूची तनझ भरें) (आ11क + आ11ख)								B11		
		क1	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य					आ11क1				
		क2	धारा112क के अंतर्गत के अतिरिक्त धाराओं के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 10% की दर से प्रभार्य					आ11क2				
		ख	दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय/हानि के माध्यम से पास 20% की दर से प्रभार्य					आ11ख				
12		ख 1 से ख11 में अंतर्विष्ट एसटीसीटी की रकम लेकिन जो भारत में डीटीए के अनुसार कर से प्रभार्य नहीं है या विशेष दर पर प्रभार्य है										
		क्रम सं.	आय की रकम	उपरोक्त मद सं. ख 1 से ख11 जिसमें सम्मिलित किया गया है	देश कानाम और कोड	डीटीए का आर्टिकल	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं हो, शून्य प्रविष्ट करें)	क्या टीआरसी प्राप्त की गई है हां/नहीं	आई टी एक्ट की धारा	आइटी एक्ट के अनुसार दर	लागू दर(6 या 9 से कम)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		I										
		II										
		क	डीटीए के अधीन भारत में एलटीसीजी प्रभार्य नहीं कर की कुल राशि								ख12क	
		ख	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि								ख12ख	
13		कुल दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8 - ख 9घ + ख10 + ख11 - ख12क)								ख13		
ग		“पूंजी अशिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 9 + ख13) (/ यदि हानि हो तो ख13 को शून्य लें)								ग		
घ		पूंजीगत लाभ के विरुद्ध कम किए गए दावे के बारे में सूचना										
1		धारा 54घ / धारा 54ङग/धारा 54ख/धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखित व्यौरे दें।										
		क	54 घ के अधीन कम किया गया दावा									
		i	मूल आस्ति के अर्जन की तारीख				क i	दिन/मास/वर्ष				
		ii	नई भूमि या आब्योगिक उपक्रम के लिए नई भूमि या भवन के क्रय/सनिर्माण की लागत				क ii					
		iii	नई भूमि या भवन की खरीद की तारीख				क iii	दिन/मास/वर्ष				
		iv	नियत तारीख से पहले पूंजीगत लाभ लेखा स्कीम में निशेष की गई रकम				क iv					

ii	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड* + अ4क* + अ8क*)							
iii		30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*)							
v		डीटीएए दर	अ9ख*							
Vi	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	10%	आ4ग* + आ5* + आ7ग* + आ8* + आ11क1* + आ11क2*)							
Vii		20%	(आ1ग* + आ2ड* + आ3ग* + आ6* + आ9ड* + आ10 + आ11ख)							
Viii		डीटीएए दर	आ12ख							
Ix	कुल हानि मुजरा (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	मुजरा के पश्चात् शे-न हानि (i – ix)									

इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (अ1-अ8) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर पर प्रभार्य हैं, एसटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।						
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (आ1ड.* आदि) अपने अपने स्तंभ (आ1-आ11) में संगणित वे रकम हैं जैसा कि कर से अप्रभार्य या डीटीएए के अनुसार विशेष दर से प्रभार्य हैं, एलटीसीजी की रकम द्वारा घटाई गई है जो कि उसमें सम्मिलित है, यदि कोई है।						
च पूंजी अभिलाभ के उद्भूत/प्राप्ति के विनय में सूचना						
	पूंजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (iv)
1	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5v से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2	30% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3	लागू दर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4	डीटीएए दरों पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					
5	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5ix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7	डीटीएए दरों पर कराधेय दीर्घकालिक पूंजी लाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य प्रविष्ट करें, यदि कोई हो					

अनुसूची-112क		किसी कंपनी या इक्विटी ओरएंटेड निधि की इकाई या कारोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है।												
क्रम सं..	आईएसआईएन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री-मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य (कुल बिक्री मूल्य) (4*5)	इंडेक्सेशनके बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6-13) – आईटीआर-5 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5 (क)	
(कॉलम 1)	(कॉलम 2)	(कॉलम.3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
2					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
3					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
4					0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	
पंक्ति जोड़ें														
कुल					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

अनुसूची 115कघ(1)(ख)(iii)परंतुक		गैर-निवासियों के लिए किसी कंपनी या इक्विटी ओरिएंटेड निधि की इकाई या करोबार न्यास की इकाई जिसपर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी का भुगतान किया जाता है												
क्रम सं..	आईए सआई एन कोड	शेयर /इकाई का नाम	शेयर /इकाईयों की संख्या	प्रति शेयर/इकाई का बिक्री- मूल्य	प्रतिफल का पूरा मूल्य (कुल बिक्री मूल्य) (4*5)	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत (8या 9 से अधिक	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसंपत्ति का 01.02.2018 से पहले अधिग्रहणकिया गया था (6 और 11 से कम)	31 जनवरी ,2018 के प्रति शेयर/इकाई का उचित बाजार मूल्य	धारा 55(2)(कग)- (4*10) के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार	अंतरण के संबंध में पूर्ण रूप से किया गया व्यय	कुल कटौतियां (7+12)	शेष (6- 13) – आईटीआर -5 की एलटीसी जी अनुसूची की मद 8 (क)	
(कॉलम 1)	(कॉल म 2)	(कॉलम.3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)	
1					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
2					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
3					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
4					0.00	0.00		0.00				0.00	0.00	
पंक्ति जोड़े														
कुल					0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)	1	
क	लाभांश, सकल [(धारा 10(34) और धारा 10(35) के अंतर्गत छूट नहीं)]	1क	
ख	व्याज, सकल (खi + खii + खiii + खiv)	1ख	
	i वचत खाता से	खi	
	ii जमा से (बैंक/ डाकघर/सहकारी सोसाइटी)	खii	
	iii आय कर प्रतिदाय से	खiii	
	iv पास थ्रु आय की प्रकृति की आय/हानि में	खiv	
	v अन्य	खv	
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय	1ग	
घ	धारा 56(2) (म) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभार्य है	1घ	
	i प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का कुल मूल्य	घi	
	ii प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घii	
	iii अपर्याप्त प्रतिफल के बिना अचल संपत्ति प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घiii	
	iv प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में, संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घiv	
	v अपर्याप्त प्रतिफल के बिना किसी अन्य संपत्ति के प्राप्त होने के मामले में ऐसे प्रतिफल के आधिक्य में संपत्ति का ऋजु बाजार मूल्य	घv	
ङ	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	1ङ	
क्र.सं.	प्रकृति	राशि	
1			
2			
	आवश्यकतानुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है		
2	विशेष दरों पर प्रभार्य आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं.1 से संबंधित)	2	
क	धारा 115खख के अधीन लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय	2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभार्य आय (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi)	2ख	
	i धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खi	
	ii धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खii	
	iii धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खiii	
	iv धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खiv	
	v धारा 69घ के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खv	
	vi धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खvi	
ग	विशेष दर पर प्रभार्य कोई अन्य आय (गi से गxix का योग)	2 ग	
	i अनिवासी द्वारा प्राप्त लाभांश (धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभार्य कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं)	ग i	
	ii धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभार्य सरकार या विदेशी संस्था या विदेशी मुद्रा ऋणों से प्राप्त व्याज	ग ii	
	iii धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त व्याज	ग iii	
	iv धारा 115क(1)(क)(iv) के अधीन प्रभार्य धारा 194 ठ ग में निर्दिष्ट व्याज	ग iv	
	v धारा 115A(1)(क)(iiख) के अधीन प्रभार्य धारा 194ठ घ में निर्दिष्ट व्याज	ग v	
	vi धारा 194खक में निर्दिष्ट व्याज वाली वितरित आय-धारा 115(1)(क)(iiकग) के अधीन प्रभार्य	ग vi	
	vii विदेशी मुद्रा में खरीदी गई धारा 10(23ब) में विनिर्दिष्ट यू टी आई या अन्य पारस्परिक निधि की यूनिटों से आय-धारा 115क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य	ग vii	
	viii सरकार या संबंधित भारतीय से प्राप्त रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए प्राप्त शुल्क से आय - धारा 115क(1)(ख)(क) & 115क(1)(ख)(ख) के अंतर्गत प्रभार्य	ग viii	
	ix अनिवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए बंधपत्र या जीडीआर से लाभांश द्वारा आय-धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	ग ix	
	x निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से लाभांश द्वारा आय-धारा 115कग के अधीन प्रभार्य	ग x	

	xi	(115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) प्रतिभूतियों के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त (लाभांश से भिन्न आय)						ग xi				
	xii	धारा 115ठघ में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सरकारी प्रतिभूतियों पर एफआई आई दरों ब्याज द्वारा प्राप्त आय-धारा 115कघ(1)(i) के अनुसार प्रभार्य						ग xii				
	xiii	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ियों या खेल संगमों पर कर						ग xiii				
	xiv	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलों में गुप्त दान						ग xiv				
	xv	धारा 115खखगक के अधीन प्रभार्य-दस लाख रुपये से अधिक घरेलू कंपनी से निवासी विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा लाभापं द्वारा आय						ग xv				
	xvi	धारा 115खखच के अधीन प्रभार्य-भारत में विकसित और रजिस्ट्रीकृत पेटेंट से स्वामित्व द्वारा आय						ग xvi				
	xvii	धारा 115खखछ के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण द्वारा आय						ग xvii				
	xviii	धारा 115ड के अधीन प्रभार्य-अनिवासी भारतीय की निवेश आय						गxviii				
	xix	ऑफशोर निधि की इकाइयों के संबंध में आय 115कख(1)(क)						ग xix				
	घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय की प्रकृतिमें गुजरी हुई आय									2घ	
ङ	ऊपर 1 और 2 में सम्मिलित जो डीटीटीए के अनुसारभारत में विशेष दरों पर 2 च									2ङ		
	क्रम सं.	आय की रकम	जिसमें मद्दु सं० 1क और 1घ सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए का अनुच्छेद	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो कुछ नहीं प्रविष्ट कर)	क्याटी आरसी प्राप्त की गई है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्न)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
3	धारा 57 के अधीन कटौतियां (विशेषद दरों पर प्रभार्य दरों से)											
	क	व्यय/ कटौतियां						3क				
	ख	अवक्षयण (केवल तभी उपलब्ध यदि 1ग में आय दी जाती है)						3ख				
	ग	योग						3ग				
4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम										4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ										5	
6	अन्य स्रोतों से निवल आय 1(डीटीए अंश से संबंधित आय घटाने के बाद)-3+4+5 (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 4/में आंकड़े भरें)										6	
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (शून्य के रुप 6 दर्ज करें, यदत्रिणात्मक)										7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय											
	क	प्राप्तियां				8क						
	ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां				8ख						
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम				8ग						
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ				8घ						
	ङ	अतिशेन (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीएफएल के 11xv में आंकड़े भरें)								8ङ		
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (नकारात्मक की दशा में 8ङ को ले जाएं)										9	
10	अन्य स्रोतों से आय के प्रोदभवन/प्राप्ति के बारे में सूचना											
	क्र०सं०	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	फॉर्म 16/6 से 15/9 तक	फॉर्म 16/9 से 15/12 तक	फॉर्म 16/12 ये 15/3 तक	फॉर्म 16/3 से 31/3 तक					
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)					
	1	धारा 115खखघक के अधीन लाभांश										

2	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, फ्रांसवर्ड पहेली, दौड़ खेलों, जुआ, सट्टेबाजी से आय						

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्षों की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ष की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वर्ष की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वर्ष की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वर्ष के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष-1 दर पर कर से प्रभार्य रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शे-1 बची चालू वर्ष की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि संगणित आंकड़ा नकारात्मक है तो केवल यह पंक्ति भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी के मद एफ का 2vi)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची एचपी का क 38)				
iv	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची बीपी के मद एफ का 3iv)				
v	सट्टे से आय	(अनुसूची बीपी के मद एफ का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची बीपी के मद एफ का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभार्य अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डी.टी.ए.ए. के अनुसार भारत में विशेष दारों पर कराधेय दीर्घ कालीनप पूंजी अभिलाभ सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर अन्य स्रोतों से प्रभार्य कुल आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				

Xv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण के क्रियाकलाप से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8इ)				
xvi	डी.टी.ए.ए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेन हानि (i - xv)					

अनुसूची-वीएफएलए

पूर्व वर्गों की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के ब्यौरे

क्र.सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वर्ग की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, घाटा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक (रिवेट)	मुजरे के पश्चात् शेन बची चालू वर्ग की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	व्यवसाय (धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय को छोड़कर सट्टा आय और निर्दिष्ट व्यवसाय से आय)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय लघु कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय दीर्घ कालीन पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)			
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्त्रोतों से कुल आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)				
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)			
xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर कराधेय अन्य स्त्रोतों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)				
Xvi	मुजरा की गई अग्रणीत कुल हानि					
xvii	चालू वर्ग की मुजरे के पश्चात् शेन बची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii +5xiii+ 5xiv + 5xv)				

अनुसूची-सीएफएल

भावी के वर्गों के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	फाइल करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	गृह संपत्ति हानि			सट्टे के कारवार और विनिर्दिष्ट कारवार से भिन्न कारवार से हानि	सट्टे के कारवार से हानि	विनिर्दिष्ट कारवार से हानि	धारा 115ख जीवन बीमा व्यवसाय से हानि	अल्पकालिक पूंजी हानि			दीर्घकालिक पूंजी हानि			दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखरखाव से हानि
			सामान्य	पीटीआई	कुल (4ग=4क+4ख)					सामान्य	पीटीआई	कुल (9ग=9क+9ख)	सामान्य	पीटीआई	कुल (10ग=10क+10ख)	
1	2	3	4क	4ख	4=4क+4ख	5	6	7	8	9a	9b	9c	10a	10b	10c	11
I	2010-11							कांट-छांट योग्य								
ii	2011-12							कांट-छांट योग्य								
iii	2012-13															
iv	2013-14															
v	2014-15															
vi	2015-16															
vii	2016-17															
viii	2017-18															
ix	2018-19															
x	2019-20															
xi	पूर्ववर्ष की हानियों का योग ख/ च															
Xii	यूनिट धारक के बीच वितरित की गई हानि (केवल निवेश निधि के लिए लागू)															
xiii	पूर्व वर्ष के कुल उपलब्ध शेष राशि b / f (xi-xii)															
xiv	अनुसूची वीएफएल में उपरोक्त हानियों का समायोजन				(अनुसूची वीएफएल का 2i)	(अनुसूची वीएफएल का 2ii)	(अनुसूची वीएफएल का 2iv)	(अनुसूची वीएफएल का 2v)	(अनुसूची वीएफएल का 2iii)							(अनुसूची वीएफएल का 2xiv)

हानि का अग्रनयन

xv	2020-21 चालू वर्ष की हानियों को अग्रणीत करें			(अनुसूची सीवाईएलए का 2xviii)	(अनुसूची सीवाईएलए का 3xviii)	(अनुसूची बीएफ का 43, यदि -Vड)	(अनुसूची बीएफ का 49, यदि -Vड)	अनुसूची ड(iv) (यदि नकारात्मक हो)			(2x + 3x + 4x) अनुसूचीसीजी के मद ड)			(6x+7x) अनुसूची सीजी के मद ड))	(अनुसूची ओएस का 8इ यदि -Vड)
Xvi	भावी वर्षों को अग्रनयन की गई कुल हानि														
xvii	यूनिट-होल्डर के बीच वितरित चालू वर्ष में हानि (केवल निवेश निधि के लिए लागू)														

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण		धारा 35(4) के अधीन अनामेलित अवक्षयण और मोक					
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन मोक		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शे-1 रकम	अनामेलित अवक्षयन की अग्रणीत रकम	चालू वर्ष की आय के लिए मोक की रकम की मुजराई	अग्रिम वर्ष के लिए अग्रणीत शे-1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii							
iv							
v	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा.		लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव	
क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	लेखा नीति		
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के सतंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)		
III	संनिर्माण संविदाएं		
IV	राजस्व मान्यता		
V	मूर्त नियत आस्तियां		
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन		
VII	सरकारी अनुदान		
VIII	प्रतिभूतियां (145क के अधीन मूल्यांकन की पद्धति में परिवर्तन के प्रभाव से भिन्न, यदि उसे भाग क - ण झ के सतंभ 4घ या 4ड. पर पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।)		
IX	उधार लेने की लागत		
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था		
11 क.	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)		
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)		

अनुसूची-10कक		धारा 10कक के अधीन कटौती					
धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष-1 आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती						
	क्रम सं.	वचनबंध	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाईयों ने विनिर्माण/उत्पादन /सेवा प्रदान करना आरंभ किया है		क्रम सं.	रकम	
	क	वचनबंध सं0 1			क	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 1 के लिए	
	ख	वचनबंध सं0 2			ख	(प्ररूप 56च के उपाबंध क की मद 17 के वचनबंध 2 के लिए	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (क+ख)					ड
	नोट : (यदि धारा 10कक के अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है, तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं. ख भरें)						

अनुसूची 80छ

धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ग	अर्हता सीमा के अध्वधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	घ	अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार दान					
		आदाता का नाम और पता		आदाता का पैना	दान की रकम		दान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान
		i					
		ii					
		iii	कुल				
	ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)					

अनुसूची 80छछक

वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दानों के ब्यौरे

क्रम सं.	सुसंगत खण्ड जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है। (ड्रापडाउन दिया जाए)	दानकर्ता का नाम और पता	दानकर्ता का पैना	दान की रकम			दान को पात्र रकम
				नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i							
ii							
	कुल दान						

अनुसूची आर. ए

अनुसंधान संगमों को दानों के ब्यौरे (धारा35(1)(ii) या धारा 35(1)(ii)क) या 35(1)(iii) or 35(2कक) के अधीन कटौती)

दानकर्ता का नाम और पता		दानकर्ता का पैन	दान की रकम			दान की पात्र रकम
			नकद दान	अन्य ढंग से दान	कुल दान	
i						
ii						
iii	कुल					

अनुसूची-80-अक		धारा 80- ठक के अधीन कटौतियां			
क	धारा 80अक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	धारा 80-अक(4) (ii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (दूरसंचार सेवाएं)	ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	धारा 80-अक(4) (iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष-आर्थिक जोन)	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घ	धारा 80-अक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		घ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ङ	धारा 80-अक(4) (v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80अक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ङ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
च	धारा 80-अक के अधीन कुल कटौती (क1 + क2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2 + ङ1 + ङ2)				च

अनुसूची-80-अख		धारा 80-अख के अधीन कटौतियां			
क	जम्मू-कश्मीर या लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80अख(4))	क1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		क2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80अख(4))	ख1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80अख(5))	ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ग2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
घ	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80अख(7क))	घ1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))	
		घ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))	
ङ	कन्वेशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80अख(7ख))	ङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))	
		ङ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी का 10(v))	
च	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80अख(9))	च1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		च2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
छ	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(10))	छ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		छ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ज	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(11))	ज1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ज2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
झ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(11क))	झ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		झ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ञ	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(11क))	ञ1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
		ञ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)	
ट	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80अख(11ख))	ट1	बचनबंध सं0 1	(प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v))	
		ट2	बचनबंध सं02	(प्ररूप 10सीसीबी ग का 11(v))	
ठ	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8अख (11ग))	ठ1	बचनबंध सं0 1	(प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ))	
		ठ2	बचनबंध सं02	(प्ररूप 10सीसीबी घ का 11(घ))	
ड	धारा 80अख के अधीन कुल कटौती (क1 से ठ2 का योग)				ड

अनुसूची-80-अग या 80-अङ

धारा 80-अग या धारा 80अङ के अधीन कटौतियां

धारा 80-अग के अधीन कटौती	क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				क1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
						क2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				ख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
						ख2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती				ग1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
						ग1	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)
	घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती						
	घक	असम	घक1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)			
			घक2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)			
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)				
		घख2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)				
घग	मणिपुर	घग1	बचनबंध सं01	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)				

धारा 80-अग के अधीन कटौती

	घघ	मिजोरम	घग2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			घघ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			घघ2	बचनबंध सं02	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	घङ	मेघालय	घङ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			घङ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	घघ	नागालैंड	घघ1	बचनबंध सं0. 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			घघ2	बचनबंध सं0. 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	घछ	त्रिपुरा	घछ1	बचनबंध सं0 1	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
			घछ2	बचनबंध सं0 2	(बचनबंध के प्ररूप 10सीसीबी की मद 30)		
	घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घछ 2 का योग)					
ङ	धारा 80झग या धारा 80झङ के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)				ज		

अनुसूची 80त	धारा 80त के अधीन कटौतियां	आय	कटौती के लिए पात्र रकम
1	धारा 80त(2)(क)(i) इसके सदस्यों को बैंकिंग/क्रेडिट सुविधा		
2	धारा 80त(2)(क)(ii) कुटीर उद्योग		
3	धारा 80त(2)(क)(iii) इसके सदस्यों द्वारा उगाई गई कृषि उपज का विपणन		
4	धारा 80त(2)(क)(iv) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए कृषि के लिए आशयित कृषि उपकरण, बीजों, पशु धन, या अन्य वस्तुओं का क्रय		
5	धारा 80त(2)(क)(v) इसके सदस्यों की कृषि उपज की विद्युत की सहायता के बिना		
6	धारा 80त(2)(क)(vi) इसके सदस्यों के या श्रम का सामूहिक निपटान		
7	धारा 80त(2)(क)(vii) इसके सदस्यों को प्रदाय के प्रयोजन के लिए मछली पकड़नाय या संबंध क्रियाकलाप		
8	धारा 80त(2)(ख) केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन स्थापित सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी/सरकारी कंपनी/ निगम को दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगे संघीय सहकारी सोसाइटी को इसके सदस्यों द्वारा उत्पन्नया उगाए गए दूध, तेलबीज, फल या सब्जियां प्रदाय करने में लगी प्राथमिक सहकारी सोसाइटियां।		
9	धारा 80त(2)(ग)(i) धारा 80त(2क) या धारा 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी		
10	धारा 80त(2)(ग)(ii) धारा 80त(2क) या 80त(2ख) में विनिर्दिष्ट से भिन्न क्रियाकलापों में लगी अन्य सहकारी सोसाइटियां		
11	धारा 80त(2)(घ) अन्य सहकारी सोसाइटीयों में निवेश से ब्याज/लाभांश		
12	धारा 80त(2)(ङ) वाणिज्यिक के विपणन को सुकर बनाने के लिए भण्डारण/प्रसंस्करण हेतु गोदामों/भाण्डागारों को किराए पर देने से आय		
13	धारा 80त(2)(च) अन्य		
14	योग		

अनुसूची -6क	अध्याय 6क के अधीन कटौतियां		
कुल कटौतियां	1	भाग ख- कतिपय संदायों की बाबत कटौती	
		क्या आपने अध्याय VIक के भाग ख के अंतर्गत किसी कटौती का दावा करने के प्रयोजन हेतु 01.04.2020 से 30.06.2020 के मध्य कोई निवेश/जमा/भुगतान किया है ☐ हां ☐ नहीं(यदि हां, तो कृपाया अनुसूची डीआई के क्रम सं. "क" भरें)	[हां/ नहीं]
	क	80छ	
	ग	80छछग	
	भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग)		1
	2	भाग ग- कतिपय संदायों की बाबत कटौती	
	घ	80-झक	(अनुसूची 80- टक का च)
	च	80-झकग	
	ज	80-झखक	
	ज	80जक	
	ट	80टक(1)	प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9
	ण	80त	
	भाग ग के अधीन कुल कटौती (घ से ण तक का योग)		2
	3	अध्याय 6क के अधीन कुल कटौती (1 से 2 का योग)	
			3

अनुसूची- एएमटी	धारा 115जग के अधीन अनुकल्पिक निम्नतर संदेय कर की संगणना		
कुल कटौतियां	1	भाग-ख-कुल आय के मद 13 के अनुसार कुल आय	
	2	धारा 115ज(2) के अनुसार समायोजन	
	क	शीर्- "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क में सम्मिलित किसी धारा के अधीन दावा की गई कटौती	2क
	ख	धारा 10कक के अधीन दावा की गई कटौती	2ख
	ग	आस्तियों जिस पर ऐसी कटौती का दावा किया जाता है पर अवशाय राशिद्वारा यथा घटाया गया धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा	2ग

	घ	कुल समायोजन (2क + 2ख)	2घ	
3	धारा 115जग (1) के अधीन समायोजित कुल आय(1 + 2ग)			3
4	धारा 115जग (1) के अधीन संदेय कर, यथास्थिति (3) का 18.5 प्रतिशत या 9 प्रतिशत] (ए.ओ.पी, बी.ओ.पी, ए.जे.पी के मामले में यह लागू है यदि 3, बीस लाख से अधिक है)			4

अनुसूची एमटीसी		धारा 115जघ के अधीन जमा कर की संगणना			
1	निर्धारण वर् 2020-21 में धारा 115 जग के अधीन कर (भाग-ख-टीटीआई का1घ)			1	
2	निर्धारण वर् 2020-21 में अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर(भाग-ख-टीटीआई का 4)			2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध जमा राशि उपलब्ध है [(2-1 प्रविट करें) यदि 2 1 से अधिक है, अन्यथा शून्य प्रविट करें]			3	
4	उपलब्ध एमटी जमा राशि का उपयोग (चालू वर् के दौरान उपयोगित एमटी जमा राशि उपरोक्त तीन में वर्णित अधिकतम रकम के अधीन होगी और वह अग्रणीत एमटी जमा राशि से अधिक नहीं हो सकती				
क्र.सं.	निर्धारण वर् (अ)	एमटी प्रत्यय			अग्रणीत अतिशे-1 एमटी जमा (घ) = (ख3) -(ग)
	I	2013-14	सकल (ख1)	पूर्व वर्ों में मुजरा की गई (ख2)	अग्रणीत अतिशे-1 (ख3)=(ख1)-(ख2)
	ii	2014-15			
	iii	2015-16			
	iv	2016-17			
	v	2017-18			
	vi	2018-19			
	vii	2019-20			
	viii	चालू निर्धारण वर् (1-2 प्रविट करें, यदि 1> 2 या शून्य प्रविट करें)			
	ix	योग			
5	धारा 115जघ के अधीन जमा कर की रकम [(मद सं. 4ग के अनुसार]			5	
6	पश्चातवर्ती निर्धारण वर् में जमा राशि के लिए उपलब्ध एमटी दायित्व की रकम [मद सं. 4घ प्रविट करें]			6	

अनुसूची एसआई		विशे-1 दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)				
क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशे-1 दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii	
1	111क या धारा 115कघ(1)(iii)- परंतुक(शेयर/इक्विटी उन्मुख एमएफ पर एसटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vi)		
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)		
3	112 परंतुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)		
4	112(1)(c)(ii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)		
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दि-ट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)		
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का का भाग 5x)		
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)		
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)		
9	112क या धारा 115कघ(1)(ख)(iii)-परंतुक(शेयरों अथवा इकाइयों की विक्री पर एलटीसीजी जिनपर एसटीटी का भुगतान किया जाता है)	☐	10	(अनुसूची ग छ के ख 5 च और ख 8 च)		
10	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)		
11	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर एलटीसीजी प्रभाय है			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)		
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	(अनुसूची बीपी का भाग4ख)		
13	115 कग (यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 1 च ii)		
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहेली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)		
15	115 खखघक (10 लाख रुपये से अधिक घरेल कंपनी से लाभांश आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxv)		
16	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2ख)		
17	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)					
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)		
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvi)		
18	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)					
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 8ड)		
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvii)		
19	115क(1)(ख) (क) और 115क(1)(ख)(ख) (रॉयल्टी से एक गैर-निवासी की होने वाली आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2घviii)		
20	भारत में डीटीए के अनुसार विशेष दरों पर अन्य स्त्रोतों से आय प्रभाय है	☐		(अनुसूची ओएस के 2च का भाग)		
21	15% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	15	(अनुसूची ओएस के 2vi का भाग)		
22	30% @ की दर पर प्रभाय लघु अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	30	(अनुसूची ओएस के 5vii का भाग)		

23	10% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	10	(अनुसूची ओएस के 5x का भाग)	
24	धारा 112क के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की प्रकृति में आय के माध्यम से पास	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5ix)	
25	20% @ की दर पर प्रभार्य दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ की प्रकृति में गुजरी हुई आय	☐	20	(अनुसूची ओएस के 5xi का भाग)	
26	विशेष दये पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति की गुजरी हुई आय	☐		(अनुसूची ओ.एस का 2ड)	
			योग		

अनुसूची आई एफ भागीदारी फर्मों के बारे में जानकारी जिसमें आप भागीदार है

फर्म जिसमें भागीदार है	फर्मों की संख्या जिनमें आप भागीदार है						
	क्र.सं	फर्म का नाम	फर्म का पैन	क्या फर्म संपरीक्षक के लिए दायी है (हां/नहीं)	क्या फर्म को धारा 92ड लागू होती है (हां/ नहीं)	फर्म के लाभ में प्रतिशत हिस्सा	लाभ में हिस्से की रकम
							i
	1						
	2						
	3						
	4	योग					

अनुसूची छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के ब्यौरे (कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाने वाली या कर से प्रभार्य न की जाने वाली आय)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय						1	
	2	घरेलु कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अनधिक रकम)						2	
	3	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)				i		
		ii	कृषि पर उपगत व्यय				ii		
		iii	पूरव आठ कर-निरधारण वर्षों विनिर्दिष्ट कृषि हानि				iii		
		iv	वर्ष(i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि (यदि हानि है तो शून्य विनिर्दिष्ट करें)				3		
		v	वर्ष के लिए कुल कृषि आय 5 लाख से अधिक होने के मामले में निम्नलिखित ब्यौरे दें (प्रत्येक कृषि भूमि के लिए पृथक ब्यौरे भरें)						
		क	पिनकोड के साथ उस जिले का नाम जिसमें कृषि भूमि स्थित है।						
		ख	एकड़ में कृषि भूमिक का मापन						
		ग	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)						
		घ	क्या कृषि भूमि का स्वामित्व है या पट्टे पर है (ड्राप डाउन प्रदान करें)						
	4	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						4	
	5	डीडीएए के अनुसारकर से प्रभार्य नहीं आय							
		क्र.सं०	आय की रकम	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय की शीर्ष	क्या टीआईटी प्रदान की गई (हां/नहीं)	
		I							
		II							
		III	कर से प्रभार्य नहीं डीटीएए से कुल आय					5	
	6	कर से प्रभार्य नहीं गुजरी हुई आय (अनुसूची पीटीआई)						6	
	7	योग (1+2+3+4+5+6)						7	

अनुसूची पीटीआई धारा115 पक115 ,पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के ब्यौरे

क्र.सं०	क्रम	धारा	कारबार	कारबार न्यास	क्रम	आय का शीर्ष	मौजूदा वर्ष की	निवेश इकाई	निवल	ऐसी रकम

	115पक/115पख में शामिल निवेश इकाई	न्यास / विनिवेश निधि का नाम	/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या			आय	द्वारा वितरित मौजूदा वार्षिक हानि का अंश	आय/हानि 9=7-8	पर खोत पर कर कटौती ,यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क अल्पकालिक अवधि				
					का धारा 111क				
					कii अन्य				
					ख दीर्घकालिक अवधि				
					खा धारा 112क				
					खii धारा 112क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य खोत				
					क लाभान्श (धारा 115-ओ में संदर्भित)				
					ख अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क धारा 10(23चख) के अधीन				
					ख धारा के अधीन				
					ग धारा.....के अधीन				
2.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क अल्पकालिक अवधि				
					का धारा 111क				
					कii अन्य				
					ख दीर्घकालिक अवधि				
					खा धारा 112क				
					खii धारा 112क के अलावा अन्य				
				iii	अन्य खोत				
					क लाभान्श (धारा 115-ओ में संदर्भित)				
					ख अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क धारा 10(23चख) के अधीन				
					ख धारा के अधीन				
					ग धारा.....के अधीन				

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें ।

अनुसूची टीपीएसए		धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजन पर कर के व्यौरे	
धारा	1	प्राथमिक समायोजन की राशि जिस पर धारा 92गड (2क)) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग किया गया है और ऐसे अतिरिक्त धन को निर्धारित समय के भीतर वापस नहीं किया गया है	

2	क	अतिरिक्त आयकर 18% या उससे अधिक की दर पर देय होगा					
	ख	“क” पर 12% की दर से अधिभार					
	ग	(क+ख) पर स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर					
	घ	कुल देय अतिरिक्त कर (क+ख+ग)					
3	भुगतान किए गए कर						
4	निवल देय कर (2घ-3)						
5	धारा 92गड (2क) के अनुसार द्वितीयक समायोजनों पर कर को जमा करने की तारीख	तारीख 1	तारीख 2	तारीख 3	तारीख 4	तारीख 5	तारीख 6
		(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)	(दिन/माह/वर्ष)
6	बैंक और शाखा का नाम						
7	बीएसआर कोड						
8	चालान की क्रम संख्या						
9	जमा की गई राशि						

अनुसूची- एफएसआई				भारत से बाहर आय और कर राहत (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)					
क्र. सं	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र. सं	आय का स्रोत	भारत से बाहर आय (भाग ख तज्ञ में शामिल)	भारत से बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदत्त कर	भारत में उपलब्ध कर राहत (ङ) = (ग) या (घ) जो भी निम्नतर हो	यदि राहत धारा 90 या 90क के अधीन दावा की गई है तो डीटीएए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)
1			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारवार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
2			i	गृह संपत्ति					
			ii	कारवार या व्यवसाय					
			iii	पूंजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोत					
			योग						
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें							

अनुसूची-टीआर

भारत से बाहर संदत्त किए गए करों पर दावा की गई कर राहत के सारांश का ब्यौरा (केवल निवासी के मामले में उपलब्ध है)

भारत से बाहर संदत्त कर के लिए कर राहत	1	दावा की गई राहत के कर ब्यौरे				
		देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	भारत से बाहर संदत्त कुल कर (अनुसूची च घ झ की (ग) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	उपलब्ध कुल कर राहत (अनुसूची च घ झ की (ङ) का प्रत्येक देश की बाबत योग)	वह धारा जिसके अधीन राहत का दावा किया गया है (90, 90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
			योग			
		2	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीएए लागू है (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)			
	3	उस देश की बाबत उपलब्ध कुल कर राहत जहां डीटीएए लागू नहीं है (धारा 91) (1(घ) के योग का भाग)				3
	4	क्या भारत से बाहर किसी कर का संदाय किया गया है जिसपर भारत में कर राहत अनुज्ञात थी जिसका वर्ग के दौरान विदेशी कर प्राधिकारी ने प्रतिदाय/प्रत्यय किया है ? यदि हां तो उसके ब्यौरे दें				हां/नहीं
		क	प्रतिदाय किए गए कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात की गई है	
	टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें					

अनुसूची वि.आ.		भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा	
अ1	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय धारित विदेशी निक्षेप खाते के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है)		

[illegible]

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	आस्ति की प्रकृति	स्वामित्व-सीधे फायदाप्रद स्वामी / हिताधिकारी	अर्जन की तारीख	कुल विनिधान (लागत पर) (रु. में)	संपत्ति से प्रोदभूत आय	आय की प्रकृति	इस विवरणी में कराधेय और पेश किया गया व्याज		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
ड	सुसंगत लेखा अवधि के दौरान किसी भी समय खाता (खातों) जिसमें आप हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं के ब्यौरे (जिसके अंतर्गत फायदाग्राही हित भी है) और जो उपरोक्त क से घ में सम्मिलित नहीं किए गए हैं।										

क्र.सं.	संस्था का नाम जिसमें खाता रखा है	संस्था का पता	ज़िप कोड	खाताधारक का नाम	खाता संख्या	वर्ष के दौरान उच्चतम अतिशेष / विनिधान (रु. में)	क्या आपके पास प्रोदभूत आय कराधेय है	यदि (7) हां है तो खाते में प्रोदभूत राशि	यदि (7) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
									राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

च भारत से बाहर देश की विधि के अधीन बनाए गए न्यासों का ब्यौरे जिसमें आप न्यासी, हिताधिकारी या अवस्थापक हो।

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	न्यास का नाम और पता	न्यासियों के नाम और पते	अवस्थापक का नाम और पता	हिताधिकारियों के नाम और पते	जब से पद संभाला है उसकी तारीख	क्या आपके पास प्रोदभूत आय का कराधेय है	यदि (8) हां में है, तो न्यास से प्राप्त आय	यदि (8) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
										राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

छ भारत के बाहर किसी भी स्रोत से प्राप्त कोई अन्य आय का ब्यौरा जिसमें (i) उपरोक्त मद क से च और (ii) कारबार या वृत्ति शीर्ष के अधीन आय, में सम्मिलित नहीं की गई है

क्र.सं.	देश का नाम और कोड	ज़िप कोड	जिससे प्राप्त हुई है उस व्यक्ति का नाम और पता	प्राप्त आय	आय की प्रकृति	क्या आपके पास कराधेय है।	यदि (6) हां में है, तो इस विवरणी में पेश की गई आय		
							राशि	जहां अनुसूची पेश की गई है	अनुसूची की मद संख्या
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तिजिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आस्तिसे कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची जीएसटी जीएसटी के लिए रिपोर्ट की गई अवधि/कुल प्राप्ति के संबंध में जानकारी

क्र.सं.	जीएसटीआईएन सं०	फाइल जीएसटीव विवरणी के अनुसार बाहरी प्रदायों का वार्षिक मूल्य
(1)	(2)	(3)

टिप्पण ▶

कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् जानकारी दें।

अनुसूची डीआई

निवेश का ब्यौरा

क) अध्याय VI के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ निवेश / जमा / भुगतान

धारा	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती की पात्र राशि (अनुसूची VI के)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच किए गए निवेश / व्यय के फलस्वरूप कटौती

	के अनुसार- भाग ख- कतिपय भुगतानों के संबंध में कटौती)	(कॉलम नंबर 2 से बाहर)	
(1)	(2)	(3)	
80छ			
80छछक			
कुल			
ख) धारा 10कक के अंतर्गत कटौती की पात्र राशि			
अनुसूची 10कक के अनुसार अंडरटेकिंग	अनुसूची 10 कक के अनुसार कटौती की राशि	एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार जारी अनुमोदन के पत्र की तारीख	क्या धारा 10कक के अंतर्गत कटौती का दावा करने का क्या यह पहला वर्ष है और क्या 01.04.2020 से 30.06.6020 के बीच शर्तों का पालन किया गया है [हाँ/नहीं]
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडरटेकिंग 1			
अंडरटेकिंग 2			
अंडरटेकिंग 3			
कुल			
ग) धारा 54 ये 54छख के अंतर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ .भुगतान / अधिग्रहण / खरीद / निर्माण			
दीर्घावधि पूंजीगत लाभ			
धारा	पूंजीगत लाभ लेखा में से उपयोग की गई राशि (अनुसूची सीजी की क्रम सं. ख 10क के अनुसार)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच उपयोग की गई राशि	
(1)	(2)	(3)	
54घ्			
54छ			
54छक			
कुल			
लघु अवधि पूंजीगत लाभ			
धारा	पूंजीगत लाभ लेखा में से उपयोग की गई राशि (अनुसूची सीजी की क्रम सं. क7क के अनुसार)	01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच उपयोग की गई राशि	
(1)	(2)	(3)	
54घ			
54छ			
54छक			

कुल		

भाग - ख

भाग ख-कुल आय कुल आय की संगणना

1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृह संपत्ति का 4) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	1	
2	कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ		
i	सट्टेबाजी और विनिर्दिष्ट करबार के कारबार और विनिर्दिष्ट करबार से भिन्न कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची-बीपी का ए38) (यदि हानि है तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	2i	
ii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(ii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफएल में ये आंकड़े भरें)	2ii	
iii	सट्टा व्यवसाय से मुनाफा और लाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)) (यदि हानि हुई तो शून्य भरें और अनुसूची सीएफएल में ये आंकड़े भरें)	2iii	
iv	विशेष दर पर कर के लिए आय प्रभार्य (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3घ, 3ड और 3iv)	2iv	
vi	योग (2i+2ii+2iii+2iv) (शून्य प्रविष्ट करें यदि हानि है और इस अंक को अनुसूची सीवाईएलए की हानि की प्रविष्टि में ले जाएं)	2v	
3	पूँजी अभिलाभ		
क	अल्प कालिक		
i	15% की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)	का i	
ii	30 % की दर से प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iii)	का ii	
iii	लागू दर पर प्रभार्य अल्प कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)	का iii	
iv	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर लघु कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9v)	का iv	
v	कुल अल्प कालिक (का i + का ii + का iii + का iv) (यदि हानि हो तो कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	3क v	
ख	दीर्घ कालिक		
i	10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)	ख i	
ii	20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक (अनुसूची सीजी की मद ड का 9vii)	ख ii	
iii	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड का 9viii)	ख iii	
iv	कुल दीर्घ कालिक (ख i + ख ii + ख iii) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	ख iv	
ग	कुल पूँजी अभिलाभ (3 क v + 3 ख iv) (यदि हानि हो तो शून्य भरें)	3क	
4	अन्य स्रोतों से आय		
क	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य अन्य स्रोतों से कुल आय (अनुसूची ओएस 6) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 क	
ख	विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची ओएस का 2 भरें)	4 ख	
ग	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुसंधान क्रियाकलाप से आय (अनुसूची ओएस का 8ड) (यदि हानि हो तो, कुछ नहीं प्रविष्ट करें)	4 ग	
घ	योग (4 क + 4 ख + 4 ग)	4 घ	
5	मदवार आय का योग (1 + 2v + 3 ग + 4 घ)	5	
6	5 के सामने मुजरा किए जाने वाली चालू वर्ग की हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2xvii, 3xvii और 4xvii का योग)	6	
7	चालू वर्ष की हानियों के शुरू होने के बाद शेष (5 – 6) (अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (ii), (iii), (v) से (xv) का योग + 4ख + 2iv)	7	
8	7 के संबंध में मुजरा किए जाने के लिए अग्रणीत की गई (अनुसूची बीएफएलए के 2xvi, 3xvi और 4xvi का योग)	8	
9	सकल कुल आय (7 – 8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं. (i), (ii), (iv) से (xiv) का योग + 4ख + 2iv)	9	
10	9 में सम्मिलित धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन विशेष दर पर कर से प्रभार्य आय	10	
11	अध्याय 6क के अधीन कटौतियाँ		
क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची 6क का (1) और (9-10) तक सीमित]	11क	
ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची 6क का (2) और (9-10-2iii) तक सीमित]	11ख	
ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित]	11ग	
12	कुल आय का हिस्सा नहीं बनने वाली आय (12a + 12b + 12c)	12	
क	धारा 10कक के अधीन कटौती (अनुसूची 10कक का कुल)	12क	
ख	धारा 10(23चख) या 10(23चखक) में निर्दिष्ट निवेश विधि की आय	12ख	
ग	धारा 10(23चख) या 10(23चखक) में कारबार-ब्याज विधि की आय	12ग	
13	कुल आय (9- 11ग -12)	13	
14	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची एसआई के i का योग)	14	
15	रेंट प्रयोजन के लिए शुद्ध कृषि आय/कोई अन्य आय (अनुसूची ईआई का 3)	15	
16	कुल आय (13 – 14 + 15) (यदि (13-14) प्रभार्य कर की प्रभार्य न की गई रकम से अधिक है तो लागू होगा)	16	
17	अग्रणीत की जाने वाली चालू वर्ग की हानियाँ (अनुसूची सीएफएल के xv का योग)	17	
18	धारा 115अग के अधीन समझी गई कुल आय	18	

कर दायित्व की संरचना	1	क	धारा 115जग के अधीन समझी गई कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एएमटी का 4)			1क			
		ख	पूर्वोक्त (क)पर अधिभार (यदि लागू है)			1ख			
		ग	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 1क+1ख पर			1ग			
		घ	माननी गई आय (1 क+1 ख+1 ग) पर कुल संदेय कर			1घ			
	2	कुल आय पर संदेय कर							
		क	भाग ख-टीआई के 16 के सामान्य दरों पर कर	2क					
		ख	विशेषा दरों पर कर (अनुसूची-एसआई का ii का कुल योग)	2ख					
		ग	कुनि आय पर छूट /भाग ख-नझ का 13-14 कर से प्रभार्य अधिकतम रकम से ज्यादा नहीं होगा, तभी लागू होगा	2ग					
		घ	कुल आय पर संदेय कर (2क+2ख-2ग)	2घ					
		ड	उपकर		2ड				
		i	अनुसूची एस आई के 12(ii) का 25%	2ड i					
			ii	अनुसूची एसआई की 1 (ii) + 2 (ii), 7 (ii), 9 (ii), 21 (ii), 24 (ii) के अनुसार 10% या 15% की दर पर	2ड ii				
			iii	अनुसूची एसआई [(2घ) – [(12(ii)+ 1(ii)+ 2(ii), 7(ii), 9(ii), 21(ii), 24(ii)]पर	2ड iii				
		iii	कुल (i + ii + iii)		2ड iii				
		च	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर ऊपर 2घ+2डiii		2च				
छ	कुल आय पर संदेय कर (2घ +2ड iv+ 2च)		2छ						
3	सकल संदेय कर (2छ या 1घ से उच्चतर)					3			
4	पूर्व वर्षों में संदत्त कर का धारा 115जग के अधीन जमा (यदि 2छ 1ग से अधिक है) (अनुसूची एएमटीसी का 5)					4			
5	धारा 115 जग के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर (3 - 4)					5			
6	कर राहत								
	क	धारा 90/90क (अनुसूची नद का 2)	6क						
	ख	धारा 91 (अनुसूची नद का 3)	6ख						
	ग	योग (6क + 6ख)		6ग					
	7	शुद्ध कर दायित्व (5-6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य दर्ज करें)					7		
	8	ब्याज और देय फीस							
		क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क					
		ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख					
		ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग					
		घ	आय की विवरणी प्रस्तुत करने में त्रुटि के लिए फीस (धारा 234च)	8घ					
		ड	कुल ब्याज और देय फीस (8क+ 8ख+ 8ग +8घ)		8 ड				
9	कुल दायित्व (7 + 8 ड)					9			
संदत्त कर और बैंक के ब्यौर	10	संदत्त कर							
		क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)	10क					
		ख	स्रोत पर काटा गया कर (15ख के स्तंभ 9 का योग)	10ख					
		ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)	10ग					
		घ	स्वतः निर्धारण कर (15क के स्तंभ 5 से)	10घ					
		ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग+10घ)		10ड				
	11	संदेय रकम (यदि 9, 10 ड से अधिक है तो प्रविष्ट करें, अन्यथा 0 प्रविष्ट करें)					11		
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड, 9से अधिक है) प्रतिदाय यदि कोई हो तो, का सीधे बैंक खाते में प्रत्यय किया जाएगा					12		
	बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना बैंक खाते के रिफंड का दावा करने वाले गैर-निवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)					हां या नहीं का चयन करें	
		क) पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)							
क्रम सं.		बैंक खाता भारत में धारण किए जाने की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .	खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं (एक खाता पर निशान लगाएं)				
i									
	ii								
	नोट:								
	1)रिफंड क्रेडिट के लिए सभी बैंक खातों के संबंध में बताया जाना चाहिए, निष्क्रिय खातों को छोड़कर.								
	2) रिफंड क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए								
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं								
	ख) गैर-निवासी, जो भारत में आयकर रिफंड और बैंक खाता नहीं होने का दावा कर रहे हैं, अपने विकल्प के तौर पर, एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत कर सकते हैं:								
	क्रम सं..	स्विफ्ट कोड	बैंक का नाम	स्थान का देश	आईबीएन				
	आवश्यकतानुसार पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं								
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित भी है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं। (ii) भारत के बाहर स्थित किसी खाते में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)					☐ हां ☐ नहीं		

15 अनुसूची-आयकर																												
क	आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे																											
कर संदाय	क्रम सं.	बीएसआर कोड							निक्षेप की तारीख (तिथि/मास/वर्ग)							चालान का क्रम सं.					रकम (रु.)							
	i																											
	ii																											
	iii																											

खोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख/16ग के अनुसार]													
क्र.सं०	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस क्रेडिट (धारा 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार संख्या (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का पैन/किराएदार/क्रेता का पैन/ आधार संख्या	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टीडीएस कटौती)		इस वर्ष दावा किया जा रहा टीडीएस क्रेडिट (केवल तभी जब तत्स्थानी आय कर के लिए आमंत्रित की गई है)			प्राप्त रसीद के अनुरूप		अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कटौती(यदि लागू हो)	स्वयंके हाथों में दावा की गई	नियम 37खक (2) के अनुसार या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया(यदि लागू हो)		कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार संख्या	
i													

टिप्पण भाग ख 16ननइ के 10ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें

ग ख्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]								
आय के ख्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	दावा नहीं किया गया अग्रणीत ख्रोत पर कटौती किया गया कर ख/ च		चालू वित्त वर्ष के टी.सी.एस. (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कर संग्रहण)	इस वर्ष (5) या (6) की राशि का दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए इसी रसीद की पेशकश की जा रही है))	(6) या (7) में से अग्रणीत रकम
				वित्तीय वर्ग जिसमें संग्रह किया गया	रकम ख/ च			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
टिप्पण कृपया भाग ग – टाटाआई क 10ख म स्तंभ (7) का योग प्रावष्ट कर ।								

सत्यापन

मैं _____ (बड़े अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना और अनुसूचियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसरण में सही और पूर्ण हैं ।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि मैं यह विवरणी (ड्राप डाउन प्रदान करें) की क्षमता में प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को भरने और सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ । मैं एक स्थाई खाता संख्या धारक हूँ (यदि आवंटित हों) (कृपया अनुदेश देखें)

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां धारा 92घ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें→

प्रारूप	आकवि -6	भारतीय आयकर विवरणी	निर्धारण वर्ग					
		2 0 2 0 - 2 1						
		[धारा 11 के अधीन छूट का दावा करने वाली कम्पनियों से भिन्न कम्पनियों के लिए] [आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखें] (कृपया अनुदेश देखें)						

भाग क-साधारण	साधारण			
व्यक्तिगत सूचना	नाम	स्थायी लेखा सं०		
	क्या कंपनी के नाम में कोई परिवर्तन है ? यदि हां, तो कृपया पुराना नाम दें	कारपोरेट पहचान संख्या (का.प.स.) एम.सी.ए. द्वारा जारी		
	फ्लैट/द्वार/ब्लॉक सं०	परिसर/भवन/ग्राम का नाम	निगमन की तारीख (दिन/मास/वर्ग)	कारबार के प्रारंभ की तारीख (दिन/मास/वर्ग)
	सड़क /मार्ग/डाक घर	क्षेत्र/अवस्थान	कंपनी का प्रकार (निशान लगाएं) ☒	
	कस्बा/शहर/जिला	राज्य	पिन कोड / ज़िप कोड	यदि पब्लिक कंपनी है तो 6, लिखें, और यदि प्राइवेट कंपनी हैं तो 7 लिखें (कंपनी अधिनियम की धारा 3 में यथापरिभाषित)
		देश		
	कार्यालय की दूरभा-1 संख्या एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं०-1	मोबाइल नं०-2	ई मेल पता-1	
	ई मेल पता-2			
	क	धारा के अधीन फाइल की गई (सही का निशान लगाएं) [कृपया अनुदेश देखें]	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- विलंबित, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित, ☐ 92गघ-उपांतरित विवरण, ☐ 119(2)(ख)- विलम्ब की माफी के पश्चात्	
	ख	या धारा के अधीन सूचना के उत्तर में फाइल की गयी है	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क, ☐ 153ग	
ग	यदि पुनरीक्षित/वृत्तिपूर्ण/उपांतरित है तो मूल विवरणी फाइल करने की प्रामि संख्या और तारीख प्रविष्ट करें (दिन/मास/वर्ष)	/ /		
घ	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई हो तो कृपया यूनिक संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या तथा ऐसे नोटिस/आदेश की तारीख भरें, अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई हो तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	/ /		
ङ	आवासीय प्रास्थिति (निशान लगाएं) ☒ निवासी ☐ अनिवासी			
च	क्या निर्धारिती ने धारा 115खक/115खकक/115 खकख के अंतर्गत कराधान के लिए विकल्प चुना है ? (ई फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है) (घरेलू कंपनी पर लागू)			
छ	क्या पिछले वर्ष 2017-18 में कुल व्यापारवर्त /सकल प्राप्तियां 400 करोड़ रुपये से अधिक है? (हाँ / नहीं) (घरेलू कंपनी के लिए लागू होना)			
ज	क्या निर्धारिती देश का या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र जिसके साथ भारत ने धारा 90(1) में निर्दिष्ट करार किया है या केन्द्रीय सरकार ने 90क(1) के अधीन कोई करार किया है का निवासी है ?			
झ	अनिवासी की दशा में, क्या भारत में स्थायी स्थापन है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं			
ञ	क्या निर्धारिती से कम्पनियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण चाहना अपेक्षित है ?			
ट	क्या कम्पनियों के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम) 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के तैयार किए गए हैं (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं			
ठ	क्या निर्धारिती किसी अंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित है और अपनी आय एकमात्र संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है ? (सही का निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं			
ड	क्या निर्धारिती कम्पनी समापन के अधीन है (सही का निशान) ☒ हां ☐ नहीं			
ड	क्या एफआईआई/एफपीआई है? हां/नहीं यदि हां, कृपया सेबी रजिस्ट्रीकरण सं० बताएं			
ढ	क्या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में यथापरिभाषित उत्पादक कंपनी है ? ☐ हां ☐ नहीं			
ण	क्या निर्धारिती के प्रतिनिधि द्वारा यह विवरणी फाइल की जा रही है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं			
	(1)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का नाम		
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रॉप डाउन का उल्लेख करें)		
	(3)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का पता		
	(4)	निर्धारिती के प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार संख्या		

त	क्या आप डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्ट अप के रूप में मान्यताप्राप्त हैं	☐ हां	☐ नहीं
1	यदि हां, तो कृपया डीपीआईआईटी द्वारा आवंटित स्टार्ट अप मान्यता सं. का उल्लेख करें		
2	क्या अन्तर मंत्रालयीय प्रमाणन बोर्ड से प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है	☐ हां	☐ नहीं
3	यदि हां, तो प्रमाणन संख्या का उल्लेख करें		
4	क्या डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा 5 के अनुसार प्ररूप-2 में घोषणा विवरणी के फाइल किए जाने से पूर्व फाइल की गई है ?	☐ हां	☐ नहीं
5	यदि हां, तो प्ररूप-2 फाइल करने की तारीख का उल्लेख करें		

(क1)	क्या आप धारा 44कख के अनुसार लेखा रखने के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
(क2)	क्या निर्धारिती धारा 44कड./44ख/44खख/44खखख के अंतर्गत ही आय की घोषणा कर रहा है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
(क2i)	यदि नहीं, क्या वर्ष के दौरान व्यवसाय की कुल ब्रिकी/कारोबार/सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपये से अधिक हैं परंतु पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं। (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
(क2ii)	यदि (क2i) क्या पूर्व वर्ष के दौरान ब्रिकी, कारोबार अथवा सकल प्राप्तियों अथवा पूंजीगत योगदान ऋण इत्यादि जैसे पूंजीगत खातों पर प्राप्त की गई राशि सहित प्राप्त की गई सभी राशियों का समुच्चय नकद में उक्त राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है। (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
(क2iii)	यदि (क2i) हां है तो क्या पूर्व वर्ष के दौरान व्यय के लिए उपगत राशि अथवा परिसंपत्ति अधिग्रहण, ऋण का पुनर्भुगतान आदि जैसे पूंजीगत खाते पर राशि सहित किए गए सभी भुगतानों का समुच्चय उक्त भुगतान के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
(ख)	क्या आप धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
(ग)	यदि (ख) है, तो क्या लेखाओं की लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है ? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं														
	(1)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने की तारीख का उल्लेख (दिन/मास/वर्ष)													
	(2)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले लेखा परीक्षक का नाम													
	(3)	लेखा परीक्षक की सदस्यता संख्या													
	(4)	लेखा परीक्षक का तम (संपत्तिक/ फर्म)													
	(5)	स्वत्वाधिकार/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं०													
	(6)	लेखा परीक्षक (संपत्तिक/ फर्म) का स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) / आधार सं.													
	(7)	लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख													
(घi)	क्या आप धारा 92ड के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी है ? ☐ हां ☐ नहीं										संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख (दिनांसा/वर्ष)				
(घii)	यदि आयकर अधिनियम के अधीन अन्य संपरीक्षा प्रतिवेदन देने के लिए दायी है, संपरीक्षा प्रतिवेदन देने की तारीख का अभिकथन करें ? (दिन/मास/वर्ष) [कृपया अनुदेश 5(ii)देखें]														
	क्र. सं.					अनुभाग कोड					तारीख (दिन/मास/वर्ष)				

	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/मास)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/मास)
(क)	कंपनी का स्वरूप (यदि नियंत्री कंपनी है तो 1 चयन करें, यदि समनुंगी कंपनी है तो 2 चयन करें), यदि दोनों हैं तो 3 चयन करें, यदि कोई अन्य है तो 4 चयन करें			
(ख)	यदि समनुंगी कंपनी है तो, का उल्लेख करें			
	पैन	धारक कंपनी का नाम	धारक कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत
(ग)	यदि धारक कंपनी है तो समनुंगी कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समनुंगी कंपनी का नाम	समनुंगी कंपनी का पता	धारित शेयरों का प्रतिशत
(क)	समामेलक कंपनी की दशा में, सामामेलित कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समामेलक कंपनी का नाम	समामेलक कंपनी का पता	समामेलन की तारीख
(ख)	समामेलित कंपनी की दशा में, सामामेलक कंपनी का उल्लेख करें			
	पैन	समामेलित कंपनी का नाम	समामेलित कंपनी का पता	समामेलन की तारीख
(ग)	अवीलीन कंपनी की दशा में, परिणामिक कंपनी के ब्यौरे दें			
	पैन	परिणामिक कंपनी का नाम	परिणामिक कंपनी का पता	निर्विलियन की तारीख
(घ)	परिणामिक कंपनी की दशा में, अवीलीन कंपनी के ब्यौरे दें			

	पैन	अवीलीन कंपनी का नाम		अवीलीन कंपनी का पता		निर्विलियन की तारीख
प्रमुख व्यक्ति	उन प्रबंध निदेशक, निदेशक, सचिव तथा प्रधान अधिकारियों के ब्यौरे जो पूर्व वर्ष के दौरान कार्यालय में रहे हैं और पात्र व्यक्तियों के ब्यौरे जो विवरणी को सत्यापित कर रहे हैं					
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	आवास का पता	स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं.	निदेशक की दशा में, एमसीए द्वारा जारी निदेशक पहचान संख्यांक (नि.प.सं)
शेयरधारक की	उन व्यक्तियों की विशी-टियां, जो पूर्व वर् में किसी समय दस प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति शेयर धारण के फायदाप्रद स्वामी थे ।					
	क्रम सं०	नाम और पता		धारित शेयरों का प्रतिशत		स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित है)
स्वामित्व संबंधी जानकारी	असूचीबद्ध कंपनी के मामले में, प्राकृतिक व्यक्तियों की विशिष्टियां जिन्हें पूर्व वर्ष किसी भी समय मत शक्ति के 10% से अन्यून शेयर धारकों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असीमित हितधारी स्वामी थे ।					
	क्रम सं०	नाम	पता	धारित शेयरों का प्रतिशत		स्थायी लेखा संख्यांक/आधार सं.(यदि आबंटित किया गया है)
	विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया अव्यवहित मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।					
	क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या
विदेशी कंपनी की दशा में, कृपया क्रमांतिम कंपनी मूल कंपनी के ब्यौरे प्रस्तुत करें ।						
क्रम सं०	नाम	पता	निवास का देश	स्थायी लेखा संख्यांक (यदि आबंटित किया गया है)	निवास के देश में आबंटित कररदाता की रजिस्ट्रीकरण संख्या या कोई विशिष्ट पहचान संख्या	
कंपनी का स्वरूप	कंपनी का स्वरूप					(निशान लगाएं) ☒
	1	क्या आप आयकर अधिनियम की धारा 2(36क)में यथा परिभाषित पब्लिक सेक्टर कंपनी है				☐ हां ☐ नहीं
	2	क्या आप भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्वाधीन वाली कंपनी है				☐ हां ☐ नहीं
	3	क्या आप ऐसी कंपनी हैं, जिसमें चालीस प्रतिशत से अन्यून शेयर सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या उस बैंक के स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा (एकमात्र रूप से या साथ मिलकर) धारित किए हुए हैं ।				☐ हां ☐ नहीं
	4	क्या आप बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी है				☐ हां ☐ नहीं
	5	क्या आप अनुसूचित बैंक हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक है				☐ हां ☐ नहीं
	6	क्या आप बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कंपनी है (बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित)				☐ हां ☐ नहीं
	7	क्या आप गैर बैंककारी वित्तीय संस्थान की कंपनी है				☐ हां ☐ नहीं
	8	क्या कंपनी सूचीबद्ध है ? यदि हां, कृपया अनुसूची-धृज-1 और अनुसूची-कठ-1 को भरना सुनिश्चित करें				☐ हां ☐ नहीं
	कारबार या वृत्ति की प्रकृति यदि एक से अधिक कारबार या वृत्ति हैं तो तीन मुख्य कृत्य/उत्पाद उपदर्शित करें (उनसे भिन्न, जो धारा 44कड के अधीन आय की घोषणा करते हैं)					
क्र.सं.	कोड		वर्णन			
	[कृपया अनुदेश संख्या 7 (ii) देखें]					
(i)						
(ii)						
(iii)						

भाग क-तुलन पत्र		31 मार्च, 2020 को या समामेलन की तारीख को तुलन पत्र	
साधारण पूंजी और	I	साधारण पूंजी और दायित्व	
	1	शेयर धारक की निधि	
		क शेयर पूंजी	
		i	प्राधिकृत

	ii		पुरोधृत, अभिदत्त और पूर्णतः संदत्त		कii					
	iii		अभिदत्त, किन्तु पूर्णतः संदत्त नहीं		कiii					
	iv		कुल(कii + कiii)				कiv			
ख	आरक्षिति और अधिशे-न									
	i	पूंजी आरक्षिति			खi					
	ii	पूंजी मोचन आरक्षिति			खii					
	iii	प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिति			खiii					
	iv	डिबेन्चर मोचन आरक्षिति			खiv					
	v	पुर्नमूल्यांकन आरक्षिति			खv					
	vi	शेयर विकल्प बकाया रकमे			खvi					
	vii	अन्य आरक्षिति (स्वरूप और रकम विनिर्दि-ट करें)								
		क			viiक					
		ख			viiख					
		ग	कुल (viiक+viiख)		खvii					
	viii	अधिशे-न अर्थात् लाभ और हानि लेखा के लेखे में अतिशे-न (नामें पक्ष का अतिशे-न ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)			खviii					
	ix	कुल (खi + खii + खiii + खiv + खv + खvi + खvii + खviii) (नामें पक्ष का अतिशे-न यथा ऋणात्मक रकम में दर्शित किया जाए)			खix					
	ग	शेयर अधिपत्रों से प्राप्त रकम			1 ग					
	घ	शेयर धारक की कुल निधि (कiv + खix+1 ग)			1घ					
2	शेयर आवेदन की रकम, जिसका आबंटन लंबित है									
	i	एक वर्-न से कम से लंबित है			i					
	ii	एक वर्-न से अधिक से लंबित है			ii					
	iii	कुल (i+ii)			2					
3	स्थगित दायित्व									
क	दीर्घकालिक उधार									
		i	बंधपत्र/डिबेंचर							
			क	विदेशी मुद्रा		i क				
			ख	रुपया		i ख				
		ग	कुल (i क +ii ख)				i ग			
	ii	आवधिक ऋण								
			क	विदेशी मुद्रा		iiक				
			ख	ऋण रूप में						
			1	बैंकों से		ख1				
			2	अन्य से		ख2				
			3	कुल (ख1+ख2)		ख3				
		ग	कुल आवधिक ऋण (iiक+ख3)				iiग			
	iii	आस्थगित भुगतान का दायित्व				iii				
	iv	संबंधित पक्षकारों से निक्षेप (अनुदेशों को देखें)				iv				
	v	अन्य निक्षेप				v				
	vi	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)				vi				
	vii	अन्य ऋण और अग्रिम				vii				
	viii	दीर्घकालिक वित्तपो-ण पट्टा अनुबंध पत्र की परिपक्वता				viii				
	ix	कुल दीर्घकालिक (iग+iiग+iii+iv+v+vi+vii+viii)				3क				
	ख	आस्थगित कर दायित्व (कुल)				3ख				
	ग	अन्य दीर्घकालिक दायित्व								
		i	व्यापार संदेय		i					
ii		अन्य		ii						
iii		कुल अन्य दीर्घकालिक दायित्व (i+ii)				3ग				
घ	दीर्घकालिक विनिधान									
	i	कर्मचारियों के फायदे के लिए विनिधान			i					

		ii	अन्य		ii				
		iii	कुल (i+ii)				3घ		
	ड	कुल स्थगित दायित्व (3क+3ख+3ग +3घ)					3ड		
4	चालू दायित्व								
	क	अल्पकालिक उधार							
	i	मांग पर प्रतिसंदेय ऋण							
		क	बैंकों से			i	क		
			गैर-बैंककारी कंपनियों से			i	ख		
			अन्य वित्तीय संस्थाओं से			i	ग		
			अन्य से			i	घ		
			कुल प्रतिसंदेय ऋण, मांगे जाने पर (iक+iख+iग+iघ)						iड
	ii	संबंधित पक्षकारों से प्राप्त निक्षेप (अनुदेशों को देखें)						ii	
	iii	संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (अनुदेशों को देखें)						iii	
	iv	अन्य ऋण और अग्रिम						iv	
	v	अन्य निक्षेप						v	
	vi	कुल अल्पकालिक उधार (iड+ii+iii+iv+v)						4क	
	ख	व्यवसाय संदेय							
		i	एक वर्ग से अधिक के लिए बकाया			i			
		ii	अन्य			ii			
		iii	कुल व्यवसाय संदेय (i+ii)					4ख	
	ग	अन्य चालू दायित्व							
		i	दीर्घकालिक ऋण की प्रचलित परिपक्वता			i			
		ii	वित्तपो-गण पट्टा अनुबंध पत्र की प्रचलित परिपक्वता			ii			
		iii	उधार पर प्रोद्भूत ब्याज जो शोध्य नहीं है			iii			
		iv	उधार पर प्रोद्भूत और शोध्य ब्याज			iv			
		v	अग्रिम में प्राप्त आय			v			
		vi	असंदत्त लाभांश			vi			
		vii	प्रतिभूति के आबंटन के लिए आवेदन हेतु प्राप्त हुई रकम तथा प्रतिदाय और उस पर प्रोद्भूत ब्याज के देय			vii			
		viii	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर प्रोद्भूत ब्याज			viii			
		ix	असंदत्त डिबेंचर और उस पर प्रोद्भूत ब्याज			ix			
		x	अन्य संदेय			x			
		xi	कुल अन्य चालू दायित्व (i+ii+iii+iv+v+vi+vii+viii+ix+x)					4ग	
	घ	अल्पकालिक उपबंध							
		i	कर्मचारिवृद्ध के फायदे के लिए उपबंध			i			
		ii	आय-कर के लिए उपबंध			ii			
		iii	प्रस्तावित लाभांश			iii			
		iv	लाभांश पर कर			iv			
		v	अन्य			v			
		vi	कुल अल्पकालिक उपबंध (i + ii +iii + iv + v)					4घ	
ड	कुल चालू दायित्व (4क + 4ख + 4ग + 4घ)						4ड		
कुल शेयर और दायित्व (1घ + 2 + 3ड + 4ड)							I		
II	आस्तियां								
1	गैर-चालू आस्तियां								
	क	स्थिर आस्तियां							
	i	मूर्त आस्तियां							
		क	सकल ब्लाक			i	क		
			अवक्षयण			i	ख		
			ह्रास से हुई हानियां			i	ग		
			शुद्ध ब्लाक (iक- iख - iग)			i	घ		
	ii	अमूर्त आस्तियां							

1	क	सकल ब्लाक	iiक		
		ख क्रमिक अपाकरण	iiख		
		ग ह्रास से हुई हानियां	iiग		
		घ शुद्ध ब्लाक (iiक- iiख - iiग)	iiघ		
		iii पूंजीगत चालू काम	iii		
	iv	विकास के अधीन अमूर्त आस्तियां	iv		
	v	कुल स्थिर आस्तियां (iघ + iiघ + iii + iv)		क v	
	ख	गैर-चालू विनिधान			
	i	संपत्ति में विनिधान	i		
		ii शेयर लिखतों में विनिधान			
		क सूचीबद्ध शेयर	iiक		
		ख गैर-सूचीबद्ध शेयर	iiख		
	ii	ग योग (ii क + ii ख)	iiग		
		iii अधिमानी शेयरों में विनिधान	iii		
		iv सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iv		
	v	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	v		
	vi	पारस्परिक निधियों में विनिधान	vi		
	vii	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vii		
	viii	अन्य विनिधान	viii		
	ix	कुल गैर-चालू विनिधान (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)		खix	
	ग	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)		ग	
	घ	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
	i	पूँजी अग्रिम	i		
		ii प्रतिभूति निक्षेप	ii		
		iii संबंधित पक्षकारों को ऋण और अग्रिम (अनुदेश देखें)	iii		
		iv अन्य ऋण और अग्रिम	iv		
	v	कुल दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii + iii + iv)		घ v	
	vi	घv में सम्मिलित दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, जो			
	क	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	viक		
		ख कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है	viख		
		ग आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है	viग		
	घ	अन्य गैर-चालू आस्तियां			
	i	दीर्घकालिक व्यापार प्राप्य			
		क प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	iक		
		ख गैर-प्रतिभूत, अच्छे समझे गए	iख		
		ग शंकास्पद	iग		
	ii	घ कुल अन्य गैर-चालू आस्तियां (iक + iख + iग)	iघ		
		अन्य	ii		
		योग (iघ + ii)		डii	
	iv	ड iii में सम्मिलित कुल गैर-चालू आस्तियां, जो आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड) के अनुसार किसी शेयरधारक से, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान से या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, देय है	iv		
	ड.	कुल गैर-चालू आस्तियां (कv+ खix + ग+ घv + डii)		1च	
2	क	चालू विनिधान			
	i	शेयर लिखतों में विनिधान			
		क सूचीबद्ध शेयर	iक		
		ख गैर-सूचीबद्ध शेयर	iख		
		ग योग (iक + i ख)	iग		
	ii	अधिमानी शेयरों में विनिधान	ii		

		iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में विनिधान	iii				
		iv	डिबेंचरों या बंधपत्रों में विनिधान	iv				
		v	पारस्परिक निधियों में विनिधान	v				
		vi	भागीदारी फर्मों में विनिधान	vi				
		vii	अन्य विनिधान	vii				
		viii कुल चालू विनिधान (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)					कviii	
		ख	संपत्ति-सूची					
		i	कच्चा माल	i				
		ii	चालू काम	ii				
		iii	तैयार माल	iii				
		iv	व्यवसाय - स्टॉक (व्यवसाय के लिए अर्जित माल)	iv				
		v	भंडार और स्पेयर	v				
		vi	खुले औजार	vi				
		vii	अन्य	vii				
	viii कुल संपत्ति-सूची (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				खviii			
	ग	व्यापार प्राप्य						
		i	6 मास से अधिक से बकाया	i				
		ii	अन्य	ii				
		iii कुल व्यवसाय प्राप्य (i + ii + iii)				गiii		
	घ	नकदी और नकद समतुल्य						
		i	बैंक नकद	i				
		ii	चैक, ड्राफ्ट	ii				
		iii	नकद अतिशेन	iii				
		iv	अन्य	iv				
	v कुल नकदी और नकद समतुल्य (i + ii + iii + iv)				घv			
	ङ	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम						
		i	पक्षकारों से संबंधित ऋण और अग्रिम (अनुदेशों देखें)	i				
ii		अन्य	ii					
iii कुल अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (i + ii)				ङiii				
iv ङiii में सम्मिलित अल्पकालिक ऋण और अग्रिम, जो								
क		कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए है	iv क					
		ख	कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए नहीं है		ivख			
ग	आय-कर अधिनियम की धारा 2(22) (ङ) के अनुसार किसी शेयरधारक को, जो शेयर का फायदाप्रद स्वामी है, या किसी समुत्थान को या ऐसे शेयरधारक के फायदे के लिए/की ओर से, दिया गया है		ivग					
	च	अन्य चालू आस्तियां				च		
छ	कुल चालू आस्तियां (कviii + खviii + गiii + घv + ङiii + च)				2छ			
कुल आस्तियां (1च+2छ)						॥		

भाग क-तुलन पत्र - भारतीय लेखा मानकों के रूप में

31 मार्च, 2020 को या व्यावसायिक संयोजन की तारीख के अनुसार [एक कंपनी के लिए लागू है, जिसका वित्तीय विवरण कंपनियों के उपाबंध (भारतीय लेखा मानकों) नियम, 2015 में निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में तैयार किए गए हैं]

I	साधारण शेयर और दायित्व							
	1	साधारण शेयर						
		अ	साधारण शेयर पूंजी					
			i	प्राधिकृत	का			
			ii	जारी, अभिदत्त और पूरी तरह से भुगतान किया गया	काii			
			iii	अभिदत्त लेकिन पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया	काiii			
			iv	कुल (काii + काiii)		क+iv		
		आ	अन्य साधारण शेयर					
			i	अन्य रिजर्व				
			क	पूंजी विमोचन आरक्षित	ik			

		ख	डिबेंचर विमोचन रिजर्व	iख		
		ग	शेयर विकल्प बकाया लेखा	iग		
		घ	अन्य (प्रकृति और रकम निर्दिष्ट करें)	iघ		
		ड.	कुल अन्य भंडार (iक + iख + iग + iघ)	iड.		
	ii	प्रतिधारित आय (पी और एल के कथन नामों पक्ष का अतिशेष - वीई आंकड़े के रूप में दर्शित)			ii	
	iii	कुल (खांड. + ii) (डेबिट शेष राशि को -ve आंकड़े के रूप में दिखाया जाएगा)			खiii	
	इ	कुल साधारण शेयर (काiv + खiii)			1ग	
	2	दायित्व				
	अ	गैर मौजूदा दायित्व				
	I	वित्तीय दायित्व				
	उधारी	क	बांड या डिबेंचर			
		1	विदेशी मुद्रा	क 1		
		2	रुपए	क 2		
		3	कुल (1 + 2)		क 3	
		ख	उधार अवधि			
		1	विदेशी मुद्रा	ख 1		
		2	रुपया उधार			
		i	बैंकों से	i		
		ii	अन्य पार्टियों से	ii		
		iii	कुल (i + ii)	ख 2		
		3	कुल अवधि उधार (ख 1 + ख 2)		ख3	
	ग	आस्थगित संदाय दायित्व			ग	
	घ	निक्षेप			घ	
	ड.	संबंधित पक्षों से उधार (अनुदेश देखें)			ड.	
	च	वित्त पट्टा बाध्यता की दीर्घकालिक परिपक्वता			च	
	छ	यौगिक वित्तीय लिखतों की दायित्व घटक			छ	
	ज	अन्य उधार			ज	
	झ	कुल उधारी (क 3 + ख 3 + ग + घ + ड. + च + छ + ज)			झ	
	ञ	व्यापार उधार			ञ	
	ट	अन्य वित्तीय दायित्व (उपबंधों के अधीन II में विनिर्दिष्ट के अलावा)			ट	
	II	उपबंध				
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क			
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
	ग	कुल उपबंध		IIग		
	III	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)			III	
	IV	अन्य गैर-तात्कालिक दायित्व				
	क	अग्रिम	क			
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख			
	ग	कुल अन्य गैर-वर्तमान दायित्व		IVग		
	कुल गैर-वर्तमान देयताएं (झ + Iञ + झट + IIग + III + IVग)			2क		
	B	वर्तमान दायित्व				
	I	वित्तीय दायित्व				
	i	उधारी				
	क	मांग पर लौटाने वाले उधार				
	1	बैंकों से	1			
	2	अन्य पार्टियों से	2			
	3	मांग पर प्रतिपूर्ति कुल उधार (1 + 2)	3			
	ख	संबंधित दलों से उधार			ख	

II	I	ग	निक्षेप	ग				
		घ	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	घ				
		कुल उधार (क 3 + ख + ग + घ)					II	
		ii	व्यापार देनदारियां				III	
		iii	अन्य वित्तीय दायित्व					
		क	लंबी अवधि के उधार की चालू परिपक्वता	क				
		ख	वित्त पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता	ख				
		ग	अर्जित व्याज	ग				
		घ	अवैतनिक लाभांश	घ				
		ड.	प्रतिदेयता के विस्तार की प्रतिभूतियों के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशि और उस पर अर्जित व्याज	ड.				
	च	असंदत्त परिपक्व निक्षेप और उस पर अर्जित व्याज	च					
	छ	उस पर अर्जित असंदत्त परिपक्व डिबेंचर और व्याज	छ					
	ज	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ज					
	झ	कुल अन्य वित्तीय दायित्व (क + ख + ग + घ + ड. + च + छ + ज)				IIII		
	iv	कुल वित्तीय दायित्व (झI + झII + झIII)				IIv		
	II	अन्य चालू दायित्व						
	क	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	क					
	ख	अन्य अग्रिम (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख					
	ग	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ग					
		घ	कुल अन्य वर्तमान दायित्व (क + ख + ग)			IIघ		
	III	उपबंध						
	क	कर्मचारी लाभ के लिए उपबंध	क					
	ख	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ख					
	ग	कुल उपबंध (क + ख)			IIIG			
IV	वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)				IV			
कुल मौजूदा दायित्व (IIv + IIघ + IIIG + IV)					2ख			
कुल साधारण शेयर और दायित्व (1ग + 2क + 2ख)					I			
II	आस्तियां							
1	गैर तात्कालिक आस्तियां							
क	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर							
	क	सकल ब्लॉक	क					
	ख	मूल्यहास	ख					
	ग	क्षति नुकसान	ग					
	घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)			क घ			
ख	पूँजीगत कार्य-प्रगति				ख			
ग	निवेश सम्पत्ति							
क	सकल ब्लॉक	क						
ख	मूल्यहास	ख						
ग	क्षति नुकसान	ग						
	घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)			ग घ			
घ	साख							
क	सकल ब्लॉक	क						
ख	क्षति नुकसान	ख						
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)			घ ग			
ड.	अन्य अमूर्त संपत्ति							
क	सकल ब्लॉक	क						
ख	उधारमुक्ति	ख						
ग	क्षति नुकसान	ग						
	घ	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख +ग)			ड.घ			
च	विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति				च			

	छ वाहक पौधों के अतिरिक्त अन्य जैविक आस्तियां					
	क	सकल ब्लॉक	क			
	ख	क्षति नुकसान	ख			
	ग	शुद्ध ब्लॉक (क+ ख)			छग	
	ज वित्तीय आस्तियां					
	I	निवेश				
	i	साधारण साम्या लिखत में निवेश				
	क	सूचीबद्ध साम्य	i	क		
	ख	असूचीबद्ध साम्य	i	ख		
	ग	कुल (i + iख)			iग	
	ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii			
	iii	सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii			
	iv	डिबेंचर या बांड में निवेश	iv			
	v	म्युचुअल फंड में निवेश	v			
	vi	साझेदारी फर्मों में निवेश	vi			
	vii	साझेदारी फर्मों में निवेश	vii			
	viii	कुल गैर-सौजूदा निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			जा	
	II	व्यापार स्वीकार योग्य				
	क	व्यापार स्वीकार योग्य	क			
	ख	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ख			
	ग	संदिग्ध	ग			
	घ	कुल व्यापार प्राप्य			जII	
	III	उधार				
	i	सुरक्षा निक्षेप	i			
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (अनुदेश देखें)	ii			
	iii	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii			
	iv	अन्य उधार (प्रकृति निर्दिष्ट करें (i + ii + iii))			जIII	
	v	जIII में शामिल उधार, जो कि-				
	क	व्यापार या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए	v	क		
	ख	व्यवसाय या व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं	v	ख		
	ग	आयकर अधिनियम के खंड 2 (22) (ई) के अनुसार, शेयरधारक को शेयर के फायदेमंद स्वामी या किसी भी समुत्थान या इस तरह के शेयरधारक की ओर से / लाभ के लिए दिया गया है।	v	ग		
	IV	अन्य वित्तीय आस्तियां				
	i	12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक निक्षेप	i			
	ii	अन्य	ii			
	iii	अन्य वित्तीय आस्तियां का कुल (i + ii)			ज IV	
	झ	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			झ	
	ज	अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति				
	i	पूँजीगत अग्रिम	i			
	ii	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम	ii			
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii			
	iv	कुल गैर-वर्तमान आस्तियां (i + ii + iii)			ज	
	v	आय कर अधिनियम की धारा 2(22) (ड.) के अनुसार गैर-वर्तमान आस्तियां जिनमें से ऊपर दिया गया है जो कि शेयरधारक, शेयर के फायदेमंद मालिक, या से इस तरह के शेयरधारक के रूप में किसी भी समुत्थान या ओर से / लाभ आस्तियां	v			
	कुल गैर - सौजूदा आस्तियां(कघ + ख + गघ + घग + ड.घ + चF + छग + जाI + जII + जIII + जIV + झ + ज)				1	
	2	वर्तमान आस्ति				
	क	वर्तमान आस्ति				
	i	कच्चा माल	i			

	ii	कार्य प्रगति पर है	ii				
	iii	तैयार माल	iii				
	iv	स्टॉक-इन-ट्रेड (व्यापार के लिए प्राप्त वस्तुओं के संबंध में)	iv				
	v	स्टोर और पुर्जों	v				
	vi	हीला टूल	vi				
	vii	अन्य	vii				
	viii	कुल तालिकाएं (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				2क	
	ख	वित्तीय आस्तियां					
I	निवेश						
i	साम्या लिखत में निवेश						
	क	सूचीबद्ध साम्या	i क				
	ख	असूचीबद्ध साधारण शेयर	i ख				
	ग	कुल (i क + i ख)	iग				
ii	वरीयता शेयरों में निवेश	ii					
iii	सरकारी या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	iii					
iv	डिबेंचर या बॉन्ड में निवेश	iv					
v	म्युचुअल फंड में निवेश	v					
vi	भागीदारी फर्मों में निवेश	vi					
vii	अन्य निवेश	vii					
viii	कुल वर्तमान निवेश (iग + ii + iii + iv + v + vi + vii)			I			
II	व्यापार स्वीकार योग्य						
	i	सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	i				
	ii	असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	ii				
	iii	संदिग्ध	iii				
	iv	कुल व्यापार प्राप्य (i + ii + iii)				II	
III	नकद और नकद समकक्ष						
	i	बैंकों के साथ अतिशेष (नकद और नकद समकक्षों की प्रकृति)	i				
	ii	चेक, हाथ में ड्राफ्ट	ii				
	iii	हाथ में पैसा	iii				
	iv	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iv				
	v	कुल नकद और नकद समकक्ष (i + ii + iii + iv)				III	
IV	उपरोक्त III के अतिरिक्त बैंक अतिशेष				IV		
V	उधार						
	i	सुरक्षा निक्षेप	i				
	ii	संबंधित पक्षों को उधार (निर्देश देखें)	ii				
	iii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	iii				
	iv	कुल उधार (i + ii + iii)				V	
	v	जो उपरोक्त वी में शामिल उधार और अग्रिम हैं-					
		क	व्यापार या पेशे के उद्देश्य के लिए	vक			
		ख	व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य के लिए नहीं	vख			
		ग	आय कर अधिनियम की धारा 2(22)ड. के अनुसार शेयरधारक को दिया, लाभकारी मालिक होने के नाते के शेयर, या किसी भी समुत्पन्न या ओर से / लाभ का शेयरधारक	vग			
VI	अन्य वित्तीय आस्तियां				VI		
कुल वित्तीय आस्तियां (I + II + III + IV + V + VI)					2ख		
ग	चालू कर आस्तियां (शुद्ध)				2ग		
घ	अन्य मौजूदा आस्तियां						
	i	पूँजी अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम	i				
	ii	अन्य (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	ii				
	iii	कुल					
				2घ			

कुल चालू आस्तियां (2क+2ख+2ग+2घ)	2	
कुल आस्तियां (1 + 2)	II	

**भाग क-
विनिर्माण लेखा**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्माण लेखा (उस दशा में मद 1 से मद 3 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट				
	क	प्रारम्भिक तालिका			
	i	कच्ची सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	i		
	ii	प्रगतिशील सामग्री का प्रारम्भिक स्टॉक	ii		
	iii	योग (i + ii)		कiii	
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हों, का योग)			ख
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग
	घ	प्रत्यक्ष कर (घi + घii + घiii)			घ
	i	आवक वहन व्यय	i		
	ii	विद्युत् और ईंधन	ii		
	iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii		
	ङ	कारखाना अधिव्यय			
	I	अप्रत्यक्ष मजदूरी	i		
	II	कारखाना किराया और दर	ii		
	Iii	कारखाना बीमा	iii		
	IV	कारखाना ईंधन और विद्युत्	iv		
	V	कारखाना साधारण व्यय	v		
	Vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण	vi		
	Vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)		ङvii	
	च	विनिर्माण खाते में किए गए विकलों का योग (कiii+ख+ग+घ+ङvii)			1च
2	अंत स्टॉक				
	i	कच्ची सामग्री	2i		
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii		
	योग (2i + 2ii)			2	
3	व्यापार लेखा में उत्पाद किए गए-अंतरित किए गए माल की लागत (1च - 2)			3	

**भाग क – व्यापार
लेखा**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यापार लेखा (उस दशा में मद 4 से मद 12 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरे)

4	प्रचालनों से प्राप्त राजस्व				
	क	विक्रय/सकल कारबार की प्राप्तियां (विवरणियों तथा प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			
	i	माल का विक्रय	i		
	ii	सेवाओं का विक्रय	ii		
	iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)			
	क	ख	iiiख		
		ग	iiiग		
		योग (iiiक + iiiख)			
	iv	योग (i + ii + iiiग)		कiv	
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां			ख
	ग	विक्रय किए गए या प्रदाय किए गए माल और सेवाओं की बाबत प्राप्त या प्राप्य शुल्क कर और उपकर			
	i	संघ उत्पाद कर	i		
	ii	सेवा कर	ii		
	iii	मूल्य वर्धितकर/विक्रय कर	iii		
	iv	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	iv		
	v	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	v		
	vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		

व्यापार लेखा में विकलन			vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii				
			viii	कोई अन्य शुल्क, कर या उपकर	viii				
			ix	योग (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)	गix				
		घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (कiv + ख +गix)	4घ					
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक					5		
	6	व्यापार खाते में जमाओं का योग (4घ + 5iv)					6		
	7	तैयार मालों का आरम्भिक स्टॉक					7		
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)					8		
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)					9		
		i	आवक वहन व्यय	i					
		ii	विद्युत और ईंधन	ii					
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष कर की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii					
	10	क्रय किए गए माल और सेवाओं के सम्बन्ध में संदत्त या संदेय शुल्क और कर							
		i	सीमा शुल्क	10i					
		ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii					
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii					
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv					
		v	सेवा कर	10v					
		vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi					
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii					
		viii	राज्य माल और सेवा कर (एससजीएसटी)	10viii					
ix		एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix						
x		संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x						
xi		संदत्त या संदेय कोई अन्य कर	10xi						
xii		योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii						
11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-उपांतरित माल की लागत					11			
12	कारबार/व्यवसाय से लाभ और हानि लेखा में अंतरित सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)					12			
12क	दिनभर व्यापार से आवर्त					12क			
12ख	दिन भर व्यापार से आय					12ख			

भाग क – लाभ और हानि

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभ और हानि लेखा (उस दशा में मद 13 से मद 60 भरे, जहां नियमित लेखा बहियां बनायी रखी जाती हैं, अन्यथा यथा लागू मद 61 से मद 62 भरें)

लाभ हानि लेखे में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ				13		
	14	अन्य आय						
		i	किराया	i				
		ii	कमीशन	ii				
		iii	लाभांश आय	iii				
		iv	व्याज आय	iv				
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v				
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi				
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii				
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii				
		ix	धारा 28(vिक) के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix				
		x	कृषि आय	x				
		xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		क		xiक				

लाभ और हानि खाते में देय

		ख		xिख		
		ग	योग (xिक + xिख)	xिंग		
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xिंग)				14xii
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)					15
16	जावक भाड़ा					16
17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग					17
18	विद्युत और ईंधन					18
19	किराया					19
20	भवन की मरम्मत					20
21	मशीनरी की मरम्मत					21
22	कर्मचारियों को प्रतिकर					
	i	वेतन और मजदूरी	22i			
	ii	बोनस	22ii			
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii			
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv			
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v			
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi			
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii			
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii			
	ix	किसी अन्य निधि में अभिदाय	22ix			
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x			
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)			22xi	
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं		
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख			
23	बीमा					
	i	चिकित्सीय बीमा	23i			
	ii	जीवन बीमा	23ii			
	iii	की-मैन बीमा	23iii			
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv			
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)			23v	
24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय					24
25	मनोरंजन					25
26	आतिथ्य					26
27	सम्मेलन					27
28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है					28
29	विज्ञापन					29
30	कमीशन					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)			30iii	
31	स्वामिस्व					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)			31iii	

32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस					
	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i			
	ii	अन्य को	ii			
	iii	योग (i + ii)				
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33	
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34	
35	विदेशी यात्रा व्यय				35	
36	प्रवहण व्यय				36	
37	टेलीफोन व्यय				37	
38	अतिथि गृह व्यय				38	
39	क्लब व्यय				39	
40	उत्सव समारोह व्यय				40	
41	छात्रवृत्ति				41	
42	उपहार				42	
43	दान				43	
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त किराया और कर या संदेय दर और कर (आय पर करों को छोड़कर)					
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i			
	ii	सेवा कर	44ii			
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii			
	iv	उपकर	44iv			
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v			
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi			
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii			
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii			
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix			
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x			
45	संपरीक्षा फीस				45	
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	i		i			
	ii		ii			
	iii	योग (i + ii)	46iii			
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
	(i1)				47i(1)	
	(i2)				47ii (2)	
	(i3)				47i(3)	
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i(1)+47ii(2)+47i(3))		47iv			
	ii जहां स्थायी लेखा संख्यांक/आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)		47v			
	iii अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)		47i(1)			
	iv योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)				47iv	
48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				48	

लिए	49	अन्य उपबंध			49		
	50	व्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]			50		
	51	व्याज					
		i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i			
		ii	अन्य को	ii			
		iii	योग (i + ii)				
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			52		
	53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)			53		
	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध			54		
	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध			55		
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)			56		
	57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष			57		
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)			58		
	59	विनियोग					
		i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i			
		ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii			
		iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii			
		iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv			
		v	कोई अन्य विनियोग	59v			
		vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi			
	60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)			60		
	61	धारा 44कड के अधीन माल वाहकों से प्रकल्पित आय की संगणना					
		क्र. सं.	कारबार का नाम	कारबार कोड	वर्णन		
		माल गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण सं.	क्या स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर ली गई थी	माल गाड़ी की टर्नभार क्षमता (एमटी में)	उन मासों की संख्या, जिनके लिए माल गाड़ी निर्धारित की स्वामित्वाधीन था/उसके द्वारा पट्टे पर/किराए पर ली गई थी था	माल गाड़ी के लिए धारा 44कड के अधीन प्रकल्पित आय (12 मैट्रिक टन से अधिक टन भार की दशा में प्रतिमास 1000 रुपए की दर से या अन्यथा 7500 रुपए प्रतिमास की दर से संगणित) या वास्तविक रूप से अर्जित की गई दावाकृत रकम, इनमें जो भी अधिक हो	
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(क)					
लेखारहित मामला		(ख)					
				कुल			
		यथा अपेक्षित पंक्तियों का विकल्प बढ़ाएं (कृपया नोट करें: वर्ष के दौरान किसी भी समय वाहनों की संख्या 10 वाहन से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
		(ii)	धारा 44कड के अधीन माल गाड़ी से कुल प्रकल्पित आय [सारणी 61(i) के स्तम्भ (5) का योग]			61(ii)	
		टिप्पण - यदि लाभ धारा 44कड के अधीन विहित किए गए से कम है या वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्वाधीन/पट्टाकृत/किराए पर लिए गए माल गाड़ी का संख्या दस से अधिक है तो धारा 44कख के अधीन लेखावहियां बनाए रखना या कर संपरीक्षा कराना अनिवार्य है					
	62	ऐसी विदेशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय धारा 44ख, धारा 44खख, धारा 44खखक या धारा 44खखख में निर्दिष्ट कारबार से एक मात्र लाभों और अभिलाभों से मिलकर बनती है, वहां निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें					
		क	सकल प्राप्ति/आवर्त			62क	
		ख	शुद्ध लाभ			62ख	

भाग क - विनिर्माण लेखा
भारतीय - लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्माण लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

1	विनिर्माणकारी खाते को डेबिट						
	क	आरम्भिक तालिक					
		i	कच्ची सामग्री का आरम्भिक स्टॉक	i			
		ii	प्रगतिशील कार्य का आरम्भिक स्टॉक	ii			
		iii	योग (i + ii)	कiii			
	ख	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)			ख		
	ग	प्रत्यक्ष मजदूरी			ग		
	घ	प्रत्यक्ष व्यय			घ		
		i	आवक वहन व्यय	i			
		ii	विद्युत और ईंधन	ii			
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय	iii			
	ङ	कारखाना उपरिव्यय					
		i	अप्रत्यक्ष मजदूरी				
		ii	कारखाना किराया और दर				
		iii	कारखाना बीमा				
		iv	कारखाना ईंधन और विद्युत				
		v	कारखाना साधारण व्यय				
		vi	कारखाना मशीनरी का अवक्षयण				
		vii	योग (i+ii+iii+iv+v+vi)	ङvii			
च	विनिर्माण खाते में विकलनों का योग (कiii+ख +ग +घ +ङvii)			1च			
2	अन्त स्टॉक						
	i	कच्ची सामग्री	2i				
	ii	प्रगतिशील कार्य	2ii				
	योग (2i +2ii)			2			
3	व्यापार लेखा में उत्पादित-अंतरित माल की लागत (1च - 2)				3		

भाग क - व्यापार लेखा
भारतीय - लेखा मानक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यापार लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

व्यापार लेखा में जमा

4	प्रचालनों से राजस्व							
	क	विक्रय/कारबार की कुल प्राप्तियां (विवरणियों और प्रतिदायों तथा शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)						
		i	माल का विक्रय		i			
		ii	सेवाओं का विक्रय		ii			
		iii	अन्य प्रचालन राजस्व (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		क			iii क			
			ख			iii ख		
			ग	योग (iii क + iii ख)		iii ग		
	iv	योग (i + ii + iii ग)					कiv	
	ख	व्यवसाय से सकल प्राप्तियां					ख	
	ग	विक्रीत या प्रदाय की गई माल और सेवाओं के सम्बन्ध में प्राप्त या प्राप्य शुल्क, कर और उपकर						
		i	संघ उत्पाद शुल्क		i			
		ii	सेवा कर		ii			
		iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर		iii			
iv		केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)		iv				
v		राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)		v				

व्यापार लेखों में देय		vi	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	vi		
		vii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	vii		
		viii	कोई अन्य शुल्क कर और उपकर	viii		
		ix	योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)			
	घ	प्रचालनों से कुल राजस्व (kiv + ख + ग + ix)				Cix
	5	तैयार वस्तुओं का अंतिम (क्लोजिंग) स्टॉक				4D
	6	व्यापार लेखा में जमाओं का योग (4घ + 5iv)				5
	7	तैयार माल का आरम्भिक स्टॉक				6
	8	क्रय (प्रतिदायों और शुल्क या कर, यदि कोई हो, का योग)				7
	9	प्रत्यक्ष व्यय (9i + 9ii + 9iii)				8
		i	आवक वहन व्यय	i		
		ii	विद्युत और ईंधन	ii		
		iii	अन्य प्रत्यक्ष व्यय टिप्पण : प्रत्यक्ष व्ययों की प्रकृति के अनुसार पंक्ति जोड़ी जा सकती है	iii		
	10	क्रय किए गए मालों और सेवाओं के सम्बन्ध में संदेय या संदेय शुल्क और कर				9
		i	सीमा शुल्क	10i		
		ii	प्रतिरोधी शुल्क	10ii		
		iii	विशेष अतिरिक्त शुल्क	10iii		
		iv	संघ उत्पाद शुल्क	10iv		
		v	सेवा कर	10v		
		vi	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	10vi		
		vii	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	10vii		
		viii	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	10viii		
		ix	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	10ix		
		x	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	10x		
		xi	संदेय या संदेय कोई अन्य कर	10xi		
		xii	योग (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			
	11	विनिर्माण खाते से उत्पादित-अंतरित माल की लागत				10xii
	12	लाभ और हानि लेखा में अंतरित-कारबार/व्यवसाय से सकल लाभ (6-7-8-9-10xii-11)				11
	12क	दिन भर व्यापार से आवर्त				12
	12ख	दिन भर व्यापार से आय				12क
						12ख

**भाग क – लाभ और हानि
भारतीय लेखा मानक**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभ और हानि लेखा [ऐसी कंपनी, जिसकी वित्तीय विवरणियां (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपाबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार की जाती हैं, के लिए लागू होना]

लाभ हानि लेखों में जमा	13	व्यापार खाते से अंतरित सकल लाभ				13	
	14	अन्य आय					
		i	किराया	i			
		ii	कमीशन	ii			
		iii	लाभांश आय	iii			
		iv	व्याज आय	iv			
		v	नियत आस्तियों के विक्रय पर लाभ	v			
		vi	प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से प्रभार्य प्रतिभूति होने के कारण निवेश के विक्रय पर लाभ	vi			
		vii	अन्य निवेश के विक्रय पर लाभ	vii			
		viii	धारा 43कक के अधीन विदेशी विनियम उतार-चढ़ाव के कारण अभिलाभ (हानि)	viii			
		ix	धारा 28(vi)क के अधीन तालिका के पूंजी आस्ति में संपरिवर्तन किए जाने पर लाभ (संपरिवर्तन की तारीख को तालिका का उचित बाजार मूल्य)	ix			
		x	कृषि आय	x			
		xi	अन्य कोई आय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				

		क		Xiक				
		ख		Xiख				
		ग	योग (Xiक + Xiख)	Xiग				
	xii	अन्य आय का योग (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + Xiग)					14xii	
15	लाभ और हानि लेखा में जमाओं का योग (13+14xii)					15		
लाभ और हानि खाता में देय	16	जावक भाड़ा					16	
	17	भण्डारों और पुर्जों का उपभोग					17	
	18	विद्युत और ईंधन					18	
	19	किराया					19	
	20	भवन की मरम्मत					20	
	21	मशीनरी की मरम्मत					21	
	22	कर्मचारियों को प्रतिकर						
	i	वेतन और मजदूरी	22i					
	ii	बोनस	22ii					
	iii	चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति	22iii					
	iv	छुट्टी नकदीकरण	22iv					
	v	छुट्टी यात्रा फायदे	22v					
	vi	अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में अभिदाय	22vi					
	vii	मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय	22vii					
	viii	मान्यताप्राप्त उपदान निधि में अभिदाय	22viii					
	ix	कोई अन्य निधि में अभिदाय	22ix					
	x	कर्मचारियों को अन्य फायदा, जिसके सम्बन्ध में व्यय उपगत किया गया है	22x					
	xi	कर्मचारियों के लिए कुल प्रतिकर (22i से 22x का योग)				22xi		
	xii	क्या अनिवासियों को संदत्त कोई प्रतिकर 22xi में सम्मिलित किया गया है	xiiक	हां / नहीं				
		यदि हां, तो अनिवासियों को संदत्त रकम	xiiख					
	23	बीमा						
	i	चिकित्सीय बीमा	23i					
	ii	जीवन बीमा	23ii					
	iii	की-मैन बीमा	23iii					
	iv	अन्य बीमा, जिसके अन्तर्गत कारखाना, कार्यालय, कार, माल आदि भी हैं	23iv					
	v	बीमा पर कुल व्यय (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v		
	24	कर्मकार और कर्मचारिवृन्द कल्याणकारी व्यय					24	
	25	मनोरंजन					25	
	26	आतिथ्य					26	
	27	सम्मेलन					27	
	28	विक्रय संवर्धन, जिसके अंतर्गत प्रचार (विज्ञापन से भिन्न) भी है					28	
	29	विज्ञापन					29	
30	कमीशन							
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i						
ii	अन्य को	ii						
iii	योग (i + ii)				30iii			
31	स्वामित्व							
i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i						
ii	अन्य को	ii						
iii	योग (i + ii)				31iii			
32	तकनीकी सेवाओं के लिए व्यवसायिक/परामर्श फीस/फीस							

	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में संदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			
33	होटल, बोर्डिंग, आवास				33
34	विदेशी यात्रा पर किए गए व्यय से भिन्न यात्रा व्यय				34
35	विदेशी यात्रा व्यय				35
36	प्रवहण व्यय				36
37	टेलीफोन व्यय				37
38	अतिथि गृह व्यय				38
39	क्लब व्यय				39
40	उत्सव समारोह व्यय				40
41	छात्रवृत्ति				41
42	उपहार				42
43	दान				43
44	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दर और कर (आय पर कर को छोड़कर)				
	i	संघ उत्पाद शुल्क	44i		
	ii	सेवा कर	44ii		
	iii	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	44iii		
	iv	उपकर	44iv		
	v	केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)	44v		
	vi	राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी)	44vi		
	vii	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)	44vii		
	viii	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (यूटीजीएसटी)	44viii		
	ix	कोई अन्य दर, कर, शुल्क या उपकर, जिसमें एसटीटी और सीटीटी भी है	44ix		
	x	संदत्त या संदेय कुल दर और कर (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)		44x	
45	संपरीक्षा फीस				45
46	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	i		i		
	ii		ii		
	iii	योग (i + ii)			46iii
47	डूबन्त ऋण (उस व्यक्ति का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार, यदि उपलब्ध हो, जिसके लिए एक लाख रुपए या उससे अधिक की रकम के लिए डूबन्त ऋण का दावा किया गया है और रकम विनिर्दिष्ट करें)				
	(i1)		47(i1)		
	(i2)		47i(2)		
	(i3)		47i(3)		
	पंक्तियों को अपेक्षानुसार जोड़ा जा सकता है कुल (47i1+47i2+47i3)		47i		
	ii	जहां स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य (एक लाख रुपए से अधिक) (नाम और पूरे पते का उल्लेख करें)	47ii		
	iii	अन्य (एक लाख रुपए से कम रकम)	47iii		
	iv	योग डूबन्त ऋण (47i + 47ii + 47iii)		47iv	
48	डूबन्त और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध				48
49	अन्य उपबंध				49
50	ब्याज, अवक्षयण और करों से पहले लाभ [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				50
51	ब्याज				

कर और विनियोग के लिए उपबंध	i	किसी कंपनी या विदेशी कंपनी से भिन्न अनिवासी को भारत से बाहर संदत्त या भारत में सदत्त	i		
	ii	अन्य को	ii		
	iii	योग (i + ii)			51iii
	52	अवक्षयण और क्रमिक अपाकरण			52
	53	करों से पहले शुद्ध लाभ (50 – 51iii – 52)			53
	54	वर्तमान कर के लिए उपबंध			54
	55	आस्थगित कर के लिए उपबंध			55
	56	कर के पश्चात् लाभ (53 - 54 - 55)			56
	57	पूर्व वर्ष से अग्रणीत अतिशेष			57
	58	विनियोग के लिए उपलब्ध रकम (56 + 57)			58
	59	विनियोग			
	i	आरक्षितियों और अधिशेष में अन्तरण	59i		
	ii	प्रस्तावित लाभांश/अन्तरिम लाभांश	59ii		
	iii	लाभांश पर कर/पूर्वतर वर्षों के लिए लाभांश पर कर	59iii		
	iv	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर क्रियाकलापों के लिए विनियोग (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत आने वाली कंपनियों की दशा में)	59iv		
	v	कोई अन्य विनियोग	59v		
	vi	योग (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
	60	तुलन पत्र में लिए गए अतिशेष (58 - 59vi)			60
	61	क ऐसी मदें, जो लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएंगी			
		i पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	i		
		ii परिभाषित फायदा योजनाओं का पुनःपरिमाणन	ii		
		iii ओसीआई के माध्यम से साम्या लिखतें	iii		
		iv एफवीपीटीएल में पदाभिहीत वित्तीय दायित्वों के अपने ही जमा जोखिम से सम्बन्धित उचित मूल्य परिवर्तन	iv		
		v सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक अन्य व्यापक आय के अंश, जिन्हें लाभ और हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाना है	v		
		vi अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	vi		
		vii उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	vii		
		viii योग			61क
	ख	वे मदें, जो लाभ और हानि के पुनःवर्गीकृत की जाएंगी			
		i विदेशी प्रचालन की वित्तीय विवरणियों को परिवर्तित करने में विनिमय अंतर	i		
		ii ओसीआई के माध्यम से ऋण लिखतें	ii		
		iii नकद प्रवाह नियंत्रण में नियंत्रणकारी लिखतों पर अभिलाओं और हानि का प्रभावी लाभ	iii		
		iv सहयुक्तों और संयुक्त जोखिमों में उस सीमा तक ओसीआई का अंश, जो लाभ और हानि में वर्गीकृत की जाए	iv		
		v अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	v		
		vi उन मदों से सम्बन्धित आय कर, जो लाभ और हानि के लिए पुनःवर्गीकृत की जाएंगी	vi		
		vii योग			61ख
	62	कुल व्यापक आय (56 + 61A + 61B)			62

भाग क- अन्य जानकारी

अन्य जानकारी (यदि धारा 44कख के अधीन दायी हो, तो अनिवार्य, अन्य के लिए, यदि लागू हो, भरें)

अन्य जानकारी	1	पूर्व वर्ष में नियोजित लेखा पद्धति (चिह्नित करें) ☒ ☐ वाणिज्य ☐ नकद	
	2	यदि लेखा पद्धति में कोई परिवर्तन है (चिह्नित करें) ☒ ☐ हां ☐ नहीं	
	3क	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11क(iii)]	3क
	3ख	धारा 145(2) के अधीन अधिसूचित आय संगणना प्रकटन मानकों के अनुसार विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि [अनुसूची आईसीडीएस के स्तम्भ 11ख(iii)]	3ख

4	पूर्व वर्ग में नियोजित बंद स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति (व्यवसायों के मामले में वैकल्पिक)		
	क	कच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
	ख	तैयार माल (यदि लागत या बाजार दरों पर, जो भी कम हो, 1 लिखें, यदि लागत पर तो 2 लिखें, यदि बाजार दर पर तो 3 लिखें)	☐
	ग	क्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ है (चिह्नित करें) ☒ हां ☐ नहीं	
	घ	धारा 145(2क) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में वृद्धि या हानि में कमी	4घ
	ङ	धारा 145(2ख) के अधीन विनिर्दिष्ट मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ में कमी या हानि में वृद्धि	4ङ
5	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई रकम, जो:-		
	क	धारा 28 की परिधि के भीतर आने वाली मदें हैं	5क
	ख	परफॉर्म जमाओं, वापसी, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या प्रतिदाय या विक्रय कर या मूल्यवर्धित कर का प्रतिदाय या माल और सेवा कर का प्रतिदाय, जहां ऐसे प्रत्यय वापसी या प्रतिदाय सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा शोध के रूप में स्वीकार की जाए	5ख
	ग	पूर्ववर्ग के दौरान स्वीकृत वृद्धि दावे	5ग
	घ	आय की कोई अन्य मद	5घ
	ङ	पूंजी प्राप्ति, यदि कोई हो	5ङ
	च	लाभ-हानि लेखों में जमा न की गई कुल रकम (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ)	5च
6	सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन के कारण धारा 36 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित की गई रकमें		
	क	स्टॉक या भंडार के नुकसान या विनाश के जोखिम मद्दे बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(i)]	6क
	ख	कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम [36(1)(iख)]	6ख
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदत्त कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे लाभ या लाभांश के रूप में अन्यथा संदेय थी [36(1)(ii)]	6ग
	घ	उधार ली गई पूंजी की बाबत संदत्त ब्याज की कोई रकम [36(1)(iii)]	6घ
	ङ	जीरो कूपन बंधपत्र पर बट्टे की रकम [36(1)(iii क)]	6ङ
	च	किसी मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6च
	छ	अनुमोदित अधिवर्तिता निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(iv)]	6छ
	ज	धारा 80 ग ग घ में निर्दिष्ट एक पेंशन स्कीम के लिए अभिदाय रकम [36(1)(iv क)]	6ज
	झ	मान्यताप्राप्त भवि-य निधि में अभिदायों की रकम [36(1)(v)]	6झ
	ञ	किसी अन्य निधि में अभिदायों की रकम	6ञ
	ट	नियत तारीख को या उससे पूर्व कर्मचारी के खाते में जमा की गई सीमा तक किसी भवि-य निधि या अधिवर्तिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन गठित किसी निधि या कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि [36(1)(vi)]	6ट
	ठ	डूबंत और शंकास्पद ऋणों की रकम [36(1)(vii)]	6ठ
	ड	डूबंत और शंकास्पद ऋणों के लिए उपबंध [36(1)(vii क)]	6ड
	ढ	किसी विशेष आरक्षित में अंतरित रकम [36(1)(viii)]	6ढ
	ण	कर्मचारियों की बीच परिवार कल्याण के संवर्धन के प्रयोजनों के लिए व्यय [36(1)(ix)]	6ण
	त	प्रतिभूति के संव्यवहार के संबंध में सदत्त प्रतिभूति संव्यवहार की रकम यदि ऐसी आय को कारबार आय में सम्मिलित न किया हो [36(1)(xv)]	6त
	थ	धारा 145(2) [36(1)(xviii)] अधीन अधिसूचित आईसीडीएस के अनुसार यथा संगणित बाजार हानि या अन्य प्रत्याशित हानि के लिए चिन्हित	6थ
	द	कोई अन्य अननुज्ञेय	6द
	ध	धारा 36 के अधीन अननुज्ञेय कुल रकम (6क से 6ध)	6ध
	न	कंपनी द्वारा नियोजित कर्मचारियों की कुल संख्या (यदि कंपनी में मान्यताप्राप्त भवि-य निधि है तो आवश्यक)	
	i	भारत में अभिनियोजित	i
	ii	भारत के बाहर अभिनियोजित	ii
	iii	कुल	iii
7	धारा 37 के अधीन अननुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखों में विकलित रकमें		

	क	पूँजी स्वरूप का व्यय	7क		
	ख	व्यक्तिगत स्वरूप का व्यय	7ख		
	ग	कारबार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए पूर्ण या अन्य रूप से उपगत या किया गया व्यय न हो [37(1)]	7ग		
	घ	किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका या पत्र या उसी प्रकार के पत्र में विज्ञापन पर व्यय [37(1)]	7घ		
	ङ	तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय	7ङ		
	च	कोई अन्य शास्ति या जुर्माना	7च		
	छ	ऐसे प्रयोजन के लिए उपगत व्यय, जो अपराध है या विधि द्वारा प्रतिबिद्ध है	7छ		
	ज	कारपोरेट समाजिक दायित्व पर उपगत व्यय (सी.एस.आर.)	7ज		
	झ	आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की रकम	7झ		
	ञ	धारा 37 के अधीन अनुज्ञात न की गई कोई अन्य रकम	7ञ		
	ट	धारा 37 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (7क से 7ञ का योग)	7		
8	अ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम			
	क	अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(i) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अक		
	ख	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 क(i क) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अख		
	ग	वित्त अधिनियम, 2016 के अध्याय 8 के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40(क)(iख) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अग		
	घ	अध्याय 17 ख के उपबंधों के अनुपालन के कारण धारा 40 क(iii) के अधीन अनुज्ञेय रकम	अघ		
	ङ	लाभ के आधार पर उद्गृहीत या निर्धारित कर या दर की रकम 40 क(ii)	अङ		
	च	धनकर के रूप में संदत्त रकम 40 क(ii क)	अच		
	छ	धारा 40 क(ii ख) के अनुसार स्वामित्व अनुज्ञप्ति फीस सेवा फीस आदि के रूप में संदत्त रकम	अछ		
	ज	ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, अथवा धारा [40(ख)/ 40(खक)] के अंतर्गत स्वीकार्य किसी सहभागी अथवा सदस्य को भुगतान किए गए पारिश्रमिक की राशि	अज		
	झ	कोई अन्य अनुज्ञेय	अझ		
	ञ	धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (अक से अझ का योग)	8अञ		
	आ	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुज्ञेय रकम	8आ		
9		धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय सीमा तक लाभ-हानि लेखों में विकलित रकमों			
	क	धारा 40क(2)(ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संदत्त रकमों	9क		
	ख	धारा 40क(3) के अंतर्गत अस्वीकृत योग अकाउंट पेयी बैंक अथवा अकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट अथवा एक बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम का प्रयोग करके अथवा ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भिन्न अदा की गई राशि जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।	9ख		
	ग	उपदान के संदाय के लिए उपबंध [40 क(7)]	9ग		
	घ	किसी निधि, न्यास, कंपनी, एओपी या बीओआई या सोसाइटी या किसी अन्य संस्था के गठन के लिए या अभिदाय के रूप में, नियोजक के रूप में निर्धारिती द्वारा संदत्त कोई राशि [40 क(9)]	9घ		
	ङ	कोई अन्य अनुज्ञेय	9ङ		
	च	धारा 40क के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (9क से 9ङ का योग)	9च		
10		किसी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ग में धारा 43ख के अधीन अनुज्ञात किन्तु पूर्ववर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम			
	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस के रूप में कोई राशि	10क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवारि की निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	10ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	10ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिधान निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10घ		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	10ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	10च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	10छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (10क से 10च का योग)	10ज		
11		पूर्व वर्ग के लाभ-हानि लेखों में विकलित किन्तु धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कोई रकम			

	क	किसी विधि के अधीन कर, शुल्क, उपकर या फीस की प्रकृति की कोई राशि	11क		
	ख	कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी भविष्य निधि या अधिवारिकी निधि या उपदान निधि या किसी अन्य निधि में अभिदाय के रूप में संदेय कोई राशि	11ख		
	ग	किसी कर्मचारी को दी गई सेवा के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदेय कोई राशि	11ग		
	घ	किसी लोक वित्तीय संस्था या राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक विनिर्माण निगम से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11घ		
	घक	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अथवा चरणबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जमा से किसी ऋण अथवा उधार पर ब्याज के रूप में निर्धारित द्वारा ऐसे ऋण अथवा उधार को प्रशासित करने वाले करार की सेवा तथा शर्तों के अनुसार संदेय कोई रकम	11घक		
	ङ	प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक से किसी ऋण या उधार पर ब्याज के रूप में संदेय कोई राशि	11ङ		
	च	छुट्टी नकदीकरण मद्दे संदेय कोई रकम	11च		
	छ	रेल अस्तियों के उपयोग के लिए भारतीय रेल को संदेय कोई राशि	11छ		
	ज	धारा 43ख के अधीन अनुज्ञेय कुल रकम (11क से 11ज का योग)		11ज	
	12	निम्नलिखित की बाबत लेखाओं में बकाया प्रत्यय की रकम			
	क	संघ उत्पाद शुल्क	12क		
	ख	सेवा कर	12ख		
	ग	मूल्य वर्धित कर/विक्रय कर	12ग		
	घ	केन्द्रीय माल और सेवाकर (सीजीएसटी)	12घ		
	ङ	राज्य माल और सेवाकर (एसजीएसटी)	12ङ		
	च	एकीकृत माल और सेवाकर (आईजीएसटी)	12च		
	छ	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर (यूटीजीएसटी)	12छ		
	ज	कोई अन्य कर	12ज		
	झ	अधिशेष कुल रकम (12क से 12ज का योग)		12झ	
	13	धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 33कग के अधीन लाभ और अभिलाभ समझी गई रकमें		13	
	14	धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई रकम		14	
	15	लाभ-हानि लेखे में (शुद्ध) जमा या विकलित पूर्व अवधि की आय या व्यय की रकम		15	
	16	धारा 14 के अधीन अनुज्ञात व्यय की रकम		16	
	17	क्या निर्धारित धारा 92 गड. की उपधारा 2क के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग कर रहा है (निशान लगाएं) ☒ ☐ हां ☐ नहीं ☐ [यदि हां, तो कृपया अनुसूची टीपीएसए भरें]		17	

भाग क - मात्रात्मक ब्यौरे		मात्रात्मक ब्यौरे (यदि धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हो, तो अनिवार्य)			
मात्रात्मक ब्यौरे	(क)	व्यवसायगत समुत्थान की दशा में			
		1	आरंभिक स्टाक	1	
		2	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	2	
		3	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	3	
		4	अंतिम स्टाक	4	
		5	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	5	
	(ख)	विनिर्माण समुत्थान की दशा में			
		6	कच्चा माल		
		क	आरंभिक स्टाक	6 क	
		ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	6 ख	
		ग	पूर्व वर्ग के दौरान उपभोग	6 ग	
		घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	6 घ	
		ङ	अंतिम स्टाक	6 ङ	
		च	प्राप्त तैयार किए गए उत्पाद	6 च	
		छ	प्राप्त का प्रतिशत	6 छ	
		ज	कमी/आधिक्य, यदि कोई हो	6 ज	
	7	तैयार उत्पाद/उपोत्पाद			

	क	आरंभिक स्टाक	7 क	
	ख	पूर्व वर्ग के दौरान क्रय	7 ख	
	ग	पूर्व वर्ग के दौरान विनिर्मित मात्रा	7 ग	
	घ	पूर्व वर्ग के दौरान विक्रय	7 घ	
	ङ	अंतिम स्टाक	7 ङ	
	च	कमी/आधिक्य यदि कोई हो	7 च	

भाग क—ओ एल		समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता		
समापन के अधीन कम्पनी का प्राप्ति और संदाय खाता	1	आरम्भिक अतिशेष		
	i	हाथ नकदी	1i	
		वैक	1ii	
		कुल आरम्भिक अतिशेष	1iii	
	2	प्राप्तियां		
	i	ब्याज	2i	
		लाभांश	2ii	
		आस्तियों का विक्रय (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
	क		2iii क	
			2iii ख	
			2iii ग	
		कुल (iii क + iii ख + iii ग)	2iii घ	
	iv	देय/ऋणी का वसूल करना	2iv	
	v	अन्य (कृपया प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)		
		क	2v क	
		ख	2v ख	
		ग	2v ग	
	vi	कुल प्राप्ति (2i + 2ii + 2iii घ + 2iv + 2v ग)	2vi	
	3	कुल आरंभिक अतिशेष और प्राप्ति		3
	4	संदाय		
	i	प्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4i	
		अप्रतिभूत ऋण का प्रतिसंदाय	4ii	
		लेनदारों को प्रतिसंदाय	4iii	
	iv	कमीशन	4iv	
	v	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		
		क	4v क	
		ख	4v ख	
		ग	4v ग	
	vi	कुल संदाय (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v ग)	4vi	
	5	अंत अतिशेष		
	i	हाथ नकदी	5i	
		वैक	5ii	
		कुल अंत अतिशेष (5i + 5ii)	5iii	
	6	कुल अंत अतिशेष और संदाय (4vi + 5iii)		6

विवरणी प्रारूप की अनुसूचियाँ यथा लागू करें**अनुसूची गृह संपत्ति**

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए डाउन डाउन का उल्लेख करें)

गृह संपत्ति

1	संपत्ति 1 का पता		नगर/ शहर		राज्य		पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)							
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %							
	सह स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)			
	I							
	II							
	[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)		किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
	I							
	II							
	क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य					1क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती					1ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर					1ग		
घ	योग (1ख + 1ग)					1घ		
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क - 1 घ)- (शून्य, यदि अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार स्वयं के दखल आदि में है)					1ङ		
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)					1च		
छ	1च का 30%					1छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज					1ज		
झ	योग (1छ + 2ज)					1झ		
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%					1ञ		
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1च - 1झ + 1ञ)					1ट		
2	संपत्ति 2 का पता		नगर/ शहर		राज्य		पिन कोड / ज़िप कोड	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)							
	संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता %							
	सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम		सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.		संपत्ति में अंश की प्रतिशतता (%)			
	I							
	II							
	[लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं] (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया		किराएदार का नाम)यदि किराये पर हो(		किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)		किराएदार(रों) का पैन/ टैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
	I							
	II							
	क	प्राप्त या प्राप्य सकल किराया या भाटकीय मूल्य (यदि पूरे वर्ष के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)					2क	
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती					2ख		
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर					2ग		
घ	योग (2ख + 2ग)					2घ		
ङ	वार्षिक मूल्य (2क - 2घ)					2ङ		

	च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ड)			2च	
	छ	1च का 30%	2छ			
	ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज			
	झ	योग (2छ + 2ज)			2झ	
	ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया / वसूल न होने वाला किराया घटा 30%			2ञ	
	ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2च – 2झ + 2ञ)			2ट	
3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो*				3	
4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1ट + 2ट + 3) (यदि नकारात्मक हो तो अनुसूची सीवाईएलए के 2झ का अंक लें)				4	
टिप्पण ▶	इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची भतझ में निर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और अनुसूची तनझ में निर्दिष्ट पास श्रू आय विनिर्दिष्ट करें					
टिप्पण ▶	यदि धारा 194झख के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का स्थायी लेखा संख्यांक/ आधार सं. प्रस्तुत करना आज्ञापक है।					
	यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती होती है तो किराएदार का टैन प्रस्तुत करना आज्ञापक है।					

अनुसूची – कारबार या वृत्ति

कारबार या वृत्ति से आय की संगणना

असट्टे के कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति

1	लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ (भाग क - पी और एल की मद 53, 61(iii) और 62(ख)/ भाग क-लाभ और हानि भारतीय लेखा मानकों के रूप में की मद 53) (यदि लागू हों)					1		
2क	1 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में --चिह्न प्रविट करें)				2क			
2ख	1 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में -- चिह्न प्रविट करें)				2ख			
3	लाभ और हानि लेखा में जमा आय/पावती को आय के अन्य शीर्ष के अधीन धारा 115 खख च के अधीन धारा खघ के अधीन समझा जाएगा ।	क	गृह संपत्ति	3क				
		ख	पूंजी अभिलाभ	3ख				
		ग	अन्य स्रोत	3ग				
		घ	115खखच के अधीन	3घ				
		ङ	115खखछ के अधीन	3ङ				
4क	1 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो आय कर अधिनियम की धारा 44कच/ 44ख/ 44खख/ 44खखक/ 44खखख/ 44कङ/ 44घ/ 44घक अध्याय 12छ/ पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है (115ख से भिन्न) (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)				4क			
4ख	धारा 115ख में निर्दिष्ट जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ				4ख			
4ग	नियम 7, 7क, 7ख (1), 7ख (1क) और 8 के अन्तर्गत आने वाले क्रियाकलापों से लाभ (ड्रॉपडाउन का उल्लेख करें)				4ग			
5	(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है							
	क	फार्म/ फार्मों से आय का अंश	5क					
	ख	एओपी/बीओए से आय के शेयर	5ख					
	ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)						
		i		गii				
		ii		गiii				
		iii	कुल (गi + गii)	5गiii				
	घ	कुल आय पर छूट (5क + 5ख + 5गiii)	5घ					
6	बकाया (1– 2क – 2ख – 3 क - 3ख – 3ग – 3घ - 3ङ - 4– 5घ)					6		
7	लाभ और हानि लेख में विकलित व्यय जो धारा 115 ख ख च या धारा 115 खखछ के अधीन आय से संबंधित है आय के अन्य शीर्ष के अधीन प्रभार्य समझा जाएगा ।	क	स्वामित्व संपत्ति	7क				
		ख	पूंजी अभिलाभ	7ख				
		ग	अन्य स्रोत	7ग				
		घ	115खखच के अधीन	7घ				
		ङ	115खखछ के अधीन	7ङ				
8क	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो कर छूट से संबंधित है				8क			
8ख	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय, जो आय छूट से सम्बन्धित हैं, धारा 14क (भाग क-णझ का 16) के अधीन अननुज्ञात हैं				8ख			
9	कुल (7क + 7ख + 7ग + 7घ + 7ङ + 8)				9			
10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)					10		
11	लाभ और हानि लेखा में विकलित अवक्षयण और अपकरण					11		
12	आयकर अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण							
	i	धारा 32(1)(ii) और धारा 32(1)(ii क) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (अनुसूची डीईपी का स्तंभ 6)			12i			
	ii	धारा 32(1)(i) के अधीन अनुज्ञेय अवक्षयण (आय कर नियम की परिशि-ट 1 को निर्दिष्ट करते हुए स्वयं अपनी संगणना करें)			12ii			

	iii	कुल (12i + 12ii)			12iii		
13	अवक्षयण के लिए समायोजन के पश्चात् लाभ या हानि (10 +11 - 12iii)					13	
14	धारा 36 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 6 द)	14					
15	धारा 37 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 7ट)	15					
16	धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 8कज)	16					
17	धारा 40क के अधीन अनुनुज्ञेय सीमा तक लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम (भाग अ आई का 9 च)	17					
18	पूर्व वर्ग के लाभ और हानि लेखा में विकलित कोई रकम, किन्तु जो धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय हैं (भाग अ आई का 11ज)	18					
19	सुक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुनुज्ञेय ब्याज	19					
20	धारा 41 के अधीन समझी गई आय	20					
21	धारा 32कग/33कघ/ 33कख/ 33कखक/ 35कखक/35कखख/ 32कग/40क(3क) / 33कग/ 72क/ 80जजघ/ 80झक के अधीन समझी गई आय	21					
22	धारा 43गक के अधीन समझी गई आय	22					
23	धारा 28 से 44घक के अधीन के अतिरिक्त कोई अन्य मद या मदें	23					
24	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (फर्मों से जिसमे कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन बोनस और ब्याज सहित)	24					
25	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में बढ़त या हानि में कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4घ)	25					
26	कुल (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24 + 25)				26		
27	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती	27					
28	धारा 32कघ के अधीन अनुज्ञेय योग्य कटौती	28					
29	धारा 32गक के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय रकम	29					
30	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक धारा 35 या 35 गगग या 35गगघ के अधीन अनुज्ञेय कटौती (अनुसूची इसआर का मद भ4 यदि धारा 35 गगग या 35गगघ के अधीन रकम लाभ और हानि लेखा की विकसित रकम से कम है तो यह मद 24 में जाएगी)	30					
31	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 40 के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु पूर्व वर्ग के दौरान अनुनुज्ञेय रकम (भाग अणझ का 8ख)	31					
32	किसी पूर्वगामी पूर्व वर्ग में धारा 43ख के अधीन अनुनुज्ञेय किन्तु वर्ग के दौरान अनुज्ञेय कोई रकम (भाग अणझ का 10ज)	32					
33	कटौती के रूप में अनुज्ञात कोई अन्य रकम	33					
34	आ.स.प्र.मा. समायोजन लेखा पर लाभ में कमी या हानि में बढ़त कमी और स्टॉक मूल्यांकन के तरीके में बदलाव (स्तंभ 3क + अनुसूची OIका 4ङ)				34		
35	कुल (27+28+29+30+31+32+33+34)				35		
37	आय (13+26-35)				36		
	निम्नलिखित के अधीन लाभ या हानि -						
	i	धारा 44कड अनुसूची लाभ और हानि की 62(ii) या भारतीय लेखा मानक लाभ और हानि का 64 (ii)	37i				
	ii	धारा 44ख	37ii				
	iii	धारा 44खख	37iii				
	iv	धारा 44खखक	37iv				
	v	धारा 44खखख	37v				
	vi	धारा 44घ	37vi				
	vii	धारा 44घक	37vii				
	viii	अध्याय-XII-छ (टनेज)	37viii				
	ix	आयकर अधिनियम की पहली अनुसूची (115ख से भिन्न)	37ix				
	x	कुल (37i to 37ix)			37x		
38	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (34 + 37x)				38		
39	नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू हों लागू करने के पश्चात् सट्टे के बाजार या विनिर्दिष्ट व्यवसाय से भिन्न कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (यदि नियम 7क, 7ख या 7ग 8 लागू नहीं हैं तो 35 की वही रकम यथाप्रवि-ठ करेकं जो 35 में है करने के पश्चात विशेष-कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 37 में हैं/ यदि हानि है तो मद च का 2झ लें) (39क + 39ख + 39ग + 39घ + 39ङ + 39च)				अ39		
	क	नियम 7 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय		39क			

	ख	नियम 7क के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ख	
	ग	नियम 7ख(1) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ग	
	घ	नियम 7ख(1क) के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39घ	
	ङ	नियम 8 के अधीन समझी गई प्रभार्य आय	39ङ	
	च	नियम 7क, नियम 7ख और नियम 8 के अधीन (मद सं. 37) से भिन्न आय	39च	
40	वित्त अधिनियम [4ग -(39क+39ख+39ग+39घ+39ङ)] के अनुसार आय के संकलन के प्रयोजन के लिए नियम 7, नियम 7क, नियम 7ख(1), नियम 7ख(1क) और नियम 8 लागू करने के पश्चात् कृषि से प्राप्त हुई समझी गई आय का अतिशेष			40
आ सट्टे के कारबार से आय की संगणना				
41	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि			41
42	धारा 28 से 44 धक के अनुसार परिवर्धन			42
43	धारा 28 से 44 धक के अनुसार कटौतियां			43
44	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (41 + 42 - 43) (यदि हानि है तो मद गचठ का अंक 6 xi लें)			44ख
इ विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना				
45	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से कुल लाभ या हानि			45
46	धारा 28 से धारा 44धक के अनुसार जोड़			46
47	धारा 28 से धारा 44धक के अनुसार कटौतियां (धारा 35कघ ii 32 या 35 जिसमें धारा 35कघ के अधीन कटौती का दावा किया गया के अधीन कटौती से भिन्न)			47
48	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (45 + 46 - 47)			48
49	धारा 35कघ(1) के अनुसार कटौतियां			49
50	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (48 – 49) (यदि हानि हो तो शून्य प्रविट करें)			इ50
51	धारा 35 अ.ई की उपधारा (5) के ऐसे सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट कारबार को सम्मिलित करते हैं (ड्रॉप डाउन मेन्यू से चयन करने के लिए)			इ51
ई	लाभ और हानि शीर्ी के अधीन प्रभार्य आय (अ38+आ44+ इ50)			ई
उ धारा 115ख में संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से आय की संगणना				
(i)	धारा 115ख संदर्भित जीवन बीमा व्यवसाय से निवल लाभ अथवा हानि			उ
(ii)	धारा 30 से 43ख के अनुसार अभिवृद्धि			उ
(iii)	धारा 30 से 43ख के अनुसार कटौतियां			उ
(iv)	धारा 115ख (i)+(ii)-(iv)			उ
ऊ चालू वर्ा में कारबार हानि का अन्तःशीर्ी मुजरा				
क्र. सं.	कारबार आय का प्रकार	चालू वर्ा की आय (इस खाने को उसी दशा में भरें यदि अंक शून्य या सकारात्मक है)	कारबार हानि मुजरा	मुजरा पश्चात् बची हुई कारबार आय
		(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
i	हानि का मजरा(इस पंक्ति को तभी भरें यदि अंक नकारात्मक है)		(क39)	
ii	सट्टे के कारबार से आय	(ख44)		
iii	विनिर्दिष्ट कारबार से आय	(ग50)		
Iv	धारा 115 ख के तहत जीवन बीमा व्यवसाय से आय	(ङ.iv)		
V	कुल हानि मुजरा (ii + iii)			
vi	मुजरा पश्चात् हानि (i – v)			

अनुसूची - डीपीएम		संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण (उन नासतियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय किसी अन्य धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञेय हैं)				
संयंत्र और मशीनरी का अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	संयंत्र और मशीनरी			
	2	दर (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य				
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन				
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा(3+ 4 -5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन				
8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन				
9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण पूरी दर से अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				
10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण				
11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण				
12	4 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
13	7 पर अतिरिक्त अवक्षयण, यदि कोई हो				
14	आस्ति जिसका 180 दिन से कम प्रयोग किया गया है, पर ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में अतिरिक्त अवक्षयण				
15	कुल अवक्षयण। (10+11+12+13+14)				
16	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 15 के बाहर)				
17	शुद्ध सकल अवक्षयण (15-16)				
18	अन्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 17 के बाहर)				
19	आस्ति / आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय				
20	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं रहता है)				
21	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 15) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)				

अनुसूची - अन्य आस्तियों पर अवक्षयण अन्य आस्तियों पर अवक्षयण (उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूंजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)

अन्य आस्तियों पर अवक्षयण	1	आस्तियों का ब्लाक	भूमि	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)			फनीचर और फिटिंग	अमूर्त आस्तियां	पोत
	2	दर (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	पूर्व वर्ग के पहले दिन अवलिखित मूल्य							
	4	पूर्व वर्ग में 180 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए परिवर्धन							
	5	3 या 4 में से पूर्व वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	6	रकम जिस पर पूरी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (3+4-5) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	7	पूर्व वर्ग में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए परिवर्धन							
	8	7 में से वर्ग के दौरान प्रतिफल या अन्य निर्मोचन							
	9	रकम जिस पर आधी दर से अवक्षयण अनुज्ञेय होगा (7-8) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							
	10	पूरी दर से 6 पर अवक्षयण							
	11	आधी दर से 9 पर अवक्षयण							
	12	कुल अवक्षयण। (10+11)							
	13	आयकर अधिनियम की धारा 38(2) के अधीन अननुज्ञात अवक्षयण (स्तंभ 12 के बाहर)							
	14	शुद्ध सकल अवक्षयण (12-13)							
	15	अन्तरवर्तन, समामेलन, निर्विलयन आदि की स्थिति में अनुज्ञात अनुपाति सकल अवक्षरण (स्तंभ 14 के बाहर)							
	16	आस्ति/आस्तियों के अन्तरण के संबंध में उपगत व्यय							
	17	धारा 50 के अधीन पूंजी अभिलाभ/हानि (5 + 8 -3-4 -7 -16) (केवल नकारात्मक लिखें यदि ब्लॉक नहीं हैं)							
	18	पूर्व वर्ग के अंतिम दिन अवलिखित मूल्य। (6+ 9 - 12) (यदि परिणाम नकारात्मक है तो शून्य लिखें)							

अनुसूची - डीईपी		आस्तियों पर अवक्षयण का सार (किसी अन्य धारा के अधीन उन आस्तियों से भिन्न जिन पर पूर्ण पूँजी व्यय कटौती के रूप में अनुज्ञेय है)				
आस्तियों पर अवमूल्यन का सार	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17i या 18i जैसा लागू हैं)	1क		
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17ii या 18ii जैसा लागू हैं)	1ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीपीएम 17iii या 18iii जैसा लागू हैं)	1ग		
		घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्य ह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-17iv अथवा 18iv जैसा भी लागू हो)	1घ		
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			1ङ
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14ii या 15ii जैसा लागू हैं)	2क		
		ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iii या 15iii जैसा लागू हैं)	2ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची डीओए 14iv या 15iv जैसा लागू हैं)	2ग		
		घ	भवन पर कुल अवक्षयण (योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची डीओए 14v या 15v जैसा लागू हो)				3
		4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची डीओए 14vi या 15vi जैसा लागू हो)			4
		5	पोत (अनुसूची डीओए 14vii या 15vii जैसा लागू हो)			5
		6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)			6

अनुसूची - डीसीजी		अवक्षयण योग्य आस्तियों के विक्रय पर माने गए पूंजी अभिलाभ				
	1	संयंत्र और मशीनरी				
		क	15% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20i)	1क		
		ख	30% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20ii)	1ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ त ड 20iii)	1ग		
		घ	45 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास हेतु पात्र ब्लाक (अनुसूची डीपीएम-20iii)	1घ		
		ङ	संयंत्र और मशीनरी पर कुल अवक्षयण (1क+1ख+1ग + 1घ)			1ङ
	2	भवन (जिसमें भूमि सम्मिलित नहीं है)				
		क	5% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17ii)	2क		
		ख	10% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iii)	2ख		
		ग	40% की दर से अवक्षयण क लिए हकदार ब्लॉक (अनुसूची घ ड क 17iv)	2ग		
		घ	योग (2क + 2ख + 2ग)			2घ
	3	फर्नीचर और फिटिंगें (अनुसूची घ ड क 17v)				3
		4	अमूर्त आस्तियां (अनुसूची घ ड क 17vi)			4
		5	पोत (अनुसूची घ ड क 17vii)			5
		6	कुल अवक्षयण (1ङ +2घ+3+4+5)			6

अनुसूची - इएसआर		वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर व्यय (धारा 35 या गगग या गगघ के अधीन कटौती)			
क्र.सं.	धारा में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम, यदि कोई हो	अनुज्ञेय कटौती की रकम	लाभ और हानि लेखा में विकलित रकम से अधिक अनुज्ञेय कटौती	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	
i	35(1)(i)				
ii	35(1)(ii)				
iii	35(1)(ii क)				
iv	35(1)(iii)				
v	35(1)(iv)				
vi	35(2अ)				
vii	35(2आ)				
viii	35गगग				

ix	35गगघ		
x	योग		
टिप्पण ▶	यदि धारा 35(1)(ii) या 35(1)(iiक) या 35(1)(iii) या 35(2कक) के अधीन किसी कटौती का दावा किया गया है तो कृपया अनुसूची दक के अनुसार ब्यौरे दें		

अनुसूची-पूँजी अभिलाम										पूँजी अभिलाम		
क	लघु अवधि पूँजी अभिलाम (एसटीसीजी) (उप-मद 4 और 5 निवासियों के लिए लागू नहीं है)											
लघु अवधि पूँजी अभिलाम	1 भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथक रूप से ब्यौरे भरें)											
	क	i	प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल का पूरा मूल्य						का			
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य						काii			
		iii	पूँजी अभिलाम के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य [यदि (काii) 1.05 गुणा (काi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़े को (काi) के रूप में लें या अन्यथा (काii) के रूप में लें]						काiii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख i			
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख ii			
		iii	पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय						ख iii			
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)						ख iv			
	ग	तुलन काiii – ख iv)						1 ग				
	घ	धारा 54 घ / 54 छ/54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)						1 घ				
	ङ	स्थावर संपत्ति पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (1 ग - 1 घ)						क 1 ङ				
	च	अचल संपत्ति के अंतरण के मामले में कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (टिप्पण देखें)										
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन/ आधार सं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड				
		टिप्पण ▶	यदि कर धारा 194झक के अधीन काटा गया है तो पैन/ देना अनिवार्य है एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें									
	2 स्लमप विक्री से											
		क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				2 क	(प्ररूप 3गडक का 5)				
		ख	वचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख	(प्ररूप 3गडक का 6(इ))				
ग		स्लमप की विक्री से लघु अवधि पूँजी अभिलाम (2 क- 2 खे)						क 2 ग				
3 इक्विटी शेयर या पारस्परिक निधि (एमएफ) उन्मुख इक्विटी की इकाई से, या कारबार न्यास की इकाई, जिस पर धारा 111क या धारा 115कघ(1)(ii) के परंतुक (विदेशी के लिए) के अधीन एसटीटी संदत्त किया गया है												
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3 क						
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i					
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii					
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ग iii					
		iv	योग(i + ii + iii)				ख iv					
	ग	शे-न (3 क – ख iv)				3 ग						
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभार्श/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)				3 घ							
ङ	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूँजी अभिलाम (एसटीटी संदत्त) (3 ङ +3 घ)						क 3 ङ					
4 अनिवासियों के लिए जो एफ आईआई नहीं हैं किसी भारतीय कंपनी के शेयरों या लाभार्शों के विक्रय से (जिसकी संगणना धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ की जाएगी)												
	क	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त किया गया है						क 4 क				
	ख	संव्यवहारों पर एसटीसीजी जिनकपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) संदत्त नहीं किया गया है						क 4 ख				
5 अनिवासियों की दशा में धारा 115कघ के अनुसार किसी एफआईआई द्वारा प्रतिभूतियों के विक्रय (ऊपर ए 3 से भिन्न)												
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-									
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।								
			ख	विहित सीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य								
			ग	पूँजी अभिलाम के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)				ग				
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य						क iii				
		कुल (ग + ii)										
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां										
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i					
			सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii					
			पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii					
योग (i + ii + iii)				ख iv								
ग	शे-न (5 क iii- ख iv)						5 ग					

6	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)					5 घ													
	ड	साम्या शेयर या साम्या उन्मुख एमएफ पर लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (एसटीटी संदत) (3 ड +3 घ)					क 5 ड													
	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों के विक्रय से																			
	क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-																	
			क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य।																
			ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य																
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)				ग													
		ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य																	
		iii	कुल (ग + ii)					क iii												
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां																		
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i														
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii														
	iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii														
	iv	योग (i + ii + iii)				ख iv														
ग	शे-न (6 क iii – ख iv)					6 ग														
घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)- के अधीन अनुज्ञेय हानि- उदाहरण के लिए यदि आस्ति को अभिलेख तारीख से पूर्व तीन मास के भीतर क्रय/अर्जित किया जाता है और लाभ/आय/बोनस युनिटों को प्राप्त किया जाता है तब ऐसी आस्ति के विक्रय से उद्भूत हानि की अनदेखी की जाएगी (केवल सकारात्मक मूल्य दर्ज करें)					6 घ														
ड	अवक्षणी आस्तियों पर माना गया अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची डीसीजीका 6)					6 ड														
च	धारा 54 घ/54 छ/54 छक के अधीन कटौती					6 च														
छ	पूर्वोक्त क 1 या क 2 या क 3 या क 4 या क 5 से भिन्न आस्तियों पर एसटीसी जी (6 ग+ 6 घ + 6 ड + 6 च)					क 6छ														
7	अल्प कालिक अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि																			
क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्क्रीन में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं यदि कोई राशि पूंजीगत अभिलाभ के उपयोग में नहीं लाई जाती है तो कृपया अधिसूचना डीआई के क्रम सं.ग भरें)																			
	क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई हैं	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में कटौती का दावा किया गया है	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (x) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि														
				वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई हैं	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई नई राशि															
	i	2016-17	54घ/54छ/54छक																	
	ख	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/ 54 छ क से भिन्न लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि																		
	धारा 54 ख/54 घ/54 छ/ 54 छ लघु अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (कxi+ ख)							क7												
	8	अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए प्राप्त (अनुसूची पीटीआई भरें) (क8क+ क8ख+क8ग)							क8											
		क	15%की दर से प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8क												
		ख	30% की दर से प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8ख												
		ग	लागू दरों पर प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास					क8ग												
9	एसटीसीजी की रकम जो क1-क8 में सम्मिलित है परंतु डीटीए के अनुसार भारत में कर प्रभाय नहीं है या विशेष दर पर कर प्रभाय है:																			
	क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. का से क8 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीए की धारा	संघि के अनुसार दर (यदि प्रभाय नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हां/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या(9))										
											(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
											I									
	II																			
	क	डीटीए के अधीन भारत एसटीसीजी प्रभाय कर की कुल राशि							क9क											
ख	डीटीए के अनुसार भारत में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभाय एसटीसीजी की कुल रकम							क9ख												
10	कुल लघु अवधि पूंजी अभिलाभ (क1 ड+ क2 ग+ क3 ड+ क4 क+ क4 ख+ क5 ड+ क6छ + क7 + क 8 - क9क)							क 10												
ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (एलटीसीजी) (निवासियों के लिए उप-मद 5, 6, 7, 8 और 9 लागू नहीं हैं)																			
दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ	1	भूमि या भवन या दोनों के विक्रय से (प्रत्येक संपत्ति के लिए ब्यौरे पृथक रूप से भरें)																		
	क	i	प्राप्त/प्राप्त प्रतिफल का पूरा मूल्य				कi													
		ii	स्टॉप मूल्यांकन प्राधिकारी के अनुसार संपत्ति का मूल्य				कii													
		iii	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50ग के अनुसार अंगीकृत प्रतिफल का पूरा मूल्य यदि (कii) 1.05 गुणा (कi), से अधिक नहीं है तो इस आंकड़ों को (कi) के रूप में लें या अन्यथा (कii) लें।				कiii													
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां																		
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i													
ii		सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii														
iii		पूर्णतया और अन्यतः अंतरण के संबंध में व्यय				ख iii														

		iv योग (ख i + ख ii + ख iii)		ख iv				
		ग शे-1 (क iii – ख iv)		1 ग				
		घ धारा 54 घ / 54 डग/54 छ /54 छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)		1 घ				
		ड स्थावर संपत्ति पर दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ (1 ग - 1 घ)		ख 1 ड				
		च अचल संपत्ति के अंतरण की दशा में, कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें (कृपया टिप्पण दें)						
		क्र. सं.	क्रेता(क्रेताओं) के नाम	क्रेता(क्रेताओं) का पैन / आधार नं.	शेयर प्रतिशत	रकम	संपत्ति का पता	पिन कोड
	टिप्पण ►		यदि कर धारा 194छक के अधीन काटा गया है तो पैन/ आधार नं.देना अनिवार्य है । एक से अधिक क्रेता की दशा में कृपया सम्बन्धित शेयर प्रतिशत और रकम उपदर्शित करें ।					

2	रलम्प बिक्री से								
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				2क	(प्ररूप 3गडक का 5)		
	ख	बचनबंध या विभाजन का शुद्ध मूल्य				2 ख	(प्ररूप 3गडक का 6(ड))		
	ग	शे-1 (2 क – 2 ख)				2 ग			
	घ	धारा 54ड.ग के अंतर्गत कटौती				2 घ			
	ड	रलम्प के विक्रय से दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (2 ग-2 घ)				ख 2 ड			
3	बंध पत्रों या डिबेंचरों विक्रय से (सरकार द्वारा जारी पूंजी सूचीकृत बंध पत्रों से भिन्न)								
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				3क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv		
	ग	एलटीसीजी बंध पत्रों या डिबेंचरों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (3क – 3 ख iv)				ख 3 ग			

4	सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या शून्य कूपन बंधपत्रों के विक्रय से जहां धारा 112(1)के अधीन परंतुक लागू होता है।								
	क	प्रतिफल का पूरा मूल्य				4क			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii		
		iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv		
ग	पूर्वोक्त ख 4 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (4क - 4 ख iv)				ख 4 ग				
5	किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जिस पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है								
	उपरोक्त ख5 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अनुसूची 112क का कॉलम 14)							ख5	
6	अनिवासियों के लिए - भारतीय कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों की विक्रय से (धारा 48 के प्रथम परंतुक के अधीन विदेशी मुद्रा समायोजन के साथ संगणित किया जाएगा)								
	सूचकांक (इंडेक्सेशन) लाभ के बिना संगणित शेयर अथवा डिबेंचर पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ							ख 6	
7	अनिवासियों के लिए - (i) धारा 112(1)(ग), के अनुसार असूचीबद्ध प्रतिभूतियां, (ii) धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों (iii) धारा 115कग में निर्दिष्ट बंध पत्रों या जीडीआर, (iv) धारा 115कघ में निर्दिष्ट एफआईआई प्रतिभूतियों के विक्रय से (धारा 112 क में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सिवाय जिसके लिए स्तम्भ ख8 भरा जाएगा)								
	क	i	प्रतिभूतियों जिनमे कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित है, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए:-						
		क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य ।				i क		
		ख	विहित सौति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य				i ख		
		ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)				i ग		
	ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त प्रतिभूतियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य				क ii			
		iii	कुल (iग + ii)				क iii		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां							
		i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत				ख i		
		ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत				ख ii		
		iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय				ख iii		
iv		योग (ख i + ख ii + ख iii)				ख iv			
ग	अनिवासियों की दशा में आस्तियों पर ऊपर 7 पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (क iii - ख iv)				ख7ग				

8	अनिवासियों के लिए किसी कम्पनी में साधारण शेयर के विक्रय या साधारण अभिन्यास निधि इकाई या किसी कारबार न्यास की ईकाई से जसि पर धारा 112क के अधीन एस टी टी संदत्त है								
	उपरोक्त ख8 पर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ (अधिसूचना 115कघ(1)(ख)(iii) का कॉलम 14							ख8	

		9	आस्तियों के विक्रय से जहां ऊपर ख 1 से ख 8 लागू नहीं होते हैं																						
		क	i	आस्तियों जिनमें कोटा किए जाने वाले शेयर के अतिरिक्त कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं, के विक्रय की दशा में निम्नलिखित ब्यौरा दीजिए:-																					
				क	कोटा नहीं किए जाने वाले शेयर के संबंध में प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल का पूरा मूल्य																				
				ख	विहित रीति से अवधारित कोट न किए जाने वाले शेयरों का उचित बाजार मूल्य																				
				ग	पूंजी अभिलाभ के उद्देश्य के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए जाने वाले शेयरों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य (क या ख से अधिक)						ग														
			ii	कोट न किए जाने वाले शेयरों के अतिरिक्त आस्तियों के संबंध में प्रतिफल का पूरा मूल्य																					
			iii	कुल (ग + ii)						क iii															
			ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां																					
				i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत						ख i														
				ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत						ख ii														
				iii	पूर्णतया या अनन्यता के अंतरण से संबंधित व्यय						ख iii														
				iv	योग (ख i + ख ii + ख iii)						ख iv														
			ग	शे-1 (9 क iii – खiv)						7 ग															
			घ	धारा 54घ/धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती (नीचे मद घ में ब्यौरे विनिर्दिट करें)						7 घ															
			ङ	ऊपर ख 9 पर आस्तियों पर दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (9ग - 9घ)						ख 9 ङ															
				10	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि																				
				क	क्या नीचे दिखाए गए पूर्व वर्गों के दौरान अंतरित आस्तियों पर पूंजी अभिलाभ की उपयोग में नहीं लायी जा सकी किसी राशि को उस वर्ग के लिए देय तारीख के भीतर पूंजी अभिलाभ खाता स्कीम में जमा किया गया है? ☐ हां ☐ नहीं ☐ लागू नहीं होता, यदि हां, तो ब्यौरा उपलब्ध कराएं																				
			क्रम सं.	पूर्व वर्ग में जिसमें आस्तियां अंतरित की गई है	वह धारा जिसके अधीन उस वर्ग में जिसमें दावा कटौती कटौती का दावा किया गया है।	नई आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है		नई आस्तियों के लिए उपयोग नहीं की गई या पूंजी अभिलाभ खाता (भ) में उपयोग में नहीं लाई गई बची हुई राशि																	
						वर्ग जिसमें आस्तियां अर्जित/निर्मित की गई है	पूंजी अभिलाभ खाता में से उपयोग की गई राशि																		
		i	2016-17	54घ/54छ/54छक																					
		ख	क से भिन्न दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि																						
		दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ समझी गई राशि (क xi+ख)						ख10																	
		11	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भर्त्त)(ख12क1+ख12क2 + ख12ख)						ख11																
			क1	धारा 112क के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास					ख11क1																
			क2	धारा 112क को छोड़कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधिक पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास					ख11क2																
			ख	दीर्घ अवधि पूंजी अभिलाभ के रूप में पास धूँ आय 20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य					ख 11ख ख																
		12	एलटीसीजी की रकम जो ख1- ख'11 में सम्मिलित है परंतु डीटीएए के अनुसार भारत में कर प्रभार्य नहीं है या विशेष-1 दर पर कर प्रभार्य है: (अनुसूची एसआई को लिया जाना है)																						
		क्रम सं.	आय की राशि	उपरोक्त पद सं. ख 1 से ख 11 जिसमें सम्मिलित है	देश का नाम और कोड	डीटीएए की धारा	संधि के अनुसार दर (यदि प्रभार्य नहीं है तो शून्य लिखें)	क्या टीआरसी प्राप्त है (हाँ/नहीं)	आयकर अधिनियम की धारा	आयकर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6) या(9))														
													(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
													I												
													II												
													क	डीटीएए के अधीन एलटीसीजी प्रभार्य कर की कुल राशि										ख12क	
													ख	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य एलटीसीजी की कुल राशि										ख12ख	
	13	कुल दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ (ख 1ङ + ख 2ङ + ख 3 ग + ख 4 ग + ख 5 + ख 6 + ख 7 ग + ख 8घ - ख9ङ + ख 10 + ख 11 - ख12क) (यदि क्षति हो तो ख13 को शून्य के रूप में लें)										ख 13													
	ग	“पूंजी अशिम” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (क 10 + ख13)										ग													
	घ	पूंजी अभिलाभ के विरुद्ध दावाकृत कटौती की जानकारी																							
	1	धारा 54घ / धारा 54ङग/ धारा 54छ /धारा 54छक के अधीन कटौती की दशा में निम्नलिखत ब्यौरे दें ।																							

क		धारा 54 घ के अधीन दावाकृत कटौती	
i	मूल अस्ति के अर्जन की तारीख	क i	दिन/मास/वर्ष
ii	औद्योगिक उपक्रम के लिए नए भूमि/भवन के क्रय/निर्माण की लागत	क ii	
iii	नए भूमि या भवन के क्रय की तारीख	क iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख से पहले पूंजी अभिलाभ योजना में जमा राशि	क iv	
v	दावाकृत कटौती की राशि	क v	
ख		धारा 54 ङ ग के अधीन दावाकृत कटौती	
i	मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ख i	दिन/मास/वर्ष
ii	विनिर्दिष्ट/अधिसूचित बंधपत्रों में विनिधान की गई रकम (पचास लाख से ज्यादा नहीं)	ख ii	
iii	निवेश की तारीख	ख iii	दिन/मास/वर्ष
iv	दावाकृत कटौती की राशि	ख iv	
ग		धारा 54 छ के अधीन दावाकृत कटौती	
i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	ग i	दिन/मास/वर्ष
ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	ग ii	
iii	शहरी क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में खरीदी/बनाई गई अस्ति की तारीख	ग iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	ग iv	
v	दावाकृत कटौती की राशि	ग v	
घ		धारा 54 छ क के अधीन दावाकृत कटौती	
i	शहरी क्षेत्रसे मूल अस्ति के स्थानांतरण की तारीख	घ i	दिन/मास/वर्ष
ii	नई अस्ति के क्रय या निर्माण के लिए किए गए खर्च और लागत	घ ii	
iii	एसईजेड में नई अस्ति के क्रय निर्माण की तारीख	घ iii	दिन/मास/वर्ष
iv	नियत तारीख के पहले पूंजी अभिलाभ खाता योजना में जमा की गई राशि	घ iv	
v	दावाकृत कटौती की राशि	घ v	
ङ		कुल दावाकृत कटौती (1क + 1ख + 1ग + 1घ)	
		1 ङ	

ङ पूंजी अभिलाभ चालू वर्ग की पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (क9क तथा ख 121क में सम्मिलित राशि को छोड़कर जो डीटीए के अंतर्गत प्रभाव नहीं है)

क्र. सं.	पूंजी अभिलाभ का प्रकार	चालू वर्ग के पूंजी हानि को चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ के साथ मुजराई करना (इस संतुल्य को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)	मुजराई की गई पूंजी हानि				मुजराई की गई दीर्घ अवधि पूंजी हानि			मुजराई के पश्चात चालू वर्ग के पूंजी अभिलाभ 7= 1-2-3-4-5-6)
			15%	30%	लागू दर	डीटीए दर	10%	20%	डीटीए दर	
		1	2	3	4		5	6		7
i	मुजराई की जाने वाली हानि (इस संतुल्य को केवल तभी भरें जब संगणित अंक सकारात्मक हो)		(अ3ड* + अ4क* + अ8क*)	अ5ड* + अ8ख*	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*)	अ9ख*	आ4ग* + आ5* + आ7ग* + आ8च* + आ9ड* + आ11क1* + आ11क2*)	(आ1ड* + आ2ड* + आ3ग* + आ6ग* + आ9ड* + आ10* + आ11ख*)	आ12ख	
ii	लघु अवधि पूंजी अभिलाभ	15%	(अ3ड* + अ4क* + अ8क*)							
iii		30%	अ5ड* + अ8ख*							
iv		लागू दर	(अ1ड* + अ2ग* + अ4ख* + अ6छ* + अ7* + अ8ग*)							

v		डीटीए दर दर	अ9ख*							
vi	दीर्घ अवधि पूंजी हानि	10%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)							
vii		20%	आ4ग*+ आ5*+ आ7ग*+ आ8च*+ आ9ड*+ आ11क1*+आ11क2*)							
viii		डीटीए दर दर	आ12ख							
ix	मुजराई की गई कुल हानि (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
x	मुजराई के बाद शेन हानि (i – ix)									
इस सारणी में एसटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एसटीसीजी की वह रकम है जिसमें एसटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, घटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।										
इस सारणी में एलटीसीजी के अंक (अ1ड*) स्तंभ (अ1-अ8) में क्रमश संग्रहित एलटीसीजी की वह रकम है जिसमें एलटीसीजी की रकम जो कि कर प्रदाय नहीं है या डीटीए के अनुसार विशेष दर पर प्रदाय है, घटाई गई है, सम्मिलित है, यदि कोई है।										
च	पूंजी अभिलाभ के उद्भूत /प्राप्ति के वि-य में सूचना									

		पूँजी अभिलाभ का प्रकार / तारीख	15/6 तक (i)	16/6 से 15/9 (ii)	16/9 से 15/12 (iii)	16/12 से 15/3 (iv)	16/3 से 31/3 (v)
1		15% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5v से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
2		30% की दर से प्रभार्य अल्पकालिक अवधि पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
3		लागू दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
4		डीटीए की दर पर करादेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5viii से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
5		10% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5vix से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
6		20% की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5x से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					
7		डीटीए की दर पर करादेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ अनुसूची बीएफएलए की मद 5xi से मूल्य भरें, यदि कोई हो तो					

अनुसूची 112ए													
कंपनी अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट में इक्विटी शेयर की ब्रिकी से जिन पर धारा 112क के अंतर्गत एसटीटी अदा किया गया है													
क्रम सं.	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिट की संख्या	विक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	विचारार्थ पूर्ण मूल्य (कुल विक्री मूल्य)(4*5)	इंडेक्सेशन बिना अधिग्रहण की लागत (8 अथवा 9 का उच्चतर)	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति 01 फरवरी, 2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी – निम्न	31 जनवरी, 2019 की स्थिति के अनुसार उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	धारा 55(2)(कग) के अनुसार पूंजीगत परिसम्पत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य	अंतरण के संबंध में पूर्णतय अथवा विशेष रूप से व्यय	कुल कटीतियां (7+12)	शेष (6-13)-आईटीआर 6 की एलटीसीजी अनुसूची की मद 5
(कॉलम 1)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम 6)	(कॉलम 7)	(कॉलम 8)	(कॉलम 9)	(कॉलम 10)	(कॉलम 11)	(कॉलम 12)	(कॉलम 13)	(कॉलम 14)
1													
2													
पंक्तियाँ जोड़े													
योग													

अनुसूची 115कच(1)(ब)(iii)	एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा निधि उन्मुख इक्विटी की यूनिट अथवा बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट की ब्रिकी से जिनपर धारा 112 क के अंतर्गत एसटीटी अदा किया गया है।

क्र स	आईएसआईएन कोड	शेयर/यूनिट का नाम	शेयर/यूनिटों की संख्या	बिक्री मूल्य प्रति शेयर/यूनिट	विचारार्थ पूर्ण मूल्य कुल बिक्री मूल्य रु 5	इंडेक्सेशन के बिना अधिग्रहण की लागत 8 अथवा 9 का उच्चतर	अधिग्रहण की लागत	यदि दीर्घावधि परिसंपत्ति 01-2-2018 से पूर्व अधिग्रहित की गई थी	31 जनवरी 2018 को उचित बाजार मूल्य प्रति शेयर यूनिट	धारा 56 2 कग के अनुसार पूंजीगत परिसंपत्ति का कुल उचित बाजार मूल्य 4 से 10	अनुसरण के संबंध में पूर्णतया तथा विशेषकर व्यय	कुल कटौतियां 3 7	शेष(6-13) -आईटम्स 8 का एलटीसीजी शेडयूल का आईटीआर 6
(कॉलम 1)	(कॉलम 2)	(कॉलम 3)	(कॉलम 4)	(कॉलम 5)	(कॉलम6)	(कॉलम7)	(कॉलम 8)	(कॉलम9)	(कॉलम10)	(कॉलम11)	(कॉलम12)	(कॉलम13)	(कॉलम14)
1													
2													
पंक्तियां जोड़े													
योग													

अनुसूची-अन्य स्रोत

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभाय सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)					1		
	क	धारा 10(34) तथा 10(35) के अन्तर्गत छूट नहीं दी गई				1क		
	ख	व्याज, सकल (खं + खंi + खंii + खंiv + खंव)				1ख		
		i	वचत बैंक खाता	खं				
		ii	जमा राशि (बैंक/ डाकखाना/ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी)	खंi				
		iii	आय कर प्रतिदाय से	खंii				
		iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खंiv				
		v	अन्य	खंव				
	ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय				1ग		
	घ	धारा 56 (2) (x) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घं + घंi + घंii + घंiv + घंव)				1घ		
		i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का समग्र मूल्य	घं				
		ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घंi				
		iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घंii				
		iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घंiv				
		v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घंव				
	ङ	कोई अन्य आय कृपया प्रकृति का उल्लेख करें						
		क्रम सं	प्रकृति			राशि		
		1						
		लाइन जोड़े						
	2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रम सं से 1)					2	
		क	जाटरी वर्ग पहली इत्यादि की जीत के रूप में आय				2क	
ख		धारा 115खखघ के अधीन प्रभाय आय (खं + खंi + खंii + खंiv + खंव + खंvi)				2ख		
		i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खं				
		ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खंi				
		iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खंii				
		iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खंiv				
		v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खंव				
		vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खंvi				
ग		विशेष दर पर प्रभाय कोई आय (घंi से घंxix का कुल योग)				2ग		
		i	धारा 115 क(1)(क)(i) के अधीन किसी अनिवासी जो कंपनी नहीं है या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	ग i				
		ii	धारा 115 क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभाय सरकार या विदेशी करेन्सी श्रृण पर भारतीय समुन्यान से प्राप्त व्याज	ग ii				
		iii	धारा 115 क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभाय अवसंरचना श्रृण निधि से प्राप्त व्याज	ग iii				
		iv	धारा 115 क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभाय धारा 194 टघ में निर्दिष्ट व्याज	ग iv				

	v	धारा 115 क(1)(क)(ii)कख के अधीन प्रभार्य धारा 194 औ ई में निर्दिष्ट व्याज	ग v			
	vi	धारा 115 क(1)(क)(ii)कग के अधीन प्रभार्य धारा 194 औआअ में निर्दिष्ट वितरित आय जो व्याज है	ग vi			
	vii	धारा 115 क(1)(क)(iii) के अधीन प्रभार्य यूटीआई की इकाई या धारा 10 (23घ) में विनिर्दिष्ट अन्य पारस्परिक निधिसे आय	ग vii			
	viii	धारा 115 क(1)(ख)(क) तथा 115(1)(ख)(ख) सरकार या भारतीय समुन्यान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस से आय	ग viii			
	ix	धारा 115 कग के अधीन प्रभार्य अनिवासियों द्वारा व्याज के रूप में या बॉण्डस या जी डी आर या विदेशी करेन्सी में क्रय किया गये लाभांश से आय	ग ix			
	x	धारा 115 कघ (1)(i) के अधीन प्रभार्य प्रतिभूतियों (धारा 115 कख में निर्दिष्ट इकाईयों के सिवाय) के संबंध में एफआईआई द्वारा प्राप्त व्याज के रूप में आय	ग x			
	xi	धारा 115 कग(1)(i) के परन्तुक के अनुसार प्रभार्य किसी एफआईआई दवारा बाण्ड पर या धारा 194 टघ में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्तव्याज के रूप में आय	ग xi			
	xii	धारा 115 खखक के अधीन प्रभार्य अनिवासी खिलाड़ी या खेल संगठनों पर कर	ग xii			
	xiii	धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य कतिपय मामलो में गुप्त दान	ग xiii			
	xiv	धारा 115 कखक के अधीन प्रभार्य विनिर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा देशी कम्पनी से लाभांश के रूप में प्राप्त दस लाख से अधिक आय	ग xiv			
	xv	धारा 115 कखच के अधीन प्रभार्य भारत में विकसित और रजिस्टर्ड पेटेन्ट से रॉयल्टी के रूप में आय	ग xv			
	xvi	धारा 115 कखच्के अधीन प्रभार्य कार्बन क्रेडिट के अंतरण के द्वारा आय	ग xvi			
	xvii	भारतीय कंपनी द्वारा विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी	ग xvii			
	xviii	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया तथा तकनीकी के लिए फीस से आय	ग xviii			
घ	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्त्रोतों से आय की प्रकृति में पास थू आय (डॉप डाउन दिया जाए)				2घ	
ङ	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर प्रभार्य है उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित राशि (नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 का कुल योग)				2ङ	

क्रम सं.	आय की रकम	मद सं. 1क to 1घ, 2ग & 2घ में जो सम्मिलित है	देश का नाम और कूट	धनकक की मद	संधि के अनुसार दर (कुछ नहीं दर्ज करें, यदि प्रभार्य नहीं है)	क्या टीआरसी अभिप्राप्त किया गया है (हां/नहीं)	आय-कर अधिनियम की धारा	आय-कर अधिनियम के अनुसार दर	लागू दर (6 या 9 में से निम्नतर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I									
II									
3 धारा 57 के अधीन कटौतियां (2क, 2ख और 2ग के अधीन विशेष दर पर प्रभार्य आय से संबंधित कटौतियों के सिवाय अन्य कटौतियों)									
	क	व्यय/ कटौतियां					3क		
	ख	अवक्षयण (तभी उपलब्ध यदि आय 1 ग में प्रस्तुत की गई)					3ख		
	ग	योग					3ग		

4	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम						4	
5	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ						5	
6	सामान्य लागू दर (1 (डीटीएए हिस्से से संबंधित आय कम करने के बाद - 3 + 4 + 5) पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से शुद्ध आय (यदि नकारात्मक है तो सीवाईएलए अनुसूची के 3 x में अंकों को रखें)						6	
7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)						7	
8	धुड़ दौड़ के स्वामियों के क्रियाकलापों से आय ।							
	क	प्राप्तियां	8क					
	ख	केवल 8क की प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेष (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 11ख के अंक प्रविष्टि करें)				8ङ		
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	अन्य स्रोतों से आय की प्रोद्घन/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
	क्रसं.	अन्य स्रोतों से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	

			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1	धारा 115 खखक के अधीन लाभार्थ आय							
2	धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लाटरी, वर्ग पहेलियों दौड़, खेलों, घुत, शर्तों इत्यादि से जीती हुई राशि के रूप में आय							

अनुसूची सीवाईएलए चालू वॉ की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का स्रोत	चालू वॉ की आय (इस स्तंभ को केवल तभी भरें यदि आय शून्य या सकारात्मक है)	मुजरा की गई चालू वॉ की गृह संपत्ति हानि	मुजरा की गई चालू वॉ की कारबार हानि (सट्टे या विनिर्दिष्ट कारबार की हानि से भिन्न)	अन्य स्रोतों से चालू वॉ के लिए मुजराई की गई हानि (दौड़ के घोड़ों से हानि और विशेष दर पर कर से प्रभाय रकम से भिन्न)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	हानि की मुजराई की जानी है (यदि आकडे नकारात्मक हों तभी इस पंक्ति को भरें)		(अनुसूची एचपी का 4)	(अनुसूची बीपी की मद च का 2)	(अनुसूची ओएस का 6)	
ii	गृह संपत्ति	(अनुसूची एचपी का 4)				
iii	बिजनेस धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय तथा सट्टा बिजनेस से आय तथा आय	(अनुसूची एचपी का क 38)				
Iv	धारा 115ख के अन्तर्गत जीवन बीमा बिजनेस से आय	(बीपी अनुसूची की मद च का 3)				
v	सट्टे से आय	(बीपी अनुसूची की मद च का 3ii)				
vi	धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार आय	(बीपी अनुसूची की मद च का 3iii)				
vii	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9ii)				
viii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 iii)				
ix	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9iv)				
x	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9v)				
xi	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9vi)				
xii	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 vii)				
Xiii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीजी की मद ड का 9 viii)				
xiv	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्रोतों से शुद्ध आय	(अनुसूची ओएस की मद 6)				
Xv	दौड़ के घोड़ों का सौमित्र रखने और उनके पोषण करने से लाभ	(अनुसूची ओएस की मद 8ड)				
xvi	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	(अनुसूची ओएस की मद 2 च)				
xvii	मुजरा की गई कुल हानि					
xviii	मुजरे के पश्चात् शेष हानि (i - xvii)					

अनुसूची बीएफएलए पूर्व वॉ की अग्रणीत हानियों के मुजरे के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र.सं.	आय का स्रोत	अनुसूची सीवाईएलए के 5 के अनुसार चालू वॉ की हानियों के मुजरे के पश्चात् आय	मुजरा की गई अग्रणीत हानि	मुजरा किया गया अग्रणीत अवक्षयण	मुजरा किया गया, धारा 35(4) के अधीन अग्रणीत मोक (रिबेट)	मुजरे के पश्चात् शेष बची चालू वॉ की आय
		1	2	3	4	5
i	गृह संपत्ति	(अनुसूची सीवाईएलए का 5ii)	(ख यदि गृह संपत्ति से हानि है)			
ii	बिजनेस (बीमा बिजनेस सट्टा बिजनेस से आय तथा विनिर्दिष्ट बिजनेस से आय को छोड़कर)	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iii)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iii	धारा 115 ख के अधीन जीवन बीमा कारबार से लाभ और अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5iv)	(ख यदि सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न, कारबार से हानि है)			
iv	सट्टे से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5v)	(ख यदि सट्टेबाजी से हानि है)			
v	विनिर्दिष्ट कारबार आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5vi)	(ख विनिर्दिष्ट कारबार से हानि है)			
vi	15 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 vii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
vii	30 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 viii)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			
viii	लागू दर पर कर से प्रभाय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 ix)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)			

ix	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 x)	(ख यदि अल्प कालिक पूंजी हानि है)		
x	10 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xi)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)		
xi	20 प्रतिशत की दर से कर से प्रभाय दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)		
xii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय दीर्घ कालिक अभिलाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5xiii)	(ख यदि अल्प कालिक या दीर्घ कालिक पूंजी हानि है)		
Xiii	सामान्य लागू दरों पर प्रभाय अन्य स्त्रों से शुद्ध आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xiv)			
Xiv	घुड़दौड़ के स्वामित्व और अनुरक्षण से लाभ	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xv)	(ख यदि घुड़दौड़ से हानि है)		
xv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्त्रों से आय	(अनुसूची सीवाईएलए का 5 xvi)			
Xvi	मुजरा की गई अग्रनीत कुल हानि				
xvii	चालू वर्ग की मुजरे के पश्चात शेष बची हानि योग	(5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii+ 5xiii+ 5xiv + 5xv)			

अनुसूची-सीएफएल भावी के व-ॉ के लिए अग्रणीत हानियों का विवरण

[illegible]

	यूनिट धारकों के बी वितरित चालू वर्ष हानि(केवल निवेश निधि के लिए लागू)															
xvii																

अनुसूची -अनामेलित अवक्षयण धारा 35(4) के अधीन अमामेलित अवक्षयण और भत्ते

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	अवक्षयण			धारा 35(4) के अधीन भत्ते		
		अग्रणीत अनामेलित अवक्षयण की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा की गई अवक्षयण की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेन रकम	अग्रणीत अमामेलित भत्ते की रकम	चालू वर्ष की आय के विरुद्ध मुजरा किए गए भत्ते की रकम	अगले वर्ष के लिए अग्रणीत शेन रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	चालू निर्धारण वर्ष						
ii							
iii	योग		(बीएफएलए का 3xvi)			(बीएफएलए का 4xvi)	

अनुसूची आ.स.प्र.मा. लाभ पर आय संगणना प्रकटीकरण मानक का प्रभाव

क्रम.सं.	आ.स.प्र.मा.	रकम (+) या (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	लेखा नीति	
II	तालिकाओं का मूल्यांकन (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
III	संनिर्माण संविदाएं	
IV	राजस्व मान्यता	
V	मूर्त नियत आस्तियां	
VI	विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन	
VII	सरकारी अनुदान	
VIII	प्रतिभूतियां (145 क के अधीन मूल्यांकर की पद्धति में बदलाव से भिन्न, यदि वह भाग क-ण के स्तंभ 4घ या 4 ड में पृथक रूप से सूचित किया गया है)	
IX	उधार लेने की लागत	
X	समाश्रित दायित्व और समाश्रित आस्तियां की व्यवस्था	
11 क	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि सकारात्मक हो)	
11 ख	लाभ पर आईसीएस समायोजन का कुल प्रभाव (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (यदि नकारात्मक हो)	

अनुसूची-10कक धारा 10कक के अधीन कटौती

धारा 10कक के अधीन कटौती	विशेष आर्थिक क्षेत्र में अवस्थित यूनिटों की बाबत कटौती					
	क्र0 सं0	उपक्रम	निर्धारण वर्ष जिसमें इकाई निर्माण/उत्पादन शुरू करती है	क्र0 सं0	रकम	
	क	उपक्रम सं0 1		क	(उपक्रम 1 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)	
	ख	उपक्रम सं0 2		ख	(उपक्रम 2 के लिए प्ररूप 56 के उपाबंध अ का मद 17)	
	ग	धारा 10कक के अधीन कुल कटौतियां (कृपया अनुसूची डीआई२ का क्रम सं ख भरे)				ग

अनुसूची 80छ धारा 80 छ के अधीन कटौतियों के लिए हकदार दानों के ब्यौरे

दान के ब्यौरे	क	बिना अर्हता सीमा के 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान			
		आदाता का नाम और पता	आदाता का पैस	संदान की रकम	
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान
	i			कुल संदान	

	ii							
	iii		कुल					
ख	बिना अर्हता सीमा के 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान							
	आदाता का नाम और पता			आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i							
	ii							
	iii	कुल						
ग	अर्हता सीमा के अध्वधीन 100 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान							
	आदाता का नाम और पता			आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i							
	ii							
	iii	कुल						
घ	अर्हता सीमा के अध्वधीन 50 प्रतिशत कटौतियों के लिए हकदार संदान							
	आदाता का नाम और पता			आदाता का पैना	संदान की रकम			संदान के लिए उपयुक्त रकम
					नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i							
	ii							
	iii	कुल						
ङ	कुल दान (कiii + खiii + गiii + घiii)							

अनुसूची 80जीजीए वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए संदान का ब्यौरा

क.सं.	सुसंगत खंड जिसके अधीन अनुदान का दावा किया गया है (डाप डाउन दिया जाए)	संदान आदाता का नाम और पता	संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	अनुदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
i							
ii							
	कुल संदान						

अनुसूची आरए अनुसंधान संगम इत्यादि को संदान के ब्यौरें [धारा 35(1)(ii) या 35(1)(ii) या 35(1)(iii) या 35(2कख) के अधीन कटौतियां]

	संदान आदाता का नाम और पता		संदान आदाता का स्थायी खाता संख्या	संदान की राशि			संदान की उपयुक्त राशि
				नकद संदान	अन्य रीति से संदान	कुल संदान	
	i						
	ii						
	iii		योग				

अनुसूची 80झक धारा 80झक के अधीन कटौतियां

धारा 80झक के अधीन कटौतियां	क	धारा 80झक (4) (i) में निर्दिष्ट किसी उद्यम के लाभों की बाबत कटौतियां (अवसंरचना सुविधा)	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ख	धारा 80झक (4) (ii) में निर्दिष्ट किसी उपक्रम के लाभों की बाबत कटौतियां (दूरसंचार सुविधा)	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	ग	धारा 80-झक(4) (iii) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (औद्योगिक पार्क और विशेष आर्थिक जोन)	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
	घ	धारा 80-झक(4) (iv) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत)	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	
			घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररुप 10गगख का मद 30)	

ड	धारा 80-इक(4)(v) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (विद्युत उत्सर्जन संयंत्र का पुनरुज्जीवन) और धारा 80इक (vi) में निर्दिष्ट उद्यम के लाभों की बाबत कटौती (क्षेत्र पार प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क)	ड1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		ड2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
च	धारा 80-इक के अधीन कुल कटौती (क 1 + क 2 + ख1 + ख2 + ग1 + ग2+ घ1 + घ2+ ड1 + ड2)				च

अनुसूची 80 इख धारा 80-इख के अधीन कटौती

क	जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती (धारा80इख(4))	क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ख	आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80इख(4))	ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ग	औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों की बाबत कटौती (धारा80इख(5))	ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		ग2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घ	बहुविधा थियेटर की दशा में कटौती (धारा80इख(7क))	घ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 10(v))	
		घ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 10(v))	
ड	कन्वेंशन केन्द्रों की दशा में कटौती (धारा80इख(7ख))	ड1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 10(v))	
		ड2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 10(v))	
च	वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली कंपनी की दशा में कटौती (धारा80इख(8क))	च1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		च2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
छ	ऐसे उपक्रम की दशा में कटौती, जो खनिज तेल का वाणिज्यिक उत्पादन और खनन आरंभ करता है (धारा80इख(9))	छ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		छ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ज	गृह परियोजना का विकास और निर्माण करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(10))	ज1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		ज2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
झ	प्रशीतन श्रृंखला सुविधा का प्रचालन करने वाले उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11))	झ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		झ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ञ	फल और सब्जियों, मांस, मांस उत्पाद, कुक्कुट, समुद्री या डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकिंग में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11क))	ञ1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		ञ2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ट	अनाज की संभलाई, भंडारण और परिवहन के एकीकृत कारबार में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11क))	ट1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
		ट2	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ठ	ग्रामीण अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा80इख(11ख))	ठ1	उपक्रम सं0 2	प्ररूप 10गगख का 11(v))	
		ठ2	उपक्रम सं0 2	प्ररूप 10गगख का 11(v)	
ड	वर्जित क्षेत्र से भिन्न, किसी क्षेत्र में अस्पताल के परिचालन और अनुरक्षण में लगे उपक्रम की दशा में कटौती (धारा 8इख (11ग))	ड1	उपक्रम सं0 1	प्ररूप 10गगख का 11(d))	
		ड2	उपक्रम सं0 2	प्ररूप 10गगख का 11(d))	
ढ	धारा 80इख के अधीन कुल कटौती (क1 से ड2 का योग)				ढ

अनुसूची-80-इग या 80-इड धारा 80-इग या धारा 80इड के अधीन कटौतियां

धारा 80-इंग के अधीन कटौती

क	सिक्किम में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			क1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
				क2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ख	हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			ख1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
				ख2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
ग	उत्तरांचल में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती			ग1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
				ग1	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)	
घ	पूर्वोत्तर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रम की बाबत कटौती						
घक	असम	घक1	उपक्रम सं0 1				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
		घक2	उपक्रम सं0 2				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
घख	अरुणाचल प्रदेश	घख1	उपक्रम सं0 1				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
		घख2	उपक्रम सं0 2				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
घग	मणिपुर	घग1	उपक्रम सं0 1				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
		घग2	उपक्रम सं0 2				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
घघ	मिजोरम	घघ1	उपक्रम सं0 1				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
		घघ2	उपक्रम सं0 2				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
घड	मेघालय	घड1	उपक्रम सं0 1				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
		घड2	उपक्रम सं0 2				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
घच	नागालैंड	घच1	उपक्रम सं0 1				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)
		घच2	उपक्रम सं0 2				(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)

घ	त्रिपुरा	घक1	उपक्रम सं0 1	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
		घक2	उपक्रम सं0 2	(उपक्रम के प्ररूप 10गगख का मद 30)		
घज	पूर्वोत्तर में अवस्थित उपक्रमों के लिए कटौतियों का योग (घक1 से घक2 का योग)				घज	
ड	धारा 80झग या धारा 80झड के अधीन कुल कटौती (क+ घ + ग+घज)				ड	

अनुसूची-VI- क

अध्याय VI- क के अधीन कटौतियां

कुल कटौतियां

1	भाग ख - कतिपय संदाय के बाबत कटौती					
	क्या आपने अध्याय VI के भाग ख के अन्तर्गत किसी कटौती का दावा करने के प्रयोजनाथ 01.04.2020 से 30.06.2020 के बीच कोई निवश/जमा/भुगतान किया है यदि हां, तो कृपया अनुसूची डीआई का क्रम सं “क” भरे)					[हां/ नहीं]
क	80छ		ख	80छछख		
ग	80छछक		घ	80छछग		
भाग ख के अधीन कुल कटौती (क + ख + ग + घ)						1
2	भाग ग- कतिपय आय के बाबत कटौती					
ड	80झक	(अनुसूची 80झक का च)	च	80झकख		
छ	80झकग		ज	80झख		(अनुसूची 80झख का ण)
झ	80झखक		ञ	80झग/ झड.		(अनुसूची 80-झग/80-झड का ड.)
ट	80ञक		ठ	80ञकक		(प्ररूप 10ड.क का उपाबंध 10)
ड	80ठक(1)	(प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9)	ढ	80ठक(1क)		(प्ररूप 10गगच का उपाबंध 9)
ण	80तक					
भाग ग के अधीन कुल कटौती (कुल ड से ण)					2	
3	अध्याय VI- क के अधीन कुल कटौतियां (1 +2)				3	

अनुसूची एसआई

विशेष दर से प्रभाय आय (धारा और कर की दर के लिए कृपया अदेश देखें)

विशेष दर

क्र.सं	धारा / विवरण	☑	विशेष दर (%)	आय (i)	उस पर कर ii
1	111क अथवा 115कघ(1)(ख)(ii)- परन्तुक (एमएफ उन्मुख शेयर/इक्विटी पर एसजीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है)	☐	15	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5v)	
2	115 कघ (एफआईआई प्रतिभूतियों पर अल्प कालिक पूंजी अभिलाभ जहा एसटीटी का संदाय नहीं किया गया है)	☐	30	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5vii)	
3	112 परन्तुक (सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी/यूनिट सूचीकर के बिना)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
4	112(1)(c)(iii) (गैर निवासियों पर अनुपयोजित प्रतिभूतियों पर एलटीसीजी)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
5	115 कख (अनिवासियों के लिए धारा 115कख में निर्दिट इकाईयों पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
6	115 कग (अनिवासियों के लिए बंध पत्रों /जीडीआर पर दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
7	115 कघ (प्रतिभूतियों पर एफआईआई के लिए दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ)	☐	10	(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5x)	
8	112 (अन्य पर एलटीसीजी)	☐	20	(अनुसूची बीएफएलए का 5xi)	
9	112क (शेयरों अथवा यूनितों की विक्री दर एलटीसीजी जिन पर एसटीटी अदा किया गया है अथवा धारा 115कघ (1)(ख)(iii)-परन्तुक	☐	10	(अनुसूची सीजी का आ5च और आ8च अनुसूची सीजी)	
10	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी एलटीसीजी			(अनुसूची बीएफएलए का 5ix)	
11	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभाय एसटीसीजी			(अनुसूची बीएफएलए का भाग 5xii)	
12	115ख (जीवनबीमा कारबारक के लाभ और अभिलाभ)	☐	12.50	अनुसूची बीपी का भाग ३ (iv))	
13	115 कग (यदि अनिवासी की आय विदेशी मुद्रा में क्रय किए गए बंध पत्रों या जीडीआर से है)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 1 च ii)	
14	115 खख (लॉटरी, वर्ग पहली, दौड़, खेल आदि से जीत)	☐	30	(अनुसूची ओएस का 2क)	
15	115खखघ (विनिर्दिट विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश)	☐	15	(अनुसूची - ओएस का भाग 2घxvi)	
16	115 खखड (धारा 68,69,69क,69ख,69ग या 69घ के अधीन आय	☐	60	(अनुसूची ओएस का 2ख)	
17	115क(1)(ख)(क) तथा 115क(1)(ख)(ख)(रायल्टी तथा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस से विदेशी कंपनी की आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का भाग 2घviii)	
18	115खखच (पेटेंट से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 3घ)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvi)	
19	115खखछ (कार्बन जमा के अंतरण से आय पर कर)				
	क शीर्ष कारबार या वृत्ति के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची बीपी का 8ड)	
	ख शीर्ष अन्य स्रोत के अधीन आय	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2घxvii)	
20	डीटीए के अनुसार भारत में विशेष दर पर कराधेय अन्य स्रोतों से आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2च का भाग)	
21	15 प्रतिशत की दर से प्रभाय अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृतिकी पास थूँ आय	☐		(अनुसूची बीएफएलए का 5बीआई का भाग)	

22	30 प्रतिशत की दर से प्रभार्य अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृतिकी पास थूँ आय	☐		(अनुसूची वीएफएलए का 5बीआईआई का भाग)	
23	112क के अन्तर्गत 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐		(अनुसूची वीएफएलए का 5एक्स का भाग)	
24	20 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घ कालिक पूंजी अभिलाभ की प्रकृतिकी पास थूँ आय	☐		(अनुसूची वीएफएलए का 5एक्सआई का भाग)	
25	धारा 112क से भिन्न 10 प्रतिशत की दर से प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय के जरिए पास	☐		अनुसूची वीएफएलए का 5एक्स भाग)	
26	विशेष दरों से प्रभार्य अन्य स्त्रोंतों की प्रकृतिकी पास थूँ आय (ई-फाइलिंग उपयोगिता में ड्राप डाउन प्रदान किया जाना है)	☐		(अनुसूची ओएस का 2ड)	
27	115खघक (घरेलू कंपनी से 10 लाख रूपए से अधिक लाभांश आय)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2डीएस्कवी)	
28	एक विदेशी (आफ शोर) निधि द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदी गई यूनिटों के बारे में प्राप्त की गई आय-115कख(1)	☐	10	(अनुसूची ओएस का 2डीएक्सवी)	
29	रायल्टी से आय जहां 31.3.1961 से 31.3.1976 के बीच करार किया गया और तकनीकी सेवाओं से फीस से आय जहां करार 29.2.1964 से 31.3.1976, के बीच किया गया और करार का केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।	☐	50	(अनुसूची ओएस का 2डीएक्सआईएस्क)	
			योग		

अनुसूची-छूट प्राप्त आय छूट प्राप्त आय के व्यौरे (वह आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है या कर से प्रभार्य नहीं है।)

छूट प्राप्त आय	1	ब्याज से आय					1		
	2	घरेलू कंपनी से लाभांश आय (दस लाख रुपए से अधिक रकम)					2		
	3	i	शुद्ध कृषि आय (आयकर नियम के नियम 7क, 7ख या 8 के अधीन सम्मिलित न की जाने वाली आय से भिन्न)			i			
		ii	कृषि पर उपगत व्यय			ii			
		iii	पूर्व आठ कर-निर्धारण वर्षों का अनआमेलित कृषि हानि			iii			
		iv	वर्ष (i-ii-iii) के लिए शुद्ध कृषि आय (यदि हानि है तो शून्य निर्दिष्ट करें)					3	
		v	यदि वर्ष के लिए कृषिगत आय 5 लाख ₹0 से अधिक है तो, कृपया निम्नलिखित व्यौरें दीजिए (प्रत्येक कृषिगत भूमि के लिए अलग से व्यौरा दीजिए)						
			क	जिला का नाम पिन कोड सहित, जहाँ कृषिगत भूमि है					
			ख	एकड़ में कृषिगत भूमि का नाम					
		ग	क्या कृषिगत भूमि का स्वामित्व रखते हैं या पट्टा पर ली है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
		घ	क्या कृषिगत भूमि सिंचित है या वर्षा पर आश्रित है (ड्राप डाउन दिया जाए)						
	4	अन्य छूट प्राप्त आय (कृपया उल्लेख करें)					5		
	5	डीटीएए के अनुसार आय जो कर से प्रभाय नहीं है							
		क्र.सं;	आय की राशि	आय की प्रकृति	देश का नाम और कोड	डीटीएए का अनुच्छेद	आय का शीर्ष	क्या टीआरसी लिया गया है (हाँ/ना)	
		I							
		II							
		III	डीटीएए से कुल आय जो कर से प्रभाय नहीं है					5	
	6	पास थूँ आय जो कर से प्रभाय नहीं है (अनुसूची पीटीआई)					6		
	7	योग (1+2+3+4+5+6)					7		

अनुसूची पीटीआई धारा115 पक115 ,पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्यौरे

पास के माध्यम से आय	क्रम	धारा 115पक/115पख में निवेशित	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास / विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश निधि वितरित चालू वर्ष हानि का शयर	निवल आय/हानि 9=7-8	ऐसी रकम पर खोत पर कर कटौती , यदि कोई हों
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(ड्राप डाउन प्रदान किया जाता है)			i	गृह संपत्ति				
					ii	पूंजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि				
					का	धारा 111क				

						का॥	अन्य									
						ख	दीर्घकालिक अवधि									
						खा॥	धारा 112									
						खा॥	धारा 112A									
						iii	अन्य ख़ात									
						क	1150)									
						ख	अन्य									
						iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी									
						क	धारा 10(23चखख) के अधीन									
						ख	धारा के अधीन									
						ग	धारा.....के अधीन									
						2.										
						i	गृह संपत्ति									
						ii	पूँजी अभिलाभ									
						क	अल्पकालिक अवधि									
का॥	धारा 111क															
का॥	अन्य															
ख	दीर्घकालिक अवधि															
खा॥	धारा 112क															
खा॥	धारा 112क से भिन्न															
iii	अन्य ख़ात															
क	लाभांश (धारा 115त में संदर्भित)															
ख	अन्य															
iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी															
क	धारा 10(23चखख) के अधीन															
ख	धारा के अधीन															
ग	धारा.....के अधीन															

टिप्पण ► इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को निर्देशित करें।

अनुसूची एमएटी		धारा 115ख के अधीन संदेय न्यूनतम बैकल्पिक कर की संगणना		
न्यूनतम बैकल्पिक दर	1	क्या लाभ और हानि लेखा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के भाग 2 के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐	
	2	यदि 1 ना है तो क्या लाभ और हानि लेखा प्रकार की कम्पनी को शासित करने वाले अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार किया गया है (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐	
	3	क्या ऊपर स्तंभ 7 में निर्दिष्ट लाभ और हानि लेखा में, लाभ और हानि लेखा तैयार करने के लिए समान लेखा नीतियों, लेखा मानक का अनुपालन किया गया और अवक्षण्य की संगणना करने के लिए दरों की समान पद्धति कंपनी वार्षिक साधारण निकाय बैठक में कंपनी के समक्ष अधिकथित तैयार लेखा के लिए भी अपनाई गई है ? (यदि हां तो, 'हां' लिखें, यदि नहीं तो 'ना' लिखें)	☐	
	4	लाभ और हानि लेखा में यथादर्शित कर पश्चात् लाभ भाग क पी एंड एल की मद 56 प्रविट करें)/(भाग क-पी एल आईएनडी ए एस की मद 56 में प्रविट करें) (जो लागू हो)	4	
	5	योग (यदि लाभ और हानि लेखा में विकलित है)		
	क	आस्थगित कर की रकम और उसके लिए उपबंध समेत संदत्त या संदेय आय कर या उसका उपबंध (एफबीटी से भिन्न)	5क	
	ख	आरक्षित (धारा 33कग के अधीन आरक्षित के सिवाय)	5ख	
	ग	अभिनिश्चित न किए गए दायित्व के लिए उपबंध	5ग	
	घ	समनुगंभी कंपनियों की हानियों के लिए उपबंध	5घ	
	ङ	संदत्त या प्रस्तावित लाभांश	5ङ	
च	धारा 10, 11 और 12 के अधीन छूट प्राप्त आय संबंधित व्यय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	5च		
छ	एओपी/बीओआई की आय में शेयर से संबंधित व्यय पर जिस पर धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	5छ		
ज	धारा 115ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चख) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में व्यय	5ज		
झ	धारा 115ख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (चग) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या युनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	5झ		
ञ	115खच के अधीन कर पर प्रभार्य पेटेंट की बाबत स्वामित्व के मद्धे आय से संबंधित व्यय	5ञ		
ट	आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए मान्य अवक्षण्य	5ट		

	ठ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर अभिलाभ	5ठ		
	ड	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और किसी आस्ति के मूल्य में कमी के लिए उपबंध सहित)	5ड		
	द	कुल कटौतियां (5क+5ख+5ग+5घ+5ङ+5च+5छ+5ज+5झ+5ञ+5ट+5ठ + 5ड)	5द		
6	कटौतियां				
	क	आरक्षित से निकाली गई रकम या यदि लाभ या हानि लेखा को जमा की गई है तो उपबंध	6क		
	ख	धारा 10, , 11 और 12 के अधीन आय (धारा 10 (38) के अधीन छूट प्राप्त आय को छोड़कर छूट प्राप्त आय)	6ख		
	ग	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित और लाभ और हानि लेखा में जमा की गई रकम से निकली गई उस सीमा तक जब तक आस्ति के मूल्यांकन के मान्य अवक्षयण की रकम से अधिक नहीं होने की सीमा तक	6ग		
	घ	एओपी/ बीओआई की आय में अंश जिस पर लाभ और हानि खाते में जमा धारा 86 के अनुसार आय कर संदत्त नहीं हैं	6घ		
	ङ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiघ) में निर्दिष्ट विदेशी कंपनी की दशा में आय	6ङ		
	च	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiङ) में निर्दिष्ट कतिपय पूंजी आस्तियां या यूनिटों के अंतरण पर संकेतन हानि	6च		
	छ	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ट) में निर्दिष्ट यूनिटों के अंतरण पर हानि	6छ		
	ज	धारा 115अख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iiछ) में निर्दिष्ट स्वामित्व के मद्धे आय	6ज		
	झ	अग्रित की गई हानि या गैर आमेलित अवक्षयण जो भी कम हो या दोनों जो भी लागू हो।	6झ		
	ञ	रुग्ण औद्योगिक कंपनी का लाभ जो शुद्ध लाभ के बराबर या एकत्रित हानियों से अधिक है।	6ञ		
	ट	अन्य (अवशिष्ट असमायोजित मदों और लाभ और हानि लेखा में जमा किए गए आस्थगित कर की रकम सहित)	6ट		
	ठ	कुल कटौतियां (6क+6ख+6ग+6घ+6ङ+6च+6छ+6ज+6झ+6ञ+ 6ट)	6ठ		
7	धारा 115अख के अधीन कुल लाभ (4+ 5द – 6ठ)				
			7		

8	क्या कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के उपबंध में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (आईएनडी-एस) के अनुपालन में कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, यदि हां तो नीचे व्यौरे प्रस्तुत करें।			☐ हां	☐ नहीं
	क. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन अतिरिक्त खाता लाभ				
	क	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8क		
	ख	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8ख		
	ग	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ग		
	घ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8घ		
	ङ	कुल जोड़ (8क + 8ख + 8ग + 8घ)	8ङ		
	ख. धारा 115अख की उपधारा (2क) से (2ग) के अधीन खाते से कटौती				
	च	शीर्ष वे मदें, जो लाभ और हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं की जाएगी, के अधीन लाभ और हानि के विवरण में अन्य व्यापक आय	8च		
	छ	शेयर धारक में किसी निर्विलयन के लिए बिना नकद आस्ति के वितरण पर लाभ और हानि के विवरण हेतु विकलन की रकम	8छ		
	ज	धारा 115अख(2ग) में यथा निर्दिष्ट सक्रमण रकम के 1/5वें (यदि लागू हो)	8ज		
	झ	अन्य (जिसमें अवशिष्ट समायोजन भी शामिल है)	8झ		
	ञ	कुल जोड़ (8च + 8छ + 8ज + 8झ)	8ञ		
9	धारा 115अख (7 + 8ङ – 8ञ) के अधीन समझी गई कुल आय			9	
10	धारा 115अख के अधीन संदेय कर			10	

अनुसूची एमएटीसी		धारा 115 अख के अधीन कर प्रत्यय की संगणना	
1	निर्धारण वर्ष 2020-21 में धारा 115अख के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 1घ)	1	
2	निर्धारण वर्ष 2020-21 में अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कर (भाग बीटीटीआई का 2छ)	2	
3	कर की रकम जिसके विरुद्ध प्रत्यय उपलब्ध है [यदि 2 1 से बढ़ा है तो (2-1) प्रवि-ट करें, अन्यथा 0 प्रवि-ट करें]	3	
4	उपलब्ध एमएटी प्रत्यय का उपयोग [चालू वर्ष के दौरान उपयोग किए गए एमएटी प्रत्यय की राशि ऊपर 3 में वर्णित रकम के अधिकतम के अधीन है और		

[illegible]

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों का संदर्भ ग्रहण करें। व्यष्टि होने की दशा में भारतीय नागरिक न होने पर जो कि कारबार, नियोजन या छात्र वीजा पर भारत में है, पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आसतिजिसमें वह अनिवासी था, को इस अनुसूची में रिपोर्ट करना आज्ञापक नहीं है यदि चालू पूर्व वर्ष के दौरान उस आसतिसे कोई आय प्राप्त नहीं हुई है।

अनुसूची एसएच-1 **असूचीबद्ध कम्पनी की शेयर धृति** (एक कंपनी से भित्रि जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25) अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 3(2) के अन्तर्गत गारंटी द्वारा एक कंपनी लिमिटेड अथवा एक स्टार्टअप जिसके लिए अनुसूची एसएच-2 भरा जाना है को छोड़कर)

[illegible][illegible]

अनुसूची एसएच-2	स्टार्ट-अप की शेयर धृति
यदि आप वह स्टार्ट-अप है जिसने डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019, के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है कृपया शेयर धारण के ब्यौरे प्रस्तुत करें:-	
पूर्व वर्ष की समाप्ति पर यथा शेयर धृति का ब्यौरा	

आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे

अनुसूची एल-1 वर्ष की समाप्ति पर आस्तियां और दायित्व (किसी असूचीबद्ध कंपनी द्वारा भरा जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित है) (किसी स्टार्ट-अप से अन्य जिसके द्वारा अनुसूची एल-2 भरना जाना है)

क	आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)			
(i)													
(ii)													
ख	घर की प्रकृति आवासीय न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे												
क्र.सं.	पता		पिन कोड		अर्जन की तारीख		अर्जन की कीमत (रु.)			प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)			
(i)													
ग	सूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
	आरंभिक अतिशेष			वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर			वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर			अंत अतिशेष			
	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	शेयरों के प्रकार	अर्जन की कीमत	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
घ	असूचीबद्ध साधारण शेयरों का ब्यौरा												
	कंपनी का नाम	पेन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित किए गए शेयर				वर्ष के दौरान अंतरित किए गए शेयर		अंत अतिशेष		
			शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत	शेयरों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रति शेयर निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति शेयर क्रय कीमत (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की संख्या	अर्जन की कीमत
ङ	अन्य प्रतिभूतियों के ब्यौरे												
	प्रतिभूतियों के प्रकार	क्या सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियां				वर्ष के दौरान अंतरित की गई प्रतिभूतियां		अंत अतिशेष		
			प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	प्रतिभूतियों की संख्या	अभिदान/क्रय की तारीख	प्रति शेयर अंकित मूल्य	प्रतिभूतियों की निर्गमन कीमत (नए निर्गमन की दशा में)	प्रति प्रतिभूति क्रय कीमत (विद्यमान धारक से क्रय की दशा में)	प्रतिभूतियों की संख्या	विक्रय प्रतिफल	प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत
च	अन्य अस्तित्व को पूंजी अभिदाय के ब्यौरे												
	अस्तित्व का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अभिदाय की गई रकम		वर्ष के दौरान निकाली गई रकम		वर्ष के दौरान विकलित या जमा किए गए लाभ /हानि/लाभांश/ब्याज की रकम		अंत अतिशेष		
छ	किसी अन्य समुत्थान को उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निष्पारिती का साबान कारवार नहीं है)												
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष		प्राप्त रकम		संदत रकम	विकलित ब्याज, यदि कोई हो	अंत अतिशेष		ब्याज की दर (%)		

ज	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे							
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
झ	आभूषण, पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोने-चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)			
ञ	दायित्वों के ब्यौरे							
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची एल-2

वर्ष के अंत में आस्तियां और दायित्व (केवल स्टार्ट-अप के लिए लागू)

	यदि आप एक ऐसे स्टार्ट-अप हैं जिसमें डीपीआईआईटी अधिसूचना तारीख 19.02.2019 के पैरा-5 के अधीन प्ररूप-2 में घोषणा फाइल की है, कृपया निगमन की तारीख से वर्ष के अंत तक की अवधि के लिए निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-							
क	निगमन से अर्जित आवासीय घर होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(i)								
(ii)								
ख	निगमन से अर्जित आवासीय घर न होने पर भवन या उसकी भूमि के उपाबंध या दोनों के ब्यौरे							
क्र.सं.	पता	पिन कोड	अर्जन की तारीख	अर्जन की कीमत (रु.)	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या पूर्व वर्ष के अंत पर या पहले अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
(i)								
ग	निगमन से दिए गए उधार और अग्रिम के ब्यौरे (यदि साहूकारी निष्पारिती का सारवान कारवार नहीं है)							
	व्यक्ति का नाम	पैन	तारीख जिसको उधार और अग्रिम दिए गए हैं	उधारों और अग्रिमों की रकम	रकम	क्या उधार और अग्रिम का प्रतिसंदत्त हो गया है, यदि हां तो ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	ब्याज की दर यदि कोई हो
घ	निगमन से अन्य अस्तित्व को किए गए पूंजी अभिदाय के ब्यौरे							
	अस्तित्व का नाम	पैन	तारीख जिसको पूंजी अभिदाय किया गया है	अभिदाय की रकम	निकाली गई रकम यदि कोई हो	वर्ष के दौरान विकलित या प्रत्यय किए गए लाभ / हानि/लाभांश/ब्याज की रकम	पूर्व वर्ष के अंत में अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ङ	शेयरों और प्रतिभूतियों के अर्जन के ब्यौरे							
	कंपनी/अस्तित्व का नाम	पैन	शेयरों /प्रतिभूतियों के प्रकार	अर्जित शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो
च	मोटर यान, वायुयान नौका या अन्य परिवहन के अन्य माध्यम के ब्यौरे, जिसकी वास्तविक कीमत निगमन से अर्जित दस लाख रुपयों से अधिक है							
	आस्ति का विवरण	बाहन की रजिस्ट्रीकृत सं.	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	प्रयोजन जिसके लिए उपयोग किया गया (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख		
छ	निगमन से अर्जित आभूषणों का ब्यौरा							

	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
ज	निगमन से अर्जित पुरातत्वीय संग्रह, चित्रकारी, रंगचित्र, मूर्ति, कला या सोना चांदी के अन्य कार्य का ब्यौरा							
	आस्ति का विवरण	मात्रा	अर्जन की कीमत	अर्जन की तारीख	उपयोग का प्रयोजन (ड्रॉप-डाउन दिया जाए)	क्या अंतरित किया गया, यदि हां तो अंतरण की तारीख	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर अंत अतिशेष, यदि कोई हो	
झ	दायित्वों के ब्यौरे							
	वित्तीय संस्थान से भिन्न किसी व्यक्ति से लिए गए उधार, निक्षेपों और अग्रिमों के ब्यौरे							
	व्यक्ति का नाम	पैन	आरंभिक अतिशेष	प्राप्त रकम	संदत्त रकम	जमा किया गया ब्याज यदि कोई हो	अंत अतिशेष	ब्याज की दर (%)

टिप्पण ► कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें

अनुसूची डीआई

निवेश के ब्यौरे

A) अध्याय VI के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ निवेश/जमा/भुगतान

धारा	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कटौती की पात्र राशि(अनुसूची VI के अनुसार भाग-ख कतिपय भुगतानों के बारे में कटौती	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच निवेश/व्यय को आरोप्य कटौती
(1)	(2)	(3)
80छ		
80छछ		
80छछक		
80छछख		
80छछग		
योग		

B) धारा 10क के अन्तर्गत कटौती की पात्र राशि

अनुसूची 10क के अनुसार आश्वासन	अनुसूची 10क के अनुसार कटौती की राशि	एसईजैड अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुसार जारी किए गए अनुमोदन पत्र की तारीख	क्या धारा 10क के अन्तर्गत कटौती का दावा करने का प्रथम वर्ष है और क्या 01 अप्रैल 2020 से 30 जून, 2020 के बीच शर्तों का अनुपालन किया गया है(हां/नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)
आश्वासन 1			
आश्वासन 2			
आश्वासन 3			
योग			

C) धारा 54 से 54छख के अन्तर्गत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ भुगतान/अधिग्रहण/खरीद/निर्माण

दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ

धारा	पूंजीगत अभिलाभ खाते में से प्रयुक्त राशि (अनुसूची सीजी के क्रम सं खजक के अनुसार)	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच प्रयुक्त राशि
(1)	(2)	(3)
54घ		
54छ		
54छक		
योग		

अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ

धारा	पूंजीगत अभिलाभ खाते में से प्रयुक्त राशि अनुसूची निजी का क्रम सं क7क के अनुसार)	01 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच प्रयुक्त राशि

	(1)	(2)	(3)
54घ			
54छ			
54छक			
योग			

अनुसूची जीएसटी आवर्तन/ रिपोर्ट की गई सकल रसीद के संबंध में सूचना

जीएसटी का ब्यौरा	क्र.सं.	जीएसटीआईएन (सं.)	फाइल की गई जीएसटी विवरणी (विवरणियों) के अनुसार जाबक पूर्तियों का वार्षिक मूल्य
	(1)	(2)	(3)
टिप्पण ▶	कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए पृथक रूप से सूचना उपर प्रस्तुत करें		

अनुसूची एफडी विदेशी करेंसी में संदाय/प्राप्ति के ब्यौरे (निर्धारित जो धारा 44कख के अधीन लेखों की संपरीक्षा करवाने हेतु दायी नहीं है)

करेंसीवार ब्यौरा	क्रम सं.		रकम (रुपये में)
	i	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान किए गए संदाय	
	ii	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान किए संदाय	
	iii	पूँजीगत लेखा पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
	iv	राजस्व खातो पर वर्ष के दौरान प्राप्ति	
टिप्पण ▶	कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों को विनिर्दिष्ट करें		

भाग - ख

भाग ख कुल आय कुल आय की संगणना

कुल आय	1	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची गृहसंपत्ति का 4) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)				1	
	2	कारबार या वृत्ति से लाभ और हानि सटटे का कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि					
	i	सटटे का कारबार और विनिर्दि-ट कारबार से भिन्न कारबार से लाभ हानि (अनुसूची -बीपी का क39) (शून्य प्रवि-ट करें यदि हानि हो)	2i				
	ii	सटटे का कारबार से लाभ हानि अनुसूची बीपी की तालिका च के 3(ii)(यदि हानिक हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफएल के आंकडे लें)	2ii				
	iii	विनिर्दि-ट कारबार से लाभ और अभिलाभ (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3(iii)(यदि हानि हो तो शून्य भरें तथा अनुसूची सीएफल का आंकडे लें)	2iii				
	iv	विशेष दरों पर कर से प्रभार्य आय (अनुसूची बीपी की तालिका च का 3घ तथा 3ङ और 3व)	2iv				
	V	कुल (2i + 2ii+2iii + 2iv)				2v	
	3	पूंजी अभिलाभ					
	क	अल्पकालिक					
	i	अल्पकालिक प्रभार्य 15% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9ii)	काi				
	ii	अल्पकालिक प्रभार्य 30% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iii)	काii				
	iii	लागू दर पर अल्पकालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी की मद ड के 9 iv)	काiii				
	iv	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर अल्प-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9v)	काiv				
	v	कुल अल्पकालिक (काi + काii+काiii + काiv) (यदि हानि तो शून्य प्रविष्ट करें)		3कv			
	ख	दीर्घकालिक					
	i	दीर्घकालिक प्रभार्य 10% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vi)	खाi				
	ii	दीर्घकालिक प्रभार्य 20% की दर से (अनुसूची सीजी की मद ड के 9vii)	खाii				
	Iii	डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर दीर्घ-कालिक प्रभार्य (अनुसूची सीजी के मद ड की 9viii)	खाiii				
	iv	कुल दीर्घकालिक (खाi + खाii + खाiii) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)		खाiv			
ग	कुल दीर्घकालिक अभिदाय (3कv + 3खाiv) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)				3ग		
4	अन्य स्रोतों से आय						

	क	साधारण लागू दरों पर कर से प्रभाय स्रोतों से अन्य शुद्ध आय (अनुसूची ओएस का 6) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट कर)	4क		
	ख	आय पर प्रभाय कर विशेष दर पर (अनुसूची ओ एस का 2)	4ख		
	ग	दोड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख-रखाव के क्रिया कलापों से आय (अनुसूची ओ एस का 8ड) (यदि हानि है तो शून्य प्रविट करें)	4ग		
	घ	कुल (4क+ 4ख+ 4ग)		4घ	
5	शीर्ष-वार आय का योग (1 + 2व + 3ग + 4घ)				5
6	5 के लिए मुजरे के चालू वर्ग की हानियां (अनुसूची सीवाईएलए का कुल 2xvii, 3xvii तथा 4xvii)				6
7	चालू वर्ग की हानियों के मुजरा करने के पश्चात् अतिशेन (5-6) अनुसूची सीवाईएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (ii), (iii), (v) से (xv) तक का योग + 4ख + 2iv)				7
8	7 के विरुद्ध मुजरा किए जाने योग्य अग्रनीत की गई हानि (बीएफएलए अनुसूची का कुल 2xvi, 3xvi तथा 4xvi)				8
9	सकल कुल आय (7-8) (अनुसूची बीएफएलए के कॉलम 5 के क्रम सं (i), (ii), (iv) से (xiv) तक का योग + 4ख + 2iv)				9
10	9 में सम्मिलित, धारा 111क, धारा 112, धारा 112क आदि के अधीन आय पर विशेष दर से प्रभाय कर				10
11	अध्याय 6 के अधीन कटौतियां				
	क	अनुसूची 6क का भाग ख [अनुसूची VIक का 1 तथा बीएफएलए के i5+ii5+iv5+v5+viii5+xiii5+xiv5 तक सीमित]		11क	
	ख	अनुसूची 6क का भाग ग [अनुसूची VIक का 2 तथा अनुसूची बीएफएलए के ii5 तक सीमित]		11ख	
	ग	कुल (11क + 11ख) (9-10) तक सीमित)		11ग	
12	धारा 10कक के अधीन कटौतियां (योग अनुसूची 10कक)				12
13	कुल आय (9- 11ग-12)				13
14	विशेष दर पर आय पर प्रभाय कर (अनुसूची एस आई के (i) का योग				14
15	मामूली दर पर आय पर प्रभाय कर (13 - 14)				15
16	शुद्ध कृषि आय/दर प्रयोजन के लिए कुल अन्य (अनुसूची ईआई का 3)				16
17	चालू वर्ग की हानियां जो अग्रनीत की जानी है (अनुसूची सीएफएल का xv) का योग				17
18	धारा 115 जख के अधीन समझी जाने वाली कुल आय (अनुसूची एमएटी का 9)				18

भाग ख - कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

कर दायित्व की संगणना	1	क	धारा 15जख के अधीन समझी जानी वाली कुल आय पर संदेय कर (अनुसूची एमएटी का 10)	1क	
		ख	ऊपर (क) पर अधिभार (यदि लागू है)	1ख	
		ग	उपर (1क+1ख) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	1ग	
		घ	धारा 115जख के अधीन संदेय कुल कर (1क + 1ख + 1ग)	1घ	
	2	कुल आय पर संदेय कर			
		क	भाग ख- टी आई की मद 15 पर मामूली दरों पर कर	2क	
		ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एस आई (ii) का योग)	2ख	
		ग	(2क + ख) कुल आय पर संदेय कर	2ग	
		घ	अधिभार		
		i	एस आई अनुसूची 12(ii) का 25%	2घi	
		ii	एस आई अनुसूची का 12(ii) - 2ग)	2घii	
		iii	कुल (i + ii)	2घiii	
		ड	(2ग+2घiii) पर 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	2ड	
		च	सकल कर दायित्व (2ग+2 घiii +2ड)	2च	
	3	सकल संदेय कर (1घ और 2च की उच्चतर प्रविट करें)			
	4	पूर्ववर्ग में धारा 115 जकक के अधीन जमा संदत्त कर (यदि 2च 1घ से अधिक हो तो) (एमएटीसी अनुसूची का 5)			
	5	धारा 115जकक के अधीन जमा के पश्चात् संदेय कर [(3 - 4)]			
	6	कर अनुतो-1			
		क	धारा 90/90क (अनुसूची टीआर का 1क 12 का योग)	6क	
		ख	धारा 91 (अनुसूची टीआर का 1बी23 का योग)	6ख	
		ग	कुल (6क + 6ख)	6ग	
	7	शुद्ध कर दायित्व (5 - 6ग) (यदि नकारात्मक हो तो शून्य प्रविट करें)			
	8	संदेय ब्याज और फीस			
		क	विवरणी देने में चूक के लिए ब्याज (धारा 234क)	8क	
		ख	अग्रिम कर में भुगतान में चूक के लिए ब्याज (धारा 234ख)	8ख	
		ग	अग्रिम कर आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	8ग	

	घ	आय विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक के लिए फीस (धारा 234च)										8घ												
	ड	कुल संदेय व्याज (8क+8ख+8ग +8घ)											8ड											
	9	सकल दायित्व (7 + 8ड)											9											
देय कर	10	संदत्त कर																						
	क	अग्रिम कर (15क के स्तंभ 5 से)										10क												
	ख	टीडीएस (15ख के स्तंभ 9 का योग)										10ख												
	ग	टीसीएस (15ग के स्तंभ 7 का योग)										10ग												
	घ	स्व निर्धारण कर (15क के स्तंभ 5 से)										10घ												
	ड	कुल संदत्त कर (10क+10ख+10ग +10घ)										10ड												
	11	संदेय रकम (9 - 10ड) (यदि 9 10ड से अधिक है तो शून्य प्रवि-ट करें)											11											
	12	प्रतिदाय (यदि 10ड 9 से अधिक है) (यदि कोई प्रतिदाय हो तो सीधे बैंक खाते में जमा हो जाएगी)											12											
बैंक खाता	13	क्या आपका भारत में कोई बैंक खाता है, भारत में बिना बैंक खातों वाले प्रतिदाय का दावाकरने वाले अनिवासी नहीं का विकल्प चुन सकते हैं)																						
	(क)	पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमैट खाते को छोड़कर)																						
	क्रम सं.	यदि बैंक खाता भारत में है तो बैंक का आईएफएससी कोड					बैंक का नाम					खाता सं					खाता को इंगित करें जिसमें आप अपना प्रतिदाय क्रेडिट यदि कोई हो प्राप्त करना चाहते हैं)एक खाता पर निशान लगाएं)							
	i																							
ii																								
	नोट: 1) प्रतिदाय क्रेडिट हेतु न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए 2) प्रतिदाय के केस में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध(मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय सीपीसी द्वारा विवरणी के संसाधन के बाद निर्णित खाते में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा																							
	(ख) अनिवासी: जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में बैंक खाता नहीं है, तो वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते के ब्यौरे प्रस्तुत कर सकते हैं																							
	क्रम सं.	एसडब्ल्यू आई एफ टी कोड					बैंक का नाम					देश का नाम(लोकेशन					आईबीएएन							
	यथा अपेक्षित पंक्ति बढ़ाई जा सकती है																							
	14	क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय (i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं; (ii) भारत के बाहर स्थित किसी लेखा में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या (iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आय है? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)															☐ हां ☐ नहीं							

15	अनुसूची-आयकर																				
क	अग्रिम कर और आयकर के स्वतनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे																				
कर संदाय	क्र.सं	बीएसआर कोड					जमा करने की तारीख (दिन/मास/व-ी)					चालान की क्रम संख्या					रकम (रुपए में)				
	i																				
	ii																				
	iii																				
	iv																				
	v																				
	vi																				
टिप्पण--भाग ख--टीटीआई की क्रम सं0 10क और 10घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर प्रवि-ट करें ।																					

ख स्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख/16ग के अनुसार]														
क्र.सं.	स्वयं/अन्य व्यक्ति से संबंधित टीडीएस प्रत्यय नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय दूसरे व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/किरायेदार/क्रेता का पैन/ आधार सं.	अग्रेषित किया गया अदावाकृत टीडीएस (बी/एफ)		चालू वित्त वर्ष का टीडीएस(वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान काटा गया टीडीएस		इस वर्ष दावा किया जा रहा प्रत्यय (केवल यदि तत्स्थानी आय को इस वर्ष कर लिए प्रस्तावित किया जा रहा है)			तदनुरूपी रसीद प्रस्तुत की गई		अग्रेषित किया जा रहा टीडीएस प्रत्यय	
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	टीडीएस बी/एफ	अपने हाथों में की गई कटौती	नियम 37खक(2) (यदि लागू हो)		अपने हाथों में किया गया दावा	नियम 37 खक(2) के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दावा किया गया (यदि लागू हो)		सकल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार सं.		
i														
टिप्पण ▶कृपया भाग ख -टीटीआई के स्तभ-9 में 10ख के योग को प्रविष्ट करें														

ग आय के स्रोत पर संगृहीत कर	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
	क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत टीसीएस		चालू वित्त वर्ष का टीसीएस(वत्ति वर्ष 2019-20 के दौरान संग्रहित टीसीएस)	इस वर्ष दावा की जा रही (5) अथवा (6) में से राशि (तभी यदि इस वर्ष कर के लिए तदनुरूपी रसीद प्रस्तुत की जा रही है।	अग्रणीत होने वाली (5) या (6) में से रकम
				वित्तीय वर्ा जिसमें संग्रहीत किया गया	अग्रणीत रकम			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
ii								
टिप्पण ▶ कृपया भाग ख-टीटीआई के 10ग में स्तभ (7) का योग भरें								

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री.....यह घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार विवरणी और इसकी अनुसूचियों में दी गई जानकारी आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार सही और पूर्ण है ।

मैं यह और घोषणा करता हूं/ करती हूं कि मैं..... (झोप-डाउन दिया जाए) की हैसियत से यह विवरणी दे रहा/ रही हूं और इस विवरण को देने और इसका सत्यापन करने के लिए भी सक्षम हूं । मैं स्थायी लेखा संख्यांक.....धारण कर रहा हूं (यदि आवंटित हो) (कृपया अनुदेश देखें).

मैं यह और घोषणा करता हूं कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में,जहां धारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

तारीख.....

यहां हस्ताक्षर करें

प्ररूप	आ.क.वि-7	भारतीय आयकर विवरणी [उन व्यक्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत कंपनियां भी हैं, जिनसे केवल धारा 139 (4क) या धारा 139 (4ख) या धारा 139(4ग) या धारा 139(4घ) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है] (कृपया आय-कर नियम, 1962 का नियम 12 देखिए) (कृपया मार्गदर्शन के लिए अनुदेश देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	0	-	2

भाग क-साधारण

नाम (सृजन/स्थापन/निगमन/विरचना संबंधी विलेख में यथावर्णित)										स्थायी लेखा संख्यांक															
फ्लैट/द्वार/ब्लाक सं०				परिसर/भवन/ग्राम का नाम										विरचना/निगमन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष) / /											
सड़क /मार्ग/डाक घर				क्षेत्र/अवस्थान										प्रास्थिति				उपप्रास्थिति		☐					
नगर/शहर/जिला				राज्य						पिन कोड /जिप कोड				(निदेश पैरा 11ख देखें)		☐		(निदेश पैरा 11ख देखें)		☐					
कार्यालय का दूरभा- संख्या एसटीडी कोड सहित/ मोबाइल सं.										फैक्स सं. / मोबाइल सं.2										ई मेल पता 1					
ई मेल पता 2																									
क्या निर्धारित द्वारा कोई परियोजना/संस्था चलाई जा रही है? (हां/नहीं) यदि हां तो कृपया ब्यौरे दें:																									
आपके द्वारा चलाई जा रही परियोजना/संस्थाओं का ब्यौरे																									
क्रम सं.	परियोजना/संस्था का नाम (पैरा 11गक के अनुदेश देखें)				क्रियाकलाप की प्रकृति (अनुदेश पैरा 11घ देखें)										वर्गीकरण (अनुदेश पैरा 11घ देखें)										
1																									
2																									
3																									
4																									
आयकर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे (आज्ञापक हैं, यदि रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित हों)																									

क्रम सं.	धारा जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनुमोदित किया गया है	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी	क्या पंजीकरण के लिए आवेदन नए उपबंध के अनुसार किया गया है	वह धारा जिसके अंतर्गत पंजीकरण लागू होता है	वह तारीख जिस को नए उपबंधों के अनुसार पंजीकरण/अनुमोदन के लिए आवेदन किये गया है	नए उपबंधों के अंतर्गत चयनित छूट की धारा
1								
2								
3								
4								

आयकर अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के ब्यौरे

क्रम सं.	विधि जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है	रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन की तारीख	अनुमोदन/अधिसूचना/रजिस्ट्रीकरण सं.	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
1				
2				
3				
4				

(क)	धारा के अधीन फाईल (चिह्नांकित करें) <i>[कृपया अनुदेश देखें]</i>	☐ 139(1)- नियत तारीख को या उससे पूर्व ☐ 139(4)- देय तारीख के पश्चात्, ☐ 139(5)- पुनरीक्षित विवरणी, ☐ 92 गघ-उपांतरित विवरणी, ☐ 119(2)(ख)- विलंब की माफी के पश्चात्
	या धारा के अधीन सूचना के प्रतिउत्तर में फाइल किया गया	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153क, ☐ 153ग
(ख)	किस धारा के अधीन विवरणी फाइल की गई है ? ☐ 139(4क) ☐ 139(4ख) ☐ 139(4ग) ☐ 139(4घ) ? अन्य	
	कृपया धारा विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन छूट का दावा किया गया है (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)	

[illegible]

(घ)	यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153क/153ग के अंतर्गत नोटिस अथवा धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आदेश की प्रतिक्रिया में दायर की गई तो यूनिफ संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) तथा ऐसे नोटिस अथवा आदेश की तारीख भरें अथवा यदि धारा 92गघ के अंतर्गत भरी गई तो अग्रिम मूल्य निर्धारण करार की तारीख भरें।	(यूनिफ संख्या)	/ /
(ङ)	आवासीय प्राप्ति ? (निशान लगाएं) ☐ निवासी ☐ अनिवासी		
(च)	क्या कोई आय किसी ऐसी कुल आय में सम्मिलित की गई है जिसके लिए धारा 90/90क/91 के अधीन दावा किया गया है ? ☐ हां ☐ नहीं (निवासी के मामले में लागू होता है) [यदि हां, तो अनुसूची एफएसआई और अनुसूची टीआर भरना सुनिश्चित करें]		

(छ)	क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि निर्धारिती द्वारा फाइल की गई है (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं	
	यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें--	
	(1)	प्रतिनिधि का नाम
	(2)	प्रतिनिधि की हैसियत (ड्रापडाउन का उपबंध किया जाए)
	(3)	प्रतिनिधि का पता
	(4)	प्रतिनिधि का स्थायी लेखा संख्या (पेन)/ आधार सं.
(ज)	क्या आप किसी फर्म में भागीदार है? (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें	
	फर्म का नाम	स्थायी खाता संख्यां

(झ)	क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय आसूचिबद्ध साधारण शेयर धारित किए हैं (निशान लगाएं) ☒ हां ☐ नहीं
	यदि हां तो कृपया साधारण शेयरों के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें।

	कंपनी का नाम	कंपनी का प्रकार	पैन	आरंभिक अतिशेष		वर्ष के दौरान अर्जित शेयर					वर्ष के दौरान अंतरित शेयर		अंत अतिशेष	
				शेयरों की सं.	अर्जन की लागत	शेयरों की सं.	अभिदाय/क्रय की तारीख	प्रतिशेयर अंकित मूल्य	प्रतिशेयर निर्गमन मूल्य (नए निर्गमन की दशा में)	प्रतिशेयर क्रय मूल्य (विद्यमान शेयर धारक से क्रय की दशा में)	शेयरों की सं.	विक्रय प्रतिफल	शेयरों की सं.	अर्जन की लागत
	1क	1ख	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

अन्य बोरे	क	i	क्या आपके द्वारा चलाए जा रही किसी परियोजना/संस्था पूर्व प्रयोजनों में से एक प्रयोजन साधारण लोक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की अभिवृद्धि करने का है यदि हां, तो												
		क	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में निर्दि-ट व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप है ?								☐ हां ☐ नहीं			
			ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां								%			
		ख	i	क्या धारा 2(15) के परंतुक में यथानिर्दि-ट किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप है ?								☐ हां ☐ नहीं			
			ii	यदि हां, ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्ति का प्रतिशत के साथ-साथ कुल प्राप्तियां								%			
		ii	यदि क अथवा ख हां है तो ऐसी संस्था के संबंध में क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां												
		क्र.	प्रयोजन/संस्था का नाम									ऐसे क्रियाकलापों से कुल वार्षिक प्राप्तियां की राशि			
		क													
		ख													

ख	i	क्या धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ?	☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां तो अनुमोदन संख्यांक प्रवि-ट करें	
	iii	अनुमोदन की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	____/____/____
ग	i	क्या वर्ग के दौरान उन उद्देश्यों/क्रियाकलापों में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके आधार पर अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया था ?	☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां, कृपया निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें :-	
	क	उक्त परिवर्तन की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
	ख	क्या धारा 12क उपधारा (1) के खंड (कख) के अनुसार 30 दिन की नियत अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में नए रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है	☐ हां ☐ नहीं
	ग	क्या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्री मंजूर की गई है	☐ हां ☐ नहीं
	घ	उक्त नई रजिस्ट्रीकरण की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
घ	i	क्या विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ?	☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां तो रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रवि-ट करें ?	
	iii	रजिस्ट्रीकरण की तारीख (तारीख/मास/वर्ष)	____/____/____
	iv	क वर्ष के दौरान प्राप्त विदेशी अंशदान की कुल रकम, यदि कोई हो।	रु. _____
	ख	वह प्रयोजन निर्दिष्ट करें, जिसके लिए उपरोक्त अभिदाय प्राप्त किया गया है	
ङ	i	क्या कारबार न्यास के साथ सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत है ?	☐ हां ☐ नहीं
	ii	यदि हां, तब रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रविष्ट करें	
	iii	(दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
च		क्या धारा 164 के अधीन अधिकतम सीमांत दर पर कर के लिए दायी है ? (यदि धारा 13(1)(ग) और /या धारा 13(1)(घ)के अधीन नामंजूर किए जाने योग्य है)?	☐ हां ☐ नहीं
छ		क्या यह आपकी प्रथम विवरणी है ?	☐ हां ☐ नहीं
ज		क्या आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए आप दायी हैं ? ☒ का निशान लगाएं ☐ हां ☐ नहीं यदि हां तो निम्नलिखित जानकारी दें :	
किस धारा के अधीन आप संपरीक्षा के लिए दायी हैं (धारा विनिर्दिष्ट करें) कृपया संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख का उल्लेख करें (तारीख/मास/वर्ष) (अनुदेश देखिए)			

[illegible]

	ड	संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख				
	च	संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख/...../..... तारीख/मास/वर्ष				
झ		यदि आय-कर अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के लिए दायी हैं, अधिनियम, धारा और संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख उल्लिखित करें।				
		अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	अधिनियम और धारा	(दिन/मास/वर्ष)	
ज		व्यक्तियों की विशिष्टियां जो 31 मार्च, 2020 को ए ओ पी सदस्यों में थे (पूँजी/विनिधान निधि) द्वारा भरा जाए।				
सदस्य की जानकारी	क्रम सं.	नाम और पता	शेयर की प्रतिशतता (यदि अवधारित करें)	पैन आई.डी.	आधार/नामांकन	प्रास्थिति
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

विवरणी प्ररूप की अनुसूचियाँ (यथा लागू हों)

अनुसूची अ

धारा 11(2) के अर्थातर्गत या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनानुसार संचित/पृथक् के ब्यौरे

संचयन का वर्ष (वित्तीय वर्ष)	संचयन के वर्ष में संचित रकम	संचयन का प्रयोजन	पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत तक पूर्व/रकम धार्मिक प्रयोजन के लिए अनुप्रयुक्त राशि	धारा 11(5) में विनिर्दिष्ट रीति से विधिधान या जमा रकम	पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान पूर्व या धार्मिक उपयोग में की गई रकम	उपयोग के लिए अतिशेष-न रकम (7) = (2) - (4) - (6)	धारा 11 की उपधारा (3) के अर्थातर्गत आय समझी जाने वाली रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014-15							
2015-16							
2016-17							
2017-18							
2018-19							
2019-20							
योग							

अनुसूची अ

पिछले वर्ष के अंतिम दिन को निधियां और विनिधान दर्शित करने वाला कथन [तभी भरा जाए, यदि धारा 12क/12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या

धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi)/10(23ग)(viक)/10(21) के अधीन अनुमोदित है।

अ	(i)	पूर्ववर्ती वर्ग अंतिम दिन को यथाविद्यमान का संचित निधि में अतिशे-1	रु.				
		(ii) पूर्ववर्ती वर्ग के अंतिम दिन को यथाविद्यमान गैर संचित निधि में अतिशे-1	रु.				
	आ	धारा 11(5)के अधीन किए गए विनिधान/जमाराशियों का ब्योरा					
	क्र.सं.	धारा 11(5) के अनुसार विनिधान	विनिधान की तारीख	परिपक्वता की तारीख	विनिधान की रकम	परिपक्वता पर रकम	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	i	सरकार के बचत स्कीम में विनिधान					
	ii	डाक घर बचत बैंक खाता					
	iii	धारा 11(5)(iii)के अनुसार अनुसूचित बैंक या सहकारी सोसाइटियों में जमा					
	iv	भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विनिधान					
	v	कोई अन्य					
vi	योग						
इ	उस (समुत्थानों) में, जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का सारवान् हित है, पूर्व वर्ग (पूर्व वर्गों) के दौरान किसी समय धारित विनिधान						
क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	जहां समुत्थान कोई कंपनी है जैसे लागू हो ☒ का निशान लगाएं	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का वर्ग	विनिधान का अभिहित मूल्य	विनिधान से आय	क्या स्तंभ (6) में वर्णित रकम पूर्ववर्ग के दौरान समुत्थान की पूंजी के पांच प्रतिशत से अधिक है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
ii		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
iii		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
iv		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
v		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
vi		☐ हां ☐ नहीं					☐ हां ☐ नहीं
	योग						
ई	पूर्ववर्ग के अंतिम दिन को यथा विद्यमान अन्य विनिधान						

क्रम सं.	समुत्थान का नाम और पता	क्या समुत्थान कोई कंपनी है (जैसा लागू हो ☒ का निशान लगाएं)	धारित शेयरों का वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	विनिधान का अभिहित मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i		☐ हां ☐ नहीं			
ii		☐ हां ☐ नहीं			
iii		☐ हां ☐ नहीं			
iv		☐ हां ☐ नहीं			
v	योग				

उ	ऐसे स्वैच्छिक अभिदाय/संदान, जो वस्तु रूप में प्राप्त किए गए हैं किंतु जिन्हें उपबंधित समय के भीतर धारा 11(5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंगों में विनिधानों में संपरिवर्तित नहीं किया गया है				
क्रम सं.	दाता का नाम और पता	अभिदाय/संदान का मूल्य	उद्देश्य के मद्दे लागू अभिदाय का मूल्य	धारा 11(5) के अधीन विहित ढंगों में (3) में से विनिहित की गई रकम	धारा 11(3) के अधीन आय माना जाने वाला अतिशेन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
iii					
iv	योग				

अनुसूची ट

न्यास या संस्था के न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं)/ संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों)/न्यासी (न्यासियों)/प्रबंधक (प्रबंधकों) आदि के बारे में विशि-टयों का विवरण (आईटीआर-7 भरने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा भरा जाना अनिवार्य है)

अ	न्यासकर्ता(न्यासकर्ताओं)/संप्रवर्तकों/व्यवस्थापनकर्ता यदि जीवित हैं,का/के नाम और पता/पते		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
आ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम, जो पूर्व वर्ग (पूर्व वर्गों) के दौरान न्यासी/प्रबंधक था/थे		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)

इ	उस व्यक्ति (उन व्यक्तियों) का (के) नाम जिसने (जिन्होंने) धारा 13(3)(ख) के निबंधनों के अनुसार न्यास/संस्था में पर्याप्त अभिदाय किया है		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)
४५	न्यासकर्ता (न्यासकर्ताओं), संप्रवर्तक (संप्रवर्तकों), न्यासी (न्यासियों), प्रबंधक (प्रबंधकों) और सारवान् अभिदायकर्ता (अभिदायकर्ताओं) का (के) नाम और जहां कोई ऐसा न्यासकर्ता, संप्रवर्तक, न्यासी, प्रबंधक या सारवान् अभिदायकर्ता कोई हिंदू अभिभक्त कुटुंब है तो उस कुटुंब के सदस्यों और उनके नातदारों के भी नाम		
क्रम सं.	नाम और पता	स्थायी खाता संख्यांक	आधार संख्या/नामांकन आईडी (यदि उपलब्ध हो)

अनुसूची तक

राजनैतिक दल

1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ? जैसे लागू हों ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
2	क क्या वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति से 20 हजार रुपए से अधिक का कोई स्वैच्छिक अभिदाय प्राप्त किया गया था (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
	ख यदि हां तो 20 हजार रुपए से अधिक का प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय (निर्वाचन बंधपत्रों के रूप में अभिदायों से भिन्न) का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम और पता भी सम्मिलित है जिसने ऐसा अभिदाय किया है) रखा गया था ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
3	क्या लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? जैसे लागू हो ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
	यदि हां तो निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करें:-	
	क लेखा परीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	/...../.....
	ख लेखा परीक्षा रिपोर्ट हस्ताक्षर करने वाले लेखापरीक्षक का नाम	
	ग लेखा परीक्षक की सदस्य संख्या	
	घ लेखा परीक्षक का नाम (स्वामित्व/फर्म)	
	ङ स्वामित्व/फर्म रजिस्ट्रीकरण सं.	
	च लेखापरीक्षक की स्थायी खाता संख्या (पैन)/ आधार सं. (स्वामित्व/फर्म)	
	छ लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख	
4	क्या पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वालेके खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा या बैंक खातेके माध्यम से इलैक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके या इलैक्ट्रानिक बंधपत्र के माध्यम से अन्यथा दो हजार रुपए से अधिक कोई सदान	☐ हां ☐ नहीं

	प्राप्त किया गया था ? (लागू अनुसार ☒ करें)	
5	क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग की उपधारा (3) के अधीन उस वित्तीय वर्ग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ? जैसा लागू हो ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
6	यदि हां है तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तारीख/ मास/ वर्ग	/...../.....

अनुसूची ईटी		निर्वाचक न्यास	
निर्वाचक न्यास	1	क्या लेखा बहियां रखी गई थीं ?	☐ हां ☐ नहीं
	2	क्या प्रत्येक स्वैच्छिक अभिदाय का अभिलेख (जिसमें ऐसे व्यक्ति का नाम, पता और पैन भी सम्मिलित है, जिसने अभिदाय की पद्धति के साथ ऐसा अभिदाय किया है) रखे गए थे ? जैसा लागू हों ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
	3	क्या प्रत्येक ऐसे पात्र राजनैतिक दल का अभिलेख अनुरक्षित किया गया था जिसे वितरण योग्य अभिदायों का वितरण किया गया है (पात्र राजनैतिक दल का नाम, पता, पैन संख्या और रजिस्ट्रीकरण संख्या ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
	4	क्या धारा 17गक(12) के अनुसार लेखाओं की संपरीक्षा की गई है ? (लागू अनुसार ☒ का निशान लगाएं)	☐ हां ☐ नहीं
		यदि हां तो प्ररूप 10खक में संपरीक्षा रिपोर्ट की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	____/____/____
	5	क्या नियम 17गक (14) के अनुसार रिपोर्ट आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत कर दी गई है ? जैसे लागू हों ☒ का निशान लगाएं	☐ हां ☐ नहीं
	6	प्राप्त ऐच्छिक अभिदायों और वर्ष के दौरान वितरित रकम के ब्यौरे	
	i	1 अप्रैल को आरंभिक अतिशे-1	i
	ii	वर्ग के दौरान प्राप्त किया गया स्वैच्छिक अभिदाय	ii
	iii	योग (i+ii)	iii
	iv	राजनैतिक दलों को वितरित रकम	iv
	v	न्यास के प्रशासन और प्रबंध पर खर्च की गई रकम (उपरोक्त क्रं सं. ii के 5% अथवा समावेशन के प्रथम वर्ष के लिए 5 लाख तथा बाद के वर्षों के लिए 3 लाख जो भी कम हो, तक सीमित)	v
	vi	योग (iv+v)	vi
	Vii	धारा13ख के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम (अनुसूची ईटी के क्रम सं. 6ii यदि 6iv में वितरित राशि 6iii के 95% है)(नियम 17गक के अनुसार)	Vii
	viii	31 मार्च को संवरण अतिशे-1	Viii

अनुसूची वीसी		स्वैच्छिक अभिदाय (आईटीआर 7 भरते समय सभी व्यक्तियों द्वारा आज्ञापक रूप में भरा जाए)	
अ	स्थानीय		
	i	समग्र निधि संदान	आi

	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त		आii	
		(क)	सरकार से प्राप्त अनुदान		
		(ख)	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन कंपनियों से प्राप्त अनुदान		
		(ग)	अन्य विनिर्दिष्ट अनुदान		
		(घ)	अन्य संदान		
		(ङ)	कुल	आiiङ	
	iii	स्थानीय स्वैच्छिक अभिदाय (आi + आiiङ)		आiii	
आ	विदेशी अभिदाय				
	i	समग्र निधि संदान		आ i	
	ii	समग्र निधि संदान के अतिरिक्त		आ ii	
	iii	विदेशी अभिदाय (आ i + आiii)		आ iii	
इ	कुल अभिदाय (आiii + आiiii)			इ	
ई	ई में सम्मिलित धारा 115खखग के अधीन प्रभार्य, अनाम अभिदाय				
	i	प्राप्त किए गए ऐसे अनाम अभिदाय का योग		i	
	ii	ई पर प्राप्त कुल अभिदाय का 5% या 1,00,000 जो भी ज्यादा हो		ii	
	iii	धारा 115 खखग के अधीन 30% (i – ii) की दर से प्रभार्य अनाम अभिदाय		iii	

अनुसूची एआई

ऐच्छिक अभिदायों को अपवर्जित करके पूर्व के दौरान व्युत्पन्न कुल आय [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vिके अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

आय का कुल जोड़	1	मुख्य उद्देश्यों से प्राप्तियां			1	
	2	अनुषंगी उद्देश्यों से प्राप्तियां			2	
	3	किराया			3	
	4	कमीशन			4	
	5	लाभांश आय			5	
	6	ब्याज आय			6	
	7	कृषि आय			7	
	8	पूंजी आस्ति के अंतरण पर शुद्ध प्रतिफल			8	
	9	कोई अन्य आय (रकम और प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				
			प्रकृति		रकम	
	क	आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे)		क		
	ख			ख		

		ग		ग			
		घ		घ			
		ङ	कुल (9क +9ख +9ग+9घ)	ङ		9ङ	
10	कुल					10	

अनुसूची ईआर	वर्ष के दौरान उपगत राजस्व व्यय और पूर्व वर्ष के दौरान न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों को लागू रकम-राजस्व खाता [धारा 11 और 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vi)के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों द्वारा भरा जाए]

						रकम
अ	स्थापन और प्रशासनिक व्यय					
1	किराए				1	
	मरम्मत और अनुरक्षण				2	
	कर्मचारियों को प्रतिकर				3	
	बीमा				4	
	कर्मकार और कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय				5	
	मनोरंजन और आतिथ्य				6	
	विज्ञापन				7	
	वृत्तिक/परामर्शिक फीस / तकनीकी सेवाओं के फीस				8	
	विदेशी यात्रा के अतिरिक्त प्रवहण और यात्रा व्यय				9	
	न्यासियों को पारिश्रमिक				10	
	सरकार या किसी स्थानीय निकाय को संदत्त या संदेय दरें और कर (जिसमें आय पर कर अंतर्विष्ट नहीं है)				11	
	ब्याज				12	
	संपरीक्षा फीस				13	
	अवक्षयण और अपाकरण लागत जिसका पहले दावा नहीं किया गया है जो उस वर्ष या किसी अन्य पूर्व वर्ष में लागू है				14	
	अन्य व्यय (प्रकृति और रकम विनिर्दिष्ट करें)					
		प्रकृति		रकम		
	क		क			
	ख		ख			
	ग		ग			
	घ		घ			
	ङ	कुल (15क + 15ख + 15ग + 15घ)	ङ		15	
16	कुल (अ1 to अ15)				16	

आ	न्यास/संस्था के उद्देश्यों पर व्यय		
	1	संदान - कार्पस से भिन्न	
	2	धार्मिक	2
	3	गरिबों के लिए अनुतोष	3
	4	शिक्षा	4
	5	योग	5
	6	चिकित्सा अनुतोष	6
	7	पर्यावरण संरक्षण	7
	8	समारकों आदि का संरक्षण	8
	9	सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता	9
	10	कुल (आ 1 to आ9)	आ10
इ	नामंजूर किए जाने योग्य व्यय (इ1 + इ2 + इ3 + इ4)		इ
	1	डूबंत ऋण	1
	2	उपबंध	2
	3	कायिक निधि का भाग बनाने वाला दान	3
	4	कोई अन्य नामंजूर किए जाने योग्य व्यय	4
ई	वर्ष के दौरान उपगत कुल राजस्व व्यय (अ16 + आ10 + इ)		ई
उ	राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए निधि स्रोत		उ
	1	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित संपत्ती/आय से व्युत्पन्न आय	1
	2	धारा 11(1) के सपष्टीकरण 1 खंड 2 के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में यथाउपयोजित समझी गई आय (तभी लागू होगा जब धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट का दावा किया गया हो)	2
	3	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्ववर्ती की आय	3
	4	उधार ली गई निधि	4
	5	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	5
ऊ	पूर्व वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल राशि- राजस्व खाता [क16 + ख10 -इ2 - इ3 -इ4 - इ5]		ऊ

अनुसूची ईसी		पूर्व वर्ष के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए अनुप्रयुक्त रकम - पूंजीगत लेखा [धारा 11 और धारा 12 के अधीन या धारा 10(23ग)(iv)/(v)/(vi)/(vi क) के अधीन फाइल किया जाए]	
			रकम
1	कार्य में प्रगति पूंजी कार्य के लिए अतिरिक्त (उसके लिए जिसे धारा 11(1अ) के अधीन छूट के लिए दावा नहीं किया गया है)		1

2	पूँजी आस्ति का अर्जन (आय के अनुप्रयोग के रूप में दावा नहीं किया गया तथा जिसके लिए धारा 11(1क) के अंतर्गत छूट का दावा नहीं किया गया है)				2	
3	धारा 11 (1क) के अधीन छूट के दावे के लिए नई आस्तियों की लागत (शुद्ध प्रतिफल तक निर्बंधित)				3	
4	अन्य पूंजी व्यय					
	क्र. सं.	प्रकृति		राशि		
	i		4i			
	ii		4ii			
	iii		4iii			
	iv	कुल व्यय (4i +4ii+4iii)			4iv	
5	कुल पूंजी व्यय (1 + 2 +3 +4)				5	
अ	पूँजी व्यय को पूरा करने के लिए निधि का स्रोत					
	1	पूर्व के दौरान संपत्ती से व्युत्पन्न आय			1	
	2	धारा 11(1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड 2 के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में यथाउपयोजित समझी गई आय			2	
	3	15 प्रतिशत तक संचित या पृथक पूर्व वर्ष की आय			3	
	4	उधार ली गई निधि			4	
	5	कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			5	
आ	पूर्व वर्ष के दौरान कुल राशि- पूंजी खाता [5 – क2 - क3 - क4 - क5]				आ	

अनुसूची आईई-1		आय और व्यय विवरण (धारा 10(21), धारा 10(22ख), धारा 10(23कक), धारा 10(23ख), धारा 10(23घ), धारा 10(23च), धारा 10(23ङग), धारा 10(23डघ), धारा 10(23डड), 10(23चख), धारा 10(29क), धारा 10(46), धारा 10(47) के अधीन और धारा 10 के अन्य खंड के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू, जहां आय बिना शर्त छूट प्राप्त है)			
	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	1		
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोजन	2		
	3	संचित आय	3		

अनुसूची आईई- 2		आय और व्यय विवरण (धारा 10(23क), धारा 10(24) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितयों को लागू)					
अ	1	कोई स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां			1		
	2	संस्था के उद्देश्य के मद्दे आय का उपयोगन			2		
	3	संचित आय			3		
आ	1	क्या आपकी कोई ऐसी आय है जो कराधेय है? यदि हां तो कृपया कराधेय के ब्यौरे उपलब्ध कराएं (चिह्नितकित) ☒				☐ हां ☐ नहीं	
		क	गृह संपत्ति से आय (कृपया अनुसूची एचपी भरें)			1क	
		ख	कारबार या वृत्ति से आय (कृपया अनुसूची बीपी भरें)			1ख	

	ग	पूँजीलाभ से आय (कृपया अनुसूची सीजी भरें)	1ग	
	घ	अन्य स्रोत से आय (कृपया अनुसूची ओएस भरें)	1घ	

अनुसूची आईई-3

आय और व्यय विवरण (धारा 10(23ग)(iiiकख) या धारा 10(23ग)(iiiकग) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू (कृपया प्रत्येक संस्था के लिए पृथक अनुसूची भरें):

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	किसी स्वैच्छिक अभिदाय सहित कुल प्राप्तियां	
4	उपरोक्त क्रम सं.3 में से सरकारी अनुदान	
5	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
6	संचित अतिशेष	

अनुसूची आईई-4

आय और व्यय विवरण (धारा 10(23ग)(iiiकघ) या धारा 10(23ग)(iiiकड) के अधीन छूट का दावा करने वाले निर्धारितियों को लागू)(कृपया प्रत्येक संस्था के लिए पृथक अनुसूची भरें):

1	संस्था के उद्देश्य (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए-शिक्षा/चिकित्सा):	
2	पता जहां क्रियाकलाप किए जाते हैं	
3	सकल वार्षिक प्राप्तियां	
4	उद्देश्य के लिए अनुप्रयोजित रकम	
5	संचित अतिशेष	

अनुसूची गृह संपत्ति

गृह संपत्ति से प्राप्त आय का ब्यौरा (कृपया अनुदेशों को देखें) (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए))

गृह संपत्ति	1	संपत्ति 1 का पता	नगर/ शहर	राज्य	पिन कोड / जिप कोड
		क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? हां ☐ नहीं ☐ (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)			
		संपत्ति में आपके अंश की प्रतिशतता			
		सह स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता	
	I				
	II				

लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (यदि उपलब्ध हों)	किरायदार (रों) का पैन/टिन/ आधार सं. (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया जाता है)
	I		
II			
क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य		1क
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	1ग	
घ	योग (1ख + 1ग)	1घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (1 क – 1 घ)	1ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 1ङ)		1च
छ	1च का 30%	1छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	1ज	
झ	योग (1छ + 2ज)	1झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया		1ञ
ट	गृह संपत्ति 1 से आय (1ङ – 1ज + 1ञ)		1ट
2	संपत्ति 2 का पता	नगर/ शहर	राज्य
			पिन कोड / जिप कोड
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्वाधीन है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रवि-ट करें)		
	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता		
	सह-स्वामी (स्वामियों) का नाम	सह स्वामी (स्वामियों) का स्थायी खाता संख्याक/ आधार सं.	संपत्ति में अंश की प्रतिशतता
I			
II			
लागू विकल्प पर ☒ का निशान लगाएं (सही का निशान लगाएं) ☒ ☐ यदि किराए पर हो ☐ स्वयं के उपभोग में ☐ किराये पर दिया हुआ समझा गया	किराएदार का नाम यदि किराये पर हो(	किराएदार का स्थायी खाता संख्या(पैन)/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)	किरायदार (रों) का पैन/टिन/ आधार सं. (कृपया टिप्पण देखें)
	I		
II			
क	सकल प्राप्त या प्राप्य या किराए योग्य मूल्य (यदि पूरे वर्ग के लिए किराए पर दी गई है, तो दोनों में अधिकतम, यदि वर्ग के किसी भाग के लिए किराए पर दी गई है तो दोनों में न्यूनतम)		2क
ख	किराए की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	2ख	
ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर	2ग	
घ	योग (2ख + 2ग)	2घ	
ङ	वार्षिक मूल्य (2क – 2घ)	2ङ	
च	स्वामित्व संपत्ति का वार्षिक मूल्य (स्वामित्व भाग का प्रतिशत x 2ङ)		2च
छ	1च का 30%	2छ	
ज	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज	2ज	
झ	योग (2छ + 2ज)	2झ	
ञ	वर्ष के दौरान 30% से कम प्राप्त बकाया/वसूलनीय किराया		2ञ
ट	गृह संपत्ति 2 से आय (2ङ – 2ज + 2ञ)		2ट
3	आय/क्षति के जरिए पास, यदि कोई हो *		3

4	“गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन आय (1झ + 2झ + 3) (यदि नकारात्मक है तो अनुसूची सीवाईएलए का अंक 2झ लें)	4
टिप्पण ▶	कृपया अनुसूची एसपीआई में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की आय और इस शीर्ष के अधीन आय की संगणना करते समय अनुसूची पीटीआई में निर्दिष्ट पास थ्रू आय सम्मिलित करें।	
टिप्पण ▶	किरायदार की स्थायी खाता संख्या/ आधार सं. देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झख के अधीन कर की कटौती की गई है।	
टिप्पण ▶	किरायदार का टीएएन देना आज्ञापक है, यदि धारा 194-झ के अधीन कर की कटौती की गई है।	

अनुसूची पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

पूंजी अभिलाभ

अ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ				
1	आस्तियों से (शेयर/यूनिट जहां धारा 111क लागू होती है (एसटीटी संदत्त)				
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	1 क		
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां			
	i	अर्जन की लागत	खा		
		ii	सुधार की लागत	खाii	
		iii	अंतरण पर व्यय	खाiii	
		iv	योग (i + ii + iii)	खाiv	
	ग	अतिशे-1 (2क-खiv)	1ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हों (सकारात्मक मूल्य ही भरें)	1घ		
	ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)			अ1ङ
2 ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112अ के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है					
क	i	यदि विक्रीत आस्तियों में कोट न किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें			
	क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य			
	ख	कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके			
	ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	1ग		

		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य				
		iii	कुल (iग + ii)	क iii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	अर्जन की लागत	खi			
		ii	सुधार की लागत	खii			
		iii	अंतरण पर व्यय	खiii			
		iv	योग (i + ii + iii)	खiv			
	ग	अतिशे-1 (2कiii -खiv)			2ग		
	घ	धारा 94(7) या धारा 94(8)के अधीन ध्यान में नहीं लाई गई हानि, यदि कोई हों (सकारात्मक मूल्य ही भरें)			2घ		
	ङ	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (2ग+ 2घ)					2ङ
3	अवक्षयी आस्तियों पर माने गए अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अनुसूची का 6-डीसीजी)					अ3	
4	अल्पकालिक पूंजीअभिलाभ की प्रकृति में पासशू आय, (अनुसूची पीटीआई भरें) (अ4क+ अ4ख + अ4ग)					अ4	
	क	15% की दर से प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			अ4क		
	ख	लागू दरों पर प्रभाय अल्पावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास			अ4ख		
5	कुल अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ (अ1ङ +अ2ङ +अ3 + अ4)					अ5	
आ	दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ						
	1	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है					
		क	i	यदि विक्रीत आस्तियों में कोट किए गए शेयरों से भिन्न कंपनी के शेयर सम्मिलित हैं तो निम्नलिखित ब्यौरे प्रविष्ट करें			
			क	कोट न किए गए शेयरों के संबंध में प्राप्त/प्राप्त किए जाने योग्य प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	ik		
		ख	कोट न किए गए शेयरों के उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के तरीके	iख			
			ग	पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारा 50गक के अनुसार कोट न किए गए शेयरों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य (क या ख से अधिक)	iग		
		ii	कोट न किए गए शेयरों से भिन्न आस्तियों के संबंध में अंगीकृत प्रतिफल का पूर्ण मूल्य	क ii			
		iii	कुल (iग + ii)	क iii			
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां					
		i	सूचीकरण के पश्चात् अर्जन की लागत	खi			

		ii	सूचीकरण के पश्चात् सुधार की लागत	खाii				
		iii	अंतरण पर व्यय	खाiii				
		iv	योग (खां + खाii + खाiii)	खाiv				
		ग	अतिशे-1 (1कiii-खाiv)	1ग				
	घ	ऐसे दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ जहां धारा 112(1) के अधीन परंतुक लागू नहीं होता है					ख1घ	
2	ऐसी आस्तियां, जहां धारा 112(1)/112क के अधीन परंतुक लागू होता है (सूचीकरण के बिना)							
	क	प्रतिफल का पूर्ण मूल्य		2क				
	ख	धारा 48 के अधीन कटौतियां						
	i	सूचीकरण के बिना अर्जन की लागत	खाi					
	ii	सूचीकरण के बिना सुधार की लागत	खाii					
	iii	अंतरण पर व्यय	खाiii					
	iv	योग (खां + खाii + खाiii)	खाiv					
	ग	अतिशे-1 (2क-खाiv)		2ग				
	घ	ऐसे दीर्घकालिक, जिनके लिए धारा 112(1)/ 112क के अधीन परंतुक का प्रयोग किया गया है (2ग)					आ2घ	

3	दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास (अनुसूची पीटीआई भरे) (ख3क+ ख3ख)				ख3	
	a	10% की दर पर प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय /क्षति के जरिए पास	आ3क			
	b	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ की प्रकृति में आय/क्षति के जरिए पास	आ3ख			
4	कुल दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ (आ1घ + आ2घ + आ3)				आ4	
इ	“पूँजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (अ 5+आ 4) (यदि हानि है तो आ4 कुछ नहीं के रूप में प्रविष्ट करें)				इ	

अनुसूची-अन्य स्रोत

अन्य स्रोतों से आय

1	सामान्य लागू दरों पर कर से प्रभार्य सकल आय (1क + 1ख + 1ग + 1घ + 1ङ)				1		
	क	लाभांश, सकल			1क		
	ख	व्याज, सकल (खां + खii + खiii + खiv)			1ख		
	i	बचत बैंक से	खां				
	ii	निक्षेपों से (बैंक/डाकघर/सहकारी/ सोसाइटी/)	खii				
	iii	आयकर प्रतिदाय से	खiii				
	iv	आय/क्षति के जरिए पास की प्रकृति में	खiv				
	v	अन्य	खv				
ग	मशीनरी, संयंत्रों, भवनों से किराए की आय				1ग		

घ	धारा 56 (2)(ब) में निर्दिष्ट में प्रकृति की आय जो कर से प्रभाय है (घा + घाii + घाiii + घाiv + घाv)				1घ	
	i	प्रतिफल के बिना प्राप्त धन राशि का सकल मूल्य	घा			
	ii	यदि स्थावर संपत्ति बिना किसी प्रतिफल के प्राप्त की गई है, संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाii			
	iii	यदि स्थावर संपत्ति अपर्याप्त प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का स्टॉप शुल्क मूल्य	घाiii			
	iv	प्रतिफल के बिना प्राप्त की गई अन्य संपत्तियों की दशा में संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाiv			
	v	यदि अन्य संपत्ति बिना पर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त की गई है, ऐसे प्रतिफल से आधिक्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य	घाv			
ङ	कोई अन्य आय (अलग प्रकृति)			1 ङ		
	क्रं. सं.	प्रकृति	राशि			
		यथा अपेक्षित पंक्तियां जोड़ी जा सकती हैं				
उ2	कोई अन्य आय (कृपया प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)				1 उ	
2	विशेष दरों पर प्रभाय आय (2क + 2ख + 2ग + 2घ + 2ङ क्रं.सं. 1 से संबंधित तत्व)				2	
क	लॉटरी, वर्ग पहेली आदि जीतने से हुई आय				2क	
ख	धारा 115खखड के अधीन प्रभाय आय (खा + खाii + खाiii + खाiv + खाv + खाvi)				2ख	
	i	धारा 68 के अधीन उधार रोकड़	खाi			
	ii	धारा 69 के अधीन अस्पष्टीकृत विनिधान	खाii			
	iii	धारा 69क के अधीन अस्पष्टीकृत धन आदि	खाiii			
	iv	धारा 69ख के अधीन अप्रकटित विनिधान आदि	खाiv			
	v	धारा 69ग के अधीन अप्रकटित व्यय आदि	खाv			
	vi	धारा 69घ के अधीन हुंडी पर उधार ली गई रकम या पुनःसंदाय रकम	खाvi			
ग	विशेष दर पर प्रभाय कोई अन्य (गि से गxiii का योग)				2ग	
	i	धारा 115क(1)(क)(i) के अधीन प्रभाय अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश	गि			
	ii	धारा 115क(1)(क)(ii) के अधीन प्रभाय सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त विदेशी करेंसी पर व्याज	गii			
	iii	धारा 115क(1)(क)(iiक) के अधीन प्रभाय अवसंरचनात्मक ऋण निधि	गiii			
	iv	धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभाय धारा 194ठग में निर्दिष्ट व्याज	गiv			
	v	धारा 115क(1)(क)(iiकख) के अधीन प्रभाय धारा 194ठघ में निर्दिष्ट व्याज	गv			
	vi	संवितरित आय जो धारा 115क(1)(क)(iiकक) के अधीन प्रभाय धारा 194ठक में निर्दिष्ट व्याज है	गvi			

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

7	अन्य स्रोतों से आय (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व से भिन्न) (2 + 6) (यदि हानि है तो 6 को शून्य लिखें)										7	
8	दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रख रखाव से आय											
	क	प्राप्तियां				8क						

9	ख	केवल 8क पर प्राप्तियों के संबंध में धारा 57 के अधीन कटौतियां	8ख					
	ग	धारा 58 के अधीन कटौती न की जाने वाली रकम	8ग					
	घ	धारा 59 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ	8घ					
	ङ	अतिशेन-1 (8क – 8ख + 8ग + 8घ) (यदि ऋणात्मक है तो हानि की दशा में अनुसूची अग्रणीत हानियों 6xi के अंक प्रविट्टि करें)					8ङ	
9	“अन्य स्रोतों से आय” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय (7 + 8ङ) (यदि ऋणात्मक है तो 8ङ में शून्य लिखें)						9	
10	अन्य स्रोतों से प्रोदभूत/प्राप्ति के बारे में जानकारी							
	क्र.सं	अन्य स्रोत से आय	15/6 तक	16/6 से 15/9 तक	16/9 से 15/12 तक	16/12 से 15/3 तक	16/3 से 31/3 तक	
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	
1		धारा 115खखक के अधीन लाभांश आय						
2		धारा 2(24)(ix) में निर्दिष्ट लॉटरी, वर्गपहेली, दौड़, खेल, झुत, बाज़ी लगाने आदि से जीत के रूप में आय						

अनुसूची ओएसाधारण

क्या कारबार और वृत्ति शीर्ष के अधीन आपकी कोई आय है ? ☐ हां ☐ नहीं (यदि “हां” तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे प्रविट्ट करे)

1कारबार या वृत्ति की प्रकृति (अनुदेश देखें)1

2शाखाओं की संख्या ☐2

3पूर्ववर्ष में लेखांकन की पद्धति ☒ (का निशान लगाएं) ☐ वाणिज्यिक ☐3

4क्या लेखांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां4

5धारा 145क के अधीन विहित लेखांकन मानकों से पूर्ववर्ष में की गई लेखांकन पद्धति में किए गए विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ पर प्रभाव5

6पूर्ववर्ष में लागू बंध स्टॉक के मूल्यांकन की पद्धति6

ककच्ची सामग्री (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखे, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखे)☐

खतैयार माल (यदि लागत या बाजार दर, इनमें से जो भी कम हो, पर है तो 1 लिखे, यदि लागत पर है तो 2 लिखे, यदि बाजार दर पर है तो 3 लिखे)☐

गक्या स्टॉक मूल्यांकन पद्धति में कोई परिवर्तन किया गया है, ☒ (का निशान लगाएं) ☐ हां ☐ नहीं ☐

घधारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन, यदि कोई हो, के कारण लाभ या हानि पर प्रभाव6घ

अनुसूची कारबार या वृत्तिकारबार या वृत्ति से आय की संगणना

असट्टा कारबार और विनिर्दिष्ट कारबार के अतिरिक्त कारबार एवं वृत्ति धारा 11(4क) में संदर्भित कारबार आय सहित

1लाभ और हानि लेखा के अनुसार कर से पूर्व लाभ1

21 में सम्मिलित सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में – चिह्न प्रविट्ट करे)2

31 में सम्मिलित धारा 35कघ के अधीन विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (हानि की दशा में – चिह्न प्रविट्ट करे)3

41 में सम्मिलित लाभ या हानि, जो धारा 44कघ/धारा 44कङ में निर्दिष्ट है4

5(1 में सम्मिलित) लाभ और हानि लेखा में जमा आय, जो छूट प्राप्त है

कफर्म (फर्मों) से आय का अंश5क

कारबार या वृत्ति से आय

		ख	एओपी/बीओआई से आय का अंश	5ख				
		ग	कोई अन्य छूट प्राप्त आय	5ग				
		घ	कुल छूट प्राप्त आय	5घ				
	6	अतिशे-1 (1 - 2 - 3 - 4 - 5घ)					6	
	7	आय के अन्य शी-1 के विचाराधीन लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय			7			
	8	लाभ और हानि लेखा में विकलित व्यय जो छूट प्राप्त आय से संबंधित है			8			
	9	योग (7 + 8)			9			
	10	समायोजित लाभ या हानि (6+9)			10			
	11	धारा 33कख/ 33कखक/ 35कखख के अधीन समझी गई आय			11			
	12	धारा 28 से 44घक के अधीन कोई अन्य मद या मदें			12			
	13	लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित न की गई कोई अन्य आय/ कोई अन्य व्यय जो अनुज्ञेय नहीं है (जिसके अंतर्गत ऐसी फर्मों से, जिसमें कंपनी भागीदार है, वेतन, कमीशन, बोनस और ब्याज से आय भी है)			13			
	14	योग (10 +11+12+13)					14	
	15	धारा 32(1) (iii) के अधीन अनुज्ञेय कटौती			15			
	16	कोई अन्य रकम, जो कटौती के रूप में अनुज्ञेय है					16	
	17	योग (15 +16)					17	
	18	आय (14 – 17)					18	
	19	कारबार या वृत्ति के निम्नलिखित के अधीन समझे गए लाभ या हानि						
		i	धारा 44कघ	19i				
		ii	धारा 44कघक	19ii				
		iii	धारा 44कड	19iii				
		iv	योग (19i से 19iii)			19iv		
	20	सट्टे के कारबार से भिन्न, कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (18 + 19iv)					20	
	21	नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् कारबार या वृत्ति से शुद्ध लाभ या हानि (नियम 7क या 7ख लागू करने के पश्चात् विशेष-1 कारबार की दशा के सिवाय जो उपरोक्त 20 में है)					क21	
आ	सट्टे के कारबार से आय की संगणना							
	24	लाभ या हानि लेखा के अनुसार सट्टे के कारबार से शुद्ध लाभ या हानि				24		
	25	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन				25		
	26	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां				26		
	27	सट्टे के कारबार से लाभ या हानि (24+25-26)				ख27		
इ	विनिर्दिष्ट कारबार से आय की संगणना					इ		
	28	लाभ या हानि लेखा के अनुसार विनिर्दिष्ट कारबार से शुद्ध लाभ या हानि (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)				28		
	29	धारा 28 से 44घक के अनुसार परिवर्धन				29		
	30	धारा 28 से 44घक के अनुसार कटौतियां धारा- (i) 35कघ (ii) 32 या 35 के अधीन कटौती से भिन्न जिस पर धारा 35कघ के अधीन दावा किया जाता है)				30		
	31	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (28+29-30)				31		
	32	धारा 35कघ (1) के अनुसार कटौतियां				32		
	33	विनिर्दिष्ट कारबार से लाभ या हानि (31-32) (यदि हानि है तो शून्य प्रवि-ट करें)				इ 33		
		धारा 35कघ की उपधारा (5) के सुसंगत खंड जो विनिर्दिष्ट व्यवसाय को आच्छादित करता है						
ई	लाभ और अभिलाभ शी-1 के अधीन प्रभार्य आय (अ23+ आ27 +इ33)					ई34		
उ	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय की संगणना							
	35	आय, जो कारबार उपक्रम के खाते में दर्शाई गई है [धारा 11 (4)देखें]				उ35		
	36	धारा 11(4) के अधीन कर से प्रभार्य आय [ई34 - उ36]				उ36		

अनुसूची सीवाईएलए

चालू वर्ग की हानियों का मुजरा करने के पश्चात् आय के व्यौरे

क्र. सं.	आय का शीर्ष/स्रोत	चालू वर्ग की आय	चालू वर्ग में मुजरा की गई गृह संपत्ति की हानि	चालू वर्ग में मुजरा की गई (सट्टेबाजी या विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न) कारबार हानि	चालू वर्ग में मुजरा की गई (घुड़दौड़ से हुई हानि से भिन्न) अन्य स्रोतों से हानि	मुजरा करने के पश्चात् चालू वर्ग की शेन आय
		(इस स्तम्भ को केवल तभी भरें जब आय शून्य हो या सकारात्मक हो)	कुल हानि (अनुसूची- (गृह संपत्ति का 4)	कुल हानि (अनुसूची कारबार वृत्ति का अ-21)	कुल हानि (अनुसूची-ओएस का 6)	
		1	2	3	4	
	समायोजित की जाने वाली हानि					5=1-2-3-4
i	गृह संपत्ति					
ii	कारबार (सट्टेबाजी आय और विनिर्दिष्ट कारबार से आय को छोड़कर)					
iii	सट्टेबाजी से आय					
iv	विनिर्दिष्ट कारबार से आय					
v	अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ					
vi	दीर्घकालिक अभिलाभ					
vii	अन्य स्रोत (दौड़ के घोड़ों के स्वामित्व और रखने से लाभ और लाटरी की जीत को छोड़कर)					
viii	दौड़ के घोड़ों का स्वामित्व और रखने से लाभ					
ix	मुजरा की गई कुल हानि					
x	मुजरा करने के पश्चात् शेन हानि					

चालू वर्ग की हानि समायोजन

अनुसूची पीटीआई

धारा 115पक, 115पख के अनुसार कारबार न्यास या विनिवेश निधि के पास के माध्यम से आय के व्यौरे

पास के माध्यम से आय

क्रम	धारा 115पक/115पख द्वारा सम्मिलित निवेश सत्ता	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का नाम	कारबार न्यास/ विनिवेश निधि का स्थायी खाता संख्या	क्रम	आय का शीर्ष	चालू वर्ष आय	निवेश कोष द्वारा वितरित चालू वर्ष क्षति का हिस्सा	निवल आय/क्षति 9=7-8	ऐसी रकम पर ख़ोत पर कर कटौती, यदि कोई हों
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	(ट्राप डाउन प्रदान किया जाना है)			i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि			
					का	धारा 111क			
					काii	अन्य			
					ख	दीर्घकालिक अवधि			
					खा	धारा 112क			
					खii	112क से भिन्न धाराएं			
				iii	अन्य ख़ोत				
				क	लाभांश (धारा115ण में संदर्भ)				
				ख	अन्य				
				iv	दावा की गई आय जो छूट प्राप्त होगी				
					क	धारा 10(23चखख) के अधीन			
					ख	धारा के अधीन			
					ग	धारा.....के अधीन			
2.				i	गृह संपत्ति				
				ii	पूँजी अभिलाभ				
					क	अल्पकालिक अवधि			
					का	धारा 111क			
					काii	अन्य			

अनुसूची एसआई विशेष दरों से प्रभार्य आय (कृपया अनुदेश देखें)

क्र. सं.	धारा	☒	विशे-1 दर	आय	उस पर कर
			(%)	(i)	(ii)
	1 111क (जहां एसटीटी संदत्त किया गया है वहां शेयरों पर एटीसीसी)		15		
	2 112 परंतुक (सूचीकरण के बिना सूचीबद्ध प्रतिभूतियों/ यूनिटों पर एलटीसीजी)		10		
	3 112 (अन्य पर एलटीसीजी)		20		
	4 112क (कारबार न्यास की साधार शेयरोन्मुख निधि/यूनिटों के साधारण शेयरों/यूनिटों पर एलटीसीजी, जिस पर एसटीटी संदत्त किया जाता है		10		
	5 115खख (लाटरी,पहेली, दौड़ो, खेल आदि से जीत)		30		
	6 115 खखघक (घरेलू कंपनी से लाभांश आय जो 10 लाख रुपये से अधिक है)		10		
	7 115 खखड (धारा 68, 69, 69क, 69ख, 69ग या 69घ के अधीन आय)		60		
	8 विशेष दर पर कोई अन्य आय (ड्रापडाउन उपलब्ध किया जाए)			(अनुसूची ओएस के 2ग का भाग)	
	9 डीटीएए के अनुसार भारत में विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोतों से आय			(अनुसूची ओएस के 2ब का भाग))	
	10 15% की दर पर प्रभार्य अल्प कालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय		15		

11	10% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	☐	10		
12	20% की दर पर प्रभार्य दीर्घकालिक पूंजीलाभ की प्रकृति में पासश्रू आय	☐	20		
13	विशेष दरों पर प्रभार्य अन्य स्रोत से आय की प्रकृति में पासश्रू आय	☐		(अनुसूची ओएस का 2घ)	
			योग		

अनुसूची 115नघ धारा 115नघ के अधीन अभिवर्धित आय

1	न्यास/संस्था की कुल आस्ति की कुल संपूर्ण योग उचित बाजार मूल्य	1	
2	घटाएं—न्यास/संस्था का कुल दायित्व	2	
3	आस्ति का शुद्ध मूल्य (1-2)	3	
4	(i) धारा 10(1) में निर्दिष्ट आय से बाह्य अर्जित प्रत्यक्ष रूप से आस्ति की एफएमवी	4i	
	(ii) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख के लिए सृजन या स्थापन की तारीख से अवधि के दौरान अर्जित आस्तियों का एफएमवी और 12 के अधीन दावा नहीं किया गया	4ii	
	(iii) धारा 115नघ(2) के लिए तीसरे परंतुक के अनुसार अंतरित आस्तियों का एफएमवी	4iii	
	(iv) कुल (4i + 4ii + 4iii)	4iv	
5	उपर्युक्त 4 पर आस्तियों की बाबत दायित्व	5	
6	धारा 115नघ [3-(4iv-5)] के अनुसार अभिवृद्धि आय	6	
7	अधिकतम उपांतिक दर पर 115नघ के अधीन संदेय अतिरिक्त आय-कर	7	
8	115नघ के अधीन संदेय ब्याज	8	
9	धारा 115नघ के अधीन विनिर्दिष्ट ऋण	9	
10	अतिरिक्त आय-कर और संदेय ब्याज	10	
11	आय और संदत्त ब्याज	11	
12	संदाय/प्रत्यपण्य (10 - 11)	12	
13	अभिवर्धित आय पर कर पर कर के निक्षेप की तारीख	तारीख 1 दिन/मास/वर्ष	तारीख 2 दिन/मास/वर्ष
14	बैंक और शाखा का नाम		
15	बीएसआर कोड		
16	चालान की क्रम संख्या		
17	जमा की गई रकम		

अनुसूची- एफएसआई			भारत से बाहर होने वाली आय और कर राहत के ब्यौरे (निवासी के मामले में उपलब्ध)						
क्र.	देश कोड	कर संदायकर्ता पहचान संख्या	क्र.	आय के शीर्ष	भारत से बाहर आय (भाग ख-टीआई में सम्मिलित)	भारत के बाहर संदत्त कर	भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर कर संदेय	भारत में उपलब्ध कर राहत (ड) (ग) या (घ) जो भी कम हो	यदि धारा 90 या 90क के अधीन राहत कर दावा किया गया है तो डीटीए का सुसंगत अनुच्छेद
				(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
1			i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
			कुल						
2			i	गृह संपत्ती					
			ii	कारबार या वृत्ति					
			iii	पूँजी अभिलाभ					
			iv	अन्य स्रोतों					
			कुल						
टिप्पण ▶		कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें							

अनुसूची-टीआर		भारत से बाहर संदत्त करों के लिए कर राहत की संक्षिप्त जानकारी (निवासी के मामले में उपलब्ध)			
1	दावाकृत चाहे गए कर राहत के ब्यौरे				
	देश का कोड	करदाता की पहचान सं०	भारत के बाहर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (ग) का योग	अनुसूची एफएसआई में घोषित आय पर संदत्त कुल कर प्रत्येक देश के संबंध में अनुसूची एफएसआई के (घ) का योग	दावाकृत धारा के अधीन राहत (90,90क या 91 विनिर्दिष्ट करें)
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)
	कुल				
2	जहां डीटीए लागू होता है, उस देश के संबंध में उपलब्ध कुल कर राहत (धारा 90/90क) (1(घ) के योग का भाग)				2
3	जहां डीटीए लागू नहीं होता है, उस देश के संबंध में राहत (धारा 91) (1(घ)				3

4	क्या भारत के बाहर कोई कर संदत है, जिस पर भारत में कर राहत अनुज्ञात है, उसे विदेशी कर प्राधिकरण द्वारा इस वर्ग के दौरान प्रतिदाय/प्रत्यय किया गया है। यदि हां तो ब्यौरा नीचे दीजिए			4	हां/नहीं
	क	प्रतिदाय कर की रकम	ख	निर्धारण वर्ग जिसमें भारत में कर राहत अनुज्ञात है	

टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए अनुदेशों के प्रतिनिर्देश करें

अनुसूची वि.आ.

भारत के बाहर किसी भी स्रोत से विदेशी आस्तियां और आय का ब्यौरा

विदेशी आस्तियों के ब्यौरे

[illegible]

[illegible]**भाग ख- कुल आय**

तारीख 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आय का विवरण

यदि धारा 12क/धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या धारा 10(23ग)(iv)/10(23ग)(v)/ 10(23ग)(vi) /10(23ग)(viक) के अधीन अनुमोदित, मद 1 से 7 को भरे (यथा लागू)			
1	समग्र निधि से भिन्न स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (का)R +ख)R]]	1	
2	धारा 11(1)(घ) के अनुसार समग्र का भाग करने वाला स्वैच्छिक अभिदाय [अनुसूची फग (का) +ख)]	2	
3	उपरोक्त 1 और 2 में सम्मिलित ऐच्छिक अभिदाय को अपवर्जित करके पूर्व वर्ष के दौरान वियुत्पन धारा 11, धारा 12 और धारा 13(23ग)(iv), 10(23ग)(v)और 10(23ग)(viक) में निर्दिष्ट कुल आय	3	
4	पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए आय का उपयोग :-		
i	उधार ली गई निधि, समझा गया उपयोजन, 15% तक पूर्ववर्ष के संचयन आदि से आवेदन को छोड़कर अर्थात् पूर्ववर्ष की आय से नहीं /अनुसूची ईआर से क्रम संख्या च/	4i	
ii	पूर्ववर्ष के दौरान उपयोग की गई रकम पूंजीलेखा (उधार ली गई निधियों से अनुपयोजन को छोड़कर) समझा गया 15% तक पूर्ववर्ती वर्ष संचयन अर्थात् पूर्ववर्ती वर्ष की आय से नहीं /अनुसूची ईसी से क्रम संख्या ख/	4ii	

iii	पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित रकम – राजस्व/पूँजीगत लेखा (ऋण का प्रतिसंदाय)				4iii		
iv	धारा 11(1) के खंड (2) के अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान उपयोजित की गई समझी गई रकम				4v		
क	यदि उपर्युक्त (iv) लागू हों, जहां निर्धारण अधिकारी को प्ररूप सं.9क देने का विकल्प है	4ivक					
	ख	यदि हां, प्ररूप सं. 9क देने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	4ivख				
v	पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों हेतु उपयोजन के लिए या न्यास/संस्था के कथित उद्देश्यों के लिए संचित या पृथक् रकम उस विस्तार तक जहां तक यह धारा 11(1)(क)/धारा 11(1)(ख) के अधीन या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक के निबंधनों में न्यास/संस्था में धारित संपत्ति से व्युत्पन्न आय के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है [उपरोक्त (2+3) के अधिकतम 15 प्रतिशत तक निर्बंधित]				4v		
vi	विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संचित या पृथक् ऊपर (iv) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त रकम, यदि धारा 11(2) और धारा 11(5) या धारा 10(23ग) के तीसरे परंतुक में की गई सभी शर्तें पूरी हो जाती है (अनुसूची 1 भरे)				4vi		
vii	धारा 11(1)(ग) के अनुसार भारत से बाहर पूर्व प्रयोजनों के लिए उपयोजित रकम				4vii		
क	अनुमोदन संख्या और बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	4vii क					
	ख	बोर्ड द्वारा दी गई अनुमोदन की तारीख	4vii ख				
Viii	कुल [4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v + 4vi + 4vii]				4viii		
5	जोड़े						
i	धारा 11(1ख) के अधीन प्रभार्य आय				5i		
	धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय				5ii		
	आय जिसके संबंध में धारा 11 के अधीन छूट उपलब्ध नहीं है						
	क	अनुसूची वीसी के घांiii पर गुप्त दान	5iii क				
	ख	धारा 13(1)(ग) या 13(1)(घ) के अधीन अननुज्ञात (अनुसूची अ के भाग ड समेत)	5iii ख				
	iv	धारा 12(2) के अधीन प्रयाय आय				5iv	
	v	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम r.w.s 40(क)(िक) या 10(23ग) r.w.s 40(क)(िक)				5v	
	vi	धारा 11(1) के अधीन अनुनुज्ञेय रकम r.w.s 40अ(3)/(3अ) या 10(23ग) r.w.s 40अ(3)/(3अ)				5vi	
	vii	कुल [5i + 5ii + 5iii क + 5iii ख + 5iv + 5v + 5vi]				5vii	
6	धारा 11(4) के अधीन प्रभार्य आय [अनुसूची खत की मद सं. उ36 के अनुसार]				6		
7	योग (1+2+3-4viii + 5vii + 6)				7		
8	धारा 10(21), 10(22ख), 10(23क), 10(23क क क), 10(23ख) 10(23ङग), 10(23ङघ), 10(23ङड), 10(29क) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम				8		
9	धारा 10(23ग)(iiiकख), 10(23ग)(iiiकग), 10(23C) (iii कघ), 10(23ग) (iii कङ), 10(23घ), 10(23घक), 10(23खख), 10(24), 10(46), 10(47) के अधीन छूट के लिए उपयुक्त रकम				9		
10	धारा 10 के किसी अन्य खंड के अधीन छूट की उपयुक्त रकम (धारा 8 और धारा 9 से भिन्न)				10		

11	धारा 10(21) के साथ पठित धारा 11(3) के अधीन प्रभार्य आय	11	
12 क	किसी राजनैतिक के मामले में धारा 13क के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय	12 क	
12 ख	किसी चुनावी न्यास के मामले में धारा 13ख के अधीन दावा की गई/छूट प्राप्त आय	12 ख	

13	उपर्युक्त मद सं 7 से 12 का भाग नहीं बनने वाली आय			
i	गृह संपत्ति से आय (अनुसूची जत का 4) (शून्य भरें यदि हानि)	13i		
ii	कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ (अनुसूची खत की मद सं 34 के अनुसार)	13ii		
iii	शीर्ष अभिलाभ के अधीन आय			
	क अल्पकालिक (अनुसूची गछ क5)	13iii क		
	ख दीर्घकालिक (अनुसूची गछ का ख4) (शून्य भरें यदि हानि हो)	13iii ख		
	ग कुल पूंजी अभिलाभ (13iii क + 13iii ख) (शून्य भरें यदि हानि हों)	13iii ग		
iv	अन्य स्रोतों से आय (अनुसूची णद की मद संख्या 9 के अनुसार)	13iv		
v	कुल (13i + 13ii + 13iii क + 13iv)	13v		
14	सकल आय [7+11+13v-12क]			14
15	चालू वर्ग में 13v के विरुद्ध मुजरा की गई हानि (अनुसूची सीवाईएलए के 2ix, 3ix और 4ix का योग)			15
16	कुल आय (14 - 15)			16
17	धारा 111क, 112 आदि के अधीन विशेष दर से आय पर प्रभार्य कर आदि जो 16 में सम्मिलित की गई है			17
18	कुल आय [16]			18
19	ऐसी आय जिसे 18 में सम्मिलित किया गया और विशेष दरों पर कर से प्रभार्य है (अनुसूची एसआई 1क का योग)			19
20	दर के प्रयोजनार्थ शुद्ध कृति आय			20
21	कुल आय (18 - 19 + 20) (यदि (18 - 19) उस रकम से अधिक है जो प्रभार्य नहीं है तो लागू हो)			21
22	21 में सम्मिलित अनाम संदान, जिन पर धारा 115खखग के अधीन 30 प्रतिशत की दर पर कर लगेगा (अनुसूची वी सी का घiii)			22
23	अधिकतम सीमांत दरों पर प्रभार्य आय			23

भाग ख- कुल आय पर कर कुल आय पर कर दायित्व की संगणना

1	कुल आय पर संदेय कर			
	क	भाग ख- आय मद के (21 - 22 - 23) पर सामान्य दरों पर कर	1क	
	ख	विशेष दरों पर कर (अनुसूची एसआई का (ii) का योग)	1ख	
	ग	भाग ख-कुल आय के 22 पर धारा 115खखग के अधीन अनाम संदानों पर 30% की दर से कर	1ग	

	घ	भाग ख-कुल आय के 23 पर अधिकतम (यदि जवाब हां है तो (यदि जवाब हां है तो यह सुनिश्चित)	1घ		
	ङ	कृषि आय पर रिबेट (यदि कुल आय पर कर 18-19 उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो कर से प्रभावी है तो लागू हो)	1ङ		
	च	कुल आय पर कर संदाय (1क + 1ख + 1ग + 1घ - 1ङ)		1च	
2	अधिभार				3
	i	अनुसूची घट्ट का 7(ii) का 25%	2i		
	ii	पर [1च - अनुसूची घट्ट का 7(ii)]	2ii		
	iii	कुल (i + ii)		2iii	
3	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर 4% की दर पर (1च + 2iii)				3
4	सकल कर दायित्व (1च + 2iii + 3)				4
5	कर राहत				
	क	धारा 90/90क (अनुसूची कर 2 विवरणी)	5क		
	ख	धारा 91 (अनुसूची कर 3 विवरणी)	5ख		
	ग	कुल (5क + 5ख)		5ग	
6	शुद्ध कर दायित्व (4-5ग)				6
7	देय फीस और ब्याज				
	क	विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234क)	7क		
	ख	अग्रिम कर के संदाय में व्यतिक्रम के लिए ब्याज (धारा 234ख)	7ख		
	ग	अग्रिम कर के आस्थगन के लिए ब्याज (धारा 234ग)	7ग		
	घ	आय की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए फीस (धारा 234घ)	7घ		
	ङ	संदेय कुल ब्याज और फीस (7क + 7ख + 7ग + 7घ)		7ङ	
8	कुल दायित्व (6 + 7ङ)				8
संदत्त कर	9	संदत्त कर			
	क	अग्रिम कर (15क का स्तंभ 5)	9क		
	ख	स्रोत पर कर की कटौती (15ख का स्तंभ 9)	9ख		
	ग	स्रोत पर कर का संग्रहण (15ग का स्तंभ 9)	9ग		
	घ	स्वतः कर निर्धारण (15क का स्तंभ 5)	9घ		
	ङ	कुल संदत्त कर (9क + 9ख + 9ग + 9घ)		9ङ	

10	संदेय रकम (यदि 8, 9ड से अधिक है तो 12 प्रवि-ट करें अन्यथा 0 प्रवि-ट करें)										10	
11	प्रतिदाय (यदि 9ड, 8 से अधिक है), (प्रतिदाय, यदि कोई है, तो बैंक खाते में सीधे जमा करा दिया जाएगा)										11	
12	धारा 115नड के अंतर्गत व्याज सहित 115नघ आय पर देय निवल कर (अनुसूची 115नघ का क्रम संख्या 12)										12	

बैंक खाता

13

क्या आपका भारत में बैंक खाता है (भारत में बिना किसी बैंक खाते के प्रतिदाय का दावा करने वाले अनिवासी नहीं का चयन कर सकते हैं)

हां अथवा नहीं का चयन करें

क) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय भारत में धारित सभी बैंक खातों के ब्यौरे (डोरमेट खातों को छोड़कर)

क्रम सं.	भारत में धारित बैंक खातों की दशा में बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता सं .	डिजीटल रसीद/भुगतान हेतु प्रयोग किए खातों को इंगित करें	उस खाते को इंगित करें जिसमें आप क्रेडिट किए गए अपने प्रतिदाय का पाना पसंद करेंगे(प्रतिदाय के लिए एक खाते को ☒ करें)
i					
ii					

नोट:
1. प्रतिदाय क्रेडिट के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन होना चाहिए।
2. प्रतिदाय के मामले में, प्रतिदाय क्रेडिट के लिए नानाविध (मल्टीपल) खातों का चयन किया जाता है तब प्रतिदाय विवरणी का संसाधन के बाद सीपीसी द्वारा निर्णित खातों में से एक खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

यथा अपेक्षित पंक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं

ख) अनिवासी, जो आयकर प्रतिदाय का दावा कर रहे हैं और उनका भारत में कोई बैंक खाता नहीं है, वे अपने विकल्प पर एक विदेशी बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करें:

क्रं. सं.	एसडब्ल्यूएफटी कोड	बैंक का नाम	देश की अवस्थिति	आईवीएएन

14

क्या आप पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय
(i) भारत के बाहर स्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी सत्ता में वित्तीय हित सम्मिलित है) को हिताधिकारी स्वामी, हिताधिकारी या अन्यथा के रूप में धारित करते हैं।
(ii) भारत के बाहर स्थित किसी एकाउन्ट में हस्ताक्षर प्राधिकारी हैं; या
(iii) भारत के बाहर किसी स्रोत से आहें? (निवासी के मामले में ही लागू) (यदि उत्तर हां है, तब अनुसूची च क को भरना सुनिश्चित करें)

☐ हां ☐ नहीं

15

अनुसूची-आयकर

क

अग्रिम कर और स्वतःनिर्धारण के संदायों के ब्यौरे

क्रं.सं	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (तारीख/मास/वर्ग)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
i				
ii				
iii				
iv				
v				
vi				

टिप्पण ▶

भाग ख--टीटीआई की क्रम सं0 13क और 13घ में कुल अग्रिम कर और स्वतः निर्धारण कर का योग प्रवि-ट करें ।

क्र.सं०	ख्रोत पर कर कटौती के ब्यौरे [कटौतीकर्ता(कटौतीकर्ताओं) द्वारा जारी प्ररूप (टीडीएस) प्ररूप16 क या प्ररूप 16ख/16ग के अनुसार]													
	स्वयं/ अन्य व्यक्ति [नियम 37खक(2) के अनुसार अन्य व्यक्ति]	अन्य व्यक्ति का पैन/ आधार (यदि टीडीएस क्रेडिट अन्य व्यक्ति से संबंधित है)	कटौतीकर्ता का टैन/ किराएदार/ क्रेता का पैन/ आधार	अग्रेषित अदावाकृत टीडीएस	चालू वित्तीय वर्ष का टीडीएस (वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान काटा गया टीडीएस)		इस वर्ष दावा किया जा रहा टीडीएस क्रेडिट (केवल तभी जब तत्स्थानी आय कर के लिए आमंत्रित की गई है)			प्रस्तुत की गई तदनुरूपी रिसीट		अग्रेषित टीडीएस क्रेडिट		
				वित्तीय वर्ष जिसमें कटौती की गई	अग्रेषित टीडीएस	स्वयं कटौती	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में काटा गया (यदि लागू हो)		स्वयं के हाथों में दावा की गई	नियम 37खक(2) के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के हाथों में दावा किया गया (यदि लागू हो)		कुल रकम	आय का शीर्ष	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							आय	टीडीएस		आय	टीडीएस	पैन/ आधार		
i														
टिप्पण भाग ख ननन के 9ख में स्तंभ 9 का योग प्रविष्ट करें														

ग	स्रोत पर कर के संग्रहण का ब्यौरा [संग्रहणकर्ता द्वारा जारी किए गए प्ररूप 27घ के अनुसार]							
आय के स्रोत पर संगृहीत कर	क्र. सं.	संग्रहणकर्ता का कर कटौती और कर संग्रहण एकाउंट नंबर	संग्रहणकर्ता का नाम	अग्रणीत अदावाकृत स्रोत पर कर संग्रहण रकम		वर्तमान वित्तीय वर्ग का स्रोत पर संग्रहित कर	(5) और (6)में से इस वर्ग में दावाकृत रकम केवल यदि तत्समान आय पर इस वर्ग कर दिया जा रहा है	(5) या (6) में से अग्रणीत की गई रकम
				वित्तीय वर्ष जिसमें टीसीएस संग्रहित किया जाता है	अग्रणीत रकम			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
टिप्पण  कृपया भाग -ख टीटीआई के 9ग में स्तंभ (7) योग प्रविष्ट करें								

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि इसके साथ संलग्न विवरणी और अनुसूचियों, विवरणों आदि में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सही और पूरी है।

मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह विवरणी अपनी की हैसियत में दे रहा/दे रही हूँ और मैं इस विवरणी को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूँ। मेरा स्थायी खाता संख्यांक है (यदि आबंटित हुआ हो) (कृपया अनुदेश देखें)।

मैं यह और घोषणा करता हूँ कि करार में विनिर्दिष्ट आलोचनात्मक धारणाओं का समाधान कर दिया है और करार की सभी निबंधनों और शर्तों का अनुपालन कर दिया है (उस दशा में, जहां द्वारा 92गघ के अधीन विवरणी दाखिल किया जाना लागू हों)

स्थान

तारीख

यहां हस्ताक्षर करें ➡

फार्म आईटीआर- V	भारतीय आयकर विवरणी सत्यापन फार्म			निर्धारण वर्ष 2020-21
[जहां आयकर विवरणी के डाटा फार्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-7 में दायर किए गए परन्तु इलेक्ट्रानिक रूप से सत्यपित नहीं किए गए]				
(कृपया आयकर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखें)				
नाम				
स्थायी खाता संख्या		फार्म संख्या		
दायर धारा		ई-फाइलिंग पावती संख्या		
सत्यापन				
मैं.....का पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ मेरे सर्वोत्तम विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार इस विवरणी में दी गई सूचना जिसे मेरे द्वारा पावती संख्या द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सत्य एवं पूर्ण है और वह आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार है। मैं आगे यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं इस विवरण को अपनी क्षमता के रूप में बना रहा/रही हूँ और मैं इस विवरणी को बनाने तथा इसे सत्यापित करने में सक्षम भी हूँ। मेरा स्थाई खाता संख्या (पैन) है।				
हस्ताक्षर 				
प्रस्तुत करने की तारीख		स्रोत आईपी पता		
सिस्टम सृजित वार कोड/क्यूआर कोड				
अनुदेश:				
1. कृपया विधिवत हस्ताक्षरित (प्राथमिकता ब्लू इंक में) फार्म आईटीआर-V को केवल साधारण डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा केंद्रीयकृत संसाधन केंद्र, आयकर विभाग, बंगलूरू-560500” को भेजें। वैकल्पिक रूप से आप आधार ओटीपी का प्रयोग करके अथवा नेट बैंकिंग लॉगिन के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट के लॉगिन अथवा पूर्ण वैधता वाले बैंक खाते/डोरमेट अकाउंट का प्रयोग करके सृजित प्राप्त किए गए ईवीसी अथवा बैंक एटीएम के जरिए सृजित ईवीसी का प्रयोग करके इलेक्ट्रानिक रूप से भेजी गई विवरणी को ई-सत्यापित कर सकते हैं। 2. आईटीआर-V फार्म आयकर विभाग के किसी अन्य कार्यालय में अथवा किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं किया जाएगा। आईटीडी-सीपीसी में इस फार्म आईटीआर-V प्राप्त करने की पुष्टि ई-फाइलिंग अकाउंट में पंजीकृत ई-मेल आईडी को भेजी जाएगी। 3. सफलतापूर्वक सत्यापन पर विवरणी दायर करने की पावती को आय विवरणी दायर करने की प्रक्रिया के पूरा होने के साक्ष्य के रूप में ई-फाइलिंग पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।				

भारतीय आयकर विवरणी पावती				निर्धारण वर्ष 2020-21	
[जहां आय विवरणी का डाटा आईटीआर-1(सहज), आईटीआर-2, आईटीआर-3, आईटीआर-4 (सुगम), आईटीआर-5, आईटीआर-6, आईटीआर-7 में दायर किए गए तथा सत्यापित किए गए] (कृपया आय-कर नियमावली, 1962 का नियम 12 देखिए)					
स्थायी खाता संख्या					
नाम					
पता					
स्थिति		फार्म संख्या			
धारा के अंतर्गत दायर		ई-फाइलिंग पावती संख्या			
कर योग्य आय तथा कर व्यौरे	चालू वर्ष बिजनेस क्षति, यदि कोई हो	1			
	कुल आय				
	मैट के अंतर्गत बुक प्रोफिट, जहां लागू हो	2			
	एएमटी के अंतर्गत कुल आय जहां लागू हो	3			
	देय निवल कर	4			
	देय ब्याज तथा फीस	5			
	देय कुल कर, ब्याज तथा फीस	6			
	अदा किया गया कर	7			
	(+)देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (6-7)	8			
लाभांश वितरण कर व्यौरे	देय लाभांश कर	9			
	देय ब्याज	10			
	देय कुल लाभांश कर तथा ब्याज	11			
	अदा किया गया कर	12			
	(+)देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (11-12)	13			
मान्यता प्राप्त आय तथा कर व्यौरे	धारा 115नघ के अनुसार मान्यता प्राप्त आय	14			
	धारा 115नघ के अंतर्गत देय अतिरिक्त कर	15			
	धारा 115नड के अंतर्गत देय ब्याज	16			
	देय अतिरिक्त कर तथा ब्याज	17			
	अदा किया गया कर तथा ब्याज	18			
	(+)देय कर /(-)वापिस किए जाने योग्य (17-18)	19			
दिनांक.....को इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत आयकर विवरणी आईटी पते से द्वारा सत्यापित की गई.....पैन रखने वाले.....को..... पेपर आईटीआर सत्यापन फार्म/ इलैक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड का प्रयोग करके मोड के माध्यम से सृजित किया गया।					
सिस्टम सृजित बार कोड/क्यू आर कोड					

* जहां लागू नहीं है, काट दें

इस पावती को सीपीसी, बेंगलूरु को नहीं भेजे

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th May, 2020

INCOME-TAX

G.S.R. 338(E).—In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Income-tax (12th Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,

(a) in rule 12, in sub-rule (1)—

(I) in clause (a), in the proviso,-

(i) in item (V), the word “or” shall be inserted at the end;

(ii) items (VII) and (VIII) shall be omitted;

(II) in clause (ca), in the proviso, item (VI) shall be omitted.

(b) in Appendix II, for Form “Sahaj (ITR-1), Form ITR-2, Form ITR-3, Form Sugam (ITR-4), Form ITR-5, Form ITR-6, Form ITR-7 and Form ITR-V”, the following Forms shall, respectively, be substituted, namely:—

[Notification No. 31/2020/F. No. 370142/32/2019-TPL]

ANKUR GOYAL, Under Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (11th Amendment) Rules, 2020, *vide* notification number G.S.R. 329 (E) dated 28.5.2020.

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE								
D1	Tax payable on total income		D2	Rebate u/s 87A		D3	Tax after Rebate	
D4	Health and education Cess @ 4% on D3		D5	Total Tax and Cess		D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	
D7	Interest u/s 234A		D8	Interest u/s 234B		D9	Interest u/s 234C	
D10	Fee u/s 234F		D11	Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10 – D6)				
D12	Total Taxes Paid		D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)		D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)	

PART E – OTHER INFORMATION				
Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Select Account for Refund Credit
I				
1. Minimum one account should be selected for refund credit.				
2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return.				

Schedule-IT Details of Advance Tax and Self-Assessment Tax payments																									
	BSR Code						Date of Deposit (DD/MM/YYYY)						Serial Number of Challan						Tax paid						
	Col (1)						Col (2)						Col (3)						Col (4)						
R1																									
R2																									
Schedule-TDS Details of TDS/TCS [As per Form 16/16A/16C/27D issued by the Deductor(s)/ Employer(s)/ Payer(s)/ Collector(s)]																									
	TAN of deductor/Collector or PAN/ Aadhaar No. of the Tenant					Name of the Deductor/ Collector/Tenant					Gross payment/ receipt which is subject to tax deduction /collection					Year of tax deduction/ collection			Tax Deducted/ collected		TDS/TCS credit out of (5) claimed this Year				
	Col (1)					Col (2)					Col (3)					Col (4)			Col (5)		Col (6)				
T1																									
T2																									

Schedule DI - Details of Investment		
Investment/ Deposit/ Payments for the purpose of claiming deduction under Part B of Chapter VIA		
Section	Eligible amount of deduction during FY 2019-20 (As per Part C- Deductions and taxable total income)	Deduction attributable to investment/expenditure made between 01.04.2020 to 30.06.2020 (Out of Col No.2)
Col (1) (ii)	Col (2)	Col (3)
80C		
80CCC		
80CCD(1)		
80CCD(1B)		
80CCD(2)		
80D		
80DD		
80DDB		
80E		
80EE		
80EEA		
80EEB		
80G		
80GG		
80GGA		
80GGC		
Total		

Stamp Receipt No., Seal,
Date & Sign of Receiving
Official

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____(drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____.(Please see instruction).

Date: _____Signature: _____

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:

Identification No. of TRP

Name of TRP

Counter Signature of TRP

If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof

FORM

ITR-2

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For Individuals and HUFs not having income from profits and gains of business or profession]

(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

(Please refer instructions)

Assessment Year

2 0 2 0 - 2 1

Part A-GEN

GENERAL

PERSONAL INFORMATION

First name	Middle name	Last name	PAN
Flat/Door/Block No.	Name of Premises/Building/Village	Status (Tick) ☒ Individual ☐ HUF	
Road/Street/Post Office	Date of Birth/ Formation (DD/MM/YYYY)		
Area/locality	Aadhaar Number (12 digit) / Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)		
Town/City/District	State	PIN code/ZIP code	
	Country		
Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1		Mobile No. 2	

Email Address-1 (self)	Email Address-2

(a)	Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)-After condonation of delay.
	Or Filed in response to notice u/s	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A ☐ 153C

(b)	Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]

(bi)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)

(bii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)

(biii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)	Amount (Rs) (If Yes)

(c)	If Revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	/ /

(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such Notice/Order, or if filed u/s 92CD, enter date of Advance Pricing Agreement	(Unique Number) / /

(e)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident	☐ You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] ☐ You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section 6(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable]	
		B. Resident but not Ordinarily Resident	☐ You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] ☐ You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)]	
			C. Non-resident	☐ You were a non-resident during the previous year.
		(i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year -		
		S.No.	Jurisdiction(s) of residence	Taxpayer Identification Number(s)
		1		
		2		
		(ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify -		
		Total period of stay in India during the previous year (in days)	Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)	

	Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)	D. ☐ Resident ☐ Resident but not Ordinarily Resident ☐ Non-resident

(f)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)	☐ Yes ☐ No

(g)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick ☒ ☐ Yes ☐ No (If "YES" please fill Schedule 5A)

(h)	Whether this return is being filed by a Representative Assessee? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -

	(1) Name of the Representative
	(2) Capacity of the Representative (drop down to be provided)
	(3) Address of the Representative
	(4) Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the Representative

(i)	Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -

	Name of Company	Type of company	PAN	Whether its shares are listed or unlisted	Director Identification Number (DIN)
		(Drop down to be provided)			

FILING STATUS

[illegible]

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**Schedule S Details of Income from Salary**

SALARIES	Name of Employer		Nature of employer (Tick) ☒ (drop down to be provided)		TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)													
	Address of employer		Town/City		State		PIN code/ ZIP code											
	1	Gross Salary (1a + 1b + 1c)										1						
		a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)								1a							
		b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)								1b							
		c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)								1c							
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)																	
	2	Total Gross Salary (from all employers)										2						
	3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions) (Note: Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)										3						
4	Net Salary (2 - 3)										4							
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)										5							
	A	Standard deduction u/s 16(i)								5a								
	B	Entertainment allowance u/s 16(ii)								5b								
	C	Professional tax u/s 16(iii)								5c								
6	Income chargeable under the head 'Salaries' (4 - 5)										6							

Schedule HP Details Of Income From House Property (Please Refer Instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City		State		PIN Code/ ZIP Code										
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)																	
	Your percentage of share in the property (%)																	
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s)				Percentage Share in Property											
	I																	
	II																	
	[Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Self-occupied ☐ Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)									
			I															
			II															
	a	Gross rent received or receivable or lettable value										1a						
	b	The amount of rent which cannot be realized								1b								
	c	Tax paid to local authorities								1c								
	d	Total (1b + 1c)								1d								
	e	Annual value (1a – 1d) (nil, if self -occupied etc. as per section 23(2) of the Act)										1e						
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)										1f						
	g	30% of 1f								1g								
	h	Interest payable on borrowed capital								1h								
	i	Total (1g + 1h)										1i						
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%										1j						
	k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)										1k						
2	Address of property 2		Town/ City		State		PIN Code/ ZIP Code											
Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)																		
Your percentage of share in the property.(%)																		
Name of Co-owner(s)		PAN/ Aadhaar No. of Co-owner(s)				Percentage Share in Property												
I																		

II							
[Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Self-occupied ☐ Deemed let out		Name(s) of Tenant (if let out) I II		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)		PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)	
a		Gross rent received/ receivable/ letable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)					2a
b		The amount of rent which cannot be realized					2b
c		Tax paid to local authorities					2c
d		Total (2b + 2c)					2d
e		Annual value (2a – 2d)					2e
f		Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)					2f
g		30% of 2f					2g
h		Interest payable on borrowed capital					2h
i		Total (2g + 2h)					2i
j		Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%					2j
k		Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)					2k
3		Pass through income/loss if any *					3
4		Income under the head “Income from House Property” (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)					4
NOTE ►		Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head.					
NOTE ►		Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.					

Schedule CG

Capital Gains

A		Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 3 and 4 are not applicable for residents)								
Short-term Capital Gains	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)									
	a	i	Full value of consideration received/receivable				Ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				Aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (a ii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (a ii)]				Aiii			
	b Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation				Bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation				Bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				Biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)				Biv			
	c Balance (Aiii – biv)								1c	
	d Deduction under section 54B (Specify details in item D below)								1d	
	e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)								A1e	
	f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)									
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code		
NOTE ►		Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
2 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)										
	a	Full value of consideration					2a			
	b Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (i + ii + iii)				biv			
	c Balance (2a – biv)								2c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)					2d			
	e Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (2c + 2d)								A2e	
	3 For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)									
a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid					A3a				
b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid					A3b				
4 For NON-RESIDENT- from sale of securities (other than those at A2) by an FII as per section 115AD										

Long-term Capital Gains	a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA						A8a		
	b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA						A8b		
	9	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2e+ A3a+ A3b+ A4e+ A5e+A6 + A7 - A8a)						A9		
	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items, 5, 6, 7 & 8 are not applicable for residents)								
	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)								
		a	i	Full value of consideration received/receivable			ai			
			ii	Value of property as per stamp valuation authority			aii			
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]			aiii			
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition with indexation			bi			
			ii	Cost of Improvement with indexation			bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii			
			iv	Total (bi + bii + biii)			Biv			
		c	Balance (aiii – biv)			1c				
		d	Deduction under section 54/54B/54EC/54F/54GB (Specify details in item D below)			1d				
		e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						B1e	
		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)							
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/ Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code	
		NOTE ►	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
	2	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)								
		a	Full value of consideration				2a			
		b	Deductions under section 48							
			i	Cost of acquisition without indexation			bi			
			ii	Cost of improvement without indexation			bii			
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii			
			iv	Total (bi + bii + biii)			biv			
		c	Balance (2a – biv)				2c			
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)				2d				
	e	LTCG on bonds or debenture (2c – 2d)				B2e				
3	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA									
	a	Full value of consideration				3a				
	b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation			bi				
		ii	Cost of improvement without indexation			bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii				
		iv	Total (bi + bii + biii)			biv				
	c	Balance (3a – biv)				3c				
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)				3d				
	e	Long-term Capital Gains on assets at B3 above (3c – 3d)				B3e				
4	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A									
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)				4a				
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)				4b				
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B4 above (4a – 4b)				B4c				
5	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)									
	a	LTCG computed without indexation benefit				5a				
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)				5b				
	c	LTCG on share or debenture (5a-5b)				B5c				
6	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B7 is to be filled up)									
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details							
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			ia				
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib				
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a			ic				

		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (6aiii – biv)			6c	
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			6d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at 6 above in case of NON-RESIDENT (6c - 6d)			B6e	
7	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii))		7a		
	b	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)		7b		
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B7 above (7a – 7b)			B7c	
8	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					
	a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)		8a		
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		8b		
	c	Balance LTCG on sale of specified asset (8a – 8b)			B8c	
	d	LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)		8d		
	e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)		8e		
	f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (8d- 8e)			B8f	
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable					
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition with indexation	bi		
		ii	Cost of improvement with indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (9aiii – biv)			9c	
	d	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			9d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c – 9d)				
10	Amount deemed to be long-term capital gains					
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year?				
		Yes ; No ; Not applicable. (If yes, then provide the details below)				
		In case any amount is utilised out of Capital Gains account please fill sl no "B" of Schedule DI				
	Sl.	Previous year in which asset	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)
	i	2016-17	54/54F/ 54GB			
	ii	2017-18	54B			
	b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'				
	Total amount deemed to be long-term capital gains (aXi + aXii + b)					
11	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain,(Fill up schedule PTI) (B11a1+ B11a2 + B11b)					B11
	a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A			B11 a1	
	a2	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than u/s 112A			B11 a2	
	b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%			B11b	

12	Amount of LTCG included in B1- B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA											
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
	a	Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA									B12a	
	b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates as per DTAA									B12b	
13	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e+B2e+B3e+B4c+B5c+B6e+B7c+B8c+B8f+B9e+B10 + B11 - B12a)										B13	
C	Income chargeable under the head "Capital Gains" (A9 + B13) (take B13 as nil, if loss)										C	
D	Information about deduction claimed against Capital Gains											
1	In case of deduction u/s 54/54B/54EC/54F/54GB/115F give following details											
a	Deduction claimed u/s 54											
	i	Date of transfer of original asset					ai	dd/mm/yyyy				
	ii	Cost of new residential house					aii					
	iii	Date of purchase/construction of new residential house					aiii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					aiv					
	v	Amount of deduction claimed					av					
b	Deduction claimed u/s 54B											
	i	Date of transfer of original asset					bi	dd/mm/yyyy				
	ii	Cost of new agricultural land					bii					
	iii	Date of purchase of new agricultural land					biii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					biv					
	v	Amount of deduction claimed					bv					
c	Deduction claimed u/s 54EC											
	i	Date of transfer of original asset					ci	dd/mm/yyyy				
	ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)					cii					
	iii	Date of investment					ciii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount of deduction claimed					civ					
d	Deduction claimed u/s 54F											
	i	Date of transfer of original asset					di	dd/mm/yyyy				
	ii	Cost of new residential house					dii					
	iii	Date of purchase/construction of new residential house					diii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					div					
	v	Amount of deduction claimed					dv					
e	Deduction claimed u/s 54GB											
	i	Date of transfer of original residential property					ei	dd/mm/yyyy				
	ii	PAN of the eligible company					eii					
	iii	Amount utilised for subscription of equity shares of eligible company					eiii					
	iv	Date of subscription of shares					eiv	dd/mm/yyyy				
	v	Cost of new plant and machinery purchased by the eligible company					ev					
	vi	Date of purchase of plant and machinery					evi	dd/mm/yyyy				
	vii	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					evii					
	viii	Amount of deduction claimed					eviii					
f	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)											
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset					fi	dd/mm/yyyy				
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate					fii					
	iii	Date of investment					fiii	dd/mm/yyyy				
	iv	Amount of deduction claimed					fiv					
g	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f)					1g						
E	Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A8a & B12a which is not chargeable under DTAA)											

Sl.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	
			1	2	3	4	5	6	7	
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative)		$(A2e^* + A3a^* + A7a^*)$	$A4e^* + A7b^*$	$(A1e^* + A3b^* + A5e^* + A6^* + A7c^*)$	$A8b$	$(B3e^* + B4c^* + B6e^* + B7c^* + B8c^* + B11a1^* + B11a2^*)$	$(B1e^* + B2e^* + B5c^* + B8f^* + B9e^* + B10^* + B11b^*)$	$B12b$	
ii	Short term capital gain	15%	$(A2e^* + A3a^* + A7a^*)$							
iii		30%	$A4e^* + A7b^*$							
iv		applicable rate	$(A1e^* + A3b^* + A5e^* + A6^* + A7c^*)$							
v		DTAA rates	$A8b$							
vi	Long term capital gain	10%	$(B3e^* + B4c^* + B6e^* + B7c^* + B8c^* + B11a1^* + B11a2^*)$							
vii		20%	$(B1e^* + B2e^* + B5c^* + B8f^* + B9e^* + B10^* + B11b^*)$							
viii		DTAA rates	$B12b$							
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)									
x	Loss remaining after set off (i - ix)									
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A6) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B10) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.										
F	Information about accrual/receipt of capital gain									
	Type of Capital gain / Date				Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 3iii of schedule BFLA, if any.</i>									
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 3iv of schedule BFLA, if any.</i>									
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 3v of schedule BFLA, if any.</i>									
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 3vi of schedule BFLA, if any.</i>									
5	Long-term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 3vii of schedule BFLA, if any.</i>									
6	Long-term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 3viii of schedule BFLA, if any.</i>									
7	Long-term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 3ix of schedule BFLA, if any.</i>									
NOTE ► Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head										

[PART II—SEC. 3(i)]

[illegible]

Schedule OS Income from Other Sources

OTHER SOURCES

OTHER SOURCES	1				Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1	
	a				Dividends, Gross [not exempt u/s 10(34) and 10(35)]				1a	
	b				Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+ bv)				1b	
	i		From Savings Bank		bi					
	ii		From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-		bii					
	iii		From Income-tax Refund		biii					
	iv		In the nature of Pass through income/ loss		biv					
	v		Others		bv					
	c				Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross				1c	
	d				Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)				1d	
	i		Aggregate value of sum of money received without consideration		di					
	ii		In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property		dii					
	iii		In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration		diiii					
	iv		In case any other property is received without consideration, fair market value of property		div					
	v		In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration		dv					
	e				Any other income (please specify nature)				1e	
	Sl. No.				Nature					Amount
	1				Family Pension					
	2									
	Rows can be added as required									
	2				Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e +2f elements related to Sl. No.1)				2	
	a				Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB				2a	
	b				Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)				2b	
	i		Cash credits u/s 68		bi					
	ii		Unexplained investments u/s 69		bii					
iii		Unexplained money etc. u/s 69A		biii						
iv		Undisclosed investments etc. u/s 69B		biv						
v		Unexplained expenditure etc. u/s 69C		bv						
vi		Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D		bvi						
c				Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111				2c		
S.No.		Assessment Year		Income benefit		Tax benefit				
(i)		(ii)		(iii)		(iv)				
d				Any other income chargeable at special rate (total of di to dxviii)				2d		
i		Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)		di						
ii		Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)		dii						
iii		Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)		diiii						
iv		Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)		div						
v		Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)		dv						
vi		Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)		dvi						
vii		Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)		dvii						
viii		Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)		dviii						

	ix	Income by way of interest or dividends from bonds or GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	dix									
	x	Income by way of dividends from GDRs purchased in foreign currency by residents - chargeable u/s 115ACA	dx									
	xi	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)	dxii									
	xii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)	dxiii									
	xiii	Tax on non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA	dxiv									
	xiv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	dxv									
	xv	Income by way of dividend received by specified assessee, being resident, from domestic company exceeding rupees ten lakh chargeable u/s 115BBDA	dxvi									
	xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	dxvii									
	xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	dxviii									
	xviii	Investment Income of a Non-Resident Indian - chargeable u/s 115E										
e	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)					2e						
f	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)					2f						
	Sl. No.	Amount of income	Item No.1 & 2 in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate (lower of (6) or (9))		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)											
	ai	Expenses / Deductions (in case other than family pension)					3ai					
	aii	Deduction u/s. 57(ia) (in case of family pension only)					3aii					
	b	Depreciation (available only if income offered in 1c of schedule OS)					3b					
	c	Total					3c					
4	Amounts not deductible u/s 58										4	
5	Profits chargeable to tax u/s 59										5	
6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates (1(after reducing income related to DTAA portion) - 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 3i of schedule CYLA)										6	
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)										7	
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses											
	a	Receipts					8a					
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only					8b					
	c	Amounts not deductible u/s 58					8c					
	d	Profits chargeable to tax u/s 59					8d					
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 6xi of Schedule CFL)					8e					
9	Income under the head "Income from Other Sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)										9	
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources											
	S.No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3					
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)					
	1	Dividend Income u/s 115BBDA										

2 Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)

NOTE ► Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA Details of Income after Set off of Current Year Losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Net loss from Other sources chargeable at normal applicable rates (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4=1-2-3
	i	Loss to be set off → (Fill this row only if computed figure is negative)		(4 of Schedule HP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)			
	iii	House property	(4 of Schedule HP)			
	iv	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of schedule CG)			
	v	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of schedule CG)			
	vi	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of schedule CG)			
	vii	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of schedule CG)			
	viii	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of schedule CG)			
	ix	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of schedule CG)			
	x	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)			
	xi	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of schedule OS)			
	xii	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of schedule OS)			
	xiii	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+xi+xii)				
	xiv	Loss remaining after set-off (i – xiii)				

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 4 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3
	i	Salaries	(4ii of schedule CYLA)		
	ii	House property	(4iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)	
	iii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(4iv of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	iv	Short-term capital gain taxable @ 30%	(4v of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	v	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(4vi of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	vi	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(4vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)	
	vii	Long-term capital gain taxable @ 10%	(4viii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	viii	Long term capital gain taxable @ 20%	(4ix of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	ix	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(4x of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)	
	X	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(4xi of schedule CYLA)		
	xi	Profit from owning and maintaining race horses	(4xii of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)	
	xii	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2xi)			
	xiii	Current year's income remaining after set off Total of (3i + 3ii + 3iii + 3iv + 3v + 3vi + 3vii + 3viii + 3ix + 3x + 3xi)			

[illegible]

Schedule VI-A

Deductions under Chapter VI-A

Whether, you have made any investment/ deposit/ payments between 01.04.2020 to 30.06.2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter VIA? (If yes, please fill sl no "A" of Schedule DI)					☐ Yes ☐ No	
TOTAL DEDUCTIONS	1 Part B- Deduction in respect of certain payments					
	a	80CC		b	80CCC	
	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)	
	e	80CCD(2)		f	80D	
	g	80DD		h	80DDDB	
	i	80E		j	80EE	
	k	80EEA		l	80EEB	
	m	80G		n	80GG	
	o	80GGA		p	80GGC	
	2 Part C, CA and D- Deduction in respect of certain incomes/other deduction					
	q	80QQB		r	80RRB	
	s	80TTA		t	80TTB	
	u	80U				
v	Total deductions under Chapter VI-A (Total of a to u)					v

Schedule 80G

Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit						
	Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	B Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit						
	Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	C Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit						
	Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
	D Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit						
	Name and address of Donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i							
ii							

	iii	Total				
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)					

Schedule 80GGA Details of donations for scientific research or rural development

S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (<i>drop down to be provided</i>)	Name and address of Donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 12 of PART-B-TI			1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)				
	a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"	2a		
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2a)			3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)			4	

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2020-21 (1d of Part-B-TTI)				1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2020-21 (7 of Part-B-TTI)				2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]				3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)					
	S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit		AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)	
	i	2013-14				
	ii	2014-15				
	iii	2015-16				
	iv	2016-17				
	v	2017-18				
	vi	2018-19				
	vii	2019-20				
viii	Current AY (enter 1-2, if 1>2 else enter 0)					
ix	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]				5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]				6	

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64

SI No	Name of person	PAN/ Aadhaar No. of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					
2					
3					

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates (*please see instructions for rate of tax*)

SI No	Section	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years	☐		(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
2	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares units on which STT paid)	☐	15	(3iii of schedule BFLA)	

3	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(3iv of schedule BFLA)	
4	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
7	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	☐	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
8	115AD (LTCG for FIIs on securities)	☐	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
9	115E (LTCG for non-resident Indian on specified asset)	☐	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
10	112 (LTCG on others)	☐	20	(3viii of schedule BFLA)	
11	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	☐	10	(part of 3vi of schedule BFLA)	
12	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3vi of schedule BFLA)	
13	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 3ix of schedule BFLA)	
14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(part of 2a of schedule OS)	
15	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10 lakh)	☐	10	(part of 2d of schedule OS)	
16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of schedule OS)	
17	115BBF (Tax on income from patent)	☐	10	(part of 2d of schedule OS)	
18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)	☐	10	(part of 2d of schedule OS)	
19	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(part of 2d of schedule OS)	
20	Other source of income chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 2f of schedule OS)	
21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	☐	15	(part of 3iv of schedule BFLA)	
22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30	(part of 3v of schedule BFLA)	
23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A	☐	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% - under sections other than u/s 112A	☐	10	(part of 3vii of schedule BFLA)	
25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20	(part of 3viii of schedule BFLA)	
26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(2e of schedule OS)	
			Total		

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME	1	Interest income					1	
	2	Dividend income from domestic company (amount not exceeding Rs. 10 lakh)					2	
	3	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i		
		ii	Expenditure incurred on agriculture			ii		
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			iii		
		iv	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii) (enter nil if loss)					3
		v	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)					
			a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located				
			b	Measurement of agricultural land in Acre				
			c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)				
			d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)				
	4	Other exempt income (including exempt income of minor child)					4	
	5	Income not chargeable to tax as per DTAA						
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)
		I						
		II						
		III	Total Income from DTAA not chargeable to tax					5
	6	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)					6	
	7	Total (1+2+3+4+5+6)					7	

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss (7-8)	TDS on such amount, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PASS THROUGH INCOME	1.	(Dropdown to be provided)		i	House property				
				ii	Capital Gains				
				a	Short term				
				ai	Section 111A				
				aii	Others				
				b	Long term				
				bi	Section 112A				
				bii	Other than Section 112A				
				iii	Other Sources				
				a	Dividend (referred to in section 115-O)				
				b	Others				
				iv	Income claimed to be exempt				
				a	u/s 10(23FBB)				
				b	u/s				
				c	u/s				
				2.				i	House property
	ii	Capital Gains							
	a	Short term							
	ai	Section 111A							
	aii	Others							
	b	Long term							
	bi	Section 112A							
	bii	Other than Section 112A							
	iii	Other Sources							
a	Dividend (referred to in section 115-O)								
B	Others								
iv	Income claimed to be exempt								
a	u/s 10(23FBB)								
b	u/s								
c	u/s								

NOTE Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FSI

Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)

Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
			Total						
2			i	Salary					
			ii	House Property					
			iii	Capital Gains					
			iv	Other sources					
			Total						

NOTE Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)

1	Summary of Tax relief claimed				
	Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Tax Relief Claimed under section (specify 90, 90A or 91)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Total				
2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
	Yes/No				
	a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.					

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
	A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(i)													
(ii)													
A4	Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)					

(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2a	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(2a)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom			Income derived	Nature of	Whether taxable in	If (6) is yes, Income offered in this return			

			derived		income	your hands?	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(i)									
(ii)									

NOTE ►

Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code

Name of the spouse					
PAN/ Aadhaar No. of the spouse					
	Heads of Income	Receipts under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Capital gains				
3	Other sources				
4	Total				

Schedule AL Assets and Liabilities at the end of the year (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A Details of immovable assets				
	Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(i)				
	(ii)				
	B Details of movable assets				
	Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
	(1)	(2)			(3)
	(i)	Jewellery, bullion etc.			
	(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
	(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
	(iv)	Financial assets		Amount (cost) in Rs.	
		(a)	Bank (including all deposits)		
		(b)	Shares and securities		
		(c)	Insurance policies		
		(d)	Loans and advances given		
		(e)	Cash in hand		
C	Liabilities in relation to Assets at (A + B)				

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule DI - Details of investments		
A) Investment/ Deposit/ Payments for the purpose of claiming deduction under Chapter VI-A		
Section	Eligible amount of deduction during FY 2019-20 (As per Schedule VIA- Part B- Deductions in respect of certain payments)	Deduction attributable to investment/expenditure made between 01.04.2020 to 30.06.2020
(1)	(2)	(3)
80C		
80CCC		
80CCD(1)		
80CCD(1B)		
80CCD(2)		
80D		
80DD		
80DDB		
80E		
80EE		
80EEA		
80EEB		
80G		
80GG		
80GGA		
80GGC		
Total		
B) Payment/Acquisition/Purchase/Construction for the purpose of claiming deduction u/s 54 to 54GB		
Long Term Capital Gain		
Section	Amount utilised out of Capital Gains account (As per Sl. No B10a of Schedule CG)	Amount utilised between 01.04.2020 to 30.06.2020
(1)	(2)	(3)
54		
54B		
54F		
54GB		
Total		
Short Term Capital Gain		
Section	Amount utilised out of Capital Gains account (As per Sl. No A6a of Schedule CG)	Amount utilised between 01.04.2020 to 30.06.2020
(1)	(2)	(3)
54B		
Total		

Part B – TI **Computation of total income**

TOTAL INCOME	1	Salaries (6 of Schedule S)	1	
	2	Income from house property (4 of Schedule HP) (enter nil if loss)	2	
	3	Capital gains		
	a	Short term		
	i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
	ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii	
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii	
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv	
	v	Total Short-term (ai + aii + aiii + aiv) (enter nil if loss)	3av	
	b	Long-term		
	i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi	
	ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii	
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
	iv	Total Long-term (bi + bii + biii) (enter nil if loss)	3biv	
	c	Total capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)	3c	
	4	Income from other sources		
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a	
	b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	4b	
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c	
	d	Total (4a + 4b + 4c) (enter nil if loss)	4d	
	5	Total of head wise income (1+2+3c+4d)	5	
	6	Losses of current year set off against 5 (total of 2xiii and 3xiii of Schedule CYLA)	6	
	7	Balance after set off current year losses (5-6) (total of column 4 of Schedule CYLA+ 2 of Schedule OS)	7	
	8	Brought forward losses set off against 7 (2xii of Schedule BFLA)	8	
	9	Gross Total income (7-8) (3xiii of Schedule BFLA + 2 of Schedule OS)	9	
	10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9	10	
	11	Deductions under Chapter VI-A [v of Schedule VIA and limited to (9-10)]	11	
	12	Total income (9 - 11)	12	
	13	Income which is included in 12 and chargeable to tax at special rates (total of column (i) of schedule SI)	13	
	14	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)	14	
	15	Aggregate income (12-13+14) [applicable if (12-13) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	15	
	16	Losses of current year to be carried forward (total of row xi of Schedule CFL)	16	
	17	Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	17	

PART-B

Part B -TTI **Computation of tax liability on total income**

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income u/s 115JC (4 of Schedule AMT)	1a	
		b	Surcharge on (a) (if applicable)	1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a + 1b) above	1c	
		d	Total tax payable on deemed total income (1a + 1b + 1c)	1d	
	2		Tax payable on total income		
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a	
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule SI)	2b	
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (12-13) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c	
		d	Tax Payable on Total Income (2a + 2b - 2c)	2d	
	3		Rebate under section 87A	3	
	4		Tax payable after rebate (2d - 3)	4	
	5		Surcharge		
		I	@ 25% of 16(ii) of Schedule SI	5i	

		ii	@10% or 15%, as applicable of 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) of Schedule SI			5ii				
		iii	On [(4) – (16(ii), 2(ii), 3(ii), 8(ii), 11(ii), 21(ii), 23(ii) of Schedule SI)]			5iii				
		iv	Total i + ii + iii					5iv		
6	Health and Education Cess @ 4% on (4 + 5iv)							6		
7	Gross tax liability (4 + 5iv + 6)							7		
8	Gross tax payable (higher of 1d and 7)							8		
9	Credit u/s 115JD of tax paid in earlier years (applicable only if 7 is higher than 1d) (row 5 of Schedule AMTC)							9		
10	Tax payable after credit u/s 115JD (8 - 9)							10		
11	Tax relief									
	a	Section 89(Please ensure to submit Form 10E)			11a					
	b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)			11b					
	c	Section 91 (3 of Schedule TR)			11c					
	d	Total (11a + 11b + 11c)					11d			
12	Net tax liability (10 - 11d) (enter zero if negative)							12		
13	Interest and fee payable									
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)			13a					
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)			13b					
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)			13c					
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)			13d					
	e	Total Interest and Fee Payable (13a+13b+13c+13d)					13e			
14	Aggregate liability (12 + 13e)							14		
TAXES PAID	15	Taxes Paid								
		a	Advance Tax (from column 5 of 20A)			15a				
		b	TDS (total of column 5 of 20B and column 9 of 20C)			15b				
		c	TCS (total of column 5 of 20D)			15c				
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 20A)			15d				
		e	Total Taxes Paid (15a + 15b + 15c + 15d)					15e		
16	Amount payable (Enter if 14is greater than 15e, else enter 0)							16		
17	Refund (If 15e is greater than 14) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)							17		
BANK ACCOUNT	18	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)							Select Yes or No	
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India (		Name of the Bank		Account Number		Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick accounts ☒ for refund)	
		i								
		ii								
	Note: 1. Minimum one account should be selected for refund credit. 2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return									
	Rows can be added as required									
	ii.	b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:								
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank		Country of Location		IBAN		
	Rows can be added as required									
	19	Do you at any time during the previous year,— (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]							☐ Yes ☐ No	

[illegible]

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:												
Identification No. of TRP										Name of TRP		Counter Signature of TRP
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof												

FORM

ITR-3

INDIAN INCOME TAX RETURN

(For individuals and HUFs having income from profits and gains of business or profession)

(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

(Please refer instructions)

Assessment Year

2020 - 21

Part A-GEN

GENERAL

PERSONAL INFORMATION	First name		Middle name		Last name		PAN		
	Flat/Door/Block No.		Name Of Premises/Building/Village		Status (Tick) ☒ Individual ☐ HUF				
	Road/Street/Post Office		Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)						
	Area/locality		Aadhaar Number (12 digit)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digit) (if eligible for Aadhaar)						
	Town/City/District		State		PIN code/ZIP code				
			Country						
	Residential/Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1				Mobile No. 2				
	Email Address-1 (self)				Email Address-2				
FILING STATUS	(a)	Filed u/s (Tick)[Please see instruction]		☐ 139(1)- On or Before due date, ☐ 139(4)- After due date, ☐ 139(5)- Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- after condonation of delay					
		Or Filed in response to notice u/s		☐ 139(9) ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A, ☐ 153C					
	(b)	Are you filing return of income under seventh proviso to Section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]							
	(bi)	Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)					Amount (Rs) (If Yes)		
	(bii)	Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/No)					Amount (Rs) (If Yes)		
	(biii)	Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)					Amount (Rs) (If Yes)		
	(c)	If revised/Defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)		/ /					
	(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number/Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement					(unique number) / /		
	(e)	Residential Status in India (for individuals) (Tick applicable option)	A. Resident ☐ You were in India for 182 days or more during the previous year [section 6(1)(a)] ☐ You were in India for 60 days or more during the previous year, and have been in India for 365 days or more within the 4 preceding years [section (6)(1)(c)] [where Explanation 1 is not applicable] B. Resident but not Ordinarily Resident ☐ You have been a non-resident in India in 9 out of 10 preceding years [section 6(6)(a)] ☐ You have been in India for 729 days or less during the 7 preceding years [section 6(6)(a)] C. Non-resident ☐ You were a non-resident during the previous year. (i) Please specify the jurisdiction(s) of residence during the previous year - S.No. Jurisdiction of residence Taxpayer Identification Number 1 2 (ii) In case you are a Citizen of India or a Person of Indian Origin (POI), please specify - Total period of stay in India during the previous year (in days) Total period of stay in India during the 4 preceding years (in days)						
		Residential Status in India (for HUF) (Tick applicable option)	☐ Resident ☐ Resident but not Ordinarily Resident ☐ Non-resident						
(f)	Do you want to claim the benefit under section 115H? (applicable in case of resident)					☐ Yes ☐ No			
(g)	Are you governed by Portuguese Civil Code as per section 5A? Tick ☒ ☐ Yes ☐ No (If "YES" please fill Schedule 5A)								
(h)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No If yes, furnish following information -								
	(1)	Name of the representative							
	(2)	Capacity of the Representative (drop down to be provided)							

		(3) Address of the representative													
	(4)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative													
(i)		Whether you were Director in a company at any time during the previous year? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -													
		Name of Company			Type of Company		PAN		Whether its shares are listed or unlisted			Director Identification Number (DIN)			
(j)		Whether you are Partner in a firm? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information													
		Name of Firm						PAN							
(k)		Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
		Name of company	Type of Company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
					No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(l)		In case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India? (Tick) ☒ Yes ☐ No													
(m)		Whether assessee is located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? ☐ Yes ☐ No													

AUDIT INFORMATION	(a1)	Are you liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ Yes ☐ No															
	(a2)	Whether assessee is declaring income only under section 44AE/44B/44BB/44AD/44ADA/44BBA/44BBB ☐ Yes ☐ No															
	a2i	If No, Whether during the year Total sales/turnover/gross receipts of business exceeds Rs. 1 crores but does not exceed Rs. 5 crores? ☐ Yes ☐ No															
	a2ii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account like capital contributions, loans etc. during the previous year, in cash, does not exceed five per cent of said amount? ☐ Yes ☐ No															
	a2iii	If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loans etc., in cash, during the previous year does not exceed five per cent of the said payment? ☐ Yes ☐ No															
	(b)	Are you liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ Yes ☐ No															
	(c)	If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ Yes ☐ No If Yes, furnish the following information below															
		(1)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /														
		(2)	Name of the auditor signing the tax audit report														
		(3)	Membership No. of the auditor														
		(4)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)														
		(5)	Proprietorship/firm registration number														
		(6)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm														
		(7)	Date of report of the audit														
		(di)	Are you liable for Audit u/s 92E? ☐ Yes ☐ No						Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY								
	(dii)	If liable to furnish other audit report, mention the date of furnishing the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instruction)															
		Sl. No.	Section Code						Date (DD/MM/YYYY)								
	(e)	If liable to audit under any Act other than the Income-tax act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?															
		Act and section				(DD/MM/YY)				Act and section				(DD/MM/YY)			

NATURE OF BUSINESS

NATURE OF BUSINESS OR PROFESSION, IF MORE THAN ONE BUSINESS OR PROFESSION INDICATE THE THREE MAIN ACTIVITIES/ PRODUCTS (OTHER THAN THOSE DECLARING INCOME UNDER SECTIONS 44AD, 44ADA AND 44AE)

S.No.	Code [Please see instruction]	Trade name of the proprietorship, if any	Description

(i)			
(ii)			
(iii)			

Part A-BS**BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2020 OF THE PROPRIETORY BUSINESS OR PROFESSION** (fill items below in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item 6)

SOURCES OF FUNDS	1 Proprietor's fund				
	a Proprietor's capital			a	
	b Reserves and Surplus				
	i	Revaluation Reserve	bi		
	ii	Capital Reserve	bii		
	iii	Statutory Reserve	biii		
	iv	Any other Reserve	biv		
	v	Total (bi + bii + biii + biv)		bv	
	c Total proprietor's fund (a + bv)				1c
	2 Loan funds				
	a Secured loans				
	i	Foreign Currency Loans	ai		
	ii	Rupee Loans			
		A From Banks	iiA		
	B From others	iiB			
	C Total (iiA + iiB)	iiC			
iii	Total (ai + iiC)		aiii		
b Unsecured loans (including deposits)					
i	From Banks	bi			
ii	From others	bii			
iii	Total (bi + bii)		biii		
c Total Loan Funds (aiii + biii)				2c	
3 Deferred tax liability				3	
4 Sources of funds (1c + 2c + 3)				4	
APPLICATION OF FUNDS	1 Fixed assets				
	a	Gross: Block	1a		
	b	Depreciation	1b		
	c	Net Block (a – b)	1c		
	d	Capital work-in-progress	1d		
	e	Total (1c + 1d)		1e	
	2 Investments				
	a Long-term investments				
	i	Government and other Securities - Quoted	ai		
	ii	Government and other Securities – Unquoted	a ii		
	iii	Total (ai + a ii)		aiii	
	b Short-term investments				
	i	Equity Shares, including share application money	bi		
	ii	Preference Shares	bii		
	iii	Debentures	biii		
	iv	Total (bi + bii + biii)		biv	
	c Total investments (aiii + biv)				2c
	3 Current assets, loans and advances				

NO ACCOUNT CASE	a	Current assets			
	i	Inventories			
		A	Stores/consumables including packing material	iA	
		B	Raw materials	iB	
		C	Stock-in-process	iC	
		D	Finished Goods/Traded Goods	iD	
		E	Total (iA + iB + iC + iD)		iE
	ii	Sundry Debtors			aii
	iii	Cash and Bank Balances			
		A	Cash-in-hand	iiiA	
		B	Balance with banks	iiiB	
		C	Total (iiiA + iiiB)		iiiC
	iv	Other Current Assets			aiv
	v	Total current assets (iE + aii + iiiC + aiv)			av
	b	Loans and advances			
	i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received		bi	
	ii	Deposits, loans and advances to corporates and others		bii	
	iii	Balance with Revenue Authorities		biii	
	iv	Total (bi + bii + biii)			biv
	c	Total of current assets, loans and advances (av + biv)			3c
	d	Current liabilities and provisions			
	i	Current liabilities			
		A	Sundry Creditors	iA	
		B	Liability for Leased Assets	iB	
		C	Interest Accrued on above	iC	
	D	Interest accrued but not due on loans	iD		
	E	Total (iA + iB + iC + iD)		iE	
ii	Provisions				
	A	Provision for Income Tax	iiA		
	B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB		
	C	Other Provisions	iiC		
	D	Total (iiA + iiB + iiC)		iiD	
iii	Total (iE + iiD)			dihi	
e	Net current assets (3c – dihi)			3e	
4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a		
	b	Deferred tax asset	4b		
	c	Profit and loss account/ Accumulated balance	4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d	
5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e + 4d)			5	
6	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained - (furnish the following information as on 31 st day of March, 2020, in respect of business or profession)				
	a	Amount of total sundry debtors		6a	
	b	Amount of total sundry creditors		6b	
	c	Amount of total stock-in-trade		6c	
	d	Amount of the cash balance		6d	

**Part A-
Manufacturing
Account**

Manufacturing Account for the financial year 2019-20 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

1	Debits to manufacturing account		
A	Opening Inventory		

		i	Opening stock of raw-material	i		
		ii	Opening stock of Work in progress	ii		
	iii	Total (i + ii)				
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			Aiii	
	C	Direct wages			B	
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			C	
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses	iii		
	E	Factory Overheads			D	
		I	Indirect wages	i		
		Ii	Factory rent and rates	ii		
		Iii	Factory Insurance	iii		
		Iv	Factory fuel and power	iv		
		V	Factory general expenses	v		
		Vi	Depreciation of factory machinery	vi		
		Vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			Evii	
	2	Closing Stock			1F	
		i	Raw material	2i		
		ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i + 2ii)			2	
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3	

Part A-Trading Account Trading Account for the financial year 2019-20 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations					
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)					
		I	Sale of goods	i			
		Ii	Sale of services	ii			
		Iii	Other operating revenues (specify nature and amount)				
		a		iiia			
		b		iiib			
		c	Total (iiia + iiib)	iiic			
		Iv	Total (i + ii + iiic)			Aiv	
		B	Gross receipts from Profession			B	
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied				
			i	Union Excise duties	i		
			ii	Service tax	ii		
			iii	VAT/ Sales tax	iii		
			iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
			v	State Goods & Services Tax (SGST)	v		
			vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
			vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
			viii	Any other duty, tax and cess	viii		
			ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi + vii + viii)			Cix
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)			4D		
	5	Closing Stock of Finished Goods			5		
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)			6		
A D I	7	Opening Stock of Finished Goods			7		

8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			8	
9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)			9	
	i	Carriage inward	9i		
	ii	Power and fuel	9ii		
	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	9iii		
10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii		
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix		
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x		
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii		
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account			11	
12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)			12	

Part A-P& L

Profit and Loss Account for the financial year 2019-20 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 65 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account			13	
	14	Other income				
		i	Rent	i		
		ii	Commission	ii		
		iii	Dividend income	iii		
		iv	Interest income	iv		
		v	Profit on sale of fixed assets	v		
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
		vii	Profit on sale of other investment	vii		
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
		x	Agricultural income	x		
		xi	Any other income (specify nature and amount)			
		a		xia		
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT		b		xib		
		c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)			14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)			15	
	16	Freight outward			16	
	17	Consumption of stores and spare parts			17	
	18	Power and fuel			18	
	19	Rents			19	
	20	Repairs to building			20	
	21	Repairs to machinery			21	
	22	Compensation to employees				
		i	Salaries and wages	22i		

	ii	Bonus	22ii			
	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii			
	iv	Leave encashment	22iv			
	v	Leave travel benefits	22v			
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi			
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii			
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii			
	ix	Contribution to any other fund	22ix			
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x			
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)				22xi
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xii a	Yes / No		
		If Yes, amount paid to non-residents	xii b			
23	Insurance					
	i	Medical Insurance	23i			
	ii	Life Insurance	23ii			
	iii	Keyman’s Insurance	23iii			
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv			
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v
24	Workmen and staff welfare expenses				24	
25	Entertainment				25	
26	Hospitality				26	
27	Conference				27	
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28	
29	Advertisement				29	
30	Commission					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				30iii
31	Royalty					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				31iii
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services					
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i			
	ii	To others	ii			
	iii	Total (i + ii)				32iii
33	Hotel, boarding and Lodging				33	
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34	
35	Foreign travelling expenses				35	
36	Conveyance expenses				36	
37	Telephone expenses				37	
38	Guest House expenses				38	
39	Club expenses				39	
40	Festival celebration expenses				40	
41	Scholarship				41	
42	Gift				42	
43	Donation				43	
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)					
	i	Union excise duty	44i			

	ii	Service tax	44ii			
	iii	VAT/ Sales tax	44iii			
	iv	Cess	44iv			
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v			
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi			
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii			
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii			
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix			
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x			
	45	Audit fee				45
46	Other expenses (specify nature and amount)					
i		i				
ii		ii				
iii	Total (i + ii)			46iii		
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)					
i1						47 i1
i2						47 i2
i3						47 i3
i	Rows can be added as required Total (47i1+47i2+47i3)			47i		
ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)			47ii		
iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)			47iii		
iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)			47iv		
48	Provision for bad and doubtful debts				48	
49	Other provisions				49	
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47 iv + 48 + 49)]				50	
51	Interest					
i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company		i			
ii	To others		ii			
iii	Total (i + ii)		51iii			
52	Depreciation and amortization				52	
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)				53	
54	Provision for current tax				54	
55	Provision for Deferred Tax				55	
56	Profit after tax (53 - 54 - 55)				56	
57	Balance brought forward from previous year				57	
58	Amount available for appropriation (56 + 57)				58	
59	Transferred to reserves and surplus				59	
60	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (58 – 59)				60	
61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD					
PRESUMPTIVE INCOME CASES	SR. NO	Name of Business	Business code	Description		
	(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (ia + ib)			61i	
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date	ia			
	b	Any other mode	ib			
	(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iia + iib)			61ii	
	a	6% of 61ia, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iia			

		b	8% of 61ib, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iib			
NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB							
62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA						
	SR. NO	Name of Business		Business code		Description	
	(i)	Gross Receipts				62i	
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 62i, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher)				62ii	
NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB							
63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE						
	SR. NO	Name of Business		Business code		Description	
		<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/leased/hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(a)						
	(b)						
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)							
		Total					
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 63(i)]				63(ii)	
NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB							
NO ACCOUNT CASE	64	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2019-20 in respect of business or profession -					
		(i)	For assessee carrying on Business				
		a	Gross receipts (a1 + a2)			ia	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date			a1	
		2	Any other mode			a2	
		b	Gross profit			ib	
		c	Expenses			ic	
		d	Net profit				64i
		(ii)	For assessee carrying on Profession				
		a	Gross receipts (a1 + a2)			iiia	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or other prescribed electronic modes before specified date			a1	
		2	Any other mode			a2	
		b	Gross profit			iib	
		c	Expenses			iic	
		d	Net profit				64ii
	(iii)	Total profit (64i + 64ii)				64iii	
65	i	Turnover from speculative activity				65i	
	ii	Gross Profit				65ii	
	iii	Expenditure, if any				65iii	
	iv	Net income from speculative activity (65ii-65iii)				65iv	

Part A- OI**Other Information** (mandatory if liable for audit under section 44AB, for other fill, if applicable)

1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile ☐ cash		
2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		
3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]	3a	
3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]	3b	
4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		
a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		☐
b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)		☐
c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No		
d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d	
e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e	
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -		
a	the items falling within the scope of section 28	5a	
b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b	
c	escalation claims accepted during the previous year	5c	
d	any other item of income	5d	
e	capital receipt, if any	5e	
f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)	5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of conditions specified in relevant clauses		
a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a	
b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b	
c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c	
d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d	
e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e	
f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f	
g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g	
h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h	
i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i	
j	Amount of contributions to any other fund	6j	
k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k	
l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l	
m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6m	
n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n	
o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o	
p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p	
q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q	

OTHER INFORMATION

	r	Any other disallowance	6r		
	s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)			6s
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37				
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c		
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
	f	Any other penalty or fine	7f		
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
	h	Amount of any liability of a contingent nature	7h		
	i	Any other amount not allowable under section 37	7i		
	j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)			7j
8	A Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40				
		a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa	
		b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab	
		c	Amount disallowable under section 40(a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac	
		d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad	
		e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae	
		f	Amount paid as wealth tax [40(a)(ia)]	Af	
		g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag	
		h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/40(ba)]	Ah	
		i	Any other disallowance	Ai	
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)			8Aj
B	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year			8B	
9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a		
	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
		c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c	
	d	Any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Any other disallowance	9e		
	f	Total amount disallowable under section 40A (total of 9a to 9e)			9f
10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		

	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e			
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f			
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g			
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)			10h	
11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B					
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a			
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b			
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c			
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d			
	da	Any sum payable by the assessee as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing	11d a			
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e			
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f			
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g			
	h	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11g)			11h	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of					
	a	Union Excise Duty	12a			
	b	Service tax	12b			
	c	VAT/sales tax	12c			
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d			
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e			
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f			
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g			
	h	Any other tax	12h			
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA				13	
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14	
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15	
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16	
17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No [If yes , please fill schedule TPSA]				17	

Part A – QD Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern			
	1	Opening stock	1		
	2	Purchase during the previous year	2		
	3	Sales during the previous year	3		
	4	Closing stock	4		
	5	Shortage/ excess, if any	5		
	(b)	In the case of a manufacturing concern			
	6	Raw materials			
	a	Opening stock	6a		
	b	Purchases during the previous year	6b		
	c	Consumption during the previous year	6c		

		d	Sales during the previous year	6d	
		e	Closing stock	6e	
		f	Yield finished products	6f	
		g	Percentage of yield	6g	
		h	Shortage/ excess, if any	6h	
	7	Finished products/ By-products			
		a	opening stock	7a	
		b	purchase during the previous year	7b	
		c	quantity manufactured during the previous year	7c	
		d	sales during the previous year	7d	
		e	closing stock	7e	
		F	shortage/ excess, if any	7f	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**Schedule S****Details of Income from Salary**

SALARIES	Name of Employer		Nature of employer (Tick) ☒ Drop down to be provided		TAN of Employer (mandatory if tax is deducted)	
	Address of employer		Town/City	State	Pin code/Zip code	
	1	Gross Salary (1a + 1b + 1c)				1
	a	Salary as per section 17(1) (drop down to be provided)	1a			
	b	Value of perquisites as per section 17(2) (drop down to be provided)	1b			
	c	Profit in lieu of salary as per section 17(3) (drop down to be provided)	1c			
	(Add multiple rows for Gross Salary in case of more than one employer)					
	2	Total Gross Salary (from all employers)				2
	3	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (please refer instructions) (Note-Ensure that it is included in Total Gross salary in (2) above)				3
4	Net Salary (2 - 3)				4	
5	Deduction u/s 16 (5a + 5b + 5c)				5	
a	Standard deduction u/s 16(ia)	5a				
b	Entertainment allowance u/s 16(ii)	5b				
c	Professional tax u/s 16(iii)	5c				
6	Income chargeable under the Head 'Salaries' (4 - 5)				6	

Schedule HP**Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)**

HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1		Town/ City	State	PIN Code/ Zip Code	
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Your percentage of share in the property (%)						
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)		Percentage Share in Property		
	I						
	II						
	[Tick ☒ the applicable option]		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)		PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)
	☐ Let out		I				
	☐ Self-occupied		II				
	☐ Deemed let out						
	a	Gross rent received or receivable or lettable value				1a	
	b	The amount of rent which cannot be realized		1b			
	c	Tax paid to local authorities		1c			
	d	Total (1b + 1c)		1d			
	e	Annual value (1a - 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)				1e	
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)				1f	
	g	30% of 1f		1g			
	h	Interest payable on borrowed capital		1h			
	i	Total (1g + 1h)				1i	
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%				1j	
	k	Income from house property 1 (1f - 1i + 1j)				1k	
2	Address of property 2		Town/ City	State	PIN Code/ Zip Code		
Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Your percentage of share in the property (%)							
Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)		Percentage Share in Property			

I						
II						
[Tick ☒ the applicable option]		Name(s) of Tenant (if let out)	PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)
☐ Let out		I				
☐ Self-occupied		II				
☐ Deemed let out						
a	Gross rent received or receivable/ letable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)					2a
b	The amount of rent which cannot be realized					2b
c	Tax paid to local authorities					2c
d	Total (2b + 2c)					2d
e	Annual value (2a – 2d)					2e
f	Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)					2f
g	30% of 2f					2g
h	Interest payable on borrowed capital					2h
i	Total (2g + 2h)					2i
j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%					2j
k	Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)					2k
3	Pass through income/Loss if any *					3
4	Income under the head "Income from house property" (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)					4
NOTE ▶	Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI and Pass through income referred to in schedule PTI while computing the income under this head					
NOTE ▶	Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.					

Schedule BP Computation of income from business or profession

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business					
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53, 61(ii), 62(ii), 63(ii), 64(iii) and 65(iv) of P&L)					1
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl.no 65iv of Schedule P&L] (in case of no account case)]				2a	
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)				2b	
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF/ chargeable u/s 115BBG	a	Salaries	3a		
			b	House property	3b		
			c	Capital gains	3c		
			d	Other sources	3d		
			e	u/s 115BBF	3e		
			f	u/s 115BBG	3f		
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA/44DA (drop down to be provided)				4a	
	4b	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided and capture as individual line item)				4b	
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt					
		a	Share of income from firm(s)		5a		
			Share of income from AOP/ BOI		5b		
Any other exempt income (specify nature and amount)							
i				ci			
ii				cii			
iii			Total (ci + cii)	5ciii			
d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)				5d		
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 3f – 4a–4b– 5d)					6	
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG	a	Salaries	7a			
		b	House property	7b			
		c	Capital gains	7c			
		d	Other sources	7d			
		e	u/s 115BBF	7e			
		f	u/s 115BBG	7f			

8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income	8a		
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 7f + 8a+8b)	9		
10	Adjusted profit or loss (6+9)			10
11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account			11
12	Depreciation allowable under Income-tax Act			
	i Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(ia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i		
	ii Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii		
	iii Total (12i + 12ii)			12iii
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)			13
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6 s of PartA-OI)	14		
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of PartA-OI)	15		
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of PartA-OI)	16		
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI)	17		
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of PartA-OI)	18		
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act,2006	19		
20	Deemed income under section 41	20		
21	Deemed income under section 32AD/ 33AB/ 33ABA/ 35ABA /35ABB/ 40A(3A)/ 72A/80HHD/ 80-IA	21		
22	Deemed income under section 43CA	22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DA	23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which individual/HUF/prop. concern is a partner)	24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A - OI)	25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)			26
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
28	Deduction allowable under section 32AD	28		
29	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	29		
30	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of PartA-OI)	30		
31	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10 h of PartA-OI)	31		
32	Any other amount allowable as deduction	32		
33	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		
34	Total (27+28+29+30+31+32+33)			34
35	Income (13+26-34)			35
36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i Section 44AD (61(ii) of schedule P&L)	36i		
	ii Section 44ADA (62(ii) of schedule P&L)	36ii		
	iii Section 44AE (63(ii) of schedule P&L)	36iii		
	iv Section 44B	36iv		
	v Section 44BB	36v		

	vi	Section 44BBA	36vi		
	vii	Section 44DA	36vii	(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Total (36i to 36vii)		36viii	
37		Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35 + 36viii)		37	
38		Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item E) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)		A38	
	a	Income chargeable under Rule 7	38a		
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A	38b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	38c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	38d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8	38e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 37)	38f		
39		Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4b-(38a+38b+38c+38d+38e)]		39	
B		Computation of income from speculative business			
40		Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account (Item No. 2a)		40	
41		Additions in accordance with section 28 to 44DA		41	
42		Deductions in accordance with section 28 to 44DA		42	
43		Income from speculative business (40+ 41 – 42) (if loss, take the figure to 6xiii of schedule CFL)		B43	
C		Computation of income from specified business under section 35AD			
44		Net profit or loss from specified business as per profit or loss account		44	
45		Additions in accordance with section 28 to 44DA		45	
46		Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)		46	
47		Profit or loss from specified business (44 + 45 -46)		47	
48		Deductions in accordance with section 35AD(1)		48	
49		Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xiii of schedule CFL)		C49	
50		Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)		C50	
D		Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38 + B43 + C49)		D	
E		Intra head set off of business loss of current year			
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A38)	
	ii	Income from speculative business	(B43)		
	iii	Income from specified business	(C49)		
	iv	Total loss set off (ii + iii)			
	v	Loss remaining after set off (i – iv)			

NOTE ► Please include the income of the specified persons referred to in Schedule SPI while computing the income under this head

Schedule DPM Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	Written down value on the first day of previous year				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				

6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)				
10	Depreciation on 6 at full rate				
11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)				

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
	16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							

17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM -17i or 18i as applicable)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d					
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)	1e					
	2	Building (not including land)						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a					
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c					
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)	2d					
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)	3					
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)	4					
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)	5					
	6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)	6					

Schedule DCG Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets

DEEMED CAPITAL GAINS	1	Plant and machinery						
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a					
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c					
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iv)	1d					
	e	Total (1a +1b + 1c+1d)	1e					
	2	Building (not including land)						
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a					
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b					
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c					
	d	Total (2a + 2b + 2c)	2d					
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)	3					
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)	4					
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)	5					
	6	Total (1e+2d+3+4+5)	6					

Schedule ESR Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)

Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			
X	Total			
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG Capital Gains

Short-term Capital Gains	A Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 and 5 are not applicable for residents)										
	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)										
		a	i	Full value of consideration received/receivable				ai			
			ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii			
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains () [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii			
			b	Deductions under section 48							
		i	Cost of acquisition without indexation				bi				
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii				
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv				
	c	Balance (aiii – biv)						1c			
	d	Deduction under section 54B/54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)						1d			
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)								A1e	
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)									
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code			
	NOTE ►		Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
	2	From slump sale									
		a	Full value of consideration				2a	(5 of Form 3CEA)			
		b	Net worth of the under taking or division				2b	(6(e) of Form 3CEA)			
		c	Short term capital gains from slump sale (2a-2b)						A2c		
	3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(ii) proviso (for FII)									
		a	Full value of consideration				3a				
		b	Deductions under section 48								
		i	Cost of acquisition without indexation				bi				
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii				
iii		Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii					
iv		Total (i + ii + iii)				biv					
c	Balance (3a – biv)				3c						
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				3d						
e	Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)						A3e				
4	For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)										
	a	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid						A4a			

	b	STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid				A4b	
5	For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD						
	a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares				
		iii	Total (ic + ii)		aiii		
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation		bi		
		ii	Cost of improvement without indexation		bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii		
		iv	Total (i + ii + iii)		biv		
	c	Balance (5aiii – biv)				5c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)				5d	
	e	Short-term capital gain on sale of securities (other than those at A3 above) by an FII (5c +5d)				A5e	
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above						
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares				
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner				
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic		
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares				
		iii	Total (ic + ii)		aiii		
	b	Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation		bi		
		ii	Cost of Improvement without indexation		bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer		biii		
		iv	Total (i + ii + iii)		biv		
	c	Balance (6aiii – biv)				6c	
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				6d	
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule-DCC)				6e	
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA				6f	
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e -6f)				A6g	
7	Amount deemed to be short term capital gains						
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below (In case any amount is utilised out of Capital Gains account please fill sl. no "C" of schedule DI)						
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains	
	i	2016-17	54D/54G/54GA	Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account		
	ii	2017-18	54B				
b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54B/54D/54G/54GA, other than at 'a'						
	Total amount deemed to be short term capital gains (Xi + Xii + b)						A7

Long-term Capital Gains	8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)									A8			
		a	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%							A8a				
		b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%							A8b				
		c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates							A8c				
	9	Amount of STCG included in A1-A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA												
		Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
		I												
		II												
		A	Total amount of STCG not chargeable to tax as per DTAA									A9a		
		B	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates as per DTAA									A9b		
	10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7+A8 – A9a)										A10		
	B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items , 6, 7, 8 & 9 are not applicable for residents)												
	Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)											
			a	i	Full value of consideration received/receivable						ai			
			ii	Value of property as per stamp valuation authority						aii				
			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]						aiii				
		b	Deductions under section 48											
			i	Cost of acquisition with indexation						bi				
			ii	Cost of Improvement with indexation						bii				
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biii				
			iv	Total (bi + bii + biii)						biv				
		c	Balance (aiii – biv)								1c			
		d	Deduction under section 54/54B/54D/54EC/54F/54G/54GA/54GB (Specify details in item D below)								1d			
		e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)										B1e	
		f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)											
			S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code					
		NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.												
2	From slump sale													
	a	Full value of consideration						2a	(5 of Form 3CEA)					
	b	Net worth of the under taking or division						2b	(6(e) of Form 3CEA)					
	c	Balance (2a – 2b)						2c						
	d	Deduction u/s 54EC /54F (Specify details in item D below)						2d						
	e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)										B2e		
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)													
Long-term Capital Gains		a	Full value of consideration						3a					
		b	Deductions under section 48											
			i	Cost of acquisition without indexation						bi				
			ii	Cost of improvement without indexation						bii				
			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer						biii				
	iv		Total (bi + bii + biii)						biv					
		c	Balance (3a – biv)						3c					
		d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)						3d					
		e	LTCCG on bonds or debenture (3c – 3d)										B3e	
	4	From sale of, (i) listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable (ii) GDR of an Indian company referred in sec. 115ACA												
	a	Full value of consideration						4a						
	b	Deductions under section 48												

		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (4a – biv)			4c	
	d	Deduction under section 54F (Specify details in item D below)			4d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4c – 4d)				B4e
5	From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	a	LTCG u/s 112A (column 14 of Schedule 112A)			5a	
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			5b	
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above (5a – 5b)				B5c
6	For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)					
	a	LTCG computed without indexation benefit			6a	
	b	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)			6b	
	c	LTCG on share or debenture (6a-6b)				B6c
7	For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iii) securities by FII as referred to in sec. 115AD (other than securities referred to in section 112A for which column B8 is to be filled up)					
	A	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	B	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv		
	c	Balance (aiii – biv)			7c	
	d	Deduction under sections /54F (Specify details in item D below)			7d	
	e	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (7c – 7d)				B7e
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A					
	a	LTCG u/s 112A [Column 14 of 115AD(1)(b)(iii) proviso]			8a	
	b	Deduction under sections 54F (Specify details in item D below)			8b	
	c	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 above (8a – 8b)				B8c
9	From sale of foreign exchange asset by NON-RESIDENT INDIAN (If opted under chapter XII-A)					
	a	LTCG on sale of specified asset (computed without indexation)			9a	
	b	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)			9b	
	c	Balance LTCG on sale of specified asset (9a- 9b)				B9c
	d	LTCG on sale of asset, other than specified asset (computed without indexation)			9d	
	e	Less deduction under section 115F (Specify details in item D below)			9e	
	f	Balance LTCG on sale of asset, other than specified asset (9d- 9e)				B9f
10	From sale of assets where B1 to B9 above are not applicable					
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		

		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares			aii				
		iii	Total (ic + ii)			aiii				
		b	Deductions under section 48							
		i	Cost of acquisition with indexation			bi				
		ii	Cost of improvement with indexation			bii				
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii				
		iv	Total (bi + bii + biii)			biv				
		c	Balance (10aiii – biv)			10c				
		d	Deduction under section 54D//54F/54G/54GA (Specify details in item D below)			10d				
		e	Long-term Capital Gains on assets at B10 above (10c- 10d)							
11	Amount deemed to be long-term capital gains									
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below (In case any amount is utilised out of Capital Gains account please fill sl. no "C" of schedule DI)									
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed Year in which asset acquired/constructed		Amount utilised out of Capital Gains account	Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)			
i	2016-17	54/54D/54F/54G/54GA								
ii	2017-18	54B								
b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'									
Total amount deemed to be long-term capital gains (Xi + Xii + b)								B11		
12	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B12a1+B12a2 + B12b)							B12		
a1	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10%					B12a1				
a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% - under sections other than u/s. 112A					B12a2				
b	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%					B12b				
13	Amount of LTCG included in items B1 to B12 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA									
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B12 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
a	Total amount of LTCG not chargeable to tax as per DTAA							B13a		
b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates as per DTAA							B13b		
14	Total long term capital gain chargeable under I.T. Act (B1e + B2e + B3e + B4e + B5f + B6c + B7e + B8f + B9c + B9f + B10e + B11 + B12 - B13a)							B14		
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A10 + B14) (take B14 as nil, if loss)							C		
D	Information about deduction claimed against Capital Gains									
1	In case of deduction u/s 54/54B/54D/54EC /54F/54G/54GA/115F give following details									
a	Deduction claimed u/s 54									
i	Date of transfer of original asset					ai	dd/mm/yyyy			
ii	Cost of new residential house					aii				
iii	Date of purchase /construction of new residential house					aiii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					aiv				
v	Amount of deduction claimed					av				
b	Deduction claimed u/s 54B									
i	Date of transfer of original asset					bi	dd/mm/yyyy			
ii	Cost of new agricultural land					bii				
iii	Date of purchase of new agricultural land					biii	dd/mm/yyyy			
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					biv				
v	Amount of deduction claimed					bv				

c	Deduction claimed u/s 54D										
	i	Date of acquisition of original asset	ci	dd/mm/yyyy							
	ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	cii								
	iii	Date of purchase of new land or building	ciii	dd/mm/yyyy							
	iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ								
	v	Amount of deduction claimed	cv								
	d	Deduction claimed u/s 54EC									
		i	Date of transfer of original asset	di	dd/mm/yyyy						
		ii	Amount invested in specified/notified bonds (not exceeding fifty lakh rupees)	dii							
		iii	Date of investment	diii	dd/mm/yyyy						
		iv	Amount of deduction claimed	div							
	e	Deduction claimed u/s 54F									
		i	Date of transfer of original asset	ei	dd/mm/yyyy						
		ii	Cost of new residential house	eii							
		iii	Date of purchase/construction of new residential house	eiii	dd/mm/yyyy						
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	eiv							
		v	Amount of deduction claimed	ev							
	f	Deduction claimed u/s 54G									
		i	Date of transfer of original asset from urban area	fi	dd/mm/yyyy						
		ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	fii							
		iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	fiii	dd/mm/yyyy						
		iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	fiv							
		v	Amount of deduction claimed	fv							
	g	Deduction claimed u/s 54GA									
		i	Date of transfer of original asset from urban area	gi	dd/mm/yyyy						
ii		Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	gii								
iii		Date of purchase/construction of new asset in SEZ	giii	dd/mm/yyyy							
iv		Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	giv								
v		Amount of deduction claimed	gv								
h	Deduction claimed u/s 115F (for Non-Resident Indians)										
	i	Date of transfer of original foreign exchange asset	hi	dd/mm/yyyy							
	ii	Amount invested in new specified asset or savings certificate	hii								
	iii	Date of investment	hiii	dd/mm/yyyy							
	iv	Amount of deduction claimed	hiv								
	i	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d + 1e + 1f + 1g + 1h)	1i								
2	In case of deduction u/s 54GB, furnish PAN of the company										
E	Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A 9a & B 13a which is chargeable under DTAA)										
Sl.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)	
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates		
	i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if figure computed is negative)		(A3e*+A4a*+A8a*)	(A5e*+A8b*)	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)	A9b	(B4e*+B5c*+B7e*+B8c*+B9c*+B12a*)	(B1e*+B2e*+B3e*+B6c*+B9f*+B10e*+B11*+B12b*)	B13b	
	ii	Short term capital gain	15%	(A3e*+A4a*+A8a*)							
	iii		30%	(A5e*+A8b*)							
	iv		applicable rate	(A1e*+A2c*+A4b*+A6g*+A7*+A8c*)							
	v		DTAA rates	A9b							

	vi		10%	(B4e*+B5c*+ B7e*+B8c*+ B9c*+B12a*)								
	vii	Long term capital gain	20%	(B1e*+B2e*+B3e*+B6c*+B9f*+ B10e*+ B11*+B12b*)								
	viii		DTAA rates	B13b								
	ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii+viii)										
	x	Loss remaining after set off (i- ix)										
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A 9) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.												
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B 13) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.												
F	Information about accrual/receipt of capital gain											
		Type of Capital gain / Date			Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)			
	1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.</i>										
	2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i>										
	3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.</i>										
	4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i>										
	5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.</i>										
	6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.</i>										
	7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xii of schedule BFLA, if any.</i>										
NOTE ►		Please include the income of the specified persons(spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head										

[illegible][illegible]

Schedule OS Income from other sources

OTHER SOURCES	1 Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)					1	
	a Dividends, Gross (not exempt u/s. 10(34) and u/s. 10(35))					1a	
	b Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv)					1b	
	i From Savings Bank		bi				
	ii From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society/)		bii				
	iii From Income-tax Refund		biii				
	iv In the nature of Pass through income/Loss		biv				
	v Others		bv				
	c Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross					1c	
	d Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)					1d	
	i Aggregate value of sum of money received without consideration		di				
	ii In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property		dii				
	iii In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration		dihi				
	iv In case any other property is received without consideration, fair market value of property		div				
	v In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration		dv				
	e Any other income (please specify nature)					1e	
	Sl. No.		Nature		Amount		
	1		Family Pension				
	2						
			Rows can be added as required				
	2 Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e + 2f related to Sl. No. 1)					2	
	a Winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB					2a	
	b Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)					2b	
	i Cash credits u/s 68		bi				
	ii Unexplained investments u/s 69		bii				
iii Unexplained money etc. u/s 69A		biii					
iv Undisclosed investments etc. u/s 69B		biv					
v Unexplained expenditure etc. u/s 69C		bv					
vi Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D		bvi					
c Accumulated balance of recognised provident fund taxable u/s 111					2c		
S.No.		Assessment Year	Income benefit	Tax benefit			
(i)		(ii)	(iii)	(iv)			
d Any other income chargeable at special rate (total of di to dxviii)					2d		
i Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)		di					
ii Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)		dii					
iii Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)		dihi					
iv Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)		div					
v Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)		dv					
vi Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)		dvi					
vii Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)		dvii					
viii Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B)		dviii					

	2	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						

NOTE ► Please include the income of the specified persons (spouse, minor child etc.) referred to in Schedule SPI while computing the income under this head.

Schedule CYLA Details of Income after set-off of current years losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation loss or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from owning race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off (Fill this row only if computed figure is negative) →		(4 of Schedule –HP)	(2v of item E of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	Salaries	(6 of Schedule S)				
	iii	House property	(4 of Schedule HP)				
	iv	Income from Business (excluding speculation profit and income from specified business) or profession	(A38 of Schedule BP)				
	v	Speculative Income	(3ii of item E of schedule BP)				
	vi	Specified Business Income	(3iii of item E of schedule BP)				
	vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of schedule CG)				
	ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of schedule CG)				
	x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of schedule CG)				
	xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of schedule CG)				
	xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of schedule CG)				
	xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)				
	xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of schedule OS)				
	xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of schedule OS)				
	xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of schedule OS)				
	xvii	Total loss set off					
	xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)					

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	Salaries	(5ii of schedule CYLA)				
	ii	House property	(5iii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	iii	Business (excluding speculation income and income from specified business)	(5iv of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
	iv	Speculation Income	(5v of schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
	v	Specified Business Income	(5vi of schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
	vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			

vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off (2ii + 2iii + 2iv + 2v + 2vi + 2vii + 2viii + 2ix + 2x + 2xi + 2xii + 2xiv)					
xvii	Current year's income remaining after set off Total of (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)					

Schedule CFL			Details of Losses to be carried forward to future years													
CARRY FORWARD OF LOSS	Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YY YY)	House property loss			Loss from business other than loss from speculative business and specified business	Loss from speculative business	Loss from specified business	Short-term capital loss			Long-term Capital loss			Loss from owning and maintaining race horses
				Normal	PTI	Total (4c=4a+4b)				Normal	PTI	Total (8c=8a+8b)	Normal	PTI	Total (9c=9a+9b)	
	1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8a	8b	8c	9a	9b	9c	10
	i	2010-11														
	ii	2011-12														
	iii	2012-13														
	iv	2013-14														
	v	2014-15														
	vi	2015-16														
	vii	2016-17														
viii	2017-18															
ix	2018-19															
x	2019-20															
xi	Total of earlier year losses b/f															
xii	Adjustment of above losses in Schedule BFLA				(2ii of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)	(2v of schedule BFLA)							(2xii of schedule BFLA)	
xiii	2020-21(Current year losses to be carried forward)				(2xviii of schedule CYLA)	(3xviii of schedule CYLA)	(B43 of schedule BP, if -ve)	(C49 of schedule BP, if -ve)			(2x+3x+4x) of item E of schedule CG)			((6x+7x) of item E of schedule CG)	(8e of schedule OS, if -ve)	
xiv	Total loss Carried forward to future years															

CARRY FORWARD OF LOSS

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv							
v	Total		(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit

Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	Accounting Policies	
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
III	Construction Contracts	
IV	Revenue Recognition	
V	Tangible Fixed Assets	
VI	Changes in Foreign Exchange Rates	
VII	Government Grants	
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)	

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone					
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction	
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)	
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)	
	c	Total deduction under section 10AA (a + b) (In case deduction is claimed u/s 10AA, please fill sl no "B" of schedule DI)				c

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee		PAN of Donee		Eligible Amount of donation
				Amount of donation		
				Donation in cash	Donation in other mode	
					Total Donation	
		i				
		ii				
		iii	Total			
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit				
		Name and address of donee		PAN of Donee		Eligible Amount of donation

			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii	Total				
C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit					
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii	Total				
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit					
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii	Total				
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)					

Schedule RA Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]

	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i					
	ii					
	iii	Total				

Schedule 80-IA

a	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services]	a1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs]	b1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	c1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	d1	Undertaking No. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		d2	Undertaking No. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2 + d1 + d2)			e	

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB

a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir or Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	

d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)
		d2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)
		e2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)
f	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
g	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	g1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		g2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
h	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	h1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		h2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
i	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	i1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		i2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		j2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	k1	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)
		k2	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)
l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)]	l1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)
		l2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)
m	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to l2)			m

Schedule 80-IC or 80-IE Deductions under section 80-IC or 80-IE

DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim				a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh				b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal				c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East						
	da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
			dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			
	dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)				dh		
	e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)				e		

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

1	Part B- Deduction in respect of certain payments	

TOTAL DEDUCTIONS	Whether, you have made any investment/ deposit/ payments between 01.04.2020 to 30.06.2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter VIA? (If yes, please fill sl no "A" of schedule DI) ☐ Yes ☐ No							
	a	80C		b	80CCC			
	c	80CCD(1)		d	80CCD(1B)			
	e	80CCD(2)		f	80D			
	g	80DD		h	80DDB			
	i	80E		j	80EE			
	k	80EEA		l	80EEB			
	m	80G		n	80GG			
	o	80GGC						
	Total Deduction under Part B (total of a to o)						1	
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes						
	p	80-IA	(e of Schedule 80-IA)	q	80-IAB			
	r	80-IB	(m of Schedule 80-IB)	s	80-IBA			
	t	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)	u	80JJA			
	v	80JJAA		w	80QQB			
x	80RRB							
Total Deduction under Part C (total of p to x)						2		
3	Part CA and D- Deduction in respect of other incomes/other deduction							
i	80TTA		ii	80TTB				
iii	80U							
Total Deduction under Part CA and D (total of i, ii and iii)						3		
4	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2 + 3)					4		

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 14 of PART-B-TI				1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)					
a	Deduction claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading "C.—Deductions in respect of certain incomes"		2a			
b	Deduction claimed u/s 10AA		2b			
c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed		2c			
d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)		2d			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)				3	
4	Tax payable under section 115JC [18.5% of (3)] (if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)				4	

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2020-21 (1d of Part-B-TTI)					1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2020-21 (2i of Part-B-TTI)					2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)						
S. No.	Assessment Year (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) – (C)	
		Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)			
	i 2013-14						
	ii 2014-15						
	iii 2015-16						
	iv 2016-17						
	v 2017-18						
	vi 2018-19						
	vii 2019-20						
	viii Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)						
	ix Total						
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item no 4 (C)]					5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6	

Schedule SPI Income of specified persons (spouse, minor child etc.) includable in income of the assessee as per section 64

Sl No	Name of person	PAN/Aadhaar No. of person (optional)	Relationship	Amount (Rs)	Head of Income in which included
1					
2					
3					

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates (please see instructions for rate of tax)

SI No	Section	☑	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
1	111- Accumulated balance of recognised provident for prior years			(2ciii of Schedule OS)	(2civ of Schedule OS)
2	111A or Section 115AD(1)(b)(ii)-Proviso (STCG on shares units on	☐	15	(part of 5vi of schedule BFLA)	
3	115AD(STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(part of 5vii of schedule BFLA)	
4	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
5	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
7	115AC (Income of non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 2dix of schedule OS)	
8	115ACA (LTCG for an employee of specified company on GDR)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
9	115AD (LTCG for FIIs on securities)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
10	115E (LTCG for non-resident indian on specified asset)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
11	112 (LTCG on others)	☐	20	(5xi of schedule BFLA)	
12	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-proviso (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid)	☐	10	(B5f and B8f of schedule CG)	
13	STCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5ix of schedule BFLA)	
14	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xii of schedule BFLA)	
15	115BB (Winning from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(2a of schedule OS)	
16	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10lakh)	☐	10	(2dxv of schedule OS)	
17	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of schedule OS)	
18	115BBF (Tax on income from patent)				
	A Income under head business or profession	☐	10	(3e of schedule BP)	
	B Income under head other sources	☐	10	(2dxi of schedule OS)	
19	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				

SPECIAL RATE

	A	Income under head business or profession	☐	10	(3f of schedule BP)	
	B	Income under head other sources	☐	10	(2dxvii of schedule OS)	
20		115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)	☐	10	(part of 2dviii of schedule OS)	
21		Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 2f of schedule OS)	
22		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	☐		(part of 5vi of schedule BFLA)	
23		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐		(part of 5vii of schedule BFLA)	
24		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. 112A	☐		(part of 5x of schedule BFLA)	
25		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s. other than section 112A			(part of 5ix of schedule BFLA)	
26		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐		(part of 5xi of schedule BFLA)	
27		Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(2e of schedule OS)	
				Total		

Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner

FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner						
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Capital balance on 31 st March in the firm
						i	ii
	1						
	2						
	3						
	4	Total					

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME	1	Interest income					1	
	2	Dividend income from domestic company (amount not exceeding Rs. 10 lakh)					2	
	3	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			I		
		ii	Expenditure incurred on agriculture			Ii		
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years			Iii		
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 39 of Sch. BP)			iv		
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii+iv) (enter nil if loss)					3
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)					
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located					
		b	Measurement of agricultural land in Acre					
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)					
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)					
	4	Other exempt income (including exempt income of minor child) (please specify)					4	
	5	Income not chargeable to tax as per DTAA						
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)
		I						
		II						
		III	Total Income from DTAA not chargeable to tax					5
	6	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)					6	
	7	Total (1+2+3+4+5+6)					7	

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

Sl.	Investment entity covered by section 115UA/ 115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current Year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PASS THROUGH INCOME	1.	(drop down to be provided)		i	House property				
				ii	Capital Gains				
				a	Short term				
				a1	Section 111A				
				a2	others				
				b	Long term				
				b1	Section 112A				
				b2	Sections other than 112A				
				iii	Other Sources				
				a	Dividend (referred to in section 115-O)				
				b	Others				
				iv	Income claimed to be exempt				
				A	u/s 10(23FBB)				
				B	u/s				
				C	u/s				
				2.			i	House property	
	ii	Capital Gains							
	A	Short term							
	a1	Section 111A							
	a2	Others							
B	Long term								
b1	Section 112A								
b2	Sections other than 112A								
iii	Other Sources								
1	Dividend (referred to in section 115-O)								
2	Others								
iv	Income claimed to be exempt								
a	u/s 10(23FBB)								
b	u/s								
c	u/s								

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.**Schedule- TPISA**

Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)

TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)					
1	Amount of primary adjustment on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time						
2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above					
	b	Surcharge @ 12% on "a"					
	c	Health & Education cess on (a+b)					
	d	Total Additional tax payable (a+b+c)					
3	Taxes paid						
4	Net tax payable (2d-3)						
5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
6	Name of Bank and Branch						
7	BSR Code						
8	Serial number of challan						
9	Amount deposited						

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)							
Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
				1			i	Salary		
			ii	House Property						
			iii	Business or Profession						
			iv	Capital Gains						
			v	Other sources						
			Total							
2			i	Salary						
			ii	House Property						
			iii	Business or Profession						
			iv	Capital Gains						
			v	Other sources						
			Total							

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4	
	a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India		

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA		Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period)										
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(i)											
	(ii)											
	A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period										

Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A3 Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	2(a)	2(b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Address of the Property	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	ZIP Code	Nature of Asset	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Country Name and Code	ZIP Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)												
(ii)												
F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country	ZIP	Name	Name	Name and	Name and	Date	Whether	If (8) is yes,	If (8) is yes, Income offered in this return		

	Name and code	Code	and address of the trust	and address of trustees	address of Settlor	address of Beneficiaries	since position held	income derived is taxable in your hands?	Income derived from the trust	Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in,- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession											
SI No	Country Name and code	ZIP Code	Name and address of the person from whom derived		Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?		If (6) is yes, Income offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	
(i)												
(ii)												

NOTE ▶

Please refer to instructions for filling out this schedule. In case of an individual, not being an Indian citizen, who is in India on a business, employment or student visa, an asset acquired during any previous year in which he was non-resident is not mandatory to be reported in this schedule if no income is derived from that asset during the current previous year.

Schedule 5A

Information regarding apportionment of income between spouses governed by Portuguese Civil Code

Name of the spouse					
PAN/Aadhaar No. of the spouse					
	Heads of Income	Receipts received under the head	Amount apportioned in the hands of the spouse	Amount of TDS deducted on income at (ii)	TDS apportioned in the hands of spouse
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
1	House Property				
2	Business or profession				
3	Capital gains				
4	Other sources				
5	Total				

Schedule AL Assets and Liabilities at the end of the year (other than those included in Part A- BS) (applicable in a case where total income exceeds Rs.50 lakh)

DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES

A	Details of immovable assets			
Sl. No.	Description	Address	Pin code	Amount (cost) in Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(i)				
(ii)				
B	Details of movable assets			
Sl. No.	Description			Amount (cost) in Rs.
(1)	(2)			(3)
(i)	Jewellery, bullion etc.			
(ii)	Archaeological collections, drawings, painting, sculpture or any work of art			
(iii)	Vehicles, yachts, boats and aircrafts			
(iv)	Financial assets		Amount (cost) in Rs.	
	(a)	Bank (including all deposits)		
	(b)	Shares and securities		
	(c)	Insurance policies		
	(d)	Loans and advances given		
	(e)	Cash in hand		
C	Interest held in the assets of a firm or association of persons (AOP) as a partner or member thereof			
Sl. No.	Name and address of the firm(s)/ AOP(s)	PAN of the firm/ AOP		Assessee's investment in the firm/ AOP on cost basis
(1)	(2)	(3)		(4)
(i)				

(ii)			
D	Liabilities in relation to Assets at (A + B + C)		

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule DI Details of Investment

A) Investment/ Deposit/ Payments for the purpose of claiming deduction under Chapter VIA			
Section	Eligible amount of deduction during FY 2019-20 (As per Schedule VIA- Part B- Deductions in respect of certain payments)	Deduction attributable to investment/expenditure made between 01.04.2020 to 30.06.2020	
(1)	(2)	(3)	
80C			
80CCC			
80CCD(1)			
80CCD(1B)			
80CCD(2)			
80D			
80DD			
80DDB			
80E			
80EE			
80EEA			
80EEB			
80G			
80GG			
80GGC			
Total			
B) Eligible Amount of deduction u/s. 10AA			
Undertaking as per schedule 10AA	Amount of deduction as per schedule 10AA	Date of letter of approval issued in accordance with the provisions of the SEZ Act, 2005	Is this the first year of claiming deduction u/s 10AA AND whether conditions have been complied between 01.04.2020 to 30.06.2020 [Yes/ No]
(1)	(2)	(3)	(4)
Undertaking 1			
Undertaking 2			
Undertaking 3			
Total			
C) Payment/Acquisition/Purchase/Construction for the purpose of claiming deduction u/s 54 to 54GB			
Long Term Capital Gain			
Section	Amount utilised out of Capital Gains account (As per Sl. No B11a of Schedule CG)	Amount utilised between 01.04.2020 to 30.06.2020	
(1)	(2)	(3)	
54			
54B			
54D			
54F			
54G			
54GA			
54GB			
Total			
Short Term Capital Gain			
Section	Amount utilised out of Capital Gains account (As per Sl. No A7a of Schedule CG)	Amount utilised between 01.04.2020 to 30.06.2020	
(1)	(2)	(3)	
54B			
54D			
54G			
54GA			
Total			

Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST

DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)

NOTE ► Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

PART-B**Part B – TI Computation of total income**

TOTAL INCOME	1	Salaries (6of Schedule S)	1	
	2	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)	2	
	3	Profits and gains from business or profession		
	i	Profit and gains from business other than speculative business and specified business (A38 of Schedule BP) (enter nil if loss)	3i	
	ii	Profit and gains from speculative business (3(ii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3ii	
	iii	Profit and gains from specified business (3(iii) of Table E of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	3iii	
	iv	Income chargeable to tax at special rates (3e & 3f of Schedule BP)	3iv	
	v	Total (3i + 3ii + 3iii + 3iv) (enter nil if 3v is a loss)	3v	
	4	Capital gains		
	a	Short term		
	i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
	ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	aii	
	iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	aiii	
	iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	aiv	
	v	Total Short-term (ai + aii + aiii+aiv) (enter nil if loss)	4av	
	b	Long-term		
	i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi	
	ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	bii	
	iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	biii	
	iv	Total Long-term (bi + bii+biii) (enter nil if loss)	4biv	
	c	Total capital gains (4av+4biv) (enter nil if loss)	4c	
	5	Income from other sources		
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	5a	
	b	Income chargeable to tax at special rates (2 of Schedule OS)	5b	
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	5c	
	d	Total (5a + 5b + 5c) (enter nil if loss)	5d	
	6	Total of head wise income (1 + 2 + 3v +4c +5d)	6	
	7	Losses of current year to be set off against 6 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)	7	
	8	Balance after set off current year losses (6 – 7) (total of serial number (ii) to (xv) column 5 of Schedule CYLA+5b+3iv)	8	
	9	Brought forward losses to be set off against 8 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)	9	
	10	Gross Total income (8-9) (also total of serial no (i) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA+ 5b+ 3iv)	10	
	11	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 10	11	
	12	Deductions under Chapter VI-A		
	a	Part-B, CA and D of Chapter VI-A [(1 + 3) of Schedule VI-A and limited upto (total of i,ii,iii,iv,v,viii,xiii,xiv) of column 5 of BFLA]	12a	

	b	Part-C of Chapter VI-A [(2 of Schedule VI-A and limited upto iii5 of BFLA)]	12b	
	c	Total (12a + 12b) [limited upto (10-11)]	12c	
13		Deduction u/s 10AA (c of Sch. 10AA)	13	
14		Total income (10 - 12c - 13)	14	
15		Income which is included in 14 and chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)	15	
16		Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3 of Schedule EI)	16	
17		Aggregate income (14-15+16)[applicable if (14-15) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	17	
18		Losses of current year to be carried forward (total of row xiv of Schedule CFL)	18	
19		Deemed income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	19	

Part B – TTI Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)	1a	
		b	Surcharge on (a) (if applicable)	1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above	1c	
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)	1d	
	2		Tax payable on total income		
		A	Tax at normal rates on 17 of Part B-TI	2a	
		B	Tax at special rates (total /of col. (ii) of Schedule-SI)	2b	
		C	Rebate on agricultural income [applicable if (14-15) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	2c	
		D	Tax Payable on Total Income (2a + 2b – 2c)	2d	
		E	Rebate under section 87A	2e	
		F	Tax payable after rebate (2d – 2e)	2f	
		G	Surcharge		
		i	@ 25% of 17(ii) of Schedule SI	2gi	
		ii	@10% or 15%, as applicable of 2(ii),3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii) of Schedule SI	2gii	
		iii	On [(2f) – (17(ii),2(ii),3(ii), 9(ii), 12(ii), 22(ii), 24(ii) of Schedule SI)]]	2giii	
		iv	Total (i + ii+iii)	2giv	
		H	Health and Education Cess @ 4% on (2f + 2giii)	2h	
		I	Gross tax liability (2f + 2giv + 2h)	2i	
	3		Gross tax payable (higher of 1d and 2i)	3	
	4		Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2i is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)	4	
	5		Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)	5	
	6		Tax relief		
		a	Section 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	6a	
		b	Section 90/ 90A (2 of Schedule TR)	6b	
		c	Section 91 (3 of Schedule TR)	6c	
		d	Total (6a + 6b+ 6c)	6d	
	7		Net tax liability (5 - 6d) (enter zero if negative)	7	
	8		Interest and fee payable		
		a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a	
		b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b	
		C	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c	
		d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d	
		e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)	8e	
	9		Aggregate liability (7 + 8e)	9	
TAXES PAID	10		Taxes Paid		
		a	Advance Tax (from column 5 of 17A)	10a	
		b	TDS (total of column 5 of 18B and column 9 of 17C)	10b	
		c	TCS (column 7 of 17D)	10c	
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 17A)	10d	
		e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)	10e	
	11		Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)	11	
	12		Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)	12	

BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)										Select Yes or No					
	i.	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)															
	Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India ()				Name of the Bank			Account Number			Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)					
	I																
	Ii																
Note: 1) Minimum one account should be selected for refund credit 2) In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return																	
Rows can be added as required																	
ii.	b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:																
Sl. No.	SWIFT Code			Name of the Bank			Country of Location			IBAN							
1																	
14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i>										☐ Yes ☐ No						
15 If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details below:																	
Identification No. of TRP						Name of TRP				Counter Signature of TRP							
If TRP is entitled for any reimbursement from the Government, amount thereof										16							
17 TAX PAYMENTS																	
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																	
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	Sl No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
	iii																
	iv																
NOTE ►		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI															
B Details of Tax Deducted at Source from Salary [As per Form 16 issued by Employer(s)]																	
TDS ON SALARY	Sl No	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Employer				Name of the Employer				Income chargeable under Salaries				Total tax deducted			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	I																
	II																
NOTE ►		Please enter total of column 5 in 10b of Part B-TTI															
C Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]																	

Sl No	TDS credit relating to self /other person [spouse as per section 5A/other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY 2019-20)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)				Corresponding Receipt offered		TDS credit being carried forward
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of spouse as per section 5A or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)			Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
							Income	TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.		
i														
NOTE ► Please enter total of column 9 in10b of Part B- TTI														

D		Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]						
TDS ON OTHER INCOME	Sl. No .	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	i							
	ii							
NOTE ► Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI								

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules thereto is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction). I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable in a case where return is furnished under section 92CD)

Date _____

Sign here ➔

FORM

ITR-4
SUGAM

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For Individuals, HUFs and Firms (other than LLP) being a resident having total income upto Rs.50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA or 44AE]

[Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares]

(Please refer instructions for eligibility)

Assessment Year

2020 - 21

PART A GENERAL INFORMATION																	
(A1) First Name				(A2) Middle Name				(A3) Last Name				(A4) Permanent Account Number					
(A5) Date of Birth/Formation (DD/MM/YYYY)								(A6) Flat/Door/Block No.									
(A7) Name of Premises/ Building/ Village						(A8) Road/Street/Post Office						(A9) Area/Locality					
(A10) Town/City/District						(A11) State				(A12) Country				(A13) PIN Code/ZIP Code			
(A14) Aadhaar Number (12 digits)/ Aadhaar Enrolment Id (28 digits) (if eligible for Aadhaar No.)												(A15) Status Individual ☐ HUF ☐ Firm (other than LLP) ☐					
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Mobile No.1								(A17) Mobile No. 2				(A18) Email Address-1 (self)					
												Email Address -2					
(A19) Nature of employment - ☐ Central Govt. ☐ State Govt. ☐ Public Sector Undertaking ☐ Pensioners ☐ Others ☐ Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)																	
(A20) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]-								☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 119(2)(b)- After Condonation of delay									
Or Filed in response to notice u/s								☐ 139(9) ☐ 142(1) ☐ 148 ☐ 153A ☐ 153C									
(A21) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)																	
(A22) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order																	
Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? (Not applicable in case of firm) - (Tick) ☐ Yes ☐ No If yes, please furnish following information [Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]																	
Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)												Amount (Rs) (If Yes)					
Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)												Amount (Rs) (If Yes)					
Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)												Amount (Rs) (If Yes)					
(A23) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -																	
(1) Name of the representative																	
(2) Capacity of the representative																	
(3) Address of the representative																	
(4) Permanent Account Number (PAN)/ Aadhaar No. of the representative																	
PART B GROSS TOTAL INCOME												Whole- Rupee(₹) only					
B1 Income from Business & Profession (NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP)												B1					
B2 i Gross Salary (ia+ib+ic)												i					
SALARY / PENSION	a Salary as per section 17(1)								ia								
	b Value of perquisites as per section 17(2)								ib								
	c Profit in lieu of salary as per section 17(3)								ic								
	ii Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) [Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3)]												ii				
	iii Net Salary (i – ii)												iii				
	iv Deductions u/s 16 (iva + ivb+ivc)												iv				
	a Standard deduction u/s 16(ia)								iva								
	b Entertainment allowance u/s 16(ii)								ivb								
	c Professional tax u/s 16(iii)								ivc								
	v Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv) (NOTE- Ensure to Fill "Sch TDSI")												B2				
B3 Tick applicable option Self Occupied ☐ Let Out ☐ Deemed Let Out ☐																	
HOUSE	i Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year												i				
	ii Tax paid to local authorities								ii								
	iii Annual Value (i – ii)												iii				

	iv	30% of Annual Value	iv		
	v	Interest payable on borrowed capital	v		
	vi	Arrears/Unrealized Rent received during the year Less 30%	vi		
	vii	Income chargeable under the head 'House Property' (iii – iv – v) + vi (If loss, put the figure in negative) Note:-Maximum loss from house property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.		B3	
B4	Income from Other Sources (drop down to be provided in e-filing utility specifying nature of income) NOTE- Fill "Sch TDS2" if applicable.				B4
	Less: Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)				
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4) To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.				B5

PART C—DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME (Refer to instructions for Deductions limits as per Income-tax Act)
Whether, you have made any investment/ deposit/ payments between 01.04.2020 to 30.06.2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter VIA? [Yes/No]
(If yes, please fill schedule DI)

C1	80C		C2	80CCC		C3	80CCD (1)		
C4	80CCD(1B)		C5	80CCD(2)		C6	80D	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	
C7	80DD	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C8	80DDB	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C9	80E		
C10	80EE		C11	80EEA		C12	80EEB		
C13	80G	Details to be filled in drop down to be provided in e-filing utility	C14	80GG		C15	80GGC		
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	Details to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility	
C19	Total deductions (Add items C1 to C18)								C19
C20	Taxable Total Income (B5 - C19)								C20

PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1	
D2	Rebate on 87A	D2	
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3	
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4	
D5	Total Tax, and Cess (D3+D4)	D5	
D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	D6	
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D7	
D8	Total Interest u/s 234A	D8	
D9	Total Interest u/s 234B	D9	
D10	Total Interest u/s 234C	D10	
D11	Fee u/s 234F	D11	
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7 + D8 + D9 + D10 + D11)	D12	
D13	Total Advance Tax Paid	D13	
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14	
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2)	D15	
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D16	
D17	Total Taxes Paid (D13 + D14 + D15 +D16)	D17	
D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18	
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19	
D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs.5,000/-, use ITR 3/5) (Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)	D20	

BANK ACCOUNT	D21	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)			
	Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Select Account for Refund Credit
	i				
	ii				
1. Minimum one account should be selected for refund credit. 2. In case of Refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return					

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E1	Gross Turnover or Gross Receipts		
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date	E1a
	b	Any other mode	E1b
E2	Presumptive Income under section 44AD		
	a	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	E2a
	b	8% of E1b or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	E2b
	c	Total (a + b)	E2c
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed		

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA

S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E3	Gross Receipts		E3
E4	Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed		E4

COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE

S. No.	Name of Business		Business code		Description
(i)					
	<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/ leased/ hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/ leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)					
(b)					

Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)

E5	Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (5)] NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then other ITR, as applicable, has to be filed	E5
E6	Salary and interest paid to the partners NOTE – This is to be filled up only by firms	E6
E7	Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)	E7
E8	Income chargeable under the head 'Business or Profession' (E2c+E4+E7)	E8

INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST

Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately

E9	GSTIN No(s).	E9
E10	Annual value of outward supplies as per the GST returns filed	E10

FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS			
Note—For E11 to E25 furnish the information as on 31 st day of March, 2020			
E11	Partners/ Members own capital	E11	
E12	Secured loans	E12	
E13	Unsecured loans	E13	
E14	Advances	E14	
E15	Sundry creditors	E15	
E16	Other liabilities	E16	
E17	Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)	E17	
E18	Fixed assets	E18	
E19	Inventories	E19	
E20	Sundry debtors	E20	
E21	Balance with banks	E21	
E22	Cash-in-hand	E22	
E23	Loans and advances	E23	
E24	Other assets	E24	
E25	Total assets (E18+E19+E20+E21+E22+E23+E24)	E25	
NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E22 are mandatory and others if available)			

SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS																												
	BSR Code							Date of Deposit (DD/MM/YYYY)							Challan No.					Tax paid								
	Col (1)							Col (2)							Col (3)					Col (4)								
R1																												
R2																												
R3																												
NOTE ►	Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13& D14																											

Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form 27D issued by the Collector(s)]					
Sl No	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
I					
II					

NOTE ▶ Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16

SCHEDULE TDS1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY				
[As per Form 16 issued by Employer(s)]				
	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				

NOTE ▶ Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15

SCHEDULE TDS2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY [As per Form 16 A issued or Form 16C furnished by Deductor(s)]								
Sl. No.	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year)	Corresponding Receipt offered		TDS credit being carried forward
		Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted	TDS Claimed	Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i								
ii								

NOTE

Enter the total of column 6 of Schedule TDS2 and column 4 of Schedule-TDS1 in D15

Schedule DI - Details of Investment		
Investment/ Deposit/ Payments for the purpose of claiming deduction under Chapter VIA		
Section	Eligible amount of deduction during FY 2019-20 (As per Part C- Deductions and taxable total income)	Deduction attributable to investment/expenditure made between 01.04.2020 to 30.06.2020 (Out of Col No.2)
(1)	(2)	(3)
80C		
80CCC		
80CCD(1)		
80CCD(1B)		
80CCD(2)		
80D		
80DD		
80DDB		
80E		
80EE		
80EEA		
80EEB		
80G		
80GG		
80GGC		
Total		

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____ solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction)

Place:

Signature here ➔

Date :

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

TRP PIN (10 Digit)	Name of TRP	Counter Signature of TRP
Amount to be paid to TRP		

FORM

ITR-5

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For persons other than- (i) individual, (ii) HUF, (iii) company
and (iv) person filing Form ITR-7]
(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)
(Please refer instructions)

Assessment Year

2 0 2 0 - 2 1

Part A-GEN

GENERAL

PERSONAL INFORMATION

Name		PAN	
Is there any change in the name? If yes, please furnish the old name		Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) issued by MCA, if applicable	
Flat/Door/Block No	Name of Premises/Building/Village	Date of formation (DDMMYYYY)	
		Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)	
Road/Street/Post Office	Area/Locality	Status (firm-1sub-status- Partnership Firm, LLP, local authority-2, AOP/BOI- 3 sub-status- other cooperative bank, other cooperative society, society registered under society registration Act, 1860 or any other Law corresponding to that state, Primary agricultural credit society/cooperative bank, Rural development bank, Business trust, investment fund, Trust other than trust eligible to file Return in ITR 7, any other AOP/BOI,, artificial juridical person-4, sub-status- Estate of the deceased, Estate of the insolvent, Other AJP), ☐	
Town/City/District	State	Pin code/Zip code	
	Country		
Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1		Mobile No. 2	
Email Address -1		Email Address -2	

FILING STATUS

(a)	Filed u/s (Tick) [Please see instruction]	☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- after condonation of delay.	
	Or Filed in response to notice u/s	☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A ☐ 153C	
	Whether you are a business trust?	☐ Yes ☐ No	
	Whether you are a investment fund referred to in section 115UB?	☐ Yes ☐ No	
(b)	If revised/Defective/ in response to notice for Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)	/ /	
(c)	If filed in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C/ or order u/s 119(2)(b) enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement	(unique number)	/ /
(d)	Residential Status (Tick) ☒ Resident ☐ Non-Resident		
(e)	Whether assessee is located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) ☒ Yes ☐ No		
(f)	Whether you are recognized as start up by DPIIT	☐ Yes ☐ No	
(g)	If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT		
(h)	Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received?	☐ Yes ☐ No	
(i)	If yes, please provide the certification number		
(j)	In the case of non-resident, is there a permanent establishment (PE) in India (Tick) ☒ Yes ☐ No		
(k)	Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.		
(l)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No		
	If yes, please furnish following information -		
	(1) Name of the representative		
	(2) Capacity of the Representative (drop down to be provided)		
	(3) Address of the representative		

		(4) Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative													
(m)		Whether you are Partner in a firm? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information													
		Name of Firm				PAN									
(n)		Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information in respect of equity shares													
		Name of company	Type of comp any	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year					Shares transferred during the year		Closing balance	
					No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
		1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a		Whether liable to maintain accounts as per section 44AA? (Tick) ☒ Yes ☐ No													
a2		Whether assessee is declaring income only under section 44AD/44ADA/44AE/44B/44BB/44BBA (Tick) ☒ Yes ☐ No													
a2i		If No, whether during the year Total sales/turnover/gross receipts of business exceeds Rs.1 crore but does not exceed Rs.5 crores? (Tick) ☒ Yes ☐ No													
a2ii		If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all amounts received including amount received for sales, turnover or gross receipts or on capital account such as capital contribution, loans etc. during the previous year, in cash, does not exceed five per cent of the said amount? (Tick) ☒ Yes ☐ No													
a2iii		If Yes is selected at a2i, whether aggregate of all payments made including amount incurred for expenditure or on capital account such as asset acquisition, repayment of loans etc. during the previous year, in cash, does not exceed five per cent of the said payment? (Tick) ☒ Yes ☐ No													
b		Whether liable for audit under section 44AB? (Tick) ☒ Yes ☐ No													
c		If (b) is Yes, whether the accounts have been audited by an accountant? (Tick) ☒ Yes ☐ No If Yes, furnish the following information-													
		(i)	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY) / /												
		(ii)	Name of the auditor signing the tax audit report												
		(iii)	Membership no. of the auditor												
		(iv)	Name of the auditor (proprietorship/ firm)												
		(v)	Proprietorship/firm registration number												
		(vi)	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)												
		(vii)	Date of audit report												
di		Are you liable for Audit u/s 92E? ☐ Yes ☐ No								Date of furnishing audit report? DD/MM/YYYY					
dii		If liable to furnish other audit report under the Income-tax Act, mention the date of furnishing of the audit report? (DD/MM/YY) (Please see Instructions)													
		Sl. No.	Section Code							Date (DD/MM/YYYY)					
e		If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?													
		Act and section				(DD/MM/YY)				Act and section				(DD/MM/YY)	
A		Whether there was any change during the previous year in the partners/members of the firm/AOP/BOI (Tick) ☒ Yes ☐ No (In case of societies and cooperative banks give details of Managing Committee) If Yes, provide the following details													
		Sl.	Name of the Partner/member			Admitted/Retired		Date of admission/retirement			Percentage of share (if determinate)				
		1.													
		2.													
B		Is any member of the AOP/BOI/executor of AJP a foreign company? (Tick) ☒ Yes ☐ No													
C		If Yes, mention the percentage of share of the foreign company in the AOP/BOI/ executor of AJP ☐ ☐													
D		Whether total income of any member of the AOP/BOI/executor of AJP (excluding his share from such association or body or executor of AJP) exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax in the case of that member? (Tick) ☒ Yes ☐ No													

E	Particulars of persons who were partners/ members in the firm/AOP/BOI or settlor/trustee/beneficiary in the trust or executors in the case of estate of deceased / estate of insolvent as on 31 st day of March,2020 or date of dissolution								
	S.No	Name and Address	Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)	Designated Partner Identification Number, in case partner in LLP	Status (see instructions)	Rate of Interest on Capital	Remuneration paid/ payable
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
F	To be filled in case of persons referred to in section 160(1)(iii) or (iv)								
	1	Whether shares of the beneficiary are determinate or known?							☐ Yes ☐ No
	2	Whether the person referred in section 160(1)(iv) has Business Income?							☐ Yes ☐ No
	3	Whether the person referred in section 160(1)(iv) is declared by a Will and /or is exclusively for the benefit of any dependent relative of the settlor and/or is the only trust declared by the settlor?							☐ Yes ☐ No
	4	Please furnish the following details (as applicable) :							
	(i)	Whether all the beneficiaries have income below basic exemption limit?							☐ Yes ☐ No
	(ii)	Whether the relevant income or any part thereof is receivable under a trust declared by any person by will and such trust is the only trust so declared by him?							☐ Yes ☐ No
	(iii)	Whether the trust is non-testamentary trust created before 01-03-1970 for the exclusive benefit of relatives/member of HUF of the settlor mainly dependent on him/Family?							☐ Yes ☐ No
	(iv)	Whether the trust is created on behalf of a provident fund, superannuation fund, gratuity fund, pension fund or any other fund created bona fide by a person carrying on Business or profession exclusive for the employees in such Business or Profession?							☐ Yes ☐ No
	G	Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under sections 44AD, 44ADA and 44AE)							
S.No.		Code [Please see instruction]	Trade name of the business, if any				Description		
(i)									
(ii)									

Part A-BS

BALANCE SHEET AS ON 31ST DAY OF MARCH, 2020 OR DATE OF DISSOLUTION (fill items A and B in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill item C)

SOURCES OF FUNDS	A Sources of Funds				
	1	Partners' / members' fund			
		a	Partners' / members' capital		a
		b	Reserves and Surplus		
		i	Revaluation Reserve	bi	
		ii	Capital Reserve	bii	
		iii	Statutory Reserve	biii	
		iv	Any other Reserve	biv	
		v	Credit balance of Profit and loss account	bv	
		vi	Total (bi + bii + biii + biv + bv)	bvi	
		c	Total partners' / members' fund (a + bvi)		1c
	2	Loan funds			
		a	Secured loans		
		i	Foreign Currency Loans	ai	
		ii	Rupee Loans		
		A	From Banks	iiA	
		B	From others	iiB	
		C	Total (iiA + iiB)	iiC	
		iii	Total secured loans (ai + iiC)		aiii
		b	Unsecured loans (including deposits)		
	i	Foreign Currency Loans	bi		
	ii	Rupee Loans			

APPLICATION OF FUNDS			A	From Banks	iiA				
			B	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	iiB				
			C	From others	iiC				
			D	Total Rupee Loans (iiA + iiB + iiC)	iiD				
		iii	Total unsecured loans (bi + iiD)				Biii		
		c	Total Loan Funds (aiii + biii)				2c		
		3	Deferred tax liability				3		
		4	Advances						
		i	From persons specified in section 40A(2)(b) of the I. T. Act	i					
			ii	From others	ii				
	iii	Total Advances (i + ii)				4iii			
	5	Sources of funds (1c + 2c +3 + 4iii)				5			
	B	Application of funds							
		1	Fixed assets						
		a	Gross: Block	1a					
			Depreciation	1b					
			Net Block (a – b)	1c					
			Capital work-in-progress	1d					
		e	Total (1c + 1d)				1e		
		2	Investments						
		a	Long-term investments						
			i	Investment in property	i				
				Equity instruments					
	A		Listed equities	iiA					
			Unlisted equities	iiB					
Total			iiC						
iii	Preference shares		iii						
iv	Government or trust securities		iv						
v	Debenture or bonds		v						
vi	Mutual funds		vi						
vii	Others	vii							
viii	Total Long-term investments (i + iiC + iii + iv + v + vi + vii)				aviii				
b	Short-term investments								
	i	Equity instruments							
		A	Listed equities	iA					
			Unlisted equities	iB					
	C	Total	iC						
	ii	Preference shares	ii						
	iii	Government or trust securities	iii						
	iv	Debenture or bonds	iv						
	v	Mutual funds	v						
	vi	Others	vi						
vii	Total Short-term investments (iC + ii + iii + iv + v + vi)			bvii					
c	Total investments (aviii + bvii)				2c				
3	Current assets, loans and advances								
	a	Current assets							
	i	Inventories							
		A	Raw materials	iA					
			Work-in-progress	iB					
			Finished goods	iC					

			D	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iD					
			E	Stores/consumables including packing material	iE					
			F	Loose tools	iF					
			G	Others	iG					
			H	Total (iA + iB + iC + iD + iE + iF + iG)				iH		
			ii	Sundry Debtors						
			A	Outstanding for more than one year	iiA					
			B	Others	iiB					
			C	Total Sundry Debtors			iiC			
			iii	Cash and bank balances						
			A	Balance with banks	iiiA					
			B	Cash-in-hand	iiiB					
			C	Others	iiiC					
			D	Total Cash and cash equivalents (iiiA + iiiB + iiiC)			iiiD			
			iv	Other Current Assets					aiv	
			v	Total current assets (iH + iiC + iiiD + aiv)					av	
			b	Loans and advances						
			i	Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	bi					
			ii	Deposits, loans and advances to corporate and others	bii					
			iii	Balance with Revenue Authorities	biii					
			iv	Total (bi + bii + biii)			biv			
			v	Loans and advances included in biv which is						
			a	for the purpose of business or profession	va					
			b	not for the purpose of business or profession	vb					
			c	Total (av + biv)					3c	
			d	Current liabilities and provisions						
			i	Current liabilities						
			A	Sundry Creditors						
			1	Outstanding for more than one year	1					
			2	Others	2					
			3	Total (1 + 2)	A3					
			B	Liability for leased assets			iB			
			C	Interest Accrued and due on borrowings			iC			
			D	Interest accrued but not due on borrowings			iD			
			E	Income received in advance			iE			
F	Other payables			iF						
G	Total (A3 + iB + iC + iD + iE + iF)			iG						
ii	Provisions									
A	Provision for Income Tax	iiA								
B	Provision for Leave encashment/Superannuation/Gratuity	iiB								
C	Other Provisions	iiC								
D	Total (iiA + iiB + iiC)			iiE						
iii	Total (iE + iiD)					diii				
e	Net current assets (3c – diii)					3e				
4	a	Miscellaneous expenditure not written off or adjusted	4a							
b	Deferred tax asset		4b							
c	Debit balance in Profit and loss account/ accumulated balance		4c							
d	Total (4a + 4b + 4c)						4d			

	5	Total, application of funds (1e + 2c + 3e + 4d)	5	
NO ACCOUNT CASE	C	In a case where regular books of account of business or profession are not maintained, furnish the following information as on 31 st day of March, - 2020, in respect of business or profession		
	1	Amount of total sundry debtors	C1	
	2	Amount of total sundry creditors	C2	
	3	Amount of total stock-in-trade	C3	
	4	Amount of the cash balance	C4	

**Part A-
Manufacturing
Account**

Manufacturing Account for the financial year 2019-20 (fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)

	1	Debits to Manufacturing Account				
	A	Opening Inventory				
		i	Opening stock of raw-material	i		
		ii	Opening stock of Work in progress	ii		
		iii	Total (i + ii)	Aiii		
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)			B	
	C	Direct wages			C	
	D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D	
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses	iii		
	E	Factory Overheads				
		i	Indirect wages	i		
		i	Factory rent and rates	ii		
		iii	Factory Insurance	iii		
		iv	Factory fuel and power	iv		
		v	Factory general expenses	v		
		vi	Depreciation of factory machinery	vi		
		vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)	Evii		
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			F	
	2	Closing Stock				
		i	Raw material	2i		
		ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i + 2ii)			2	
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F-2)			3	

**Part A-Trading
Account**

Trading Account for the financial year 2019-20 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations				
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)				
		i	Sale of goods	i		
		ii	Sale of services	ii		
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			
		a		iiia		
		b		iiib		
		c	Total (iiia + iiib)	iiic		
		iv	Total (i + ii + iiic)	Aiv		
	B	Gross receipts from Profession			B	
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied				
		i	Union Excise duties	i		

DEBITS TO TRADING ACCOUNT		ii	Service tax	ii		
		iii	VAT/ Sales tax	iii		
		iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv		
		v	State Goods & Services Tax (SGST)	v		
		vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi		
		vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii		
		viii	Any other duty, tax and cess	viii		
		ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)		Cix	
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)				4D
	5	Closing Stock of Finished Goods				5
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)				6
	7	Opening Stock of Finished Goods				7
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				8
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)				9
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
	10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
		i	Custom duty	10i		
		ii	Counter veiling duty	10ii		
		iii	Special additional duty	10iii		
		iv	Union excise duty	10iv		
		v	Service tax	10v		
		vi	VAT/ Sales tax	10vi		
		vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii		
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix		
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x		
		xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
		xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)		10xii	
	11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account				11
	12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)				12

Part A-P&L

Profit and Loss Account for the financial year 2019-20 (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 62 to 66 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account				13	
	14	Other income					
		i	Rent	i			
		ii	Commission	ii			
		iii	Dividend income	iii			
		iv	Interest income	iv			
		v	Profit on sale of fixed assets	v			
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			
		vii	Profit on sale of other investment	vii			
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii			
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (FMV of inventory as on the date of conversion)	ix			
		x	Agricultural income	x			
		xi	Any other income (specify nature and amount)				
		a		xia			

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT			b		xib				
			c	Total (xia + xib)	xic				
		xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x+ xic)					14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)						15	
	16	Freight outward						16	
	17	Consumption of stores and spare parts						17	
	18	Power and fuel						18	
	19	Rents						19	
	20	Repairs to building						20	
	21	Repairs to machinery						21	
	22	Compensation to employees							
		i	Salaries and wages			22i			
		ii	Bonus			22ii			
		iii	Reimbursement of medical expenses			22iii			
		iv	Leave encashment			22iv			
		v	Leave travel benefits			22v			
		vi	Contribution to approved superannuation fund			22vi			
		vii	Contribution to recognised provident fund			22vii			
		viii	Contribution to recognised gratuity fund			22viii			
		ix	Contribution to any other fund			22ix			
		x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred			22x			
		xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)					22xi	
		xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents			xiia	Yes / No		
			If Yes, amount paid to non-residents			xiib			
	23	Insurance							
		i	Medical Insurance			23i			
		ii	Life Insurance			23ii			
		iii	Keyman's Insurance			23iii			
		iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.			23iv			
		v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)					23v	
	24	Workmen and staff welfare expenses						24	
	25	Entertainment						25	
	26	Hospitality						26	
	27	Conference						27	
	28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)						28	
	29	Advertisement						29	
	30	Commission							
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company			i			
		ii	To others			ii			
		iii	Total (i + ii)					30iii	
	31	Royalty							
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company			i			
		ii	To others			ii			
		iii	Total (i + ii)					31iii	
	32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services							
		i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company			i			
		ii	To others			ii			
		iii	Total (i + ii)					32iii	
	33	Hotel, boarding and Lodging						33	

DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT

PROVISION FOR TAX AND	34	Traveling expenses other than on foreign traveling										34		
	35	Foreign travelling expenses										35		
	36	Conveyance expenses										36		
	37	Telephone expenses										37		
	38	Guest House expenses										38		
	39	Club expenses										39		
	40	Festival celebration expenses										40		
	41	Scholarship										41		
	42	Gift										42		
	43	Donation										43		
	44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)												
		i	Union excise duty								44i			
		ii	Service tax								44ii			
		iii	VAT/ Sales tax								44iii			
		iv	Cess								44iv			
		v	Central Goods & Service Tax (CGST)								44v			
		vi	State Goods & Services Tax (SGST)								44vi			
		vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)								44vii			
		viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)								44viii			
		ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT								44ix			
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)								44x				
	45	Audit fee										45		
	46	Salary/Remuneration paid to Partners of the firm										46		
	47	Other expenses (specify nature and amount)												
		i									i			
		ii									ii			
		iii	Total (i + ii)								47iii			
	48	Bad debts (specify PAN/ Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)												
		i(1)									48i(1)			
		i(2)									48i(2)			
i(3)										48i(3)				
i		(Rows can be added as required) Total [48i(1)+48i(2)+48i(3)]								48i				
ii		Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/ Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)								48ii				
iii		Others (amounts less than Rs. 1 lakh)								48iii				
iv		Total Bad Debt (48i + 48ii + 48iii)								48iv				
49	Provision for bad and doubtful debts										49			
50	Other provisions										50			
51	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46 + 47iii + 48iv + 49 + 50)]										51			
52	Interest													
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company								i				
	ii	To others								ii				
	iii	Total (i + ii)								52iii				
53	Depreciation and amortisation										53			
54	Net profit before taxes (51 – 52iii – 53)										54			
55	Provision for current tax										55			
56	Provision for Deferred Tax										56			
57	Profit after tax (54 - 55 - 56)										57			
58	Balance brought forward from previous year										58			
59	Amount available for appropriation (57 + 58)										59			

PRESUMPTIVE INCOME CASES	60	Transferred to reserves and surplus				60	
	61	Balance carried to balance sheet in proprietor's account (59 – 60)				61	
	62	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)					
		SR.NO.	Name of Business	Business code	Description		
		(i)	Gross Turnover or Gross Receipts (ia + ib)			62i	
		a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date	ia			
		b	Any other mode	ib			
		(ii)	Presumptive Income under section 44AD (iia + iib)			62ii	
		a	6% of 62ia, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iia			
		b	8% of 62ib, or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	iib			
	NOTE—If income is less than the above percentage of Gross Receipts/Turnover, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB						
	63	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA (Only for Resident Partnership Firm other than LLP)					
		SR.NO.	Name of Business	Business code	Description		
	(i)	Gross Receipts			63i		
	(ii)	Presumptive Income under section 44ADA (50% of 63i, or the amount claimed to have been earned whichever is higher)			63ii		
NOTE—If income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB							
64	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE						
	SR.NO.	Name of Business	Business code	Description			
		<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/leased/hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>	
	(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
	(a)						
	(b)						
		Total					
Add row options as necessary							
	(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 64(i)]				64(ii)	
	(iii)	Less: Salary/Remuneration to Partners of the firm				64(iii)	
	(iv)	Total Presumptive Income u/s 44AE (ii-iii)				64(iv)	
NOTE—If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned at any time during the year exceeds 10, it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under 44AB.							
NO ACCOUNT CASE	65	IF REGULAR BOOKS OF ACCOUNT OF BUSINESS OR PROFESSION ARE NOT MAINTAINED, furnish the following information for previous year 2019-20 in respect of business or profession -					
		(i)	For assessee carrying on Business				
		a	Gross receipts (a1 + a2)			ia	
		1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date	a1			
		2	Any other mode	a2			
		b	Gross profit			ib	
		c	Expenses			ic	
		d	Net profit				
		(ii)	For assessee carrying on Profession				
		a	Gross receipts (a1 + a2)			iia	
	1	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system or other prescribed electronic modes received before specified date	a1				

	2	Any other mode	a2		
	b	Gross profit	iib		
	c	Expenses	iic		
	d	Net profit			
	(iii)	Total profit (65i + 65ii)		65ii	
				65iii	
66	i	Turnover from speculative activity		66i	
	ii	Gross Profit		66ii	
	iii	Expenditure, if any		66iii	
	iv	Net income from speculative activity (66ii - 66iii)		66iv	

Part A- OI

Other Information (mandatory if liable for audit under section 44AB, for others, fill if applicable)

OTHER INFORMATION

1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ mercantile ☐ cash				
2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ Yes ☐ No				
3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]			3a	
3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]			3b	
4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year				
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			☐
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)			☐
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ Yes ☐ No			
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A			4d
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A			4e
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -				
	a	the items falling within the scope of section 28	5a		
	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b		
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c		
	d	any other item of income	5d		
	e	capital receipt, if any	5e		
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)			5f
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-				
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a		
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b		
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
	j	Amount of contributions to any other fund	6j		
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		

	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l			
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(viii)]	6m			
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n			
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o			
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p			
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q			
	r	Expenditure for purchase of sugarcane in excess of the government approved price [36(1)(xvii)]	6r			
	s	Any other disallowance	6s			
	t	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6s)				6t
	u	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)				
i	deployed in India	i				
ii	deployed outside India	ii				
iii	Total	iii				
7 Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37						
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a			
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b			
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c			
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d			
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e			
	f	Any other penalty or fine	7f			
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g			
	h	Amount of any liability of a contingent nature	7h			
	i	Any other amount not allowable under section 37	7i			
	j	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7i)				7j
8 A. Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40						
	a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa			
	b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab			
	c	Amount disallowable under section 40 (a)(ib), on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac			
	d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad			
	e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae			
	f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af			
	g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag			
	h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member [40(b)]	Ah			
	i	Any other disallowance	Ai			
	j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)				8Aj
B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year			8B		
9 Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A						
a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)	9a				

	b	Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)	9b		
	c	Provision for payment of gratuity [40A(7)]	9c		
	d	any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]	9d		
	e	Marked to market loss or other expected loss except as allowable u/s 36(1)(xviii) [40A(13)]	9e		
	f	Any other disallowance	9f		
	g	Total amount disallowable under section 40A		9g	
	10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	10a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	10b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	10c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	10d		
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	10e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	10f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	10g		
	h	Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)		10h	
	11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B			
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law	11a		
	b	Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees	11b		
	c	Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered	11c		
	d	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation	11d		
	da	Any sum payable by the assessee as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing			
	e	Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank	11e		
	f	Any sum payable towards leave encashment	11f		
	g	Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets	11g		
	h	Total amount disallowable under Section 43B(total of 11a to 11g)		11h	
	12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of			
	a	Union Excise Duty	12a		
	b	Service tax	12b		
	c	VAT/sales tax	12c		
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d		
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e		
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f		

	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g		
	h	Any other tax	12h		
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)		12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC				13
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16
17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No [If yes , please fill schedule TPSA]				17

Part A – QD Quantitative details (mandatory if liable for audit under section 44AB)

QUANTITATIVE DETAILS	(a) In the case of a trading concern				
	1	Opening stock		1	
	2	Purchase during the previous year		2	
	3	Sales during the previous year		3	
	4	Closing stock		4	
	5	Shortage/ excess, if any		5	
	(b) In the case of a manufacturing concern				
	6	Raw materials			
	a	Opening stock		6a	
	b	Purchases during the previous year		6b	
	c	Consumption during the previous year		6c	
	d	Sales during the previous year		6d	
	e	Closing stock		6e	
	f	Yield finished products		6f	
	g	Percentage of yield		6g	
	h	Shortage/ excess, if any		6h	
	7	Finished products/ By-products			
	a	opening stock		7a	
	b	purchase during the previous year		7b	
	c	quantity manufactured during the previous year		7c	
	d	sales during the previous year		7d	
	e	closing stock		7e	
	f	shortage/ excess, if any		7f	

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)														
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1				Town/ City				State		PIN Code/ Zip code				
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)															
	Assessee's percentage of share in the property %															
	Name of other Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)				Percentage Share in Property (%)							
	I															
	II															
	/Tick ☒ the applicable option]				Name(s) of Tenant (if let out)				PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)			
	☐ Self-Occupied ☐ Let out				I											
	☐ Deemed let out				II											
	a Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two if let out for part of the year)										1a					
	b The amount of rent which cannot be realized										1b					
	c Tax paid to local authorities										1c					
	d Total (1b + 1c)										1d					
	e Annual value (1a – 1d)										1e					
	f Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)										1f					
	g 30% of 1f										1g					
	h Interest payable on borrowed capital										1h					
	i Total (1g + 1h)										1i					
	j Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%										1j					
	k Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)										1k					
HOUSE PROPERTY	2	Address of property 2				Town/ City				State		PIN Code/ Zip code				
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)															
	Assessee's percentage of share in the property %															
	Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)				Percentage Share in Property%							
	I															
	II															
	/Tick ☒ the applicable option]				Name(s) of Tenant (if let out)				PAN/ Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN / Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)			
	☐ Self-Occupied				I											
	☐ Let out				II											
	☐ Deemed let out															
	a Gross rent received or receivable or lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)										2a					
	b The amount of rent which cannot be realized										2b					
	c Tax paid to local authorities										2c					
	d Total (2b + 2c)										2d					
	e Annual value (2a – 2d)										2e					
	f Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)										2f					
	g 30% of 2f										2g					
	h Interest payable on borrowed capital										2h					
	i Total (2g + 2h)										2i					
	j Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%										2j					
k Income from house property 2 (2f – 2i + 2j)										2k						
HOUSE PROPERTY	3	Pass through income/ Loss if any *										3				
	4	Income under the head "Income from house property" (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)										4				
NOTE		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.														

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A From business or profession other than speculative business and specified business						
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 54, 62(ii), 63(ii), 64(iv), 65(iii) & 66(iv) of Part A-P&L)			1		
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss) [Sl. No. 66iv of Schedule P&L]			2a		
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)			2b		
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF/ chargeable u/s 115BBG	a	House property	3a		
			b	Capital gains	3b		
			c	Other sources	3c		
			d	u/s 115BBF	3d		
			e	u/s 115BBG	3e		
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/ 44ADA/ 44AE/ 44B/ 44BB/ 44BBA/ 44BBB/ 44D/ 44DA/ 44DB/ First Schedule of Income-tax Act (other than profit from life insurance business referred to in section 115B) (Dropdown to be provided)			4a		
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B			4b		
	4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)			4c		
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt					
		a	Share of income from firm(s)	5a			
		b	Share of income from AOP/ BOI	5b			
		c	Any other exempt income (specify nature and amount)				
		i		ci			
			ii		cii		
			iii	Total (ci + cii)	5ciii		
		d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)		5d		
	6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 4a – 4b – 4c– 5d)				6	
	7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF/or u/s 115BBG	a	House property	7a		
			b	Capital gains	7b		
			c	Other sources	7c		
			d	u/s 115BBF	7d		
			e	u/s 115BBG	7e		
	8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income			8a		
	8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)			8b		
	9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8a+ 8b)			9		
	10	Adjusted profit or loss (6+9)				10	
	11	Depreciation and amortisation debited to profit and loss account				11	
12	Depreciation allowable under Income-tax Act						
	I	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (column 6 of Schedule-DEP)	12i				
	ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii				
	iii	Total (12i + 12ii)		12iii			
13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)				13		
14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6t of Part A-OI)			14			
15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7j of Part A-OI)			15			
16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 8Aj of Part A-OI)			16			
17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of PartA-OI)			17			
18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)			18			
19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			19			
20	Deemed income under section 41			20			
21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/			21			

22	Deemed income under section 43CA	22		
23	Any other item of addition under section 28 to 44DB	23		
24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which assessee is a partner)	24		
25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)	25		
26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)	26		
27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)	27		
28	Deduction allowable under section 32AD	28		
29	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)	29		
30	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)	30		
31	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year(10h of Part A-OI)	31		
32	Any other amount allowable as deduction	32		
33	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)	33		
34	Total (27+28+29+30+31+32+33)	34		
35	Income (13+26-34)	35		
36	Profits and gains of business or profession deemed to be under -			
	i Section 44AD [62(ii) of schedule]	36i		
	ii Section 44ADA [63(ii) of schedule]	36ii		
	iii Section 44AE [64(iv) of schedule]	36iii		
	iv Section 44B	36iv		
	v Section 44BB	36v		
	vi Section 44BBA	36vi		
	vii Section 44BBB	36vii		
	viii Section 44D	36viii		
	ix Section 44DA	36ix	(item 4 of Form 3CE)	
	x Section 44DB	36x		
	xi First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	36xi		
	xii Total (36i to 36xi)	36xii		
37	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (35 + 36xii)	37		
38	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 37) (If loss take the figure to 2i of item E) (38a+ 38b + 38c + 38d + 38e + 38f)	A38		
	a Income chargeable under Rule 7	38a		
	b Deemed income chargeable under Rule 7A	38b		
	c Deemed income chargeable under Rule 7B(1)	38c		
	d Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)	38d		
	e Deemed income chargeable under Rule 8	38e		
	f Income other than Rule 7A, 7B & Rule 8 (Item No. 37)	38f		
39	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(38a+38b+38c+38d+38e)]	39		
B	Computation of income from speculative business			
40	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account	40		
41	Additions in accordance with section 28 to 44DB	41		
42	Deductions in accordance with section 28 to 44DB	42		

	43	Income from speculative business (if loss, take the figure to 6xi of schedule CFL)	B43	
C	Computation of income from specified business under section 35AD			
	44	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account	44	
	45	Additions in accordance with section 28 to 44DB	45	
	46	Deductions in accordance with section 28 to 44DB (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)	46	
	47	Profit or loss from specified business 44+45-46)	47	
	48	Deductions in accordance with section 35AD(1)	48	
	49	Income from Specified Business (47-48) (if loss, take the figure to 7xii of schedule CFL)	C49	
	50	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)	C50	
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A38+B43+C49)			D
E	Computation of income from life insurance business referred to in section 115B			E
	(i)	Net Profit or loss from life insurance business referred to in section 115B	(i)	
	(ii)	Additions in accordance with Section 30 to Section 43B	(ii)	
	(iii)	Deductions in accordance with Section 30 to Section 43B	(iii)	
	(iv)	Income from life insurance business under section 115B	(iv)	
F	Intra head set off of business loss of current year			
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off
			(1)	(2)
				(3) = (1) - (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A38)
	ii	Income from speculative business	(B43)	
	iii	Income from specified business	(C49)	
	iv	Income from life insurance business under section 115B	[E(iv)]	
	v	Total loss set off (ii + iii+ iv)		
	vi	Loss remaining after set off (i - v)		

Schedule DPM

Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)

DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY

1	Block of assets	Plant and machinery			
2	Rate (%)	15	30	40	45
		(i)	(ii)	(iii)	(iv)
3	Written down value on the first day of previous year				
4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 - 5) (enter 0, if result is negative)				
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 - 8) (enter 0, if result in negative)				
10	Depreciation on 6 at full rate				
11	Depreciation on 9 at half rate				
12	Additional depreciation, if any, on 4				
13	Additional depreciation, if any, on 7				
14	Additional depreciation relating to immediately preceding year' on asset put to use for less than 180 days				
15	Total depreciation* (10+11+12+13+14)				

16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
17	Net aggregate depreciation (15-16)				
18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
20	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 - 3 - 4 - 7 - 19) (enter negative only if block ceases to exist)				
21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0 if result is negative)				

Schedule DOA Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)

DEP	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets	Ships
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25	20
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
	3	Written down value on the first day of previous year							
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year							
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4							
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
	10	Depreciation on 6 at full rate							
	11	Depreciation on 9 at half rate							
	12	Total depreciation* (10+11)							
	13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
	14	Net aggregate depreciation (12-13)							
	15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
	16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
	17	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
	18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)			
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)			
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c +1d)			1d
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c		
	d	Total depreciation on building (total of 2a + 2b + 2c)			2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)			5
	6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets			
	1	Plant and machinery			
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a		
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 20ii)	1b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c		
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iv)			
	e	Total (1a +1b + 1c + 1d)			1d
	2	Building (not including land)			
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a		
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b		
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
	d	Total (2a + 2b + 2c)			2d
	3	Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)			3
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4
	5	Ships (Schedule DOA- 17vii)			5
	6	Total (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)		
Sl No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
i	35(1)(i)			
ii	35(1)(ii)			
iii	35(1)(ia)			
iv	35(1)(iii)			
v	35(1)(iv)			
vi	35(2AA)			
vii	35(2AB)			
viii	35CCC			
ix	35CCD			

x	Total		
NOTE	In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.		

Schedule CG Capital Gains

A		Short-term Capital Gains (STCG) (Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)						
Short-term Capital Gains	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)							
	a	I	Full value of consideration received/receivable				ai	
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii	
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii	
	b	Deductions under section 48						
		I	Cost of acquisition without indexation				bi	
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii	
	c	Balance (aiii – biv)				1c		
		d Deduction under section 54D/ 54G/54GA (Specify details in item D below)				1d		
e Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)								A1e
f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code	
NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
2 From slump sale								
	a	Full value of consideration			2a	(5 of Form 3CEA)		
	b	Net worth of the under taking or division			2b	(6(e) of Form 3CEA)		
	c Short term capital gains from slump sale (2a-2b)							A2c
3 From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII)								
	a	Full value of consideration				3a		
	b Deductions under section 48							
		I	Cost of acquisition without indexation				bi	
		ii	Cost of Improvement without indexation				bii	
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii	
		iv	Total (i + ii + iii)				biv	
	c	Balance (3a – biv)				3c		
d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)				3d			
e Short-term capital gain on equity share or equity oriented MF (STT paid) (3c +3d)							A3e	
4 For NON-RESIDENT, not being an FII- from sale of shares or debentures of an Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)								
	a STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is paid							A4a
	b STCG on transactions on which securities transaction tax (STT) is not paid							A4b
5 For NON-RESIDENTS- from sale of securities (other than those at A3 above) by an FII as per section 115AD								
	a	i In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details						
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares			ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner			ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)			ic		
	ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares			aii			
		Total (ic + ii)			aiii			
	b Deductions under section 48							
i	Cost of acquisition without indexation				bi			

		ii	Cost of improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (5a + ii – biv)			5c	
	d	Loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if security bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such security to be ignored (Enter positive value only)			5d	
	e	Short-term capital gain on securities (other than those at A3 above) by an FII (5c + 5d)			A5e	
6	From sale of assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above					
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic		
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares	aii		
		iii	Total (ic + ii)	aiii		
	b	Deductions under section 48				
		i	Cost of acquisition without indexation	bi		
		ii	Cost of Improvement without indexation	bii		
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		
		iv	Total (i + ii + iii)	biv		
	c	Balance (6aiii – biv)			6c	
	d	In case of asset (security/unit) loss to be disallowed u/s 94(7) or 94(8)- for example if asset bought/acquired within 3 months prior to record date and dividend/income/bonus units are received, then loss arising out of sale of such asset to be ignored (Enter positive value only)			6d	
	e	Deemed short term capital gains on depreciable assets (6 of schedule-DCG)			6e	
	f	Deduction under section 54D/54G/54GA			6f	
	g	STCG on assets other than at A1 or A2 or A3 or A4 or A5 above (6c + 6d + 6e – 6f)			A6g	
7	Amount deemed to be short term capital gains					
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous years shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below (Note : In case any amount is utilised out of Capital Gains account please fill sl no "C" of schedule DI)					
Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)	
			Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account		
i	2016-17	54D/54G/54GA				
b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'					
	Amount deemed to be short term capital gains (Xi + b)					A7
8	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)					A8
	a	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%			A8a	
	b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%			A8b	
	c	Pass Through Income/ Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates			A8c	
9	Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA					
Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I						
II						
a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA					A9a
b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA					A9b
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8 – A9a)					A10
B	Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7, 8 are not applicable for residents)					

Long-term Capital Gains	1 From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>I</td> <td colspan="4">Full value of consideration received/receivable</td> <td>ai</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td colspan="4">Value of property as per stamp valuation authority</td> <td>aii</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td colspan="4">Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]</td> <td>aiii</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">b Deductions under section 48</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td colspan="4">Cost of acquisition with indexation</td> <td>bi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td colspan="4">Cost of Improvement with indexation</td> <td>bii</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td colspan="4">Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv</td> <td colspan="4">Total (bi + bii + biii)</td> <td>biv</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">c Balance (aiii – biv)</td> <td>1c</td> </tr> <tr> <td colspan="8">d Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)</td> <td>1d</td> </tr> <tr> <td colspan="8">e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)</td> <td>B1e</td> </tr> <tr> <td colspan="8">f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <th>S.No.</th> <th>Name of buyer(s)</th> <th>PAN/Aadhaar No. of buyer(s)</th> <th>Percentage share</th> <th>Amount</th> <th>Address of property</th> <th>Pin code</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount. </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">2 From slump sale</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>2a</td> <td>(5 of Form 3CEA)</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Net worth of the under taking or division</td> <td>2b</td> <td>(6(e) of Form 3CEA)</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Balance (2a – 2b)</td> <td>2c</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Deduction u/s 54EC</td> <td>2d</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">e Long term capital gains from slump sale (2c-2d)</td> <td>B2e</td> </tr> <tr> <td colspan="8">3 From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>3a</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">b Deductions under section 48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>Cost of acquisition without indexation</td> <td>bi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td>Cost of improvement without indexation</td> <td>bii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td>Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv</td> <td>Total (bi + bii + biii)</td> <td>biv</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c LTCG on bonds or debenture (3a – 3biv)</td> </tr> </table> </td> <td>B3c</td> </tr> <tr> <td colspan="8">4 From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>4a</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">b Deductions under section 48</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>i</td> <td>Cost of acquisition without indexation</td> <td>bi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td>Cost of improvement without indexation</td> <td>bii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td>Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv</td> <td>Total (bi + bii + biii)</td> <td>biv</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4a – 4biv)</td> </tr> </table> </td> <td>B4c</td> </tr> <tr> <td colspan="8">5 From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above) (Column 14 of schedule 112A)</td> <td>B5</td> </tr> <tr> <td colspan="8">6 For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">LTCG on share or debenture computed without indexation benefit</td> <td>B6</td> </tr> <tr> <td colspan="8">7 For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8"> <table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>i</td> <td colspan="2">In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares</td> <td>ia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner</td> <td>ib</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)</td> <td>ic</td> </tr> </table> </td> <td></td> </tr> </table>								a	I	Full value of consideration received/receivable				ai			ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii			iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii		b Deductions under section 48										I	Cost of acquisition with indexation				bi			ii	Cost of Improvement with indexation				bii			iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			iv	Total (bi + bii + biii)				biv		c Balance (aiii – biv)								1c	d Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)								1d	e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)								B1e	f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)									<table border="1"> <tr> <th>S.No.</th> <th>Name of buyer(s)</th> <th>PAN/Aadhaar No. of buyer(s)</th> <th>Percentage share</th> <th>Amount</th> <th>Address of property</th> <th>Pin code</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code									NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.									2 From slump sale									<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>2a</td> <td>(5 of Form 3CEA)</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Net worth of the under taking or division</td> <td>2b</td> <td>(6(e) of Form 3CEA)</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Balance (2a – 2b)</td> <td>2c</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Deduction u/s 54EC</td> <td>2d</td> <td></td> </tr> </table>								a	Full value of consideration	2a	(5 of Form 3CEA)	b	Net worth of the under taking or division	2b	(6(e) of Form 3CEA)	c	Balance (2a – 2b)	2c		d	Deduction u/s 54EC	2d			e Long term capital gains from slump sale (2c-2d)								B2e	3 From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)									<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>3a</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">b Deductions under section 48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>Cost of acquisition without indexation</td> <td>bi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td>Cost of improvement without indexation</td> <td>bii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td>Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv</td> <td>Total (bi + bii + biii)</td> <td>biv</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c LTCG on bonds or debenture (3a – 3biv)</td> </tr> </table>								a	Full value of consideration	3a		b Deductions under section 48					I	Cost of acquisition without indexation	bi		ii	Cost of improvement without indexation	bii		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		iv	Total (bi + bii + biii)	biv	c LTCG on bonds or debenture (3a – 3biv)				B3c	4 From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable									<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>4a</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">b Deductions under section 48</td> </tr> </table>								a	Full value of consideration	4a		b Deductions under section 48					<table border="1"> <tr> <td></td> <td>i</td> <td>Cost of acquisition without indexation</td> <td>bi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td>Cost of improvement without indexation</td> <td>bii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td>Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv</td> <td>Total (bi + bii + biii)</td> <td>biv</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4a – 4biv)</td> </tr> </table>									i	Cost of acquisition without indexation	bi		ii	Cost of improvement without indexation	bii		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		iv	Total (bi + bii + biii)	biv	c Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4a – 4biv)				B4c	5 From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A									Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above) (Column 14 of schedule 112A)								B5	6 For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)									LTCG on share or debenture computed without indexation benefit								B6	7 For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD									<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>i</td> <td colspan="2">In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares</td> <td>ia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner</td> <td>ib</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)</td> <td>ic</td> </tr> </table>								a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic	
	a	I	Full value of consideration received/receivable				ai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	b Deductions under section 48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		I	Cost of acquisition with indexation				bi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ii	Cost of Improvement with indexation				bii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	c Balance (aiii – biv)								1c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	d Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)								1d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	e Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)								B1e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	f In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <tr> <th>S.No.</th> <th>Name of buyer(s)</th> <th>PAN/Aadhaar No. of buyer(s)</th> <th>Percentage share</th> <th>Amount</th> <th>Address of property</th> <th>Pin code</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	NOTE ► Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	2 From slump sale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>2a</td> <td>(5 of Form 3CEA)</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Net worth of the under taking or division</td> <td>2b</td> <td>(6(e) of Form 3CEA)</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Balance (2a – 2b)</td> <td>2c</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Deduction u/s 54EC</td> <td>2d</td> <td></td> </tr> </table>								a	Full value of consideration	2a	(5 of Form 3CEA)	b	Net worth of the under taking or division	2b	(6(e) of Form 3CEA)	c	Balance (2a – 2b)	2c		d	Deduction u/s 54EC	2d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	a	Full value of consideration	2a	(5 of Form 3CEA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	b	Net worth of the under taking or division	2b	(6(e) of Form 3CEA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	c	Balance (2a – 2b)	2c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	d	Deduction u/s 54EC	2d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
e Long term capital gains from slump sale (2c-2d)								B2e																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3 From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>3a</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">b Deductions under section 48</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I</td> <td>Cost of acquisition without indexation</td> <td>bi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td>Cost of improvement without indexation</td> <td>bii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td>Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv</td> <td>Total (bi + bii + biii)</td> <td>biv</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c LTCG on bonds or debenture (3a – 3biv)</td> </tr> </table>								a	Full value of consideration	3a		b Deductions under section 48					I	Cost of acquisition without indexation	bi		ii	Cost of improvement without indexation	bii		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		iv	Total (bi + bii + biii)	biv	c LTCG on bonds or debenture (3a – 3biv)				B3c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
a	Full value of consideration	3a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b Deductions under section 48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	I	Cost of acquisition without indexation	bi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ii	Cost of improvement without indexation	bii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
c LTCG on bonds or debenture (3a – 3biv)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4 From sale of listed securities (other than a unit) or zero coupon bonds where proviso under section 112(1) is applicable																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Full value of consideration</td> <td>4a</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">b Deductions under section 48</td> </tr> </table>								a	Full value of consideration	4a		b Deductions under section 48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
a	Full value of consideration	4a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
b Deductions under section 48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>i</td> <td>Cost of acquisition without indexation</td> <td>bi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ii</td> <td>Cost of improvement without indexation</td> <td>bii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iii</td> <td>Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer</td> <td>biii</td> </tr> <tr> <td></td> <td>iv</td> <td>Total (bi + bii + biii)</td> <td>biv</td> </tr> <tr> <td colspan="4">c Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4a – 4biv)</td> </tr> </table>									i	Cost of acquisition without indexation	bi		ii	Cost of improvement without indexation	bii		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii		iv	Total (bi + bii + biii)	biv	c Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4a – 4biv)				B4c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	i	Cost of acquisition without indexation	bi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	ii	Cost of improvement without indexation	bii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	iv	Total (bi + bii + biii)	biv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
c Long-term Capital Gains on assets at B4 above (4a – 4biv)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5 From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B5 above) (Column 14 of schedule 112A)								B5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6 For NON-RESIDENTS- from sale of shares or debenture of Indian company (to be computed with foreign exchange adjustment under first proviso to section 48)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LTCG on share or debenture computed without indexation benefit								B6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7 For NON-RESIDENTS- from sale of, (i) unlisted securities as per sec. 112(1)(c), (ii) units referred in sec. 115AB, (iii) bonds or GDR as referred in sec. 115AC, (iv) securities by FII as referred to in sec. 115AD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>i</td> <td colspan="2">In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a</td> <td>Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares</td> <td>ia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b</td> <td>Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner</td> <td>ib</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c</td> <td>Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)</td> <td>ic</td> </tr> </table>								a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
a	i	In case securities sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

		ii	Full value of consideration in respect of securities other than unquoted shares	aii							
		iii	Total (ic + ii)	aiii							
	b	Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition without indexation	bi							
		ii	Cost of improvement without indexation	bii							
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii							
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv							
	c	Long-term Capital Gains on assets at 7 above in case of NON-RESIDENT (7a – 7biv)				B7c					
8	For NON-RESIDENTS - From sale of equity share in a company or unit of equity oriented fund or unit of a business trust on which STT is paid under section 112A										
	Long-term Capital Gains on sale of capital assets at B8 above (Column 14 of Schedule 115AD(1)(b)(iii) proviso)						B8				
9	From sale of assets where B1 to B8 above are not applicable										
	a	i	In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details								
		a	Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares	ia							
		b	Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner	ib							
		c	Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)	ic							
		ii	Full value of consideration in respect of assets other than unquoted	aii							
		iii	Total (ic + ii)	aiii							
	b	Deductions under section 48									
		i	Cost of acquisition with indexation	bi							
		ii	Cost of improvement with indexation	bii							
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer	biii							
		iv	Total (bi + bii + biii)	biv							
	c	Balance (aiii – biv)				9c					
	d	Deduction under section 54D/54G/54GA (Specify details in item D below)				9d					
	e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)				B9e					
10	Amount deemed to be long-term capital gains										
	a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below (Note : In case any amount is utilised out of Capital Gains account please fill sl no "C" of schedule DI)									
	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)					
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account						
	i	2016-17	54D/54G/54GA								
	b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'									
	Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b)						B10				
11	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+B11a2 + B11b)						B11				
	a1	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A			B11a1						
	a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than 112A			B11a2						
	b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%			B11b						
12	Amount of LTCG included in items B1 to B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA										
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	I										
	II										
	a	Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA								B12a	
	b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA								B12b	

13	Total long term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8 + B9f+ B10+B11-B12a]				B13		
C	Income chargeable under the head “CAPITAL GAINS” (A10+ B13) (take B13 as nil, if loss)					C	
D	Information about deduction claimed against Capital Gains						
1	In case of deduction u/s 54D/54EC/54G/54GA give following details						
a	Deduction claimed u/s 54D						
i	Date of acquisition of original asset	ai	dd/mm/yyyy				
ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking	aii					
iii	Date of purchase of new land or building	aiii	dd/mm/yyyy				
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	aiv					
v	Amount of deduction claimed	av					
b	Deduction claimed u/s 54EC						
i	Date of transfer of original asset	bi	dd/mm/yyyy				
ii	Amount invested in specified/notified bonds	bii					
iii	Date of investment	biii	dd/mm/yyyy				
iv	Amount of deduction claimed	biv					
c	Deduction claimed u/s 54G						
i	Date of transfer of original asset	ci	dd/mm/yyyy				
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	cii					
iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area	ciii	dd/mm/yyyy				
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	civ					
v	Amount of deduction claimed	cv					
d	Deduction claimed u/s 54GA						
i	Date of transfer of original asset from urban area	di	dd/mm/yyyy				
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset	dii					
iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ	diii	dd/mm/yyyy				
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date	div					
v	Amount of deduction claimed	dv					
e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)					e	
E	Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9 & B12 which is chargeable under DTAA)						

Sl.	Type of Capital Gain	Capital Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss				Long term capital loss			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
i	Capital Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative)		(A3e*+ A4a*+ A8a*)	(A5e*+ A8b*)	(A1e*+ A2c*+ A4b*+ A6g*+ A7+A8c*)	A9b	(B4c*+B5*+ B7c*+B8*+ B11a1*+B11a2*)	B1e*+ B2e*+B3c*+ B6*+ B9e*+ B10*+ B11b*)	B12b	
ii	Short term capital gain	15%	(A3e+ A4a+ A8a*)							
iii		30%	(A5e+ A8b*)							
iv		applicable rate	(A1e*+ A2c*+ A4b*+ A6g*+ A7+A8c*)							
v		DTAA rates	A9b							
vi	Long term capital gain	10%	(B4c*+B5*+B7c*+ B8*+ B11a1*+B11a2*)							
vii		20%	B1e*+ B2e*+B3c*+ B6*+ B9e*+ B10*+ B11b*)							

	viii	DTAA rates	B12b								
	ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi+vii+viii)									
	x	Loss remaining after set off (i – ix)									
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.											
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.											
F	Information about accrual/receipt of capital gain										
		Type of Capital gain / Date			Upto 15/6 (i)	16/6 to 15/9 (ii)	16/9 to 15/12 (iii)	16/12 to 15/3 (iv)	16/3 to 31/3 (v)		
	1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% <i>Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any.</i>									
	2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% <i>Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.</i>									
	3	Short-term capital gains taxable at applicable rates <i>Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.</i>									
	4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates <i>Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.</i>									
	5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% <i>Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.</i>									
	6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% <i>Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.</i>									
	7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates <i>Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.</i>									

[illegible]

[illegible]

Schedule OS Income from other sources

OTHER SOURCES

1		Gross Income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)		1	
a	Dividends, Gross (not exempt u/s. 10(34) and u/s. 10(35))	1a			
b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)	1b			
i	From Savings Bank	bi			
ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society/)	bii			
iii	From Income-tax Refund	biii			
iv	In the nature of Pass through income/ loss	biv			
v	Others	bv			
c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross	1c			
d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)	1d			
i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di			
ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii			
iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration	dihi			
iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div			
v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv			
e	Any other income (please specify nature)	1e			
Sl. no.	Nature		Amount		
1					
2					
	Rows can be added as required				
2		Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl. no. 1)		2	
a	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc. chargeable u/s 115BB	2a			
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)	2b			
i	Cash credits u/s 68	bi			
ii	Unexplained investments u/s 69	bii			
iii	Unexplained money etc. u/s 69A	biii			
iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B	biv			
v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C	bv			
vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D	bvi			
c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxix)	2c			
i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)	ci			
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)	cii			
iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)	ciii			
iv	Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)	civ			
v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)	cv			
vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)	cvi			
vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)	cvii			
viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B)	cviii			
ix	Income by way of interest or dividends from bonds or GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC	cix			

[illegible]

	2	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)						

Schedule CYLA Details of Income after Set off of current year losses

Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
		1	2	3	4	5=1-2-3-4
i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative) →		(4 of Schedule –HP)	(2vi of item F of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
ii	House property	(4 of Schedule HP)				
iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B speculation income and income from specified business)	(A38 of Schedule BP)				
iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item F of Sch. BP)				
v	Speculation income	(3ii of item F of Sch. BP)				
vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item F of Sch. BP)				
vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of schedule CG)				
viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of schedule CG)				
ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of schedule CG)				
x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of schedule CG)				
xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of schedule CG)				
xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of schedule CG)				
xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)				
xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of schedule OS)				
xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of schedule OS)				
xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2f of schedule OS)				
xvii	Total loss set off					
xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)					

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT

Schedule BFLA Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years

BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT

Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
		1	2	3	4	5
i	House property	(5ii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
ii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B speculation income and income from specified business)	(5iii of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iii	Income from life insurance business u/s 115B	(5iv of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
iv	Speculation Income	(5v of schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
v	Specified Business Income	(5vi of schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off					
xvii	Current year's income remaining after set off		Total of (5i + 5ii + 5iii + 5iv + 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi + 5xii + 5xiii + 5xiv + 5xv)			

Schedule CFL Details of Losses to be carried forward to future years

Sl. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss			Loss from business other than loss from speculative business and specified business	Loss from speculative business	Loss from specified business	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss			Long-term Capital loss			Loss from owning and maintaining race horses
			Normal	PTI	Total (4c=4a+4b)					Normal	PTI	Total (9c=9a+9b)	Normal	PTI	Total (10c=10a+10b)	
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9a	9b	9c	10a	10b	10c	11
i	2010-11															
ii	2011-12															
iii	2012-13															
iv	2013-14															
v	2014-15															
vi	2015-16															
vii	2016-17															
viii	2017-18															
ix	2018-19															
x	2019-20															
xi	Total of earlier year losses b/f															
xii	Loss distributed among the unit holder (Applicable for Investment Fund only)															
xiii	Balance available of Total of earlier year b/f (xi-xii)															
xiv	Adjustment of above losses in Schedule BFLA				(2i of schedule BFLA)	(2ii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)	(2v of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)							(2xiv of schedule BFLA)
xv	2020-21 (Current year losses to be carried forward)				(2xviii of schedule CYLA)	(3xviii of schedule CYLA)	(B43 of schedule BP, if -ve)	(C49 of schedule BP, if -ve)	E(iv) of schedule BP, (if -ve)			(2x+3x+4x of item E of schedule CG)			(6x+7x) of item E of schedule CG)	(8e of schedule OS, if -ve)
xvi	Total loss Carried forward to future years															
xvii	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)															

CARRY FORWARD OF LOSS

Schedule UD Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)

Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv							
v	Total		(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit

Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)
(i)	(ii)	(iii)
I	Accounting Policies	
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
III	Construction Contracts	
IV	Revenue Recognition	
V	Tangible Fixed Assets	
VI	Changes in Foreign Exchange Rates	
VII	Government Grants	
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)	
IX	Borrowing Costs	
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets	
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)	
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)	

Schedule 10AA Deduction under section 10AA

DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone						
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)		
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)		
	c	Total deduction under section 10AA (a + b + c + d)				c	
		Note : In case deduction is claimed u/s 10AA, please fill sl no "B" of schedule DI					

Schedule 80G Details of donations entitled for deduction under section 80G

DETAILS OF DONATIONS	A Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit					
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation
	i					
	ii					

	iii	Total					
B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit						
	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation		Eligible Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					
E	Total donations (Aiii + Biii + Ciii + Diii)						

Schedule 80GGA Details of donations for scientific research or rural development

S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (drop down to be provided)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
i							
ii							
	Total donation						

Schedule RA Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]

	Name and address of donee		PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					

Schedule 80-IA Deductions under section 80-IA

a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs]	c1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	d1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Deduction in respect of profits of an undertaking	e1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	

	referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	e2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
f	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2 + e1 + e2)				f

Schedule 80-IB Deductions under section 80-IB

a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir or Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)	
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)	
		e2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)	
f	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
g	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	g1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		g2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
h	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	h1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		h2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
i	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	i1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		i2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		j2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	k1	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)	
		k2	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)	
l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)]	l1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)	
		l2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)	
m	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to l2)				m

Schedule 80-IC or 80-IE Deductions under section 80-IC or 80-IE

DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim				a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh				b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttarakhand				c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
						c1	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East						
	da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)			

	db	Arunachal Pradesh	da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	df	Nagaland	df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
			dg2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
	dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)				

e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)				e

Schedule 80P Deductions under section 80P

		Income	Amount eligible for deduction
1	Sec.80P(2)(a)(i) Banking/Credit Facilities to its members		
2	Sec.80P(2)(a)(ii) Cottage Industry		
3	Sec.80P(2)(a)(iii) Marketing of Agricultural produce grown by its members		
4	Sec.80P(2)(a)(iv) Purchase of Agricultural Implements, seeds, livestock or other articles intended for agriculture for the purpose of supplying to its members.		
5	Sec.80P(2)(a)(v) Processing, without the aid of power, of the agricultural Produce of its members.		
6	Sec.80P(2)(a)(vi) Collective disposal of Labour of its members		
7	Sec.80P(2)(a)(vii) Fishing or allied activities for the purpose of supplying to its members.		
8	Sec.80P(2)(b) Primary cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members to Federal cooperative society engaged in supplying Milk, oilseeds, fruits or vegetables/Government or local authority/Government Company / corporation established by or under a Central, State or Provincial Act		
9	Sec.80P(2)(c)(i) Consumer Cooperative Society Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)		
10	Sec.80P(2)(c)(ii) Other Cooperative Society engaged in activities Other than specified in 80P(2a) or 80P(2b)		
11	Sec.80P(2)(d) Interest/Dividend from Investment in other co-operative society		
12	Sec.80P(2)(e) Income from Letting of godowns / warehouses for storage, processing / facilitating the marketing of commodities		
13	Sec.80P(2)(f) Others		
14	Total		

Schedule VI-A Deductions under Chapter VI-A

TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments							
		Whether, you have made any investment/ deposit/ payments between 01.04.2020 to 30.06.2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter VIA? (If yes, please fill sl no "A" of schedule DI)						[Yes/ No]	
	a	80G		b	80GGA				
	c	80GGC							
	Total Deduction under Part B (a + b + c)						1		
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes							
	d	80-IA	(f of Schedule 80-IA)	e	80-IAB				
	f	80-IAC		g	80-IB	(m of Schedule 80-IB)			
	h	80-IBA		i	80-IC/ 80-IE	(e of Schedule 80-IC/ 80-IE)			

	j	80JJA		k	80JJAA		
	l	80LA(1)	(9 of Annexure to Form 10CCF)	m	80LA(1A)	(9 of Annexure to Form 10CCF)	
	n	80P					
Total Deduction under Part C (total of d to n)							2
3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)						3

Schedule AMT Computation of Alternate Minimum Tax payable under section 115JC

1	Total Income as per item 13 of PART-B-TI				1	
2	Adjustment as per section 115JC(2)					
	a	Deduction Claimed under any section included in Chapter VI-A under the heading “C.—Deductions in respect of certain incomes”	2a			
	b	Deduction Claimed u/s 10AA	2b			
	c	Deduction claimed u/s 35AD as reduced by the amount of depreciation on assets on which such deduction is claimed				
	d	Total Adjustment (2a+ 2b+ 2c)	2d			
3	Adjusted Total Income under section 115JC(1) (1+2d)				3	
4	Tax payable under section 115JC(1) [18.5% or 9% as the case may be of (3)] (In the case of AOP, BOI, AJP this is applicable if 3 is greater than Rs. 20 lakhs)				4	

Schedule AMTC Computation of tax credit under section 115JD

1	Tax under section 115JC in assessment year 2020-21 (1d of Part-B-TTI)					1	
2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2020-21 (2g of Part-B-TTI)					2	
3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3	
4	Utilisation of AMT credit Available (Sum of AMT credit utilized during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of AMT Credit Brought Forward)						
	S.No	Assessment Year (AY) (A)	AMT Credit			AMT Credit Utilised during the Current Assessment Year (C)	Balance AMT Credit Carried Forward (D)= (B3) –(C)
			Gross (B1)	Set-off in earlier assessment years (B2)	Balance brought forward to the current assessment year (B3) = (B1) – (B2)		
	i	2013-14					
	ii	2014-15					
	iii	2015-16					
	iv	2016-17					
	v	2017-18					
	vi	2018-19					
	vii	2019-20					
	viii	Current AY (enter 1 -2, if 1>2 else enter 0)					
	ix	Total					
5	Amount of tax credit under section 115JD utilised during the year [total of item No. 4 (C)]					5	
6	Amount of AMT liability available for credit in subsequent assessment years [total of 4 (D)]					6	

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates [Please see instructions for section and rate of tax]

SPECIAL RATE]	SI No	Section/Description	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A or section 115AD(1)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	☐	15	(part of 5vi of schedule BFLA)	
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(part of 5vii of schedule BFLA)	
	3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	7	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	8	112 (LTCG on others)	☐	20	(5xi of schedule BFLA)	
	9	112A or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso (LTCG on sale of shares)	☐	10	(B5f and B8f of schedule CG)	
	10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA			(part of 5ix of schedule BFLA)	
	11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xii of schedule BFLA)	
	12	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.50	(part of 4b of schedule BP)	
	13	115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 1fii of schedule OS)	
	14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(2a of schedule OS)	
	15	115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10 lakh)	☐	10	(2dxv of schedule OS)	
	16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of schedule OS)	
	17	115BBF (Tax on income from patent)				
		a Income under head business or profession	☐	10	(3d of schedule BP)	
		b Income under head other sources	☐	10	(2dxvi of schedule OS)	
	18	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
		a Income under head business or profession	☐	10	(8e of schedule BP)	
		b Income under head other sources	☐	10	(2dxvii of schedule OS)	
	19	115A(1)(b) (A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a non-resident from Royalty)	☐	10	(part of 2dviii of schedule OS)	
	20	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 2f of schedule OS)	
	21	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	☐	15	(part of 5vi of schedule BFLA)	
	22	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30	(part of 5vii of schedule BFLA)	
	23	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	24	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% - u/s other than 112A	☐	10	(part of 5ix of schedule BFLA)	
	25	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20	(part of 5xi of schedule BFLA)	
	26	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	☐		(2e of schedule OS)	
	Total					

Schedule IF Information regarding partnership firms in which you are partner

FIRMS IN WHICH PARTNER	Number of firms in which you are partner							
	Sl. No.	Name of the Firm	PAN of the firm	Whether the firm is liable for audit? (Yes/No)	Whether section 92E is applicable to firm? (Yes/ No)	Percentage Share in the profit of the firm	Amount of share in the profit i	Capital balance on 31 st March in the firm ii
	1							
	2							
	3							
	4	Total						

Schedule EI Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)

EXEMPT INCOME	1	Interest income					1	
	2	Dividend income					2	
	3	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)			i		
		ii	Expenditure incurred on agriculture			ii		

iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years						iii		
iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 39 of Sch. BP)						iv		
v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						3		
vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)								
	a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
	b	Measurement of agricultural land in Acre							
	c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
	d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
4	Other exempt income (please specify)						4		
5	Income not chargeable to tax as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income	Whether TRC obtained (Y/N)		
	I								
	II								
	III	Total Income from DTAA not chargeable to tax						5	
6	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)						6		
7	Total (1+2+3+4+5 + 6)						7		

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PASS THROUGH INCOME	1.			i	House property				
				ii	Capital Gains				
				a	Short term				
				ai	Section 111A				
				aii	Others				
				b	Long term				
				bi	Section 112A				
				bii	Sections other than 112A				
				iii	Other Sources				
				a	Dividend (referred in section 115O)				
				b	Others				
				iv	Income claimed to be exempt				
				a	u/s 10(23FBB)				
				b	u/s				
	c	u/s							
	2.			i	House property				
				ii	Capital Gains				
				a	Short term				
				ai	Section 111A				
				aii	Others				
b				Long term					
bi				Section 112A					
bii				Sections other than 112A					
iii				Other Sources					
a				Dividend (referred in section 115O)					
b	Others								
iv	Income claimed to be exempt								
a	u/s 10(23FBB)								

						b	u/s				
						c	u/s				

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule- TPSA Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)

TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustment on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time							
	2	a	Additional Income tax payable @ 18% on above						
		b	Surcharge @ 12% on “a”						
		c	Health & Education cess on (a+b)						
		d	Total Additional tax payable (a+b+c)						
	3	Taxes paid							
	4	Net tax payable (2d-3)							
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)	
	6	Name of Bank and Branch							
	7	BSR Code							
	8	Serial number of challan							
	9	Amount deposited							

Schedule FSI
Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)

INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
				Total						
	2			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
				Total						

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule TR
Details Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)

TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				

2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))	2	
3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))	3	
4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below	4	Yes/No
a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India

NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

A1 Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A2 Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A3 Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4 Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held	Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract	Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
(i)												
(ii)												
B Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	ZIP code	Address of the Property	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	

Schedule DI Details of investments

(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
D	Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period										
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership-Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
E	Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above.										
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return		
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
F	Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor										
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return	
										Amount	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											
G	Details of any other income derived from any source outside India which is not included in- (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession										
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return				
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
(i)											
(ii)											

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.**Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST**

DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)

NOTE ► Please furnish the information above for each GSTIN No. separately

A) Investment/ Deposit/ Payments for the purpose of claiming deduction under Chapter VIA			
Section	Eligible amount of deduction during FY 2019-20 (As per Schedule VIA- Part B- Deductions in respect of certain payments)	Deduction attributable to investment/expenditure made between 01.04.2020 to 30.06.2020 (Out of Col No.2)	
(1)	(2)	(3)	
80G			
80GGA			
80GGC			
Total			
B) Eligible amount of deduction u/s 10AA			
Undertaking as per schedule 10AA	Amount of deduction as per schedule 10AA	Date of letter of approval issued in accordance with the provisions of the SEZ Act, 2005	Is this the first year of claiming deduction u/s 10AA AND whether conditions have been complied between 01.04.2020 to 30.06.2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Undertaking 1			
Undertaking 2			
Undertaking 3			
Total			
C) Payment/Acquisition/Purchase/Construction for the purpose of claiming deduction u/s 54 to 54GB			
Long Term Capital Gain			
Section	Amount utilised out of Capital Gains account (As per Sl. No B10a of Schedule CG)	Amount utilised between 01.04.2020 to 30.06.2020	
(1)	(2)	(3)	
54D			
54G			
54GA			
Total			
Short Term Capital Gain			
Section	Amount utilised out of Capital Gains account (As per Sl. No A7a of Schedule CG)	Amount utilised between 01.04.2020 to 30.06.2020	
(1)	(2)	(3)	
54D			
54G			
54GA			
Total			

PART-B

Part B - TI

Computation of total income

TOTAL INCOME	1	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)			1	
	2	Profits and gains from business or profession				
		i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A38 of Schedule BP)(enter nil if loss)	2i		
		ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of table F of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2ii		
		iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of table F of Schedule BP) (enter nil if loss and carry this figure to Schedule CFL)	2iii		
		iv	Income chargeable to tax at special rate (3d, 3e and 3iv of Table F of Schedule BP)	2iv		
		v	Total (2i + 2ii + 2iii + 2iv) (enter nil, if loss and carry this figure of loss to Schedule CYLA)	2v		
	3	Capital gains				
		a	Short term			
			i	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
			ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	a ii	
			iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	a iii	
			iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	a iv	
			v	Total Short-term (ai + a ii + a iii + a iv) (enter nil if loss)	3av	
		b	Long-term			
			i	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of Schedule CG)	bi	
			ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of Schedule CG)	b ii	
			iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	b iii	
			iv	Total Long-term (bi + b ii + b iii) (enter nil if loss)	b iv	
		c	Total capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)		3c	
4	Income from other sources					
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)		4a		
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)		4b		
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)		4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d		
5	Total of head wise income (1 + 2v + 3c +4d)			5		
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)			6		
7	Balance after set off of current year losses (5 – 6) (total of serial no (ii), (iii) , (v) to (xv) of column 5 of schedule CYLA + 4b + 2iv)			7		
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)			8		
9	Gross Total income (7 – 8) (also total of serial no (i) , (ii) , (iv) to (xiv) of column 5 of Schedule BFLA + 4b + 2iv)			9		
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9			10		
11	Deductions under Chapter VI-A					
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto (i+ii+iv+v+viii+xiii+xiv) of column 5 of BFLA]		11a		
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A and limited upto (ii5)of schedule BFLA)]		11b		
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]		11c		
12	Incomes not forming part of total income (12a + 12b+ 12c)			12		
	a	Deduction u/s 10AA (Total of Sch. 10AA)		12a		
	b	Income of investment fund referred to in section 10(23FB) or 10(23FBA)		12b		
	c	Income of a business trust referred to in section 10(23FC) or 10(23FCA)		12c		
13	Total income (9 - 11c - 12)			13		
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)			14		

15	Net agricultural income/ any other income for rate purpose (3v of Schedule EI)	15	
16	Aggregate income (13 – 14 + 15) [applicable if (13-14) exceeds maximum amount not chargeable to tax]	16	
17	Losses of current year to be carried forward (total of xv of Schedule CFL)	17	
18	Deemed total income under section 115JC (3 of Schedule AMT)	18	

Part B – TTI Computation of tax liability on total income

COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax payable on deemed total income under section 115JC (4 of Schedule AMT)			1a	
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)			1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on 1a+1b above			1c	
		d	Total Tax Payable on deemed total income (1a+1b+1c)			1d	
	2	Tax payable on total income					
		a	Tax at normal rates on 16 of Part B-TI		2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)		2b		
		c	Rebate on agricultural income [applicable if (13-14) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]		2c		
		d	Tax Payable on total income (2a+2b -2c))			2d	
		e	Surcharge				
		i	25% of 12(ii) of Schedule SI	2ei			
		ii	10% or 15 %, as applicable, of 1(ii)+ 2(ii),7(ii),9(ii),21(ii),24(ii) of Schedule SI	2eii			
		iii	On [(2d) – [(12(ii)+ 1(ii)+ 2(ii),7(ii),9(ii),21(ii),24(ii) of Schedule SI)]	2eiii			
		iv	Total (i+ii+iii)		2eiv		
		f	Health and Education Cess @ 4% on 2d+2eiv			2f	
	g	Gross tax liability (2d + 2eiv + 2f)			2g		
3	Gross tax payable (higher of 1d or 2g)					3	
4	Credit under section 115JD of tax paid in earlier years (applicable if 2g is more than 1d) (5 of Schedule AMTC)					4	
5	Tax payable after credit under section 115JD (3 - 4)					5	
6	Tax relief						
	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)		6a			
	b	Section 91(3 of Schedule TR)		6b			
	c	Total (6a + 6b)			6c		
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero, if negative)					7	
8	Interest and fee payable						
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)		8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)		8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)		8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)		8d			
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)			8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)					9	
TAXES PAID AND BANK DETAILS	10	Taxes Paid					
		a	Advance Tax (from column 5 of 115A)		10a		
		b	TDS (total of column 9 of 15B)		10b		
		c	TCS (total of column 7 of 15C)		10c		
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)		10d		
	e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c+10d)			10e		
11	Amount payable (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)					11	
12	Refund (If 10e is greater than 9) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)					12	
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)				Select Yes or No	
		a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)					

Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)
I				
Ii				
Note: 1) All bank accounts held at any time is to be reported, except dormant A/c. 2) Minimum one account should be selected for refund credit				
Rows can be added as required				
b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:				
Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN
Rows can be added as required				
14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i>			☐ Yes ☐ No

15 TAX PAYMENTS																										
A	Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																									
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	<table border="1"> <tr> <th>Sl No</th> <th>BSR Code</th> <th>Date of Deposit (DD/MM/YYYY)</th> <th>Serial Number of Challan</th> <th>Amount (Rs)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> <th>(4)</th> <th>(5)</th> </tr> <tr> <td>i</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>iii</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	i					ii					iii				
	Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)																					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)																					
	i																									
	ii																									
iii																										
NOTE ► Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 10a & 10d of Part B-TTI																										

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]													
Sl No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aa dhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/Aa dhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2019-20)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Corresponding Receipt offered		TDS credit being carried forward
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of or any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
							Income TDS		Income TDS	PAN/ Aadhaar No.			
i													
NOTE ► Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI													

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]								
TCS ON INCOME	Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (Tax collected during Fy 2019-20)	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
				Fin. Year in which collected	Amount b/f			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i								
ii								

NOTE ► Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI

VERIFICATION

I, _____ (full name in block letters), son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (*drop down to be provided*) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (*Please see instruction*)

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date

Sign here ➔

FORM	ITR-6	INDIAN INCOME TAX RETURN [For Companies other than companies claiming exemption under section 11] (Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962) (Please refer instructions)	Assessment Year					
			2	0	2	0	-	2

Part A-GEN		GENERAL															
PERSONAL INFORMATION	Name												PAN				
	Is there any change in the company's name? If yes, please furnish the old name												Corporate Identity Number (CIN) issued by MCA				
	Flat/Door/Block No				Name of Premises/Building/Village						Date of incorporation (DD/MM/YYYY)		Date of commencement of business (DD/MM/YYYY)				
	Road/Street/Post Office				Area/Locality						Type of company (Tick any one) ☒						
											(i) Domestic Company ☐						
											(ii) Foreign Company ☐						
	Town/City/District				State				Pin code/Zip code				If a public company write 6, and if private company write 7 (as defined in section 3 of The Companies Act) ☐				
					Country												
	Office Phone Number with STD code/ Mobile No. 1								Mobile No. 2				Email Address-1				
Email Address-2																	
FILING STATUS	(a) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]												☐ 139(1)- On or Before due date, ☐ 139(4)- After due date, ☐ 139(5)- Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- after condonation of delay				
	Or filed in response to notice u/s												☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A, ☐ 153C				
	(b) If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)												___/___/___				
	(c) If filed, in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b), enter Unique Number /Document Identification Number and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement												/ /				
	(d) Residential Status (Tick) ☒ Resident ☐ Non-Resident																
	(e) Whether the assessee has opted for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB? (drop down to be provided in efilling utility) (applicable on Domestic Company)																
	(f) Whether total turnover/ gross receipts in the previous year 2017-18 exceeds 400 crore rupees? (Yes/No) (applicable for Domestic Company)																
	(g) Whether assessee is a resident of a country or specified territory with which India has an agreement referred to in sec 90 (1) or Central Government has adopted any agreement under sec 90A(1)?																
	(h) In the case of non-resident, is there a Permanent Establishment (PE) in India (Tick) ☒ Yes ☐ No																
	(i) Whether assessee is required to seek registration under any law for the time being in force relating to companies?																
	(j) Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Tick) ☒ Yes ☐ No																
	(k) Whether assessee is located in an International Financial Services Centre and derives income solely in convertible foreign exchange? (Tick) ☒ Yes ☐ No																
	(l) Whether the assessee company is under liquidation (Tick) ☒ Yes ☐ No																
	(m) Whether you are an FII / FPI? Yes/No If yes, please provide SEBI Regn. No.																
	(n) Whether the company is a producer company as defined in Sec.581A of Companies Act, 1956? ☐ Yes ☐ No																
	(o) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -																
	(1) Name of the representative assessee																
	(2) Capacity of the Representative (drop down to be provided)																
	(3) Address of the representative assessee																
	(4) Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative assessee																
(p) Whether you are recognized as start up by DPIIT ☐ Yes ☐ No																	
1 If yes, please provide start up recognition number allotted by the DPIIT																	
2 Whether certificate from inter-ministerial board for certification is received? ☐ Yes ☐ No																	
3 If yes provide the certification number																	

[illegible]

SHAREHOLDERS INFORMATION	Particulars of persons who were beneficial owners of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
	S.No.	Name and Address			Percentage of shares held	PAN (if allotted)
OWNERSHIP INFORMATION	In case of unlisted company, particulars of natural persons who were the ultimate beneficial owners, directly or indirectly, of shares holding not less than 10% of the voting power at any time of the previous year					
	S.No.	Name	Address	Percentage of shares held	PAN/Aadhaar No. (if allotted)	
	In case of Foreign company, please furnish the details of immediate parent company.					
	S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence
	In case of foreign company, please furnish the details of ultimate parent company					
	S.No	Name	Address	Country of residence	PAN (if allotted)	Taxpayer's registration number or any unique identification number allotted in the country of residence
	NATURE OF COMPANY AND ITS BUSINESS	Nature of company				
1		Whether a public sector company as defined in section 2(36A) of the Income-tax Act				☐ Yes ☐ No
2		Whether a company owned by the Reserve Bank of India				☐ Yes ☐ No
3		Whether a company in which not less than forty percent of the shares are held (whether singly or taken together) by the Government or the Reserve Bank of India or a corporation owned by that Bank				☐ Yes ☐ No
4		Whether a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949				☐ Yes ☐ No
5		Whether a scheduled Bank being a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act				☐ Yes ☐ No
6		Whether a company registered with Insurance Regulatory and Development Authority (established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999)				☐ Yes ☐ No
7		Whether a company being a non-banking Financial Institution				☐ Yes ☐ No
8		Whether the company is unlisted? If yes, please ensure to fill up the Schedule SH-1 and Schedule AL-1				☐ Yes ☐ No
Nature of business or profession, if more than one business or profession indicate the three main activities/ products (Other than those declaring income under section 44AE)						
S.No.		Code [Please see instruction No.7(i)]			Description	
(i)						
(ii)						
(iii)						

Part A-BS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2020 OR AS ON THE DATE OF AMALGAMATION			
I	Equity and Liabilities				
EQUITY AND LIABILITIES	1	Shareholder's fund			
	A	Share capital			
	i	Authorised	Ai		
	ii	Issued, Subscribed and fully Paid up	Aii		
	iii	Subscribed but not fully paid	Aiii		
		iv	Total (Aii + Aiii)	Aiv	
	B	Reserves and Surplus			
	i	Capital Reserve	Bi		

	ii	Capital Redemption Reserve		Bii				
	iii	Securities Premium Reserve		Biii				
	iv	Debenture Redemption Reserve		Biv				
	v	Revaluation Reserve		Bv				
	vi	Share options outstanding amount		Bvi				
	vii	Other reserve (specify nature and amount)						
		a		viia				
		b		viib				
	viii	Surplus i.e. Balance in profit and loss account (<i>Debit balance to be shown as –ve figure</i>)		Bviii				
ix	Total (Bi + Bii + Biii + Biv + Bv + Bvi + Bvii + Bviii) (<i>Debit balance to be shown as –ve figure</i>)				Bix			
C	Money received against share warrants				1C			
D	Total Shareholder’s fund (Aiv + Bix + 1C)				1D			
2	Share application money pending allotment							
	i	Pending for less than one year		i				
	ii	Pending for more than one year		ii				
	iii	Total (i + ii)			2			
3	Non-current liabilities							
	A	Long-term borrowings						
	i	Bonds/ debentures						
		a	Foreign currency		ia			
			Rupee		ib			
			Total (ia + ib)		ic			
	ii	Term loans						
		a	Foreign currency		iiia			
			Rupee loans					
			1	From Banks			b1	
		From others		b2				
		Total (b1 + b2)		b3				
		c	Total Term loans (iia + b3)				iic	
		iii	Deferred payment liabilities				iii	
	iv	Deposits from related parties (<i>see instructions</i>)					iv	
	v	Other deposits					v	
	vi	Loans and advances from related parties (<i>see instructions</i>)					vi	
	vii	Other loans and advances					vii	
	viii	Long term maturities of finance lease obligations					viii	
	ix	Total Long term borrowings (ic + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)					3A	
	B	Deferred tax liabilities (net)					3B	
	C	Other long-term liabilities						
	i	Trade payables		i				
		Others		ii				
		Total Other long-term liabilities (i + ii)			3C			
	D	Long-term provisions						
	i	Provision for employee benefits		i				
		Others		ii				
		Total (i + ii)			3D			
	E	Total Non-current liabilities (3A + 3B + 3C + 3D)				3E		
4	Current liabilities							
	A	Short-term borrowings						
	i	Loans repayable on demand						
		a	From Banks		ia			

I			b	From Non-Banking Finance Companies	ib				
			c	From other financial institutions	ic				
			d	From others	id				
			e	Total Loans repayable on demand (ia + ib + ic + id)				ie	
			ii	Deposits from related parties (see instructions)				ii	
		iii	Loans and advances from related parties (see instructions)			iii			
		iv	Other loans and advances			iv			
		v	Other deposits			v			
		vi	Total Short-term borrowings (ie + ii + iii + iv + v)			4A			
		B	Trade payables						
			i	Outstanding for more than 1 year	i				
			ii	Others	ii				
			iii	Total Trade payables (i + ii)			4B		
		C	Other current liabilities						
			i	Current maturities of long-term debt	i				
			ii	Current maturities of finance lease obligations	ii				
			iii	Interest accrued but not due on borrowings	iii				
			iv	Interest accrued and due on borrowings	iv				
			v	Income received in advance	v				
			vi	Unpaid dividends	vi				
			vii	Application money received for allotment of securities and due for refund and interest accrued	vii				
			viii	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	viii				
			ix	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	ix				
			x	Other payables	x				
			xi	Total Other current liabilities (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x)			4C		
		D	Short-term provisions						
			i	Provision for employee benefit	i				
			ii	Provision for Income-tax	ii				
			iii	Proposed Dividend	iii				
			iv	Tax on dividend	iv				
			v	Other	v				
			vi	Total Short-term provisions (i + ii +iii + iv + v)			4D		
		E	Total Current liabilities (4A + 4B + 4C + 4D)			4E			
		Total Equity and liabilities (1D + 2 + 3E + 4E)					I		
II		ASSETS							
	1	Non-current assets							
	A	Fixed assets							
		i	Tangible assets						
			a	Gross block	ia				
			b	Depreciation	ib				
			c	Impairment losses	ic				
			d	Net block (ia – ib - ic)	id				
		ii	Intangible assets						
			a	Gross block	ii a				
			b	Amortization	ii b				
			c	Impairment losses	ii c				
			d	Net block (ii a – ii b - ii c)	ii d				
		iii	Capital work-in-progress				iii		
		iv	Intangible assets under development				iv		
		v	Total Fixed assets (id + iid + iii + iv)				Av		

2	B Non-current investments					
	i Investment in property		i			
	ii Investments in Equity instruments					
	a Listed equities		iiia			
	b Unlisted equities		iiib			
	c Total (iia + iib)		iiic			
	iii Investments in Preference shares		iii			
	iv Investments in Government or trust securities		iv			
	v Investments in Debenture or bonds		v			
	vi Investments in Mutual funds		vi			
	vii Investments in Partnership firms		vii			
	viii Others Investments		viii			
	ix Total Non-current investments (i + iic + iii + iv + v + vi + vii + viii)				Bix	
	C Deferred tax assets (Net)				C	
	D Long-term loans and advances					
	i Capital advances		i			
	ii Security deposits		ii			
	iii Loans and advances to related parties (see instructions)		iii			
	iv Other Loans and advances		iv			
	v Total Long-term loans and advances (i + ii + iii + iv)					Dv
	vi Long-term loans and advances included in Dv which is					
	a for the purpose of business or profession		via			
	b not for the purpose of business or profession		vib			
	c given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		vic			
	E Other non-current assets					
	i Long-term trade receivables					
	a Secured, considered good		ia			
	b Unsecured, considered good		ib			
c Doubtful		ic				
d Total Other non-current assets (ia + ib + ic)		id				
ii Others		ii				
iii Total (id + ii)				Eiii		
iv Non-current assets included in Eiii which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		iv				
F Total Non-current assets (Av + Bix + C + Dv + Eiii)				1F		
2 Current assets						
A Current investments						
i Investment in Equity instruments						
a Listed equities		ia				
b Unlisted equities		ib				
c Total (ia + ib)		ic				
ii Investment in Preference shares		ii				
iii Investment in government or trust securities		iii				
iv Investment in debentures or bonds		iv				
v Investment in Mutual funds		v				
vi Investment in partnership firms		vi				
vii Other investment		vii				
viii Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)				Aviii		
B Inventories						
i Raw materials		i				

			ii	Work-in-progress	ii					
			iii	Finished goods	iii					
			iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv					
			v	Stores and spares	v					
			vi	Loose tools	vi					
			vii	Others	vii					
			viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)				Bviii		
			C	Trade receivables						
			i	Outstanding for more than 6 months	i					
			ii	Others	ii					
			iii	Total Trade receivables (i + ii + iii)				Ciii		
		D	Cash and cash equivalents							
			i	Balances with Banks	i					
			ii	Cheques, drafts in hand	ii					
			iii	Cash in hand	iii					
			iv	Others	iv					
			v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)					Dv	
		E	Short-term loans and advances							
			i	Loans and advances to related parties (<i>see instructions</i>)		i				
			ii	Others		ii				
			iii	Total Short-term loans and advances (i + ii)					Eiii	
			iv	Short-term loans and advances included in Eiii which is						
				a	for the purpose of business or profession	iva				
				b	not for the purpose of business or profession	ivb				
				c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act		ivc			
		F	Other current assets					F		
		G	Total Current assets (Aviii + Bviii + Ciii + Dv + Eiii + F)					2G		
		Total Assets (1F + 2G)							II	

Part A-BS – Ind AS		BALANCE SHEET AS ON 31 ST DAY OF MARCH, 2020 OR AS ON THE DATE OF BUSINESS COMBINATION [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

I		Equity and Liabilities							
	1	Equity							
	A	Equity share capital							
			i	Authorised	Ai				
			ii	Issued, Subscribed and fully paid up	Aii				
			iii	Subscribed but not fully paid	Aiii				
			iv	Total (Aii + Aiii)		Aiv			
	B	Other Equity							
			i	Other Reserves					
				a	Capital Redemption Reserve	ia			
				b	Debenture Redemption Reserve	ib			
				c	Share Options Outstanding account	ic			
				d	Other (specify nature and amount)	id			
				e	Total other reserves (ia + ib + ic + id)	ie			
		ii	Retained earnings (Debit balance of statement of P&L to be shown as –ve figure)		ii				
		iii	Total (Bie + ii) (Debit balance to be shown as –ve figure)			Biii			
		C	Total Equity (Aiv + Biii)						1C

2	Liabilities						
	A	Non-current liabilities					
	I	Financial Liabilities					
	Borrowings						
	a	Bonds or debentures					
		1	Foreign currency	a1			
		2	Rupee	a2			
		3	Total (1 + 2)			a3	
	b	Term loans					
		1	Foreign currency	b1			
		2	Rupee loans				
		i	From Banks	i			
			From other parties	ii			
			Total (i + ii)	b2			
		3	Total Term loans (b1 + b2)			b3	
	c	Deferred payment liabilities				c	
	d	Deposits				d	
	e	Loans from related parties (see instructions)				e	
	f	Long term maturities of finance lease obligations				f	
	g	Liability component of compound financial instruments				g	
	h	Other loans				h	
	i	Total borrowings (a3 + b3 + c + d + e + f + g + h)				i	
	j	Trade Payables				j	
	k	Other financial liabilities (Other than those specified in II under provisions)				k	
	II	Provisions					
		a	Provision for employee benefits	a			
		b	Others (specify nature)	b			
		c	Total Provisions			IIC	
	III	Deferred tax liabilities (net)				III	
	IV	Other non-current liabilities					
		a	Advances	a			
		b	Others (specify nature)	b			
c		Total Other non-current liabilities			IVc		
Total Non-Current Liabilities (Ii + Ij + Ik + IIC + III + IVc)					2A		
B	Current liabilities						
I	Financial Liabilities						
	i	Borrowings					
	a	Loans repayable on demand					
		1	From Banks	1			
		2	From Other parties	2			
		3	Total Loans repayable on demand (1 + 2)		3		
	b	Loans from related parties			b		
	c	Deposits			c		
	d	Other loans (specify nature)			d		
	Total Borrowings (a3 + b + c + d)				Ii		
	ii	Trade payables			Iii		
	iii	Other financial liabilities					
		a	Current maturities of long-term debt	a			
		b	Current maturities of finance lease obligations	b			
		c	Interest accrued	c			
		d	Unpaid dividends	d			

			e	Application money received for allotment of securities to the extent refundable and interest accrued thereon	e						
			f	Unpaid matured deposits and interest accrued thereon	f						
			g	Unpaid matured debentures and interest accrued thereon	g						
			h	Others (specify nature)	h						
			i	Total Other financial liabilities (a + b +c +d +e +f +g+ h)				Iiii			
			iv	Total Financial Liabilities (Ii + Iii + Iiii)			Iiv				
			II	Other Current liabilities							
				a	Revenue received in advance	a					
				b	Other advances (specify nature)	b					
				c	Others (specify nature)	c					
				d	Total Other current liabilities (a + b+ c)					IId	
			III	Provisions							
				a	Provision for employee benefits	a					
				b	Others (specify nature)	b					
				c	Total provisions (a + b)		IIIc				
			IV	Current Tax Liabilities (Net)			IV				
			Total Current liabilities (Iiv + IId + IIIc+ IV)				2B				
			Total Equity and liabilities (1C + 2A +2B)				I				
			II	ASSETS							
			1	Non-current assets							
				A	Property, Plant and Equipment						
					a	Gross block				a	
					b	Depreciation				b	
					c	Impairment losses				c	
			d	Net block (a – b - c)						Ad	
B	Capital work-in-progress			B							
C	Investment Property										
	a	Gross block	a								
	b	Depreciation	b								
	c	Impairment losses	c								
d	Net block (a – b - c)			Cd							
D	Goodwill										
	a	Gross block	a								
	b	Impairment losses	b								
c	Net block (a – b)			Dc							
E	Other Intangible Assets										
	a	Gross block	a								
	b	Amortisation	b								
	c	Impairment losses	c								
d	Net block (a – b - c)			Ed							
F	Intangible assets under development			F							
G	Biological assets other than bearer plants										
	a	Gross block	a								
	b	Impairment losses	b								
c	Net block (a – b)			Gc							
H	Financial Assets										
	I	Investments									
	i	Investments in Equity instruments									
	a	Listed equities	ia								

			b	Unlisted equities	ib					
			c	Total (ia + ib)		ic				
			ii	Investments in Preference shares	ii					
			iii	Investments in Government or trust securities	iii					
			iv	Investments in Debenture or bonds	iv					
			v	Investments in Mutual funds	v					
			vi	Investments in Partnership firms	vi					
			vii	Others Investments (specify nature)	vii					
			viii	Total non-current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)				HI		
			II	Trade Receivables						
				a	Secured, considered good	a				
				b	Unsecured, considered good	b				
				c	Doubtful	c				
				d	Total Trade receivables			HII		
			III	Loans						
				i	Security deposits	i				
				ii	Loans to related parties (see instructions)	ii				
				iii	Other loans (specify nature)	iii				
				iv	Total Loans (i + ii + iii)			IIII		
v	Loans included in HIII above which is-									
	a	for the purpose of business or profession	va							
	b	not for the purpose of business or profession	vb							
	c	given to shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc							
IV	Other Financial Assets									
				i	Bank Deposits with more than 12 months maturity	i				
				ii	Others	ii				
				iii	Total of Other Financial Assets (i + ii)			HIV		
			I	Deferred Tax Assets (Net)				I		
			J	Other non-current Assets						
				i	Capital Advances	i				
				ii	Advances other than capital advances	ii				
				iii	Others (specify nature)	iii				
				iv	Total non-current assets (i + ii + iii)			J		
			v	Non-current assets included in J above which is due from shareholder, being the beneficial owner of share, or from any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act			v			
			Total Non-current assets (Ad + B + Cd + Dc + Ed + F + Gc + HI + HII + HIII + HIV + I + J)						1	
			2	Current assets						
			A	Inventories						
				i	Raw materials	i				
				ii	Work-in-progress	ii				
				iii	Finished goods	iii				
				iv	Stock-in-trade (in respect of goods acquired for trading)	iv				
v	Stores and spares	v								
vi	Loose tools	vi								
vii	Others	vii								
viii	Total Inventories (i + ii + iii + iv + v + vi + vii)			2A						
B	Financial Assets									
I	Investments									
	i	Investment in Equity instruments								
	a	Listed equities	ia							

		b	Unlisted equities		ib				
		c	Total (ia + ib)		ic				
		ii	Investment in Preference shares		ii				
		iii	Investment in government or trust securities		iii				
		iv	Investment in debentures or bonds		iv				
		v	Investment in Mutual funds		v				
		vi	Investment in partnership firms		vi				
		vii	Other Investments		vii				
		viii	Total Current investments (ic + ii + iii + iv + v + vi + vii)					I	
		II	Trade receivables						
	i	Secured, considered good		i					
	ii	Unsecured, considered good		ii					
	iii	Doubtful		iii					
	iv	Total Trade receivables (i + ii + iii)							
	II								
III	Cash and cash equivalents								
	i	Balances with Banks (of the nature of cash and cash equivalents)		i					
	ii	Cheques, drafts in hand		ii					
	iii	Cash on hand		iii					
	iv	Others (specify nature)		iv					
	v	Total Cash and cash equivalents (i + ii + iii + iv)							
	III								
IV	Bank Balances other than III above					IV			
V	Loans								
	i	Security Deposits		i					
	ii	Loans to related parties (<i>see instructions</i>)		ii					
	iii	Others(specify nature)		iii					
	iv	Total loans (i + ii + iii)							
	v	Loans and advances included in V above which is-							
		a	for the purpose of business or profession	va					
		b	not for the purpose of business or profession	vb					
		c	given to a shareholder, being the beneficial owner of share, or to any concern or on behalf/ benefit of such shareholder as per section 2(22)(e) of I.T. Act	vc					
VI	Other Financial Assets						VI		
Total Financial Assets (I + II + III + IV + V + VI)						2B			
C	Current Tax Assets (Net)					2C			
D	Other current assets								
	i	Advances other than capital advances		i					
	ii	Others(specify nature)		ii					
	iii	Total							
Total Current assets (2A + 2B + 2C + 2D)						2			
Total Assets (1 + 2)						II			

**Part A-
Manufacturing
Account**

Manufacturing Account for the financial year 2019-20(fill items 1 to 3 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)

Account										
	1	Debits to Manufacturing account								
	A	Opening Inventory								
		i	Opening stock of raw-material			i				
		ii	Opening stock of Work in progress			ii				
		iii	Total (i + ii)							
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)							B	

		C	Direct wages			C	
		D	Direct expenses (Di + Dii + Diii)			D	
		i	Carriage inward	i			
		ii	Power and fuel	ii			
		iii	Other direct expenses	iii			
		E	Factory Overheads				
		I	Indirect wages	i			
		Ii	Factory rent and rates	ii			
		Iii	Factory Insurance	iii			
		Iv	Factory fuel and power	iv			
		V	Factory general expenses	v			
		Vi	Depreciation of factory machinery	vi			
		Vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii	
		F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)			1F	
		2	Closing Stock				
		i	Raw material	2i			
		ii	Work-in-progress	2ii			
			Total (2i + 2ii)			2	
		3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)			3	

Part A-Trading Account Trading Account for the financial year 2019-20 (fill items 4 to 12 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62as applicable)

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations					
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)					
	i	Sale of goods	i				
	ii	Sale of services	ii				
	iii	Other operating revenues (specify nature and amount)					
	a		iiia				
	b		iiib				
	c	Total (iiia + iiib)	iiic				
	iv	Total (i + ii + iiic)				Aiv	
	B	Gross receipts from Profession				B	
	C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied					
	i	Union Excise duties	i				
	ii	Service tax	ii				
	iii	VAT/ Sales tax	iii				
	iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv				
	v	State Goods & Services Tax (SGST)	v				
	vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi				
	vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii				
	viii	Any other duty, tax and cess	viii				
	ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)				Cix	
	D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)				4D	
DEBITS TO TRADING ACCOUNT	5	Closing Stock of Finished Goods				5	
	6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)				6	
	7	Opening Stock of Finished Goods				7	
	8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				8	
	9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)				9	
	i	Carriage inward	i				
	ii	Power and fuel	ii				

	iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii		
10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased				
	i	Custom duty	10i		
	ii	Counter veiling duty	10ii		
	iii	Special additional duty	10iii		
	iv	Union excise duty	10iv		
	v	Service tax	10v		
	vi	VAT/ Sales tax	10vi		
	vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii		
	viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii		
	ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix		
	x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x		
	xi	Any other tax, paid or payable	10xi		
	xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)	10xii		
11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account				11
12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)				12
12a	Turnover from Intraday Trading				12a
12b	Income from Intraday Trading				12b

Part A-P&L **Profit and Loss Account for the financial year 2019-20** (fill items 13 to 60 in a case where regular books of accounts are maintained, otherwise fill items 61 to 62 as applicable)

CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account				13	
	14	Other income					
		i	Rent	i			
		ii	Commission	ii			
		iii	Dividend income	iii			
		iv	Interest income	iv			
		v	Profit on sale of fixed assets	v			
		vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi			
		vii	Profit on sale of other investment	vii			
		viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii			
		ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix			
		x	Agricultural income	x			
		xi	Any other income (specify nature and amount)				
		a		xia			
DEBITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT		b		xib			
		c	Total (xia + xib)	xic			
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)				14xii	
	15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)				15	
	16	Freight outward				16	
	17	Consumption of stores and spare parts				17	
	18	Power and fuel				18	
	19	Rents				19	
	20	Repairs to building				20	
	21	Repairs to machinery				21	
	22	Compensation to employees					
		i	Salaries and wages	22i			
		ii	Bonus	22ii			

	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii				
	iv	Leave encashment	22iv				
	v	Leave travel benefits	22v				
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi				
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii				
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii				
	ix	Contribution to any other fund	22ix				
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x				
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)				22xi	
	xia	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xia	Yes / No			
xib	If Yes, amount paid to non-residents	xib					
23	Insurance						
	i	Medical Insurance	23i				
	ii	Life Insurance	23ii				
	iii	Keyman's Insurance	23iii				
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv				
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)				23v	
24	Workmen and staff welfare expenses				24		
25	Entertainment				25		
26	Hospitality				26		
27	Conference				27		
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28		
29	Advertisement				29		
30	Commission						
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i				
	ii	To others	ii				
	iii	Total (i + ii)				30iii	
31	Royalty						
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i				
	ii	To others	ii				
	iii	Total (i + ii)				31iii	
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services						
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i				
	ii	To others	ii				
	iii	Total (i + ii)				32iii	
33	Hotel, boarding and Lodging				33		
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				34		
35	Foreign travelling expenses				35		
36	Conveyance expenses				36		
37	Telephone expenses				37		
38	Guest House expenses				38		
39	Club expenses				39		
40	Festival celebration expenses				40		
41	Scholarship				41		
42	Gift				42		
43	Donation				43		
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)						
	i	Union excise duty	44i				
	ii	Service tax	44ii				
	iii	VAT/ Sales tax	44iii				

	iv	Cess	44iv											
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v											
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi											
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii											
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii											
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix											
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii +44iii +44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii +44ix)				44x								
	45	Audit fee				45								
	46	Other expenses (specify nature and amount)												
		i		i										
ii			ii											
iii		Total (i + ii)			46iii									
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)													
	(i1)											47i(1)		
	(i2)											47ii(2)		
	(i3)											47i(3)		
		(Rows can be added as required) Total [47i(1)+47i(2)+47i(3)]									47i			
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)									47ii			
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)									47iii			
iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii))									47iv				
48	Provision for bad and doubtful debts				48									
49	Other provisions				49									
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				50									
51	Interest													
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company							i					
	ii	To others							ii					
	iii	Total (i + ii)							51iii					
52	Depreciation and amortization				52									
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)				53									
PROVISIONS FOR TAX AND APPROPRIATIONS	54	Provision for current tax				54								
	55	Provision for Deferred Tax				55								
	56	Profit after tax (53 - 54 - 55)				56								
	57	Balance brought forward from previous year				57								
	58	Amount available for appropriation (56 + 57)				58								
	59	Appropriations												
		i	Transfer to reserves and surplus							59i				
		ii	Proposed dividend/ Interim dividend							59ii				
		iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years							59iii				
		iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)							59iv				
v		Any other appropriation							59v					
vi		Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)							59vi					
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)				60									
61	COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE													
	SR. NO.	Name of Business				Business code		Description						

			Registration No. of goods carriage	Whether owned/leased/ hired	Tonnage capacity of goods carriage (in MT)	Number of months for which goods carriage was owned/leased/hired by assessee	Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher	
		(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		(a)						
		(b)						
			Total					
		Add row options as necessary (Please Note : At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)						
		(ii)	Total presumptive income from goods carriage u/s 44AE [total of column (5) of table 61(i)]					61(ii)
		NOTE— If the profits are lower than prescribed under S.44AE or the number of goods carriage owned / leased / hired at any time during the year exceeds 10, then , it is mandatory to maintain books of accounts and have a tax audit under section 44AB						
NO ACCOU T CASE	62	In case of Foreign Company whose total income comprises solely of profits and gains from business referred to in sections 44B, 44BB, 44BBA or 44BBB, furnish the following information						
		a	Gross receipts / Turnover					62a
		b	Net profit					62b

**Part A-
Manufacturing
Account Ind-AS**

Manufacturing Account for the financial year 2019-20 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

	1	Debits to Manufacturing account				
	A	Opening Inventory				
		i	Opening stock of raw-material	i		
		ii	Opening stock of Work in progress	ii		
		iii	Total (i + ii)			Aiii
	B	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				B
	C	Direct wages				C
	D	Direct expenses				D
		i	Carriage inward	i		
		ii	Power and fuel	ii		
		iii	Other direct expenses	iii		
	E	Factory Overheads				
		I	Indirect wages			
		Ii	Factory rent and rates			
		Iii	Factory Insurance			
		Iv	Factory fuel and power			
		V	Factory general expenses			
		Vi	Depreciation of factory machinery			
		Vii	Total (i+ii+iii+iv+v+vi)			Evii
	F	Total of Debits to Manufacturing Account (Aiii+B+C+D+Evii)				1F
	2	Closing Stock				
		i	Raw material	2i		
		ii	Work-in-progress	2ii		
		Total (2i + 2ii)				2
	3	Cost of Goods Produced – transferred to Trading Account (1F - 2)				3

**Part A-Trading
Account Ind-AS**

Trading Account for the financial year 2019-20 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]

CREDITS TO TRADING ACCOUNT	4	Revenue from operations				
	A	Sales/ Gross receipts of business (net of returns and refunds and duty or tax, if any)				
		i	Sale of goods	i		
		ii	Sale of services	ii		
		iii	Other operating revenues (specify nature and amount)			

DEBITS TO TRADING ACCOUNT			a		iiia			
			b		iiib			
			c	Total (iiia + iiib)	iiic			
		iv	Total (i + ii + iiic)				Aiv	
		B	Gross receipts from Profession				B	
		C	Duties, taxes and cess received or receivable in respect of goods and services sold or supplied					
			i	Union Excise duties	i			
			ii	Service tax	ii			
			iii	VAT/ Sales tax	iii			
			iv	Central Goods & Service Tax (CGST)	iv			
			v	State Goods & Services Tax (SGST)	v			
			vi	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	vi			
			vii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	vii			
			viii	Any other duty, tax and cess	viii			
			ix	Total (i + ii + iii + iv +v+ vi+vii+viii)			Cix	
		D	Total Revenue from operations (Aiv + B +Cix)				4D	
		5	Closing Stock of Finished Goods				5	
		6	Total of credits to Trading Account (4D + 5)				6	
		7	Opening Stock of Finished Goods				7	
		8	Purchases (net of refunds and duty or tax, if any)				8	
		9	Direct Expenses (9i + 9ii + 9iii)				9	
			i	Carriage inward	i			
			ii	Power and fuel	ii			
			iii	Other direct expenses Note: Row can be added as per the nature of Direct Expenses	iii			
		10	Duties and taxes, paid or payable, in respect of goods and services purchased					
		i	Custom duty	10i				
		ii	Counter veiling duty	10ii				
		iii	Special additional duty	10iii				
		iv	Union excise duty	10iv				
		v	Service tax	10v				
		vi	VAT/ Sales tax	10vi				
		vii	Central Goods & Service Tax (CGST)	10vii				
		viii	State Goods & Services Tax (SGST)	10viii				
		ix	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	10ix				
		x	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	10x				
		xi	Any other tax, paid or payable	10xi				
		xii	Total (10i + 10ii + 10iii + 10iv + 10v + 10vi + 10vii + 10viii + 10ix + 10x + 10xi)			10xii		
	11	Cost of goods produced – Transferred from Manufacturing Account				11		
	12	Gross Profit from Business/Profession - transferred to Profit and Loss account (6-7-8-9-10xii-11)				12		
	12a	Turnover from Intraday Trading				12a		
	12b	Income from Intraday Trading				12b		

Part A-P&L Ind-AS		Profit and Loss Account for the financial year 2019-20 [applicable for a company whose financial statements are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015]			
CREDITS TO PROFIT AND LOSS ACCOUNT	13	Gross profit transferred from Trading Account			
	14	Other income			
	i	Rent	i		
	ii	Commission	ii		
	iii	Dividend income	iii		

	iv	Interest income	iv		
	v	Profit on sale of fixed assets	v		
	vi	Profit on sale of investment being securities chargeable to Securities Transaction Tax (STT)	vi		
	vii	Profit on sale of other investment	vii		
	viii	Gain (loss) on account of foreign exchange fluctuation u/s 43AA	viii		
	ix	Profit on conversion of inventory into capital asset u/s 28(via) (Fair Market Value of inventory as on the date of conversion)	ix		
	x	Agricultural income	x		
	xi	Any other income (specify nature and amount)			
	a		xia		
	b		xib		
	c	Total (xia + xib)	xic		
	xii	Total of other income (i + ii + iii + iv + v + vi + vii + viii + ix + x + xic)	14xii		
15	Total of credits to profit and loss account (13+14xii)				15
16	Freight outward				16
17	Consumption of stores and spare parts				17
18	Power and fuel				18
19	Rents				19
20	Repairs to building				20
21	Repairs to machinery				21
22	Compensation to employees				
	i	Salaries and wages	22i		
	ii	Bonus	22ii		
	iii	Reimbursement of medical expenses	22iii		
	iv	Leave encashment	22iv		
	v	Leave travel benefits	22v		
	vi	Contribution to approved superannuation fund	22vi		
	vii	Contribution to recognised provident fund	22vii		
	viii	Contribution to recognised gratuity fund	22viii		
	ix	Contribution to any other fund	22ix		
	x	Any other benefit to employees in respect of which an expenditure has been incurred	22x		
	xi	Total compensation to employees (total of 22i to 22x)	22xi		
	xii	Whether any compensation, included in 22xi, paid to non-residents	xiia	Yes / No	
		If Yes, amount paid to non-residents	xiib		
23	Insurance				
	i	Medical Insurance	23i		
	ii	Life Insurance	23ii		
	iii	Keyman's Insurance	23iii		
	iv	Other Insurance including factory, office, car, goods, etc.	23iv		
	v	Total expenditure on insurance (23i + 23ii + 23iii + 23iv)	23v		
24	Workmen and staff welfare expenses				24
25	Entertainment				25
26	Hospitality				26
27	Conference				27
28	Sales promotion including publicity (other than advertisement)				28
29	Advertisement				29
30	Commission				
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)	30iii		
31	Royalty				

	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			
32	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services				31iii
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		
	iii	Total (i + ii)			
33	Hotel, boarding and Lodging				32iii
34	Traveling expenses other than on foreign traveling				33
35	Foreign travelling expenses				34
36	Conveyance expenses				35
37	Telephone expenses				36
38	Guest House expenses				37
39	Club expenses				38
40	Festival celebration expenses				39
41	Scholarship				40
42	Gift				41
43	Donation				42
44	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)				43
	i	Union excise duty	44i		
	ii	Service tax	44ii		
	iii	VAT/ Sales tax	44iii		
	iv	Cess	44iv		
	v	Central Goods & Service Tax (CGST)	44v		
	vi	State Goods & Services Tax (SGST)	44vi		
	vii	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	44vii		
	viii	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	44viii		
	ix	Any other rate, tax, duty or cess incl STT and CTT	44ix		
	x	Total rates and taxes paid or payable (44i + 44ii + 44iii + 44iv + 44v + 44vi + 44vii + 44viii + 44ix)	44x		
45	Audit fee				44x
46	Other expenses (specify nature and amount)				45
	i		i		
	ii		ii		
	iii	Total (i + ii)			
47	Bad debts (specify PAN/Aadhaar No. of the person, if available, for whom Bad Debt for amount of Rs. 1 lakh or more is claimed and amount)				46iii
	(i1)		47(i1)		
	(i2)		47i(2)		
	(i3)		47i(3)		
		(Rows can be added as required) Total (47i1+47i2+47i3)	47i		
	ii	Others (more than Rs. 1 lakh) where PAN/Aadhaar No. is not available (provide name and complete address)	47ii		
	iii	Others (amounts less than Rs. 1 lakh)	47iii		
	iv	Total Bad Debt (47i + 47ii + 47iii)	47iv		
48	Provision for bad and doubtful debts				47iv
49	Other provisions				48
50	Profit before interest, depreciation and taxes [15 – (16 to 21 + 22xi + 23v + 24 to 29 + 30iii + 31iii + 32iii + 33 to 43 + 44x + 45 + 46iii + 47iv + 48 + 49)]				49
51	Interest				50
	i	Paid outside India, or paid in India to a non-resident other than a company or a foreign company	i		
	ii	To others	ii		

	iii	Total (i + ii)		51iii	
52	Depreciation and amortisation			52	
53	Net profit before taxes (50 – 51iii – 52)			53	
54	Provision for current tax			54	
55	Provision for Deferred Tax			55	
56	Profit after tax (53 - 54 - 55)			56	
57	Balance brought forward from previous year			57	
58	Amount available for appropriation (56 + 57)			58	
59	Appropriations				
	i	Transfer to reserves and surplus	59i		
	ii	Proposed dividend/ Interim dividend	59ii		
	iii	Tax on dividend/ Tax on dividend for earlier years	59iii		
	iv	Appropriation towards Corporate Social Responsibility (CSR) activities (in case of companies covered under section 135 of Companies Act, 2013)	59iv		
	v	Any other appropriation	59v		
	vi	Total (59i + 59ii + 59iii + 59iv+59v)	59vi		
60	Balance carried to balance sheet (58 - 59vi)			60	
61	A	Items that will not be reclassified to P&L			
	i	Changes in revaluation surplus	i		
	ii	Re-measurements of the defined benefit plans	ii		
	iii	Equity instruments through OCI	iii		
	iv	Fair value Changes relating to own credit risk of financial liabilities designated at FVTPL	iv		
	v	Share of Other comprehensive income in associates and joint ventures , to the extent not to be classified to P&L	v		
	vi	Others (Specify nature)	vi		
	vii	Income tax relating to items that will not be reclassified to P&L	vii		
	viii	Total		61A	
	B	Items that will be reclassified to P&L			
	i	Exchange differences in translating the financial statements of a foreign operation	i		
	ii	Debt instruments through OCI	ii		
	iii	The effective portion of gains and loss on hedging instruments in a cash flow hedge	iii		
	iv	Share of OCI in associates and joint ventures to the extent to be classified into P&L	iv		
	v	Others (Specify nature)	v		
	vi	Income tax relating to items that will be reclassified to P&L	vi		
	vii	Total		61B	
62	Total Comprehensive Income (56 + 61A + 61B)			62	

Part A- OI		Other Information (mandatory, if liable for audit under section 44AB, for other fill, if applicable)	
OTHER INFORMATION	1	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ mercantile ☐ cash	
	2	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ Yes ☐ No	
	3a	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11a(iii) of Schedule ICDS]	3a
	3b	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, as per Income Computation Disclosure Standards notified under section 145(2) [column 11b(iii) of Schedule ICDS]	3b
	4	Method of valuation of closing stock employed in the previous year (optional in case of professionals)	
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ Yes ☐ No	
	d	Increase in the profit or decrease in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4d
	e	Decrease in the profit or increase in loss because of deviation, if any, from the method of valuation specified under section 145A	4e
5	Amounts not credited to the profit and loss account, being -		
a	the items falling within the scope of section 28	5a	

	b	the proforma credits, drawbacks, refund of duty of customs or excise or service tax, or refund of sales tax or value added tax, or refund of GST, where such credits, drawbacks or refunds are admitted as due by the authorities concerned	5b		
	c	escalation claims accepted during the previous year	5c		
	d	any other item of income	5d		
	e	capital receipt, if any	5e		
	f	Total of amounts not credited to profit and loss account (5a+5b+5c+5d+5e)		5f	
6	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 due to non-fulfilment of condition specified in relevant clauses-				
	a	Premium paid for insurance against risk of damage or destruction of stocks or store [36(1)(i)]	6a		
	b	Premium paid for insurance on the health of employees [36(1)(ib)]	6b		
	c	Any sum paid to an employee as bonus or commission for services rendered, where such sum was otherwise payable to him as profits or dividend [36(1)(ii)]	6c		
	d	Any amount of interest paid in respect of borrowed capital [36(1)(iii)]	6d		
	e	Amount of discount on a zero-coupon bond [36(1)(iia)]	6e		
	f	Amount of contributions to a recognised provident fund [36(1)(iv)]	6f		
	g	Amount of contributions to an approved superannuation fund [36(1)(iv)]	6g		
	h	Amount of contribution to a pension scheme referred to in section 80CCD [36(1)(iva)]	6h		
	i	Amount of contributions to an approved gratuity fund [36(1)(v)]	6i		
	j	Amount of contributions to any other fund	6j		
	k	Any sum received from employees as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under ESI Act or any other fund for the welfare of employees to the extent not credited to the employees account on or before the due date [36(1)(va)]	6k		
	l	Amount of bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6l		
	m	Provision for bad and doubtful debts [36(1)(vii)]	6m		
	n	Amount transferred to any special reserve [36(1)(viii)]	6n		
	o	Expenditure for the purposes of promoting family planning amongst employees [36(1)(ix)]	6o		
	p	Amount of securities transaction paid in respect of transaction in securities if such income is not included in business income [36(1)(xv)]	6p		
	q	Marked to market loss or other expected loss as computed in accordance with the ICDS notified u/s 145(2) [36(1)(xviii)]	6q		
	r	Any other disallowance	6r		
	s	Total amount disallowable under section 36 (total of 6a to 6r)		6s	
	t	Total number of employees employed by the company (mandatory in case company has recognized Provident Fund)			
	i	deployed in India	i		
	ii	deployed outside India	ii		
	iii	Total	iii		
7	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37				
	a	Expenditure of capital nature [37(1)]	7a		
	b	Expenditure of personal nature [37(1)]	7b		
	c	Expenditure laid out or expended wholly and exclusively NOT for the purpose of business or profession [37(1)]	7c		
	d	Expenditure on advertisement in any souvenir, brochure, tract, pamphlet or the like, published by a political party [37(2B)]	7d		
	e	Expenditure by way of penalty or fine for violation of any law for the time being in force	7e		
	f	Any other penalty or fine	7f		
	g	Expenditure incurred for any purpose which is an offence or which is prohibited by law	7g		
	h	Expenditure incurred on corporate social responsibility (CSR)	7h		
	i	Amount of any liability of a contingent nature	7i		
	j	Any other amount not allowable under section 37	7j		
	k	Total amount disallowable under section 37 (total of 7a to 7j)		7k	
8	A.	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40			

		a	Amount disallowable under section 40 (a)(i), on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Aa		
		b	Amount disallowable under section 40(a)(ia) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ab		
		c	Amount disallowable under section 40(a)(ib) on account of non-compliance with the provisions of Chapter VIII of the Finance Act, 2016	Ac		
		d	Amount disallowable under section 40(a)(iii) on account of non-compliance with the provisions of Chapter XVII-B	Ad		
		e	Amount of tax or rate levied or assessed on the basis of profits [40(a)(ii)]	Ae		
		f	Amount paid as wealth tax [40(a)(iia)]	Af		
		g	Amount paid by way of royalty, license fee, service fee etc. as per section 40(a)(iib)	Ag		
		h	Amount of interest, salary, bonus, commission or remuneration paid to any partner or member inadmissible under section [40(b)/ 40(ba)]	Ah		
		i	Any other disallowance	Ai		
		j	Total amount disallowable under section 40(total of Aa to Ai)		Aj	
	B.	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year			8B	
	9	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A				
	a	Amounts paid to persons specified in section 40A(2)(b)		9a		
		Amount paid otherwise than by account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through such electronic mode as may be prescribed, disallowable under section 40A(3)		9b		
		Provision for payment of gratuity [40A(7)]		9c		
		any sum paid by the assessee as an employer for setting up or as contribution to any fund, trust, company, AOP, or BOI or society or any other institution [40A(9)]		9d		
		Any other disallowance		9e		
		Total amount disallowable under section 40A (Total of 9a to 9e)			9f	
	10	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law		10a		
		Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees		10b		
		Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered		10c		
		Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation		10d		
		Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank		10e		
		Any sum payable towards leave encashment		10f		
		Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets		10g		
		Total amount allowable under section 43B (total of 10a to 10g)			10h	
	11	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B				
	a	Any sum in the nature of tax, duty, cess or fee under any law		11a		
		Any sum payable by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employees		11b		
		Any sum payable to an employee as bonus or commission for services rendered		11c		
		Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any public financial institution or a State financial corporation or a State Industrial investment corporation		11d		
		any sum payable by the assessee as interest on any loan or borrowing from a deposit taking non-banking financial company or systemically important non-deposit taking non-banking financial company, in accordance with the terms and conditions of the agreement governing such loan or borrowing		11da		
		Any sum payable as interest on any loan or borrowing from any scheduled bank or a co-operative bank other than a primary agricultural credit society or a primary co-operative agricultural and rural development bank		11e		
		Any sum payable towards leave encashment		11f		
		Any sum payable to the Indian Railways for the use of railway assets		11g		

	h	Total amount disallowable under Section 43B (total of 11a to 11g)			11h	
12	Amount of credit outstanding in the accounts in respect of					
	a	Union Excise Duty	12a			
	b	Service tax	12b			
	c	VAT/sales tax	12c			
	d	Central Goods & Service Tax (CGST)	12d			
	e	State Goods & Services Tax (SGST)	12e			
	f	Integrated Goods & Services Tax (IGST)	12f			
	g	Union Territory Goods & Services Tax (UTGST)	12g			
	h	Any other tax	12h			
	i	Total amount outstanding (total of 12a to 12h)			12i	
13	Amounts deemed to be profits and gains under section 33AB or 33ABA or 33AC				13	
14	Any amount of profit chargeable to tax under section 41				14	
15	Amount of income or expenditure of prior period credited or debited to the profit and loss account (net)				15	
16	Amount of expenditure disallowed u/s 14A				16	
17	Whether assessee is exercising option under subsection 2A of section 92CE (Tick) ☒ No ☐ Yes ☐ [If yes, please fill schedule TPSA]				17	

Part A – QD		Quantitative details (mandatory, if liable for audit under section 44AB)				
QUANTITATIVE DETAILS	(a)	In the case of a trading concern				
	1	Opening stock			1	
	2	Purchase during the previous year			2	
	3	Sales during the previous year			3	
	4	Closing stock			4	
	5	Shortage/ excess, if any			5	
	(b)	In the case of a manufacturing concern				
	6	Raw materials				
		a	Opening stock		6a	
		b	Purchases during the previous year		6b	
		c	Consumption during the previous year		6c	
		d	Sales during the previous year		6d	
		e	Closing stock		6e	
		f	Yield finished products		6f	
		g	Percentage of yield		6g	
		h	Shortage/ excess, if any		6h	
	7	Finished products/ By-products				
		a	opening stock		7a	
		b	purchase during the previous year		7b	
		c	quantity manufactured during the previous year		7c	
	d	sales during the previous year		7d		
	e	closing stock		7e		
	f	shortage/ excess, if any		7f		

Part A – OL		Receipt and payment account of company under liquidation				
Receipt and payment account of company under liquidation	1	Opening balance				
		i	Cash in hand	1i		
		ii	Bank	1ii		
		iii	Total opening balance	1iii		
	2	Receipts				
		i	Interest	2i		
		ii	Dividend	2ii		

			iii	Sale of assets (pls. specify nature and amount)			
			a		2iiia		
			b		2iiib		
			c		2iiic		
			d	Total (iiia + iiib + iiic)	2iiid		
			iv	Realisation of dues/debtors	2iv		
			v	Others (pls. specify nature and amount)			
			a		2va		
			b		2vb		
			c	Total of other receipts (va + vb)	2vc		
			vi	Total receipts (2i + 2ii + 2iiid + 2iv + 2vc)	2vi		
		3	Total of opening balance and receipts				3
		4	Payments				
		i	Repayment of secured loan	4i			
		ii	Repayment of unsecured loan	4ii			
		iii	Repayment to creditors	4iii			
		iv	Commission	4iv			
		v	Others (pls. specify)				
		a		4va			
		b		4vb			
		c	Total of other payments (4va + 4vb)	4vc			
		vi	Total payments (4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4vc)	4vi			
		5	Closing balance				
		i	Cash in hand	5i			
		ii	Bank	5ii			
		iii	Total of closing balance (5i + 5ii)	5iii			
		6	Total of closing balance and payments (4vi + 5iii)				6

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)												
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1				Town/ City				State		PIN Code / Zip Code		
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)													
	Assessee's percentage of share in the property %													
	Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)				Percentage Share in Property					
	I													
	II													
	[Tick ☒ the applicable option]		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see Note)				PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)					
	☐ Let out		I											
	☐ Deemed let out		II											
	☐ Self occupied													
	a		Gross rent received or receivable or lettable value								1a			
	b		The amount of rent which cannot be realized				1b							
	c		Tax paid to local authorities				1c							
	d		Total (1b + 1c)				1d							
	e		Annual value (1a – 1d) (nil, if self -occupied etc. as per section 23(2) of the Act)								1e			
	f		Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)								1f			
	g		30% of 1f				1g							
	h		Interest payable on borrowed capital				1h							
	i		Total (1g + 1h)								1i			
	j		Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%								1j			
	k		Income from house property 1 (1f – 1i+1j)								1k			
	HOUSE PROPERTY	2	Address of property 2				Town/ City				State		PIN Code/Zip code	
		Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details)												
Assessee's percentage of share in the property														
Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)				Percentage Share in Property						
I														
II														
[Tick ☒ the applicable option]		Name(s) of Tenant (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) if TDS credit is claimed)						
☐ Let out		I												
☐ Deemed let out		II												
☐ Self occupied														
a		Gross rent received or receivable/ lettable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)								2a				
b		The amount of rent which cannot be realized				2b								
c		Tax paid to local authorities				2c								
d		Total (2b + 2c)				2d								
e		Annual value (2a – 2d)								2e				
f		Annual value of the property owned (own percentage share x 2e)								2f				
g		30% of 2f				2g								
h		Interest payable on borrowed capital				2h								
i		Total (2g + 2h)								2i				
j		Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%								2j				
k		Income from house property 2 (2e – 2h + 2j)								2k				
3		Pass through income/loss if any *								3				
4		Income under the head "Income from house property" (1k + 2k + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)								4				
NOTE		Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.												

Schedule BP		Computation of income from business or profession							
INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business							
	1	Profit before tax as per profit and loss account (item 53 61(ii) and 62(b) of Part A-P&L) / (item 53 of Part A-P&L – Ind AS) (as applicable)				1			
	2a	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)			2a				
	2b	Net profit or Loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)			2b				
	3	Income/ receipts credited to profit and loss account considered under other heads of income/chargeable u/s 115BBF/ chargeable u/s 115BBG	a	House property	3a				
			b	Capital gains	3b				
			c	Other sources	3c				
			d	u/s 115BBF	3d				
			e	u/s 115BBG	3e				
	4a	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44B/44BB/44BBA/44BBB/44AE/44D/44DA/ Chapter-XII-G/ First Schedule of Income-tax Act (other than 115B) (Dropdown to be provided)			4a				
	4b	Profit and gains from life insurance business referred to in section 115B			4b				
	4c	Profit from activities covered under rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (Dropdown to be provided)			4c				
5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt								
	a	Share of income from firm(s)	5a						
		Share of income from AOP/ BOI	5b						
		Any other exempt income (specify nature and amount)							
						i	ci		
						ii	cii		
						iii	Total (ci + cii)	5ciii	
		d	Total exempt income (5a + 5b + 5ciii)	5d					
6	Balance (1– 2a – 2b – 3a – 3b – 3c – 3d – 3e – 4– 5d)				6				
7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income/related to income chargeable u/s 115BBF or u/s 115BBG	a	House property	7a					
		b	Capital gains	7b					
		c	Other sources	7c					
		d	u/s 115BBF	7d					
		e	u/s 115BBG	7e					
8a	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income				8a				
8b	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income and disallowed u/s 14A (16 of Part A-OI)				8b				
9	Total (7a + 7b + 7c + 7d + 7e + 8)				9				
10	Adjusted profit or loss (6+9)				10				
11	Depreciation and amortization debited to profit and loss account				11				
	12	Depreciation allowable under Income-tax Act							
		i	Depreciation allowable under section 32(1)(ii) and 32(1)(iia) (item 6 of Schedule-DEP)	12i					
						ii	Depreciation allowable under section 32(1)(i) (Make your own computation refer Appendix-IA of IT Rules)	12ii	
	13	Profit or loss after adjustment for depreciation (10 +11 – 12iii)				13			
	14	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 36 (6s of Part A-OI)			14				
	15	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 37 (7k of Part A-OI)			15				
	16	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40 (8Aj of Part A-OI)			16				
	17	Amounts debited to the profit and loss account, to the extent disallowable under section 40A (9f of Part A-OI)			17				
	18	Any amount debited to profit and loss account of the previous year but disallowable under section 43B (11h of Part A-OI)			18				
	19	Interest disallowable under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006			19				
	20	Deemed income under section 41			20				
	21	Deemed income under section 32AC/ 32AD/ 33AB/ 33ABA/35ABA/ 35ABB/ 35AC/ 40A(3A)/ 33AC/ 72A/ 80HHD/ 80-IA			21				
	22	Deemed income under section 43CA			22				
	23	Any other item of addition under section 28 to 44DA			23				
	24	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)			24				

	25	Increase in profit or decrease in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3a + 4d of Part A- OI)		25		
	26	Total (14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21+22 +23+24+25)				26
	27	Deduction allowable under section 32(1)(iii)		27		
	28	Deduction allowable under section 32AD		28		
	29	Amount allowable as deduction under section 32AC		29		
	30	Amount of deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD in excess of the amount debited to profit and loss account (item x(4) of Schedule ESR) (if amount deductible under section 35 or 35CCC or 35CCD is lower than amount debited to P&L account, it will go to item 24)		30		
	31	Any amount disallowed under section 40 in any preceding previous year but allowable during the previous year(8B of Part A-OI)		31		
	32	Any amount disallowed under section 43B in any preceding previous year but allowable during the previous year (10h of Part A-OI)		32		
	33	Any other amount allowable as deduction		33		
	34	Decrease in profit or increase in loss on account of ICDS adjustments and deviation in method of valuation of stock (Column 3b + 4e of Part A- OI)		34		
	35	Total (27+28+29+30+31+32+33+34)				35
	36	Income (13+26-35)				36
	37	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i	Section 44AE (61(ii) of schedule P&L)	37i			
	ii	Section 44B	37ii			
	iii	Section 44BB	37iii			
	iv	Section 44BBA	37iv			
	v	Section 44BBB	37v			
	vi	Section 44D	37vi			
	vii	Section 44DA	37vii		(item 4 of Form 3CE)	
	viii	Chapter-XII-G (tonnage)	37viii		(total of col. 7 of item 10 of Form 66)	
	ix	First Schedule of Income-tax Act (other than 115B)	37ix			
	x	Total (37i to 37ix)				37x
	38	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (34+37x)				38
	39	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 8, if applicable (If rule 7A, 7B or 8 is not applicable, enter same figure as in 38) (If loss take the figure to 2i of item F) (39a+ 39b + 39c + 39d + 39e + 39f)				A39
	a	Income chargeable under Rule 7		39a		
	b	Deemed income chargeable under Rule 7A		39b		
	c	Deemed income chargeable under Rule 7B(1)		39c		
	d	Deemed income chargeable under Rule 7B(1A)		39d		
	e	Deemed income chargeable under Rule 8		39e		
	f	Income other than Rule 7A, 7B & 8 (Item No. 38)		39f		
	40	Balance of income deemed to be from agriculture, after applying Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and Rule 8 for the purpose of aggregation of income as per Finance Act [4c-(39a+39b+39c+39d+39e)]				40
	B	Computation of income from speculative business				
	41	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account				41
	42	Additions in accordance with section 28 to 44DA				42
	43	Deductions in accordance with section 28 to 44DA				43
	44	Income from speculative business) (41+42-43) (if loss, take the figure to 6xv of schedule CFL)				B44
	C	Computation of income from specified business under section 35AD				
	45	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account				45
	46	Additions in accordance with section 28 to 44DA				46
	47	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)				47
	48	Profit or loss from specified business) (45+46-47)				48
	49	Deductions in accordance with section 35AD(1)				49
	50	Income from Specified Business) (48-49)(if loss, take the figure to 7xv of schedule CFL)				C50
	51	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)				C51
	D	Income chargeable under the head 'Profits and gains from business or profession' (A39+B44+C50)				D
	E	Computation of Income from life insurance business referred to in section 115B				
	(i)	Net profit or loss from life insurance business referred to in section 115B				E(i)
	(ii)	Additions in accordance with section 30 to 43B				E(ii)

		(iii)	Deductions in accordance with section 30 to 43B	E(iii)	
		(iv)	Income from life insurance business under section 115B (i)+(ii)-(iv)	E(iv)	
F	Intra head set off of business loss of current year				
	Sl.	Type of Business income	Income of current year (Fill this column only if figure is zero or positive)	Business loss set off	Business income remaining after set off
			(1)	(2)	(3) = (1) – (2)
	i	Loss to be set off (Fill this row only if figure is negative)		(A39)	
	ii	Income from speculative business	(B44)		
	iii	Income from specified business	(C50)		
	iv	Income from Life Insurance business u/s. 115B	(Eiv)		
	v	Total loss set off (ii + iii)			
	vi	Loss remaining after set off (i – v)			

Schedule DPM		Depreciation on Plant and Machinery (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)				
DEPRECIATION ON PLANT AND MACHINERY	1	Block of assets	Plant and machinery			
	2	Rate (%)	15	30	40	45
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	3	Written down value on the first day of previous year				
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year				
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4				
	6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)				
	7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year				
	8	Consideration or other realizations during the year out of 7				
	9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7 – 8) (enter 0, if result is negative)				
	10	Depreciation on 6 at full rate				
	11	Depreciation on 9 at half rate				
	12	Additional depreciation, if any, on 4				
	13	Additional depreciation, if any, on 7				
	14	Additional depreciation relating to immediately preceding year on asset put to use for less than 180 days				
	15	Total depreciation (10+11+12+13+14)				
	16	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 15)				
	17	Net aggregate depreciation (15-16)				
	18	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 17)				
	19	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets				
	20	Capital gains/ loss under section 50 (5 + 8 -3 - 4 -7 -19) (enter negative only, if block ceases to exist)				
	21	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -15) (enter 0, if result is negative)				

Schedule DOA		Depreciation on other assets (Other than assets on which full capital expenditure is allowable as deduction)						
DEPRECIATION ON OTHER ASSETS	1	Block of assets	Land	Building (not including land)			Furniture and fittings	Intangible assets
	2	Rate (%)	Nil	5	10	40	10	25
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)
	3	Written down value on the first day of previous year						
	4	Additions for a period of 180 days or more in the previous year						
	5	Consideration or other realization during the previous year out of 3 or 4						

6	Amount on which depreciation at full rate to be allowed (3 + 4 -5) (enter 0, if result is negative)							
7	Additions for a period of less than 180 days in the previous year							
8	Consideration or other realizations during the year out of 7							
9	Amount on which depreciation at half rate to be allowed (7-8) (enter 0, if result is negative)							
10	Depreciation on 6 at full rate							
11	Depreciation on 9 at half rate							
12	Total depreciation (10+11)							
13	Depreciation disallowed under section 38(2) of the I.T. Act (out of column 12)							
14	Net aggregate depreciation (12-13)							
15	Proportionate aggregate depreciation allowable in the event of succession, amalgamation, demerger etc. (out of column 14)							
16	Expenditure incurred in connection with transfer of asset/ assets							
17	Capital gains/ loss under section 50* (5 + 8 -3-4 -7 -16) (enter negative only if block ceases to exist)							
18	Written down value on the last day of previous year* (6+ 9 -12) (enter 0 if result is negative)							

Schedule DEP		Summary of depreciation on assets (Other than on assets on which full capital expenditure is allowable as deduction under any other section)					
SUMMARY OF DEPRECIATION ON ASSETS	1	Plant and machinery					
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 17i or 18i as applicable)	1a				
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM - 17ii or 18ii as applicable)	1b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 17iii or 18iii as applicable)	1c				
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 17iv or 18iv as applicable)	1d				
	e	Total depreciation on plant and machinery (1a + 1b + 1c+1d)				1e	
	2	Building (not including land)					
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 14ii or 15ii as applicable)	2a				
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 14iii or 15iii as applicable)	2b				
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 14iv or 15iv as applicable)	2c				
	d	Total depreciation on building (2a+2b+2c)				2d	
	3	Furniture and fittings(Schedule DOA- 14v or 15v as applicable)				3	
	4	Intangible assets (Schedule DOA- 14vi or 15vi as applicable)				4	
	5	Ships (Schedule DOA- 14vii or 15vii as applicable)				5	
	6	Total depreciation (1e+2d+3+4+5)				6	

Schedule DCG		Deemed Capital Gains on sale of depreciable assets				
	1	Plant and machinery				
	a	Block entitled for depreciation @ 15 per cent (Schedule DPM - 20i)	1a			
	b	Block entitled for depreciation @ 30 per cent (Schedule DPM – 20ii)	1b			
	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1c			
	d	Block entitled for depreciation @ 45 per cent (Schedule DPM - 20iii)	1d			
	e	Total (1a +1b + 1c+1e)			1e	
	2	Building (not including land)				
	a	Block entitled for depreciation @ 5 per cent (Schedule DOA- 17ii)	2a			
	b	Block entitled for depreciation @ 10 per cent (Schedule DOA- 17iii)	2b			

	c	Block entitled for depreciation @ 40 per cent (Schedule DOA- 17iv)	2c		
	d	Total (2a + 2b + 2c)			2d
3		Furniture and fittings (Schedule DOA- 17v)			3
4		Intangible assets (Schedule DOA- 17vi)			4
5		Ships (Schedule DOA- 17vii)			5
6		Total (1e+2d+3+4+5)			6

Schedule ESR		Expenditure on scientific Research etc. (Deduction under section 35 or 35CCC or 35CCD)			
	SI No	Expenditure of the nature referred to in section (1)	Amount, if any, debited to profit and loss account (2)	Amount of deduction allowable (3)	Amount of deduction in excess of the amount debited to profit and loss account (4) = (3) - (2)
	i	35(1)(i)			
	ii	35(1)(ii)			
	iii	35(1)(ia)			
	iv	35(1)(iii)			
	v	35(1)(iv)			
	vi	35(2AA)			
	vii	35(2AB)			
	viii	35CCC			
	ix	35CCD			
	x	Total			
NOTE		In case any deduction is claimed under sections 35(1)(ii) or 35(1)(ia) or 35(1)(iii) or 35(2AA), please provide the details as per Schedule RA.			

Schedule CG		Capital Gains								
A		Short-term Capital Gains (STCG) <i>(Sub-items 4 & 5 are not applicable for residents)</i>								
Short-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of capital gain)								
	a	I	Full value of consideration received/receivable			ai				
		Ii	Value of property as per stamp valuation authority			aii				
		Iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]			aiii				
	b	Deductions under section 48								
		I	Cost of acquisition without indexation			bi				
		Ii	Cost of Improvement without indexation			bii				
		Iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii				
		Iv	Total (bi + bii + biii)			biv				
	c	Balance (aiii – biv)				1c				
	d	Deduction under section 54D/ 54G/54GA <i>(Specify details in item D below)</i>				1d				
	e	Short-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						A1e		
	F	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code		
		NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.							
	2	From slump sale								
		A	Full value of consideration			2a				
		B	Net worth of the under taking or division			2b				
		C	Short term capital gains from slump sale (2a-2b)						A2c	
	3	From sale of equity share or unit of equity oriented Mutual Fund (MF) or unit of a business trust on which STT is paid under section 111A or 115AD(1)(b)(ii) proviso (for FII)								
		a	Full value of consideration			3a				
		b	Deductions under section 48							
			I	Cost of acquisition without indexation			bi			
			Ii	Cost of Improvement without indexation			bii			
			Iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer			biii			
			Iv	Total (i + ii + iii)			biv			
		c	Balance (3a – biv)			3c				

	Sl.	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in that year	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)				
				Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account					
	i	2016-17	54D/54G/54GA							
	b	Amount deemed to be short term capital gains u/s 54D/54G/54GA, other than at 'a'								
	Amount deemed to be short term capital gains (Xi + b)							A7		
	8	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A8a + A8b + A8c)						A8		
	a	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%				A8a				
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 30%				A8b				
	c	Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates				A8c				
	9	Amount of STCG included in A1 – A8 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA								
	Sl. No.	Amount of income	Item No. A1 to A8 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	I									
	II									
a	Total amount of STCG not chargeable to tax in India as per DTAA						A9a			
b	Total amount of STCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA						A9b			
10	Total Short-term Capital Gain (A1e+ A2c+ A3e+ A4a+ A4b+ A5e+ A6g+A7 + A8-A9a)						A10			
B Long-term capital gain (LTCG) (Sub-items 6, 7& 8 are not applicable for residents)										
Long-term Capital Gains	1	From sale of land or building or both (fill up details separately for each property)(in case of co-ownership, enter your share of Capital Gain)								
	a	I	Full value of consideration received/receivable				ai			
		ii	Value of property as per stamp valuation authority				aii			
		iii	Full value of consideration adopted as per section 50C for the purpose of Capital Gains [in case (aii) does not exceed 1.05 times (ai), take this figure as (ai), or else take (aii)]				aiii			
	b	Deductions under section 48								
		I	Cost of acquisition with indexation				bi			
		ii	Cost of Improvement with indexation				bii			
		iii	Expenditure wholly and exclusively in connection with transfer				biii			
		iv	Total (bi + bii + biii)				biv			
	c	Balance (aiii – biv)				1c				
	d	Deduction under section 54D/54EC/54G/54GA (Specify details in item D below)				1d				
	e	Long-term Capital Gains on Immovable property (1c - 1d)						B1e		
	f	In case of transfer of immovable property, please furnish the following details (see note)								
		S.No.	Name of buyer(s)	PAN/Aadhaar No. of buyer(s)	Percentage share	Amount	Address of property	Pin code		
	NOTE	Furnishing of PAN/Aadhaar No. is mandatory, if the tax is deducted under section 194-IA or is quoted by buyer in the documents. In case of more than one buyer, please indicate the respective percentage share and amount.								
2	From slump sale									
a	Full value of consideration				2a					
b	Net worth of the under taking or division				2b					
c	Balance (2a – 2b)				2c					
d	Deduction u/s 54EC				2d					
e	Long term capital gains from slump sale (2c-2d)				B2e					
3	From sale of bonds or debenture (other than capital indexed bonds issued by Government)									
a	Full value of consideration				3a					

	d	Deduction under section 54D//54G/54GA (Specify details in item D below)					9d						
	e	Long-term Capital Gains on assets at B9 above (9c- 9d)									B9e		
10	Amount deemed to be long-term capital gains												
a	Whether any amount of unutilized capital gain on asset transferred during the previous year shown below was deposited in the Capital Gains Accounts Scheme within due date for that year? ☐ Yes ☐ No ☐ Not applicable. If yes, then provide the details below (In case , any amount is utilized out of capital gain account , please fill sl no "C" of schedule DI)												
S.no	Previous year in which asset transferred	Section under which deduction claimed in	New asset acquired/constructed		Amount not used for new asset or remained unutilized in Capital gains account (X)								
			Year in which asset acquired/constructed	Amount utilised out of Capital Gains account									
i	2016-17	54D//54G/54GA											
b	Amount deemed to be long-term capital gains, other than at 'a'												
	Amount deemed to be long-term capital gains (Xi + b)											B10	
11	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B11a1+11a2 + B11b)											B11	
a1	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% u/s 112A					B11a1							
a2	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10% under sections other than 112A					B11a2							
b	Pass Through Income/ Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%					B11b							
12	Amount of LTCG included in items B1 to B11 but not chargeable to tax or chargeable at special rates in India as per DTAA (to be taken to Schedule SI)												
	Sl. No.	Amount of income	Item No. B1 to B11 above in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
	I												
	II												
a	Total amount of LTCG not chargeable to tax in India as per DTAA											B12a	
b	Total amount of LTCG chargeable to tax at special rates in India as per DTAA											B12b	
13	Total long term capital gain] [B1e + B2e + B3c + B4c + B5 + B6 + B7c + B8+ B9e+ B10+B11-12a] (take B13 as nil, if loss)											B13	
C	Income chargeable under the head "CAPITAL GAINS" (A10 + B13)											C	
D	Information about deduction claimed against Capital Gains												
1	In case of deduction u/s 54D/54EC /54G/54GA give following details												
a	Deduction claimed u/s 54D												
i	Date of acquisition of original asset					ai	dd/mm/yyyy						
ii	Cost of purchase/ construction of new land or building for industrial undertaking					aii							
iii	Date of purchase of new land or building					aiii	dd/mm/yyyy						
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					aiv							
v	Amount of deduction claimed					av							
b	Deduction claimed u/s 54EC												
i	Date of transfer of original asset					bi	dd/mm/yyyy						
ii	Amount invested in specified/notified bonds					bii							
iii	Date of investment					biii	dd/mm/yyyy						
iv	Amount of deduction claimed					biv							
c	Deduction claimed u/s 54G												
i	Date of transfer of original asset					ci	dd/mm/yyyy						
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset					cii							
iii	Date of purchase/construction of new asset in an area other than urban area					ciii	dd/mm/yyyy						
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					civ							
v	Amount of deduction claimed					cv							
d	Deduction claimed u/s 54GA												
i	Date of transfer of original asset from urban area					di	dd/mm/yyyy						
ii	Cost and expenses incurred for purchase or construction of new asset					dii							
iii	Date of purchase/construction of new asset in SEZ					diii	dd/mm/yyyy						
iv	Amount deposited in Capital Gains Accounts Scheme before due date					div							

			v	Amount of deduction claimed				dv			
			e	Total deduction claimed (1a + 1b + 1c + 1d)				e			
E Set-off of current year capital losses with current year capital gains (excluding amounts included in A9a & B12a which is NOT chargeable under DTAA)											
Sl.	Type of Capital Gain	Gain of current year (Fill this column only if computed figure is positive)	Short term capital loss set off				Long term capital loss set off			Current year's capital gains remaining after set off (9=1-2-3-4-5-6-7-8)	
			15%	30%	applicable rate	DTAA rates	10%	20%	DTAA rates		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
i	Loss to be set off (Fill this row if figure computed is negative) →		(A3e*+ A4a*+ A8a*)	(A5e*+ A8b*)	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g* +A7*+A8c*)	A9b	(B4c*+ B5*+ B7c*+ B8*+ B9e* B11a1*+B11a2*)	(B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*)	B12b		
ii	Short term capital gain	15%	(A3e*+ A4a*+ A8a*)								
iii		30%	(A5e*+ A8b*)								
iv		applicable rate	(A1e*+ A2c*+A4b*+A6g* +A7*+A8c*)								
v		DTAA rates	A9b								
vi	Long term capital gain	10%	(B4c*+ B5*+ B7c*+ B8*+ B9e* B11a1*+B11a2*)								
vii		20%	(B1e*+ B2e*+B3c*+B6*+B9e*+ B10*+ B11b*)								
viii		DTAA rates	B12b								
ix	Total loss set off (ii + iii + iv + v + vi + vii + viii)										
x	Loss remaining after set off (i-ix)										
The figures of STCG in this table (A1e* etc.) are the amounts of STCG computed in respective column (A1-A8) as reduced by the amount of STCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.											
The figures of LTCG in this table (B1e* etc.) are the amounts of LTCG computed in respective column (B1-B11) as reduced by the amount of LTCG not chargeable to tax or chargeable at special rates as per DTAA, which is included therein, if any.											
F Information about accrual/receipt of capital gain											
	Type of Capital gain / Date	Upto 15/6 (i)		16/6 to 15/9 (ii)		16/9 to 15/12 (iii)		16/12 to 15/3 (iv)		16/3 to 31/3 (v)	
1	Short-term capital gains taxable at the rate of 15% Enter value from item 5v of schedule BFLA, if any.										
2	Short-term capital gains taxable at the rate of 30% Enter value from item 5vi of schedule BFLA, if any.										
3	Short-term capital gains taxable at applicable rates Enter value from item 5vii of schedule BFLA, if any.										
4	Short-term capital gains taxable at DTAA rates Enter value from item 5viii of schedule BFLA, if any.										
5	Long- term capital gains taxable at the rate of 10% Enter value from item 5ix of schedule BFLA, if any.										
6	Long- term capital gains taxable at the rate of 20% Enter value from item 5x of schedule BFLA, if any.										
7	Long- term capital gains taxable at the rate DTAA rates Enter value from item 5xi of schedule BFLA, if any.										

[illegible][illegible]

Schedule OS		Income from other sources				
OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1
	a	Dividends, Gross (not exempt u/s 10(34) & 10(35)			1a	
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv+bv)			1b	
	i	From Savings Bank	bi			
	ii	From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative) Society)	bii			
	iii	From Income-tax Refund	biii			
	iv	In the nature of Pass through income/Loss	biv			
	v	Others	bv			
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross			1c	
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + dii + diii + div + dv)			1d	
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration		di		
	ii	In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property		dii		
	iii	In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration		dihi		
	iv	In case any other property is received without consideration, fair market value of property		div		
	v	In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration		dv		
	1e	Any other income (please specify nature)				
	Sl. No	Nature			Amount	
	1			1		
	Add rows					
2	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e related to sl.no.1)				2	
a	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles etc.			2a		
b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)			2b		
i	Cash credits u/s 68		bi			
ii	Unexplained investments u/s 69		bii			
iii	Unexplained money etc. u/s 69A		biii			
iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B		biv			
v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C		bv			
vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D		bvi			
c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxix)			2c		
i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)		ci			
ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)		cii			
iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)		ciii			
iv	Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)		civ			
v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)		cv			
vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)		cvi			
vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)		cvii			
viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)(A) & 115(1)(b)(B)		cviii			
ix	Income by way of interest or dividends from bonds or GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC		cix			
x	Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)		cx			
xi	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)		cxii			
xii	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)		cxiii			
xiii	Tax on non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBA		cxiii			

			xiv	Anonymous Donations in certain cases chargeable u/s 115BBC	cxiv												
			xv	Income by way of dividend received by specified assessee, being resident, from domestic company exceeding rupees ten lakh chargeable u/s 115BBDA	cxv												
			xvi	Income by way of royalty from patent developed and registered in India - chargeable u/s 115BBF	cxvi												
			xvii	Income by way of transfer of carbon credits - chargeable u/s 115BBG	cxvii												
			xviii	Tax on dividend received by an Indian company from specified foreign company-115BBD	cxviii												
			xix	Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement entered between 29.2.1964 and 31.3.1976, and agreement is approved by the Central Government. Paragraph EII of Part I of first schedule of Finance Act	cxix												
		d	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)								2d						
		e	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)								2e						
			Sl. No.	Amount of income	Item No. 1a to 1 d 2a, 2c & 2d in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]					
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
			I														
			II														
		3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2d)														
			a	Expenses / Deductions					3a								
			b	Depreciation (available only if income offered in 1c)					3b								
			c	Total					3c								
		4	Amounts not deductible u/s 58								4						
		5	Profits chargeable to tax u/s 59								5						
		6	Net Income from other sources chargeable at normal applicable rates [1(after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5] (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)]								6						
		7	Income from other sources (other than from owning and maintaining race horses) (2 + 6)) (enter 6 as nil, if negative)								7						
		8	Income from the activity of owning race horses														
			a	Receipts				8a									
			b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only				8b									
			c	Amounts not deductible u/s 58				8c									
			d	Profits chargeable to tax u/s 59				8d									
			e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d) (if negative take the figure to 11xv of Schedule CFL)								8e					
		9	Income under the head "Income from other sources" (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)								9						
		10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources														
			S. No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3								
					(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)								
			1	Dividend Income u/s 115BBDA													
			2	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)													

Schedule CYLA		Details of Income after Set off of current year losses					
CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl.No	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses and amount chargeable to special rate of tax) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
	i	Loss to be set off (Fill this row only, if computed figure is negative) →		(4 of Schedule –HP)	(2vi of item F of Schedule BP)	(6 of Schedule-OS)	
	ii	House property	(4 of Schedule HP)				
	iii	Business (excluding Income from life insurance business u/s 115B speculation income and income from specified business)	(A39 of Schedule BP)				
	iv	Income from life insurance business u/s 115B	(3iv of item F of Sch. BP)				
	v	Speculation income	(3ii of item F of Sch. BP)				
	vi	Specified business income u/s 35AD	(3iii of item F of Sch. BP)				
	vii	Short-term capital gain taxable @ 15%	(9ii of item E of schedule CG)				
	viii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(9iii of item E of schedule CG)				
	ix	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(9iv of item E of schedule CG)				
	x	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(9v of item E of schedule CG)				
	xi	Long term capital gain taxable @ 10%	(9vi of item E of schedule CG)				
	xii	Long term capital gain taxable @ 20%	(9vii of item E of schedule CG)				
	xiii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(9viii of item E of schedule CG)				
	xiv	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(6 of schedule OS)				
	xv	Profit from the activity of owning and maintaining race horses	(8e of schedule OS)				
	xvi	Income from other sources taxable at special rates in India as per DTAA	(2e of schedule OS)				
	xvii	Total loss set off					
	xviii	Loss remaining after set-off (i – xvii)					

Schedule BFLA		Details of Income after Set off of Brought Forward Losses of earlier years					
BROUGHT FORWARD LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income after set off, if any, of current year's losses as per 5 of Schedule CYLA)	Brought forward loss set off	Brought forward depreciation set off	Brought forward allowance under section 35(4) set off	Current year's income remaining after set off
			1	2	3	4	5
	i	House property	(5ii of schedule CYLA)	(B/f house property loss)			
	ii	Business (excluding Income from Insurance Business , speculation income and income from specified business)	(5iii of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
	iii	Profit and gains from life insurance business u/s 115B	(5iv of schedule CYLA)	(B/f business loss, other than speculation or specified business loss)			
	iv	Speculation Income	(5v of schedule CYLA)	(B/f normal business or speculation loss)			
	v	Specified Business Income	(5vi of schedule CYLA)	(B/f normal business or specified business loss)			
	vi	Short-term capital gain taxable @ 15%	(5vii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	vii	Short-term capital gain taxable @ 30%	(5viii of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	viii	Short-term capital gain taxable at applicable rates	(5ix of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	ix	Short-term capital gain taxable at special rates in India as per DTAA	(5x of schedule CYLA)	(B/f short-term capital loss)			
	x	Long-term capital gain taxable @ 10%	(5xi of schedule CYLA)	(B/f short-term or long- term capital loss)			

xi	Long term capital gain taxable @ 20%	(5xii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xii	Long term capital gains taxable at special rates in India as per DTAA	(5xiii of schedule CYLA)	(B/f short-term or long-term capital loss)			
xiii	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates	(5xiv of schedule CYLA)				
xiv	Profit from owning and maintaining race horses	(5xv of schedule CYLA)	(B/f loss from horse races)			
xv	Income from other sources income taxable at special rates in India as per DTAA	(5xvi of schedule CYLA)				
xvi	Total of brought forward loss set off					
xvii	Current year's income remaining after set off	Total of 5i + 5ii + 5iii + 5iv+ 5v + 5vi + 5vii + 5viii + 5ix + 5x + 5xi +5xii+5xiii+ 5xiv + 5xv)				

Schedule CFL		Details of Losses to be carried forward to future years														
S. No.	Assessment Year	Date of Filing (DD/MM/YYYY)	House property loss	PTI house property loss	Total House property loss	Loss from business other than loss from speculative business and specified business	Loss from speculative business	Loss from specified businesses	Loss from life insurance business u/s 115B	Short-term capital loss			Long-term Capital loss			Loss from owning and maintaining race horses
										Normal	PTI	Total	Normal	PTI	Total	
1	2	3	4a	4b	4c	5	6	7	8	9a	9b	9c=9a+9b	10a	10b	10c	11
I	2010-11															
II	2011-12															
III	2012-13															
IV	2013-14															
V	2014-15															
VI	2015-16															
VII	2016-17															
VIII	2017-18															
IX	2018-19															
X	2019-20															
CARRY FORWARD OF LOSS	xi	Total of earlier year losses b/f														
	xii	Loss distributed among the unit holder (Applicable for Investment Fund only)														
	xiii	Balance available of Total of earlier year b/f (xi-xii)														
	xiv	Adjustment of above losses in Schedule BFLA			(2i of schedule BFLA)	(2ii of schedule BFLA)	(2iv of schedule BFLA)	(2v of schedule BFLA)	(2iii of schedule BFLA)							(2xii of schedule BFLA)
	xv	2020-21 (Current year losses to be carried forward)			(2xviii of schedule CYLA)	(3xviii of schedule CYLA)	(B44 of schedule BP, if -ve)	(C50 of schedule BP, if -ve)	E(iv) of schedule BP, (if -ve)		(2x+3x+4x+5x) of item E of schedule CG)		(6x+7x+8x) of item E of schedule CG		(8e of schedule OS, if -ve)	
	xvi	Total loss														

CARRY FORWARD OF LOSS

		Carried forward to future years											
	xvii	Current year loss distributed among the unit-holder (Applicable for Investment fund only)											

Schedule UD		Unabsorbed depreciation and allowance under section 35(4)					
Sl No	Assessment Year	Depreciation			Allowance under section 35(4)		
		Amount of brought forward unabsorbed depreciation	Amount of depreciation set-off against the current year income	Balance carried forward to the next year	Amount of brought forward unabsorbed allowance	Amount of allowance set-off against the current year income	Balance Carried forward to the next year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i	Current Assessment Year						
ii							
iii							
iv	Total		(3xvi of BFLA)			(4xvi of BFLA)	

Schedule ICDS		Effect of Income Computation Disclosure Standards on profit	
Sl. No.	ICDS	Amount (+) or (-)	
(i)	(ii)	(iii)	
I	Accounting Policies		
II	Valuation of Inventories (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
III	Construction Contracts		
IV	Revenue Recognition		
V	Tangible Fixed Assets		
VI	Changes in Foreign Exchange Rates		
VII	Government Grants		
VIII	Securities (other than the effect of change in method of valuation u/s 145A, if the same is separately reported at col. 4d or 4e of Part A-OI)		
IX	Borrowing Costs		
X	Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets		
11a.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if positive)		
11b.	Total effect of ICDS adjustments on profit (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) (if negative)		

Schedule 10AA		Deduction under section 10AA					
DEDUCTION U/S 10AA	Deductions in respect of units located in Special Economic Zone						
	Sl	Undertaking	Assessment year in which unit begins to manufacture/produce/provide services	Sl	Amount of deduction		
	a	Undertaking No.1		a	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 1)		
	b	Undertaking No.2		b	(item 17 of Annexure A of Form 56F for Undertaking 2)		
	c	Total deduction under section 10AA , please fill sl no "B" of schedule DI)					

Schedule 80G			Details of donations entitled for deduction under section 80G					
DETAILS OF DONATIONS	A	Donations entitled for 100% deduction without qualifying limit						
		Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		ii						
		iii						
		iv	Total					
	B	Donations entitled for 50% deduction without qualifying limit						
		Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		ii						
		iii						
		iv	Total					
	C	Donations entitled for 100% deduction subject to qualifying limit						
		Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		ii						
		iii						
		iv	Total					
	D	Donations entitled for 50% deduction subject to qualifying limit						
		Name and address of donee		PAN of Donee		Amount of donation		Eligible Amount of donation
		i			Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
		ii						
		iii						
		iv	Total					
	E	Total donations (Aiv + Biv + Civ + Div)						

Schedule 80GGA		Details of donations for scientific research or rural development						
S. No.	Relevant clause under which deduction is claimed (<i>drop down to be provided</i>)	Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation	
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation		
i								
ii								
	Total donation							

Schedule RA		Details of donations to research associations etc. [deduction under sections 35(1)(ii) or 35(1)(iia) or 35(1)(iii) or 35(2AA)]					
		Name and address of donee	PAN of Donee	Amount of donation			Eligible Amount of donation
				Donation in cash	Donation in other mode	Total Donation	
	i						
	ii						
	iii	Total					

Schedule 80-IA		Deductions under section 80-IA					
DEDUCTION U/S 80-IA	a	Deduction in respect of profits of an enterprise referred to in section 80-IA(4)(i) [Infrastructure facility]	a1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
			a2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	b	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(ii) [Telecommunication services]	b1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
			b2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	c	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(iii) [Industrial park and SEZs]	c1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
			c2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		
	d	Deduction in respect of profits of an undertaking referred	d1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)		

	to in section 80-IA(4)(iv) [Power]	d2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
e	Deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(v) [Revival of power generating plant] and deduction in respect of profits of an undertaking referred to in section 80-IA(4)(vi) [Cross-country natural gas distribution network]	e1	Undertaking no. 1	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		e2	Undertaking no. 2	(item 30 of Form 10CCB of the undertaking)	
f	Total deductions under section 80-IA (a1 + a2 + b1 + b2 + c1 + c2+ d1 + d2+ e1 + e2)				f

Schedule 80-IB		Deductions under section 80-IB			
a	Deduction in respect of industrial undertaking located in Jammu & Kashmir & Ladakh [Section 80-IB(4)]	a1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		a2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
b	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward states specified in Eighth Schedule [Section 80-IB(4)]	b1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		b2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
c	Deduction in respect of industrial undertaking located in industrially backward districts [Section 80-IB(5)]	c1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		c2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
d	Deduction in the case of multiplex theatre [Section 80-IB(7A)]	d1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)	
		d2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBA of the undertaking)	
e	Deduction in the case of convention centre [Section 80-IB(7B)]	e1	Undertaking no. 1	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)	
		e2	Undertaking no. 2	(10(v) of Form 10CCBB of the undertaking)	
f	Deduction in the case of company carrying on scientific research [Section 80-IB(8A)]	f1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		f2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
g	Deduction in the case of undertaking which begins commercial production or refining of mineral oil [Section 80-IB(9)]	g1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		g2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
h	Deduction in the case of an undertaking developing and building housing projects [Section 80-IB(10)]	h1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		h2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
i	Deduction in the case of an undertaking operating a cold chain facility [Section 80-IB(11)]	i1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		i2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
j	Deduction in the case of an undertaking engaged in processing, preservation and packaging of fruits, vegetables, meat, meat products, poultry, marine or dairy products [Section 80-IB(11A)]	j1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		j2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
k	Deduction in the case of an undertaking engaged in integrated business of handling, storage and transportation of food grains [Section 80-IB(11A)]	k1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
		k2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)	
l	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a rural hospital [Section 80-IB(11B)]	l1	Undertaking no. 1	(11(v) of Form 10CCBC)	
		l2	Undertaking no. 2	(11(v) of Form 10CCBC)	
m	Deduction in the case of an undertaking engaged in operating and maintaining a hospital in any area, other than excluded area [Section 80-IB(11C)]	m1	Undertaking no. 1	(11(d) of Form 10CCBD)	
		m2	Undertaking no. 2	(11(d) of Form 10CCBD)	
n	Total deduction under section 80-IB (Total of a1 to m2)				n

Schedule 80-IC or 80-IE		Deductions under section 80-IC or 80-IE			
DEDUCTION U/S 80-IC	a	Deduction in respect of undertaking located in Sikkim		a1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
				a2	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
	b	Deduction in respect of undertaking located in Himachal Pradesh		b1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
				b2	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
	c	Deduction in respect of undertaking located in Uttaranchal		c1	Undertaking no. 1 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
				c1	Undertaking no. 2 (30 of Form 10CCB of the undertaking)
	d	Deduction in respect of undertaking located in North-East			
	da	Assam	da1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			da2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	db	Arunachal Pradesh	db1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			db2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	dc	Manipur	dc1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			dc2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	dd	Mizoram	dd1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
			dd2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)
	de	Meghalaya	de1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)

	df	Nagaland	de2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
			df1	Undertaking no. 1	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
			df2	Undertaking no. 2	(30 of Form 10CCB of the undertaking)		
		dg	Tripura	dg1	Undertaking no. 1		(30 of Form 10CCB of the undertaking)
				dg2	Undertaking no. 2		(30 of Form 10CCB of the undertaking)
		dh	Total deduction for undertakings located in North-east (total of da1 to dg2)				dh
	e	Total deduction under section 80-IC or 80-IE (a + d + c + dh)				e	

Schedule VI-A		Deductions under Chapter VI-A				
TOTAL DEDUCTIONS	1	Part B- Deduction in respect of certain payments				
		Whether, you have made any investment/ deposit/ payments between 01.04.2020 to 30.06.2020 for the purpose of claiming any deduction under Part B of Chapter VIA? (If yes, please fill S. No "A" of schedule DI)			[Yes/ No]	
	a	80G		b	80GGB	
	c	80GGA		d	80GGC	
	Total Deduction under Part B (a + b + c +d)					1
	2	Part C- Deduction in respect of certain incomes				
	e	80-IA	(f of Schedule 80-IA)	f	80-IAB	
	g	80-IAC		h	80-IB	
	i	80-IBA		j	80-IC/ 80-IE	
	k	80JJA		l	80JJAA	
	m	80LA(1)	(9 of Annexure to Form 10CCF)	n	80LA(1A)	
	o	80-PA				
	Total Deduction under Part C (total of e to o)					2
	3	Total deductions under Chapter VI-A (1 + 2)				3

Schedule SI		Income chargeable to tax at special rates [Please see instructions] for section and rate of tax]				
SPECIAL RATE	SI No	Section/Description	☒	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A or section 115AD(1)(b)(ii)- Proviso (STCG on shares/equity oriented MF on which STT paid)	☐	15	(5v of schedule BFLA)	
	2	115AD (STCG for FIIs on securities where STT not paid)	☐	30	(part of 5vii of schedule BFLA)	
	3	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	4	112(1)(c)(iii) (LTCG for non-resident on unlisted securities)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	5	115AB (LTCG for non-resident on units referred in section 115AB)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	6	115AC (LTCG for non-resident on bonds/GDR)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	7	115AD (LTCG for FII on securities)	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
	8	112 (LTCG on others)	☐	20	(5xi of schedule BFLA)	
	9	112A (LTCG on sale of shares or units on which STT is paid) or section 115AD(1)(b)(iii)-Proviso	☐	10	(B5f and B8f of schedule CG)	
	10	STCG chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5ix of schedule BFLA)	
	11	LTCG Chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 5xii of schedule BFLA)	
	12	115B (Profits and gains of life insurance business)	☐	12.50	(part of E (iv) of schedule BP)	
	13	115AC (Income of a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency)	☐	10	(part of 1fii of schedule OS)	
	14	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30	(2a of schedule OS)	
	15	115BBB (Dividend received from specified foreign company)	☐	15	(part of 2dxix of schedule OS)	
	16	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60	(2b of schedule OS)	
	17	115A(1)(b)(A) & 115A(1)(b)(B) (Income of a foreign company from Royalty & Fees for Technical Services)	☐	10	(part of 2dviii of schedule OS)	
	18	115BBF (Tax on income from patent)				
	a	Income under head business or profession	☐	10	(3d of schedule BP)	
	b	Income under head other sources	☐	10	(2dxvi of schedule OS)	
	19	115BBG (Tax on income from transfer of carbon credits)				
	a	Income under head business or profession	☐	10	(8e of schedule BP)	

	b	Income under head other sources	☐	10	(2dxvii of schedule OS)	
20		Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 2f of schedule OS)	
21		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	☐	15	(part of 5vi of schedule BFLA)	
22		Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 30%	☐	30	(part of 5vii of schedule BFLA)	
23		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% u/s 112A	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
24		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20	(part of 5xi of schedule BFLA)	
25		Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10% other than section 112A	☐	10	(part of 5x of schedule BFLA)	
26		Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates (Drop down to be provided in e-filing utility)	☐		(2e of schedule OS)	
27		115BBDA (Dividend income from domestic company exceeding Rs.10lakh)	☐	10	(2dxv of schedule OS)	
28		Income received in respect of units purchased in foreign currency by an off-shore fund-115AB(1)	☐	10	(2dx of schedule OS)	
30		Income from royalty where agreement entered between 31.3.1961 to 31.3.1976 and income from fees for technical services where agreement	☐	50	(2dxix of schedule OS)	
				Total		

Schedule EI		Details of Exempt Income (Income not to be included in Total Income or not chargeable to tax)								
EXEMPT INCOME	1	Interest income						1		
	2	Dividend income						2		
	3	i	Gross Agricultural receipts (other than income to be excluded under rule 7A, 7B or 8 of I.T. Rules)				i			
		ii	Expenditure incurred on agriculture				ii			
		iii	Unabsorbed agricultural loss of previous eight assessment years				iii			
		iv	Agricultural income portion relating to Rule 7, 7A, 7B(1), 7B(1A) and 8 (from Sl. No. 40 of Sch. BP)				iv			
		v	Net Agricultural income for the year (i – ii – iii + iv) (enter nil if loss)						3	
		vi	In case the net agricultural income for the year exceeds Rs.5 lakh, please furnish the following details (Fill up details separately for each agricultural land)							
		a	Name of district along with pin code in which agricultural land is located							
		b	Measurement of agricultural land in Acre							
		c	Whether the agricultural land is owned or held on lease (drop down to be provided)							
		d	Whether the agricultural land is irrigated or rain-fed (drop down to be provided)							
	4	Other exempt income (please specify)						4		
	5	Income not chargeable to tax as per DTAA								
		Sl. No.	Amount of income	Nature of income	Country name & Code	Article of DTAA	Head of Income		Whether TRC obtained (Y/N)	
	6	Pass through income not chargeable to tax (Schedule PTI)						6		
7	Total (1+2+3+4+5+6)						7			

Schedule PTI		Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB								
PASS THROUGH INCOME	S.No	Invested in section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	S.No	Head of income	Current year income	Share of Current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(drop down to be provided)			i	House property				
					ii	Capital Gains				
					A	Short term				
					Ai	Section 111A				
					Aii	Others				
					B	Long term				
					Bi	Section 112A				
					Bii	Section other				

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule MAT		Computation of Minimum Alternate Tax payable under section 115JB			
Minimum Alternate Tax	1	Whether the Profit and Loss Account is prepared in accordance with the provisions of Parts II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (If yes, write ‘Y’, if no write ‘N’)			☐
	2	If 1 is no, whether profit and loss account is prepared in accordance with the provisions of the Act governing such company (If yes, write ‘Y’, if no write ‘N’)			☐
	3	Whether, for the Profit and Loss Account referred to in item 1 above, the same accounting policies, accounting standards and same method and rates for calculating depreciation have been followed as have been adopted for preparing accounts laid before the company at its annual general body meeting? (If yes, write ‘Y’, if no write ‘N’)			☐
	4	Profit after tax as shown in the Profit and Loss Account (enter item 56 of Part A-P&L) / (enter item 56 of Part A- P&L Ind AS) (as applicable)		4	
	5	Additions (if debited in profit and loss account)			
	a	Income-tax paid or payable or its provision including the amount of deferred tax and the provision thereof	5a		
	b	Reserve (except reserve under section 33AC)	5b		
	c	Provisions for unascertained liability	5c		
	d	Provisions for losses of subsidiary companies	5d		
	e	Dividend paid or proposed	5e		
	f	Expenditure related to exempt income under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	5f		
	g	Expenditure related to share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86	5g		
	h	Expenditure in case of foreign company referred to in clause (fb) of explanation 1 to section 115JB	5h		
	i	Notional loss on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (fc) of explanation 1 to section 115JB	5i		
	j	Expenditure relatable to income by way of royalty in respect of patent chargeable to tax u/s 115BBF	5j		
	k	Depreciation attributable to revaluation of assets	5k		
	l	Gain on transfer of units referred to in clause (k) of explanation 1 to section 115JB	5l		
	m	Others (including residual unadjusted items and provision for diminution in the value of any asset)	5m		
	n	Total additions (5a+5b+5c+5d+5e+5f+5g+5h+5i+5j+5k+5l+5m)		5n	
	6	Deductions			
a	Amount withdrawn from reserve or provisions if credited to Profit and Loss account	6a			
b	Income exempt under sections 10, 11 or 12 [exempt income excludes income exempt under section 10(38)]	6b			
c	Amount withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account to the extent it does not exceed the amount of depreciation attributable to revaluation of asset	6c			
d	Share in income of AOP/ BOI on which no income-tax is payable as per section 86 credited to Profit and Loss account	6d			
e	Income in case of foreign company referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB	6e			
	f	Notional gain on transfer of certain capital assets or units referred to in clause (iie) of explanation 1 to section 115JB	6f		

	g	Loss on transfer of units referred to in clause (iif) of explanation 1 to section 115JB	6g		
	h	Income by way of royalty referred to in clause (iig) of explanation 1 to section 115JB	6h		
	i	Loss brought forward or unabsorbed depreciation whichever is less or both as may be applicable	6i		
	j	Profit of sick industrial company till net worth is equal to or exceeds accumulated losses	6j		
	k	Others (including residual unadjusted items and the amount of deferred tax credited to P&L A/c)	6k		
	l	Total deductions (6a+6b+6c+6d+6e+6f+6g+6h+6i+6j+6k)	6l		
7	Book profit under section 115JB (4+ 5n – 6l)			7	
8	Whether the financial statements of the company are drawn up in compliance to the Indian Accounting Standards (Ind-AS) specified in Annexure to the companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. If yes, furnish the details below:-		☐ Yes ☐ No		
A. Additions to book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB					
a	Amounts credited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	8a			
b	Amounts debited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8b			
c	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8c			
d	Others (including residual adjustment)	8d			
e	Total additions (8a + 8b + 8c + 8d)	8e			
B. Deductions from book profit under sub-sections (2A) to (2C) of section 115JB					
f	Amounts debited to other comprehensive income in statement of profit & loss under the head "items that will not be reclassified to profit & loss"	8f			
g	Amounts credited to the statement of profit & loss on distribution of non-cash assets to shareholders in a demerger	8g			
h	One fifth of the transition amount as referred to in section 115JB (2C) (if applicable)	8h			
i	Others (including residual adjustment)	8i			
j	Total deductions (8f + 8g + 8h + 8i)	8j			
9	Deemed total income under section 115JB (7 + 8e – 8j)		9		
10	Tax payable under section 115JB			10	

Schedule MATC		Computation of tax credit under section 115JAA						
MAT CREDIT	1	Tax under section 115JB in assessment year 2020-21 (1d of Part-B-TTI)					1	
	2	Tax under other provisions of the Act in assessment year 2020-21 (2f of Part-B-TTI)					2	
	3	Amount of tax against which credit is available [enter (2 – 1) if 2 is greater than 1, otherwise enter 0]					3	
	4	Utilisation of MAT credit Available [Sum of MAT credit utilised during the current year is subject to maximum of amount mentioned in 3 above and cannot exceed the sum of MAT Credit Brought Forward]						
		S.No	Assessment Year (A)	MAT Credit			MAT Credit Utilised during the Current Year (C)	Balance MAT Credit Carried Forward (D) = (B3) – (C)
				Gross (B1)	Set-off in earlier years (B2)	Balance Brought forward (B3)=(B2)-(B1)		
	i	2008-09						
	ii	2009-10						
	iii	2010-11						
	iv	2011-12						
	v	2012-13						
	vi	2013-14						
	vii	2014-15						
	viii	2015-16						
	ix	2016-17						
x	2017-18							
xi	2018-19							
xii	2019-20							
xiii	2020-21 [(Sl no 1-Sl no 2 of)-(Sl No 6c -2f of Schedule Part B-TTI, only if positive)]							
xiv	Total							
5	Amount of tax credit under section 115JAA utilised during the year [enter 4(C)xiv]					5		

6	Amount of MAT liability available for credit in subsequent assessment years [enter 4(D)xiv]	6	

Schedule- DDT		Details of tax on distributed profits of domestic companies and its payment									
DIVIDEND DISTRIBUTION TAX	Sl	Description			Details of 1 st dividend		Details of 2 nd dividend		Details of 3 rd dividend		
	(i)	(ii)			(iii)		(iv)		(v)		
	1	Section Under which dividend is being declared									
	2	Date of declaration or distribution or payment, whichever is earliest, of dividend by domestic company			(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)		
	3	Rate of dividend, declared, distributed or paid									
	4	Amount of dividend declared, distributed or paid									
	5	Amount of reduction as per section 115-O(1A)									
	6	Tax payable on dividend declared, distributed or paid	a	Additional income-tax @15% or 30% as applicable payable under section 115-O on (4-5)							
			b	Surcharge on ‘a’							
			c	Health & Education cess on (a+b)							
			d	Total tax payable (a+b+c)							
	7	Interest payable under section 115P									
	8	Additional income-tax and interest payable (6d+7)									
	9	Tax and interest paid									
	10	Net payable/refundable (8-9)									
	11	Date(s) of deposit of dividend distribution tax			Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	
	12	Name of Bank and Branch									
13	BSR Code										
14	Serial number of challan										
15	Amount deposited										

Schedule- BBS		Details of tax on distributed income of a domestic company on buy back of shares									
TAX ON BUY BACK OF SHARES	Sl	Description			Details of 1 st buy-back		Details of 2 nd buy-back		Details of 3 rd buy-back		
	(i)	(ii)			(iii)		(iv)		(v)		
	1	Date of payments of any consideration to the shareholder on buy back of share			(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)		(DD/MM/YYYY)		
	2	Amount of consideration paid by the company on buy-back of shares									
	3	Amount received by the company for issue of such shares									
	4	Distributed Income of the company (2 – 3)									
	5	Tax payable on distributed income	a	Additional income-tax @20% payable under section 115QA on 4							
			b	Surcharge on ‘a’							
			c	Health & Education cess on (a+b)							
			d	Total tax payable (a+b+c)							
	6	Interest payable under section 115QB									
	7	Additional income-tax and interest payable (5d + 6)									
	8	Tax and interest paid									
	9	Net payable/refundable (7-8)									
	10	Date(s) of deposit of tax on distribution income			Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	
	11	Name of Bank and Branch									
12	BSR Code										
13	Serial number of challan										
14	Amount deposited										

Schedule-TPSA		Details of Tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)						
TAX ON SECONDARY ADJUSTMENTS AS PER SECTION 92CE(2A)	1	Amount of primary adjustment on which option u/s 92CE(2A) is exercised & such excess money has not been repatriated within the prescribed time						
	a	Additional Income tax payable @ 18% on above						
	2							
	b	Surcharge @ 12% on "a"						
	c	Health & Education cess on (a+b)						
	d	Total Additional tax payable (a+b+c)						
	3	Taxes paid						
	4	Net tax payable (2d-3)						
	5	Date(s) of deposit of tax on secondary adjustments as per section 92CE(2A)	Date 1 (DD/MM/YYYY)	Date 2 (DD/MM/YYYY)	Date 3 (DD/MM/YYYY)	Date 4 (DD/MM/YYYY)	Date 5 (DD/MM/YYYY)	Date 6 (DD/MM/YYYY)
	6	Name of Bank and Branch						
7	BSR Code							
8	Serial number of challan							
9	Amount deposited							

Schedule FSI			Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)								
INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A	
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
	1			i	House Property						
				ii	Business or Profession						
				iii	Capital Gains						
				iv	Other sources						
				Total							
	2			i	House Property						
				ii	Business or Profession						
				iii	Capital Gains						
				iv	Other sources						
				Total							
	NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.										

Schedule TR		Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)				
TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
		a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India	
NOTE ► Please refer to the instructions for filling out this schedule.						

Schedule FA			Details of Foreign Assets and Income from any source outside India										
DETAILS OF FOREIGN ASSETS	A1	Details of Foreign Depository Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period)											
	Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross interest paid/credited to the account during the period	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	(i)												
	(ii)												
A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
(i)													
(ii)													
A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
(i)													
(ii)													
A4	Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held		Address of financial institution		ZIP code	Date of contract		The cash value or surrender value of the contract		Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)		(8)		(9)	
(i)													
(ii)													
B	Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	2a	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)													
(ii)													
C	Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return				
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule		
(1)	2a	2b	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
(i)													
(ii)													
D	Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period												
Sl No	(2)	Nature of Asset		Ownership- Direct/	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in	Income derived from	Nature of Income	Income taxable and offered in this return				

	Name and code	Zip Code		Beneficial owner/ Beneficiary		rupees)	the asset		Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(i)											
(ii)											

E Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above.												
Sl No	Name of the Institution in which the account is held	Address of the Institution	Zip Code	Name of the account holder	Account Number	Peak Balance/ Investment during the year (in rupees)	Whether income accrued is taxable in your hands?	If (7) is yes, Income accrued in the account	If (7) is yes, Income offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												

F Details of trusts, created under the laws of a country outside India, in which you are a trustee, beneficiary or settlor												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the trust	Name and address of trustees	Name and address of Settlor	Name and address of Beneficiaries	Date since position held	Whether income derived is taxable in your hands?	If (8) is yes, Income derived from the trust	If (8) is yes, Income offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												

G Details of any other income derived from any source outside India which is not included in, (i) items A to F above and, (ii) income under the head business or profession												
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Name and address of the person from whom derived	Income derived	Nature of income	Whether taxable in your hands?	If (6) is yes, Income offered in this return					
							Amount	Schedule where offered	Item number of schedule			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule

SCHEDULE SH-1 **SHAREHOLDING OF UNLISTED COMPANY** (other than a company that is registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (or section 25 of the Companies Act, 1956) or a company limited by guarantee under section 3(2) of Companies Act, 2013 or a start-up for which Schedule SH-2 is to be filled up)

If you are an unlisted company, please furnish the following details:-

Details of shareholding at the end of the previous year

Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN /Aadhaar No.	Date of allotment	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received

Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year

Name of the applicant	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Date of application	Number of shares applied for	Application money received	Face value per share	Proposed issue price

Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year

Name of the shareholder	Residential status in India	Type of share	PAN/Aadhaar No.	Number of shares held	Face value per share	Issue Price per share	Amount received	Date of allotment	Date on which cease to be shareholder	Mode of cessation	In case of transfer/sale, PAN of the new shareholder

SCHEDULE SH-2 **SHAREHOLDING OF START-UPS**

If you are a start-up which has filed declaration in Form-2 under para 5 of DPIIT notification dated 19.02.2019, please furnish the following details of shareholding:-

Schedule AL-1		Assets and liabilities as at the end of the year (mandatorily required to be filled up by an unlisted company) (other than a start-up for which Schedule AL-2 is to be filled up)												
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A	Details of building or land appurtenant there to, or both, being a residential house												
	Sl. No.	Address			Pin code		Date of acquisition		Cost of acquisition Rs.			Purpose for which used (dropdown to be provided)		
	(1)	(2)			(3)		(4)		(5)			(6)		
	(i)													
	(ii)													
	B	Details of land or building or both not being in the nature of residential house												
	Sl. No.	Address			Pin code		Date of acquisition		Cost of acquisition Rs.			Purpose for which used (dropdown to be provided)		
	(1)	(2)			(3)		(4)		(5)			(6)		
	(i)													
	C	Details of listed equity shares												
		Opening balance			Shares acquired during the year			Shares transferred during the year			Closing balance			
		No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Type of shares	Sale consideration	No. of shares	Type of shares	Cost of acquisition	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	D	Details of unlisted equity shares												
		Name of company		PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance	
				No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition
E	Details of other securities													
	Type of securities	Whether listed or unlisted	Opening balance		Securities acquired during the year					Securities transferred during the year		Closing balance		
			No. of securities	Cost of acquisition	No. of securities	Date of subscription/ purchase	Face value per share	Issue price of security (in case of fresh issue)	Purchase price per security (in case of purchase from existing holder)	No. of securities	Sale consideration	No. of securities	Cost of acquisition	
F	Details of capital contribution to other entity													

	Name of entity	PAN	Opening balance	Amount contributed during the year	Amount withdrawn during the year	Amount of profit/loss/ dividend/ interest debited or credited during the year	Closing balance	
G	Details of Loans & Advances to any other concern (If money lending is not assessee's substantial business)							
	Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest debited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)
H	Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport							
	Particulars of asset	Registration number of vehicle	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)			
I	Details of Jewellery, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion							
	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose of use (dropdown to be provided)			
J	Details of liabilities							
	Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution							
	Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)

NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.

Schedule AL-2 Assets and liabilities as at the end of the year (applicable for start-ups only)

	If you are a start-up which has filed declaration in Form-2 under para 5 of DPIIT notification dated 19.02.2019, please furnish the following information for the period from the date of incorporation upto end of the year:-								
DETAILS OF ASSETS AND LIABILITIES	A	Details of building or land appurtenant there to, or both, being a residential house acquired since incorporation							
	Sl. No.	Address	Pin code	Date of acquisition	Cost of acquisition Rs.	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred on or before the end of the previous year, if Yes date of transfer		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	(i)								
	(ii)								
	B	Details of land or building or both not being a residential house acquired since incorporation							
	Sl. No.	Address	Pin code	Date of acquisition	Cost of acquisition Rs.	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred on or before the end of the previous year, if Yes date of transfer		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
	(i)								
	C	Details of Loans & Advances made since incorporation (If lending of money is not assessee's substantial business)							
		Name of person	PAN	Date on which loans and advances has been made	Amount of loans and advances	Amount	Whether loans and advances has been repaid, if Yes date of such repayment	Closing balance as at the end of the previous year, if any	Rate of interest, if any
	D	Details of capital contribution made to any other entity since incorporation							
		Name of entity	PAN	Date on which capital contribution has been made	Amount of contribution	Amount withdrawn, if any	Amount of profit/loss/ dividend/ interest debited or credited	Closing balance as at the end of the previous year, if any	
E	Details of acquisition of shares and securities								
	Name of company/entity	PAN	Type of shares/securities	Number of shares/securities acquired	Cost of acquisition	Date of acquisition	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any	

F	Details of motor vehicle, aircraft, yacht or other mode of transport, the actual cost of which exceeds ten lakh rupees acquired since incorporation								
	Particulars of asset	Registration number of vehicle	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer			
G	Details of Jewellery acquired since incorporation								
	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any		
H	Details of archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion acquired since incorporation								
	Particulars of asset	Quantity	Cost of acquisition	Date of acquisition	Purpose for which used (dropdown to be provided)	Whether transferred, if Yes date of transfer	Closing balance as at the end of the previous year, if any		
I	Details of liabilities								
	Details of loans, deposits and advances taken from a person other than financial institution								
	Name of the person	PAN	Opening Balance	Amount received	Amount paid	Interest credited, if any	Closing balance	Rate of interest (%)	
NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.									

Schedule DI	Details of Investment					
A) Investment/ Deposit/ Payments for the purpose of claiming deduction under Chapter VIA						
Section	Eligible amount of deduction during FY 2019-20 (As per Schedule VIA- Part B- Deductions in respect of certain payments)		Deduction attributable to investment/expenditure made between 01.04.2020 to 30.06.2020			
(1)	(2)		(3)			
80G						
80GG						
80GGA						
80GGB						
80GGC						
Total						
B) Eligible Amount of deduction u/s. 10AA						
Undertaking as per schedule 10AA	Amount of deduction as per schedule 10AA	Date of letter of approval issued in accordance with the provisions of the SEZ Act, 2005		Is this the first year of claiming deduction u/s 10AA AND whether conditions have been complied between 01.04.2020 to 30.06.2020 [Yes/ No]		
(1)	(2)	(3)		(4)		
Undertaking 1						
Undertaking 2						
Undertaking 3						
Total						
C) Payment/Acquisition/Purchase/Construction for the purpose of claiming deduction u/s 54 to 54GB						
Long Term Capital Gain						
Section	Amount utilised out of Capital Gains account (As per Sl. No B10a of Schedule CG)		Amount utilised between 01.04.2020 to 30.06.2020			
(1)	(2)		(3)			
54D						
54G						
54GA						

	Total		
	Short Term Capital Gain		
	Section	Amount utilised out of Capital Gains account (As per Sl. No A7a of Schedule CG)	Amount utilised between 01.04.2020 to 30.06.2020
	(1)	(2)	(3)
	54D		
	54G		
	54GA		
	Total		

Schedule GST INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST			
DETAILS OF GST	Sl. No.	GSTIN No(s).	Annual value of outward supplies as per the GST return(s) filed
	(1)	(2)	(3)
NOTE ► Please furnish the information above for each GSTIN No. separately			

Schedule FD Break-up of payments/receipts in Foreign currency (to be filled up by the assessee who is not liable to get accounts audited u/s 44AB)			
Foreign Currency Transaction	S. No.		Amount (in Rs.)
	i	Payments made during the year on capital account	
	ii	Payments made during the year on revenue account	
	iii	Receipts during the year on capital account	
	iv	Receipts during the year on revenue account	
NOTE ► Please refer to instructions for filling out this schedule.			

Part B

Part B – TI		Computation of total income			
TOTAL INCOME	1	Income from house property (4 of Schedule-HP) (enter nil if loss)		1	
	2	Profits and gains from business or profession			
		i	Profits and gains from business other than speculative business and specified business (A39 of Schedule BP) (enter nil if loss)	2i	
		ii	Profits and gains from speculative business (3(ii) of Table F of Schedule BP) (enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2ii	
		iii	Profits and gains from specified business (3(iii) of Table F Schedule BP)(enter nil if loss and take the figure to schedule CFL)	2iii	
		iv	Income chargeable to tax at special rates (3d and 3e & 3iv of Table F of Schedule BP)	2iv	
		v	Total (2i + 2ii+2iii + 2iv)	2v	
	3	Capital gains			
		a	Short term		
		I	Short-term chargeable @ 15% (9ii of item E of schedule CG)	ai	
		Ii	Short-term chargeable @ 30% (9iii of item E of schedule CG)	a ii	
		Iii	Short-term chargeable at applicable rate (9iv of item E of schedule CG)	a iii	
		Iv	Short-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9v of item E of Schedule CG)	a iv	
		V	Total Short-term (ai + a ii + a iii + a iv) (enter nil if loss)	3av	
		b	Long-term		
		I	Long-term chargeable @ 10% (9vi of item E of schedule CG)	bi	
		Ii	Long-term chargeable @ 20% (9vii of item E of schedule CG)	b ii	
		Iii	Long-term chargeable at special rates in India as per DTAA (9viii of item E of schedule CG)	b iii	
		Iv	Total Long-term (bi + b ii + b iii) (enter nil if loss)	b iv	
		c	Total capital gains (3av + 3biv) (enter nil if loss)		3c
4	Income from other sources				
	a	Net income from other sources chargeable to tax at normal applicable rates (6 of Schedule OS) (enter nil if loss)	4a		
	b	Income chargeable to tax at special rate (2 of Schedule OS)	4b		
	c	Income from the activity of owning and maintaining race horses (8e of Schedule OS) (enter nil if loss)	4c		
	d	Total (4a + 4b + 4c)		4d	
5	Total of head wise income (1 + 2v + 3c + 4d)		5		
6	Losses of current year to be set off against 5 (total of 2xvii, 3xvii and 4xvii of Schedule CYLA)		6		
7	Balance after set off current year losses (5 – 6) (Also total of (ii, iii,v to xv of column 5 of schedule CYLA+4b+2iv)		7		
8	Brought forward losses to be set off against 7 (total of 2xvi, 3xvi and 4xvi of Schedule BFLA)		8		
9	Gross Total income (7 – 8) (Also total of (i,ii,iv to xiv of column 5 of schedule BFLA+4b+2iv)		9		
10	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112, 112A etc. included in 9		10		
11	Deductions under Chapter VI-A				
	a	Part-B of Chapter VI-A [1 of Schedule VI-A and limited upto total of (i,ii,iv,v,viii,xiii,xiv) of column 5 of schedule BFLA]	11a		
	b	Part-C of Chapter VI-A [2 of Schedule VI-A and limited upto (ii) of Column 5 of Schedule BFLA)]	11b		
	c	Total (11a + 11b) [limited upto (9-10)]	11c		
12	Deduction u/s 10AA (Total Sch. 10AA)		12		
13	Total income (9 - 11c - 12)		13		
14	Income chargeable to tax at special rates (total of (i) of schedule SI)		14		
15	Income chargeable to tax at normal rates (13 - 14)		15		
16	Net agricultural income(3v of Schedule EI)		16		
17	Losses of current year to be carried forward (total of xv of Schedule CFL)		17		
18	Deemed total income under section 115JB (9 of Schedule MAT)		18		

Part B – TTI		Computation of tax liability on total income				
COMPUTATION OF TAX LIABILITY	1	a	Tax Payable on deemed total Income under section 115JB (10 of Schedule MAT)		1a	
		b	Surcharge on (a) above (if applicable)		1b	
		c	Health and Education Cess @ 4% on (1a+1b) above		1c	
		d	Total Tax Payable u/s 115JB (1a+1b+1c)		1d	
	2	Tax payable on total income				
		a	Tax at normal rates on 15 of Part B-TI	2a		
		b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	2b		
		c	Tax Payable on Total Income (2a + 2b)		2c	
		d	Surcharge			
		i	25% of 12(ii) of Schedule SI	2di		
		ii	On [(2c) – (12(ii) of Schedule SI)]	2dii		
		iii	Total (i + ii)		2diii	
		e	Health and Education Cess @ 4% on (2c+2diii)		2e	
		f	Gross tax liability (2c+2diii+2e)		2f	
	3	Gross tax payable (higher of 1d and 2f)				3
4	Credit under section 115JAA of tax paid in earlier years (if 2f is more than 1d) (5 of Schedule MATC)				4	
5	Tax payable after credit under section 115JAA [(3 - 4)]				5	
6	Tax relief					
	a	Section 90/90A(2 of Schedule TR)	6a			
	b	Section 91(3 of Schedule TR)	6b			
	c	Total (6a + 6b)		6c		
7	Net tax liability (5 – 6c) (enter zero if negative)				7	
8	Interest and fee payable					
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	8a			
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	8b			
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	8c			
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	8d			
	e	Total Interest and Fee Payable (8a+8b+8c+8d)		8e		
9	Aggregate liability (7 + 8e)				9	
TAXES PAID	10	Taxes Paid				
		a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	10a		
		b	TDS (total of column 9 of 15B)	10b		
		c	TCS (total of column 7 of 15C)	10c		
		d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)	10d		
		e	Total Taxes Paid (10a+10b+10c + 10d)		10e	
11	Amount payable (9 - 10e) (Enter if 9 is greater than 10e, else enter 0)				11	
12	Refund (If 10e is greater than 9) (Refund, if any, will be directly credited into the bank account)				12	
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)				
	(a)	Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)				
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account ☒)
		i				
		ii				
	Note: 1) Minimum one account should be selected for refund credit 2) In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return Row can be added as required					
(b)	Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:					

	S. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN
	Row can be added as required				
14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? <i>[applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]</i>				☐ Yes ☐ No

15 TAX PAYMENTS																	
A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax																	
ADVANCE/ SELF ASSESSMENT TAX	SI No	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Serial Number of Challan				Amount (Rs)			
	(1)	(2)				(3)				(4)				(5)			
	i																
	ii																
	iii																
NOTE ►		Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in SI No. 10a & 10d of Part B-TTI															
B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]																	
SI No	TDS credit relating to self /other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/Aadhaar No. of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deductor/ PAN/aa dhaar No. of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS deducted during the FY 2019-20)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)				Corresponding Receipt offered		TDS credit being carried forward			
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)			Gross Amount	Head of Income				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			(11)	(12)	(13)			
							Income TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar No.						
i																	
NOTE ► Please enter total of column 9 in 10b of Part B- TTI																	

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]									
TCS ON INCOME	SI No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current financial Year (TCS collected during the FY 2019-20)	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding Receipt is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward	
				Fin. Year in which collected	Amount b/f				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	i								
ii									
NOTE ► Please enter total of column (7) in 10c of Part B-TTI									

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules thereto is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Date				Sign here →	

FORM

ITR-7

INDIAN INCOME TAX RETURN

[For persons including companies required to furnish return under sections 139(4A) or 139(4B) or 139(4C) or 139(4D) only]
(Please see rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)
(Please refer instructions for guidance)

Assessment Year

2020 - 21

Part A-GEN

PERSONAL INFORMATION

Name (as mentioned in deed of creation/ establishing/ incorporation/ formation)				PAN			
Flat/Door/Block No		Name Of Premises/Building/Village			Date of formation/incorporation (DD/MM/YYYY) / /		
Road/Street/Post Office		Area/Locality			Status (see instructions)	☐	Sub Status (see instructions)
Town/City/District		State		Pin code/Zip code		☐	
Office Phone Number with STD code/Mobile No. 1				Mobile No. 2		Email Address 1	
Email Address 2							

Whether any project/institution is run by the assessee? (Yes/No) If Yes, then please furnish the details:

Details of the projects/institutions run by you

Sl.	Name of the project/institution (see instruction)	Nature of activity (see instruction)	Classification (see instructions)
1			
2			
3			
4			

Details of registration or approval under the Income-tax Act (Mandatory, if required to be registered)

Sl.	Section under which registered or approved	Date of registration or approval	Approval/ Notification/ Registration No.	Approving/ registering Authority	Whether Application for registration is made as per new provisions	Section under which the registration is applied	Date on which the application for registration/ap approval as per new provisions is made	Section of exemption opted for under the new provisions
1								
2								
3								
4								

Details of registration or approval under any law other than Income-tax Act

Sl.	Law under which registered	Date of registration or approval	Approval/ Notification/ Registration No.	Approving/ registering Authority
1				
2				
3				
4				

FILING STATUS

(a)	Return filed u/s (Tick) [Please see instruction] ☐ 139(1)-On or before due date, ☐ 139(4)-After due date, ☐ 139(5)-Revised Return, ☐ 92CD-Modified return, ☐ 119(2)(b)- after condonation of delay.																																																				
	Or filed in response to notice u/s ☐ 139(9), ☐ 142(1), ☐ 148, ☐ 153A ☐ 153C																																																				
(b)	Return furnished under section ☐ 139(4A) ☐ 139(4B) ☐ 139(4C) ☐ 139(4D) ☐ Others																																																				
	Please specify the section under which the exemption is claimed (<i>dropdown to be provided</i>)																																																				
(c)	If revised/ defective/Modified, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY) ____ / ____ / ____																																																				
(d)	If filed, in response to a notice u/s 139(9)/142(1)/148/153A/153C or order u/s 119(2)(b), enter unique number/ Document Identification Number (DIN) and date of such notice/order, or if filed u/s 92CD enter date of advance pricing agreement (unique number) _____ _____ / _____ / _____																																																				
(e)	Residential status? (Tick) ☐ Resident ☐ Non-resident																																																				
(f)	Whether any income included in total income for which claim under section 90/90A/91 has been made? ☐ Yes ☐ No [applicable in the case of resident] [if yes, ensure to fill Schedule FSI and Schedule TR]																																																				
(g)	Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information -																																																				
	(1) Name of the representative																																																				
	(2) Capacity of the Representative (<i>drop down to be provided</i>)																																																				
	(3) Address of the representative																																																				
	(4) Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the representative																																																				
(h)	Whether you are Partner in a firm? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information																																																				
	Name of Firm PAN																																																				
(i)	Whether you have held unlisted equity shares at any time during the previous year? (Tick) ☒ Yes ☐ No If yes, please furnish following information in respect of equity shares																																																				
	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Name of company</th><th rowspan="2">Type of the company</th><th rowspan="2">PAN</th><th colspan="2">Opening balance</th><th colspan="4">Shares acquired during the year</th><th colspan="2">Shares transferred during the year</th><th colspan="2">Closing balance</th></tr><tr><th>No. of shares</th><th>Cost of acquisition</th><th>No. of shares</th><th>Date of subscription / purchase</th><th>Face value per share</th><th>Issue price per share (in case of fresh issue)</th><th>Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)</th><th>No. of shares</th><th>Sale consideration</th><th>No. of shares</th><th>Cost of acquisition</th></tr><tr><th>1a</th><th>1b</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Name of company	Type of the company	PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance		No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares	Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition	1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
Name of company	Type of the company				PAN	Opening balance		Shares acquired during the year				Shares transferred during the year		Closing balance																																							
		No. of shares	Cost of acquisition	No. of shares		Date of subscription / purchase	Face value per share	Issue price per share (in case of fresh issue)	Purchase price per share (in case of purchase from existing shareholder)	No. of shares	Sale consideration	No. of shares	Cost of acquisition																																								
1a	1b	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13																																								
A i	Where, in any of the projects/institutions run by you, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then,-																																																				
	a	i	Whether there is any activity in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to section 2(15)?								☐ Yes ☐ No																																										
		ii	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts								%																																										
	b	i	Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to section 2(15)?								☐ Yes ☐ No																																										
		ii	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts								%																																										
	ii	If ‘a’ or ‘b’ is YES, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that institution																																																			
		Sl.	Name of the project/Institution						Amount of aggregate annual receipts from such activities																																												
		a																																																			
		b																																																			
B	i	Whether approval obtained u/s 80G?									☐ Yes ☐ No																																										
	ii	If yes, then enter Approval No.																																																			
	iii	Date of Approval (DD/MM/YYYY)									___/___/___																																										
C	i	Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration was granted?									☐ Yes ☐ No																																										
	ii	If yes, please furnish following information:-																																																			
		a	date of such change (DD/MM/YYYY)									___/___/___																																									
		b	Whether an application for fresh registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days as per Clause (ab) of sub-section (1) of section 12A									☐ Yes ☐ No																																									

OTHER DETAILS

	i	Whether approval obtained u/s 80G?									☐ Yes ☐ No		
	ii	If yes, then enter Approval No.											
	iii	Date of Approval (DD/MM/YYYY)									___/___/___		
C	i	Is there any change in the objects/activities during the Year on the basis of which approval/registration was granted?									☐ Yes ☐ No		
	ii	If yes, please furnish following information:-											
		a	date of such change (DD/MM/YYYY)									___/___/___	
		b	Whether an application for fresh registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days as per Clause (ab) of sub-section (1) of section 12A									☐ Yes ☐ No	

		c	Whether fresh registration has been granted under section 12AA	☐ Yes ☐ No
		d	date of such fresh registration (DD/MM/YYYY)	____/____/____
D	i	Whether registered under Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA)?		☐ Yes ☐ No
	ii	If yes, then enter Registration No.		
	iii	Date of Registration (DD/MM/YYYY)		____/____/____
	iv	a	Total amount of foreign contribution received during the year, if any	Rs. _____
		b	Specify the purpose for which the above contribution is received	
E	i	Whether a business trust registered with SEBI?		☐ Yes ☐ No
	ii	If yes, then enter Registration No.		
	iii	Date of Registration (DD/MM/YYYY)		____/____/____
F	Whether liable to tax at maximum marginal rate under section 164? (If disallowable u/s 13(1)(c) and/or 13(1)(d))?			☐ Yes ☐ No
G	Is this your first return?			☐ Yes ☐ No

AUDIT INFORMATION	H	Are you liable for audit under the Income-tax Act?(Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No, If yes, furnish following information-									
	Section under which you are liable for audit (specify section). Please mention date of audit report. (DD/MM/YY)										
	a	Name of the auditor signing the tax audit report									
	b	Membership No. of the auditor									
	c	Name of the auditor (proprietorship/ firm)									
	d	Permanent Account Number (PAN)/Aadhaar No. of the proprietorship/ firm									
	e	Date of audit report									
	f	Date of furnishing of the audit report ____/____/____ (DD/MM/YYYY).									
	I	If liable to audit under any Act other than the Income-tax Act, mention the Act, section and date of furnishing the audit report?									
	Act and section			(DD/MM/YY)		Act and section			(DD/MM/YY)		
MEMBER'S INFORMATION	J	Particulars of persons who were members in the AOP on 31 st day of March, 2020 (to be filled by venture capital fund/ investment fund)									
	S.No	Name and Address		Percentage of share (if determinate)	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if eligible for Aadhaar)		Status			
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)			

SCHEDULES TO THE RETURN FORM (FILL AS APPLICABLE)**Schedule I****Details of amounts accumulated / set apart within the meaning of section 11(2) or in terms of third proviso to section 10(23C)**

Year of accumulation (F.Yr.)	Amount accumulated in the year of accumulation	Purpose of accumulation	Amount applied for charitable/religious purposes upto the beginning of the previous year	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5)	Amounts applied for charitable or religious purpose during the previous year	Balance amount available for application (7) = (2) - (4) - (6)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2014-15							
2015-16							
2016-17							
2017-18							
2018-19							
2019-20							
Total							

Schedule J**Statement showing the funds and investments as on the last day of the previous year [to be filled if registered under section 12A/12AA or approved under section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/ 10(23C)(vi)/10(23C)(via)/10(21)]**

DETAILS OF INVESTMENT OF FUNDS

A	i	Balance in the corpus fund as on the last day of the previous year				Rs. _____	
	ii	Balance in the non-corpus fund as on the last day of the previous year				Rs. _____	
B	Details of investment/deposits made under section 11(5)						
Sl No	Mode of investment as per section 11(5)		Date of investment	Date of maturity	Amount of investment	Maturity amount	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	
i	Investment in Government Saving Scheme						
ii	Post Office Saving Bank						
iii	Deposit in Schedule Bank or co-operative societies as per section 11(5)(iii)						
iv	Investment in UTI						
v	Any Other						
vi	TOTAL						
C	Investment held at any time during the previous year (s) in concern (s) in which persons referred to in section 13(3) have a substantial interest						
Sl No	Name and address of the concern	Where the concern is a company (tick as applicable ☒)	Number of shares held	Class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the investment	Whether the amount in col (6) exceeds 5 percent of the capital of the concern during the previous year (tick as applicable ☒)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
i		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
ii		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
iii		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
iv		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
v		☐ Yes ☐ No					☐ Yes ☐ No
	TOTAL						

D Other investments as on the last day of the previous year					
Sl No	Name and address of the concern	Whether the concern is a company (tick as applicable ☒)	Class of shares held	Number of shares held	Nominal value of investment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i		☐ Yes ☐ No			
ii		☐ Yes ☐ No			
iii		☐ Yes ☐ No			
iv		☐ Yes ☐ No			
v	TOTAL				

E Voluntary contributions/donations received in kind but not converted into investments in the specified modes u/s 11(5) within the time provided					
Sl.No	Name and address of the donor	Value of contribution/donation	Value of contribution applied towards objective	Amount out of (3) invested in modes prescribed under section 11(5)	Balance to be treated as income under section 11(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
i					
ii					
iii					
iv	TOTAL				

Schedule K Statement of particulars regarding the Author(s) / Founder(s) / Trustee(s) / Manager(s), etc., of the Trust or Institution [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]

A Name(s) of author(s) / founder(s) / Settlor(s) and address(es), if alive			
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)
B Name(s) of the person(s) who was / were trustee(s) / manager(s) during the previous year(s)			
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)
C Name(s) of the person(s) who has / have made substantial contribution to the trust / institution in terms of section 13(3)(b)			
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)
D Name(s) of relative(s) of author(s), founder(s), trustee(s), manager(s), and substantial contributor(s) and where any such author, founder, trustee, manager or substantial contributor is a Hindu undivided family, also the names of the members of the family and their relatives			
Sl.	Name and address	PAN	Aadhaar Number/ Enrolment Id (if available)

Schedule LA		Political Party			
POLITICAL PARTY	1	Whether books of account were maintained? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No
	2	a	Whether any voluntary contribution from any person in excess of twenty thousand rupees was received during the year? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No
		b	If yes, whether record of each voluntary contribution (other than contributions by way of electoral bonds) in excess of twenty thousand rupees (including name and address of the person who has made such contribution) were maintained? (tick as applicable ☒)	☐ Yes	☐ No
	3	Whether the accounts have been audited? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No
		If yes, furnish the following information:-			
		a	Date of furnishing of the audit report (DD/MM/YYYY)	____/____/____	
		b	Name of the auditor signing the audit report		
		c	Membership No. of the auditor		
		d	Name of the auditor (proprietorship/ firm)		
		e	Proprietorship/firm registration No.		
		f	Permanent Account Number (PAN) /Aadhaar No. of the auditor (proprietorship/ firm)		
		g	Date of audit report		
4	Whether any donation exceeding two thousand rupees was received otherwise than by an account payee cheque or account payee bank draft or use of electronic clearing system through a bank account or through electoral bond? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No	
5	Whether the report under sub-section (3) of section 29C of the Representation of the People Act, 1951 for the financial year has been submitted? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No	
6	If yes, then date of submission of the report (DD/MM/YYYY)		____/____/____		

Schedule ET		Electoral Trust			
ELECTORAL TRUST	1	Whether books of account were maintained? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No
	2	Whether record of each voluntary contribution (including name, address and PAN of the person who has made such contribution along with the mode of contribution) were maintained? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No
	3	Whether record of each eligible political party to whom the distributable contributions have been distributed (including name, address, PAN and registration number of eligible political party) was maintained? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No
	4	Whether the accounts have been audited as per rule 17CA(12)? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No
		If yes, date of audit report in Form No.10BC (DD/MM/YYYY)		____/____/____	
	5	Whether the report as per rule 17CA(14) furnished to the Commissioner of Income-tax or Director of Income-tax? (tick as applicable ☒)		☐ Yes	☐ No
	6	Details of voluntary contributions received and amounts distributed during the year			
		i	Opening balance as on 1 st April	i	
		ii	Voluntary contribution received during the year	ii	
		iii	Total (i + ii)	iii	
		iv	Amount distributed to Political parties	iv	
		v	Amount spent on administrative and management functions of the Trust (Restricted to 5% of Sr.no. ii above OR 5 lakh for first year of incorporation and 3 lakh for subsequent years whichever is lesser)	v	
		vi	Total (iv + v)	vi	
		vii	Total amount eligible for exemption under section 13B (Sr.no. 6ii of schedule ET if Amount distributed in 6iv is 95% of 6iii) (As per rule 17CA)	vii	
	viii	Closing balance as on 31 st March (iii – vi)	viii		

Schedule VC		Voluntary Contributions [to be mandatorily filled in by all persons filing ITR-7]		
	A	Local		
		i	Corpus fund donation	Ai
		ii	Other than corpus fund donation	
		(a)	Grants Received from Government	Aiia
		(b)	Grants Received from Companies under Corporate Social Responsibility	Aiib
		(c)	Other specific grants	Aiic

		(d)	Other Donations	Aiid		
		(e)	Total	Aiie		
	iii	Voluntary contribution local (Ai + Aiie)			Aiii	
B	Foreign contribution					
	i	Corpus fund donation			Bi	
	ii	Other than corpus fund donation			Bii	
	iii	Foreign contribution (Bi + Bii)			Biii	
C	Total Contributions (Aiii + Biii)				C	
D	Anonymous donations, included in C, chargeable u/s 115BBC					
	i	Aggregate of such anonymous donations received			i	
	ii	5% of total donations received at C or 1,00,000 whichever is higher			ii	
	iii	Anonymous donations chargeable u/s 115BBC @ 30% (i – ii)			iii	

Schedule AI

Aggregate of income derived during the previous year excluding Voluntary contributions [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]

AGGREGATE OF INCOME	1	Receipts from main objects			1	
	2	Receipts from incidental objects			2	
	3	Rent			3	
	4	Commission			4	
	5	Dividend income			5	
	6	Interest income			6	
	7	Agriculture income			7	
	8	Net consideration on transfer of capital asset			8	
	9	Any other income (specify nature and amount)				
		Nature		Amount		
	a	Pass through income/Loss (Fill schedule PTI)		a		
	b			b		
	c			c		
	d			d		
	e	Total (9a+ 9b+ 9c +9d)		e	9e	
	10	Total			10	

Schedule ER

Revenue expenditure incurred during the year and amount applied to stated objects of the trust/institution during the previous year - Revenue Account [to be filled by assessee claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]

			Amount
A	Establishment and Administrative expenses		
	1	Rents	1
	2	Repairs and maintenance	2
	3	Compensation to employees	3
	4	Insurance	4
	5	Workmen and staff welfare expenses	5
	6	Entertainment and Hospitality	6
	7	Advertisement	7
	8	Professional / Consultancy fees / Fee for technical services	8
	9	Conveyance and Traveling expenses other than on foreign travel	9
	10	Remuneration to Trustee	10
	11	Rates and taxes, paid or payable to Government or any local body (excluding taxes on income)	11
	12	Interest	12
	13	Audit fee	13

	14	Depreciation and amortization cost of which is not already claimed as application in same or any other previous year			14		
	15	Other expenses (Specify nature and amount)					
			Nature				Amount
	a			a			
	b			b			
	c			c			
	d			d			
	e	Total (15a+ 15b+ 15c+ 15d)		e			
	16	Total (A1 to A15)			15		
	A16				A16		
B	Expenditure on objects of the trust/institution						
	1	Donation – Other than Corpus			1		
	2	Religious			2		
	3	Relief of poor			3		
	4	Educational			4		
	5	Yoga			5		
	6	Medical relief			6		
	7	Preservation of environment			7		
	8	Preservation of monuments etc.			8		
	9	General public utility			9		
	10	Total (B1 to B9)			B10		
C	Disallowable expenditure (C1 + C2 + C3 + C4)					C	
	1	Bad debts			1		
	2	Provisions			2		
	3	Donation forming part of Corpus fund			3		
	4	Any other disallowable expenditure			4		
D	Total Revenue expenditure incurred during the year (A16 + B10 + C)					D	
E	Source of fund to meet revenue expenditure					E	
	1	Income derived from the property/income earned during previous year			1		
	2	Income deemed as application in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of section 11(1) (applicable only when exemption is claimed u/s 11 and 12)			2		
	3	Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart			3		
	4	Borrowed Fund			4		
	5	Any other (Please specify)			5		
F	Total Amount applied during the previous year – Revenue Account [A16 + B10 - E2 - E3 - E4 - E5]					F	

Schedule EC		Amount applied to charitable or religious purposes in India or for the stated objects of the trust/institution during the previous year—Capital Account [excluding amount exempt u/s 11(1A)] [to be filled by assesses claiming exemption u/s 11 and 12 or u/s 10(23C)(iv) or 10(23C)(v) or 10(23C)(vi) or 10(23C)(via)]				
						Amount
1	Addition to Capital work in progress (for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed)					1
2	Acquisition of capital asset (not claimed as application of income and for which exemption u/s 11(1A) has not been claimed)					2
3	Cost of new asset for claim of Exemption u/s 11(1A) (restricted to the net consideration)					3
4	Other capital expenses					
	Sl. no.	Nature		Amount		
	i		4i			
	ii		4ii			
	iii		4iii			
	iv	Total expenses (4i + 4ii + 4iii)			4	
5	Total capital expenses (1 + 2 + 3 + 4)					5

A		Source of fund to meet capital expenditure		
	1	Income derived from the property during previous year	1	
	2	Income deemed as application in any preceding year under clause 2 of explanation 1 of section 11(1)	2	
	3	Income of earlier years upto 15% accumulated or set apart	3	
	4	Borrowed Fund	4	
	5	Any other (Please specify)	5	
B	Total Amount applied during the previous year – Capital Account [5 – A2 - A3 - A4 - A5]		B	

Schedule IE- 1

Income & Expenditure statement [Applicable for assessees claiming exemption under sections 10(21), 10(22B), 10(23AAA), 10(23B), 10(23D), 10(23DA), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(23FB), 10(29A), 10(46), 10(47) and other clauses of section 10 where income is unconditionally exempt]

	1	Total receipts including any voluntary contribution	1	
	2	Application of income towards object of the institution	2	
	3	Accumulation of income	3	

Schedule IE- 2

Income & Expenditure statement [Applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23A), 10(24)]

A	1	Total receipts including any voluntary contribution	1	
	2	Application of income towards object of the institution	2	
	3	Accumulation of income	3	
B	1	Do you have any income which is taxable? If Yes Please provide details of taxable income (Tick) ☒	☐ Yes ☐ No	
	a	Income from House Property (Please fill Schedule HP)	1a	
	b	Income from Business or Profession (Please fill Schedule BP)	1b	
	c	Income from Capital gains (Please fill Schedule CG)	1c	
	d	Income from other Sources (Please fill Schedule OS)	1d	

Schedule IE- 3

Income & Expenditure statement [applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiiab) or 10(23C)(iiiac)] (please fill up separate schedule for each institution):

1	Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical)	1	
2	Addresses where activity is carrying out	2	
3	Total receipts including any voluntary contribution	3	
4	Government Grants out of Sl. No. 3 above	4	
5	Amount applied for objective	5	
6	Balance accumulated	6	

Schedule IE- 4

Income & Expenditure statement [applicable for assessee claiming exemption under sections 10(23C)(iiid) or 10(23C)(iiiae)] (please fill up separate schedule for each institution):

1	Objective of the institution (drop down to be provided - Educational / Medical)	1	
2	Addresses where activity is carrying out	2	
3	Gross Annual receipts	3	
4	Amount applied for objective	4	
5	Balance accumulated	5	

Schedule HP		Details of Income from House Property (Please refer to instructions) (Drop down to be provided indicating ownership of property)															
HOUSE PROPERTY	1	Address of property 1				Town/ City				State				PIN Code/ Zip Code			
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Assessee's percentage of share in the property																
	Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s) (optional)				Percentage Share in Property								
	I																
	II																
	[Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Deemed let out				Name(s) of Tenant (if let out)				PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if available)				PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)				
	I																
	II																
	a Gross rent received or receivable or letable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)												1a				
	b The amount of rent which cannot be realized												1b				
	c Tax paid to local authorities												1c				
	d Total (1b + 1c)												1d				
	e Annual value (1a – 1d)												1e				
	f 30% of 1e												1f				
	g Interest payable on borrowed capital												1g				
	h Total (1f + 1g)												1h				
	i Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%												1i				
	j Income from house property 1 (1e – 1h + 1i)												1j				
	2	Address of property 2				Town/ City				State				PIN Code/ Zip Code			
	Is the property co-owned? ☐ Yes ☐ No (if "YES" please enter following details) Assessee's percentage of share in the property																
	Name of Co-owner(s)				PAN/Aadhaar No. of Co-owner(s) (optional)				Percentage Share in Property								
	I																
	II																
	[Tick ☒ the applicable option] ☐ Let out ☐ Deemed let out				Name(s) of Tenant (if let out)				PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				
I																	
II																	
a Gross rent received/ receivable/ letable value (higher of the two, if let out for whole of the year, lower of the two, if let out for part of the year)												2a					
b The amount of rent which cannot be realized												2b					
c Tax paid to local authorities												2c					
d Total (2b + 2c)												2d					
e Annual value (2a – 2d)												2e					
f 30% of 2e												2f					
g Interest payable on borrowed capital												2g					
h Total (2f + 2g)												2h					
i Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%												2i					
j Income from house property 2 (2e – 2h + 2i)												2j					
3	Pass through income/Loss if any *												3				
4	Income under the head "Income from house property" (1j + 2j + 3) (if negative take the figure to 2i of schedule CYLA)												4				
NOTE ▶ Furnishing of PAN/Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.																	

Schedule CG Capital Gains

CAPITAL GAINS	A Short-term capital gain			
	1 From assets (shares/units) where section 111A is applicable (STT paid)			
	a Full value of consideration		1a	
	b Deductions under section 48			
	i Cost of acquisition		bi	
	ii Cost of Improvement		bii	
	iii Expenditure on transfer		biii	
	iv Total (i + ii + iii)		biv	
	c Balance (1a – biv)		1c	
	d Loss, if any, to be ignored under section 94(7) or 94(8) (Enter positive value only)		1d	
	e Short-term capital gain (1c + 1d)			A1e
	2 From assets where section 111A is not applicable			
	a i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details			
	a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia	
	b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib	
	c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic	
	ii Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		aii	
	iii Total (ic + ii)		aiii	
	b Deductions under section 48			
	i Cost of acquisition		bi	
	ii Cost of Improvement		bii	
	iii Expenditure on transfer		biii	
	iv Total (i + ii + iii)		biv	
	c Balance (2aiii – biv)		2c	
	d Loss, if any, to be ignored under section 94(7) or 94(8) (Enter positive value only)		2d	
e Short-term capital gain (2c + 2d)			A2e	
3 Deemed short term capital gain on depreciable assets				
4 Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (A4a + A4b)				
a Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable @ 15%		A4a		
b Pass Through Income/Loss in the nature of Short Term Capital Gain, chargeable at applicable rates		A4b		
5 Total short term capital gain (A1e + A2e + A3 + A4)			A5	
B Long term capital gain				
1 From asset where proviso under section 112(1) is not applicable				
a i In case assets sold include shares of a company other than quoted shares, enter the following details				
a Full value of consideration received/receivable in respect of unquoted shares		ia		
b Fair market value of unquoted shares determined in the prescribed manner		ib		
c Full value of consideration in respect of unquoted shares adopted as per section 50CA for the purpose of Capital Gains (higher of a or b)		ic		
ii Full value of consideration in respect of assets other than unquoted shares		aii		
iii Total (ic + ii)		aiii		

		b Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition after indexation	bi			
		ii	Cost of improvement after indexation	bii			
		iii	Expenditure on transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv			
		c	Balance (1aⁱⁱⁱ – 1biv)	1c			
		d	Long-term capital gains where proviso under section 112(1) is not applicable (1c)			B1d	
2	From asset where proviso under section 112(1)/112A is applicable (without indexation)						
	a	Full value of consideration		2a			
		b Deductions under section 48					
		i	Cost of acquisition without indexation	bi			
		ii	Cost of improvement without indexation	bii			
		iii	Expenditure on transfer	biii			
		iv	Total (bi + bii +biii)	biv			
		c	Balance (2a – biv)	2c			
		d	Long-term capital gains where proviso under section 112(1)/112A is applicable (2c)			B2d	
3	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, (Fill up schedule PTI) (B3a + B3b)					B3	
	a	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 10%		B3a			
	b	Pass Through Income/Loss in the nature of Long Term Capital Gain, chargeable @ 20%		B3b			
4	Total long term capital gain (B1d + B2d + B3)					B4	
C	Income chargeable under the head “CAPITAL GAINS” (A5 + B4) (enter B4 as nil, if loss)					C	

Schedule OS **Income from other sources**

OTHER SOURCES	1	Gross income chargeable to tax at normal applicable rates (1a+ 1b+ 1c+ 1d + 1e)				1	
	a	Dividends, Gross		1a			
	b	Interest, Gross (bi + bii + biii + biv + bv)		1b			
	i	From Savings Bank	bi				
		From Deposits (Bank/ Post Office/ Co-operative Society)	bii				
		From Income-tax Refund	biii				
		In the nature of Pass through income/Loss	biv				
		Others	bv				
	c	Rental income from machinery, plants, buildings, etc., Gross		1c			
	d	Income of the nature referred to in section 56(2)(x) which is chargeable to tax (di + d ⁱⁱ + d ⁱⁱⁱ + div + dv)		1d			
	i	Aggregate value of sum of money received without consideration	di				
		In case immovable property is received without consideration, stamp duty value of property	dii				
		In case immovable property is received for inadequate consideration, stamp duty value of property in excess of such consideration	diii				
		In case any other property is received without consideration, fair market value of property	div				
		In case any other property is received for inadequate consideration, fair market value of property in excess of such consideration	dv				
	e	Any other income (please specify nature)		1e			
		Sl.no	Nature	Amount			
		Rows can be added as required					
	2	Income chargeable at special rates (2a+ 2b+ 2c+ 2d + 2e elements related to Sl. no 1)				2	
		a	Income from winnings from lotteries, crossword puzzles etc.		2a		
		b	Income chargeable u/s 115BBE (bi + bii + biii + biv+ bv + bvi)		2b		

3		i	Cash credits u/s 68					bi				
		ii	Unexplained investments u/s 69					bii				
		iii	Unexplained money etc. u/s 69A					biii				
		iv	Undisclosed investments etc. u/s 69B					biv				
		v	Unexplained expenditure etc. u/s 69C					bv				
		vi	Amount borrowed or repaid on hundi u/s 69D					bvi				
		c	Any other income chargeable at special rate (total of ci to cxiii)					2c				
		i	Dividends received by non-resident (not being company) or foreign company chargeable u/s 115A(1)(a)(i)					ci				
		ii	Interest received from Government or Indian concern on foreign currency debts chargeable u/s 115A(1)(a)(ii)					cii				
		iii	Interest received from Infrastructure Debt Fund chargeable u/s 115A(1)(a)(iia)					ciiii				
		iv	Interest referred to in section 194LC - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiaa)					civ				
		v	Interest referred to in section 194LD - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiab)					cv				
		vi	Distributed income being interest referred to in section 194LBA - chargeable u/s 115A(1)(a)(iiac)					cvi				
		vii	Income from units of UTI or other Mutual Funds specified in section 10(23D), purchased in Foreign Currency - chargeable u/s 115A(1)(a)(iii)					cvii				
		viii	Income from royalty or fees for technical services received from Government or Indian concern - chargeable u/s 115A(1)(b)					cviii				
		ix	Income by way of interest or dividends from bonds or GDRs purchased in foreign currency by non-residents - chargeable u/s 115AC					cix				
		x	Income (other than dividend) received by an FII in respect of securities (other than units referred to in section 115AB) - chargeable u/s 115AD(1)(i)					cx				
		xi	Income by way of interest received by an FII on bonds or Government securities referred to in section 194LD - chargeable as per proviso to section 115AD(1)(i)					cxii				
		xii	Tax on non-residents sportsmen or sports associations chargeable u/s 115BBDA					cxii				
		xiii	Income by way of dividend received by specified assessee, being resident, from domestic company exceeding rupees ten lakh chargeable u/s 115BBDA					cxiii				
		d	Pass through income in the nature of income from other sources chargeable at special rates (drop down to be provided)								2d	
		e	Amount included in 1 and 2 above, which is chargeable at special rates in India as per DTAA (total of column (2) of table below)								2e	
			Sl. No.	Amount of income	Item No.1a to 1d, 2a, 2c & 2d in which included	Country name & Code	Article of DTAA	Rate as per Treaty (enter NIL, if not chargeable)	Whether TRC obtained (Y/N)	Section of I.T. Act	Rate as per I.T. Act	Applicable rate [lower of (6) or (9)]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	I											
	II											
3	Deductions under section 57 (other than those relating to income chargeable at special rates under 2a, 2b & 2c)											
	a	Expenses / Deductions					3a					
	b	Depreciation (available only if income offered in 1c of "schedule OS")					3b					

	c	Total	3c				
4	Amounts not deductible u/s 58			4			
5	Profits chargeable to tax u/s 59			5			
6	Net income from other sources chargeable at normal applicable rates (1 (after reducing income related to DTAA portion) – 3 + 4 + 5) (If negative take the figure to 4i of schedule CYLA)			6			
7	Income from other sources (other than from owning race horses) (2 + 6) (enter 6 as nil, if negative)			7			
8	Income from the activity of owning and maintaining race horses						
	a	Receipts	8a				
	b	Deductions under section 57 in relation to receipts at 8a only	8b				
	c	Amounts not deductible u/s 58	8c				
	d	Profits chargeable to tax u/s 59	8d				
	e	Balance (8a - 8b + 8c + 8d)	8e				
9	Income under the head “Income from other sources” (7 + 8e) (take 8e as nil if negative)			9			
10	Information about accrual/receipt of income from Other Sources						
	S. No.	Other Source Income	Upto 15/6	From 16/6 to 15/9	From 16/9 to 15/12	From 16/12 to 15/3	From 16/3 to 31/3
			(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
	1	Dividend Income u/s 115BBDA					
	2	Income by way of winnings from lotteries, crossword puzzles, races, games, gambling, betting etc. referred to in section 2(24)(ix)					

Schedule OA General

	Do you have any income under the head business and profession? ☐ Yes ☐ No (if “yes” please enter following details)		
1	Nature of Business or profession (refer to the instructions)		1
2	Number of branches		2
3	Method of accounting employed in the previous year (Tick) ☒ ☐ mercantile ☐ cash		3
4	Is there any change in method of accounting (Tick) ☒ ☐ Yes		4
5	Effect on the profit because of deviation, if any, in the method of accounting employed in the previous year from accounting standards prescribed under section 145A		5
6	Method of valuation of closing stock employed in the previous year		6
	a	Raw Material (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐ 6a
	b	Finished goods (if at cost or market rates whichever is less write 1, if at cost write 2, if at market rate write 3)	☐ 6b
	c	Is there any change in stock valuation method (Tick) ☒ ☐ Yes ☐ No	6c
	d	Effect on the profit or loss because of deviation, if any, from the method of valuation prescribed under section 145A	6d

Schedule BP Computation of income from business or profession

INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION	A	From business or profession other than speculative business and specified business [including business income as referred to in section 11(4A)]		
	1	Profit before tax as per profit and loss account		1
	2	Net profit or loss from speculative business included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	2	
	3	Net profit or loss from Specified Business u/s 35AD included in 1 (enter –ve sign in case of loss)	3	
	4	Profit or loss included in 1, which is referred to in section 44AD/44AE	4	
	5	Income credited to Profit and Loss account (included in 1) which is exempt		
		a	share of income from firm(s)	5a

	b	Share of income from AOP/ BOI	5b			
	c	Any other exempt income	5c			
	d	Total exempt income	5d			
	6	Balance (1– 2 – 3 – 4– 5d)			6	
	7	Expenses debited to profit and loss account considered under other heads of income		7		
	8	Expenses debited to profit and loss account which relate to exempt income		8		
	9	Total (7 + 8)		9		
	10	Adjusted profit or loss (6+9)			10	
	11	Deemed income under section 33AB/33ABA/35ABB		11		
	12	Any other item or items of addition under section 28 to 44DA		12		
	13	Any other income not included in profit and loss account/any other expense not allowable (including income from salary, commission, bonus and interest from firms in which company is a partner)		13		
	14	Total (10 +11+12+13)			14	
	15	Deduction allowable under section 32(1)(iii)		15		
	16	Any other amount allowable as deduction			16	
	17	Total (15 +16)			17	
	18	Income (14 – 17)			18	
	19	Profits and gains of business or profession deemed to be under -				
	i	Section 44AD	19i			
	ii	Section 44ADA	19ii			
	iii	Section 44AE	19iii			
iv	Total (19i to 19iii)		19iv			
20	Net profit or loss from business or profession other than speculative and specified business (18 + 19iv)			20		
21	Net Profit or loss from business or profession other than speculative business and specified business after applying rule 7A, 7B or 7C, if applicable (If rule 7A, 7B or 7C is not applicable, enter same figure as in 20)			A21		
B	Computation of income from speculative business					
24	Net profit or loss from speculative business as per profit or loss account			24		
25	Additions in accordance with section 28 to 44DA			25		
26	Deductions in accordance with section 28 to 44DA			26		
27	Profit or loss from speculative business (24+25-26) (enter nil if loss)			B27		
C	Computation of income from specified business under section 35AD			C		
28	Net profit or loss from specified business as per profit or loss account			28		
29	Additions in accordance with section 28 to 44DA			29		
30	Deductions in accordance with section 28 to 44DA (other than deduction under section,- (i) 35AD, (ii) 32 or 35 on which deduction u/s 35AD is claimed)			30		
31	Profit or loss from specified business (28+29-30)			31		
32	Deductions in accordance with section 35AD(1)			32		
33	Profit or loss from specified business (31-32) (enter nil if loss)			C33		
	Relevant clause of sub-section (5) of section 35AD which covers the specified business (to be selected from drop down menu)					
D	Income chargeable under the head 'Profits and gains' (A21+B27+C33)			D34		
E	Computation of income chargeable to tax under section 11(4)					
35	Income as shown in the accounts of business under taking [refer section 11(4)]			E35		
36	Income chargeable to tax under section 11(4) [D34-E35]			E36		

Schedule CYLA Details of Income after set-off of current years losses

CURRENT YEAR LOSS ADJUSTMENT	Sl. No.	Head/ Source of Income	Income of current year (Fill this column only if income is zero or positive)	House property loss of the current year set off	Business Loss (other than speculation or specified business loss) of the current year set off	Other sources loss (other than loss from race horses) of the current year set off	Current year's Income remaining after set off
				Total loss (4 of Schedule -HP)	Total loss (A21 of Schedule-BP)	Total loss (6 of Schedule-OS)	
			1	2	3	4	5=1-2-3-4
		Loss to be adjusted ->					
	i	House property					
	ii	Business (excluding speculation income and income from specified business)					
	iii	Speculation income					
	iv	Specified business income					
	v	Short-term capital gain					
	vi	Long term capital gain					
	vii	Other sources (excluding profit from owning race horses and winnings from lottery)					
	viii	Profit from owning and maintaining race horses					
	ix	Total loss set-off					
	x	Loss remaining after set-off					

Schedule PTI Pass Through Income details from business trust or investment fund as per section 115UA, 115UB

PASS THROUGH INCOME	Sl.	Investment entity covered by section 115UA/115UB	Name of business trust/ investment fund	PAN of the business trust/ investment fund	Sl.	Head of income	Current year income	Share of current year loss distributed by Investment fund	Net Income/ Loss 9=7-8	TDS on such amount, if any
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.	(drop down to be provided)			i	House property				
					ii	Capital Gains				
					a	Short term				
					ai	Section 111A				
					aii	Others				
					b	Long term				
					bi	Section 112A				
					bii	Sections other than 112A				
					iii	Other Sources				
					a	Dividend (refer to in section 115-O)				
					b	Others				
					iv	Income claimed to be exempt				
					a	u/s 10(23FBB)				
					b	u/s				
					c	u/s				
	2.				i	House property				
					ii	Capital Gains				
					a	Short term				
					ai	Section 111A				
					aii	Others				
					b	Long term				
					bi	Section 112A				

					bii	Section other than 112A				
					iii	Other Sources				
					a	Dividend (refer to in section 115-O)				
					b	Others				
					iv	Income claimed to be exempt				
					a	u/s 10(23FBB)				
					b	u/s				
					c	u/s				

NOTE Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule SI Income chargeable to tax at special rates [Please see instruction]

SPECIAL RATE	SI No	Section	☐	Special rate (%)	Income (i)	Tax thereon (ii)
	1	111A (STCG on shares where STT paid)	☐	15		
	2	112 proviso (LTCG on listed securities/ units without indexation)	☐	10		
	3	112 (LTCG on others)	☐	20		
	4	112A(LTCG on equity shares/units of equity oriented fund/units of business trust on which STT is paid)	☐	10		
	5	115BB (Winnings from lotteries, puzzles, races, games etc.)	☐	30		
	6	115BBDA (Dividend Income from domestic company that exceeds Rs.10 Lakh)	☐	10		
	7	115BBE (Income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C or 69D)	☐	60		
	8	Any other income chargeable at special rate (Drop down to be provided)	☐		(part of 2c of schedule OS)	
	9	Income from other sources chargeable at special rates in India as per DTAA	☐		(part of 2e of schedule OS)	
	10	Pass Through Income in the nature of Short Term Capital Gain chargeable @ 15%	☐	15		
	11	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 10%	☐	10		
	12	Pass Through Income in the nature of Long Term Capital Gain chargeable @ 20%	☐	20		
	13	Pass through income in the nature of income from other source chargeable at special rates	☐		(2d of schedule OS)	
				Total		

Schedule 115TD Accreted income under section 115TD

1	Aggregate Fair Market Value (FMV) of total assets of trust/institution				1	
2	Less: Total liability of trust/institution				2	
3	Net value of assets (1 – 2)				3	
4	(i)	FMV of assets directly acquired out of income referred to in section 10(1)	4i			
	(ii)	FMV of assets acquired during the period from the date of creation or establishment to the effective date of registration u/s 12AA, if benefit u/s 11 and 12 not claimed during the said	4ii			
	(iii)	FMV of assets transferred in accordance with third proviso to section 115TD(2)	4iii			
	(iv)	Total (4i + 4ii + 4iii)			4iv	
5	Liability in respect of assets at 4 above				5	
6	Accreted income as per section 115TD [3 – (4iv – 5)]				6	
7	Additional income-tax payable u/s 115TD at maximum marginal rate				7	
8	Interest payable u/s 115TE				8	
9	Specified date u/s 115TD				9	
10	Additional income-tax and interest payable				10	
11	Tax and interest paid				11	

12	Net payable/refundable (10 - 11)			12			
13	Date(s) of deposit of tax on accreted income	Date 1 DD/MM/YYYY	Date 2 DD/MM/YYYY	Date 3 DD/MM/YYYY			
14	Name of Bank and Branch						
15	BSR Code						
16	Serial number of challan						
17	Amount deposited						

Schedule FSI Details of Income from outside India and tax relief (available only in case of resident)

INCOME FROM OUTSIDE INDIA AND TAX RELIEF	Sl.	Country Code	Taxpayer Identification Number	Sl.	Head of income	Income from outside India (included in PART B-TI)	Tax paid outside India	Tax payable on such income under normal provisions in India	Tax relief available in India (e)= (c) or (d) whichever is lower	Relevant article of DTAA if relief claimed u/s 90 or 90A
					(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	1			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
				iv	Other sources					
				Total						
	2			i	House Property					
				ii	Business or Profession					
				iii	Capital Gains					
iv				Other sources						
Total										

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule TR Summary of tax relief claimed for taxes paid outside India (available only in case of resident)

TAX RELIEF FOR TAX PAID OUTSIDE INDIA	1	Details of Tax relief claimed				
		Country Code	Taxpayer Identification Number	Total taxes paid outside India (total of (c) of Schedule FSI in respect of each country)	Total tax relief available (total of (e) of Schedule FSI in respect of each country)	Section under which relief claimed (specify 90, 90A or 91)
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Total				
	2	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is applicable (section 90/90A) (Part of total of 1(d))				2
	3	Total Tax relief available in respect of country where DTAA is not applicable (section 91) (Part of total of 1(d))				3
	4	Whether any tax paid outside India, on which tax relief was allowed in India, has been refunded/credited by the foreign tax authority during the year? If yes, provide the details below				4
	a	Amount of tax refunded	b	Assessment year in which tax relief allowed in India		

NOTE ▶ Please refer to the instructions for filling out this schedule.

Schedule FA Details of Foreign Assets and Income from any source outside India

[illegible]

(ii)												
A2	Details of Foreign Custodial Accounts held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution	Address of financial institution	ZIP code	Account number	Status	Account opening date	Peak balance during the period	Closing balance	Gross amount paid/credited to the account during the period (drop down to be provided specifying nature of amount viz. interest/dividend/proceeds from sale or redemption of financial assets/ other income)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
(i)												
(ii)												
A3	Details of Foreign Equity and Debt Interest held (including any beneficial interest) in any entity at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country name	Country code	Name of entity	Address of entity	ZIP code	Nature of entity	Date of acquiring the interest	Initial value of the investment	Peak value of investment during the period	Closing value	Total gross amount paid/credited with respect to the holding during the period	Total gross proceeds from sale or redemption of investment during the period
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i)												
(ii)												
A4	Details of Foreign Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country name	Country code	Name of financial institution in which insurance contract held		Address of financial institution	ZIP code	Date of contract	The cash value or surrender value of the contract		Total gross amount paid/credited with respect to the contract during the period		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		
(i)												
(ii)												
B	Details of Financial Interest in any Entity held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of entity	Name and Address of the Entity	Nature of Interest- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date since held	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income accrued from such Interest	Nature of Income	Income taxable and offered in this return		
										Amount	Schedule where offered	Item number of schedule
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
(i)												
(ii)												
C	Details of Immovable Property held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Address of the Property	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the property	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
D	Details of any other Capital Asset held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period											
Sl No	Country Name and code	Zip Code	Nature of Asset	Ownership- Direct/ Beneficial owner/ Beneficiary	Date of acquisition	Total Investment (at cost) (in rupees)	Income derived from the asset	Nature of Income	Income taxable and offered in this return			
									Amount	Schedule where offered	Item number of schedule	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(i)												
(ii)												
E	Details of account(s) in which you have signing authority held (including any beneficial interest) at any time during the relevant accounting period and which has not been included in A to D above.											
Sl No	Name of the	Address	Coun	Zip	Name of	Account	Peak Balance/	Whether	If (7) is yes,	If (7) is yes,	Income offered in this return	

NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule.

If you are an unlisted company, please furnish the following details:-

Details of shareholding at the end of the previous year

Details of equity share application money pending allotment at the end of the previous year

Details of shareholders who is not a shareholder at the end of the previous year but was a shareholder at any time during the previous year

[illegible]

Part-B

Part B – TI		STATEMENT OF INCOME FOR THE PERIOD ENDED ON 31 ST MARCH, 2020				
If registered under section 12A/12AA or approved under section 10(23C)(iv)/10(23C)(v)/10(23C)(vi)/10(23C)(via), fill out items 1 to 7 (as applicable)						
1	Voluntary Contributions other than Corpus fund [(Aii + Bii) of Schedule VC]				1	
2	Voluntary contribution forming part of corpus [(Ai + Bi) of schedule VC]				2	
3	Aggregate of income referred to in sections 11, 12 and sections 10(23C)(iv), 10(23C)(v), 10(23C)(vi) and 10(23C)(via) derived during the previous year excluding Voluntary contribution included in 1 and 2 above (10 of Schedule AI)				3	
4	Application of income for charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution:-					
	i	Amount applied during the previous year- Revenue Account [Excluding application from borrowed fund, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc, i.e. not from the income of prev. year] [Sr.no. F from Schedule ER]			4i	
	ii	Amount applied during the previous year- Capital Account [Excluding application from Borrowed Funds, deemed application, previous year accumulation upto 15% etc., i.e. not from income of the prev. year] [Sr.no. B of Schedule EC]			4ii	
	iii	Amount applied during the previous year- Revenue/ Capital Account (Repayment of Loan)			4iii	
	iv	Amount deemed to have been applied during the previous year as per clause (2) of Explanation to section 11(1)			4iv	
	A	If (iv) above applicable, whether option in Form No. 9A has been furnished to the Assessing Officer		4iva		
	B	If yes, date of furnishing Form No. 9A (DD/MM/YYYY)		4ivb		
	v	Amount accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or for the stated objects of the trust/institution to the extent it does not exceed 15 per cent of income derived from property held in trust/ institution under section 11(1)(a)/11(1)(b) or in terms of third proviso to section 10(23C) [restricted to the maximum of 15% of (1 + 3) above]			4v	
	vi	Amount in addition to amount referred to in (iv) above, accumulated or set apart for specified purposes if all the conditions in section 11(2) and 11(5) or third proviso to section 10(23C) are fulfilled (fill out schedule I)			4vi	
	vii	Amount eligible for exemption under section 11(1)(c)			4vii	
		A	Approval number given by the Board		4viii	
B		Date of approval by board		4viib		
viii		Total [4i + 4ii + 4iii + 4iv + 4v + 4vi + 4vii]			4viii	
5	Additions					
	i	Income chargeable under section 11(1B)			5i	
	ii	Income chargeable under section 11(3)			5ii	
	iii	Income in respect of which exemption under section 11 is not available				
	A	Being anonymous donation (Diii of schedule VC)		5iiia		
	B	Disallowable u/s 13(1)(c) or 13(1)(d) (including Part E of Schedule J)		5iiib		
	iv	Income chargeable under section 12(2)			5iv	
	v	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40(a)(ia) or 10(23C) r.w.s 40(a)(ia)			5v	
	vi	Amount disallowable under section 11(1) r.w.s 40A(3)/(3A) or 10(23C) r.w.s 40A(3)/(3A)			5vi	
vii	Total [5i + 5ii + 5iiia + 5iiib + 5iv + 5v + 5vi]			5vii		
6	Income chargeable u/s 11(4) [as per item No. E36 of Schedule BP]				6	
7	Total (1+2+3-4viii+5vii+6)				7	
8	Amount eligible for exemption under sections 10(21), 10(22B), 10(23A), 10(23AAA), 10(23B), 10(23EC), 10(23ED), 10(23EE), 10(29A)				8	
9	Amount eligible for exemption under section 10(23C)(iiiab), 10(23C)(iiiic), 10(23C)(iiid), 10(23C)(iiiae), 10(23D), 10(23DA), 10(23FB), 10(24), 10(46), 10(47)				9	
10	Amount eligible for exemption under any other clause of section 10 (other than those at 8 and 9)				10	
11	Income chargeable under section 11(3) read with section 10(21)				11	
12a	Income claimed/ exempt under section 13A in case of a Political Party				12a	
12b	Income claimed/ exempt under section 13B in case of an Electoral Trust (item No. 6vii of Schedule ET)				12b	
13	Income not forming part of item No. 7 to 12 above					

		i	Income from house property [4 of Schedule HP] (enter nil if loss)			13i	
		ii	Profits and gains of business or profession [as per item No. D 34 of schedule BP]			13ii	
		iii	Income under the head Capital Gains				
		A	Short term (A5 of schedule CG)	13iia			
		B	Long term (B4 of schedule CG) (enter nil if loss)	13iib			
		C	Total capital gains (13iia +13iib) (enter nil if loss)	13iic			
	iv	Income from other sources [as per item No. 9 of Schedule OS]				13iv	
	v	Total (13i + 13ii + 13iic + 13iv)				13v	
	14	Gross income [7+11+13v-12a]				14	
	15	Losses of current year to be set off against 13v (total of 2ix, 3ix and 4ix of Schedule CYLA)				15	
	16	Gross Total Income (14-15)				16	
	17	Income chargeable to tax at special rate under section 111A, 112 etc. included in 16				17	
	18	Total Income [16]				18	
	19	Income which is included in 18 and chargeable to tax at special rates (total of col. (i) of schedule SI)				19	
	20	Net Agricultural income for rate purpose				20	
	21	Aggregate Income (18-19+20) [applicable if (18-19) exceeds maximum amount not chargeable to tax]				21	
	22	Anonymous donations, included in 21, to be taxed under section 115BBC @ 30% (Diii of Schedule VC)				22	
	23	Income chargeable at maximum marginal rates				23	

Part B - TTI Computation of tax liability on total income

TAXES PAID	1	Tax payable on total income					
	a	Tax at normal rates on [21-22-23] of Part B-TI]	1a				
	b	Tax at special rates (total of col. (ii) of Schedule-SI)	1b				
	c	Tax on anonymous donation u/s 115BBC @30% on 22 of Part B-TI	1c				
	d	Tax at maximum marginal rate on 23 of Part B-TI	1d				
	e	Rebate on agricultural income [applicable if (18-19) of Part B-TI exceeds maximum amount not chargeable to tax]	1e				
	f	Tax Payable on Total Income (1a+ 1b+1c+ 1d- 1e)				1f	
	2	Surcharge					
	i	25% of 7(ii) of Schedule SI	2i				
	ii	On [1f – (7(ii) of Schedule SI)]	2ii				
	iii	Total (i + ii)				2iii	
	3	Health and Education cess @ 4% on (1f+ 2iii)				3	
	4	Gross tax liability (1f+ 2iii + 3)				4	
	5	Tax relief					
	a	Section 90/90A (2 of Schedule TR)	5a				
	b	Section 91 (3 of Schedule TR)	5b				
	c	Total (5a + 5b)				5c	
	6	Net tax liability (4 – 5c)				6	
	7	Interest and fee payable					
	a	Interest for default in furnishing the return (section 234A)	7a				
	b	Interest for default in payment of advance tax (section 234B)	7b				
	c	Interest for deferment of advance tax (section 234C)	7c				
	d	Fee for default in furnishing return of income (section 234F)	7d				
	e	Total Interest and Fee Payable (7a+ 7b+ 7c+ 7d)				7e	
	8	Aggregate liability (6 + 7e)				8	
	9	Taxes Paid					
	a	Advance Tax (from column 5 of 15A)	9a				
	b	TDS (total of column 9 of 15B)	9b				

	c	TCS (total of column 7 of 15C)				9c		
	d	Self-Assessment Tax (from column 5 of 15A)				9d		
	e	Total Taxes Paid (9a+ 9b+ 9c+ 9d)						
	10	Amount payable (Enter if 8 is greater than 9e, else enter 0)						10
	11	Refund (If 9e is greater than 8) (refund, if any, will be directly credited into the bank account)						11
12	Net tax payable on 115TD income including interest u/s 115TE (Sr.no. 12 of Schedule 115TD)						12	
BANK ACCOUNT	13	Do you have a bank account in India (Non- Residents claiming refund with no bank account in India may select No)						Select Yes or No
	a) Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)							
		Sl.	IFS Code of the Bank in case of Bank Accounts held in India	Name of the Bank	Account Number	Indicate the account used for digital receipts/ payments (tick account(s) ☒)	Indicate the account in which you prefer to get your refund credited, if any (tick one account for refund ☒)	
		i						
		ii						
	Note: 1) Minimum one account should be selected for refund credit 2) In case of refund, multiple accounts are selected for refund credit, then refund will be credited to one of the account decided by CPC after processing the return							
	Rows can be added as required							
	b) Non- residents, who are claiming income-tax refund and not having bank account in India may, at their option, furnish the details of one foreign bank account:							
		Sl. No.	SWIFT Code	Name of the Bank	Country of Location	IBAN		
14	Do you at any time during the previous year,- (i) hold, as beneficial owner, beneficiary or otherwise, any asset (including financial interest in any entity) located outside India; or (ii) have signing authority in any account located outside India; or (iii) have income from any source outside India? [applicable only in case of a resident] [Ensure Schedule FA is filled up if the answer is Yes]						☐ Yes ☐ No	

15 TAX PAYMENTS

A Details of payments of Advance Tax and Self-Assessment Tax

Sl No	BSR Code	Date of Deposit (DD/MM/YYYY)	Serial Number of Challan	Amount (Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
i				
ii				
iii				
iv				

NOTE ▶ Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in Sl No. 9a & 9d of Part B-TTI

B Details of Tax Deducted at Source (TDS) on Income [As per Form 16 A issued or Form 16B/16C furnished by Deductor(s)]

Sl No	TDS credit relating to self / other person [other person as per rule 37BA(2)]	PAN/A adhar of Other Person (if TDS credit related to other person)	TAN of the Deduct or/ PAN/A adhar of Tenant/ Buyer	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Financial Year (TDS Deducted during the FY 2019-20)		TDS credit being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)			Corresponding Receipts offered		TDS credit being carried forward		
				Fin. Year in which deducted	TDS b/f	Deducted in own hands	Deducted in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)	Claimed in own hands	Claimed in the hands of any other person as per rule 37BA(2) (if applicable)		Gross Amount	Head of Income			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)			(11)	(12)	(13)
							Income	TDS		Income	TDS	PAN/ Aadhaar			
i															

NOTE ▶ Please enter total of column 9 in 9b of Part B- TTI

C Details of Tax Collected at Source (TCS) [As per Form 27D issued by the Collector(s)]

Sl No	Tax Deduction and Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Unclaimed TCS brought forward (b/f)		TCS of the current fin. year	Amount out of (5) or (6) being claimed this Year (only if corresponding income is being offered for tax this year)	Amount out of (5) or (6) being carried forward
			Fin. Year in which collected	Amount b/f			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

i							
ii							

NOTE ▶ Please enter total of column (7) in 9c of Part B-TTI

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and the schedules, statements, etc. accompanying it is correct and complete is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961.

I further declare that I am making this return in my capacity as _____ (drop down to be provided) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____ (if allotted) (Please see instruction).

I further declare that the critical assumptions specified in the agreement have been satisfied and all the terms and conditions of the agreement have been complied with. (Applicable, in a case where return is furnished under section 92CD)

Place

Date

Sign here →

FORM ITR-V	<u>INDIAN INCOME TAX RETURN VERIFICATION FORM</u> [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-7 filed but NOT verified electronically] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)		Assessment Year 2020-21
Name			
PAN		Form Number	
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number	
VERIFICATION			
I, _____ son/ daughter of _____, solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return which has been submitted by me vide acknowledgement number _____ is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making this return in my capacity as _____ and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____.			
Signature →			
Date of submission		Source IP address	
System Generated Barcode/QR Code			
Instructions: 1. Please send the duly signed (preferably in blue ink) Form ITR-V to “Centralized Processing Centre, Income Tax Department, Bengaluru 560500”, by ORDINARY POST OR SPEED POST ONLY. Alternately, you may e-verify the electronic transmitted return data using Aadhaar OTP or Login to e-filing account through Net-Banking login or EVC obtained generated using Pre-Validated Bank Account/Demat Account or EVC generated through Bank ATM. 2. Form ITR-V shall not be received in any other office of the Income-tax Department or in any other manner. The confirmation of receipt of this Form ITR-V at ITD-CPC will be sent to the e-mail Id registered in the e-filing account. 3. On successful verification, the return filing acknowledgement can be downloaded from e-Filing portal as a proof of completion of process of filing the return of Income.			

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT [Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified] (Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)				Assessment Year 2020-21	
PAN					
Name					
Address					
Status		Form Number			
Filed u/s		e-Filing Acknowledgement Number			
Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any			1	
	Total Income				
	Book Profit under MAT, where applicable			2	
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable			3	
	Net tax payable			4	
	Interest and Fee Payable			5	
	Total tax, interest and Fee payable			6	
	Taxes Paid			7	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)			8	
Dividend Distribution Tax details	Dividend Tax Payable			9	
	Interest Payable			10	
	Total Dividend tax and interest payable			11	
	Taxes Paid			12	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (11-12)			13	
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD			14	
	Additional Tax payable u/s 115TD			15	
	Interest payable u/s 115TE			16	
	Additional Tax and interest payable			17	
	Tax and interest paid			18	
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (17-18)			19	
Income Tax Return submitted electronically on DD-MM-YYYY 00:00:00 from IP address _____ and verified by _____ having PAN _____ on _____ using * paper ITR-Verification Form /Electronic Verification Code _____ generated through _____ mode					
System Generated Barcode/QR Code					

* Strike of whichever is not applicable

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU